प्रधानमंत्री

अटल बिहारी वाजपेयी

चुने हुए भाषण

खंड - III

प्रकाशन विभाग

प्रधानमंत्री

अटल बिहारी वाजपेयी

चुने हुए भाषण

खंड-III

(अप्रैल 2000 से मार्च 2001 तक)

प्रधानमंत्री

अटल बिहारी वाजपेयी

चुने हुए भाषण

खंड-III

(अप्रैल 2000 से मार्च 2001 तक)

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

200 2 (शक 1923)

ISBN : 81-230-0993-3

मूल्य : 400.00 रुपये

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110 001 द्वारा प्रकाशित।

विक्रय केंद्र ● प्रकाशन विभाग

- पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110 001
- सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110 001
- हॉल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110 054
- कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400 038
- 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कोलकाता-700 069
- राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600 090
- बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800 004
- प्रेस रोड, निकट गवर्नमेंट प्रेस, तिरुअनंतपुरम-695 001
- प्रथम तल, एफ विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560 034
- अम्बिका कांप्लैक्स, प्रथम तल, पाल्डी, अहमदाबाद-380 007
- नवजन रोड, उजान बाजार, गुवाहाटी-781 001
- 27/6, राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ-226 001
- ब्लाक नं. 4, प्रथम तल, गृहकल्प कांप्लेक्स, एम.जे. रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500 001

विक्रय काउंटर ● पत्र सूचना कार्यालय

- 80, मालवीय नगर, भोपाल-462 003 (म. प्र.)
- सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, 'ए' विंग, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.)
- बी-7बी, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302 001 (राजस्थान)

लेज़र टाइपसेट : क्विक प्रिन्टर्स, नारायणा, नई दिल्ली-110 028.
अरावली प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली-110 020 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

I राष्ट्रीय मामले

III रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा

IV विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

V शिक्षा, कला और संस्कृति

VI स्वास्थ्य और समाज कल्याण

I

राष्ट्रीय मामले

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करें

आज सुबह आपके साथ यहां आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। यह आनंद में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान में आने का मौका है। जहां ग्रामीण विकास प्रबंधन में युवक और युवतियों को प्रशिक्षित कर राष्ट्र की सेवा की जाती है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप जैसे युवा पुरुषों और महिलाओं से मिलकर प्रसन्नता होती है क्योंकि अपने प्रयासों के द्वारा आप इक्कीसवीं शताब्दी में हमारे देश की नियति को स्वरूप प्रदान कर सकते हैं।

संस्थान के शैक्षिक वातावरण से निकलकर वास्तविक दुनिया में आप में से जो लोग नौकरी ढूंढने और व्यवसाय तलाशने के लिए निकलेंगे, उनके लिए यह अनूठा मौका है। आप लोगों के पास विशेष ज्ञान और निपुणता है जिसका इस्तेमाल ग्रामीण भारत का कायाकल्प करने में किया जा सकता है।

इसके लिए समर्पण की आवश्यकता है। इसके लिए दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे गांवों में रहने वालों की क्षमता और सदियों पुरानी बुद्धिमता में आस्था रखने की। मुझे कतई संशय नहीं है कि आप में समर्पण, दृढ़ विश्वास और आस्था की किसी प्रकार की भी कमी होगी।

ग्रामीण प्रबंधन संस्थान गुजरात में स्थित है जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और इस कारण आपके सामने पड़े कार्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। महात्मा जी को पूरा विश्वास था कि ग्रामीण भारत में गरीबी की बेड़ियों को तोड़ कर आजाद होने और सतत विकास के जरिये समृद्धि तक पहुंचने का रास्ता दिखाने की क्षमता है।

ग्रामीण भारत की क्षमताओं को वापिस लाने और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उनका विश्वास था।

महात्मा जी के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता और स्वाधीनता भारत के गांव समुदाय को गरीबी और शोषण से उभारने में ही है। हिंद स्वराज में वे कहते हैं :

''हम अपने गांवों को आजाद और स्वावलंबी बनाना चाहते हैं और उसके द्वारा

ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (गुजरात) के दीक्षांत समारोह में दिया गया भाषण, आनंद, 12 अप्रैल 2000

अपने उद्देश्य-स्वतंत्रता को हासिल करना चाहते हैं... जब मैं लाखों लोगों की स्वतंत्रता की बात करता हूं, मेरा अभिप्राय केवल यह नहीं होता कि उन लाखों लोगों को कुछ खाने को मिले और कुछ तन ढंकने को मिले, मगर मैं चाहता हूं कि वे यहां और बाहर के लोगों के शोषण से मुक्त हो जायें।

जब आप इस संस्थान से बाहर कदम रखेंगे तो मुझे आशा है कि महात्मा गांधी के शब्द याद रहेंगे। मैं यह भी आशा रखता हूं कि आप अपनी नई नौकरी और व्यवसाय को, ग्रामीण भारत को गरीबी और विकास की कमी से दूर करने के मिशन के रूप में समझेंगे। तब आपके द्वारा हासिल ज्ञान और निपुणता का इस्तेमाल बेशक उन लोगों की हालत-सामाजिक और आर्थिक, दोनों रूप से -सुधारने में किया जायेगा जो कि भारत के गांवों में रहते हैं।

हमारी सरकार 1998 में सत्ता संभालने के बाद से ही महात्मा जी के सपनों को साकार करने में जुटी है। हमने ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनेक कदम उठाये हैं।

शुरूआत में हमने ग्रामीण गरीबों की क्षमता सुधारने पर जोर दिया है। इसके लिए स्व-सहायता समूह बनाये जा रहे हैं जो कि विकास में मददगार होंगे।

दूसरा, हमने अपने ग्रामीण विकास मिशन को सरल बना दिया है ताकि जनता को आसानी से समझ में आ सके। विभिन्न परियोजनाओं को तीन बड़ी श्रेणियों—ग्रामीण आधारभूत ढांचा, स्व-रोजगार तथा वेतन-रोजगार में रखकर ऐसा किया गया है। और अन्ततः हमने ग्रामीण बेघरों को मकान देने के लिए पहले से ही ज्यादा प्राथमिकता दी है।

इनके अतिरिक्त हम ग्रामीण गरीबी का सामना करने के लिए अधिक लचीलापन लाये हैं और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के पुर्नवास के लिए अत्यधिक संसाधन उपलब्ध कराये हैं।

भारत के संपूर्ण विकास कार्यक्रम में ग्रामीण विकास के महत्व को आसानी से समझा जा सकता है।

भारत की 70 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या उसके 6,00,000 गांवों में रहती है। देश में आजीविका अर्जित कर रहे लोगों में से दो-तिहाई कृषि और संबंधित गतिविधियों से जुड़े हैं जिसका देश के सकल घरेलू उत्पाद में 26% का योगदान होता

है। भारत में मोटे तौर पर कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था है और इक्कीसवीं सदी में भी ऐसा ही रहेगा।

इसलिए भारत की समृद्धि की डगर उसके गांवों से होकर गुजरती है। अगर हम जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसी सफल पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो पायेंगे कि उन्होंने पहले ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर सात से आठ प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की और उसके बाद उद्योग और निर्यात में बड़ी ताकत बने।

अत: सामाजिक-आर्थिक विकास की कोई ऐसी नीति नहीं है जो कि ग्रामीण क्षेत्र—उसके लोगों, उसके प्राकृतिक संसाधनों, उसकी समस्याओं तथा उसकी क्षमताओं—को नजरअंदाज करके सफल हो सकती है। वास्तव में भारत की संपूर्ण वृद्धि का मूल ग्रामीण विकास में ही समाया है।

दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों से पहले तक इस सत्य का समुचित अहसास नहीं किया गया। फलस्वरूप आजादी के पहले पांच दशकों में भारत का ग्रामीण विकास का अनुभव विरोधाभासों से भरा है। इसकी कुछ विशेषतायें हैं:

- भारत के लिखित इतिहास में पहली बार अकाल का सफाया हो गया है। खाद्यान्नों की कमी वाले देश से हम खाद्यान्न स्वावलंबी राष्ट्र बन गए हैं फिर भी लाखों लोग अभी भी कुपोषण के शिकार हैं और कुछ इलाकों में हमेशा भुखमरी रहती है;

- अनूठे सहकारी - आधारित श्वेत क्रांति की बदौलत भारत विश्व में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है; फिर भी गरीबों में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता बहुत कम है;

- हम विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं मगर इसमें से सिर्फ एक प्रतिशत का प्रसंस्करण होता है जबकि दक्षिण अमरीका में 50 प्रतिशत और इस्राइल में 70 प्रतिशत होता है।

कृषि उत्पादन में भारत की शानदार प्रगति और गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर के सुधार में हमारी कम उपलब्धता भी इस तुलना के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत अभी भी अस्वीकार्य तथा अधिक है। फलस्वरूप, प्रति व्यक्ति आय और औसत जीवन आयु कम है और साथ ही मानव विकास सूचकांक भी।

भारत में संपूर्ण आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में शुरू किए गए संरचनात्मक और संचालनात्मक सुधारों से ग्रामीण विकास और कृषि पर असर पड़ा है। अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नये नियम बनाये गए हैं जो कि व्यापार को प्रभावित करते हैं।

हम सबके लिए यह एक सामूहिक चुनौती है कि हमारी विकास प्रक्रिया में आई खामियों को दूर किया जाये और नई विश्व अर्थव्यवस्था की चुनौती से उबरा जा सके। आप सबके सामने अपने कौशल का इस कार्य के लिए उपयोग करने का यह एक सुअवसर है।

इस संदर्भ में, जो कार्य आपको तुरंत शुरू करना होगा, वह है ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाना:

- गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा से उबरा जा सके;
- प्रकृति के परिवर्तन के कारण कृषि में होने वाले उतार-चढ़ाव का सामना किया जा सके; और
- बाजार में नई परिस्थिति का सामना किया जा सके।

मुझे विश्वास है कि आप तथा अन्य ग्रामीण मैनेजर सतत ग्रामीण विकास के कार्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक माहौल में आये बदलाव अनेक अवसर प्रदान करते हैं। इन मौकों का लाभ उठाने के लिए हमें अपने मौजूदा कानूनों और नियमों को नये नजरिये से देखना होगा जिनका ग्रामीण विकास पर सीधा असर पड़ता है।

उदारीकरण और वैश्वीकरण के चलते यह जरूरी है कि ग्रामीण उत्पादकों, खासकर छोटे और सीमांत किसानों, को संगठित किया जाये। ऐसा करने से ही वे मजबूत होंगे और भाव-तौल की शक्ति बढ़ेगी। साथ ही इससे उनको उचित प्रौद्योगिकी, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और प्रोफेशनल प्रबंधन तक पहुंचने में सफलता मिल पायेगी।

उदारीकरण और वैश्वीकरण के इस युग में हमें सही ग्रामीण उत्पादक सहकारी समितियों की भूमिका पर पुर्नविचार करना चाहिये और अपने उत्पादकों को अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त करने के बारे में सोचना चाहिए। सहकारी समितियों का निर्गमीकरण एक ऐसा विकल्प है जिस पर गहन विचार किया जा सकता है।

लेकिन यह तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक ही पहलू है। गांवों के सतत संपूर्ण विकास के लिए हमें एक ताजे सर्वांगीण तरीके और नये वास्तविकता वाले कार्यक्रम को अपनाना चाहिए।

समृद्ध और गौरवशाली भारत की मेरी परिकल्पना सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है जो कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, आय दिलाती है और पूरे समाज के लिए धन अर्जित करती है और गांवों से शहरों की ओर पलायन को उलट देती है। साथ ही साथ, यह प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण में संतुलन को बचाने की आवश्यकता को भी समझती है।

यह सब हासिल करने के लिए हमें कुछ विशेष क्षेत्रों में तेजी से काम करना होगा:

- अति महत्वपूर्ण ग्रामीण मूलभूत ढांचा तैयार करना जैसे पहुंचने के लिए सड़कें, गोदाम, प्रशीतन भंडारण गृह, फसलों के कटाव के बाद प्रसंस्करण सुविधा;
- पारंपरिक ग्रामीण उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए स्थानीय सुविधायें उपलब्ध कराना;
- सतत ग्रामीण विकास का मॉडल तैयार करना जो कि जलसंभरों के विकास और प्रबंधन में सामुदायिक हिस्सेदारी पर आधारित हो;
- क्षेत्रों की विभिन्नता के आधार पर कृषि उत्पादन नीतियां निर्धारित करना और प्रौद्योगिकी में पर्यावरण हितैषी निवेश करना;
- पंचायतों के स्तर तक अधिकारों को सौंप कर ग्रामीण समुदायों को मजबूत बनाना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीमांत समूहों को शामिल करना और संसाधनों को जुटाने व खर्चने के लिए पूरी तरह विकेन्द्रीकृत तरीका अपनाना।

तेज ग्रामीण विकास के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता गरीबी उंमूलन कार्यक्रमों के वास्ते प्रभावी और कुशलता पहुंचा सकने की प्रणाली स्थापित करना है।

हालांकि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की कोई कमी नहीं है फिर भी ज्यादातर में क्रियांवयन की बहुत बड़ी कमी है। वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्त को ही उनकी सफलता का मानदंड माना जाता है। अगर ऐसा सत्य होता तो अब तक खर्च किए गए इतने अधिक पैसे ने गरीबी स्तर पर गहरा असर डाला होता।

लेकिन अनुभव बताता है कि ऐसा नहीं होता। इसके विपरीत गरीबी अपने अस्वीकार्य उच्च स्तर पर बरकरार है; वास्तव में कुछ क्षेत्रों में पिछले वर्षों में इसमें बढ़ोतरी हुई है।

हमारा अनुभव बताता है क्रियान्वयन में कमी के कारण कुछ योजनाओं ने गरीबों को सरकारी अनुदान का मोहताज बना दिया हैं जिससे उनमें मनोबल और पहल करने की भावना खत्म हो गई है। इसलिए हमें गरीबी हटाने के अन्य प्रभावी विकल्पों पर विचार करना होगा।

गरीबों को पूरी तरह सरकारी सहायता पर निर्भर और उन्हें अप्रभावी पहुंच प्रणाली का शिकार न बनने देने के बजाय हमने उन्हें इस प्रकार सशक्त करने की शुरुआत की है जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सके और निरंतर आय प्राप्त कर सके।

चीन में कहते हैं कि किसी व्यक्ति को मछली पकड़ कर देने से ज्यादा बुद्धिमता उसे मछली पकड़ना सीखाने में है। यह कहावत हमारे संदर्भ में पूरी तरह सत्य है।

ग्रामीण गरीबों के लिए निरंतर आय के साधन उपलब्ध कराने के विकल्पों में से एक ग्रामीण विकास का आनंद मॉडल है जैसा कि पिछले पांच दशकों में उभर कर सामने आया है।

इस मॉडल ने प्रभावी रूप से छोटे कृषि उत्पादकों की ओर से बाजार हस्तक्षेप सुनिश्चित किया, उनको सभी महत्वपूर्ण चीजें दिलाई और ग्रामीण समाज के गरीब और अन्य पिछड़े तबकों में आत्म-विश्वास की भावना जागृत की। सतत और बराबरी वाले ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने का यह वास्तविक तरीका है।

इस मॉडल के अन्य रूपों को दूसरी जगहों पर सफलतापूर्वक अपनाया गया है। आप जैसे व्यावसायिक ग्रामीण प्रबंधकों, जो कि आज दीक्षा पूरी कर रहे हैं, की मदद से ग्रामीण विकास को तेज किया जा सकता है और आनंद मॉडल को और जगह अपनाया जा सकता है।

मेरे मस्तिष्क में कोई संशय नहीं है कि आप लोगों में हमारे गांवों की विशाल क्षमता के इस्तेमाल का पूरा सामर्थ्य है और ग्रामीण भारत को एक ऐसे आधार में बदल सकते हैं जिस पर समृद्ध राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सकता है।

आई आर एम ए से सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर मैं आपको बधाई देता हूं और ग्रामीण विकास के प्रबंधक के रूप में प्रभावशाली भविष्य की कामना करता हूं।

संकट का सामना एक साथ मिलकर

गुजरात और राजस्थान का काफी बड़ा क्षेत्र तथा देश के कुछ अन्य भाग भीषण सूखे की चपेट में हैं। फसलें नष्ट हो गई हैं, पानी के स्रोत सूख गए हैं, पशुओं के लिए चारा नहीं है। गांव-गांव में पुरुष, महिलाएं और बच्चे अन्न और जल के अभाव से त्रस्त हैं। पांच करोड़ से भी अधिक लोग सूखे से प्रभावित हुए हैं। उन्हें अपने चारों ओर सिर्फ सूखी भूमि ही नजर आ रही है और वे यह आस लगाए बैठे हैं कि इस वर्ष मानसून उन्हें धोखा नहीं देगा। लेकिन बरसात आने में अभी कई महीने बाकी हैं।

हम अपने भाइयों और बहनों को उनके भाग्य के भरोसे या प्रकृति की क्रूरता पर नहीं छोड़ सकते। इस समय उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, ताकि जो प्राकृतिक विपदा उन पर आ पड़ी है, उससे उन्हें उबारा जा सके, उन्हें भूख और बीमारियों से बचाया जा सके, उन्हें फिर से बसाया जा सके, और उनके पशुओं, जो प्राय: उनकी एकमात्र संपत्ति होती हैं, की रक्षा की जा सके।

केन्द्रीय सरकार आपदा राहत कोष तथा अन्य मदों से गुजरात तथा राजस्थान को सहायता प्रदान कर रही है। किंतु, सूखे की गंभीरता और बड़ी संख्या में लोगों को भोजन तथा पशुओं को चारा उपलब्ध कराए जाने की जरूरत को देखते हुए यह धनराशि अपर्याप्त है। आप प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अपने सामर्थ्य के अनुसार धनराशि देकर इस कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।

पिछले वर्ष आपकी मदद से ही हम उड़ीसा में आए भीषण चक्रवात, जिसने उड़ीसा के तटीय इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया था, से उत्पन्न संकट का सामना कर पाए थे। मुझे विश्वास है कि इस समय आप गुजरात तथा राजस्थान के अपने भाइयों और बहनों की मदद के लिए आगे आएंगे। हम एक साथ मिलकर ही इस संकट का सामना कर सकते हैं।

राष्ट्र के नाम संदेश, नई दिल्ली, 23 अप्रैल 2000

निर्यात प्रोत्साहन पर अधिक ध्यान दें

भारत से निर्यात में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के सम्मान में आयोजित इस समारोह में आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है।

विश्वभर में भारी प्रतिस्पर्धा के बावजूद आपने सफलता हासिल की है और निर्यात को बढ़ावा देने के सरकार के विभिन्न नीतिगत प्रयासों का पूरा लाभ उठाया है। आपकी सफलता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान के साथ-साथ अन्य निर्यातकों के लिए प्रेरणा साबित होगी। सबसे अधिक, आपकी सफलता उत्कृष्टता का उदाहरण है जो कि इक्कीसवीं शती में सफल समाजों की पहचान होगी।

सदा-उच्च स्तर के निर्यात को हासिल कर पाना कोई आसान काम नहीं है, खासकर जबकि विश्व बाजार की तेजी से बदल रही जरूरतों का पूर्वानुमान लगा पाना और उसे पूरा कर पाना मुश्किल है। विदेशी खरीददारों के ऊंचे मानदंडों को पूरा कर विश्व में अपनी पकड़ बनाये रखने के लिए बड़ी काबलियत चाहिए। अत: सफल निर्यातक एक उपलब्धि है जिसकी क्षमताओं का निरंतर और कड़ा परीक्षण होता रहता है। राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार आपकी इन उपलब्धियों का सम्मान है।

यह बात सर्वविदित है कि निर्यात को बढ़ावा देने पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछली बार जब मैंने आप लोगों को सम्बोधित किया था तो मैंने जोर देकर कहा था कि निरंतर और उच्च निर्यात वृद्धि को राष्ट्रीय ध्येय के रूप में देखा जाना चाहिए।

इस ध्येय की प्राप्ति के लिए वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रति हमारे विचार और रवैये में परिवर्तन आना चाहिए। व्यापार और शुल्क दरों की बदली शर्तों से उत्पन्न संभावित चुनौतियों के बावजूद वैश्वीकरण अनेक अवसर प्रदान करता है जो कि विकासशील देशों के लिए लाभप्रद है।

वास्तव में विश्व की अर्थव्यवस्था से प्राप्त मौकों का अनेक विकासशील देशों ने लाभ उठाया है और बहुत तेज निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर्ज की है जिससे कुल मिलाकर समृद्धि आई और रोजगार अवसरों के सृजन के जरिये प्रति व्यक्ति अधिक आय हासिल हो पाई।

इस प्रकार राष्ट्र, समाज और व्यक्ति को विश्व की अर्थव्यवस्था में जोरदार रूप से भाग लेने पर लाभ हुआ है। उन्होंने अन्य के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा की

राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार देते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 8 मई 2000

और विश्व बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाई। यह अनेक विकासशील देशों, खासकर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों का अनुभव रहा है। उन्होंने दिखा दिया है कि निर्यात, आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन के लिए शक्तिशाली इंजन साबित हो सकते हैं।

वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमें वैश्वीकरण के मूल सिद्धांत के साथ चलना होगा : प्रौद्योगिकी, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी में तेज परिवर्तन। विश्व में तेजी से बढ़ती संपर्कता के कारण दूरी, समय और आर्थिक सीमायें सिकुड़ सी गई हैं।

अर्थव्यवस्थाओं के एकीकृत होने के कारण राष्ट्र भी परस्पर निर्भर हो गए हैं, खासकर व्यापार में और इसलिए भारत अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर यह कहता है कि यदि वैश्वीकरण से अभिप्राय व्यापार के जरिये एक-दूसरे पर निर्भरता है तो विकसित देशों को सही मायने में विकासशील देशों को अपने बाजार उपलब्ध कराने चाहिए।

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है जो दिखाता है कि वैश्वीकरण का लाभ किस प्रकार राष्ट्रीय हित में किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के हमारे ज्ञाता सारी दुनिया में ध्यान और सम्मान पाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र यह भी दर्शाता है कि सरकारी नीतियों और निजी उद्यम के बीच समन्वय होने से ही वास्तविक प्रगति हो सकती है।

हमें इस प्रयास को अपनी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी ले जाने की जरूरत है, विशेषकर दवा-उद्योग, इलेक्ट्रानिक्स, जैव-प्रौद्योगिकी जैसे ज्ञान-आधारित क्षेत्र। इन क्षेत्रों में भारत के लिए अनेक अवसर हैं और सरकार ऐसे परिवर्तन लाने में नहीं चूकेगी जिनकी इन क्षेत्रों में सफलता और विश्व स्तर के मानक हासिल करने की जरूरत है।

हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि निर्यात में वृद्धि केवल बड़े उद्योगों तक ही सीमित न रह जायें। हमारा लघु उद्योग क्षेत्र भारत के निर्यात स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है और इसे हासिल करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं। बाकी के जरूरी कदम भी उठाये जायेंगे।

हमारा विश्वास है कि निर्यात की भूमिका भारत के लिए जरूरी आयात के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेवारियां पूरी करना मात्र नहीं है बल्कि निर्यात राष्ट्रीय आर्थिक प्रक्रिया में ज्यादा मूल भूमिका अदा करते हैं। सिर्फ विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की पहले की निर्यात की धारणा से यह बिलकुल अलग है।

वास्तव में निर्यात संपूर्ण विकास प्रक्रिया में अनेक अन्य प्रकार से मदद करते हैं—उदाहरण के लिए, उत्पाद गुणवत्ता, पैकेजिंग और विपणन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ तरीकों, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन प्रणालियों में परिवर्तनों को अपनाना। इसलिए हमारे विकास उद्देश्यों के संदर्भ में निर्यात में बढ़ोत्तरी हमारी मूल आवश्यकता है।

इस दृष्टिकोण से देखते हुये हमारे निर्यात प्रदर्शन का महत्व और बढ़ जाता है। तैयार उत्पादों और सेवाओं के निर्यात के बढ़ते हिस्से को देखते हुये हमें विश्वास है कि विश्व के बाजार में भारत न तो कमजोर है और न ही पिछड़ा हुआ है। आप लोगों ने यह स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बाजारों में भारत क्या हासिल कर सकता है।

1999-2000 में निर्यात की वृद्धि दर को दो अंकों में देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जबकि पहले विश्व के अनेक कारणों से इसमें गिरावट आ रही थी। हमें निर्यात में निरंतर 20 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके लिए हम आप पर निर्भर करते हैं।

मैं 1998-99 के पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने निर्यात के कठिन वर्षों में उपलब्धि हासिल की। राष्ट्रीय हित में प्रयासों के लिए मैं सभी निर्यातकों को भी बधाई देता हूं।

बढ़ती जनसंख्या पर रोक आवश्यक

आज भारत की जनसंख्या एक अरब का आंकड़ा पार कर गई है। यह एक गंभीर स्थिति है। यह चिंता और आत्म-विश्लेषण का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि निरंतर बढ़ती हुई आबादी का हमारे राष्ट्र के आर्थिक, प्राकृतिक और अन्य संसाधनों पर गंभीर असर पड़ेगा; हमें आत्म-विश्लेषण करने की इसलिए जरूरत है कि हमारी नीतियों के कार्यान्वयन में कहां कमियां रह गईं और हम जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रण में रख सकते हैं।

पिछली सदी में भारत की जनसंख्या 24 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ हो गई

भारत की जनसंख्या के एक अरब का आंकड़ा पार करने पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य, नई दिल्ली, 11 मई 2000

जो चार गुणा से अधिक की वृद्धि दर्शाती है, जब कि इसी अवधि के दौरान विश्व की जनसंख्या में केवल तीन गुणा वृद्धि हुई है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4 प्रतिशत है, परंतु भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 16 प्रतिशत है। प्रत्येक वर्ष भारत में 155 लाख बच्चे पैदा होते हैं, जिससे सरकार और समाज के लिए यह सुनिश्चित करना असंभव हो जाता है कि वे पोषाहार, स्वास्थ्य-देखभाल और शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों से वंचित न रह जाएं।

यदि हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर पर इस समय अंकुश नहीं लगाया गया तो इस शताब्दी के मध्य तक भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा और लोगों को निरंतर घटते प्राकृतिक संसाधनों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पेयजल, आवास और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा, बढ़ती हुई आबादी की जरूरतों को पूरा करने का केवल यही तरीका है कि रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा किए जाएं; भौतिक आधारभूत ढांचे का सृजन किया जाए तथा सार्वजनिक सेवाओं का सही ढंग से रख-रखाव किया जाए।

भारत उन कुछ देशों में से एक है, जिन्होंने सरकारी तौर पर जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को अपनाया था। हालांकि, अन्य देश अपनी जनसंख्या को संतुलित रखने में सफल हो गए हैं, किन्तु हमारा अनुभव यह बताता है कि कुछ राज्यों को छोड़कर जनसंख्या नियंत्रण के मामले में हमारी उपलब्धियां संतोषजनक नहीं रही हैं। स्पष्ट है कि पिछले चार दशकों से अपनाई जा रही हमारी नीतियों और उनके कार्यान्वयन में कमियां रही हैं।

सरकार का यह मानना है कि चहुंमुखी सामाजिक और आर्थिक विकास के बिना जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता और ऐसा जोर-जबरदस्ती से तो बिल्कुल ही नहीं। परिवार कल्याण ही काफी नहीं है, बल्कि इसके साथ-साथ सरकार को आर्थिक और सामाजिक कल्याण के कार्य भी सुनिश्चित करने होंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराकर और लोगों द्वारा विभिन्न किस्म के गर्भ-निरोधकों को अपनाकर, जनता (विशेषकर लड़कियों) को शिक्षित करके और महिलाओं को सामाजिक अधिकार तथा निर्णय लेने की स्वतंत्रता देकर जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी लाई जा सकती है। यह उन राज्यों का अनुभव है, जो अपनी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने में सफल हुए हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए और जनसंख्या पर नियंत्रण पाने की तात्कालिक

जरूरत को महसूस करते हुए सरकार ने एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई है तथा इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जनसंख्या आयोग का गठन किया है। जनसंख्या संतुलन तथा परिवार कल्याण नए राष्ट्रीय मिशन की आधारशिला होने चाहिए, जिसका लक्ष्य देश के सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन-स्तर मुहैया कराना होना चाहिए। इस मिशन की सफलता के लिए सरकार को स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सामुदायिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। वास्तव में, प्रत्येक नागरिक को आगे आकर इस राष्ट्रीय प्रयास में अपना सहयोग देना चाहिए, ताकि हम अगले दशक में इस प्रवृत्ति को रोक सकें और जनसंख्या संतुलन के जरिए स्थायी विकास की दिशा में अग्रसर हो सकें।

भारत को समृद्ध और खुशहाल बनाने का हमारा सपना है, जिसे साकार करने के लिए सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों के सहयोग से प्रत्येक भारतीय को इस दिशा में प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेगी, जिससे वह एक संतुलित और सीमित परिवार रखने का प्रयास कर सके और उससे व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र के संसाधनों पर बोझ न पड़े। सरकार को विश्वास है कि जनता के सहयोग से जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के राष्ट्रीय कार्य को पूरा किया जा सकेगा।

आर्थिक सुधारों के प्रति समान दृष्टिकोण

अंतर्राज्यीय परिषद की इस छठी बैठक में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वर्षों से हमने अंतर्राज्यीय परिषद् को एक ऐसे सक्रिय मंच के रूप में बनाना चाहा है जहां उन मुद्दों पर स्पष्ट एवं निर्बाध विचार-विमर्श हो सके जिनका केन्द्र-राज्य सम्बंधों से गहरा सम्बंध है। मेरा विश्वास है कि यह समस्याओं और उनके समाधानों के लिए एक आपसी विचारधारा तक पहुंचने का अत्यंत प्रभावशाली तरीका है। इसके अतिरिक्त निरंतर बातचीत से केन्द्र और राज्यों की भागीदारी मज़बूत बनेगी, जो हमारी प्रजातंत्रीय राज्यव्यवस्था का मुख्य आधार है।

अंतर्राज्यीय परिषद की पिछली बैठक में हम कई प्राथमिकताओं पर सहमत हुए थे। आपसी हित और मामलों का एक मुख्य क्षेत्र है- संसाधनों का जुटाना। इस संदर्भ

अंतर्राज्यीय परिषद् की छठी बैठक में उद्‌घाटन भाषण, नई दिल्ली, 20 मई 2000

में करों के वितरणीय पूल में से राज्यों को अधिक अंश देने पर चर्चा हुई थी। परिषद हस्तांतरण की एक विकल्प योजना पर सहमत हुई थी जिसके अनुसार केन्द्रीय करों का 29 प्रतिशत राज्यों को दिया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 89वां संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया था जिसे हाल ही में समाप्त हुए संसद-सत्र में अंगीकार किया गया है। राज्यों के संसाधनों के अधिक हस्तांतरण की नई योजना अप्रैल, 1996 से लागू हुई। राज्यों को अधिक संसाधन देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि लोगों के कल्याण की देखरेख के लिए सरकारें अधिक सक्षम हो सकें।

पिछले साल हुई अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक के उपरान्त केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय मामलों की सलाह प्रक्रिया में महत्वपूर्ण गति आ गई है। केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने संसाधनों के प्रभावशाली व बेहतर प्रबंधन में सुधार हेतु व्यावहारिक कार्यक्रम तैयार करने के लिए कई बैठकें कीं। मैं समझता हूं कि इस दिशा में समुचित पृष्ठभूमि तैयार हो गई है।

अब मुझे केन्द्र और राज्यों के सामने आई वित्तीय समस्याओं के बारे में कुछ शब्द कहने का अवसर दें। केन्द्र और राज्य दोनों गम्भीर वित्तीय दबाव के दौर से गुजर

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राज्यीय परिषद की छठी बैठक में, नई दिल्ली, 20 मई 2000

रहे हैं। हमारे संसाधन हमारे विकास की आवश्यक जरूरतों की पूर्ति में लगातार अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए केन्द्र और राज्य दोनों अत्यधिक ऋण का सहारा ले रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि केन्द्र व राज्यों, दोनों का सम्मिलित राजकोषीय घाटा 1999-2000 में सकल घरेलू उत्पाद के नौ प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह 1990 के स्तर से ज्यादा है, अब हमारे सामने भुगतान-संतुलन का गम्भीर संकट आ खड़ा हुआ है।

घाटे के इस अनियंत्रित स्तर का हमारी अर्थव्यवस्था पर गम्भीर नकारात्मक प्रभाव है। यह संसाधनों को पहले से ही खाली कर देता है जो कि अन्यथा गैर सरकारी क्षेत्र में निवेश के लिए उपलब्ध होते। यह ऊंची कीमतों व सीमित मात्रा में ऋण की उपलब्धता से प्रतिबिम्बित है।

उच्च राजकोषीय घाटा बढ़ते हुए ऋण भार और ब्याज अदायगी की निरन्तर वृद्धि की ओर ले जाता है। इसके बदले यह आवश्यक सामाजिक और आर्थिक संरचना के लिए परिव्यय को काफी कम करता है। इससे भी अधिक चिन्ता यह है कि ये उच्च घाटे पूंजी-निवेश के लिए प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। इन्हें निरन्तर गैर-योजना खर्चों के बढ़ते स्तर हेतु इस्तेमाल किया जाता है।

इस प्रवृत्ति का बदलना बहुत जरूरी है। यदि हम इस प्रवृत्ति को बदल नहीं पाए तो हम इच्छित सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। न तो हम रोजगार के अवसरों को उत्पन्न कर पाएंगे और न ही गरीबी को कम कर पाएंगे। केन्द्र और राज्यों को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिल-जुलकर काम करना होगा।

केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से कर वसूली में सुधार, अनुत्पादक खर्चों में काट-छांट, केन्द्रीय सब्सिडी के अनुपात व संरचना को युक्तिसंगत करने और सार्वजनिक उपक्रमों के सुधारों को आगे बढ़ाने के मिलेजुले प्रयास कर रही है। बढ़ता हुआ सब्सिडी भार एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हमें संयुक्त रूप से जूझना होगा। केन्द्रीय सरकार को केन्द्र में सब्सिडी को रोकने के लिए कुछ मुश्किल फैसले करने की सलाह दी जाती है।

मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे अपनी वित्त-व्यवस्था को अच्छी हालत में लाने के लिए शीघ्रता करें। मुझे कुछ ऐसे क्षेत्रों पर बोलने का अवसर दें जहां तुरन्त कार्रवाई जरूरी है:

- विद्युत-क्षेत्र के सुधार संकटपूर्ण हो गए हैं। राज्यों के विद्युत-मंडलों के व्यावसायिक घाटे राज्यों के कुल राजकोषीय घाटों के आधे से अधिक हैं। परिवहन व अन्य सेवा क्षेत्रों में भी यही हो रहा है। विद्युत-दरों को युक्तिसंगत बनाया जाए और क्रास-सब्सिडी को कम किया जाए। यह भी समान रूप से आवश्यक है कि ट्रांसमिशन और वितरण की प्रचालन दक्षता को उपभोक्ता के हित के लिए सार्थक रूप से सुधारा जाए।

- उपयोगिताओं और सेवाओं पर उपभोक्ता प्रभार को युक्तिसंगत बनाना होगा। हमारी वर्तमान सिंचाई-व्यवस्थाओं को वित्त के अभाव में बिगड़ने दिया जा रहा है। ज्यादातर उपभोक्ता प्रभार प्रचालन खर्च का एक नगण्य हिस्सा होता है।

- राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संदर्भ में युक्तिसंगत नीतियां बनाने की आवश्यकता है। जबकि व्यवहार्य उपक्रमों को तो मजबूत करने की आवश्यकता है और जो घाटा देने वाली है, जिन्हें पुन: स्थापित नहीं किया जा सकता, उनके बारे में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

- केन्द्र के मुकाबले राज्य सरकारों ने सरकारी नौकरियों में एक अधिक तीव्रतर वृद्धि को देखा है। मैं इस अनिवार्यता को समझ सकता हूं। लेकिन यह नीति अस्थायी है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा इस वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कठिन कदम सराहनीय हैं। हमें सही आकार की सरकार बनाने के लिए एक सहमति बनानी होगी।

- वित्तीय-प्राप्ति में सुधार से स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा और सामाजिक ढांचागत संरचना हेतु अति-आवश्यक कार्यक्रमों के लिए बेहतर वित्त की व्यवस्था हो सकेगी।

अनेक राज्य यह महसूस करते हैं कि समस्याओं का समाधान केन्द्र द्वारा अधिक धनराशि देने में हैं। फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप यह महसूस कीजिए कि केन्द्र द्वारा अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने से भी समस्या नहीं सुलझ सकती। केन्द्र की वित्त-व्यवस्था भी दबाव में है। इसलिए हमारे लिए दृढ़ निश्चय और आपसी सहमति से काम करने की आवश्यकता है।

बेहतर राजकोषीय प्रबन्धता की प्रतिबद्धता के लिए हमारा अगला प्रस्ताव है कि हितकर विकेन्द्रीकरण को बुनियादी स्तर तक लाया जाए। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि आर्थिक और सामाजिक दोनों ही विकास तभी उपयोगी हो सकते हैं जब विकेन्द्रीकरण और हस्तान्तरण छोटे से छोटे गांव में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार लाए।

इसलिए इस फोरम के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि यह केवल राज्यों को और ज्यादा आर्थिक व प्रशासनिक शक्तियों को हस्तांतरित करने के संदर्भ में विचार-विमर्श करे। हमें उन साधनों और तरीकों पर विचार करना होगा जो इस हस्तान्तरण (परिवर्तन की श्रृंखलाओं) को हमारे लोकतन्त्र के ढांचे के मूल स्तर अर्थात् पंचायत राज्य संस्थाओं और म्यूनिसिपल निकायों तक ले जाए। संविधान-योजना जो 73वें व 74वें संशोधन में रखी गई है पहले से ही मौजूद है। अब हमारा काम है कि हम यह निश्चित करें कि बुनियादी स्तर तक वास्तविक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया अस्तित्व में आए और मजबूत बने।

मैं जानता हूं कि बहुत से राज्यों ने पंचायती चुनाव सम्पन्न कराए हैं और अन्य राज्यों में उन्हें कराने की प्रक्रिया जारी है। यह एक स्वस्थ उपलब्धि है जिसने हमारे लोकतन्त्र को और मजबूत किया है और हमारे राज्य शासन प्रबन्ध को सशक्त बनाया है।

यह अपने आप में प्रशंसनीय है, लेकिन इस दिशा में यह पहला कदम है। पंचायत राज संस्थाओं को उपयुक्त वित्तीय अधिकार और कार्यों का हस्तान्तरण करके शक्तिशाली बनाना है। मुझे सूचित किया गया है कि अधिकांश राज्य वित्त आयोगों ने पंचायतों को संसाधन हस्तान्तरण करने के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब यह राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर है कि वे अपने-अपने वित्त आयोगों की अनुशंसाओं को लागू करें।

हमें यह बात निरन्तर अपनी सोच में रखनी होगी कि पंचायती राज संस्थाएं बुनियादी स्तर तक विकास कार्यक्रमों को पहुंचाने का सबसे उपयुक्त साधन है। इस प्रकार यह आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी को प्रभावशाली रूप से दूर करने की दिशा दिखाएगी। विकास के औसत आंकड़े पुष्ट नजर आ सकते हैं लेकिन वे अर्थयुक्त तभी होंगे जब मूलभूत आवश्यकताओं तक जनता की पहुंच होगी।

आज हमने इस विचारविमर्श में एक जरूरी विषय को भी सम्मिलित किया है।

यह आवश्यक वस्तुओं के आवागमन पर लगी रोक को हटाने से सम्बधित है। मैं यह आशा करता हूं कि सभी राज्य सरकारें खाद्यान्नों के आवागमन पर लगी रोक को हटाने में सहयोग देंगी। यह हमारे उन लोगों के दु:खों में सुधार लाने में सहायक होगा, जो देश के कुछ क्षेत्रों में भयंकर सूखे की चपेट में हैं।

अंतिम विषय, जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं—वह है आन्तरिक सुरक्षा। अनेक राज्यों में लोग आतंकवाद या अलगाववादी हिंसा का किसी न किसी रूप में सामना कर रहे हैं। यह पूर्ण विचार-विमर्श के योग्य है। इसलिए मैंने 7 अगस्त को मुख्यमन्त्रियों की बैठक बुलाई थी कि वे आन्तरिक सुरक्षा से सम्बंधित विषयों पर मनन करें कि इन्हें किस प्रकार सुलझाया जाए।

हमारे जैसे विशाल और विभिन्नताओं से भरे लोकतंत्र में वाद-विवाद, विचार-विमर्श और चर्चाएं उन नीतियों को बनाने में सहायक होती हैं जो व्यावहारिकता से सम्बधित हैं। इससे भी अधिक वे हमें इन नीतियों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के योग्य बनाती हैं।

अंतर्राज्यीय परिषद एक अंत:सरकारी फोरम है, जिसे नीतियां बनाने और साथ ही साथ उन्हें निश्चित रूप से लागू करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इसलिए मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा कि वे इस फोरम को हमारे लोकतन्त्र, समाज व राज्यशासन-प्रबंध को मजबूत करने के एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में अधिक से अधिक प्रयुक्त करें। मुख्यमंत्रियों के भाषणों की प्रतिलिपियां वितरित कर दी गई हैं। यदि आप सहमत हों तो हम सीधे आज के एजेंडा के विषय पर चर्चा प्रारम्भ कर सकते हैं। इससे समय का सदुपयोग होगा।

मैं आशा करता हूं कि अंतर्राज्यीय परिषद् की इस बैठक में लाभप्रद चर्चाएं होंगी और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय प्रदान किया।

प्रकृति के प्रकोप से कमर कसकर लड़ना पड़ेगा

ऐसा लगता है कि प्रकृति बदला ले रही है। हमने प्रकृति के साथ बहुत अन्याय किए हैं, पेड़ काटे हैं; काटने के बाद नए पेड़ लगाए नहीं, और पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ हुआ है और उसका परिणाम यह है कि जहां पानी नहीं बरसता था, वहां इतना पानी बरसा है कि वो डुबा रहा है, सबको। कहीं पानी ज्यादा बरसा है और कहीं सूखा पड़ा है। राजस्थान के भी कुछ भाग सूखे से पहले परेशान थे। मतलब यह है कि हमें प्रकृति के प्रकोप से कमर कसकर लड़ना पड़ेगा। जो मुसीबत आई है, उसका सामना करना पड़ेगा।

आपके यहां से जो रिपोर्ट आई है, उससे भी यह बात साफ है कि पानी को निकालना एक बड़ी समस्या है। निकाल कर पानी कहां ले जाएं? और फिर निकालें कैसे? इसलिए अभी हम लोग विचार कर रहे थे कि क्या तरीके हो सकते हैं। क्या फौज की मदद ली जाए? पाइप चाहिए और पानी दूर ले जाना पड़ेगा क्योंकि अगर पास पानी ले गए और खेतों में चला गया तो और परेशानी पैदा करेगा।

एक सवाल है, पानी निकालने का। दूसरा है, चारे का इंतजाम करने का। जो जानवर मर गए, वो तो चले गए हाथ से। लेकिन अभी-अभी मैंने सुना है, वसुंधराजी ने बताया कि पानी में लोग खड़े हैं, जानवर खड़े हैं। और, उन्हें कहां ले जाएं और ले जाएं तो क्या खिलाएं? चारे की तो वैसे भी कमी हो गई होगी, उस राज्य में। तो राजस्थान सरकार को कुछ करना चाहिए था, उन्होंने शायद कुछ किया भी होगा। मैं अभी हरियाणा की सरकार से बात कर रहा हूं, और सरकारों से भी कि वो चारे का तत्काल प्रबंध करें। अगर वो यह कहते हैं कि हम चारा देने के लिए तैयार हैं, मगर पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे सेंटर देने को तैयार है, आप चिंता मत करो, पैसे की कमी नहीं है। और, फिर मकान बनाने का लम्बा काम है। तत्काल तो रहने का कुछ ऐसा प्रबंध होना चाहिए जिससे सर के ऊपर छत हो और बच्चे, औरतें उसमें ठीक तरह से रुक सकें! राशन भी भिजवाया जा सकता है, राशन भेजने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और, मकान बनाने की योजना बनानी पड़ेगी, उसमें सरकार पूरी मदद देगी,

---

बीकानेर के लूनकरणसर क्षेत्र के बाढ़-पीड़ित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 12 अगस्त 2000

आप भरोसा रखिए। मगर बड़ा ताजुब्ब है, यह 22-23 की घटना है, 22 और 23 जुलाई को और अखबारों में भी इसकी चर्चा नहीं हुई। यह ठीक है कि कश्मीर की ओर लोगों का ध्यान लगा है, और भी मुसीबतें आती हैं तो उनकी तरफ ध्यान बंट जाता है। लेकिन लूनकरणसर के साथ अन्याय हो रहा है और इसको दूर करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार भी जिम्मेदार है। मैं अभी मुख्यमंत्री महोदय को फोन कर रहा था, वो कहीं गए हुए हैं। बाद में आकर वो फोन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। केन्द्र से दो अफसर चले गए हैं—आज, जो वहां जाकर देखेंगे कि पानी निकालने का क्या तरीका हो सकता है और क्या कदम उठाने की जरूरत है। आप लोग इतनी दूर आए, हमको आपके साथ बहुत सहानुभूति है और इस प्रकृति के प्रकोप में सबको मिलकर खड़े होना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए। और कोई रास्ता नहीं है। हथियार हम नहीं डाल सकते। अगर प्रकृति अपना जोर दिखाएगी तो मनुष्य को भी अपना पुरुषार्थ प्रकट करना होगा। राजस्थान सरकार से संपर्क करेंगे और केन्द्र जो कुछ कर सकता है, उसके बारे में हम सब लोग मिल-बैठकर विचार करेंगे और आपको सूचना देंगे।

नई सदी का संकल्प

आजादी की सालगिरह पर आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। आप जहां कहीं भी हैं, फिर वह हिमालय की चोटी हो या हिंद महासागर का किनारा, राजस्थान का तपता बालू हो या पूर्वांचल के हरे-भरे जंगल, मेरी बधाई आप सब तक पहुंचे। आज रक्षा बंधन का भी त्यौहार है। स्नेह की शक्ति एक साधारण कच्चे धागे को भी अटूट रिश्ते में बदल देती है। इस मौके पर हम सभी देशवासियों को, विशेषकर बहनों को शुभकामनाएं देते हैं।

इस वर्ष का 15 अगस्त नई शताब्दी का पहला स्वतंत्रता दिवस है। बीती सदी पर एक नजर डालकर हमें नई सदी की चुनौतियों को अवसर में बदलना है। हमें इस आजादी को अमर बनाना है। देश की रक्षा के संकल्प को आज दोहराना है। आज पुण्य स्मरण का दिन है। आत्म-निरीक्षण का अवसर है। हम सभी ज्ञात और अज्ञात

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 15 अगस्त 2000

शहीदों को अपने श्रद्धा-सुमन समर्पित करते हैं। उनकी शहादत की याद हमारे हृदय में हमेशा जीवित रहेगी। उनका बलिदान हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा।

आज के दिन हम महात्मा गांधीजी को विशेष रूप से याद करते हैं। वे स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे अग्रणी नेता तो थे ही, 20वीं सदी के महानतम व्यक्तियों में से भी एक थे।

आज के पावन दिन पर हम विश्व के सभी देशों के लोगों को अपनी शुभेच्छा भेजते हैं। हम कामना करते हैं कि 21वीं शताब्दी पूरे विश्व में शांति, बंधुत्व, सहकार तथा उत्तरोत्तर प्रगति की सदी का संदेश लेकर आए। आज हम विदेशों में रह रहे लाखों भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जहां कहीं भी वे रह रहे हैं, वे भावनात्मक रूप से भारत से जुड़े हैं। हम उनकी सफलता और खुशहाली की कामना करते हैं।

आज उत्तर प्रदेश, बिहार, और मध्य प्रदेश के राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात भारत के नक्शे पर तीन जो नए राज्य उभरे हैं, उनके निवासियों को भी मैं बधाई देता हूं। हमें विश्वास है कि छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, तथा झारखंड के नए राज्य शीघ्र ही भारत संघ में अपना समुचित स्थान प्राप्त पर लेंगे। हम इन राज्यों के निर्माण के अपने वायदे को पूरा करने में सफल हुए हैं। हमें इन राज्यों के निर्माण, निर्माण के साथ विकास के लिए मिलकर काम करना है, जिससे वे सफलता के उदाहरण बन सकें।

नई शताब्दी युवकों की शताब्दी है। हजारों साल से चला आ रहा भारत आज युवा राष्ट्र बन गया है। हमारी कुल आबादी में लगभग 70 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवक और युवतियां पहले की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वाकांक्षी, जागरूक और सक्रिय हैं। वे न केवल बड़ी-बड़ी कल्पनाएं ही करते हैं, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए जी-तोड़ मेहनत भी करते हैं। भारत की युवा पीढ़ी में मुझे पूरा विश्वास है। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अपने युवक-युवतियों की पूरी-पूरी सहायता करें, ताकि वे अपना भविष्य बनाने के साथ-साथ, देश का भविष्य भी बना सकें।

प्यारे देशवासियो, पिछले वर्ष जब मैंने लाल किले की इसी प्राचीर से आपको संबोधित किया था तो उस समय देश में एक असामान्य परिस्थिति थी। लोक सभा भंग कर दी गई थी और नए संसदीय चुनावों की घोषणा कर दी गई थी। ऐसी परिस्थिति में करगिल में आक्रमण का सामना करना पड़ा। भारत उसमें विजयी हुआ। एक साल बाद देश में जनतंत्र और मजबूत हो गया है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी है। दुनिया की राजधानियों में अब हमारी बात गौर से सुनी जाती है।

भारत आगे बढ़ रहा है। आत्म-विश्वास से भरा भारत प्रगति की ओर अग्रसर है। एक ऐसा भारत जो सभी तरह की विषम परिस्थितियों में उसी तरह विजयी होने के लिए कृतसंकल्प है, जिस तरह से हमारे बहादुर जवानों तथा वायु सैनिकों ने दुश्मन की फौज को खदेड़ दिया था। करगिल युद्ध तथा उससे पहले की सभी लड़ाइयों के वीर सेनानियों के प्रति हमारे हृदय में जो कृतज्ञता का भाव है, वह सदा प्रज्ज्वलित रहेगा।

पाकिस्तान की भयंकर भूल होगी, यदि वह इस भ्रम में रहे कि वर्तमान अघोषित युद्ध के द्वारा वह कुछ भी हासिल कर सकता है। कश्मीर भारत का अटूट अंग है, और रहेगा। हमारे पड़ोसी को यह समझ लेना चाहिए कि वक्त की घड़ी को पीछे घुमाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान के शासकों और अवाम को भी मैं हमारे एक विख्यात शायर साहिर लुधियानवी की पंक्तियों पर गौर करने की सलाह देना चाहता हूं:

पंक्तियां इस प्रकार हैं—

वह वक्त गया, वह दौर गया,
जब दो कौमों का नारा था ;
वे लोग गए इस धरती से
जिनका मकसद बंटवारा था !

अब एक हैं सब हिंदुस्तानी,
अब एक हैं सब हिंदुस्तानी,
यह जान ले सारा हिंदुस्तान
यह जान ले सारा जहान!
यह जान ले सारा जहान!

इक्कीसवीं सदी हमें इस बात की इजाजत नहीं देती कि मजहब के नाम पर या तलवार के जोर पर देश की सीमाएं बदली जाएं। यह विवादों को सुलझाने का युग है, न कि झगड़ों को लम्बे समय तक उलझाए रखने का। जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख की जनता खून-खराबे से तंग आ गई है। वह अमन चाहती है। जम्मू-कश्मीर के घायल जिस्म पर भाईचारे का मरहम लगाने की जरूरत है। इसीलिए, हाल ही में मैंने कहा था कि भारत इंसानियत के दायरे में कश्मीर के दर्द की दवा करना चाहता है।

दुनिया ने देखा है कि हाल में कश्मीर में लड़ाई बंद करने और शांति की प्रक्रिया शुरू करने में किसकी ओर से अड़चन हुई। किसने इन प्रयासों में सुरंग लगाई। पाकिस्तान एक ओर तो बातचीत में भाग लेने के लिए उत्सुकता दिखाता है, दूसरी ओर वह हिंसा, हत्या व सीमा पार आतंकवाद में लगातार लगा हुआ है। आतंकवादियों

की गतिविधियों और शांति वार्ता के प्रस्ताव साथ-साथ नहीं चल सकते। हिंसा, आतंकवाद, उग्रवाद तथा अलगाववाद से निपटने के लिए भारत की इच्छा-शक्ति अथवा सामर्थ्य को कम नहीं आंका जाना चाहिए।

प्यारे देशवासियो, हमें एक महान भारत का निर्माण करना है। विश्व में कोई ऐसा प्राचीन देश नहीं है, जिसका इतना बड़ा आकार हो, इतनी बड़ी आंबादी हो तथा विविधता से इतना परिपूर्ण हो और अपने लोकतंत्र, अपनी एकता एवं संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए एक खुशहाल और आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभर रहा हो। हमने इस दिशा में सफलता भी प्राप्त की है। इस सफलता में समाज के सभी वर्गों का योगदान शामिल है।

इस समय भारत को दो बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना है। ये हैं—सुरक्षा और विकास। ये दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं। सुरक्षा के बिना विकास असंभव है और विकास के बिना सुरक्षा अधूरी है।

अब हमें आर्थिक चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना है। हमें विकास की प्रक्रिया को अधिक तीव्र और व्यापक बनाना है, ताकि भारत माता की कोई भी संतान भूखी न रहे, बेघर न रहे, बेरोजगार न रहे, बे-दवा न रहे। हमें क्षेत्रीय तथा सामाजिक असंतुलनों को दूर करना है। हमें दलित, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक बंधुओं को विकास की यात्रा में भागीदार बनाना है। इसलिए आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि इस दशक को हम विकास का दशक बनाएंगे।

इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने निश्चय किया है कि हम अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करेंगे।

प्यारे देशवासियो, इस महत्वाकांक्षी संकल्प को साकार करने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण सुधार लाने होंगे। साथ ही साथ प्रशासन, न्यायपालिका, शिक्षा, तथा अन्य क्षेत्रों में भी आवश्यक सुधार करने होंगे।

सुधार, समय की मांग है। उदाहरण के तौर पर पिछले 50 वर्षों में दुनिया भी बदली है और देश भी बदला है। विश्व-भर में दूरगामी राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन की अनिवार्यता को प्रगति की दिशा में मोड़ने का ही अर्थ है, सुधार। आर्थिक सुधार का अर्थ है, सबके जीवन में सुधार।

उदाहरण के तौर पर बिजली क्षेत्र में केन्द्र और कई राज्यों द्वारा चलाए जाने वाले सुधारों से विद्युत बोर्डों का घाटा कम होगा, बिजली की चोरी रोकी जाएगी तथा उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध की जा सकेगी।

इसी तरह दूरसंचार के क्षेत्र में हम जो सुधार ला रहे हैं, इससे देश के सभी भागों में सस्ते से सस्ते दाम में टेलीफोन, मोबाइल फोन तथा इंटरनेट की सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। आर्थिक सुधारों को लेकर न किसी के मन में गलतफहमी होनी चाहिए और न कोई डर। मुझे याद है कि हरित क्रांति के समय में भी कुछ लोगों ने ऐसे ही डर व्यक्त किए थे, जो बाद में बेबुनियाद साबित हुए। हमारी आर्थिक सुधार की परिकल्पना, अपनी परिकल्पना है। आप जानते हैं कि लगभग सभी राजनैतिक दल समय-समय पर केन्द्र तथा अलग-अलग राज्यों में और अलग-अलग प्रकार से, इस सुधार प्रक्रिया को अपनाते आ रहे हैं।

मैं किसानों, मजदूरों, अन्य उत्पादकों और उद्योगपतियों के अलावा, देश के तमाम बुद्धिजीवियों से भी यह आग्रह करता हूं कि आर्थिक सुधारों के प्रति आम सहमति को बनाने में योगदान दें।

इस संदर्भ में, मैं देश के सभी केन्द्रीय मजदूर संगठनों की विशेष रूप से सराहना करता हूं। जब तीन दिन पहले मैं उनके नेताओं से मिला तो अत्यंत रचनात्मक माहौल में हमारी बातचीत हुई। उन्होंने अपनी घोषित देशव्यापी हड़ताल को वापस ले लिया। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में मजदूरों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

आर्थिक और सामाजिक विकास की गति को तीव्र करने और अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार इस वर्ष कई बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है।

मैं भारत के किसानों को बधाई देना चाहता हू कि उन्होंने हमारी जनसंख्या में भारी वृद्धि होने के बावजूद देश में अन्न की कमी नहीं होने दी है। आज हमारे देश में अन्न की कमी नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित रखने के लिए भंडारों की कमी है।

हमने आजादी के बाद पहली बार एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई है। इस नीति का मूल उद्देश्य हर साल चार प्रतिशत की दर से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हासिल करना है। कृषि क्षेत्र में गिरते हुए पूंजी निवेश को रोकने तथा उसे बढ़ाने हेतु ठोस कदम उठाए जाएंगे।

पहली बार केन्द्र सरकार ने ग्रामीण सड़कें बनाने का एक सुनिश्चित और समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। शत-प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान द्वारा 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के अंतर्गत अगले तीन सालों के अंदर एक हजार से ज्यादा आबादी के सभी गांवों को पक्की बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसी तरह अगले सात सालों में पांच सौ से ज्यादा आबादी के सभी गांवों को पक्की बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में केन्द्र सरकार पहले वर्ष के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी। इसका शुभारंभ गांधी जयंती के अवसर पर किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एक महत्वाकांक्षी कदम है। दिल्ली-मुंबई-कोलकाता-चेन्नई को जोड़ने वाले महामार्गों का 2003 से पहले एक चतुर्भुज-सा दृश्य देखने को मिलेगा। इसको पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण के महामार्ग से जोड़ने का काम 2007 तक संपन्न हो जाएगा।

खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हम चाहते हैं कि इन क्षेत्रों को भी आर्थिक सुधारों का लाभ मिले। इसी माह 30 तारीख को छोटे और कुटीर उद्योगों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें सरकार के अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की जाएगी।

थोड़े से समय में ही भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक जबरदस्त ताकत के रूप में उभरा है। केवल साफ्टवेयर निर्यात के माध्यम से ही भारतवर्ष की आय वर्ष 2008 तक बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। इससे लाखों सुशिक्षित लोगों को भारत के अन्दर और विदेश में भी आकर्षक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

इन्फोर्मेशन टेक्नालोजी का लाभ आम जनता तक पहुंचे, इस उद्देश्य से सरकार ने पिछले दो सालों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं तथा आगे और भी लेने वाली है। मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा कम से कम समय में हरेक स्कूल और हरेक गांव तक पहुंच जाए।

हम देश की सभी ग्रामीण बस्तियों में अगले चार वर्षों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए कृतसंकल्प हैं। इस वर्ष इस क्षेत्र के लिए लगभग दो हजार करोड़ रुपये का आबंटन बढ़ाकर इस कार्यक्रम पर ज्यादा जोर दिया गया है।

इस साल के अंत तक सरकार एक समग्र स्वास्थ्य नीति बनाएगी, जिसका लक्ष्य होगा—'सभी के लिए स्वास्थ्य'। इसके अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाओं को हर नागरिक को उपलब्ध कराया जाएगा। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, और होम्योपैथी को समुचित स्थान दिया जाएगा।

हाल के वर्षों में तेजी से फैल रहा एच आई वी/एड्स हमारे देश के सामने एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। मैं समाज के सभी वर्गों से आग्रह करता हूं कि वे इस महामारी के बारे में जन-जागरूकता लाने के कार्य में पूरी तरह से हिस्सा लें और इस बीमारी की रोकथाम के लिए अपने व्यवहार में आवश्यक बदलाव भी लाए। भारत के भविष्य-निर्माण में सबसे बहुमूल्य पूंजी, जिसका निवेश हम कर सकते हैं, वह है—सब बच्चों की शिक्षा।

हमने यह निश्चय किया है कि 2010 तक आठवीं कक्षा तक सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिले। हमने इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया है।

कालिज-स्तर तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसका लाभ सभी गरीब परिवारों को उठाना चाहिए।

विज्ञान और टेक्नालोजी, आर्थिक विकास के प्रमुख इन्जन बन गए हैं। आर्थिक विकास के हरेक वाहन को इस इन्जन से हमें जोड़ना होगा। इसके लिए उच्च शिक्षा और उद्योग के बीच के फासले को दूर करने के लिए सरकार ठोस योजना बना रही है।

प्यारे देशवासियो, एक उज्ज्वल भविष्य भारत के द्वार पर दस्तक दे रहा है। लेकिन हम इस भविष्य को उतना ही हासिल कर पाएंगे, जितनी मात्रा में हम अपनी राष्ट्रीय एकता, पंथ-निरपेक्षता, सामाजिक सद्भाव तथा अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सक्षम होंगे।

भारत विविधताओं वाला देश है। यहां भौगोलिक विविधताएं, भाषा और बोली की विविधताएं, रीति-रिवाज और परंपराओं की विविधताएं तथा धार्मिक विविधताएं विपुल मात्रा में हैं। इन विविधताओं के बावजूद और शायद इन्हीं के कारण भारत हमेशा से एक रहा है।

हम एक में अनेक हैं, और अनेक में भी एक हैं। पूरा विश्व इस बात पर आश्चर्य करता है कि भारत न केवल आज, बल्कि पिछली कई सहस्त्राब्दियों से इस जादू को बरकरार रखने में सफल रहा है। दुनिया के लिए तो यह जादू हो सकता है, पर हिंदुस्तानियों के लिए यही जीवन है।

धार्मिक असहिष्णुता तथा घृणा का भारत की उदार संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। मेरी सभी पंथ तथा जाति के लोगों से अपील है कि हम कल्पना के शत्रु खड़े न करें और अपनी तलवार से ही स्वयं को घाव पहुंचाने का रास्ता न अपनाएं।

हाल ही में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने कुछ स्थानों पर सांप्रदायिक शांति और सद्भाव के माहौल को बिगाड़ दिया है। सरकार किसी ऐसे संगठन की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो सांप्रदायिक विद्वेष की भावना फैलाते हों अथवा हिंसा में शामिल हों।

जैसा कि डा. बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा है, सामाजिक न्याय के बिना स्वतंत्रता अधूरी होती है। नई सदी में भारत को अधिक सामाजिक न्याय की जरूरत है। परंतु ऐसे सामाजिक न्याय की जरूरत है, जिसमें सामाजिक समरसता हो।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सामाजिक न्याय की गारंटी देने वाला एक प्रमुख तत्व है। आरक्षण में बैकलाग की समस्या क़ाफी दिनों से थी। हाल ही में हमने संविधान में संशोधन करके इस समस्या को हल किया है।

महिलाएं हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक प्रणाली की मुख्य आधार हैं। भारत के भविष्य का हमारा सपना तभी साकार हो सकता है, जब महिलाओं को शिक्षित किया जाए, आर्थिक दृष्टि से उनका विकास किया जाए, उन्हें राजनैतिक दृष्टि से अधिकार संपन्न बनाया जाए तथा समाज में उन्हें बड़ी भूमिका निभाने के अवसर दिए जाएं। संसद और विधानमंडलों में महिलाओं को आरक्षण देने का हमने वादा किया है। इस क्रांतिकारी आशय को अमल में लाने के लिए आम राय बनाने के प्रयत्न में तेजी लानी होगी। ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं में आरक्षित स्थानों पर चुनकर आई अनेक महिला सदस्यों और अध्यक्षों से मिलने का मुझे अवसर मिला है। उन्होंने अपने कार्य-निष्पादन से यह साबित कर दिया है कि वे जनतांत्रिक प्रक्रिया और प्रशासन में पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं हैं।

उत्तर-पूर्व के राज्य राष्ट्रीय जीवन और भारत के विकास में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन राज्यों की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में कई बाधाएं रही हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए तथा विकास की गति को तेज करने के लिए, अब प्रधानमंत्री कार्यालय में एक विशेष विभाग बनाया गया है, जो पूर्वोत्तर में विकास कार्यों की बारीकी से मानीटरिंग करेगा। इस क्षेत्र की राज्य सरकारों तथा वहां की जनता के सहयोग से परिस्थिति में सुधार हो रहा है।

यह दुख की बात है कि पूर्वोत्तर के तीव्र विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट, यहां के कुछ भागों में हिंसा और उपद्रव बढ़ाने वाले उग्रवादी तत्व हैं। मैं ऐसे संगठनों के नेताओं तथा समर्थकों से आग्रह करता हूं कि वे इस खतरनाक और निरर्थक रास्ते को छोड़ दें। सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में शांति तथा विकास की प्रक्रिया को बहाल करने के लिए कुछ संगठनों के साथ बातचीत कर रही है। मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों को सफलता मिलेगी।

भारत एक संघ राज्य है। विकास की गंगा घर-घर तक पहुंचे, इसमें राज्य सरकारों की भूमिका बहुत महत्व रखती है। हम सत्ता के विकेन्द्रीकरण के हामी हैं। हमने राज्यों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने का फैसला किया है। हम पंचायती राज संस्थाओं को भी सत्ता के विकेन्द्रीकरण का हकदार बनाकर सक्षम और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। इस दिशा में हमने ठोस कदम भी उठाए हैं।

पिछले ढाई सालों में केन्द्र और राज्य सरकारों में बातचीत और समन्वय बढ़ाने के लिए हमनें सतत कोशिश की है और इसमें सभी राज्यों से हमें सहयोग मिला है। इससे सहकार और सौहार्दता बढ़ी है। हमारे दृष्टिकोण और उद्देश्य में एकरूपता आ रही है। इसके लिए मैं सभी राज्य सरकारों तथा मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

ऊंचे पदों पर विद्यमान भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने अभियान को हम और तेज करेंगे। प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाए बिना देश विकास की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकता।

हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक बड़ी कमी यह रही है कि लोग उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी सरकार पर ही निर्भर रहते हैं, जो उनके सामूहिक प्रयासों के जरिए आसानी से हल की जा सकती हैं। सरकार के पास संसाधन सीमित हैं। इसके अलावा, अनुभवों से यह पता चलता है कि वे कार्यक्रम जो जनता की भागीदारी के बिना चलाए जाते हैं, उनमें अपेक्षित परिणाम कम ही मिलते हैं।

मिसाल के तौर पर, जनसंख्या में स्थिरता हो या प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला, पानी और बिजली की बचत हो या सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ और सुंदर रखने की बात, ऐसे सभी उद्देश्य तभी सफल हो सकते हैं, जब सभी नागरिक उत्साह से और संगठित ढंग से अपना योगदान दें।

प्यारे देशवासियो, हमें अतीत के उज्ज्वल पक्षों से प्रेरणा लेनी है। लेकिन हमें भूतजीवी नहीं बनना है। मैं इस बात पर बल देता आ रहा हूं कि भारत को भविष्य की चुनौतियों तथा सुअवसरों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विगत के विवादास्पद मुद्दों में नहीं उलझना चाहिए।

आइए, अब भविष्य की ओर देखें। हमें एक समृद्ध, स्वावलंबी और स्वाभिमानी भारत का निर्माण करना है। हम इस दिशा में चल पड़े हैं। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सफल राष्ट्रों की पंक्ति में हमारी गिनती होने लगी है। हमें रुकना नहीं है। रफ्तार को और तेज करना है। मैं किसानों, मजदूरों, कारीगरों, कर्मचारियों, नौजवानों और भारत के तमाम नागरिकों से सुखी व संपन्न भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान करता हूं। मैं देश के आयोजकों से आग्रह करता हूं कि देश के निर्माण में वे अपनी योजकता और क्षमता की पताका फहराएं और दुनिया को दिखा दें कि भारत के उद्योगपति किसी भी प्रतिस्पर्धा में कम नहीं हैं।

मैं अनिवासी भारतीयों से अपील करता हूं कि वे इस महान उद्देश्य में अपना भरपूर योगदान दें। मैं भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से आग्रह करता हूं कि वे ज्ञान-विज्ञान के नए क्षितिज को छूकर अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। मैं भारत के खिलाड़ियों से भी अपील करता हूं कि वे दुनिया के खेल के मैदानों में तिरंगे को बुलंदी तक पहुंचाएं। अगले महीने सिडनी में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता के लिए, पूरा देश उन्हें शुभकामनाएं देता है।

आइए, हम सब एक परिश्रमी भारत, पराक्रमी भारत, विजयी भारत के निर्माण में अपना-अपना योगदान दें। चिरकाल से हमारा उद्घोष रहा है :

सम् गच्छद्वम्
सम् वद्दवम्
सम् वो मनासी जानताम्

यानि, हम एक होकर चलें, मिलकर चलें, सबको मिलाकर चलें। हमें सबके साथ आगे बढ़ना है, औरों को भी आगे बढ़ाना है। इस 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाना है। यही हमारा संकल्प है। यही हमारी आकांक्षा है।

प्रशासन में पारदर्शिता

एक वर्ष पूर्व देश की जनता ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की थी। देशवासियों ने मुझे और मेरी सरकार को भारतमाता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं।

जनता ने स्थायित्व और सुशासन के लिए अपना मत दिया था। देशवासियों की यही इच्छा थी कि भारत 21वीं शती में समृद्ध और गौरवमण्डित देश बने। पिछले 12 महीनों के दौरान हमने जनता की यह आकांक्षा पूरी करने के लिए प्रयत्न किए हैं। देश में लोकतंत्र की जड़ें मज़बूत होती जा रही हैं। यह बात इसी से स्पष्ट है कि केन्द्र में बनी मिली जुली सरकार स्थायी और सफल हो सकती है। नई शताब्दि प्रारम्भ होने के अवसर पर भारत पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सशक्त, गौरवान्वित और समृद्ध है। अब भारत को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश माना जाने लगा है और संसार के देशों की राजधानियों में भारत की सम्मति पर ध्यान दिया जाता है और इसका आदर किया जाता है।

हमने अपने सम्मिलित चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उनमें से अनेक पूरे किए जा चुके हैं। जो वायदे अभी तक पूरे नहीं हो पाये हैं उन्हें पूरा करने का हम ईमानदारी से प्रयत्न करेंगे।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर दिया गया वक्तव्य, मुंबई, 13 अक्तूबर 2000

हमारी सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों से मुक्त रही है। हमने निश्चय कर रखा है कि प्रशासन में पारदर्शिता और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का स्तर और बढ़ाया जाये। राज्य सरकारों के साथ केन्द्र सरकार के सम्बंध सामंजस्यपूर्ण हो गए हैं। जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में स्थिति तेजी से सुधरती जा रही है। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में स्थिति और अधिक सुधरेगी। इसके साथ ही कश्मीर के बारे में हमारे रवैय्ये का समर्थन करने वाले देशों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। आतंकवादियों के विरुद्ध हमारा संघर्ष चल रहा है जो आतंकवाद की समाप्ति पर ही बंद होगा।

देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होता जा रहा है। अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने के लिए रुकावटें दूर की जा रही हैं ताकि इस दशक की समाप्ति तक प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करने का महान लक्ष्य पूरा किया जा सके। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या घट गई है। सभी देशवासियों का पेट भरने का लक्ष्य अब स्वप्न नहीं रह गया है। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने जो आर्थिक सुधार प्रारम्भ किए हैं उनका एकमात्र लक्ष्य सभी लोगों को रोजगार देना तथा सभी को विशेषकर उन लोगों को समृद्धि के लाभ पहुंचाना है जो अब तक इनसे वंचित रहे हैं।

ये सफलताएं किसी दल या गठबंधन की नहीं हैं अपितु आगे बढ़ते हुए राष्ट्र की हैं। देशवासियों और सरकार के बीच घनिष्ठ सम्बंध के कारण ये सफलताएं मिल सकी हैं। मैं अपने सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि वे इस घनिष्ठ सम्बंध को और बढ़ायें जिससे कि भारत आगामी वर्षों में एक सफलता के पश्चात् दूसरी बड़ी सफलता प्राप्त करता जाए।

सुधारों का मार्ग कभी भी सरल और सीधा नहीं होता। कभी-कभी सरकार को राष्ट्र के दीर्घकालीन हितों का ध्यान रखते हुए अप्रिय निर्णय लेने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए संसार में तेल के भावों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण हमें इस वृद्धि का कुछ भार उपभोक्ताओं पर डालना पड़ा। हमें ऐसी चुनौतियों का सामना मिलकर करना होगा। संक्राति काल में धनिकों को निर्धनों की तुलना में भार का अधिक भाग अवश्य उठाना चाहिए।

आज मेरी सरकार का एक वर्ष पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मेरी दृष्टि अतीत की अपेक्षा भविष्य की ओर कहीं अधिक है। देशवासियों से भी मेरा अनुरोध है कि वे भविष्य की ओर देखें। भारत की सबसे बड़ी पूंजी अनेकता में उसकी एकता है।

हमें देश की एकता को मजबूत करने का मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए हमें देश की भाषायी, जातीय, प्रादेशिक और धार्मिक विविधता के प्रति और अधिक सहिष्णुता तथा आदर की भावना विकसित करनी चाहिए। आज देश में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सामाजिक समस्वरता और साम्प्रदायिक शांति है। इसके लिए मैं सभी समुदायों के लोगों की सराहना करता हूं। हमें अपने राष्ट्रीय जीवन में इस वातावरण को अवश्य ही स्थायी बना लेना चाहिए। मैं देश में आत्मविश्वास और आशा से परिपूर्ण वातावरण देख रहा हूं। इसे भी हमें अपने राष्ट्रीय जीवन का स्थायी अंग अवश्य बना लेना चाहिए।

हमें स्मरण रखना चाहिए कि जिस देश के निवासी अनुशासन में रहकर परिश्रम और पारस्परिक सहयोग करते हैं उन्हीं का भविष्य समृद्ध और सुखी बनता है।

मैं अपने देशवासियों को आश्वासन देता हूं कि सरकार निष्पक्ष रहकर निश्चय और ईमानदारी के साथ अपना कर्त्तव्य निभायेगी। भारत के प्रत्येक नर-नारी से मेरा अनुरोध है कि वह ज़िम्मेदार और प्रबुद्ध नागरिक के रूप में अपने कर्त्तव्य का पालन करे।

देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनका हम एक साथ मिलकर सामना करेंगे। अगले वर्ष हम सब आपस में मिलकर भारत को और अधिक समृद्ध बनायेंगे।

मानवीय प्रतिष्ठा के महान योद्धा—बाबा साहेब अंबेडकर

भारत रत्न डा. बाबा साहेब अंबेडकर का कल 44वां महापरिनिर्वाण दिवस है। वह हमारे संविधान के प्रमुख निर्माता और आधुनिक भारत के महान समाज सुधारकों में से एक थे। अपने समस्त देशवासियों के साथ मैं डा. अंबेडकर को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मानवीय प्रतिष्ठा की रक्षा और दलित वर्गों को समान अधिकार दिलाने के लिए डा. अंबेडकर ने जीवन पर्यंत जो सतत संघर्ष चलाया उसने भारतीय समाज में एक

डा० बाबा साहेब अंबेडकर की 44वीं पुण्य तिथि की पूर्व-संध्या पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली 5 दिसंबर 2000

नयी चेतना पैदा की। यह उसी का परिणाम है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को राजनीतिक अधिकार, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास का वांछित फल प्राप्त हो रहा है। इस दिशा में हमने काफी प्रगति की है लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। यह अकेले सरकार के प्रयासों से नहीं हो सकता। जिन आदर्शों ने डा. अंबेडकर के जीवन को दिशा दी है उन्हें प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों को प्रयास करना होगा। खासकर जो लोग संपन्न और सुविधा भोगी हैं उन्हें विशेष प्रयास करना होगा।

जहां तक सरकार का सवाल है मैं इस अवसर पर फिर से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, और जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण में न तो कोई कटौती की जाएगी और न ही संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन करने का ऐसा कोई प्रस्ताव है।

इस साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र

डाक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 44वीं पुण्यतिथि के अवसर पर
प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नई दिल्ली, 6 दिसंबर 2000

में किसी उचित स्थान पर डा. अंबेडकर का स्मारक बनाने का फैसला किया है। यदि इस प्रकार का स्मारक मुंबई में चैत्यभूमि के निकट, जहां डा. अंबेडकर का अंतिम संस्कार किया गया था, बनाने का कोई सर्वमान्य सुझाव आता है तो केन्द्र सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र सरकार चैत्यभूमि के ट्रस्टी और अन्य लोग केन्द्र सरकार के इस प्रयास में पूरा सहयोग देंगे।

शांति की पहल

संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने और सांसदों द्वारा ईद एवं क्रिसमस के त्यौहार पर जाने से पहले मैं जम्मू व कश्मीर की स्थिति तथा नियंत्रण रेखा के पास की स्थिति के बारे में सरकार के मूल्यांकन से आप सभी माननीय सांसदों को अवगत कराना चाहता हूं।

उन्नीस नवंबर को मैंने यह घोषणा की थी कि रमजान के पवित्र महीने में हमारे सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैंने यह भी आशा की थी कि नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ बंद होगी। इस पहल के बाद स्थिति में कुछ उत्साहजनक बदलाव आया है। तथापि, कुछेक दूसरे पहलुओं पर हमारी चिंता अभी भी बनी हुई है।

सरकार को जम्मू व कश्मीर राज्य के नागरिकों, राजनैतिक दलों और अन्य संगठनों की प्रतिक्रिया से काफी उत्साह मिला है। शांति की हमारी पहल का वहां व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। अब उस राज्य में बिल्कुल अलग और काफी अधिक आशावादी माहौल दिखाई देने लगा है। राज्य में शांति बहाली में रुचि रखने वाली ताकतों में काफी वृद्धि हुई है।

उस राज्य में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में भी कमी हुई है। हालांकि लश्कर-ए-तौएबा और हरकत-उल-मुजाहिदीन जैसे संगठनों की गतिविधियां अभी भी जारी हैं, जिसके कारण न केवल निर्दोष नागरिकों की जानें गई हैं, बल्कि हमारे सुरक्षा बलों के कार्मिकों की भी हत्याएं हुई हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक

जम्मू-कश्मीर में शांति बहाली के प्रयासों के संबंध में संसद में वक्तव्य, नई दिल्ली, 20 दिसंबर 2000

है। सरकार इन और अन्य चुनौतियों का सामना करने और उनके अमानवीय और घृणित कृत्यों को रोकने के लिए दृढ़संकल्प है।

आतंकवादियों द्वारा नियंत्रण रेखा को पार करने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों में भी काफी कमी आई है। यह घुसपैठ पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। सरकार इसे रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

नियंत्रण रेखा के पास गोलाबारी की घटनाओं में काफी सुधार देखा गया है। शुरूआत में कुछेक घटनाओं को छोड़कर 19 नवंबर को मेरे द्वारा घोषणा किए जाने के बाद नियंत्रण रेखा के आस-पास अपेक्षाकृत शांति का माहौल बना है।

इसलिए सरकार ने सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद 'कोई सैनिक कार्रवाई न करने' की अवधि को एक और महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। सन् 2001 के गणतंत्र दिवस के बाद सरकार स्थिति की फिर समीक्षा करेगी।

पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया भारत ने शुरू की थी। भारत इस पर कायम रहेगा। इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त वातावरण का होना बहुत जरूरी है। शिमला समझौते और लाहौर घोषणा-पत्र पर हमारी निष्ठा कायम है। इस निष्ठा के तहत हमारी सरकार ऐसे कदम उठाएगी, जो आवश्यक समझे जाएंगे, ताकि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच संयुक्त बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा सके।

मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा बनी रहेगी। हालांकि, अत्यधिक उकसाए जाने पर भी हम काफी संयम बरतते रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे।

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम पूर्ण शांति बनाए रखने और जम्मू व कश्मीर के सभी नागरिकों को भारत की खुशहाली और प्रगति में बराबर का हिस्सेदार बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेंगे।

बेहतर कल की ओर

जब हम वर्ष 2000 को विदाई दे रहे हैं और सन् 2001 में प्रवेश कर रहे हैं, मैं अपने सभी देशवासियों तथा विदेशों में बड़ी संख्या में बसे भारतीयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

नए वर्ष की शुरूआत एक ऐसा समय होता है, जब हम अपने अतीत में झांकते हैं और भविष्य की ओर देखते हैं। एक वर्ष का समय भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के जीवन-काल में एक बिंदु जैसा है, जो अपनी महान पुरातनता के बावजूद सदैव युवा है। किंतु हमारे राष्ट्र के ठीक उलट हम सभी का एक सीमित जीवन होता है। इसलिए हर नई पीढ़ी को अपने जीवन-काल में इस बात को जानते हुए अपना समुचित योगदान देना होता है कि भारत की प्रगति में उसके योगदान का मुख्य रूप से दो बातों पर मूल्यांकन किया जाएगा : पहला, उसने *विरासत से मिली कितनी समस्याओं* को सुलझाया है? दूसरा, उसने राष्ट्र के भावी विकास के लिए कितनी मजबूत नींव रखी है।

केरल में समुद्र के आकार जैसी बेदांब झील के किनारे पर कुमाराकोम रिजोर्ट की हरियाली को निहारते हुए मेरे मन में इन प्रश्नों पर मंथन चल रहा है। मैं वर्ष के अंत में देश की राजधानी से दूर छुट्टियां मनाने के लिए यहां आया हूं। प्रकृति का यह मूक सौंदर्य चिंतन के लिए एक सही वातावरण प्रदान करता है। और, मैं इस लेख के जरिए अपने देशवासियों के पास अपने कुछ विचारों को पहुंचाना चाहता हूं।

हमारा देश कई समस्याओं से जूझ रहा है, जो हमें विरासत में मिली हैं। मैं उनमें से दो मुद्दों पर अपने विचार रखना चाहता हूं। एक समस्या जम्मू व कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के साथ काफी लंबे समय से चली आ रही है और दूसरी, अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित है।

भारत जैसा एक आत्म-निर्भर और उन्नतिशील राष्ट्र विगत के विवादास्पद मुद्दों को आने वाले कल के लिए लंबे समय तक टालना नहीं चाहेगा, बल्कि उसे विगत की समस्याओं के निर्णायक हल का प्रयास करना होगा, ताकि वह एकचित्त होकर दृढ़ता के साथ भविष्य के विकास संबंधी एजेंडा पर कार्रवाई कर सके। मैंने अपने कई देशवासियों से यह कहते सुना है कि क्योंकि हमने एक नई सदी और नई

केरल के कुमारकोम रिजोर्ट में छुट्टियों के दौरान व्यक्त विचार, कुमारकोम, 1 जनवरी 2001

सहस्त्राब्दी में प्रवेश कर लिया है, अब समय आ गया है कि हम इन दोनों समस्याओं का स्थायी समाधान खोजें, जिनमें से एक हमें पिछली सदी में और दूसरी पिछली सहस्त्राब्दी में विरासत में मिली है। मैं उनकी बात से सहमत हूं।

कश्मीर की समस्या ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण समस्या है, जो 1947 में हुए भारत के दुखद विभाजन से चली आ रही है। भारत ने दो-राष्ट्र के हानिकर सिद्धांत को कभी भी स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण देश का विभाजन हुआ। तथापि, जिस विचारधारा को लेकर पाकिस्तान बना, वह आज भी उस देश में विद्यमान है। इसी वजह से वह भारत के साथ अच्छे पड़ोसी वाले संबंधों और जम्मू व कश्मीर के लोगों के हितों की उपेक्षा करके कश्मीर पर अपनी अतर्कसंगत नीति को जारी रखे हुए है।

भारत कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने का इच्छुक है। इसके लिए, हम पाकिस्तान के साथ किसी भी स्तर पर, चाहे उच्च स्तर हो, पुन: वार्ता शुरू करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि इस्लामाबाद सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए पर्याप्त सबूत दे। तथापि, मुझे यह जानकर दुख हुआ है कि पाकिस्तान सरकार अपने देश में स्थित उन आतंकवादी संगठनों को काबू में रखने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है, जो लोगों का लगातार कत्ले-आम कर रहे हैं और कश्मीर तथा भारत के दूसरे हिस्सों में निर्दोष नागरिकों और हमारे सुरक्षा कार्मिकों को अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं।

भारत सरकार जम्मू व कश्मीर में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सुनियोजित कदम उठा रही है। जम्मू व कश्मीर राज्य में आतंकवादियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई न करने के एक-तरफा निर्णय, जिसका रमजान के पवित्र महीने के दौरान पालन किया गया, को 26 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। मेरा हृदय उन माताओं, बहनों और विधवाओं के प्रति दुख से भर उठाता है, जिन्होंने हिंसा, जिसने खूबसूरत कश्मीर घाटी को लहू-लुहान कर दिया है, में अपने सगे-संबंधियों को खो दिया है। मेरा मन उन कश्मीरियों के लिए भी पीड़ा और क्षोभ से भर उठता है, जो अपनी ही मातृभूमि में शरणार्थी बन चुके हैं। नया साल उनके जख्मों पर मरहम लगाने का समय है। सरकार जल्दी ही राज्य में विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगी। हम जम्मू व कश्मीर में स्थायी शांति कायम करने, सामान्य स्थिति बहाल करने तथा त्वरित विकास करने के लिए जरूरी उपाय करने के लिए तैयार हैं।

बाहरी और आंतरिक, दोनों पहलुओं की दृष्टि से कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के अपने प्रयासों में हम केवल विगत की अपनी विफलता पर ही नहीं अड़े रहेंगे, बल्कि हमें पूरे दक्षिण-एशिया क्षेत्र में शांति और समृद्धि के भावी निर्माता

की साहसिक और अभिनव भूमिका निभानी होगी। इस प्रयास में आशा की एकमात्र किरण, जो हमारा मार्गदर्शन करेगी, वह है—शांति, न्याय और राष्ट्र के व्यापक हितों के प्रति हमारी वचनबद्धता।

अयोध्या मुद्दा पिछली सदी की एक दूसरी समस्या है, जिसे हमें भविष्य में अधिक समय तक अनसुलझा नहीं रहने देना चाहिए। यह हमारे समाज की सामूहिक बुद्धिमत्ता के लिए एक चुनौती है कि हम इस समस्या का जल्दी से जल्दी शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण समाधान ढूंढें। मैंने पिछले तीन सालों से इस मुद्दे पर जान-बूझकर कोई टिप्पणी नहीं की है। तथापि, मुझे यह जानकर दुख हुआ है कि विपक्ष द्वारा लगातार तीन दिनों तक संसद की कार्रवाई न चलने देने के बाद इस विषय पर जब मुझे बोलने के लिए विवश होना पड़ा तो मेरी टिप्पणी को महज राजनैतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से तोड़-मरोड़ दिया गया।

यहां तक कि मीडिया के कुछ लोगों तथा एक राजनैतिक वर्ग द्वारा मुझे रातों-रात *उदारवादी* से *कठोर रुख* अपनाने वाले व्यक्ति की संज्ञा दे दी गई। उन्होंने कहा, ''वाजपेयी का मुखौटा उतरा'', इस बात को सहज रूप में लेते हुए मैंने कहा कि मेरा लम्बा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। इससे भी बुरी बात यह है कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के मन में मेरे बारे में गलत धारणा पैदा करने के लिए एक अभियान चलाया गया है।

मेरी तरह मेरे अधिकांश देशवासियों को भी यह आशा थी कि पहले लोक सभा में और फिर राज्य सभा में हुई चर्चा के संदर्भ में दिए गए मेरे विस्तृत उत्तर से इस विवाद का अंत हो जाएगा। किंतु यह दुख की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। संसद में घटी हाल की घटनाओं के बाद जो कुछ टीका-टिप्पणी की गई और अटकलबाजी लगाई गई, उससे मुझे काफी ठेस पहुंची है। राजनीति में मेरे विरोधी मेरी बात से असहमत होने का पूरा हक रखते हैं। किन्तु, अयोध्या मुद्दे पर मेरे पहले से जो विचार रहे हैं, उनमें उन्हें कोई फर्क नजर नहीं आएगा।

मैं हमेशा से ही यह कहता आया हूं कि इस विवादास्पद मुद्दे को हल करने के केवल दो ही रास्ते हैं, या तो इसे न्यायालय के निर्णय पर छोड़ दिया जाए या फिर दोनों पक्ष आपस में बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाल लें। मैंने कहा है कि इस मामले में न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, सरकार उसे स्वीकार करेगी और संवैधानिक आधार पर उसे कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगी। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस बारे में गैर-सरकारी तथा गैर-राजनैतिक ढांचे के अंतर्गत बातचीत

ही न की जाए। न्यायालय अथवा बातचीत के जरिए इस मुद्दे का समाधान ढूंढना दो अलग-अलग बातें नहीं हैं, बल्कि ये तो एक-दूसरे की परिपूरक हैं।

इस मामले में न्यायालय का जो भी निर्णय हो, उसको सुचारु रूप से अमल में लाने के लिए एक अनुकूल सामाजिक माहौल पैदा करने की जरूरत होगी। दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच आपसी विश्वास तथा उदार एवं सद्भावपूर्ण वातावरण में फिर से बातचीत शुरू करने से इस प्रकार का माहौल बन सकता है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को दिल्ली से बाहर भेजने के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने में इस समय जो विवाद चल रहा है, उससे यह विशेष बात उभरकर सामने आई है कि किसी विवाद के समाधान के लिए यह जरूरी है कि सभी पक्षों को शामिल करके एक सहयोगपूर्ण सामाजिक माहौल पैदा किया जाए।

बहुत कम लोग इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि राम भारत की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे हमारी राष्ट्रीय परम्परा के सर्वाधिक आदरणीय प्रतीकों में से एक हैं। उनके प्रति आदर किसी पंथ विशेष की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। अनेक भारतीय, भगवान के अवतार के रूप में उनकी पूजा करते हैं और कुछ लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। गैर-हिंदू भी उन्हें एक ऐसे आदर्श राजा के रूप में देखते हैं, जो उच्च मानव गुणों से ओत-प्रोत थे। यदि वे ऐसे नहीं होते तो कवि अल्लामा इकबाल ने राम का निम्नलिखित शब्दों में गुणगान न किया होता :

भारत में सदैव ही सत्य का बोलबाला रहा है
यहां तक कि पश्चिम के दार्शनिक भी
भारत के इस सिद्धांत के कायल रहे हैं।
इसके रहस्यवाद में कुछ ऐसी विशेष बात यह है कि
इसके भाग्य का सितारा नक्षत्र-मंडल से भी
ऊपर चमक रहा है।
इसकी भूमि पर हजारों शासकों ने राज किया है
किंतु राम से उनकी तुलना नहीं की जा सकती,
विवेकशील लोगों ने उन्हें
भारत का आध्यात्मिक गुरु माना है।
उन्होंने ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैलाया
जिसकी रोशनी से
संपूर्ण मानव जाति आलोकित हो उठी।
राम पराक्रमी थे, राम साहसी थे,

राम अपने वचन के पक्के थे,
उन्होंने गरीब से गरीब लोगों का ध्यान रखा,
वे प्रेम और करुणा की मूर्ति थे।

इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के आंदोलन के प्रति एक से अधिक राजनीतिक दलों का समर्थन रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार ने कुछ ऐसे विशेष कदम नहीं उठाए होते जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में सहायक होते। यहां तक कि राजीवजी ने 1989 के कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान का शुभारंभ अयोध्या के निकट के स्थल से राम-राज्य लाने के वायदे के साथ किया था। यही महात्मा गांधी का भी सपना था। गांधीजी की राम-राज्य की कल्पना अथवा अयोध्या में राजीव गांधी द्वारा की गई पहल में कोई सांप्रदायिक बात नहीं थी।

इससे पता चलता है कि अयोध्या में राम मंदिर को राष्ट्रीय भावना के प्रकटीकरण से जोड़ने पर कोई विवाद नहीं था, क्योंकि यह ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार कि सोमनाथ में एक मंदिर के पुनर्निर्माण को भी तत्कालीन सरकार द्वारा राष्ट्रीय भावना के प्रकटीकरण से जोड़ा गया था। पं. जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने सोमनाथ में मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ को भारत की राष्ट्रीय संस्कृति का 'प्रतीक' बताते हुए मंदिर के शिलान्यास समारोह में स्वयं भाग लिया था।

अयोध्या के बारे में विवाद मात्र इतना ही रहा है कि मंदिर कहां और किस प्रकार बने। इस विवादित मुद्दे पर भी मेरा हमेशा स्पष्ट और समान दृष्टिकोण रहा है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि मंदिर का निर्माण विवादित स्थल पर न्यायालय के फैसले अथवा दोनों समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते के बिना किया जाना चाहिए। यह कार्य इस प्रकार किया जाए, जैसा एक कानून द्वारा शासित देश में होना चाहिए। मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि कोई संगठन यथा-स्थिति में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो कानून अपना कार्य करेगा। सरकार मूक-दर्शक नहीं बनी रहेगी तथा कार्रवाई करने में विलम्ब नहीं करेगी, जैसा कि दुर्भाग्यवश आठ वर्ष पूर्व घटित हुआ था।

लोक सभा में बहस के दौरान अपने उत्तर में मैंने कहा था कि राम के अलावा और भी कई ऐसे महापुरुष और पवित्र स्थल हैं, जो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के प्रतीक हैं। चाहे वह अजमेर शरीफ की दरगाह हो या दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की

मस्जिद, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो या गोवा में सेंट फ्रांसिस का चर्च हो, ये सभी हमारी मिली-जुली राष्ट्रीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक हैं।

मेरे इस वक्तव्य को कई तरह से गलत ढंग से लिया गया, जिसमें मैंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का आंदोलन राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण था। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि मैंने यह बात भूतकाल में कही थी, जिसका मैंने अपने वक्तव्य में सोच-समझकर प्रयोग किया था। राज्य सभा में हुई बहस का उत्तर देते हुए मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हालांकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का आंदोलन हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण था, परंतु 6 दिसंबर 1992 को विवादित मस्जिद के ढांचे के दुर्भाग्यपूर्ण विध्वंस के कारण यह भावना संकुचित हो गई तथा इसका स्वरूप सिमट कर रह गया। यह निश्चित रूप से जहां एक ओर कानून का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन था, वहीं दूसरी ओर यह हिन्दू परम्परा के बिल्कुल विपरीत भी था। मध्यकाल के इतिहास में जो गलत कार्य किए गए थे, उन्हें आधुनिक काल में इसी प्रकार गलती करके ठीक नहीं किया जा सकता।

काशी, मथुरा और अन्य विवादित पूजा स्थलों पर बिना किसी व्यवधान के यथा-स्थिति बनाई रखी जानी चाहिए। इससे हिन्दू समाज की कमजोरी नहीं, बल्कि सहिष्णुता और धार्मिक सद्भाव की हमारी राष्ट्रीय परंपरा की शक्ति प्रकट होगी।

हालांकि, दिसंबर का रविवार एक अत्यंत दुखद दिन था, परंतु हम अतीत में या हाल में हुए विध्वंसों को हमेशा ही बहस का मुद्दा बनाए नहीं रख सकते। भारत को आगे ले जाना है। भारत की प्रगति अतीत से जुड़कर नहीं, बल्कि भविष्य में अग्रसर होकर की जा सकती है। इसका निर्माण हम सभी को मिलकर करना है। यद्यपि, हमारा अतीत शानदार रहा है, परंतु इससे अधिक शानदार नियति भारत की राह देख रही है। इसको मूर्तरूप देने के लिए हमें विवाद से हटकर सहमति, विरोध से हटकर मेल, आपसी संघर्ष को अलग करके आम-सहमति बनाने और सहयोगपूर्ण कार्रवाई करने का माहौल बनाना होगा।

हम यह परिवर्तन किस तरह ला सकते हैं? इस संबंध में, मैं आगे अपने विचार कल के दूसरे लेख में अपने देशवासियों के सम्मुख रखूंगा।

नव वर्ष का आह्वान

मैंने कल के अपने लेख में कश्मीर के मुद्दे पर तथा राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के संबंध में कुछ विचार व्यक्त किए थे। ये दो ऐसी समस्याएं हैं, जो हमें विगत से विरासत में मिली हैं। आज मैं आपको अपने उस दृष्टिकोण के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए सुंदर धरोहर छोड़ सकते हैं।

मैं सार्वजनिक जीवन में उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूं, जिन्होंने 1947 में भारत की आजादी से लेकर अब तक के परिवर्तन को न केवल देखा है, बल्कि उसमें अपनी भागीदारी भी निभाई है। एक छात्र के रूप में मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। जब मैं 22 वर्ष का युवा था, तब मैंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू को 15 अगस्त की अविस्मरणीय अर्द्धरात्रि को लाल किले पर तिरंगा फहराते हुए देखा था। मैं नहीं जानता था कि ठीक एक दशक बाद मैं संसद में उनके साथ बैठकर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और बहस कर रहा हूंगा। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति की विशेषता है कि मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति, गांव के एक शिक्षक के बेटे को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की सेवा करने का मौका दिया गया है। भारत के जागरूक लोकतंत्र में वंशवाद के दिन अब लद चुके हैं।

जब मैं मुड़कर पिछले पांच दशकों की स्वतंत्र भारत की यात्रा को देखता हूं तो मुझे गर्व के साथ-साथ, निराशा भी होती है। गर्व इसलिए होता है, क्योंकि हम अपनी दो विचारधाराओं, जो कि हम सभी के लिए अत्यधिक मूल्यवान हैं, को संजोकर रखने में सफल हुए हैं; इनमें एक है—भारत की एकता; तथा दूसरी, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली। यदि नए आजाद हुए अनेक राष्ट्रों, जिनमें हमारे अपने कुछ पड़ोसी देश भी शामिल हैं, पर दृष्टि डालें तो हमारी यह उपलब्धि किसी भी तरह कम नहीं आंकी जा सकती। विश्व में भारत की तरह कुछ ही ऐसे देश हैं, जो विकास और शासन की चुनौतियों से जूझते हुए लगातार लोकतंत्र के रास्ते पर चल रहे हैं। इसी तरह, विश्व में कुछ ही बहु-धर्मी, बहु-भाषी तथा बहु-जातीय देश हैं, जिन्होंने भारत की तरह ही विविधता में एकता का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

विकास के मोर्चे पर भी हमने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। विगत में विभिन्न दलों की और मिली-जुली सरकारें आईं तथा उन सभी ने कई मोर्चों पर भारत

केरल के कुमाराकोम रिजॉर्ट में छुट्टियों के दौरान व्यक्त विचार, कुमाराकोम, 2 जनवरी 2001

को आत्म-निर्भर बनाने में अपने-अपने तरीके से योगदान दिया है। अनेक विकासशील देश सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अपनी नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने के लिए भारत का उदाहरण लेते हैं। हमें भारत की उपलब्धियों को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग करते हैं। इससे केवल कटुता, उदासीनता तथा अकर्मण्यता ही फैलती है और इन बुराइयों से हमें दूर रहना होगा।

इसके बावजूद, अपने देशवासियों की तरह मैं भी भारत की निर्विवाद क्षमता और उसके वास्तविक कार्य-निष्पादन के बीच बढ़ती खाई से क्षुब्ध हूं। प्रधानमंत्री के रूप में मुझे इस बात को देखकर और भी पीड़ा होती है कि आजादी के पांच दशकों बाद भी मेरे लाखों देशवासियों के पास अभी भी खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है और सोने के लिए छत नहीं है। अनेक लोग स्वच्छ पेयजल और बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं से भी वंचित हैं। यदि बच्चे अच्छे भोजन, अच्छी शिक्षा और अच्छी देखभाल से वंचित रहेंगे तो इससे जो क्षति होगी, वह केवल ऐसे बच्चों और उनके परिवारों की ही नहीं होगी, बल्कि राष्ट्र को भी अपने चहुंमुखी विकास के लिए बहुमूल्य मानव संसाधनों से वंचित रहना पड़ेगा।

हमें इस वास्तविकता को बदलना होगा, और हम ऐसा कर सकते हैं। भारत में विकास संबंधी इन बुनियादी कमियों को दूर करने के लिए अपेक्षित प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। हमारे देश में बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली और परिश्रमी पुरुष और महिलाएं हैं। इनमें से विदेशों में काम के लिए गए अनेक लोगों ने शानदार सफलताएं हासिल की हैं, और उन्होंने वहां अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है। मैं अक्सर अपने आपसे यह प्रश्न पूछता हूं : यदि विदेशों में भारतीय अनेक समस्याओं से जूझते हुए शानदार सफलताएं अर्जित कर सकते हैं तो हम भारत में रहकर ऐसा क्यों नहीं कर सकते?

हां, हम सभी को समृद्ध बना सकते हैं। हम भारत से गरीबी, बेरोजगारी और अभाव को दूर करके इसका चहुंमुखी विकास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक ऐसे राष्ट्रीय दृष्टिकोण की जरूरत है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, एक ऐसी सोद्देश्यपूर्ण एवं सशक्त भावना की जरूरत है, जिसमें हमारे विविधता से भरे राष्ट्र के सभी नागरिकों और समुदायों का स्वर मिला हो। इसके साथ ही साथ, एक ऐसे सच्चे दृढ़संकल्प एवं सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे आम राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

कोई राष्ट्र तभी महान बनता है, जब उसकी अपनी एक सशक्त सोच होती है। हम सभी जानते हैं कि मस्तिष्क की असीम शक्ति होती है। यह बात व्यक्तिगत सोच

के संबंध में उतनी ही सत्य है, जितनी की राष्ट्रीय सोच के बारे में। जब भारत गुलाम था तो हमारा एकमात्र राष्ट्रीय उद्देश्य आजादी हासिल करना था। किन्तु, यह दुख की बात है कि आजादी के बाद हम राष्ट्रीय निर्माण के लक्ष्यों को उसी एक-निष्ठा के साथ प्राप्त करने में अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा को इस्तेमाल में नहीं ला सके।

हमारा पहला कार्य इस जागरूकता को मजबूत बनाना है कि हम सभी लोग एक ही हैं, आपस में भाई-बहन हैं और महान भारत माता की संतानें हैं। हमारा एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है। किंतु, कभी-कभी हम अपने संकीर्ण विचारों में इतना खो जाते हैं और अपनी विशेष पहचान को इतना अधिक महत्व देने लगते हैं कि हम अपने राष्ट्रीय गौरव और शक्ति के प्रमुख स्रोत, अर्थात भारत की विविधता तथा उसके लिए जरूरी एकता को भूलने लगते हैं। हमारे कुछ नागरिक ऐसे भी हैं, जो हमारी विविधता के कभी एक पक्ष पर, तो कभी दूसरे पक्ष पर ही बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं, जब कि वे उन आम राष्ट्रीय संबंधों को नजर-अंदाज कर जाते हैं, जो हमें एकता के सूत्र में बांधे रखते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो हमारी विविधता को ही नजर-अंदाज कर देते हैं और हमारी राष्ट्रीय एकता के कतिपय पहलुओं पर भी जरूरत से ज्यादा जोर देने लगते हैं। मेरे विचार से दोनों ही दृष्टिकोण गलत हैं।

विविधता में विभाजन अथवा विघटन के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी तरह एकरूपता के जरिए एकता हासिल नहीं की जा सकती।

इस संदर्भ में, मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि आज हमारे समाज में असहिष्णुता की बढ़ती प्रवृत्ति को देखकर मुझे गहरी चिंता होती है। इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए।

भारत समान रूप से उसके सभी नागरिकों और समुदायों का है, न किसी के लिए ज्यादा और न किसी के लिए कम। उसी तरह सभी नागरिकों और समुदायों का यह समान कर्तव्य है कि वे अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत बनाएं और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें। हाल में, व्यक्तिगत अधिकारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने तथा अपने कर्तव्यों पर कम ध्यान देने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इस प्रवृत्ति को बदलना होगा।

अपने लम्बे इतिहास के दौरान भारत की एकता पंथ-निरपेक्षवाद की परम्परा से पोषित तथा पल्लवित होती आई है, जो अपने लोगों को एक-दूसरे के रीति-रिवाजों, परंपराओं और विश्वास को न केवल मानने, बल्कि उनका आदर करने का पाठ भी पढ़ाती है। आपसी सहिष्णुता और समझ-बूझ से सद्भाव और सहयोग की भावना

पनपती है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता के रेशमी बंधन को मजबूत करती है। पंथ-निरपेक्षवाद कोई विदेशी अवधारणा नहीं है, जिसे हमने स्वतंत्रता के बाद किसी मजबूरी में आयात किया हो, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न और स्वाभाविक पहलू है।

भारतीय समाज की यह एक सच्चाई है। फिर भी, मुझे यह बात अनोखी भी लगती है और क्षुब्ध भी करती है कि भारतीय राजनीति सेक्युलर और गैर-सेक्युलर, दो पार्टियों में बंटी हुई लगती है। भारत के लोग अपना जनादेश ऐसी किसी पार्टी अथवा गठबंधन को नहीं देते-जो पंथ-निरपेक्ष, विशिष्ट और साझे एजेंडा का पालन न करते हों। इसका कोई अलग अर्थ लगाना हमारे लोगों की लोकतांत्रिक बुद्धिमत्ता को अनदेखा करना होगा।

अनावश्यक मुद्दों को दर-किनार करते हुए भारत में राजनीति और शासन को तीव्र, अधिक संतुलित तथा और अधिक समान सामाजिक-आर्थिक विकास प्राप्त करने की दिशा में लगाया जाना चाहिए। विकास के लिए हमारे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। तथापि, सरकारी तंत्र उनकी इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए द्रुत गति से कार्य नहीं कर रहा है। हमारे लोगों की मांगें अधिकतर काफी सरल और बुनियादी होती हैं, जैसे : बेहतर सड़क संपर्क, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं, किसानों को बिजली की सुनिश्चित और पर्याप्त आपूर्ति, आदि।

केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों ने इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं, जिनके लिए बजट में काफी संसाधनों का प्रावधान किया गया है। कार्यान्वयन की पद्धति की वजह से हम पिछड़ जाते हैं। नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के दोषपूर्ण और विलम्ब से होने वाले कार्यान्वयन का सबसे अधिक खामियाजा निश्चित रूप से गरीब और उपेक्षित-विशेषकर दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्ग को भुगतना पड़ता है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इस बात को अनुभव किया गया है। और, सभी पार्टियों, जो सत्ता में रही हैं, ने भारत की विकास नीति में इस बड़ी खामी को महसूस किया है।

इसलिए, अब समय आ गया है कि विकास संबन्धी मूलभूत सुधार लाए जाएं, जिसमें आर्थिक सुधारों के अलावा, प्रशासनिक और न्यायिक सुधार भी सम्मिलित हों। इन सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सभी स्तरों पर पारदर्शी जवाबदेही निर्धारित करना तथा विकास से जुड़ी सभी एजेंसियों के कार्यों की निगरानी में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। यह भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जरूरी है, जिसके कारण केन्द्र और राज्यों का काफी मात्रा में बजट संसाधन बेकार चला जाता है। विकास ऐसा

महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे केवल नौकरशाही के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोगों को न केवल नतीजों की मांग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें नतीजे प्राप्त करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल भी किया जाना चाहिए। इसके लिए लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुरूप सरकार और जनता के बीच नई भागीदारी की जरूरत है।

मैं यह बताने की जरूरत नहीं समझता कि इससे हमारे नागरिकों पर काफी बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, जो अब तक उन्होंने उठाई नहीं होगी। हर समस्या के समाधान के लिए सरकार की ओर देखने की प्रवृत्ति को छोड़कर सरकार के प्रयासों में पूरी तरह से भागीदार बनने और गैर-सरकारी प्रयासों के दायरे को अधिक से अधिक बढ़ाने की एक नई लोकतांत्रिक विचारधारा बनानी होगी। इससे बेहतर कार्य-पद्धति, उत्कृष्ट नागरिक प्रवृत्ति, कड़ा अनुशासन और नागरिकों के व्यवहार में अधिकारों की बजाय अपने कर्तव्यों के प्रति आमूल-चूल बदलाव आएगा। इससे संसद, राज्य विधानमंडलों और पंचायती राज संस्थाओं में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। उन्हें अच्छे विधि-निर्माताओं तथा कार्यपालिका के प्रभावी निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करना होगा।

मैं अपने देशवासियों के सम्मुख एक और विचार रखना चाहता हूं। कुछ लोग आर्थिक सुधारों के बारे में बात करते समय प्राय: आने वाले राष्ट्रीय संकट पर हाय-तौबा मचाते हैं। विगत में भारत किस तरह विदेशी व्यापार कम्पनी का उपनिवेश बन गया, उसकी याद दिलाते हुए वे भविष्यवाणी करते हैं कि यदि आर्थिक सुधारों को जारी रखा गया तो भारत को फिर से विदेशियों के हाथ बेच दिया जाएगा। यह एक हास्यास्पद भविष्यवाणी है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यह एक लोकतांत्रिक देश है, जो लोगों की इच्छा से शासित होता है। आज यह राष्ट्र उससे भी कहीं अधिक मजबूत है, जब ब्रिटेन ने हमें उपनिवेश बनाया था। आज के भारत को बेचने का साहस कौन कर सकता है? और, कौन आज के भारत को खरीदने की हिम्मत कर सकता है?

हमारी एक गतिशील और आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था है। आर्थिक सुधारों का वास्तविक उद्देश्य अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना है, ताकि गरीबी और बेरोजगारी को तेजी से दूर किया जा सके। जैसा कि सर्वविदित है कि इन सुधारों को वर्ष 1991 से केन्द्र में सभी सरकारों तथा अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा अपनाया जाता रहा है। देश में लगभग सभी राजनैतिक पार्टियां इन सरकारों का हिस्सा रही हैं। इसलिए सुधारों के एजेंडे पर राष्ट्रीय आम-

सहमति के लिए पहले से ही एक सुदृढ़ आधार है। इसलिए हमें इस एजेंडे को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए इसे राजनीति से दूर रखना चाहिए।

हम आर्थिक सुधारों को व्यापक बनाना चाहते हैं और उनमें तेजी लाना चाहते हैं, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बन सके। लेकिन इस कार्य को तात्कालिकता के आधार पर पूरा किया जाना है। हम वैश्वीकरण के युग में रह रहे हैं, जो सूचना एवं संचार क्रांति, वैश्विक व्यापार और राष्ट्रों के बीच व्यापक परस्पर-निर्भरता पर आधारित है। आज पूरे विश्व में राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं में कहीं अधिक खुली प्रतिस्पर्द्धा है, जो कुछ दशक पहले एक कल्पना मात्र थी। उदाहरण के लिए, पिछले कुछ दिनों में केरल में मैंने नारियल और सुपारी उत्पादकों की शिकायतों को सुना—ये वास्तविक शिकायतें हैं—मैं इन स्थानीय समस्याओं के पीछे कार्य कर रही वैश्वीकरण की ताकतों का हाथ स्पष्ट रूप से देख रहा हूं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल को न तो भारतीय उद्योग और न ही भारतीय कृषि क्षेत्र नजरअंदाज कर सकता है, क्योंकि उन्हें इसी माहौल में काम करना है। हमारे उद्योग जगत को अपनी विनिर्माण एवं प्रबंधन संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार लाना होगा; हमारे कृषि क्षेत्र को ढांचागत, निवेश तथा अन्य बाधाओं से मुक्त किया जाना चाहिए, जिनके कारण हमारा कृषि क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता के साथ विकास नहीं कर पा रहा है; हमें अपने उत्पादों की लागत को कम करना होगा और उनमें गुणवत्ता लानी होगी। इसके साथ-साथ, हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति बेहतर बनानी होगी।

हमें अपने शहरी और ग्रामीण आधारभूत ढांचे में तत्काल सुधार लाने होंगे। इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और ग्रामीण सड़क परियोजना ऐसे दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। हमें सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच बेहतर भागीदारी बनानी होगी। निजी क्षेत्र, जिसका कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय विकास में निरंतर बढ़ रहा है, को अपने निजी लाभ की बजाय जनता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी की तीव्र गति से शुरूआत के साथ ही, हमें अपनी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को अधिक से अधिक ज्ञान पर आधारित बनाना चाहिए, जिसकी शुरूआत सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक विस्तार करके की जा सकती है। हमें अपने वित्तीय क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्यकुशलता बढ़ानी होगी, ताकि भारत में विशेषकर लघु उद्योगों तथा व्यवसाय के लिए पूंजी लागत में कमी लाई जा सके। हमें सरकार के आकार को कम करने की जरूरत है, ताकि लोगों

के कल्याण और विकास के लिए और अधिक संसाधन जुटाए जा सकें। हमें अपने श्रम कानूनों में भी सुधार लाना होगा तथा उन्हें अधिक अनुकूल बनाना होगा, ताकि आर्थिक विकास को तेज किया जा सके और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। इनमें से कुछ कड़े उपाय हैं, परंतु हम इन सुधारात्मक उपायों में से किसी से भी पीछे नहीं हट सकते।

हमारी सरकार बाहर से हो रहे अनुचित व्यापार तथा निवेश के खिलाफ राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक उपाय करेगी। परंतु, अब समय आ गया है कि उद्योग, कृषि तथा सेवा-क्षेत्र से जुड़े हमारे सभी वर्ग यह महसूस करें कि इन मुद्दों का नियंत्रण बहु-पक्षीय ढांचे द्वारा हो रहा है, जिसमें भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता है। इस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे ने जहां चुनौतियां और अवसर पैदा किए हैं, वहीं इसके लिए हमारे कुछ दायित्व भी हैं। इस नई वास्तविकता से कोई भी दल अथवा सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार करें, जो वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सके तथा उससे उत्पन्न अवसरों का लाभ उठा सके। यह भारत के भावी आर्थिक विकास के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका संकुचित और अल्पकालिक लाभ के लिए राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।

प्रिय देशवासियो, नई सदी में भारत की चहुंमुखी प्रगति के लिए अनेक अवसर हैं। मुझे पूरी आशा है कि हमारे देश के लोग इन अवसरों का पूरा लाभ उठाएंगे। मेरी आशाएं विशेष रूप से युवाओं पर टिकी हुई हैं, जो आज हमारी जनसंख्या का दो-तिहाई हिस्सा हैं। वास्तव में, आज विश्व में भारत के युवा लोगों की संख्या सर्वाधिक है। हमें प्राचीन संस्कृति विरासत में मिली है, जो हमेशा से युवा रही है। अपनी सभ्यता के शाश्वत और सार्वभौमिक मूल्यों से मार्गदर्शन पाकर और राष्ट्रीय विकास के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर तथा भारत माता के एक अरब बच्चों की युवा ऊर्जा से शक्ति पाते हुए हम 21वीं सदी को निश्चित रूप से भारत की सदी बना सकते हैं।

यही वह आशा है तथा नए वर्ष का संकल्प है, जिसे मैं आप सभी लोगों को कुमाराकोम से बताना चाहता हूं।

निर्वाचन आयोग—एक निष्पक्ष संस्था

आज हमारे गणतंत्र की श्रेष्ठ संस्था का गौरवशाली दिवस है, जिस पर हमें गर्व है। भारत के चुनाव आयोग की स्वर्ण जयंती हमारे लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम क्षण है।

स्वतंत्रता प्राप्ति और गणतंत्रात्मक संविधान अपनाने के बाद भारत ने अनेक सस्थाएं बनाईं। इनमें से प्रत्येक ने अपने-अपने प्रतिष्ठित तरीके से राष्ट्र की सेवा की। किन्तु, यदि मत सर्वेक्षण हो कि इन संस्थाओं में से किसने भारतीय लोकतंत्र की सबसे अधिक सत्यनिष्ठा से सेवा की तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी जनता की पहली पसंद भारत का चुनाव आयोग होगा। पिछले 50 वर्षों में भारत ने 13 संसदीय चुनाव और इससे कहीं अधिक राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव देखे हैं। हर चुनाव में कुछ जीत गए व अन्य की हार हुई। तथापि, इन चुनावों में एक स्थायी विजेता रहा। यह है, भारत का चुनाव आयोग।

पिछले पांच दशकों में किसी भी संसदीय चुनाव के परिणाम पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा। पिछले 13 चुनावों के मध्य सत्ता हस्तांतरण में बाधा नहीं पड़ी, वह निर्बाध रही। यही बात राज्यों में सरकार के बदलने पर सच रही।

आयोग ने वास्तव में चुनावों के मध्य बिना किसी डर या पक्षपात के एक निष्पक्ष अम्पायर या रेफरी की भूमिका निभाई। इसने चुनावों के मध्य सत्तारूढ़ दल को अनुचित लाभ उठाने से रोकने की स्वस्थ परम्परा स्थापित की और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने के लिए एक समतल मैदान दिया। नियमित चुनाव संपन्न कराने में आयोग को कई ऐसे राज्यों में कठिन परिस्थितियों का सामना व प्रबंध करना पड़ा, जहां देशद्रोह, कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्याएं, उग्रवादी व आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न गड़बड़ियां थीं।

विदेशों में लोग अक्सर इस बात पर हैरान होते हैं कि भारत आम चुनाव के चमत्कार का प्रबंध कैसे कर लेता है, जिसमें 62 करोड़ मतदाता, 7,50,000 मतदान केंद्र, 40 लाख चुनाव कर्मचारी व 10 लाख नागरिक सुरक्षा कर्मचारी संलिप्त होते हैं।

उनकी यह हैरानी तब अविश्वास में बदल जाती हैं, जब उन्हें यह बताया जाता

निर्वाचन आयोग के स्वर्ण जयंती समारोह में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 17 जनवरी 2001

है कि यह आयोग विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों का प्रबंध अपने सचिवालय के कुल तीन सौ से भी कम कर्मचारियों से कर लेता है।

भारत में चुनाव कोई साधारण घटना नहीं है। ये महाकुंभ है, मैं डा. गिल के कथन को दोहरा रहा हूं। और, कुंभ की तरह ये हमारे लोगों के विश्वास की अभिव्यक्ति और समारोह है—हमारे लोकतंत्र में उनका अटूट विश्वास है। आयोग ने अपने आपको उस ब्रहत भरोसे से कहीं ज्यादा सिद्ध किया है, जो हमारे संविधान के निर्माताओं, राजनैतिक प्रणेताओं, न्यायतंत्र और सामान्य जनता ने इस पर रखा है। और, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि आयोग ने विश्व समुदाय की नजरों में भारत का सम्मान बढ़ाया है।

इसलिए, मैं आज इस विशेष अवसर पर अपने देशवासियों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके आयुक्त भाइयों, उनके सभी माननीय पूर्वाधिकारियों और आयोग के सभी कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह अवसर, जैसा कि माननीय स्पीकर महोदय ने इस बात पर जोर देकर कहा, चुनाव आयोग का समारोह मनाने और अपने लोकतंत्र के आत्म-निरीक्षण का है। हमें आवश्यकता है कि हम पिछले 50 वर्षों के अनुभवों, उपलब्धियों और असफलताओं की सीख का विस्तृत पुनर्निरीक्षण करें और भविष्य के लिए एक विश्वस्त मानचित्र तैयार करें।

हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत कुछ है, जिससे कोई भी भारतीय गौरवान्वित महसूस कर सकता है। साथ ही साथ, बहुत कुछ ऐसा भी है, जिससे हमारे मन चिंता और अवसाद से भर जाते हैं। मैं यहां इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारे लोकतंत्र में जो कमियां हैं, वे चुनाव आयोग के कारण नहीं हैं। डा. गिल को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये तो संपूर्ण व्यवस्था द्वारा ही सृजित और पोषित हैं। इसलिए हमें व्यवस्था में परिवर्तन की ओर ध्यान देना चाहिए।

मुझे अभी तक हुए सभी 13 चुनावों को नजदीक से देखने का सौभाग्य मिला है। पहले चुनाव में तो मैं एक प्रचारकर्ता था और बाकी के सभी में उम्मीदवार। तथापि, इस तथ्य से मैं व्याकुल होता हूं कि ज्यो-ज्यों समय बीत रहा है चुनावों में विवादास्पदता की निरंतर वृद्धि हो रही है। अपने जीतने के प्रयास में राजनैतिक दल व उम्मीदवार उचित आचरण के मानकों का प्रायः उल्लंघन कर देते हैं। ऐसा आचरण हमारे लोकतंत्र की संस्कृति को सुरक्षित रखने व मजबूत करने के लिए बड़ा आवश्यक है।

डा. गिल ने लक्ष्मण रेखा की बात की थी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लक्ष्मण हमारे पास हैं, आप रेखा खींच दें, हम उसका पालन करेंगे।

ज्यों-ज्यों चुनाव अभियान तेज होता जाता है, सत्य प्राय: हताहत हो जाता है। आरोप मतदाता की शिक्षा का स्थान ले लेते हैं। यह शिक्षा, चुनाव अभियान का एक सच्चा कार्य होना चाहिए। वास्तव में, साधारण व्यक्ति आरोपों और प्रत्यारोपों के बदले मुद्दों, घोषणा-पत्रों और विभिन्न उम्मीदवारों के कार्यों को जानने की ज्यादा इच्छा रखता है।

जब मैं यह कहता हूं कि धन और बल-शक्ति का बढ़ता हुआ खतरा भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बन रहा है, तो मैं संभवत: सभी देशवासियों की चिंता को प्रतिध्वनित कर रहा हूं। चुनाव निषेधात्मक रूप से खर्चीले होते जा रहे हैं। यहां तक कि जनसेवा का असामान्य रिकार्ड रखने वाला सामान्य राजनैतिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के स्वप्न को देखना भी मुश्किल समझता है। यहां तक कि प्रतिष्ठित राजनैतिक दल भी आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा करने को पहले से कठिन पाते हैं। इन हालात में उम्मीदवारों और दलों की धन-थैलियों पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिसका राज्य व्यवस्था पर दुष्प्रभाव होता है। इस निर्भरता को और भी दृढ़ बनाते हैं, बार-बार और असमय होने वाले चुनाव। इससे भी प्रशासन की गुणवत्ता पर उल्टा प्रभाव पड़ता है।

इसलिए, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारी संसद और राज्य विधान सभाओं का एक निश्चित कार्यकाल हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के परिपक्व होने और अच्छा शासन देने के लिए आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि इस आवश्यक मुद्दे पर संविधान समीक्षा आयोग ने सार्वजनिक वाद-विवाद प्रारंभ कर दिया है।

जब चुनाव अधिक विवादास्पद और कड़े मुकाबले के हो जाते हैं तो यह स्वाभाविक है कि अपराधी और असामाजिक तत्व चुनाव प्रक्रिया में दखलंदाजी की जगह पा जाते हैं। इसके कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में जनता का विश्वास कम हो जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का हृदय हैं। इसलिए यह उचित समय है कि सभी राजनैतिक दल एक सहमति बनाएं कि हमारी चुनाव प्रक्रिया में व्याप्त अनिष्टकर भ्रष्टाचार और अपराध को कैसे नियंत्रित करके इस क्रम को उलट दिया जाए।

अनेक लोगों ने पारदर्शक सूत्र के आधार पर सरकार द्वारा चुनाव के लिए धन देने को एक व्यावहारिक हल के रूप में सुझाया है। इसे और अन्य अनेक सुधारों पर कई समितियों ने लंबे समय तक विचार-विमर्श किया है, जिनमें स्वर्गीय दिनेश गोस्वामी व श्री इंद्रजीत

गुप्त की अध्यक्षता वाली समितियां भी शामिल हैं। विधि आयोग ने भी चुनाव सुधारों पर कई आवश्यक अनुशंसाएं की हैं। अब यह आवश्यक हो गया है कि इन सुधारों को गंभीरता से लिया जाए और इन्हें जल्दी से जल्दी लागू किया जाए।

राजनीतिक दलों की सहमति के लिए एक अन्य मुद्दा काफी समय से लंबित है और वह है—महिला आरक्षण विधेयक। मुझे प्रसन्नता है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में गतिरोध को तोड़ने के लिए रचनात्मक सुझाव दिए हैं। दुर्भाग्य से इस विषय पर भी सहमति नहीं है। फिर भी, हम महिला सशक्तिकरण की अपनी प्रतिबद्धता को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण का वर्ष है। अत: यह और भी जरूरी हो जाता है कि अपने मौलिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम जल्द ही एक स्वीकृत फार्मूला बनाएंगे। सरकार इस संदर्भ में किसी भी रचनात्मक प्रस्ताव पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है।

यद्यपि मैंने पिछले पांच दशकों में अपने लोकतांत्रिक अनुभव की कुछ कमियों का जिक्र किया है, परंतु किसी को यह शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारे लाभ हमारी हानियों से बढ़कर नहीं हैं। हमारे लोकतंत्र की जन्मजात शक्तियां हमें आत्म-विश्वास से भर देती हैं कि हम वास्तव में इन कमियों को दूर कर लेंगे। इस प्रयास में योजना आयोग अपने कार्य को आत्म-विश्वास के साथ कर रहा है।

अब यह सरकार, राजनैतिक दलों, सार्वजनिक संगठनों और मीडिया का कर्तव्य है कि हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाएं कि भारत को सुधरी हुई व नई लोकतांत्रिक व्यवस्था दें, जो नई शताब्दी की चुनौतियों का मुकाबला कर सके और हमारे नागरिकों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। मैं भारत के योजना आयोग को हमारे गणतंत्र के प्रति 50 वर्षों की यशस्वी सेवा पूरा करने पर एक बार फिर बधाई देता हूं।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करें

लोकायुक्तों तथा उप-लोकायुक्तों के छठे अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए आज सुबह आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जिन विषयों पर आप विचार-विमर्श करेंगे, वे हमारे राष्ट्रीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भ्रष्टाचार, विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। प्रशासन और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार की सबसे भयंकर शिकार आम जनता है। पिछले कई सालों में केन्द्र तथा राज्यों में एक के बाद एक सरकारों ने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए। अगर इन संसाधनों को विभिन्न स्तरों पर बिना रिसाव हुए उचित तरीके से खर्च किया जाता तो हमने शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, आवास तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में अपनी समस्याओं का बहुत पहले समाधान कर लिया होता। हमने अपने ढांचे की बहुत-सी अड़चनों को भी हटा दिया होता, जिसकी आज हमारी अर्थव्यवस्था भारी कीमत चुका रही है। इन सबसे बढ़कर, हम गरीबी और बेरोजगारी को भी गहरा धक्का पहुंचा सकते थे, जिसने हमारे करोड़ों देशवासियों को एक अच्छे जीवन जीने के उनके अधिकार से वंचित कर रखा है।

भ्रष्टाचार, विकास का केवल एक शत्रु ही नहीं है, यह लोकतंत्र का भी दुश्मन है। सरकार तथा प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का अभाव तथा जनता में लाचारी की भावना हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर बनाती है। एक परिपक्व लोकतंत्र के पास जनसेवकों द्वारा स्वयं को संपन्न बनाने के लिए शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ प्रभावशाली नियंत्रण व संतुलन अवश्य होना चाहिए। पिछले कुछ दशकों में प्रचलित भ्रष्टाचार ने कानून के प्रति अवहेलना को जन्म दिया है। भ्रष्टों को पकड़ने और उन्हें इससे विमुख करने के लिए सजा देने में कानून की विफलता ने जनता के बीच व्यापक कटुता फैलाई है। इसके परिणामस्वरूप, पूरे समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है।

स्वच्छ, कार्यकुशल और पारदर्शी प्रशासन के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जनजीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन एक निरंतर प्रक्रिया होनी

छठे लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त सम्मेलन में भाषण, नई दिल्ली, 22 जनवरी 2001

चाहिए। इस विषय में हमारी प्रतिबद्धता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की साझी कार्यसूची में अत्यंत स्पष्ट है। हमने जनता को एक स्थिर, ईमानदार, भ्रष्टाचार-मुक्त और सर्वोन्मुखी विकास प्रदान करने में सक्षम सरकार देने की शपथ ली थी। इससे भी बढ़कर हमने भ्रष्टाचार से निपटते समय 'शून्य उदारता' के सिद्धांत के पालन की प्रतिबद्धता जताई थी। केन्द्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त जैसी स्वतंत्र संस्थाओं को इस समस्या से निपटने में ध्यान देने को कहा गया था। देश के उच्चतम न्यायिक अधिकारियों के समकक्ष स्थिति वाले गैर-राजनैतिक अधिकारियों के रूप में उनकी कल्पना की गई थी। इन संस्थाओं को एक स्वतंत्र मंच प्रदान करना था, जहां लोग भ्रष्टाचार की और प्रशासनिक शिकायतें ले जा सकें तथा त्वरित और प्रभावी समाधान पा सकें।

यद्यपि, समाधान का यह तरीका लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है, फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि यह लोकायुक्तों की गलती नहीं है। उदाहरण के तौर पर, कल ही मैंने कर्नाटक के एक प्रशासनिक सुधार आयोग के जांच परिणामों के बारे में समाचारपत्रों में पढ़ा था, जिसमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े दिए गए थे। 1986 और 2000 के बीच लोकायुक्त ने 2,840 मामलों की जांच के आदेश दिए थे। इनमें से 1,677 के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए गए। लेकिन इनमें से केवल छह प्रतिशत का ही दोष सिद्ध हो पाया। यहां तक कि 1,118 मामलों की जांच होना अभी भी बाकी है।

अन्य राज्यों का अनुभव भी बहुत अलग नहीं हो सकता। अत: अब लोकायुक्तों की कार्यप्रणाली की गंभीरता से समीक्षा करने का समय आ गया है। हमें कानून और उसे लागू करने की कमियों को पहचान लेना चाहिए। राज्यों को आवश्यक शोधक कार्रवाई करने से हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से लड़ने की हमारी साझी प्रतिबद्धता दांव पर लगी है।

आज केवल 15 राज्यों में लोकायुक्त हैं। मैं समझता हूं कि उनमें से कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री भी लोकायुक्त की अधिकार सीमा में आते हैं। अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री उनकी अधिकार सीमा से परे हैं। इसी तरह राज्य विधान सभा के सदस्यों पर लोकायुक्त के न्यायाधिकार में एकरूपता का अभाव है। मैं सोचता हूं कि लोकायुक्त कानून को सभी दृष्टिकोणों से एकरूप होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह सम्मेलन इस मामले पर विचार करके इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दे।

केन्द्र ने भ्रष्टाचार रोकने और जनजीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने हेतु कई कदम उठाए हैं। 20 दिसंबर, 1999 को लोक

सभा में केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक पेश किया गया। इसमें प्रस्ताव था कि जनसेवकों के कुछ वर्गों द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 1988 के तहत किए गए अपराधों के आरोपों की जांच करने या जांच करवाने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया जाए। संसद की एक संयुक्त समिति ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर पहले ही विचार-विमर्श करके अपनी रिपोर्ट दे दी है। सरकार समिति की सिफारिशों की जांच कर रही है।

जहां तक केन्द्र में एक लोकपाल स्थापित करने की बात है तो अधिकार देने वाला एक कानून बनाने के लिए पूर्व में कई प्रयास हुए हैं। इनका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि उन लोक सभाओं के भंग हो जाने के फलस्वरूप पहले के अधिकतर लोकपाल विधेयक रद्द हो गए थे। हमारी सरकार ने शासन की राष्ट्रीय कार्यसूची में जनता को यह वचन दिया था कि प्रधानमंत्री सहित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटने के लिए समुचित अधिकारों सहित लोकपाल विधेयक लागू किया जाएगा। हम इस वायदे के प्रति वचनबद्ध हैं। लोकपाल विधेयक के नए मसौदे पर मंत्रियों का एक दल काम कर रहा है। इसे जल्दी ही संसद में पेश कर दिया जाएगा।

बिना किसी बाधा के जनता को सारी जानकारी उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार सूचना की स्वतंत्रता विधेयक, 2000 पहले ही पेश कर चुकी है। इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया है। जब यह कानून बन जाएगा तो इससे शासन में अधिक पारदर्शिता लाने का मार्ग और भी प्रशस्त हो जाएगा।

जनता के साथ व्यापक रूप से संपर्क रखने वाले केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों, विभागों और संगठनों ने नागरिक घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया है। ये सब इंगित करते हैं कि जनता किस प्रकार की श्रेष्ठ सेवा की हकदार है। मैं चाहता हूं कि ये जो कदम उठाया गया है, उसके बारे में व्यापक रूप से प्रचार किया जाए। मैं यह भी चाहता हूं कि इसे सफल बनाने में नागरिक संगठन सरकार के साथ सहयोग करें।

सरकार ने अपने संगठनों की कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए कानूनों, नियमों और कार्यप्रणालियों को सरल बनाने का काम शुरू किया है। इसके लिए 40 से अधिक विभागों ने विशेषज्ञ कार्यबल बनाए हैं या अपने कार्यालयों के अंदर इसका पालन करना शुरू कर दिया है। मैं इन सुधारों की गति बढ़ाना चाहता हूं, जिससे प्रशासन की योग्यता और कार्य के प्रति संतोष में परिवर्तन दिखाई दे।

यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि की गति को तेज करने के अलावा, कार्यप्रणाली में अधिक खुलापन और जिम्मेदारी निर्मित करना भी रहा है। लायसेंस-परमिट-कोटा राज ने अत्यधिक नियंत्रण और भेदभावपूर्ण शक्तियां निर्मित कर दी थीं। श्री जेटली ने इसका जिक्र किया है। अयोग्यता निर्मित करने के साथ ही इन्होंने बहुत से भ्रष्ट रिवाजों को भी जन्म दिया, जब कि आर्थिक सुधारों ने इस स्थिति को सार्थक रूप से बदला है। हमारे व्यवसायों, विशेषकर छोटे व्यवसायों के लिए एक बाधामुक्त वातावरण निर्मित करने की अब भी सख्त जरूरत है। अनुभवों ने दिखा दिया है कि नागरिक सेवाओं और राज्य-व्यवस्था में सत्यनिष्ठा को बल देने के प्रयासों को न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदारी के मानदंडों का विस्तार किए बिना वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। त्वरित न्याय प्रदान करने में हमारी न्याय प्रणाली की अक्षमता ही और अधिक अन्याय का स्रोत बन जाती है। इसने जनता की नजरों में हमारी न्यायपालिका की विश्वसनीयता भी घटाई है।

एक और भी संस्था है—मीडिया, जिसमें भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की भारी क्षमता है। यह कार्य वह जनता में जागरूकता लाने और जनता की राय को संघटित करके कर सकता है। हमारे मीडिया ने यह भूमिका काफी कुशलता से निभाई है। लेकिन अक्सर कई अवसरों पर मीडिया तथ्यों के प्रति सच्चा नहीं रहा है। बिना किसी प्रमाण के और अक्सर अफवाहों के आधार पर राजनैतिक जीवन से जुड़े लोगों की निंदा करना हमारे लोकतंत्र की सहायता नहीं करता, बल्कि उसे चोट पहुंचाता है।

लोकायुक्तों की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर आत्म-विश्लेषण करने और उनकी प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए एक नीति तैयार करने के लिए यह सम्मेलन उपयुक्त मंच है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनजीवन से भ्रष्टाचार के उन्मूलन तथा हमारी संस्थाओं में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए दिए गए सभी ठोस सुझावों पर हमारी सरकार खुले दिमाग से विचार करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस सम्मेलन का उद्घाटन करता हूं और इसकी सफलता की कामना करता हूं।

पूर्वाग्रहों से ऊपर उठें

देश में उत्पन्न विवाद और शोर-शराबे के इस क्षण में, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे कुछ सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिससे कई मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। पिछले 52 वर्षों से आप सभी ने मुझे देखा है। कभी भी मेरे सहयोगियों पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए गए। यह अपने-आप में मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है।

ये मुद्दे ऐसे समय में सामने आए हैं, जब वर्षों से अस्थिरता के बाद देश में स्थिरता का माहौल बना है, जब हम दूरगामी सुधार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने जा रहे हैं, जब हमारी अर्थव्यवस्था अन्यत्र घट रही घटनाओं के बावजूद तेजी से आगे बढ़ रही है, और जब विश्व में हमारे देश को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है।

इसलिए मुझे दुख भी होता है और आश्चर्य भी।

संसद का सत्र चल रहा है। संसद ही वो मंच है, जिसमें इन आरोपों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, संसद में इस प्रकरण पर चर्चा नहीं होने दी जा रही है। इसलिए मैं यहां आपसे सीधे बातचीत करने आया हूं, क्योंकि ये आप ही हैं, जिनके प्रति संसद और हम सभी उत्तरदायी हैं।

विवाद से पैदा हुए शोर-गुल और आरोपों तथा स्पष्टीकरणों की झड़ी से हमें देश के हितों को दर-किनार नहीं करना चाहिए।

हम सबके लिए तीन बातें महत्वपूर्ण हैं :

- राष्ट्र का हित,
- राष्ट्र की सुरक्षा,
- सरकार और राजनीति की स्वच्छता।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन सभी के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है। इसीलिए सरकार ने दृढ़तापूर्वक और तेजी से कार्रवाई की है।

- कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्र के नाम संदेश, नई दिल्ली, 16 मार्च 2001

- देश की उच्च परंपराओं को निभाते हुए तथा हमारी सेनाओं के मनोबल को ऊंचा करते हुए और देश की सुरक्षा के मद्देनजर मेरे एक प्रिय सहयोगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक प्रमुख सदस्य श्री जार्ज फर्नांडीस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

- वीडियो टेपों में जिन दो राजनेताओं के नाम आए हैं, उन्होंने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।

हमारे यह कदम पूर्व में इसी तरह की स्थिति पैदा होने पर अन्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों से अलग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्रवाई तुरंत की गई है, क्योंकि देश के हित, देश की सुरक्षा और अच्छे शासन के मानदंडों को बनाए रखने के लिए इन कदमों को उठाया जाना जरूरी था। यद्यपि हम वीडियो टेपों से जुड़े हुए हर पहलू की तह तक जाएंगे, तथापि, हमें हमेशा सावधान रहना होगा कि देश की सुरक्षा किसी भी तरह से खतरे में न पड़े।

हम खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हम एक संकटपूर्ण माहौल में रह रहे हैं। इस कारण से हमारी बहादुर सेनाओं के मनोबल और उनकी लड़ने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

रक्षा मंत्रालय में लिए जाने वाले निर्णयों को आरोपों और स्पष्टीकरणों के बीच नहीं घसीटा जाना चाहिए।

सरकार का यह कर्तव्य है कि वह लगाए गए प्रत्येक आरोप की पूरी सच्चाई को सामने लाए। सरकार ऐसा करने के लिए दृढ़संकल्प है। लेकिन नागरिक के रूप में हम सभी का भी यह कर्तव्य बनता है कि हम तथ्यों को जाने बगैर लगाए गए हरेक आरोप को सच न मान बैठें। वास्तव में, पूरी रिकार्डिंग में कोई सौदा तय नहीं हुआ है। इसमें कोई मंत्री शामिल नहीं है। बढ़-चढ़कर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। यदि थोड़ा-सा भी प्रयास किया जाए तो उन्हें यह पता लग जाएगा कि वे तथ्यों के बिल्कुल विपरीत हैं। ऐसे आरोप लगाना अनुचित है। उन पर ध्यान देना भी उतना ही नुकसानदेह है।

यह उचित नहीं है कि इस तरह हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया जाए। हमारी अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा सकती है। यदि विश्वास डिग गया तो शेयर बाजार से लेकर रुपये तक, सभी में अस्थिरता आ सकती है। ऐसी आंधी से अनेक देशों को अस्थिरता का सामना करना पड़ा है।

लेकिन चूंकि आरोप लगाए गए हैं और उनका बढ़-चढ़कर प्रचार किया गया है, इसलिए गंभीर चिंता की बात है। इनके बारे में तथ्यों और वास्तविकता को सामने लाना होगा। यदि किसी ने गलत काम किया है तो उसे तुरंत और कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए।

जैसा कि मैंने कहा है, संसद एक ऐसा मंच है, जहां इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए और मुद्दों और आरोपों का विश्लेषण और छानबीन होनी चाहिए। यहां प्रत्येक तथ्य और आरोप के हर पहलू पर विचार-विमर्श होना चाहिए।

सरकार शुरू से ही इस बात के लिए न केवल इच्छुक है, बल्कि आतुर है कि इस मामले पर दोनों सदनों में चर्चा हो। मैं सभी पार्टियों से अपील करता हूं कि वे संसद की कार्रवाई को चलने दें और मुद्दों पर बारीकी से बहस होने दें।

लेकिन इस तरह एक अहम मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और न ही इसे राजनैतिक मुद्दा बनने दिया जा सकता है। चूंकि सच्चाई को सामने लाना जरूरी है, इसलिए सरकार ने इस पूरे प्रकरण की सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान अथवा सेवा-निवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। सरकार इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श कर रही है।

क्योंकि इस विवाद का शीघ्र हल निकाला जाना जरूरी है, इसलिए हम अनुरोध कर रहे हैं कि यह जांच चार माह के भीतर पूरी कर ली जाए। सरकार इस जांच के कार्य में अपना पूरा सहयोग देगी।

सरकार हर दोषी को चाहे वह बड़े पद पर आसीन हो या छोटे पद पर, सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेगी। सरकार को केवल यह चिंता है कि—

देश की सुरक्षा व्यवस्था सदा की भांति सुदृढ़ बनी रहे, इसमें हमारे सैनिकों का पूरा विश्वास बना रहे, शासन संस्थाओं और हमारी राजनैतिक प्रणाली में फिर से स्वस्थ परंपराएं कायम हों, और उनमें हमारी जनता का पूरा विश्वास और आस्था बनी रहे।

सोचने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुछ सामने आया है, उसका सूत्र सुरक्षा मामलों से कहीं आगे जाता है। मामला यह है कि कुछ व्यक्ति शस्त्रों के छद्म व्यापारी बनकर हमारे रक्षा अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों तक कितनी आसानी से पहुंच गए। इससे यह जाहिर होता है कि इस बुराई की जड़ें किस हद तक फैल चुकी हैं। इस तरह से जो बातें हमारे सामने आई हैं, उनमें हम सभी की आंखें खुल जानी चाहिए। सभी दलों के नेताओं को एक साथ बैठकर हमारे राजनैतिक तथा

प्रशासनिक जीवन, हमारी चुनाव प्रणाली, राजनैतिक दलों को धन देने की प्रणाली, तथा जिस तरह से अधिकारियों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए लोगों के विरुद्ध मामलों की जांच की जाती है तथा उन पर कार्रवाई की जाती है, उसमें सुधार लाने के लिए प्रयास करने चाहिए।

मेरे देशवासियो, संक्षेप में, मैं कहना चाहता हूं कि आइए, हम अपने दिन-प्रतिदिन के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर सोचें। आइए, हम सब मिलकर इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लें, ताकि हमारे देश की सुरक्षा-व्यवस्था और सुदृढ़ बने, हमारा राजनैतिक जीवन साफ-सुथरा बने तथा हमारी शासन प्रणाली स्वच्छ बने।

मैं इस संबंध में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि—

- मैं इन व्यापक सुधारों को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करूंगा। हम लगाए गए सब आरोपों का उनकी तह तक जाकर पता लगाएंगे,
- हम सामने आई इस बुराई को दूर करने के लिए काम करेंगे,
- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सब कुछ इस प्रकार किया जाए कि देश की सुरक्षा और अधिक मजबूत बने।

आइए, हम जांच शुरू कराएं।

आइए, हम संसद में व्यापक बहस होने दें।

आइए, हम सब फिर से अपना काम-काज शुरू करें।

II

आर्थिक विकास

आर्थिक सुधारों के प्रति सहयोगी रुख अपनाएं

भारतीय श्रम सम्मेलन के 36वें सत्र में आपके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कई वर्षों से भारतीय श्रम सम्मेलन श्रम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और इसकी वास्तविक शिकायतों को दूर करने हेतु आम सहमति बनाने के लिए एक उपयोगी संस्थागत मंच के रूप में विकसित हुआ है। केन्द्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों, विभिन्न श्रम संगठनों तथा नियोक्ता संगठनों की सक्रिय भागीदारी भी इस सम्मेलन को एक आदर्श संस्था का रूप प्रदान करती है। इससे राष्ट्र की विकास संबंधी नीतियों और प्राथमिकताओं के व्यापक संदर्भ में श्रम से जुड़े मुद्दों पर विचारों का खुलकर आदान-प्रदान करने में मदद मिलती है।

यह सम्मेलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। आज अम्बेडकर जयंती है। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माण में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए तो याद किया जाता ही है, लेकिन श्रम आंदोलन से उनके लम्बे समय तक और स्थायी रूप से जुड़े रहने के लिए भी याद किया जाता है। आजादी से पहले उन्होने त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन के चार सत्रों की अध्यक्षता की थी। वह आजादी के बाद पहले केन्द्रीय श्रम मंत्री भी थे। उन्होंने हमें शिक्षा दी कि सभी को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिए बगैर राजनीतिक स्वतंत्रता अपूर्ण है।

श्रम इस पृथ्वी पर समस्त सम्पदाओं और जीवन को चलायमान रखने की समस्त गतिविधियों का आधार है। यदि हम अपने चारों ओर दृष्टि डालें तो हमें पता चलता है कि जो भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त नहीं है, वह मानव श्रम द्वारा प्रदान किया गया है। वस्तुत:, कर्म करना मानव प्रकृति का महत्वपूर्ण गुण है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमें यह शिक्षा दी है: *योग: कर्मसु कौशलम्* (कौशल के साथ और ध्यानमग्न होकर किया गया कार्य ही योग है)। चूंकि श्रमिक समाज की सभी जरूरतों का ध्यान रखता है, अत: हरेक सभ्य समाज का यह कर्त्तव्य है कि वह भी श्रमिकों की जरूरतों का ध्यान रखे। हमारे 36 करोड़ से भी अधिक लोग इस देश का श्रम-बल हैं। इनमें से लगभग तीन करोड़ संगठित क्षेत्र में तथा शेष असंगठित क्षेत्र में हैं जिसमें कृषि भी शामिल है।

भारतीय श्रम सम्मेलन के 36वें सत्र में भाषण, नई दिल्ली, 14 अप्रैल 2000

यदि हम अपने श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित कर सकें, उनके कौशल को बढ़ावा दे सकें तथा उनकी क्षमताओं में सुधार ला सकें तो वे निःसंदेह राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अपना अप्रतिम योगदान दे सकते हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि हमें अपने श्रम-बल को शक्ति के एक स्रोत के रूप में देखना चाहिए, न कि एक बोझ के रूप में—हमारा श्रम-बल देश का संबल है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मेरी सरकार भारत में श्रमिकों के कल्याण, विकास और उन्हें सम्मान देने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है।

मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि श्रम आंदोलन जिसे परम्परागत रूप में व्यापार संघ आंदोलन समझा जाता है, आज इतिहास में एक नये मोड़ पर खड़ा है। इसकी भूमिका की पुनः समीक्षा करने और श्रम, रोजगार और अर्थ-व्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर इसके पक्ष को पुनः परिभाषित करने के लिए इस पर विगत में कभी भी इतना अधिक आंतरिक और बाहरी दबाव नहीं रहा।

हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां विश्व-भर में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। पिछले कुछ दशकों ने कई दीवारों और अनेक धर्म-सिद्धांतों को ढहते देखा है। देश में और राष्ट्रों के बीच प्रौद्योगिकी की अद्‌भुत शक्ति तथा व्यापार के जरिए आर्थिक गतिविधियों में बदलाव लाना पहले कभी भी इतना स्पष्ट नहीं था जितना आज है। समाज का कोई भी वर्ग, यहां तक कि श्रम आंदोलन भी इन बदलावों के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता।

आज की बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता और विश्व में राष्ट्रों के तेजी से नजदीक आने के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक राष्ट्र को उदारीकरण और वैश्वीकरण की अनिवार्यता के अनुरूप चलना होगा। भारत में भी हमने अपनी समस्याओं और संभावनाओं के आधार पर आर्थिक सुधारों के रूप में अपने स्वतंत्र कार्यक्रम बनाए हैं। हमारी सरकार सभी भारतीयों, विशेषकर सबसे गरीब और उपेक्षित वर्गों को समृद्ध करने के लिए आंतरिक सुधारों के दायरे को व्यापक, गहन और गतिशील बनाने के लिए कटिबद्ध है। इसके साथ-साथ हम वैश्वीकरण की दिशा में एक सतर्क और सावधानीपूर्वक नपी-तुली नीति का पालन कर रहे हैं जिससे हम अपने राष्ट्रीय हितों का, जिनमें हमारे किसानों और मजदूरों का हित भी शामिल है, बेहतर ढंग से संरक्षण और संवर्धन कर सकें।

वास्तव में, श्रमिकों के हितों का संरक्षण और संवर्धन आर्थिक सुधारों की हमारी नीति का एक अभिन्न अंग है। भारत में हमने यह कभी नहीं सोचा था कि श्रमिक, पूंजी, प्रबंध, समाज और राज्य के बीच कोई अंतर्निष्ठ विरोध हो सकता है। ये सभी एक-दूसरे से सामंजस्य बनाए हुए हैं तथा एक-दूसरे के पूरक हैं। ये परस्पर-विरोधी

तथा प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। इसलिए मैं श्रमिक संघों से अपील करता हूं कि वे आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम के प्रति सकारात्मक और सहयोगी रुख अपनाएं। हम सुधार प्रक्रिया में आपको भागीदार बनाना चाहेंगे। यदि इस प्रक्रिया में कोई कमी नजर आए तो उन्हें आप हमारे ध्यान में लाएं। हम आपके सुझावों और रचनात्मक आलोचनाओं का सम्मान करते हैं क्योंकि हम सभी देश और आम आदमी के हितों के प्रति वचनबद्ध हैं।

आर्थिक सुधारों की अपनी नीति के अंतर्गत हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक और उत्पादक रोजगार जुटाना है। हमने प्रति वर्ष एक करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करने का संकल्प लिया है। हमने तीव्र और अधिक संतुलित आर्थिक विकास के जरिए इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिएं कई नीतियां और कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। पिछले नौ वर्षों में केन्द्र में अनेक सरकारों द्वारा भारत में आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित करते समय आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं जिनमें लाइसेंस को समाप्त करना, विनियमन और विनियंत्रण शामिल हैं। आर्थिक सुधारों के चलते हमें अनेक महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हो रहे हैं।

पिछले दशक का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव यह है कि श्रम कानूनों में किए गए परिवर्तनों का शेष अर्थ-व्यवस्था में हुए परिवर्तनों से तालमेल नहीं बैठ पाया है। आज यह धारणा बन रही है कि राष्ट्र को आर्थिक सुधारों के पूरे लाभ तब तक नहीं मिल सकते जब तक कि हम श्रम कानूनों तथा उनको लागू करने वाले प्रशासनिक तंत्र दोनों में सुधार नहीं लाते। पिछले पांच दशकों के अनुभवों से यह पता चलता है कि वर्तमान कानूनों से भारत में संगठित क्षेत्र का तो काफी भला हुआ है परन्तु असंगठित क्षेत्र के लिए ऐसा कर पाने में ये कानून पूर्णतया असफल रहे हैं। हमने यह भी देखा है कि वैधानिक एवं प्रशासनिक जटिलताएं नए निवेशों, जिनके बिना तीव्र विकास संभव नहीं है, के मार्ग में प्रायः बाधक साबित हुई हैं।

आज हम देख रहे हैं कि भारत में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हमारी अर्थ-व्यवस्था श्रम प्रधान है फिर भी ऐसा देखा जा रहा है कि औद्योगिक निवेश की प्राथमिकता उन परियोजनाओं को दी जा रही है जिनमें श्रम की जरूरत न्यूनतम है। श्रम-बल की 2.5 प्रतिशत की वृद्धि-दर जनसंख्या की वृद्धि-दर से अधिक रही है। इसका आशय यह है कि बड़ी मात्रा में श्रम-बल, जो कि या तो अकुशल है अथवा ज्यादा से ज्यादा अर्द्ध-कुशल है, उपयुक्त और स्थायी रोजगार की अनिश्चितता के होते हुए भी बाजार में आ रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा संगठित निजी क्षेत्र, दोनों की नए-नए औद्योगिक रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता हमारे समाज की जरूरतों की तुलना में काफी कम है। यह गंभीर चिंता का विषय है।

हमारे सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि देश-भर में बड़े, मध्यम तथा लघु उद्योग क्षेत्रों की हजारों बीमार औद्योगिक इकाइयों को किस प्रकार पुनर्जीवित किया जाए। इन इकाइयों में उत्पादन करने वाले लाखों-करोड़ों रुपए मूल्य के संसाधन ऐसे समय में बेकार पड़े हैं जबकि हम नहीं चाहते कि निवेश करने योग्य एक रुपया भी व्यर्थ चला जाए। हम सभी जानते हैं कि उद्योगों के बीमार होने के अनेक कारण हैं जिनमें कई निजी प्रबंधनों का लालच और उनकी अक्षमता शामिल है। तथापि, हम इस कटु सत्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उपयुक्त रोजगार योजना का अभाव तथा बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार श्रम तैनाती में लचीलेपन का न होना भी इन कारण में से एक है।

इसलिए आज यह नितांत आवश्यक हो गया है कि हम आज एक ऐसी नीति तथा कानून बनाएं जो अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों, विशेषकर लघु उद्योगों और सेवाओं में नए निवेशों के अनुरूप हो। इन दोनों क्षेत्रों में उत्पादक रोजगार उत्पन्न करने की काफी क्षमता है। उनमें हमारे निर्यात क्षेत्र का विस्तार करने तथा इसे बढ़ावा देने की भी पर्याप्त क्षमता है जिसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका है।

इस संबंध में तत्काल और आमूलचूल परिवर्तन करना समय की मांग है। हमारे लिए ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि हम भारतीय अर्थ-व्यवस्था तथा भारतीय उद्योग को घरेलू स्तर पर गतिशील और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बना सकें। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि परिवर्तन का अर्थ दशकों के कठिन संघर्ष से संगठित श्रम ने जो कुछ लाभ अब तक हासिल किया है उसमें कमी लाना नहीं है बल्कि इसका अर्थ यह है कि इन लाभों को एक सुनिश्चित तरीके से असंगठित क्षेत्र तक पहुंचाया जाए जिससे इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित हो तथा रोजगार के और अधिक अवसर उत्पन्न हों।

हमारी सरकार के दूसरी बार सत्ता में आने पर हमने जो सबसे पहले निर्णय लिये, उनमें से एक निर्णय अक्तूबर 1999 में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन करना था। यह नया आयोग संगठित श्रम के लिए नए कानूनों को अद्यतन करेगा, असंगठित श्रम के कल्याण हेतु एक व्यापक कानून तैयार करेगा और समूचे श्रम-बल के कौशल तथा उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना की सिफ़ारिश करेगा।

संगठित तथा असंगठित श्रम के सभी वर्गों तथा नियोक्ताओं से मेरी अपील है कि वे आयोग के कार्यों में अपना सक्रिय योगदान दें। सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा की जाए। किंतु इस चर्चा को व्यक्तिगत हितों से दूर रखा जाए। इस चर्चा में तीव्र और अधिक संतुलित आर्थिक विकास, सतत् रोजगार सृजन और श्रमिकों व साथ

ही समाज के कल्याण से संबंधित मुद्दों को ही शामिल किया जाना चाहिए। इस अवसर पर मैं आप सभी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन तथा पुनर्जीवन हेतु हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयासों से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की समस्याओं का संतोषजनक हल निकाल लिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए पिछले सप्ताह मैंने मंत्रियों के दल का पुनर्गठन किया है जो मजदूरी से संबंधित मामलों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा तथा यह भी सिफारिश करेगा कि बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित श्रमिकों के हितों की किस प्रकार बेहतर सुरक्षा की जाए। सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति और ज्ञान पर आधारित अर्थ-व्यवस्था से श्रमिकों को निरंतर शिक्षित करना अधिक जरूरी हो गया है। इसलिए सरकार राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में उभारने पर सक्रिय तौर पर विचार कर रही है।

असंगठित क्षेत्र में हमारे श्रमिकों में सबसे अधिक संख्या खेतिहर मजदूरों की है। वह हमारे समाज का सर्वाधिक गरीब और उपेक्षित वर्ग है। चूंकि वे मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों से हैं, अतः आर्थिक न्याय के माध्यम से उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने, सेवा-शर्तों के संरक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कानून बनाने के लिए लम्बे अरसे से विचार-विमर्श किया जा रहा है। खेद की बात है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अभी तक हम आम सहमति नहीं बना सके हैं। श्रम मंत्रालय तथा राज्यों के श्रम विभागों से मेरा आग्रह है कि वे इस मामले में मतभेदों को दूर करें तथा जितनी जल्दी हो सके, कृषि कामगार विधेयक को संसद में पेश करने का मार्ग प्रशस्त करें।

मुझे खुशी है कि भारत में श्रम मानकों और व्यापार संबंधी मुद्दों पर आम सहमति है। यह सहमति ही सिएटल में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के तृतीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हमारे पक्ष का आधार था। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ढांचे के तहत उचित श्रम मानकों के संवर्धन के लिए पूर्णरूप से प्रतिबद्ध है। इस प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सर्वाधिक उपयुक्त है, न कि विश्व व्यापार संगठन।

नई शताब्दी जो अभी-अभी शुरू हुई है, श्रम संबंधी मुद्दों पर नये नजरिए से सोचने के लिए हमारा आह्वान कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अभी हमें पिछली कई चुनौतियों से निपटना है। किन्तु श्रमिकों के हितों की खातिर उपलब्ध हुए अनेक अवसरों को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। आपसी सहयोग, सामूहिक दृष्टिकोण तथा साथ ही साथ कड़ी मेहनत और अनुशासन से हम इन अवसरों का लाभ उठा कर राष्ट्र को समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जा सकते हैं।

नागरिकों का सक्रिय सहयोग जरूरी

इस महत्त्वपूर्ण संगोष्ठी में आपके मध्य होते हुए मुझे प्रसन्नता है। यह संगोष्ठी बड़े सही समय पर आयोजित की जा रही है।

आज पूरे देश का ध्यान राजस्थान, गुजरात, आंध्रप्रदेश तथा देश के अन्य भागों में पड़े सूखे पर केन्द्रित है। सूखाग्रस्त इलाकों के लोगों व पशुओं का संकट दूर करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों ने संयुक्त प्रयास किए हैं और जैसा कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के समय होता है, लोगों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं ने भी उदारता से इस प्रयास में सहयोग दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर जरूरतमन्दों तक सहायता पहुंची है। मैं इस मौके पर लोगों की इस अनुकरणीय अनुक्रिया की सराहना करता हूं जो उन्होंने प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष में दान देने के लिए की गई हमारी अपील के फलस्वरूप दिखाई।

सूखे के कारण पैदा हुई इस चुनौती के अनेक लाभों में एक यह भी है कि आज देश में केवल इस समस्या पर ही नहीं बल्कि इसके समाधान पर भी विचार हो रहा है, ऐसे समाधान जो व्यावहारिक, उपयुक्त और स्थायी हैं। विशेषकर मुझे हर स्थान पर बारिश का पानी एकत्र किए जाने और दूसरी तरह के पानी को संरक्षित करने के तरीकों पर काफी दिलचस्पी नजर आती है। मुझे विश्वास है कि आज की यह राष्ट्रीय संगोष्ठी इन विचारों को प्रभावशाली कार्यों का रूप लेने और वर्तमान संकट को एक सुअवसर में परिवर्तित करने की दिशा में स्थायी होगी।

जल जीवन का स्रोत है। यह जीवनदायक भी है। पृथ्वी ग्रह पर यहां के मनुष्यों, पशुओं और सभी तरह के जीवों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भरपूर जल है। यदि हम मानव इस जल का संरक्षण नहीं करेंगे और इस बहुमूल्य स्रोत का कायदे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम मानवीय जनसंख्या के एक बहुत बड़े समूह को न केवल जल की न्यूनतम आवश्यकता से वंचित करेंगे बल्कि इस ग्रह पर प्राकृतिक जीवन धारा को भी खतरे में डाल देंगे।

यह अनुमान लगाया जाता है कि इक्कीसवीं सदी में जल के उतना ही बहुमूल्य संसाधन हो जाने की सम्भावना है जितना बीसवीं सदी में तेल। आज विश्व में एक अरब लोग यानी मानवता का छठा भाग स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त पहुंच से दूर है।

बरसाती पानी के उपयोग के बारे में आयोजित सेमिनार में उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली, 22 मई 2000

जब तक सरकारें और विभिन्न समुदाय इस समस्या का सामना प्रभावकारी ढंग से करने के लिए कार्यरत नहीं होंगे तब तक स्वच्छ और प्रचुर जल की सुविधा से वंचित लोगों की संख्या अगले 25 वर्षों में ढाई अरब हो जाएगी, यानी तीन व्यक्तियों में से एक।

यह जानकर बड़ी व्याकुलता होती है कि जल से वंचित ज्यादातर लोग हमारे देश के हैं और भविष्य में भी यहीं के होंगे। स्वच्छ और पर्याप्त जल की कमी का अर्थ है खराब स्वास्थ्य, बीमारी को बुलावा और असन्तोष। इसका अर्थ है अर्थ-व्यवस्था और समाज का अल्प-विकास। अत्यधिक, निरन्तर और लम्बे समय तक जल की कमी होने की स्थिति का अर्थ है— सामाजिक अशान्ति।

अत: यह एक ऐसी समस्या है जो समय के साथ-साथ अधिक विकट, गम्भीर और बहुआयामी बनती जा रही है। एक राष्ट्र के रूप में मिलकर कार्य न करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इस चुनौती का सामना करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं है, चाहे वह केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार। इस चुनौती का सामना राष्ट्रव्यापी जन-आन्दोलन से कम की स्थिति से नहीं किया जा सकता, जिसमें सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, व्यापारियों, सहकारी समितियों और अन्तत: हर नागरिक का सक्रिय सहयोग हो।

पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कोई भी अकेला प्रयास काफी नहीं है। हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक तौर पर अनेक कार्यक्रम और विविध तरीके अपनाने होंगे। परन्तु इन सब तरीकों में से एक तरीका जो अपनी सरलता, प्रभावकारिता और वहनीयता के कारण सबसे आसान है, वह है वर्षा जल का संचयन। वर्षा जल को एकत्र करो, संचय करो और उसका प्रयोग करो— यह बड़ा ही आसान है। यदि इस सीधे-सादे विचार को लेकर उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित की जाए, तो उससे विकेन्द्रीकृत और स्थानीय स्तर के समाधान मिल सकते हैं जो हमारी ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के पेयजल की समस्या को काफी हद तक सुलझा सकते हैं।

वर्षा जल को एकत्र करने और इसे बह जाने से रोकने में हमारी असफलता से एक विडम्बनापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहां तक कि वे क्षेत्र जो अधिक वर्षा के लिए जाने जाते थे, जैसे— चेरापूंजी और कोंकण— वे करीब आधा साल जबर्दस्त जल की कमी की समस्या से जूझते हैं। विस्तृत और दूर के स्रोतों से देश के सभी निवासियों के लिए पाइपों के जरिए जल उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। यहां तक कि बड़े शहरों और छोटे नगरों में, जहां पाइपों के जरिए जल-आपूर्ति की जाती है, वहां निरन्तर पानी की कमी बढ़ती जा रही है। इन सभी मामलों में वर्षा जल संचयन की आवश्यकता है, जिसकी स्पष्टत: अवहेलना नहीं की जा सकती।

वर्षा जल संचयन की असफलता से भू-जल का अंधाधुंध और बहुत बड़ी मात्रा में दोहन हुआ है। परिणामस्वरूप देश के कई भागों में भू-जल स्तर भयावह रूप से नीचे चला गया है। पेयजल और सिंचाई-जल की योजनाएं पहले से अधिक खर्चीली बनने के अलावा गम्भीर स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमें एक ऐसी प्रभावकारी नीति को बनाने की आवश्यकता है, जिससे भू-जल को वैज्ञानिक और उचित तरीके से काम में लाया जाए। सरकारों, स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के मार्गदर्शन के लिए मैं राष्ट्रव्यापी चर्चा का आमन्त्रण करता हूं ताकि इस बारे में उचित नीतियां और योजनाएं बनाई जाएं।

अन्त में, निष्कर्षत: प्रभावशाली समाधान केवल बढ़िया नीतियों से ही नहीं प्राप्त होते। सबसे महत्त्वपूर्ण है लोगों का दृष्टिकोण और उनकी आदतें। जैसा कि हम करते आए हैं— यदि हम पानी को नि:शुल्क और सस्ता संसाधन मानते रहे, जिसे गंवाया जा सकता है तो बढ़िया से बढ़िया नीतियां और तकनीक भी लाभप्रद नहीं हो सकतीं। बीते हुए समय की तरह हमें उस पवित्रता की भावना को लाना है जो जल और हमारे विपुल जल-स्रोतों के साथ जुड़ी थी।

इससे पूर्व कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मुझे कालिदास रचित *मेघदूत* की कथा याद आती है। इस प्रसिद्ध कृति में बादल शापित यक्ष, जिसे भूलोक में भेजा गया था, उसका संदेश यक्षिणी तक पहुंचाने वाले संदेशवाहक का काम करते हैं। अभी भी हर मानसून के आरम्भ में बादल संदेशवाहक बन जाते हैं। फर्क इतना है कि अब बादल शापित भूलोक पर अपना ही संदेश पहुंचाते हैं। वे हमें यह कहते प्रतीत होते हैं, 'हम— स्वर्ग से अमूल्य अमृत कहलाने वाला जल ला रहे हैं। यह हम भरपूर मात्रा में आपके लिए ला रहे हैं। हमारा आपको संदेश है कि इसका संरक्षण करो, संचय करो अगले वर्ष तक, जब हम फिर से आएंगे। यदि आपने इसे गंवाया तो आप पानी की कमी का शाप अपने ऊपर ले लेंगे।' आइए, हम मेघदूत के संदेश पर ध्यान दें— वर्षा जल का संचयन करें और यह सुनिश्चित करें कि देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस महत्त्वपूर्ण संगोष्ठी का उद्घाटन करता हूं और इसके संयोजकों और प्रतिभागियों की सफलता की कामना करता हूं।

विकास के साथ-साथ प्राकृतिक संतुलन भी जरूरी

कोलडैम जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखने के इस शुभ अवसर पर मुझे आज यहां आकर प्रसन्नता हो रही है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में यह एक अन्य बड़ी उपलब्धि है। जब यह परियोजना पूरी हो जाएगी तो इससे 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों को अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी बल्कि आने वाले दशकों में हमारे देश की बिजली की जरूरतों को पूरा करने में इसका बड़ा योगदान होगा।

भारत में जनशक्ति तथा प्राकृतिक सम्पदा दोनों प्रचुर मात्रा में हैं जिससे यह एक विकसित देश तथा आर्थिक शक्ति के रूप में अपना स्थान बना सकता है। हम अपनी क्षमता तथा संसाधनों का पूरा उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि इक्कीसवीं सदी में एक नए भारत का उदय हो जो स्वावलम्बी हो; जिसके लोग खुशहाल हों तथा समाज में दूर-दूर तक गरीबी न दिखाई दे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का केवल एक ही रास्ता है। और वह रास्ता है तेजी से हो रहे सामाजिक विकास के साथ तीव्र आर्थिक उन्नति का। तीव्र आर्थिक विकास के लिए सबसे जरूरी है बिजली का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन।

पुराने नियमों और कानूनों सहित ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से विकास को बढ़ावा मिलने की बजाय इसमें गतिरोध आया है। यही कारण है कि हमारी बिजली की मांग और उत्पादन में अंतर बना हुआ है। हमने इन अधिकांश प्रतिरोधात्मक नियमों और कानूनों को पहले ही हटा दिया है ताकि निवेशक इसकी ओर अधिक आकर्षित हो सकें और उन्हें मंजूरी मिलने में आसानी हो। वहीं पर हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि बिजली की लागत इतनी हो कि उसे उपभोक्ता वहन कर सकें।

हमने अपने एजेण्डे में दृढ़ता के साथ बिजली उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी है। जब कभी भी मैंने विकास की बात की है, मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि हमारी परियोजनाएं एवं कार्यक्रम, जो विशेषकर आधारभूत संरचना से संबंधित हैं, का स्पष्ट लाभ इन परियोजनाओं के आसपास रहने वाले लोगों को भी उसी प्रकार

कोल जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखने के अवसर पर दिया गया भाषण, सुंदर नगर (हिमाचल प्रदेश), 5 जून 2000

मिले जैसे समग्र रूप से पूरे देश को मिलता है। क्योंकि यदि लोग खुशहाल होते हैं तो देश खुशहाल होगा।

इसमें कोई संदेह नहीं कि कोलडैम परियोजना से खेतों और लघु उद्योगों में खुशहाली आएगी और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। ऐसी ही अन्य परियोजनाओं की भांति कोलडैम परियोजना से हिमाचल प्रदेश में समृद्धि आएगी। इस प्रकार, इससे देश की समृद्धि में भी योगदान मिलेगा।

परन्तु यह खुशहाली हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर और हवा-पानी में असंतुलन की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल विकास नहीं बल्कि स्थायी विकास है।

आज पर्यावरण दिवस है। यह एक ऐसा अवसर है जब हमें यह विचार करना होगा कि हम उसका संरक्षण करने में कितना सफल रहे हैं जो हमें विरासत में प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ हमें इस अवसर पर यह प्रतिज्ञा भी करनी होगी कि सावधानीपूर्वक योजना बनाकर तथा संयमित उपभोग के माध्यम से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें।

प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा प्रदान की है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन, लहलहाते खेत और यहां के फल से लदे बाग-बगीचे प्रकृति के ही उपहार हैं। ये सब जीवन-अस्तित्व के स्रोत हैं। उनसे लाभ कमाएं किन्तु उनका अनुचित दोहन न करें।

आपके सुन्दर प्रांत में, जिसकी ओर मैं बार-बार आकर्षित हो रहा हूं, बर्फ के जल से आप्लावित अनेक बारहमासी नदियां हैं। यहां जल के प्राकृतिक भंडार हैं। जल की यह प्रचुर मात्रा हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन को भारी क्षमता प्रदान करती है। वास्तव में, भारत की जल विद्युत क्षमता का एक चौथाई भाग आपके राज्य में उपलब्ध है। इस क्षमता के उपयोग से जो कि अनुमानतः 21000 मेगावाट से अधिक है, हिमाचल प्रदेश एक निर्धारित समयावधि के पश्चात, बिना किसी पर्यावरणीय असंतुलन के, देश के सर्वाधिक समृद्ध और विकसित राज्यों में से एक राज्य बन सकता है।

इस बात को ध्यान में रखकर ही हमने कोलडैम परियोजना की डिजाइन बनाई है। इस परियोजना से न केवल 800 मेगावाट विद्युत शक्ति का उत्पादन होगा बल्कि ऐसा राज्य के प्राकृतिक संतुलन में किसी व्यवधान और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाएगा।

हाईडल विद्युत के अनेक लाभ हैं - जैसे कि : • सस्ती और प्रदूषण मुक्त विद्युत; • बिजली की बढ़ती कमी को पूरा करने में आसानी; • बार-बार इस्तेमाल करने योग्य ऊर्जा का स्रोत; • पर्यावरण के अनुकूल; • दूर-दराज के क्षेत्रों का विकास; और • आर्थिक उन्नति एवं समृद्धि।

इस अवसर पर हाईडल और अपारम्परिक ऊर्जा के विकास में विविधीकरण के लिए मैं नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन को बधाई देना चाहूंगा जो कोलडैम परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

यह डाइवरसीफिकेशन (विविधीकरण) हमारी सरकार की नई जल विद्युत विकास नीति का अंग है जिसका उद्देश्य नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान विभिन्न हाईडल परियोजनाओं से 9817 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत पैदा करना है। इस नीति से तकनीकी आर्थिक मंजूरी लेने की प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। इसके अलावा इससे 'स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त विद्युत' को भी बढ़ावा मिलेगा।

आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कोलडैम परियोजना जनता के लिए हमारी तरफ से एक उपहार है तथा विश्व के लिए हमारा यह संदेश भी कि - 'भारत सतत् विकास के लिए प्रतिबद्ध है।'

अगले 20 वर्षों में 15 हजार मेगावाट अतिरिक्त जल विद्युत पैदा करने की भावी योजना के लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं। यहां की सरकार ने परियोजनाओं पर कार्रवाई करने तथा उन पर कार्यान्वयन शुरू करने की दिशा में सराहनीय प्रयास किया है।

विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन करते समय एक मुद्दा भूमि के अधिग्रहण का है, जिसे सरकार को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। मुझे मालूम है कि कोलडैम परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में भी कुछ समस्याएं थीं किन्तु मुझे इस बात की खुशी है कि इन समस्याओं को सभी की संतुष्टि से मिल-जुलकर सुलझा लिया गया है।

चूंकि इस राज्य के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और इससे जुड़े कार्यकलापों पर निर्भर करते हैं, अत: स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त विद्युत इन लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगी। अकेले कोलडैम परियोजना से ही हिमाचल प्रदेश को उत्पादित विद्युत में से 12 प्रतिशत बिजली मुफ्त मिलेगी।

लेकिन विद्युत उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है, यदि इसकी अधिकांश मात्रा हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। श्री धूमल के नेतृत्व में सरकार

ने तेजी से विकास के लिए जरूरी साधन, मसलन—राजनैतिक स्थिरता और वित्तीय अनुशासन को पहले हासिल कर लिया है। अब आपको ऐसी इकाइयों की स्थापना के बारे में सोचना होगा जो हिमाचल प्रदेश में मौजूद विशिष्ट परिस्थितियों से लाभ उठाएं। साक्षरता की ऊंची दर तथा सराहनीय सामाजिक प्रयासों के होते हुए ऐसा कोई कारण नहीं कि हिमाचल प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रोनिक्स इकाइयां स्थापित न कर सके।

मैं आपको आश्वासन देता हूं कि केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश के त्वरित सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध करने में पीछे नहीं रहेगी। हमने विशेष परियोजनाओं के लिए सहायता के रूप में पहले ही 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध करा दी है। लोगों की दीर्घकालिक एवं स्थायी समृद्धि के रास्ते में धन की कमी कभी भी बाधा नहीं बनेगी।

संचार प्रणालियों का आधुनिकीकरण

मुझे दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच पावर ग्रिड कार्पोरेशन के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का उद्घाटन करते हुए प्रसन्नता हो रही है। ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइव लाइन स्थितियों में बिछाई गई हैं। यह पहला अवसर है जब इस प्रकार केबल डाली गई हैं। मैं पावर ग्रिड कार्पोरेशन को इस उल्लेखनीय कार्य के लिए बधाई देता हूं।

पावर ग्रिड कार्पोरेशन आज 40,000 सर्किट कि.मी. के अतिरिक्त हाई वोल्टेज नेटवर्क का संचालन कर रहा है। यह 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली का संचरण करता है जो कि पूरे देश के कुल विद्युत उत्पादन का एक तिहाई है। इतने व्यापक और जटिल नेटवर्क के संचालन तथा रख-रखाव के लिए विद्युत क्षेत्र को विद्युत प्रेषण (Load Despatch) तथा संचार के लिए आधुनिक सुविधाओं की जरूरत है। मुझे खुशी है कि पावर ग्रिड कार्पोरेशन ने ऊर्जा प्रबंधन तथा संचार प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए उपाय शुरू किए हैं ताकि भावी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रह सके।

पावर ग्रिड के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के उद्घाटन के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 2 अगस्त 2000

विद्युत और दूरसंचार दो ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जो हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में बहुत महत्व रखते हैं। इन क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिए पिछले दशक में इन्हें विनियंत्रित और उदार बनाया गया है। इस क्षेत्र में हमारा मुख्य ध्येय व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाना तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाना था, जो आज भी जारी है। इससे कम लागत पर बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इसके परिणामस्वरूप आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठ सकेगा।

पिछले दो दशकों में विश्व-भर में बिजली, दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में जबर्दस्त बदलाव आये हैं। इसके साथ-साथ विविध सेवाओं के बीच तालमेल की ओर भी लोगों का ध्यान गया है। प्रौद्योगिकी के नये मोर्चों पर विजय हासिल कर लेनें तथा इससे संबंधित ज्ञान-क्रांति आने से हमें ऐसे लाभ प्राप्त हुए हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसे हम आज उपलब्ध दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता और विविधता के रूप में देख रहे हैं।

वास्तव में, एक दशक पूर्व दूरसंचार की जो परिभाषा थी वह अब पूरी तरह बदल चुकी है। इसने लोगों के सूचना का आदान-प्रदान करने, सोचने, जीने तथा व्यापार करने के तौर-तरीकों को ही बदल दिया। प्रौद्योगिकी और ज्ञान-क्रांति से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न सेवाओं—उदाहरण के लिए, जो विद्युत तथा दूरसंचार नेटवर्क पर आधारित हैं, के बीच तालमेल हेतु सक्रिय रूप से कार्य करना होगा। विश्व-भर में आज बिजली के ऐसे उपकरणों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जिनमें दूरसंचार के क्षेत्र में इस्तेमाल करने की अनुकूल बेहतर सुविधाएं मौजूद हैं। अक्सर बिजली की ऐसी वस्तुएं अतिरिक्त व्यवसाय की दृष्टि से दूरसंचार सुविधाओं का सृजन और वर्धन कर रही हैं। इससे संचार सुविधाओं को व्यापक और लचीला बनाने में मदद मिलेगी।

इसलिए यह उचित होगा कि पावर ग्रिड कार्पोरेशन अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार दूरसंचार के क्षेत्र में विविधता लाने पर विचार करे। सेवाओं के विविध उपयोग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उदाहरण हैं तथा भारत इसमें पीछे नहीं रह सकता। इससे राष्ट्रीय ग्रिड जोकि पावर ग्रिड कार्पोरेशन का प्रमुख उद्देश्य है, के निर्माण में तेजी लाने हेतु अपेक्षित जरूरी धनराशि जुटाने में मदद मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच ऑप्टिकल फाइबर लिंक के प्रथम चरण को राष्ट्र को समर्पित करता हूं।

ग्रामीण विकास से ही देश का विकास

जीवन बीमा निगम का घोष वाक्य है—*योगक्षेम वहाम्यहम्*। आज यह घोष वाक्य सार्थक हो रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं, अभिनन्दन करना चाहता हूं। गुप्ता जी ने कहा कि हमने मुट्ठियां बांध ली हैं, वित्त मंत्री जी ने इसको दोहराया, अब जो बांध लिया है, वह बंधा ही रहना चाहिए। 'बंधी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की'।

यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 'जनश्री बीमा योजना' का शुभारंभ करने के लिए मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। यह सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई सामूहिक बीमा योजना है जिसका संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाएगा। बचत और बीमा के बीच गहरा संबंध है। हमारे समाज में बचत की भावना सैकड़ों सालों से चली आ रही है। जैसे बूंद-बूंद से सागर बनता है उसी तरह हरेक परिवार की बचत से देश एक बड़ी राशि का संग्रह करने में सफल हुआ है। इस कार्य में जीवन बीमा निगम की अहम भूमिका रही है। इससे आम आदमी को बीमा की सुविधा मिली है और देश को अलग-अलग विकास योजनाओं को चलाने के लिए पूंजी प्राप्त हुई है।

जीवन बीमा निगम ने अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए ऐसे असंख्य लोगों को अपने दायरे में लिया है जो बीमा की किश्तों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं होते। निवेश और जीवन बीमा के विस्तार के संबंध में जीवन बीमा निगम द्वारा किए जा रहे प्रयास सरकार तथा जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं तथा इस पर उनका विश्वास जमा है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि जीवन बीमा निगम ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कारोबार पर विशेष जोर देता आ रहा है। पिछले वर्ष जीवन बीमा निगम की लगभग 55% नई पॉलिसियां ग्रामीण क्षेत्रों से आई हैं। यहां तक कि जीवन बीमा निगम की ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबार की वृद्धि-दर शहरी क्षेत्रों में उसके कारोबार की वृद्धि-दर से काफी अधिक है। देश का भविष्य तभी संवर सकता है जब हमारे देहात का विकास हो, जहां अभी भी हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बसता है। मुझे विश्वास है कि 'जनश्री बीमा योजना' से जीवन बीमा निगम को ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कारोबार और अधिक बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जनश्री बीमा योजना का शुभारंभ करने के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 10 अगस्त 2000

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि भूमिहीन कृषि श्रमिक सामूहिक बीमा योजना, जिसने 1.2 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया है, शायद विश्व में सबसे बड़ी बीमा योजना है। जीवन बीमा निगम दूसरी योजना भी चलाता है जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को जीवन बीमा उपलब्ध कराती है। इस योजना में अब तक 2 करोड़ से अधिक परिवारों को शामिल किया जा चुका है।

परन्तु हमारे लिए अधिक चिंता का विषय यह है कि जिन लोगों को बीमा की जरूरत होती है उनमें से अधिकांश वे लोग हैं जो इसकी किश्तों का भुगतान कर पाने की स्थिति में नहीं होते। इसी चिंता के कारण हमने 'जनश्री बीमा योजना' शुरू करने का निर्णय लिया। यह योजना निश्चित रूप से उन लोगों के घरों में सुरक्षा का प्रकाश फैलायेगी जो गरीबी की रेखा से नीचे या इससे थोड़ा ऊपर जीवन-यापन कर रहे हैं और जिन्हें अपने आश्रितों के भविष्य में किसी भी बीमा की नितान्त जरूरत है।

आज के समय में किसी ऐसी बीमा योजना की इतनी जरूरत पहले कभी नहीं थी जो विशेष रूप से गरीबों को लक्ष्य करके बनाई गई हो। संयुक्त परिवार पद्धति तथा इससे जुड़ी प्रथाओं के टूटने के कारण अनपेक्षित जरूरतों को पूरा करने हेतु बीमा योजना की जरूरत अब पहले से कहीं अधिक हो गई है। नई 'जनश्री बीमा योजना' इस जरूरत को पूरा करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भुगतान की जाने वाली किश्त 8 रुपये प्रतिमाह होने से गरीब से गरीब व्यक्ति भी दे सकता है।

मैं विभिन्न क्लबों और स्वयंसेवी संगठनों जैसी गैर-सरकारी संस्थाओं, पंचायतों तथा अन्य संस्थाओं, जो दलितों तथा उपेक्षित लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है, का आह्वान करता हूं कि वे इस योजना को बढ़ावा देने के लिए आगे आयें और अपना सहयोग दें। विशेषकर महिला संगठनों द्वारा लाभभोगियों को बचत की आदत डालने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि किश्त का भुगतान न करने के कारण उनकी पॉलिसियां समाप्त न हों।

मित्रो, बीमा क्षेत्र में सुधार लाने के संबंध में व्यापक चर्चा चल रही है। नई भारतीय बीमा कम्पनियों को जल्दी ही बाजार में उतरने तथा विद्यमान कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने की अनुमति दे दी जाएगी। तथापि, विद्यमान कम्पनियों के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। मैं चाहूंगा कि सभी बीमा कम्पनियां समाज के हर वर्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शायें।

मुझे यह बताया गया है कि 'जनश्री बीमा योजना' के तहत यथासमय लगभग 6 करोड़ लोगों को शामिल किये जाने की संभावना है। मुझे पूरा विश्वास है कि

भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना को इस ढंग से संचालित करेगा कि इसके लाभ संबंधित लोगों को यथाशीघ्र पहुंच सकें। मुझे इस योजना का शुभारम्भ करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है और मैं इसे देश के लोगों को समर्पित करता हूं।

लघु उद्योग क्षेत्र में नियमित वृद्धि

मुझे आज यहां आपके बीच उपस्थित होकर बेहद खुशी हो रही है। दो वर्ष पहले, लघु उद्योग भारती ने मुझे इसी सभागार में अपने सम्मेलन में आमंत्रित किया था। तब लघु उद्योग को मजबूत करने के लिए कई कदम सुझाए गए थे।

इन दो वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र को मजबूत करने तथा आपसी चिंताओं को खत्म करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसमें लघु उद्योगों के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया जाना और निवेश सीमा तीन करोड़ रुपये से एक करोड़ रुपये किया जाना भी शामिल है।

मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लघु उद्योग क्षेत्र ने अपने प्रदर्शन में सुधार करके हमारे प्रयासों को फलीभूत कर दिया है। आपके द्वारा दर्ज कराई गई वृद्धि दर, संपूर्ण उद्योग क्षेत्र की तुलना में ज्यादा है।

यह तथ्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि लघु उद्योग क्षेत्र ने रोजगार उपलब्ध कराने में नियमित वृद्धि दर्ज कराई है। निश्चित तौर पर, यह क्षेत्र रोजगार के अवसर बढ़ाने में लगातार आगे बना हुआ है।

जैसा कि आप जानते हैं, लघु उद्योग क्षेत्र को मजबूत करने संबंधी सुझाव देने के लिए कैबिनेट द्वारा श्री लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था।

मुझे, आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कई उपायों पर अमल करने का फैसला किया है, जो लघु उद्योग क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करेंगे। ये हैं :

लघु उद्योगों पर सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर दिया गया भाषण; नई दिल्ली, 30 अगस्त 2000

- ऋण उपलब्धता के उपाय पर्याप्त न होने से लघु उद्योग क्षेत्र को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए, हमने संयोजित ऋण सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का फैसला किया है। उद्यमी अब सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी एक ही एजेंसी से हासिल कर सकेंगे।

- अधिकतम 10 लाख रुपयों के निवेश के साथ उद्योग संबद्ध सेवा तथा व्यावसायिक उद्यमों को ऋण देने में प्राथमिकता दी जाएगी। ये सेवाएं लघु उद्योग क्षेत्र की उपयुक्त कार्यशीलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सेवाएं ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराती हैं।

- प्रौद्योगिकी उन्नतिशीलता की तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार को चुनिंदा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में निवेश पर 12 फीसदी की बड़ी सब्सिडी की घोषणा करके बेहद खुशी हो रही है। क्षेत्रीय प्राथमिकताएं तथा प्रौद्योगिकी उन्नतिकरण की संभावनाएं निर्धारित करने के लिए हम विशेषज्ञों की एक अंतर-मंत्रि स्तरीय समिति गठित करेंगे।

- सरकार इस शिकायत से अवगत है कि तमाम एजेंसियों द्वारा बार-बार निरीक्षण किया जाना, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए परेशानी का कारण है। निरीक्षण को सरल व कारगर बनाने के संबंध में, तीन माह के अंदर, सिफारिशें देने के लिए हम एक समूह का गठन करेंगे। इसमें इस क्षेत्र में लागू वे नियम व कानून खत्म किया जाना भी शामिल है, जो निरर्थक हो चुके हैं। मैं आपसे इस संबंध में अपने सुझाव लघु उद्योग मंत्रालय को सौंपने का अनुरोध करता हूं।

- लघु उद्योगों के बारे में अंतिम गणना 12 साल पहले कराई गई थी। प्रभावी नीति-निर्माण तथा क्रियान्वयन के लिए हमें अपने आंकड़े उद्यतन करने की जरूरत है। इसलिए, हमने ताजा गणना कराने का फैसला किया है, जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ कमजोरी आने तथा उसके कारणों का पता लगाया जाएगा। मैं उद्योग संघों से अनुरोध करता हूं कि वे गणना अधिकारियों के साथ सहयोग करें, ताकि सही तस्वीर सामने आ सके।

मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा लघु उद्योग इकाइयां आई एस ओ 9000 प्रमाणन चाहती हैं। सकल गुणवत्ता प्रबंधन को प्रोत्साहन के लिए हमने आई एस ओ 9000 प्रमाणन प्राप्त करने वाली प्रत्येक इकाई को 75,000 रुपये का अनुदान अगले छह वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है।

वृद्धि-दर ने हमें विश्व की दस तेजी से उभर रही अर्थ-व्यवस्थाओं में एक बना दिया। हमारी अर्थ-व्यवस्था का वृहत आधार अपेक्षाकृत मजबूत है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वित्तीय पक्ष पर दबाव है।

तेल की कीमतों में भारी वृद्धि ने भी हमारी चिंताएं बढ़ा दी हैं। तेल की कीमतों के कारण उत्पन्न स्थिति पर लगातार नजर रखे जाने की आवश्यकता है। बहरहाल, यह एक संतोष की बात है कि इस अवधि में गरीबी घटी है, हालांकि उतनी नहीं जितनी हम चाहते हैं।

और अभी हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे विचारणीय हैं। हमने वृद्धि तथा गरीबी उन्मूलन की जो उपलब्धि हासिल की है वह प्रशंसनीय है, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे लोगों, खासकर श्रम शक्ति के नए प्रतिस्पर्द्धियों, की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें और तेजी से आगे बढ़ना होगा।

एक ऐसे समाज का निर्माण किए जाने की जरूरत है जो हमारे लोगों के सभी वर्गों के लिए विकास व वृद्धि के अवसर मुहैया कराए। यह अत्यावश्यक हो गया है, क्योंकि दुनिया में वैश्वीकरण एक वास्तविकता बन चुका है और हमारे सामने अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा की चुनौती है।

योजना आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, नई दिल्ली, 30 सितंबर 2000

हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जहां विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी एक प्रमुख शक्ति है। कोई भी समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक वह प्रौद्योगिकी विकास में पूरी दुनिया के साथ नहीं चले। यही विकास हमारी कई समस्याओं के समाधान की कुंजी है। इनकी सीमा खाद्य सुरक्षा व कृषि आधुनिकीकरण से लेकर स्वास्थ्य रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, निर्यात बाजार पर लक्ष्य केंद्रित करने तक है।

भारत में आधुनिक प्रौद्योगिकी को ग्राह्य करने के साथ-साथ निश्चित तौर पर उसके विकास में योगदान देने की भी अद्वितीय क्षमता है। वहीं, हमारी कुल जनसंख्या में 40% अब भी अशिक्षित हैं और महिलाएं व लड़कियों के मामले में तो यह दर और भी ज्यादा है। हमें इस क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को सुधारने को शीर्ष प्राथमिकता देनी चाहिए।

नियमित वृद्धि का आधार प्रदान करने में सक्षम ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है।

चाहे हम बिजली की बात करें अथवा सड़क, रेलवे या दूरसंचार की, भारत के ढांचे को विकासशील देशों के ही मानकों के अनुरूप बनाने के लिए भी तमाम परिवर्तनों की आवश्यकता है।

आयोग द्वारा की गई मध्यावधि समीक्षा में इन समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इसमें हमारे मौजूदा कार्यक्रमों की खामियों की भी निष्पक्ष पड़ताल की गई है और यह संकेत भी दिया गया है कि भविष्य में किन नीतियों में परिवर्तन जरूरी होगा। नौवीं योजना पूरी होने में मात्र डेढ़ साल का समय बचा है। हमें इस अवधि में नौवीं योजना के लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक सही कदम उठाने के लिए अपने प्रयास तेज करने होंगे।

सबसे जरूरी है, हम इस दस्तावेज में दर्शाए गए मुद्दों पर चिंतन करें ताकि हमारी नीतियों का आधारभूत पुनर्गठन हो सके। यह दसवीं योजना अवधि में तीव्र प्रगति के लिए भी आवश्यक है, जो कि अब शुरू ही होने वाली है।

मैं चाहूंगा कि आयोग हमारा वृद्धि लक्ष्य नौवीं योजना के 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर दसवीं योजना में 9 प्रतिशत करने की संभावनाओं का पता लगाए। मेरी दृष्टि में, यह भी हमारे समाज में व्यक्त की गई आकांक्षाओं से कम है। यद्यपि शुरूआत के तौर पर, हमें दसवीं योजना में 9 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए न्यूनतम आवश्यक नीतियां निर्धारित करनी चाहिए।

यह तभी संभव है जब हम मौजूदा नीतियों में दूरगामी परिवर्तनों के साथ कुछ कठोर कदम उठा सकें। यही समय है कि इन मुद्दों को कारगर ढंग से हल किया जाए और केंद्र तथा राज्य सरकारें यह स्पष्ट करें कि उनके संबद्ध क्षेत्रों में क्या किए जाने की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में, हमारे समक्ष मौजूद योजना आयोग के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। पूर्व के वर्षों की तुलना में योजना की भूमिका अब निश्चित तौर पर काफी बदल चुकी है।

आर्थिक परिदृश्य में निजी क्षेत्र की भूमिका बेहद बढ़ गई है और उच्च वृद्धि हासिल करने की ज्यादातर संभावनाएं प्रतिस्पर्द्धी बाजार अर्थ-व्यवस्था के ढांचे में काम कर रहे उद्योग व कृषि दोनों में निजी क्षेत्र के प्रयासों पर निर्भर है। यद्यपि, इसका मतलब यह नहीं है कि इस संबंध में योजना की कोई उपयोगिता ही नहीं है।

नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था से पीछे हटने से सार्वजनिक क्षेत्र को पूरा महत्व मिला है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार संतुलित विकास सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी से मुकर सकती है। सरकार की भूमिका अब भी पूरी तरह महत्वपूर्ण है लेकिन कुछ अलग संदर्भों में। इसे ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए कि निजी क्षेत्र अपनी अपेक्षित भूमिका निभा सकें।

एक बाजार आधारित अर्थ-व्यवस्था में सरकार की भूमिका सुगमता प्रदान करने के लिए काफी बढ़ गई है। यह एक नियामक, मूलभूत सामाजिक व आर्थिक ढांचा प्रबंधक तथा गरीबी उन्मूलन के पीछे काम करने वाली ताकत है।

योजना को केवल बजटीय आवंटन की जिम्मेदारी लेने से आगे बढ़कर उत्पादनकारी माहौल तैयार करने की दृष्टि से नीति सामंजस्य सुनिश्चित करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यत: निवेश योजना उन्मुख रहने के बजाय इस ओर बढ़ने पर आयोग नीति संबंधी विकल्पों तथा मुद्दों के स्वनिर्धारण की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेगा।

आज के परिदृश्य में योजना आयोग को सरकार के लिए एक 'विचारक' के तौर पर भी काम करना चाहिए।

मैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा अधिकारियों का संस्थागत संशोधनों का बीड़ा उठाने की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए अभिनंदन करता हूं। ये परिवर्तन केवल तभी सार्थक हो सकते हैं जब सरकार के अन्य अंग भी योजना की सलाह लेने तथा उन्हें स्वीकार करने में उत्सुकता दिखाएं।

पेट्रो-रसायन उद्योग में साझेदारी

रसायन, पेट्रो-रसायन तथा औषधियों पर इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आपके साथ होना एक बेहद खुशी की बात है।

इन क्षेत्रों ने एक-साथ मिलकर हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में अहम स्थान बना लिया है। ये दवाओं से लेकर रसायन तक कई जन उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यह तथ्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि ये क्षेत्र हमारे औद्योगिक उत्पादन में व्यापक योगदान देते हैं। इसीलिए, सरकार इन क्षेत्रों को देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला करार देती है।

भारतीय रसायन उद्योग में पिछले दो दशकों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता को भी बरकरार रखा गया है। भारतीय रसायन उत्पाद आज विश्व बाजार में उत्कृष्ट उत्पादों के ही समकक्ष हैं।

निश्चय ही, यह बेहद संतोष की बात है कि हमारे रसायन उत्पाद कई विकसित देशों को निर्यात हो रहे हैं। इसके लिए उत्पाद तथा प्रक्रियागत विकास में उत्कृष्टता हासिल करने वालों की प्रशंसा की जानी चाहिए।

यह उपयुक्त ही है कि भारत इस क्षेत्र में अपनी ताकत व क्षमताओं का प्रदर्शन करे। इस प्रदर्शनी ने हमें इसी का मौका दिया है।

प्रतिभाशाली व कुशल पेशेवरों की व्यापक संख्या के साथ भारत पेट्रो-रसायन व औषधि जैसे अनुभव-आधारित उद्योगों में अग्रणी बनने की आकांक्षा रखता है। साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय 'आर एंड डी' केंद्र के रूप में भी उभरना चाहता है।

यह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन हमें रणनीतिक साझेदारी का अवसर प्रदान करेगी, जो हमारी इन दोनों आकांक्षाओं को पूरा करने में मददगार साबित होगी। ऐसे समय में जबकि विश्व अर्थ-व्यवस्था धीरे-धीरे एकीकृत होती जा रही है, यह भागीदारी भारत के अन्य देशों के साथ सहयोग को भी बढ़ावा देगी।

इसके पूरे संकेत हैं कि आने वाले वर्षों में भारत में पेट्रो-रसायन उद्योग में काफी वृद्धि होगी। यह निष्कर्ष इन तथ्यों से निकला है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक

अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 'इंडिया केम् 2000' के उद्घाटन के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2000

व सिंथेटिक फाइबर की खपत प्रति वर्ष 15 फीसदी बढ़ती जा रही है और भारत रिकार्ड समय में विश्व-स्तर की परियोजनाएं स्थापित करने में सक्षम है।

यही वजह है कि यह क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा संयुक्त उपक्रम के लिए आकर्षक लक्ष्य बन गया है।

इसी तरह, भारतीय औषधि उद्योग में भी असीम क्षमताएं हैं। जीवन स्तर में सुधार के साथ ही क्रय शक्ति भी बढ़ रही है, जिससे औषधीय उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है।

इसके अलावा, भारत में विश्व स्तर की उत्पादन व प्रयोगशाला सेवाएं भी उपलब्ध हैं। भारत में नई दवा के विकास पर आने वाली लागत विकसित देशों की तुलना में दसवां हिस्सा ही होती है। इसी कारण, उत्पादन व अनुसंधान की दृष्टि से यह क्षेत्र भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक प्रमुख लक्ष्य है।

मित्रो, मानव जीनोम के सफल मानचित्रण ने अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए, हमें औषधि उद्योग में अनुसंधान व विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमताओं का भी पूरा उपयोग करना होगा।

''इंडिया केम् 2000'' अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में भाषण करते हुए प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, नई दिल्ली, 5 अक्तूबर 2000

अगर हम अपनी क्षमताओं व कुशलता का पूरा उपयोग कर पाएं, तो भारत डिजिटल मेडिसन में प्रमुख प्रतिस्पर्द्धी बन सकता है। हम जो परिवर्तन देख रहे हैं, उसमें अग्रणी बनकर रहना चाहिए।

सरकार इसे संभव बनाने के लिए हरसंभव उपाय करेगी। हमने औषधीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1.5 अरब रुपये का कोष बनाया है। यह केवल एक शुरूआत है, लेकिन इससे स्पष्ट है कि हम अनुसंधान एवं विकास को कितना महत्व देते हैं।

मैंने तीव्र वृद्धि को प्रोत्साहन पर सुझाव देने के लिए ढांचागत, अनुभव आधारित उद्योगों, वित्त तथा अन्य क्षेत्रों में कार्य-बलों का गठन किया है। इन कार्य-बलों की रिपोर्टों का उपयोग नीतियों में आवश्यक बदलाव तथा और सुधार लागू करने के लिए किया जाएगा, ताकि हमारे प्रतिभासम्पन्न लोगों की राह में कोई बाधा न आए।

मित्रो, यह काफी खुशी की बात है कि रसायन उद्योग में विश्व अग्रणी अमेरिका, इस उद्यम में भारत सरकार तथा फिक्की का सहयोगी है। यह, और इस प्रदर्शनी में अमेरिकी कंपनियों की भागीदारी, नई सदी में भारत-अमेरिका सहयोग का एक उदाहरण है।

गुजरात, जो इस कार्यक्रम में भागीदार राज्य है, में रसायन, पेट्रो-रसायन व फार्मास्युटिकल यूनिटें सबसे ज्यादा हैं। इस राज्य ने रसायन उद्योग के लिए ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने में प्रशंसनीय कार्य किया है, खासकर पर्यावरण प्रबंधन व प्रदूषण नियंत्रण में।

इसी तरह, अमेरिका की ओर से 'इंडिया-केम 2000' में न्यू जर्सी का सहयोगी-राज्य होना पूरी तरह उपयुक्त है। न्यू जर्सी बड़ी संख्या में रसायन व फार्मास्युटिकल कंपनियों का केंद्र है। मुझे उम्मीद है कि इनमें से कई भारतीय कंपनियों के साथ दीर्घकालिक कार्य संबंधों के लिए आगे आएंगी।

मैं तमाम भारतीय व विदेश कंपनियों का 'इंडिया केम-2000' में भाग लेने का फैसला करने के लिए अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि प्रदर्शनी के भागीदारों तथा आगंतुकों के लिए यह एक उपयोगी और लाभप्रद अवसर साबित होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं 'इंडिया केम-2000' का उद्घाटन करता हूं।

सबके लिए ऊर्जा

ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं की इस प्रतिष्ठित सभा में उपस्थित होने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आप में से कई विश्व ऊर्जा परिषद की कार्यकारिणी बैठक में भाग लेने के लिए विश्व के विभिन्न हिस्सों से यहां पधारे हैं। एक उभरते आर्थिक शक्ति पुंज के रूप में भारत को इस सदी में कार्यकारिणी के प्रथम अधिवेशन की मेजबानी करने में प्रसन्नता हो रही है। दुनिया दिनोंदिन प्रौद्योगिकी प्रेरित होती जा रही है। वैज्ञानिक ज्ञान की नई सीमाओं को जीतने के अपने प्रयास में मनुष्य उन माध्यमों को अपना रहा है जो प्रौद्योगिकी आधारित है। इस सभी में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण कारक है। वास्तव में आज विकास के स्तर तय करने में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत को व्यक्ति, समाज और देश के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति का पैमाना समझा जाता है।

विश्व-भर में सभी देशों में विकास के समान लाभ पहुंचाने के लिए यह जरूरी है कि सभी की ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच और ऊर्जा की उपलब्धता की गारंटी हो। लेकिन दुनिया की आधी जनसंख्या के दो डालर प्रतिदिन और एक तिहाई के एक डालर प्रतिदिन से भी कम पर जीवनयापन करने के साथ-साथ कई विकासशील देशों में ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच और उनकी उपलब्धता अभी भी एक धोखा बनी हुई है।

इस बात से स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाती है कि विकासशील देशों में गांवों में रहने वाली अधिकांश जनसंख्या आज भी पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर है। इससे आदमी की बुनियादी जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं लेकिन इससे गरीबों और हाशिये पर मौजूद लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरता। इसलिए देशों में और देशों के बीच समान रूप से विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें ऊर्जा स्रोतों तक समानतापूर्ण और निरंतर पहुंच और उनकी उपलब्धता की दिशा में काम करना होगा।

वैश्वीकरण के युग में यह असंभव नहीं होना चाहिए। दरअसल वैश्वीकरण से विकसित और विकासशील देशों को ऊर्जा के क्षेत्र में साथ-साथ काम करने से असीम संभावनाएं उपलब्ध होती हैं जो उनके परस्पर हित में होती हैं। विकसित देशों की प्रौद्योगिकी, वित्तीय संसाधनों और विशेषज्ञता तक पहुंच और विकासशील देशों में ही ऊर्जा स्रोतों के लिए फैलता बाजार मौजूद है। ऐसी स्थिति में विश्व ऊर्जा परिषद

विश्व ऊर्जा परिषद की कार्यकारी सभा में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 22 नवंबर 2000

विकासशील और विकसित देशों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण से उद्योग चलाने, आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करने और बढ़ती हुई घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है। इसको देखते हुए ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी की जरूरत और भी बढ़ गई है। हमें विश्वास है कि हमारे प्रयासों से भारत के ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने के लिए भागीदारी बढ़ेगी और व्यापक स्तर पर सहयोग बढ़ेगा।

मित्रो, ऊर्जा के पर्याप्त, समतापूर्ण तथा निरंतर विकास के लिए हमें सामूहिक प्रयासों के उन सिद्धांतों पर जोर देना होगा जिनकी चर्चा पर्यावरण और विकास संबंधी रियो घोषणा 1992 में आम सहमति से की गई थी। घोषणा का पहला सिद्धांत कहता है कि निरंतर विकास के लिए सरोकारों के केन्द्र में मनुष्य होता है। यही चिंता विश्वव्यापी, राष्ट्रीय या निगमित हर तरह के व्यापार के मूल में होती है।

इस संदर्भ में देखने पर दो साल पहले ह्यूस्टन में सत्रहवीं विश्व कांग्रेस में विश्व ऊर्जा परिषद का यह निष्कर्ष सही था कि सबके लिए निरंतर ऊर्जा के विकास के लिए निरंतर विकास की पहली प्राथमिकता यह है कि उन दो अरब लोगों को व्यावसायिक ऊर्जा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं जिन्हें ये उपलब्ध नहीं हैं। और उन लगभग दो अरब लोगों को भी जिनके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि वे अगले दो दशकों में इस दुनिया में आ जायेंगे। अगले दो दशकों में इन चार अरब लोगों की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सफलता को ऊर्जा के विकास के हमारे विश्वव्यापी सामूहिक प्रयासों की निरंतरता की पहली कसौटी माना जाना चाहिए। विकसित और विकासशील दोनों ही के लिए इक्कीसवीं सदी में पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ व्यवस्था स्थापित करने का यह एक अवसर भी है और चुनौती भी।

रियो घोषणा में आगे कहा गया है—'सभी राष्ट्र और सभी लोग गरीबी दूर करने के अनिवार्य कार्य में सहयोग करेंगे जो निरंतर विकास की एक अपरिहार्य जरूरत है। इससे जीवन स्तर की विषमताएं घटेंगी और विश्व के अधिकांश लोगों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा। विकासशील देशों, विशेषकर सबसे कम विकसित और पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अधिक नाजुक देशों की विशेष स्थिति और जरूरतों को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।' इसलिए एजेंडा चाहे विश्वव्यापी स्तर का हो, राष्ट्रीय हो या फिर निगमित, उसे बनाते समय उन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिये जिन्हें विकास का 'विश्व नैतिक मापदंड' कहा जाता है।

मित्रो, इक्कीसवीं शताब्दी में ऊर्जा के जन-केन्द्रित लक्ष्य ऊर्जा व्यापार के लिए मूलभूत होने चाहिये। इसके लिए सुधारों को बढ़ावा देने, आधारभूत संरचना को मजबूत

बनाने, प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने और नई प्रोद्यौगिकियों की शुरूआत करने तथा पर्यावरण तथा विभिन्न अर्थ-व्यवस्थाओं के विकास संबंधी सरोकारों को संतुलित करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और विश्वव्यापी नीतिगत पहल करनी होगी। दुनिया-भर में ऊर्जा से संबंधित सरोकार प्राथमिकता की दृष्टि से अलग-अलग हैं। विकसित देश जहां ऊर्जा संबंधी चिंताओं के पर्यावरण प्रभावों को लेकर चिंतित हैं, वहीं दूसरी ओर विकासशील देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह सुनिश्चित किया जाये कि उनके लोगों की अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए ऊर्जा आपूर्ति सहित न्यूनतम बुनियादी साधनों तक पहुंच हो।

विश्व ऊर्जा परिषद जैसी विश्व एजेंसी की भूमिका, विकसित और विकासशील देशों की प्राथमिकताओं में एकरूपता और समन्वय बढ़ावा देने की है। मुझे विश्वास है कि विश्व ऊर्जा परिषद विकासशील देशों को ऊर्जा क्षेत्र को संवारने में रचनात्मक भूमिका निबाहेगी जिससे कि ऊर्जा स्रोतों तक इन देशों के अधिक तथा समानतापूर्ण पहुंच हो सके और समानता पर आधारित विकास में मदद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्व ऊर्जा परिषद की कार्यकारिणी के इस सत्र का उद्घाटन करता हूं।

वैश्वीकरण का अधिकतम लाभ

विश्व आर्थिक मंच और भारतीय उद्योग संगठन द्वारा आयोजित 'भारतोय आर्थिक शिखर सम्मेलन' ने हमारी राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया व आर्थिक नीतियों के ज्ञान को बढ़ाने में सहयोग दिया है। इससे विदेशी निवेशक भारत में व्यापार-अवसरों की क्षमता का अनुमान लगाने में समर्थ हो सके हैं। अभी तक हुए पन्द्रह आर्थिक शिखर सम्मेलनों ने सरकार-व्यापार के बीच विचार-विमर्श तथा संबंधों के नेटवर्क को बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे संबंध आपसी समझ और व्यापार व लागत को बढ़ाने की ओर ले जाते हैं।

मैं आपके समक्ष लगातार तीसरे वर्ष बोल रहा हूं। इस थोड़े समय में आपने मेरी सरकार द्वारा भारत को विश्व-स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने वाली नीतियों का अनुसरण कर भारत को विश्व समुदाय के साथ जुड़ते हुए भी देखा होगा। इस शिखर सम्मेलन

भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में भाषण, नई दिल्ली, 26 नवंबर 2000

के साथ जुड़ने की भागीदारी भी देखी होगी। इस शिखर सम्मेलन के दौरान मेरे मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी आपके सामने व्याख्यान देंगे। वे हमारी क्षेत्रीय नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा आपके सामने रखेंगे। हम जिस दिशा में जा रहे हैं, उस पर कुछ टिप्पणी करने तक ही मैं अपने को सीमित रखूंगा। यह हाल ही के अनुभवों के आधार पर विश्व एकीकरण पर कुछ मन्तव्य प्रकट करना भी है।

वैश्वीकरण की अनिवार्यता सभी को मान्य है। यद्यपि, पिछले एक साल से वैश्वीकरण प्रक्रिया के बारे में भ्रांतियां अधिक से अधिक मुखरित हो रही हैं। यह सीटल, प्राग, बैंकाक, मेलबॉर्न और यहां तक कि देवोस में बढ़ते हुए जोरदार विरोधों से स्पष्ट है। क्या ये विरोधकर्ता भ्रामक व्यक्तियों का समूह हैं ? ये किसके विरुद्ध विरोध प्रकट कर रहे हैं ? कुछ इश्तहारधारी कटुतापूर्वक टिप्पणी कर रहे थे कि वे हर चीज के विरुद्ध हैं। लेंकिन, इस प्रतिरोध का गम्भीर अवलोकन यह दर्शाता है कि हम इस तथ्य को नजरअन्दाज नहीं कर सकते कि विश्व में इस संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं, अनेक आशंकाएं हैं।

यदि यह अपने आप में इतना स्पष्ट है कि वैश्वीकरण से अवसरों में वृद्धि होती है, विकास और वास्तविक आय बढ़ती है तो फिर इसे विश्व स्तर पर स्वीकार क्यों नहीं किया जाता ? क्या यह संप्रेषण की असफलता है? क्या यह केवल छवि की समस्या है? क्या यह इसलिए है कि सरकारें विकास को सबसे निचले स्तर के लोगों तक पहुंचाने को सुरक्षित करने में अयोग्य रहीं? या क्या यह इसलिए है कि वैश्वीकरण को अभिजात वर्ग द्वारा संचालित माना जा रहा है जिसके लाभ बड़े-बड़े निकायों को मिल रहे हैं जबकि करोड़ों गरीबों और उपेक्षित लोगों को इन लाभों से दूर रखा जा रहा है? अकेले भारत में इन लोगों की संख्या करीब तीस करोड़ है।

हमें इन प्रश्नों पर विचार करना होगा और स्वीकार करने योग्य तथा विश्वस्तरीय उत्तरों को देना होगा। इन उत्तरों की प्रभावशीलता आंशिक रूप से इस बात को स्वीकार करने में निहित है कि जब वैश्वीकरण से असीमित अवसर मिलते हैं तो ये अवसर उत्तरदायित्वों के साथ-साथ चलें। विश्व स्तर के कारोबारी होने का विशेषाधिकार इस उत्तरदायित्व से भी बराबरी करे कि इस प्रक्रिया को सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कराया जाए।

हम भारत में इस बात के प्रति सचेत हैं कि प्रौद्योगिकी और वैश्वींकरण द्वारा लाए गए तीव्र परिवर्तनों को सावधानी व चौकसी से लागू किया जाए। हमें इन लाभों को पूरी जनता तक फैलाना है और परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रबन्ध संवेदनशीलता के साथ करना है। यह सरकार का एक उत्तरदायित्व है।

व्यापार अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व को किस तरह का समझता है? उद्योग के उत्तरदायित्व और दिलचस्पियां क्या होनी चाहिए? पिछले तीन सालों से सरकार और उद्योग के मध्य न केवल आर्थिक क्षेत्र में, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ी है। इस भागीदारी को मजबूत करके और भी ज्यादा परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। आज इस आर्थिक शिखर सम्मेलन में, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय व भारतीय व्यापार के प्रमुख लोगों को इकट्ठा कर दिया है, मैं उनके साथ उन कुछ विचारों को बांटना चाहूंगा जो उद्योगों के उत्तरदायित्व हो सकते हैं।

- पहला और सबसे महत्वपूर्ण दायित्व यह कि चाहे वह व्यापार हो या उद्योग और विशेष तौर पर विदेशी निवेशकों का समाज, इन सबको भारत के प्रति लम्बी अवधि की प्रतिबद्धता रखनी होगी। यही एकमात्र रास्ता है जो विश्वास और स्थिर संबंधों को बना सकता है।

- दूसरा, जब सरकार भविष्य के विचार को ध्यान में रखते हुए कम्पनी एक्ट व प्रतिस्पर्धा कानून बना रही है तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप उपभोक्ता के हित में स्वतंत्र व न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा के प्रति दृढ़ता से स्थिर रहें। आइए, हम एकाधिकारों और इकरारनामों के रास्ते पर न चलें जो अनेकों के शोषण से कुछ को ही लाभ पहुंचाते हैं।

- तीसरा, आज का भारत चाहता है कि निकाय क्षेत्र अपने निकाय नियंत्रण के उच्च मानकों को लागू करें। प्रत्येक भारतीय व विदेशी कम्पनी का यह कर्त्तव्य है कि वह पारदर्शी बने, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार केन्द्र व राज्य सरकारें नीतियां बनाने में पारदर्शिता को सुरक्षित करने का प्रयास कर रही हैं। यह एक ऐसा विचार है जो छोटे निवेशकों, छोटे शेयर धारकों व निवेश करने वाली जनता से संबंध रखता है। निकाय नियंत्रण के उच्च मानक निजी क्षेत्र में जनता के विश्वास को बढ़ाएंगे।

- चौथा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मानव संसाधन विकास में ज्यादा से ज्यादा धन लगाएं। यह भविष्य में आपके कर्मचारियों व उनके परिवारों के शिक्षण-प्रशिक्षण व पुन: प्रशिक्षण में धन तथा समय लगाने में लाभदायक होगा। यह उनको उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा जो निश्चित रूप से वैश्वीकरण द्वारा लाई जाएंगी।

- पांचवां, इस बात को याद रखें कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन लाती है। यदि आपने अनुसन्धान व विकास, नवीन परिवर्तन व प्रौद्योगिकी निर्माण पर ध्यान केन्द्रित

किया तो भारत की उच्चतम वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक व इंजीनियरिंग मेधाओं द्वारा यह सबको लाभ पहुंचाएगी।

- छठा, भारत को केवल लाभ के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का बड़ा उद्‌गम स्थान ही न समझें। हमारी उत्पादन की दृढ़ परम्पराएं हैं जो आगे भी रहेंगी। भारत केवल सूचना प्रौद्योगिकी की ही धुरी नहीं वरन् उत्पादन की धुरी भी बनना चाहता है।
- सातवां, पर्यावरण विषयों के प्रति संवेदनशील रहें। प्रदूषण नियंत्रण व पारिस्थितिक प्रबन्ध के उच्च मानकों पर जोर दीजिए।
- आठवां, ग्रामीण क्षेत्र की ओर ध्यान देने का कारण केवल यही नहीं है कि यह विशाल है बल्कि इसका कारण यह है कि इसकी जरूरतों को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। वैश्वीकरण के लाभों को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं चाहिए।
- अन्त में, एक अरब की जनसंख्या वाले देश में कोई भी सरकार बिना चारों ओर के सहयोग के अकेले ही प्रत्येक परिवार को शिक्षा व स्वास्थ्य-देखभाल की सुविधाओं को देने की विशाल चुनौती का सामना नहीं कर सकती।

क्या भारतीय उद्योग संगठन के चार हजार सदस्य व तीन सौ विदेशी कम्पनियां जिनके प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं, एक-एक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का कार्यभार लेकर सामाजिक क्षेत्र में सरकारों के प्रयासों की अनुपूर्ति नहीं कर सकते?

वास्तव में पूरे भारतीय उद्योग को प्राथमिक स्वास्थ्य व शिक्षा के महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी को और भी बढ़ाना चाहिए।

यदि आप इन उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयत्न करेंगे, तो ऐसी सामाजिक भागीदारी भारत के रूप को बदल देगी। यदि हम आज ही इस भागीदारी में भाग लेते हैं तो वैश्वीकरण की छवि में परिवर्तन होगा। वैश्वीकरण फिर एक खतरा न रहकर, अवसर बनेगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया को प्रारम्भ करेगा, जिसमें उन्नति और विकास में समाज के सभी वर्ग भाग ले सकेंगे। एक ऐसी प्रक्रिया, जिसमें आय के लाभ ज्यादा बराबरी से बंट सकेंगे।

इसलिए हमारी सरकार ऐसी नीतियों का अनुसरण कर रही है जो वैश्वीकरण के लाभों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और इसके खतरों तथा समाज को हानि पहुंचाने वाले परिणामों को कम से कम करें। हमारे सम्पूर्ण सिद्धान्तों का सहारा पाकर भारत की

विकास दर लगातार आठवें वर्ष में छः प्रतिशत से अधिक है। इसमें मर्यादित मुद्रास्फीति, सन्तोषजनक विदेशी मुद्रा भण्डार व बहिरोन्मुखी नीतियां भी शामिल हैं। हमारा लक्ष्य है-प्रति व्यक्ति आय को एक दशक में दोगुना करना। इसका अर्थ है वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का आठ से नौ प्रतिशत के आसपास होना।

जब हम पिछली बार मिले थे, तब से सरकार का ध्यान राष्ट्रीय ढांचे की गुणवत्ता के सुधार पर केन्द्रित रहा। इनमें से कुछ को मैं बताना चाहता हूं :

- दूरसंचार क्षेत्र को पूर्णतया विनियमित कर दिया गया है।
- उद्यमी कुशलता इस क्षेत्र में अब यथेष्ट निजी निवेश को ला रही है- जो घरेलू व विदेशी दोनों है। उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाओं व निम्नतर शुल्क से लाभ मिलने लगा है।
- एक वृहद् सड़क निर्माण योजना चल रही है। मार्च, 2001 तक 2500 कि.मी. से अधिक लंबी सड़कों के निर्माण के नए ठेके दिए जाने हैं। इस स्तर के नए ठेके कई सालों तक चलेंगे, जिससे हम सन 2003 तक 6000 कि.मी. लंबी सड़कों का व सन 2007 तक 7000 कि.मी. लंबी सड़कें बनाने में सक्षम होंगे।
- बिजली क्षेत्र की कई जटिल समस्याओं की ओर हमारा ध्यान गया है। अनेक राज्य सरकारों ने स्वतन्त्र शुल्क विनियमन अधिकरणों की स्थापना कर दी है।
- एक विद्युत विधेयक, 2000 आ रहा है।
- हमारी हाल की समीक्षा ने बताया है कि कम से कम 10 बिजली परियोजनाएं मार्च 2001 के अन्त में वित्तीय रूप से पूरी हो जाएंगी।
- हमारी निजीकरण की नीति में अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुकूल बिक्रियां सम्मिलित हैं, जिनसे हमारी प्रतिस्पर्धात्मक कार्य क्षमता दृढ़ होगी।
- हमने सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए विशेषकर स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल व ग्रामीण सड़क निर्माण को अपनी प्राथमिकताएं प्रदान की हैं। नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्निर्माण किया है ताकि विकास के लाभ जनता तक पहुंचे।
- नए प्रौद्योगिक परिवर्तन और नए आर्थिक उद्योग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, औषधीय और जैव-प्रौद्योगिकी पर सरकार का ध्यान सबसे अधिक हैं। हम लोग डिजिटल डिवाइड के फन्दों से बचकर चलेंगे ताकि सूचना क्रान्ति का लाभ सब तक पहुंच सके।

विश्वव्यापी मन्दी के कुछ प्रमाण आ रहे हैं। परन्तु इस ढांचे में, मुझे विश्वास है कि व्यापार के लिए भारत का पर्यावरण दृढ़ता और आवश्यक रूप से सुधरेगा। इसमें नीति-निर्माण, क्रियाविधि और कार्यान्वयन सम्मिलित हैं।

गति और पारदर्शिता की सुनिश्चितता में मैं व्यक्तिगत रुचि ले रहा हूं। मेरे कार्यालय में एक रणनीति प्रबन्धन समूह की बैठक कार्यान्वयन की गति को तेज करने के लिए प्रति सप्ताह होती है। मुझे अनेक मुख्यमन्त्रियों से भी सहयोग मिल रहा है जिनमें से अनेकों ने अपनी राज्य सरकारों के लिए इसी तरह के मानीटरिंग ग्रुप स्थापित किए हुए हैं। भारत राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन के चुनाव घोषणा-पत्र में दी गई सुधार-रणनीति का दृढ़ता से अनुसरण करेगा। अगली पीढ़ी के सुधारों में कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। उनके कार्यान्वयन में निःसन्देह हमें प्रतिरोधों और सन्धिकालीन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पर हम उन पर काबू पा लेंगे।

हम राष्ट्रीय सहमति को विकसित करने का लगातार प्रयास करेंगे। हमारा विश्वास है कि आर्थिक परिवर्तनों के एजेन्डा का अनावश्यक राजनीतिकरण नहीं होगा। हमारा ध्येय स्पष्ट है—हम भारत के हित में वैश्वीकरण करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रक्रिया में उत्पादकता के फलों और विकास के लाभों से हमारी जनता के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आएं। हमारे इस चुनौती भरे कार्य में आपकी भागीदारी अमूल्य होगी। अपने ध्येय की प्राप्ति में मुझे आपके सहयोग की कामना है।

आर्थिक सुधार के क्षेत्र में तेजी लाएं

मैं एक अर्से से इस तरह की बातचीत का इंतजार कर रहा था। इसकी वजह यह है कि अर्थ-व्यवस्था के बारे में जब हमें मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं उस वक्त यह बैठक आयोजित की जा रही है। कई सकारात्मक बातें भी सामने आई हैं, अर्थ-व्यवस्था के समष्टिगत मौलिक तत्व मजबूत बने हुए हैं। चालू वर्ष की पहली छमाही में निर्यात में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो लक्ष्य से 18 प्रतिशत अधिक है। आयात में वृद्धि इससे कुछ कम यानी 15 प्रतिशत रही है, हालांकि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से दबाव बना हुआ है।

व्यापार और उद्योग के बारे में प्रधानमंत्री की परिषद की तीसरी बैठक में भाषण, नई दिल्ली, 2 दिसंबर 2000

पिछली बार जब हम मिले थे तो मैं वित्तीय घाटे को लेकर बहुत चिंतित था। कुछ दिन पूर्व प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वर्ष में वित्तीय घाटा करीब 5.1 प्रतिशत है, जबकि इससे पहले के दो वर्षों में यह काफी ऊंची दर पर था। राजस्व घाटा भी कुछ कम हुआ है।

मगर चालू साल की पहली छमाही में औद्योगिक उत्पादन में केवल 5.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 6.4 प्रतिशत और पिछले पूरे साल के दौरान 8.1 प्रतिशत थी। अर्थ-व्यवस्था के सेवा क्षेत्र में, जो एकल घरेलू उत्पाद के करीब आधे के बराबर है, पिछले तीन वर्षों से हर साल 8 से 9 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि देखी गई है। मगर चालू साल की पहली छमाही के संकेतों से इस क्षेत्र में मंदी का पता चलता है। पूंजीगत साज-सामान के उत्पादन और आयात आदि के उपलब्ध आंकड़ों से अर्थ-व्यवस्था में निवेश संबंधी गतिविधियों में मंदी जारी रहने का संकेत मिलता है।

इसलिए यह बात स्पष्ट है कि हमें विकास दर में तेजी लाने की जरूरत है। अगर इस साल और अगले कुछ सालों के एकल घरेलू उत्पाद संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो ऐसा करना और भी जरूरी हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि निवेश संबंधी पहल को कैसे तेज किया जाए और निजी क्षेत्र में व्याप्त धारणा को कैसे बदला जाए?

जहां तक हमारा सवाल है, पिछले एक-दो महीनों में हमने अर्थ-व्यवस्था में विश्वास फिर से कायम करने और बाह्य क्षेत्र पर दबाव बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं। तेल पूल खाते का बेतहाशा बढ़ रहा घाटा बेकाबू न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों की घरेलू कीमतें समायोजित की गई हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी 'भारत सहस्राब्दी योजना' के जरिए 5 अरब डालर से अधिक की राशि इकट्ठा की है जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार फिर से भर गये हैं और बाहरी भरोसे को प्रदर्शित करते हैं। बजट में निर्धारित राजस्व और व्यय संबंधी लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कठोर नियंत्रण लगाए गए हैं। नई दूर संचार नीति एन टी पी-99 के नीतिगत निर्देशों को लागू करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में दूरगामी सुधार किये जा रहे हैं। आधारभूत ढांचे से संबंधित अन्य क्षेत्रों, जैसे सड़कों और बंदरगाहों में बाधाओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है। विद्युत क्षेत्र में कुछ प्रमुख बाधाओं को दूर कर लिया गया है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम (आईआरडीए एक्ट) के सिलसिले में अनुपालन संबंधी कार्रवाई की गई है और अक्तूबर 2000 में निजी क्षेत्र के बीमा सेवा उपलब्ध कराने वालों को पहला लाइसेंस

जारी किया गया है। नई कपड़ा नीति की घोषणा कर दी गई है जिसमें वस्त्र क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने की लम्बे समय से प्रतीक्षित मांग मान ली गई है।

हमने हाल ही में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की जिसमें कृषि उत्पादन में 4 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कृषि क्षेत्र की कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार के अनेक उपाय भी शामिल हैं। इस परिषद के अंतर्गत एक दल ने भी कृषि के बारे में अनेक सुझाव दिये हैं। हाल ही में पहली बार राष्ट्रीय भण्डारण नीति अधिसूचित की गई है जिसमें आधुनिक अनाज गोदामों के निर्माण में बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। हमें अपनी समूची खाद्य-शृंखला अर्थ-व्यवस्था पर नये सिरे से विचार करने तथा भारतीय खाद्य निगम के जल्द-से-जल्द पुनर्गठन की आवश्यकता है।

इन प्रयासों को और तेज किया जाएगा। हम अब तक हुई प्रगति पर निगाह रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जो निर्णय किये जाते हैं वे कार्यरूप में परिवर्तित हों। अगर हम अगले एक-दो महीनों में निवेश प्राप्त कर सकें तो हम उन नकारात्मक प्रवृत्तियों में से कुछ को उलट सकते हैं जिनका मैंने जिक्र किया था। औद्योगिक पुनर्जीवन का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस कारण इसे आज की कार्यसूची में सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। मैं इस संबंध में आपके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत करता हूं।

दूसरे जिस मुद्दे को लेकर हम चिंतित हैं, वह है—मात्रात्मक प्रतिबंधों को पूरी तरह हटा लेने का भारतीय उद्योग और कृषि पर क्या असर पड़ेगा। मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा है जिसे हमने स्वीकार किया है और जिसका सम्मान करने को हम वचनबद्ध हैं। हाल में हमने डम्पिंग को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इनमें बीजक लागत में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, शुल्क संबंधी उपाय, मानकों व मानदंडों का पालन और डम्पिंग रोकने के लिए कार्रवाई शुरू करने जैसे विस्तृत उपाय शामिल हैं। आने वाले महीनों में इन उपायों को और सख्ती से अपनाया जाएगा।

लेकिन भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अपने आप को ढालना होगा। अति-संरक्षणवादी दृष्टिकोण से अकुशलता को ही बढ़ावा मिलेगा। इससे ठहराव आ सकता है। भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धा की अवश्यम्भावी चुनौती का सामना करने योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाने आवश्यक होंगे? हमारी एक रणनीति और एक रूपरेखा होनी चाहिए। आइये, आज हम इसी पर चर्चा करें। हमें इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए कि उपभोक्ताओं के हितों का उद्योग के हितों

के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए और उत्पादकता के फायदों के साथ-साथ व्यवधान मुक्त संक्रमण की खूबियों का लाभ किस तरह उठाया जाए?

अंत में मैं यह बताना चाहूंगा कि बजट आने वाला है। बजट बनाने की प्रक्रिया अब भी एक रहस्य जैसी है। मगर बजट बनाने में क्या-क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा का यह अच्छा मौका है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि वित्तमंत्री बिना किसी पूर्वाग्रह के आए हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि की दर बढ़ाकर करीब 8 प्रतिशत के आसपास करने का जो संकल्प लिया है, उसकी पृष्ठभूमि में यह बजट आएगा। यह निश्चित रूप से एक प्रगतिशील बजट होगा और इसमें सिर्फ आंकड़ों के खेल की बजाय उन नीतियों और मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा जिनसे हम ऊंची विकास दर के रास्ते में पहुंच सकते हैं। वे कौन-से उपाय हैं जो इस समय हमें आवश्यक गतिशीलता प्रदान करेंगे?

अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो आर्थिक सुधारों पर अमल का हमारा रिकार्ड हर लिहाज से शानदार रहा है। पिछले दो वर्षों में वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, बीमा, बुनियादी ढांचे, कर सुधार जारी रखने और राज्य सरकारों को अच्छी वित्तीय नीतियां अपनाने को प्रेरित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। यह तर्क देना तो आसान है कि और भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए था, मगर यह साबित करना कठिन है। बहरहाल, राजनीतिक प्रबंधन संभावनाओं की कला है और हम इन्हीं संभावनाओं का दायरा बढ़ा रहे हैं। हम सबको यह बात स्वीकार करनी होगी कि हल्के-फुल्के सुधारों का विकल्प अब नहीं बचा है। आगे जो उपाय किये जाने हैं उनमें केन्द्र और राज्य दोनों ही तरह की सरकारों को कठिन निर्णय करने होंगे। इनके लिए राजनीतिक आम राय भी कायम करनी होगी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं, और सुधार के महत्वाकांक्षी उपायों को पूरी तरह सफल बनाना है तो हमें समाज के तमाम वर्गों से व्यापक समर्थन और सहयोग प्राप्त करना ही होगा।

यह बहुत बड़ा और विस्तृत क्षेत्र है। कई मुद्दे इसके अंतर्गत शामिल हैं जिनमें से सभी अनिवार्य रूप से परस्पर संबद्ध नहीं है। मगर ये ऐसे मसले हैं जो हम सबको परेशान कर रहे हैं। मुझे इस बारे में आपके बहुमूल्य सुझावों की अपेक्षा है।

भूमंडलीकरण की संभावना का दोहन

भूमंडलीकरण और लोकतंत्र पर इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आज शाम आप लोगों के बीच उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। संयुक्त रूप से यह सम्मेलन आयोजित करने के लिए मैं अंतर संसदीय संघ और फिक्की को बधाई देता हूं।

संसद और राजनीति में अपने लंबे जीवन में मैंने लोकतंत्र पर आयोजित अनेक बैठकों में भाग लिया है। हाल के वर्षों में जब भूमंडलीकरण आम चर्चा का विषय बन गया है, मैंने अक्सर इस विषय पर टिप्पणी भी की है, लेकिन पहली बार मुझे एक ऐसे प्रयास का साक्षात्कार हुआ है जिसमें लोकतंत्र और भूमंडलीकरण को अलग-अलग नहीं, बल्कि उस रूप में समझने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ये एक-दूसरे पर और अंततः समाज पर प्रभाव डालते हैं।

मैं समझता हूं कि यह सही सोच है। किसी भी विषय को समझने का यह भारतीय दृष्टिकोण भी है। हमारे प्राचीन और आधुनिक दार्शनिकों ने अपने आसपास की प्रकृति और सामाजिक सच्चाई को समझने के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। भारतीय सोच किसी भी मुद्दे को सिर्फ उसके टुकड़ों में नहीं देखती बल्कि यह देखा जाता है कि किस तरह ये एक-दूसरे से संबंधित हैं और कैसे बाह्य पर्यावरण को रूप देते हैं तथा उससे निरूपित होते हैं।

माननीय सहभागियो, मानव इतिहास का प्रत्येक युग किसी न किसी बड़ी विचारधारा से निर्देशित होता रहा है। लेकिन जिस युग में हम रह रहे हैं, उसमें दो बड़ी विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक लोकतंत्र और दूसरी एक-दूसरे पर आश्रित विश्व । अगर अट्ठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी का युग उपनिवेशवाद का युग रहा है तो बीसवीं शताब्दी के पहले हिस्से में उपनिवेशवाद को समाप्त करने का विश्वव्यापी आंदोलन चला। उपनिवेशवादी शासन की समाप्ति के साथ ही लोकतंत्र की विश्वव्यापी शुरूआत हुई।

बीसवीं शताब्दी में मानवता के लिए आकस्मिक परिवर्तन हुए। अनेक देशों ने स्वाधीनता हासिल करने के बाद बिना किसी दबाव या प्रोत्साहन के लोकतंत्र को स्वीकार किया। भारत, जैसा कि आप जानते हैं, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

भूमंडलीकरण और लोकतंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 5 दिसंबर 2000

अनेक देशों ने राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करने के बाद शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने में समय लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया।

जिन तानाशाहों ने लोगों की इच्छा का विरोध किया, उनका सफाया हो गया। सर्वाधिकारवादी राज्य डगमगा गए। ऐसी विचारधाराएं जिन्होंने तानाशाही को तर्कसंगत ठहराया था, वे अलग-थलग पड़ गईं। कुछ अपवादों को छोड़कर दुनिया के अधिकतर देशों ने आज लोकतंत्र को शासन की प्राकृतिक व्यवस्था के तौर पर स्वीकार कर लिया है। किसी के मन में अब इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि निरंकुशता के जो कुछ बचे-खुचे केंद्र रह गए हैं, वहां भी लोकतंत्र की जीत होगी।

क्या दुनिया-भर में लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है ? हालांकि दुनिया के लोग विभिन्न संस्कृतियों के हैं। उनका विकास विभिन्न सभ्यताओं में हुआ है। उनके सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर भी अलग-अलग रहा है। इन विविधताओं के बावजूद लोकतंत्र उनकी एकसमान पसंद बन गई।

इससे यही साबित होता है कि लोकतंत्र का सार्वभौम महत्व है। ऐसा नहीं है कि यह अमीरों के लिए ज्यादा उपयुक्त और गरीबों के लिए कम उपयुक्त है। यह विकसित देशों के लिए अधिक लचीला और विकासशील देशों के लिए कम लचीला रुख भी नहीं अपनाता। महिलाएं इसे पुरुषों से कम पसंद नहीं करतीं। इसी तरह यह अनपढ़ों के मुकाबले पढ़े-लिखे लोगों की ही पसंद नहीं है। बार-बार हुए चुनावों से यह साबित हो गया है कि भारत में गरीब और कम पढ़े-लिखे लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुविधासम्पन्न लोगों के मुकाबले ज्यादा उत्साह से भाग ले रहे हैं।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की शक्ति को पहचान लिया है। पिछले पचास वर्षों में अधिक से अधिक अल्प सुविधा संपन्न और समाज के अल्प प्रतिनिधित्व-वर्ग के लोग अपनी लोकतांत्रिक शक्ति का ठोस उपयोग कर रहे हैं। हमारे संविधान में सामाजिक अक्षमता मिटाने, स्वैच्छिक अवसर उपलब्ध कराने और गरीब तथा समाज के कमजोर वर्ग को बढ़ावा देने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई प्रावधान रखे गए हैं। उनकी राजनीतिक अधिकार संपन्नता में तेजी से वृद्धि से यह पता चलता है कि लोकतंत्र वास्तव में समतावादी है।

यह अकेले भारत की कहानी नहीं है। सभी लोकतांत्रिक देशों ने यह अनुभव किया है कि हर तरह की कमियों के बावजूद लोगों की भूमिका ही न्यायोचित शासन है। राष्ट्रों ने भी यह सीख लिया है कि लोकतंत्र की कमियों को सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से ही संतोषजनक ढंग से दूर किया जा सकता है।

दोस्तो, अब इस बात में विवाद नहीं है कि लोकतंत्र अंतर्राष्ट्रीय विचार और अंतर्राष्ट्रीय आदर्श बन गया है। लेकिन दुनिया के अनेक लोग यह सवाल करते हैं कि क्या भूमंडलीकरण ने लोकतंत्र के विचार और आदर्श को प्रभावित किया है। दूसरे शब्दों में, लोकतंत्र का भूमंडलीकरण हो गया लेकिन क्या भूमंडलीकरण का लोकतंत्रीकरण हुआ। इस मुद्दे पर अभी गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस विषय पर मैं अपने कुछ विचार आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं।

हम सभी यह जानते हैं कि भूमंडलीकरण एक वास्तविकता बन गई है। बल्कि यह एक ऐसी हकीकत बन गई है जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। पहले के मुकाबले आज विश्व के देश एक-दूसरे पर अधिक आश्रित हो गए हैं, जिससे भारत के प्राचीन ऋषियों का हजारों वर्ष पहले कहा हुआ यह कथन सत्य हो रहा है कि *वसुधैव कुटुंबकम्* अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है।

दुर्भाग्यवश भूमंडलीकरण को अब तक सिर्फ तकनीकी और व्यापार के जादुई असर और वित्तीय पूंजी तथा ज्ञान के सम्मोहित कर देने वाले आंदोलन के रूप में ही उभारा गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें ये सब चीजें हैं।

आज से कुछ दशक पहले तक किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि अरबों अरब डालर की निवेश की जाने वाली पूंजी दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कुछ सैकंड में और वह भी कम्प्यूटर के 'माउस' को क्लिक करके भेजी जा सकती है।

वैसे किसने यह सोचा होगा कि एक दिन 'माउस' का इतना महत्व होगा कि दफ्तर में काम करने वाले अधिकतर लोगों का हाथ अक्सर उस पर होगा!

किसने यह सोचा होगा कि कभी 'वेब' इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि दुनिया-भर के लाखों लोग खुशी-खुशी उससे जुड़ना चाहेंगे।

सूचना और संचार क्रांति ने इस धरती पर सभी के लिए कहीं भी और किसी समय भी कम मूल्य पर संपर्क का साधन उपलब्ध करा दिया है। वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने सभी देशों और प्रत्येक देश के सभी नागरिकों के जीवन में संपन्नता का आधार उपलब्ध कराया है।

अगर यह भूमंडलीकरण का फल है तो हम सभी को गंभीरता से अपने आप से यह सवाल करना चाहिए कि क्यों दुनिया-भर में सभी लोगों ने इसे उत्साह से

स्वीकार नहीं किया। मेरे अनुसार इसका जवाब यह है कि हम भूमंडलीकरण को लोकतांत्रिक सांचे में ढालने में नाकाम रहे हैं। इसके जो भी लाभ हों, और मुझे कोई संदेह नहीं कि इसके अनेक लाभ हैं, लेकिन भूमंडलीकरण ने अभी यह नहीं दर्शाया है कि यह लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा है।

करीब दो तिहाई मानवता को आज भी भूमंडलीकरण के फायदे नहीं पहुंचे हैं। हालांकि बाकी के एक तिहाई अमीर और सुविधासंपन्न लोग पहले की अपेक्षा ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहे हैं। यह बंटवारा न्यायोचित नहीं है और ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा। वास्तव में यह शांति, स्थायित्व तथा न्यायोचित प्रगति के लिए गंभीर खतरा है।

यही वजह है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। इसके उद्देश्यों को पुनर्परिभाषित करने और इसकी प्राथमिकताएं बदलने की आवश्यकता है। इसके उद्देश्य और प्राथमिकताएं लोकतंत्र के समान ही होनी चाहिए- अर्थात आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, स्त्री-पुरुष समानता और सभी देशों में सभी क्षेत्रों, सभी नस्लों और सभी समुदायों का संतुलित विकास। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उन समृद्ध राष्ट्रों की, जो भूमंडलीकरण से अधिक लाभान्वित हुए हैं, इसके सुधार में अधिक जिम्मेदारी है।

नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अपनी सभी संस्थाओं में लोकतंत्र की भावना को दर्शाना होगा - सबसे अधिक संयुक्त राष्ट्र को जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका लोकतंत्रीकरण काफी समय से लंबित है। वास्तव में हाल ही में संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन में अधिकतर राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों की मुख्य विषयवस्तु ही यही थी।

इस सम्मेलन में भाग ले रहे व्यापारी समुदाय के लोगों के लिए मैं अपनी वह अपील दोहराना चाहता हूं जो पहले कर चुका हूं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीकरण के अवसरों का लाभ उठाते हुए बेहतर व्यापार करें, बल्कि इसके लाभ समाज तक भी पहुंचाएं और इसी से आप आगे बढ़ सकेंगे। सरकार और व्यापारी समुदाय दोनों को निकट सहभागिता के साथ काम करना होगा, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि भूमंडलीकरण उनके फायदे के लिए है और आर्थिक सुधार से उनका जीवन बेहतर हो सकेगा। हम अपने सुधार प्रयासों में उसी हद तक सफल हो सकेंगे, जिस हद तक उसके लिए लोकप्रिय समर्थन जुटा सकेंगे।

दोस्तो, मुझे खुशी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में हो रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया में सबसे अधिक विविधता वाले इस देश की गौरवशाली उपलब्धि यही है कि पचास वर्ष पहले हासिल की हुई स्वाधीनता के बाद से इसने लोकतंत्र की रक्षा की है। भारत ने न सिर्फ लोकतंत्र का बचाव किया बल्कि धीरे-धीरे इसकी जड़ें मजबूत कीं और इसका विकास किया।

निश्चित रूप से हमने जो कुछ हासिल किया है, उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम अपने लोकतंत्र की कमियों से वाकिफ हैं और उन्हें दूर करने के लिए कृतसंकल्प हैं।

लोकतंत्र को समृद्ध करने के अनेक तरीकों में से एक यह है कि भूमंडलीकरण की पूरी क्षमता का दोहन किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं एक दशक पहले शुरू की गई आर्थिक सुधार की प्रक्रिया धीरे-धीरे तेज होती जा रही है। बाहरी उदारीकरण हमारे आर्थिक सुधार का एक अभिन्न अंग है। हालांकि हम इसे क्रमवार और अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप लागू करेंगे। हम समझते हैं कि यह प्रत्येक देश का लोकतांत्रिक अधिकार है।

हम अपनी अर्थ-व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करेंगे। हम अपने सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए विदेशी पूंजीनिवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए उपलब्ध कराए गए अवसरों का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। हमें विश्वास है कि एक समृद्ध भारत, जो कि मानव जाति के छठे हिस्से का निवास स्थल है, लोकतंत्र और विश्व के भूमंडलीकरण दोनों के विकास में शक्तिशाली भागीदार बनेगा।

इस प्रक्रिया में हम विश्व भर में लोकतंत्र के सकारात्मक अनुभवों से सीख लेने को हमेशा तैयार हैं। यही वजह है कि इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के संसदविदों की उपस्थिति से मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं इस तरह के उपयोगी सम्मेलन को संभव बनाने के लिए अंतर संसदीय संघ को बधाई देता हूं।

इस प्रयास में मैं खासतौर से निचले सदन के अध्यक्ष श्री बालयोगी और ऊपरी सदन की उप सभापति डाक्टर नजमा हेपतुल्लाह के योगदान की सराहना करता हूं।

सम्मेलन की सफलता की कामना के साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावी तरीके से लागू करें

मुझे विश्वास है कि हम सभी का यह विचार है कि देश से गरीबी को समाप्त करना ही इस समय एकमात्र बड़ी चुनौती है। वर्षों से सरकार ने गरीबी से सीधे तौर पर निपटने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हम सभी का लगभग यही विचार है कि इन विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का वह असर नहीं पड़ा जो पड़ना चाहिए और इन योजनाओं की प्रकृति तथा इन्हें जिस तरह लागू किया गया, उनकी समीक्षा की आवश्यकता है। अनेक सांसदों ने भी यह विचार व्यक्त किया कि इन कार्यक्रमों में से अधिकतर में सांसदों की भागीदारी अपर्याप्त है और जब तक उनकी भागीदारी नहीं बढ़ाई जाएगी, ये योजनाएं अप्रभावी बनी रह सकती हैं।

इस मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष और योजना राज्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे संसदीय दलों के नेताओं से आरंभिक बैठक करें ताकि मुख्य मुद्दे की पहचान हो सके। आप में से कई ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाग लिया है। जैसा कि मैंने समझा है, इस बैठक का निष्कर्ष यह है कि गरीबी मिटाओ योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इनके संचालन और क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी और विकेंद्रीकृत बनाना होगा। दूसरी बात यह कि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ ही समाज के अन्य महत्वपूर्ण लोगों को साथ लेना भी जरूरी होगा।

आज की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि हम सब मिलकर यह विचार कर सकें कि गरीबी उन्मूलन योजनाओं में सुधार के लिए संक्षेप में किन उपायों की आवश्यकता है ताकि सरकार इन योजनाओं की समीक्षा और संशोधन के लिए कार्य योजना बना सके। जहां तक सांसदों की भागीदारी का सवाल है, एजेंडा पत्र में उन उपायों का वर्णन है जिनमें हम उनकी भागीदारी चाहते हैं। अगर कुछ और करने की आवश्यकता हुई तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दें ताकि देश में इसका गरीबों पर अधिकतम प्रभाव पड़ सके।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर राजनीतिक दलों के नेताओं की संसद में आयोजित बैठक में भाषण, नई दिल्ली, 8 दिसंबर, 2000

इस्पात उद्योग : नई ऊंचाइयां

मुझे खुशी है कि भारतीय इस्पात उद्योग के समारोह में मैं आ सका और वर्ष 1997-98 के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र को तथा वर्ष 1998-99 के लिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए प्रधानमंत्री ट्राफी प्रदान कर रहा हूं। मैं दोनों ही विजेताओं को बधाई देता हूं—खासतौर से भिलाई इस्पात संयंत्र को, जो पांचवीं बार यह ट्राफी जीत रहा है।

दोस्तो, मैं भारत की अर्थ-व्यवस्था में इस्पात के महत्व को समझता हूं। मैंने पचास के दशक के अंत में और साठ के दशक के आरंभ में प्रत्येक भारतीय की तरह वह खुशी बांटी है जब भारत में बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्र लग रहे थे। निश्चित रूप से स्वाधीनता के बाद भारत की आर्थिक प्रगति के ये प्रभावशाली प्रतीक थे।

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस्पात उद्योग सिर्फ अपनी साज-सज्जा पर आश्रित नहीं रह सकता। 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक के आरंभ में इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद्र से हमारे उद्योगों का विकास तेजी से हुआ है। पिछले दशक में एक करोड़ बीस लाख टन इस्पात क्षमता बढ़ी है और लगभग यह सभी निजी क्षेत्रों में बढ़ी। आजं भारत विश्व में इस्पात उद्योग में दसवां सबसे बड़ा देश है।

मुझे पता है कि भारतीय इस्पात उद्योग इस समय विश्व इस्पात उद्योग की तर्ज पर ही कठिन दौर से गुजर रहा है। इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय मांग गिरने से इसकी कीमतें गिरी हैं। भारत में भी अनेक कारणों से इस्पात की मांग में तेजी नहीं आ सकी। क्या किया जाना चाहिए? मैंने संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा काफी अनुसंधान के बाद निकाली गई पुस्तिका *प्रोफाइल आफ द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री* का अध्ययन किया है और मुझे कुछ ठोस तथ्य मिले हैं।

हमारे श्रमिकों की उत्पादकता कम है। दक्षिण कोरिया की किसी कंपनी की उत्पादकता, प्रति व्यक्ति वर्ष में मीट्रिक टन के माप में 'सेल' की अपेक्षा लगभग तेरह गुना अधिक है। लेकिन यह अच्छी बात है कि हमारें इस्पात उद्योग के कार्य-बल को तर्कसंगत बनाने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। लेकिन हमें और अधिक

सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए प्रधानमंत्री ट्राफी प्रदान करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 13 दिसंबर 2000

करने की आवश्यकता है। इस पुस्तिका से मुझे पता चला कि भारत में ही एक नया निजी इस्पात संयंत्र सिर्फ बारहवें हिस्से के कार्य-बल के आधार पर एक पुराने निजी संयंत्र के जितना ही उत्पादन कर रहा है। यही नहीं बल्कि परिवहन लागत भी काफी अधिक है। वास्तव में यह खेद का विषय है कि एक टन इस्पात जमशेदपुर से मुम्बई लाने में अधिक खर्च होता है जबकि इतना ही इस्पात रोटरडम से मंगाने में कम खर्च पड़ता है। रेलवे की माल ढुलाई में चौदह प्रतिशत इस्पात का हिस्सा है। इतनी मात्रा में होने वाली ढुलाई से आपको यह मौका उपलब्ध है कि आप अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दर के लिए मोल-भाव कर सकें।

आपको ईंधन, बिजली और अन्य प्रशासनिक मूल्य की अधिक दर से भी जूझना पड़ता है।

भारतीय उद्योग को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कि न सिर्फ देश में, बल्कि विदेशों में भी तीव्र होती जा रही हैं। हमें इन परीक्षणों का सामना करने के लिए सुनियोजित रणनीति अपनानी होगी। हमारे पास इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सर्वश्रेष्ठ खनिज और अनेक वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीविद् हैं। भौगोलिक स्थिति भी हमारी बेहतर है। मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि कुछ विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की तरह ही, जिनके पास हमारी तरह अधिक प्राकृतिक संसाधन भी नहीं हैं, हम सफल क्यों नहीं हो सकते। इसके लिए प्रवर्तकों, प्रबंधकों और भारतीय इस्पात उद्योग के कर्मचारियों की पूर्ण प्रतिबद्धता होनी चाहिए। भारतीय प्रबंधकों, वैज्ञानिकों और सूचना प्रौद्योगिकी विद्वानों की विकसित देशों तक में जबर्दस्त मांग की सच्चाई दरअसल हमारी क्षमताओं को सम्मान है। हम किसी से पीछे नहीं हैं और हमें यह साबित भी करना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मेरी सरकार ने जो उपाय किए हैं उनसे देश में इस्पात की मांग बढ़ेगी। इस्पात आधुनिक विश्व में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग और निर्माण सामग्री है और इक्कीसवीं शताब्दी में सतत विकास की चुनौती का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे इस्पात उद्योग के भविष्य में पूरा विश्वास है।

भारत के इस्पात बनाने वाले उद्योग में मेरा विश्वास विदेशों में भारतीय इस्पात निर्माताओं की विशेषज्ञता से मेल खाता है। अगर किसी भारतीय ने सिर्फ दो दशक में दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से उभरने वाली इस्पात कंपनी बनाई और दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्र को संभाल रखा है तो मुझे विश्वास है कि हमारे घरेलू इस्पात उद्योग भी उपयुक्त नीति वातावरण में सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं।

इस्पात मंत्रालय ने अपनी विज़न-2020 में पर्यावरण के अनुकूल उपाय और गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय अपनाने की सही पहचान की है। अधिक से अधिक इस्पात के उत्पादन की कोशिश करते समय हमें अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना चाहिए। उद्योग को यह नहीं समझना चाहिए कि प्रदूषण नियंत्रण में निवेश बेकार का खर्च है। हमें शून्य ठोस कचरे के युग की दिशा में प्रयास करना चाहिए ताकि अनुचित कचरा निपटान प्रकृति को कोई नुकसान न पहुंचा सके।

मैं गुणवत्ता में सुधार और मूल्य में कमी के लिए लगातार अनुसंधान और विकास पर जोर देना चाहता हूं। इस्पात विकास कोष में अनुसंधान और विकास के लिए सालाना एक सौ पचास करोड़ रुपये का आवंटन होता है। मैं चाहता हूं कि निजी क्षेत्र सहित उद्योग इसका भरपूर उपयोग करें। बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद से न सिर्फ आप घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छा जाएंगे बल्कि इससे उपभोक्ताओं के जीवन पर भी सीधा असर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर लगातार अच्छी गुणवत्ता वाली इस्पात लाइनों से रेलवे को अपनी दक्षता और सुरक्षा में सुधार लाने में मदद मिलेगी। इसी तरह अच्छी गुणवत्ता वाले इस्पात से उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाले को बेहतर उत्पाद बनाने का मौका मिलेगा और इससे वे अपनी बिक्री बढ़ा सकेंगे।

मेरी सरकार आर्थिक सुधार का दूसरा चरण लागू कर रही है। इससे और अवसर तथा चुनौतियां पैदा होंगी। दुनिया में प्रमुख इस्पात उत्पादक देशों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और प्रतिस्पर्धा होगी। सरकार भारतीय इस्पात उद्योग को समान अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी, लेकिन उद्योग को सुरक्षात्मक उपायों के लिए सिर्फ सरकार पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें इस्पात के उत्पादन की लागत घटानी है और विश्व स्तर की गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन करना है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भारतीय उद्योग के किसी भी पक्ष के साथ न तो देश में और न देश के बाहर से कोई अन्याय होने दिया जाएगा।

मुझे यह भी विश्वास है कि सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करके हमारे इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि होगी। अगर हम सचूना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की नव विकसित शक्ति का इस्तेमाल कोयला और लौह के भरपूर संसाधनों के साथ करें तो हम दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इस्पात बना सकते हैं।

प्रधानमंत्री ट्राफी की बात करते हुए मैं भविष्य के लिए एक सुझाव देना चाहता हूं। आज यह ट्राफी एक एकीकृत इस्पात संयंत्र को दी जा रही है। इनमें से अधिकतर संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। यही वजह है कि भिलाई को बार-बार यह पुरस्कार जीतने का मौका मिला। लेकिन आज निजी क्षेत्र की, इस्पात उद्योग में भागीदारी बढ़ रही

है। बदलती प्रौद्योगिकी के कारण वे एकीकृत इस्पात संयंत्र को नहीं भी अपना सकते हैं, क्योंकि अन्य तरीके से बनाए गए इस्पात भी प्रतिस्पर्धात्मक हो सकते हैं।

इसलिए इस्पात क्षेत्र के इस सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार को मैं पूरे उद्योग के लिए बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भविष्य में यह पुरस्कार सिर्फ किसी एकीकृत इस्पात संयंत्र को नहीं, बल्कि समूची भारतीय इस्पात कंपनियों में से किसी को दिया जाए। यह निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हो सकती है। वह कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकती है। यह पुरस्कार पिछले वर्ष में पूर्व निर्धारित लक्ष्य में सबसे अधिक सुधार के लिए दिया जाना चाहिए।

यह मौका भी है कि हम भारत में इस्पात उद्योग के अग्रणी जमशेद जी टाटा और एम. विश्वेश्वरैया को याद करें और उन्हें सम्मान दें। यह ज्यादा उपयुक्त होता कि इस पुरस्कार का नाम प्रधानमंत्री ट्राफी की बजाय विश्वेश्वरैया ट्राफी या जमशेद जी टाटा ट्राफी होता। प्रधानमंत्री तो आएंगे और जाएंगे।

अगले वर्ष और अगले दशक के लिए आपको शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। पिछले पचास वर्षों में एक आधुनिक भारत के निर्माण में भारत के इस्पात उद्योग की बड़ी भूमिका रही है। मुझे विश्वास है कि हमारे सपनों के भारत के निर्माण में अगले पचास वर्षों में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

विकास की गति बढ़ाएं

मुझे इस बात की खुशी है कि आज सुबह आप लोगों के साथ हूं। मुझे उम्मीद है कि पिछले हफ्ते उठा अनावश्यक राजनीतिक विवाद पीछे छूट गया है। अब हमें अपना ध्यान फिर से विकास पर केन्द्रित करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एजेंडा है। विकास अधिक तेजी से हो, अधिक संतुलित हो और अधिक समानता पर आधारित हो।

आपकी वार्षिक आम बैठक बड़े उपयुक्त समय पर हो रही है। अर्थ-व्यवस्था में लगातार एक मिश्रित रुख दिखाई दे रहा है, यही वजह है कि सरकार और उद्योग, दोनों को आत्म-मंथन करना चाहिए।

फिक्की की 73वीं वार्षिक आम बैठक में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 16 दिसंबर 2000

अनेक रचनात्मक संकेत मिले हैं। बृहत् बुनियादी तत्व मजबूत बने हुए हैं। तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद मुद्रास्फीति सन्तुलित है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर रिकार्ड स्तर पर जा पहुंचा है। निर्यात लक्ष्य से अधिक हुआ है। चालू खाते का घाटा अनियंत्रित नहीं है। राजकोषीय घाटा पिछले दो वर्षों से कम है। इतना ही नहीं, जैसा कि आप जानते हैं, अनेक क्षेत्रों में ढांचागत सुधार जारी हैं।

फिर भी चिन्ताएं बरकरार हैं, अर्थ-व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में मांग पूरी न होने की समस्याएं बनी हुई हैं। इसी दौरान कुछ क्षेत्रों में अधिक क्षमता दिखाई दी है। मैं जानता हूं कि मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त किए जाने के असर को लेकर व्यापक चिन्ताएं सामने आई हैं।

भारतीय व्यापार के लिए धन जुटाने संबंधी भारी लागत आपके साथ-साथ हमारी भी चिन्ता का विषय रही है। बुनियादी ढांचे में कमजोरियां बनी रहने से यह समस्या और भी बढ़ जाती है, जिससे भारत में व्यापार लागत में वृद्धि होती है।

इनमें से कुछ समस्याएं सामान्य व्यापार-चक्र का हिस्सा हैं। लेकिन, अन्य स्थानिक हैं। उन पर काबू पाने के लिए कड़े उपाय करने की जरूरत है।

मैं इस अवसर पर आपको फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी सरकार समस्याओं से बचने में नहीं, बल्कि उनका समाधान करने में विश्वास रखती है। आपको मालूम है कि विषम स्थितियों के बावजूद, हम कैसे निरन्तर आगे बढ़ते गए हैं। गति भले ही धीमी रही हो। वास्तव में समस्याएं दूर करने की मंद गति से जितने आप चिंतित हैं, उतनी ही चिंता मुझे भी है।

आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने में हमारे पास राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव नहीं है। नौकरशाही के उच्च पदों पर बैठे वरिष्ठ अधिकारी सुधारों की कार्य सूची पर अमल के प्रति वचनबद्ध हैं। किन्तु, मुझे अफसोस है कि कुल मिलाकर कार्यान्वयन प्रणाली पुरानी मानसिकता से ही संचालित है।

यह ऐसी मानसिकता है जिसमें उत्तरदायित्व के बारे में पारदर्शिता नहीं है और निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का कोई अभियान नहीं है। लोगों को बेसब्री से नतीजों की प्रतीक्षा है। लेकिन सरकारी मशीनरी में तीव्रता और तात्कालिकता की भावना का अभाव है।

भारत में आर्थिक सुधारों का एक दशक बीत चुका है। इस अवधि में अलग-अलग दलों की चार सरकारें आईं और सभी ने बिना किसी बड़े बदलाव के सुधार

का एजेंडा लागू किया। किन्तु, वे सभी फैसलों को अमली जामा पहनाने की मंद गति से निराश रहीं।

हमने दस वर्ष के अनुभव से एक ही सबक सीखा है कि सुधारों को लागू करने की प्रणाली को भी सुधार-प्रकिया का ही अभिन्न अंग बनाने की जरूरत है।

मैं भली भांति जानता हूं कि यह एक विशाल कार्य है। किन्तु, हमें यह अनिवार्य शुरूआत करनी ही होगी। हाल ही में गठिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप (यानी कार्यनीति संबंधी प्रबन्ध दल) ने सही दिशा में काम करना शुरू कर दिया है।

हम अपने सुधारों का अगला और अत्यन्त कठिन चरण शुरू करने के प्रति वचनबद्ध हैं। इसके अन्तर्गत मूलभूत ढांचे के तीव्र विकास में आने वाली शेष रुकावटों को दूर करना शामिल है।

बिजली संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों से अधिक तालमेल की जरूरत है। इसके लिए परियोजना-अनुसार विशेष उपायों की भी आवश्यकता है। बिजली मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह इन समस्याओं पर विचार कर रहा है। मुझे बताया गया है कि इनमें से गिनी-चुनी समस्याओं का ही हल हो पाया है और अनेक परियोजनाएं अगले वर्ष 31 मार्च तक वित्तीय संकट के कारण बंद हो जायेंगी।

मैं मुख्यमंत्रियों की एक विशेष बैठक भी बुलाने पर विचार कर रहा हूं ताकि बिजली सुधारों के बारे में आम सहमति से किसी कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सके।

दूर संचार क्षेत्र की बकाया समस्याओं को हल किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए हम कुछ और उपाय करेंगे। आने वाले महीनों में नागर विमानन क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए जायेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी में सबसे बड़ी चुनौती भली भांति प्रशिक्षित व्यवसायियों की संख्या में तेजी से वृद्धि करने की है ताकि बढ़ती हुई घरेलू और विदेशी मांग पूरी की जा सके। एक उच्च अधिकार प्राप्त कार्यदल इस मामले की देखरेख कर रहा है।

फार्मास्युटिकल और जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से भारत लाभ की स्थिति में है।

रेलवे एक महत्वपूर्ण ढांचा है, जिसकी बेहतर कार्यप्रणाली अर्थ-व्यवस्था को काफी हद तक मदद पहुंचा सकती है। लेकिन, रेलवे में तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। रेलवे प्रबन्ध में मूलभूत बदलाव की जरूरत है ताकि रेलवे परिचालन को आयोजना और नीति-निर्धारण की प्रक्रिया से अलग किया जा सके। सुरक्षा मानदंडों में सुधार के लिए अपेक्षित नवीकरण और आधुनिकीकरण के वास्ते भारी निवेश की जरूरत है।

जाहिर है कि हमें रेलवे के लिए नवीन, गैर-परम्परागत और वाणिज्यिक दृष्टि से अनुकूल पद्धतियां अपनाकर निवेश योग्य धन में बढ़ोतरी करनी होगी। रेल टेल कार्पोरेशन का गठन इस दिशा में पहला कदम है। सरकार रेलवे की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जल्दी ही कई अन्य उपाय भी करेगी।

हम रेलवे सुधारों के बारे में राकेश मोहन समिति की व्यापक सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और स्वीकृत सिफारिशों को तेजी से लागू करेगी।

मैं दो अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करना चाहूंगा। इनमें पहला है—सरकार के गैर-उत्पादक खर्च का मुद्दा। यह निरन्तर चिंता का विषय बना हुआ है। इसका संबंध सरकारी अमले में कटौती से है। मेरी सरकार में सभी इस बात से सहमत हैं कि नौकरशाही का आकार जरूरत से बड़ा है और सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, फिर भी इसे कम करने के लिए कुछ खास नहीं किया गया है।

अब हमें खर्च सुधार आयोग की सिफारिशें मिल गई हैं। आयोग ने सरकार को धीरे-धीरे स्टॉफ कम करने और फालतू स्टॉफ के नियोजन के बारे में खास सुझाव दिए हैं। हमें एक टाइम टेबल की घोषणा करनी पड़ेगी और प्रत्येक विभाग के लिए लक्ष्य निर्धारित करने होंगे कि वह सन् 2004 तक अपने कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या में 10 प्रतिशत कमी करे।

सरकार द्वारा संचालित कई कम्पनियों ने आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की है। हमें भी ऐसी ही कोई योजना अपनानी होगी। हमें शिक्षित लोगों को जैसे-तैसे सरकारी पद प्राप्त करने की बजाय निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए या फिर स्व-रोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

आयोग की अन्य सिफारिश श्रम कानूनों और नियमों को नया रूप देने के बारे में है। अक्सर यह कहा जाता है कि हमारे अधिकतर वर्तमान श्रम कानून और विनियम, वास्तव में, श्रमिक-विरोधी हैं, क्योंकि वे रोजगार के विकास में बाधक हैं। उनसे

वर्तमान श्रमिकों को संरक्षण भले ही मिलता हो, लेकिन लचीलापन न होने के कारण ये कानून रोजगार के नए अवसरों में बाधा उपस्थित करते हैं।

अर्थ-व्यवस्था के व्यापक हित में हमें अपने श्रम कानूनों को आधुनिक बनाना होगा। इन कानूनों को एकीकृत करने और अधिक संतुलित बनाने की भी आवश्यकता है। विकास की संभावनाओं का भरपूर लाभ उठाने के लिए कार्यक्षमता और उत्पादकता जरूरी है। इस मुद्दे से सम्बद्ध सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि समूचे राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर इस पर गंभीरता से विचार करें।

मुझे विश्वास है कि सरकार जो उपाय कर रही है उनसे अर्थ-व्यवस्था का तेजी से विकास होगा। उनसे निवेश और मांग में भी बढ़ोतरी होगी। किन्तु, मैं बिना किसी संकोच के कहना चाहता हूं कि भारतीय उद्योग को भी काफी अन्तर-मंथन की जरूरत है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ताकतों के साथ समायोजन करने का भारतीय उद्योग का रिकार्ड कुछ मिला-जुला रहा है।

उदाहरण के लिए, अनेक विनिर्माण उद्योगों ने उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने के लिए सस्ते मूल्य पर अच्छी क्वालिटी के उत्पाद बनाने के लिए अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण सुधार नहीं किया। इसमें बदलाव होना चाहिए।

फार्मास्युटिकल को छोड़कर, गिनी-चुनी कम्पनियों ने ही विश्व स्तर के उत्पाद बनाने और प्रक्रियाएं अपनाने के लिए अनुसंधान और विकास पर अपनी प्राप्तियों का 4 से 5 प्रतिशत निवेश किया है। यह प्रवृत्ति भी बदलनी चाहिए।

भारतीय कम्पनियों को पारदर्शिता, घोषणा और कम्पनी प्रशासन के ऊंचे मानदंड अपनाने चाहिए ताकि निवेशकों और शेयर धारकों का विश्वास सुदृढ़ किया जा सके। इस संदर्भ में मुझे इस बात से बड़ी निराशा हुई है कि कुछ ऐसी कम्पनियां हैं, जिन्होंने शेयरधारकों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन उगाहा और उसका दुरुपयोग किया।

सरकार और उद्योगों के बीच भागीदारी निश्चय ही मजबूत होनी चाहिए। विकास की 9 प्रतिशत सालाना दर का लक्ष्य हासिल करने के लिए यह सबसे जरूरी बात है, जिसकी घोषणा मैंने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संदेश में की थी। ऐसा करने के बाद ही हम दस वर्ष में अपनी प्रति व्यक्ति आय को दुगुना कर सकेंगे और भारत को विश्व की आर्थिक ताकत बना सकेंगे।

इसमें सरकार निश्चय ही नई चुनौतियों का सामना करने के उपाय शीघ्र करेगी और उसके लिए लचीला रुख अपनायेगी। इस दौरान उद्योग जगत को भी अपना दायित्व समझते हुए न केवल अपने को व्यवस्थित रखना होगा, बल्कि दूरदर्शिता और कल्पना शक्ति का परिचय देना होगा।

मैं अक्सर भारतीय व्यापार जगत से अपील करता रहा हूं कि वह अपने सामाजिक दायित्वों को पहले से अधिक स्पष्ट और कारगर ढंग से निभाये। यह अपील मैं आज फिर कर रहा हूं। भारत में सामाजिक क्षेत्र के विकास की चुनौतियां अत्यन्त विशाल हैं। हम सभी जानते हैं कि केन्द्र और राज्य सरकारों के पास इन चुनौतियों से निबटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है।

भारतीय व्यापार जगत को अपनी आय और मानव संसाधनों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक क्षेत्र के लिए तय कर देना चाहिए ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई और सामुदायिक कल्याण जैसी स्थितियों में सुधार लाया जा सके। मैं जानता हूं कि आप में से कई सदस्य पहले ही ऐसा कर रहे हैं। मैं उनके इस नेक कार्य की सराहना करता हूं। किन्तु, चूंकि चनौती बहुत भारी है, इसलिए आपके दायित्व का निर्वाह भी उसी अनुपात में होना चाहिए।

इस संदर्भ में, मैं उस रचनात्मक बातचीत की याद दिलाना चाहूंगा, जो विश्व एड्स दिवस पर मेरे और भारतीय व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के बीच हुई थी। इस घातक बीमारी के खिलाफ हमारे संघर्ष में व्यापार जगत की भागीदारी बढ़ाने के बारे में कई अच्छे सुझाव और प्रस्ताव पेश किए गए थे। मेरी आप सभी से अपील है कि सरकार के प्रयासों में योगदान करने के लिए आप एक कार्य-योजना तैयार करें।

मुझे उम्मीद है कि दो दिन के विचार-विमर्श के दौरान यह भागीदारी और मजबूत होगी। देशवासियों, खासकर निर्धन और उपेक्षितों के प्रति यह विश्वास पैदा करना, हमारा संयुक्त दायित्व है, कि आर्थिक सुधारों के लाभ उन तक पहुंचेंगे। हमें जीवन स्तर बेहतर होने और रोजगार के अधिक अवसर पैदा होने की उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होना चाहिए।

दूसरे शब्दों में, सुधारों में भागीदारी सिर्फ भारत सरकार और उद्योग जगत की नहीं, बल्कि भारत के आम लोगों की भी होनी चाहिए। मैं आपसे इस साझा लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करने की अपील करता हूं।

विकास की एक नई धारा

आज बड़ा दिन है। क्रिसमस है। यह एक पवित्र दिन है। ईसा मसीह ने शांति और भाईचारे का संदेश दिया। कुछ दिन बाद ईद का त्यौहार आने वाला है। ये सारे त्यौहार हम मिलकर मनाते हैं। ये राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाये जाएं, यह बहुत आवश्यक है। संयोग से कहिए या दुर्भाग्य से कहिए, आज मेरा भी जन्मदिन है। मैंने अपने मित्रों से कहा कि जन्मदिन मनाने की पुरानी परिपाटी को बदल दीजिए, कुछ नए ढंग से काम करिये। और, मुझे खुशी है कि आज हम दो योजनाओं को लेकर देशवासियों के सामने प्रस्तुत हैं और आज उनका शुभारंभ होने जा रहा है। एक योजना है सड़क निर्माण की। देश के दौरे में मैंने देखा है कि सड़कों का अभाव है। गांव की बात छोड़िए बड़े-बड़े शहरों में भी अच्छी सड़कें नहीं हैं, अगर सड़कें हैं तो उनमें गड्ढे ज्यादा हैं। एक बार मैंने मजाक में कहा था कि पता नहीं गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। दोनों गड़मगड़ा हैं। सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया।

ग्रामीण क्षेत्र सबसे अलग-थलग पड़े हैं। बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण जरूरी है, जिसकी अभी तक उपेक्षा हुई है। और, हम सारे देश में, जिनमें गांव शामिल हैं, ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं, सड़कों का जाल बिछाना चाहते हैं। सड़कों के निर्माण से रोजगार के अवसर मिलेंगे, विकास की गति तेज होगी। सड़कों के साथ और भी उद्योग-धंधे पनपेंगे। महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, लेकिन हमने तय किया है कि हम इसे पूरा करेंगे। हमारे देश का विकास हुआ है मगर उसमें असंतुलन है, जो पिछड़े थे वे पिछड़े ही रहे हैं। अगर आगे बढ़े हैं तो भी सबके बराबर आगे नहीं बढ़े हैं। और उसमें एक बाधा है, यातायात की कमी की, एक बाधा है सड़कों के अभाव की। हमने पिछले ढाई वर्षों में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। किसान को एक क्रेडिट कार्ड दिया है। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए सस्ती दर पर ऋण दिये जा रहे हैं। वाटर शेड मेनेजमेंट के नये कार्यक्रम हाथ में लिये गए हैं। ग्रामीण आवास के लिए अतिरिक्त धनराशि दी गई और हम सड़कों के निर्माण का एक समयबद्ध कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। हमारा संकल्प है कि अगले सात सालों में भारत के ऐसे सभी गांव, जिनकी आबादी पांच सौ से अधिक है, अच्छी और बारहमासी सड़कों के साथ जोड़े जाएं। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस आयोजन के लिए हम धन की कमी नहीं होने देंगे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा अंत्योदय अन्न योजना के शुभारंभ के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली, 25 दिसंबर 2000

आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमें ऐसे कटु अनुभव होते हैं, जिनमें धन का अभाव नहीं होता लेकिन उस धन के सदुपयोग की योजनाओं की कमी होती है। पैसा पड़ा है, खर्च नहीं हो रहा। अगर वह सब खर्च किया जाये और ठीक खर्च किया जाये तो धन का जो अभाव है, साधनों की जो कमी है, उसको पूरा किया जा सकता है। हम इसके लिए वित्तीय बाजार से भी सड़क निर्माण के लिए पैसा जुटायेंगे। और, हमें विश्वास है कि अगर हमने और भी तरीके निकाले तो जनता का उनमें समर्थन प्राप्त होगा। जहां कहीं संभव होगा, वहां सीमेंट की सड़कों का भी निर्माण किया जायेगा। सड़कों की आयु लम्बी हो, और उनकी देखभाल का भी प्रबंध किया जाये, यह बहुत आवश्यक है और इसके लिए हम इन्फारमेंशन टैक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रभावी मॉनीटरिंग की व्यवस्था करेंगे।

आजादी के बाद केन्द्र द्वारा प्रायोजित यह पहली सड़क योजना है। केन्द्र द्वारा देश के सामने रखी गई है और इसको गांव तक पहुंचाने का हमारा फैसला है। इसमें राज्य सरकारों के सहयोग की भी आवश्यकता होगी। सारे देश में एक नई विकास की धारा सड़कों के जाल के रूप में प्रवाहित करना चाहते हैं। यह जरूरी है कि सड़क निर्माण में लोग योगदान दें और देखभाल करने में और निगरानी करने में अपना सहयोग प्रदान करें। केवल सरकार पर यह काम नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जिस क्षेत्र में सड़क का निर्माण होता है उसके आस-पास रहने वाले लोग यह देखें कि सड़क ठीक से बन रही है या नहीं, जो सामान लग रहा है वह सही सामान है या नहीं। इसमें जनँ-सहयोग बहुत आवश्यंक है।

हमारे यहां निर्माण के कामों में जिस तरीके की ईमानदारी की जरूरत होती है उसका कभी-कभी अभाव हो जाता है और ठेकेदारों के भरोसे जब काम छोड़ दिया जाता है और कोई देखभाल नहीं करता तो फिर ऐसी सड़कें बनने की आशंका रहती है कि सड़क एक बार तो दिखाई दे मगर अगली बरसात के बाद यह ढूंढते-ढूंढते परेशान हो जाएं कि सड़क कहां थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है।

सड़क योजना के बाद अभी शांता कुमार जी ने आपको बताया कि वह अंत्योदय अन्न योजना भी शुरू कर रहे हैं। उनका मंत्रालय तैयार है। अन्न के भण्डार हमारे पास हैं। देश में कई भागों में सूखा है, लोग अन्न के अभाव को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है। उसको हमें ठीक करना पड़ेगा और जो योजना लेकर आए हैं, उसके अनुसार हमारे पास जो भण्डार भरा हुआ है और इतना अन्न का भण्डार हैं कि रखने की जगह नहीं है। इस बात की आशंका है कि

वह अन्न सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। 1 अक्तूबर को 181 लाख टन बफर मापदंड के बरक्स देश में 400 लाख टन खाद्यान्न भरा पड़ा है। हमें जरूरत है 181 लाख टन की, जो वक्त-बेवक्त के समय काम आ सके। लेकिन इस समय 400 लाख टन खाद्यान्न हमारे पास हैं। एक मुश्किल है, लोग कहते हैं कि आप अन्न का वितरण क्यों नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि किसान जो अनाज पैदा करता है उसको भी कुछ पूंजी मिले, कुछ राशि मिले।

और हमने 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं की जो घोषणा की है उससे अन्न का वितरण भी होगा और गरीब लोगों तक अनाज भी पहुंचेगा। देश में और भी समस्याएं हैं, हमने सब राज्य सरकारों से कहा है कि आप अपने-अपने क्षेत्र में जहां सूखा पड़ा हुआ है वहां काम शुरू करिये—निर्माण के काम, विकास के काम, स्थायी महत्व के काम। अकाल आता है, अभाव पड़ता है, लोग रोजगार के काम में लगाये जाते हैं लेकिन कोई स्थायी महत्व का काम नहीं होने पाता है। ऐसा काम जो आगे भी हमारे उपयोग में आ सके, जो स्थिति को बदल सके। इस बात पर बल दिया जा रहा है, जो गरीबी की रेखा के नीचे जो जीवन बीता रहे हैं उन सारे परिवारों के लिए इन सस्ती दरों पर अनाज देने की व्यवस्था होगी। 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल। गरीब की सेवा का यह सर्वोत्तम साधन है, सर्वोत्तम तरीका है।

अंत्योदय का अर्थ है कि जो सबसे लाइन में अन्तिम रूप में खड़ा हुआ है, जिसकी उपेक्षा हो रही, जो दलित है, पीड़ित है मगर कोई चिन्ता नहीं करता। अन्न भरा पड़ा है, मगर ऐसी स्थिति है कि लोग भरपेट भोजन नहीं पा रहे हैं। इनमें क्रय शक्ति का अभाव है। लेकिन मैं एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि यह धारणा पैदा की जा रही है कि नये सुधारों, आर्थिक सुधारों के कारण रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। इन दोनों बातों का कोई संबंध नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि देश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिताने वाले लोगों का प्रतिशत घटा है। आंकड़े बोलते हैं। यह मैं प्रचार के लिए नहीं कह रहा। लेकिन देश में कभी-कभी निराशा का वातावरण पैदा करने के लिए और सरकार के विरोध में कुछ कहने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं जिनका यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए बीच में यह खबर उड़ा दी गई कि दूध विदेशों से आ रहा है। पूछा गया—कहां दूध आ रहा है, कितना दूध आ रहा है। दूध की देश में कमी नहीं है। बाद में पता लगा कि दूध नहीं आ रहा। लेकिन खबर फैल गई। और हम डब्ल्यू टी ओ के सदस्य हैं, पुरानी सरकार का फैसला है, उसमें शामिल

होना एक तरह की मजबूरी है। लेकिन उसमें भी अगर प्रतियोगिता के लिए भारत तैयार हो, भारत का किसान तैयार हो और जो उद्योग निर्माता हैं वे तैयार हों तो उसमें भी हम लाभ उठा सकते हैं और हमने लाभ उठाने का फैसला किया है। अगर बाहर से कोई ऐसा माल आ रहा है जो हमारे उद्योग को क्षति पहुंचाये तो हम उस पर ड्यूटी लगा सकते हैं, लगा रहे हैं ड्यूटी। लेकिन आप गलत प्रचार में न आयें, इस बात की बहुत आवश्यकता है।

अभी अंत्योदय योजना में अनाज तैयार है और भूखे लोग बैठे हैं। उस तक अनाज पहुंचाना और ईमानदारी से पहुंचाना, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी और समाज का भी दायित्व होगा। और इसलिए गैर-सरकारी प्रयत्नों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। नौजवान इसके लिए निकलें, काम हाथ में लें और देखें। पिछले बजट में हमने ऐलान किया था कि जो अत्यधिक गरीब हैं, उनको 'अन्नपूर्णा योजना' में दस किलो अनाज हर महिने देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने बाद में देखा, आंकड़े देखे अनाज लेने वाले नहीं हैं। लोग भूखे हैं, भण्डार में अनाज है, लेकिन बीच की कड़ी गायब है। वह कड़ी है शासन तंत्र की भी और समाज के दायित्व की भी। इसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

नया साल आ रहा है, नई शताब्दी शुरू हो रही है। नई सहस्राब्दी हमें चुनौती दे रही है। जरूरत इस बात की है कि हम इस चुनौती को स्वीकार करें और निराशा की, हताशा की सारी बातें छोड़कर मिलकर विकास के काम में जुट जाएं। इस समय आवश्यकता है विकास की। और, लोगों में विकास की भूख बहुत बढ़ रही है। अगर विकास संतुलित होता तो हमारी अनेक समस्याएं हमारी टाली जा सकती थीं। मगर हमने विकास का ऐसा ढांचा अपनाया कि जिसमें गांव की तरफ जितना लक्ष्य दिया जाना चाहिए था वह लक्ष्य नहीं दिया गया था। उसकी कमी हम पूरी कर रहे हैं। यह बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण, यह गांव के दृश्य को बदलेगा—ऐसा हमारा विश्वास है।

आज इसका श्रीगणेश किया जा रहा है, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम इसे पूरा करके दिखाएंगे।

बंगलौर में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

आज इस यादगार मौके पर आपके बीच उपस्थित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बंगलौर, भारत का गौरव है। इसका यह नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी भारत का गौरव होगा। निजी क्षेत्र के सहयोग से आज हम एक अनूठी हवाई अड्डा परियोजना का श्रीगणेश कर रहे हैं। यह भारत के नागरिक उड्डयन के इतिहास में एक गौरवशाली कदम है।

बंगलौर, देश के विमानन उद्योग की राजधानी है। यहां इसरो, हाल, एन.ए.एल., ए.डी.ए. जैसे अनेक प्रतिष्ठित संस्थान हैं। सॉफ्टवेयर निर्यात में अग्रणी होने के नाते बंगलौर को भारत की *सिलीकॉन वैली* के नाम से भी जाना जाता है। इसने विश्व के सूचना प्रौद्योगिकी के मानचित्र पर अपना नाम स्वयं अंकित किया है इसलिए यहां कम से कम विश्वस्तर का हवाई अड्डा तो होना ही चाहिए।

कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां उद्योगों के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण है तथा इसने विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को आकर्षित किया है। इसके अलावा कर्नाटक में अनेक खूबसूरत प्राकृतिक स्थल और ऐतिहासिक स्मारक हैं। यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। यहां फूल-पत्तियों और कई अन्य मूल्यवान किंतु जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात की भी बड़ी संभावनाएं हैं। लेकिन इस वक्त जो हवाई अड्डा है उसकी सीमाएं सीमित हैं जिसके कारण कर्नाटक के यात्रियों के आवागमन और माल ढुलाई में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी उसमें बाधा आ रही है।

कर्नाटक की जनता और यहां की सरकार काफी लम्बे समय से बंगलौर में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने की मांग कर रही थी। राज्य के सभी राजनीतिक दल इस मांग को लेकर एकजुट थे। मुझे याद है कि नवंबर 1998 में जब बंगलौर में सूचना टेक्नोलोजी के बारे में सम्मेलन हुआ था तो उसका उद्घाटन करते हुए इस मांग को पूरा करने के लिए मैंने हामी भरी थी। आज वह शुभ दिन आ गया है जब हम सभी की इच्छा पूरी हुई है। मुझे खुशी है कि आज इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमिपूजन के अवसर पर मैं आपके बीच मौजूद हूं।

बंगलौर के नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भूमि पूजन के अवसर पर दिया गया भाषण, बंगलौर, 19 जनवरी, 2001

मैं यहां श्री अनंत कुमार का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा, जब वे नागरिक उड्डयन मंत्री थे तो उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके उत्तराधिकारी श्री शरद इस परियोजना की सफलता सुनिश्चित करेंगे। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शुरूआती दौर में इस परियोजना को साकार करने में जो देरी हुई, वह आगे नहीं होगीं।

यदि हम एक ऐसा हवाई अड्डा बनाना चाहते हैं जो ध्वनि की गति से भी तेज उड़ने वाले सुपर सोनिक विमानों को सेवाएं मुहैया करा सके, तो हमारी उस प्रशासनिक मशीनरी को भी सुपर सोनिक गति से काम करना होगा जो परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करती हैं और उन्हें लागू करती है। इसलिए बंगलौर का नया हवाई अड्डा हमारी अन्य प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए एक आदर्श होना चाहिए, जो यह साबित कर सके कि भारत विश्व स्तर की परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी कर सकता है। मैं यह चाहूंगा कि हमारा यह काम जल्द से जल्द पूरा हो।

मुझे यह बताया गया है कि *बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कंपनी* निजी भागीदारी के चयन से पूर्व ही परियोजना के प्रारंभिक कार्यों को आज से ही शुरू कर देगी। अगले चार-पांच महीनों में जमीन खरीदने, उसे समतल बनाने, पर्यावरण की स्वीकृति लेने और अन्य कार्यों पर 300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करके इस हवाई अड्डे के वास्तविक निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। हमें सभी ढांचागत परियोजनाओं में, चाहे वे निजी क्षेत्र की हों अथवा साझा क्षेत्र की, इसी प्रकार की पहल करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समय और धन की बर्बादी नहीं हो।

परियोजना के प्रारंभिक कार्यों को पूरा करने से सरकार यह सुनिश्चित कर सकेगी कि परियोजना के अंतिम चरण का कार्य तेजी से हो सकेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में निजी निर्माण कंपनियां परियोजना को वास्तविक रूप से पूरा करने के तकनीकी कार्य को आसानी से अंजाम दे सकेंगी।

पूरे विश्व के लिए हवाई अड्डे किसी भी देश की उन्नति का प्रतीक हैं। हवाई अड्डों को देखकर ही यात्री किसी देश के बारे में मन में पहली धारणा कायम करते हैं। इसकी गुणवत्ता और रख-रखाव पर यदि हम समुचित ध्यान दें तो इन्हें बखूबी राष्ट्रीय गौरव के चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के सहयोग से हवाई अड्डे के निर्माण की जो परिकल्पना की है, सचमुच मुझे उस पर गर्व है। यह राज्य और केंद्र के बीच आदर्श संबंधों का एक जीवंत उदाहरण होगा।

सतत विकास के लिए विश्वव्यापी प्रयास

सतत विकास के बारे में महत्वपूर्ण सम्मेलन के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के अलावा विकसित और विकासशील, दोनों ही देशों के कई प्रमुख भागीदारों की मौजूदगी के लिए मैं उनका आभारी हूं।

सम्मेलन की तीन प्रशंसनीय विशेषताओं के लिए मैं टाटा ऐनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट को बधाई देता हूं। इसकी पहली खासियत यह है कि दिल्ली सम्मेलन ने इस महत्वपूर्ण विषय पर विश्वव्यापी बहस में विकासशील देशों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है। दूसरी, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गरीबी दूर करना है, जो एक बुनियादी पहलू है, जिसका हल भूमंडलीकरण द्वारा अवश्य किया जाना है। तीसरे, मैं आयोजकों की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि उन्होंने गरीबी को एक विश्वव्यापी चुनौती के रूप में उजागर किया है। यह चुनौती न केवल सरकारों के लिए, बल्कि उद्योग, वैज्ञानिकों और समूचे नागरिक समाज के लिए है।

पिछला दशक दो एतिहासिक घटनाओं के लिए जाना गया है। 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें सतत या स्थायी विकास को अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची में सबसे ऊपर रखा गया। इससे पहले विश्व समुदाय ने कभी भी इतने जोरदार ढंग से यह स्वीकार नहीं किया था कि विकास अगर स्थायी या निरन्तर नहीं है, तो उसे विकास नहीं कहा जा सकता। तीन वर्ष बाद 1995 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय या विश्वव्यापी बाजार को औपचारिक स्वरूप मिला।

उसके बाद से भूमंडलीकरण और स्थायी विकास के बारे में एक बहस शुरू हुई जिसका संबंध विकास के आयामों और गतिशीलता दोनों के साथ था। यह जागरूकता बढ़ने लगी कि गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और संतुलित विकास की चुनौतियों से एकजुट और समन्वित वैश्विक कार्रवाई से ही निबटा जा सकता है।

सार्थक और कारगर वैश्विक कार्रवाई के लिए, हमें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय असमानताओं की मात्रा को समझना पड़ेगा। विश्व बैंक के विश्व विकास संकेतकों से पता चलता है कि दुनिया की कुल जनसंख्या का छठा भाग ऐसा है जो विश्व की

सतत विकास के बारे में सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 7 फरवरी 2001

कुल आय का 78 प्रतिशत प्राप्त करता है, जो 70 डालर प्रतिदिन बैठती है। दूसरी ओर विश्व की 60 प्रतिशत आबादी निर्धनतम 61 देशों में वास करती है, जिसकी दुनिया की आय में मात्र 6 प्रतिशत भागीदारी है, जो 2 डालर प्रतिदिन से भी कम बैठती है।

भूमंडलीकरण का युग प्रारम्भ होने के समय विश्वव्यापी गरीबी के बारे में अचंभित करने वाले कटु तथ्य हमारे समक्ष मौजूद हैं। भारत की तरह गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत कई देशों में कम हुआ होगा। किन्तु, अमीर और गरीब के बीच आनुपातिक अन्तर बढ़ गया है। यह अन्तर राष्ट्रों के भीतर और विभिन्न राष्ट्रों के बीच, दोनों ही स्तरों पर बढ़ा है। प्रौद्योगिकी, व्यापार और भूमंडलीकरण से उत्पन्न अन्य अवसरों का लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुआ है। इसी का यह नतीजा है कि अमीर जिस दर से और अमीर होते जाते जा रहे हैं, गरीबी उन्मूलन की दर उसके साथ टिक नहीं पा रही है।

यह भी एकदम साफ है कि गरीबी को विशुद्ध आय के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता। आय के स्तर से अधिक महत्व इस बात का है कि खुशहाल जीवन के लिए अवसरों और अधिकारों तक पहुंच कितनी है, या उनका अभाव कितना है। आधुनिक युग में सामान्य पारिवारिक और सामाजिक संबंधों की उपेक्षा और स्वयं के सांस्कृतिक जीवन का विकास करने के अवसरों का अभाव भी गरीबी की महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल हो गया है। उदाहरण के लिए शहरी तंग बस्तियों में अमानवीय और व्यक्तित्वहीन जीवन जी रहा प्रवासी श्रमिक भले ही अपने गांव के संतुलित सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण की तुलना में अधिक धन कमा रहा हो, लेकिन उसे यह नहीं कहा जा सकता कि वह बेहतर और परिपूर्ण जीवन जी रहा है।

गरीबी के परिमाण और बदलते अर्थ ने एक बात साफ कर दी है कि उसे सभी की आय में बढ़ोतरी की परम्परागत कार्यनीति द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में यह उम्मीद करना बेमानी है कि आय में वृद्धि होने पर निर्धन भी आवश्यक सुविधाएं खरीद लेंगे। अत्यन्त अमीरों का उपभोक्तावाद वैश्विक वातावरण के लिए अभिशाप बन गया है। इस अभिशाप का भूमंडलीकरण करके हम गरीबी दूर करने और स्थायी विकास का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते। धरती के सीमित संसाधनों पर अनर्थकारी दबाव डाले बिना यह संभव नहीं हो सकता कि अमीर देशों की जीवन-शैलियों की अनुकृति समूचे विश्व में होने लगे।

निर्धनता के अर्थ से अधिक वाकिफ होने के साथ ही हम विकास के अर्थ के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं। अगर हम आर्थिक विकास की एक आयामी दौड़

में मानव और उसकी आकांक्षाओं की अनदेखी करते हैं तो दुनिया में अधिकाधिक लोगों का आश्चर्य होगा। औद्योगिक सभ्यता ने अभूतपूर्व भौतिक सम्पदा एकत्र कर ली है। इसके साथ ही भौतिक और मनोवैज्ञानिक समृद्धि के बीच अभूतपूर्व असंतुलन भी पैदा हो गया है।

विश्व समुदाय इस असंतुलन की अनदेखी नहीं कर सकता। इसलिए नई सदी में विश्व को ऐसी नई जीवन-शैलियों को अपनाने पर बल देना होगा, जो मूल्यों के ऐसे समूह से संचालित हों, जिनमें सहानुभूति, सहयोग, पर्यावरण की देखभाल और जीवन में आनन्द पर बल दिया गया हो।

प्रतिष्ठित प्रतिनिधियो! हम सभी जानते हैं कि संकीर्ण आर्थिक आदर्श पर ध्यान केन्द्रित करके न तो दुनिया से गरीबी दूर की जा सकती है और न ही स्थायी विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसके साथ ही, हम किसी देश के भीतर और विभिन्न देशों के बीच आर्थिक संबंधों के पुनर्निर्माण में महत्व को काम करके नहीं आंक सकते। आवश्यकता इस बात की है कि हम एक व्यापक और बृहत् विश्वनीति अपनायें, जिसमें हमारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी विषयक संसाधनों को शामिल किया जा सके।

इस संदर्भ में मैं कुछ सुझाव आपके विचार के लिए रखना चाहूंगा।

पहला, यह कि विकासशील देशों में सरकारी संसाधनों में खासा बढ़ोतरी की जाये ताकि विकास परियोजनाओं और खासकर निर्धनता उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को चलाया जा सके। बहुराष्ट्रीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों के संसाधनों में भी खासा बढ़ोतरी की आवश्यकता है। इसके लिए औद्योगिक राष्ट्रों में पहले से अधिक राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी है। खासकर, मैं विकसित देशों से अनुरोध करूंगा कि वे जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को शीघ्र अंजाम देने में सहयोग करें।

दूसरे, अब समय आ गया है कि हम विकसित राष्ट्रों के बीच पूंजी-प्रवाह और विकासशील देशों से होने वाले सभी पूंजी-प्रत्यावर्तनों पर अंतर्राष्ट्रीय लेवी (शुल्क) लागू करें। इससे प्राप्त होने वाले धन को 'विश्व गरीबी उन्मूलन कोष' में जमा कराया जा सकता है, जिसके निम्नांकित उद्देश्य हो सकते हैं।

.कम आय वाले देशों के सार्वजनिक विदेशी कर्जों को तेजी से उतारना।

निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों में उन लोगों की खासतौर पर मदद की जाये, जिन्होंने उस आर्थिक संकट में जीविका गंवा दी, जो विकासशील देशों से विदेशी पूंजी के प्रतिकूल प्रवाह के कारण पैदा हुआ था।

निर्धन राष्ट्रों में कौशल को बढ़ावा देना और उन्हें अधिक धन उपलब्ध कराना ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में कारगर ढंग से होड़ कर सकें।

विकासशील देशों में ऐसी प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करना जो जीवन बचाने, खाद्य पैदावार बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार काम आने वाली ऊर्जा पैदा करने और स्वच्छ उत्पादन में सहायक हो सके।

तीसरे, प्रौद्योगिकी—खासकर, सूचना प्रौद्योगिकी—से उत्पादकता में भारी बढ़ोतरी हुई है। आई टी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सतत विकास के लिए भी एक क्रांतिकारी साधन सिद्ध हुई है। किन्तु, आई टी तक समान पहुंच न होने से एक 'डिजिटल डिवाइड' का खतरा पैदा हो गया है। आई टी रखने वालों और आई टी रहित देशों के बीच अन्तराल तेजी से कम करने के लिए हमें मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करनी होगी। इस संदर्भ में भारत अपनी विशेषज्ञता अन्य देशों को देने को तैयार है। हम भी दूसरों के सफल अनुभवों से सीखना चाहते हैं।

चौथी बात, प्राकृतिक आपदाओं, खासकर विकासशील देशों में, इनसे निबटने के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाओं में अमीरों के मुकाबले हमेशा गरीबों को ही अधिक नुकसान होता है। सभी देशों को सूचना और अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो आपदाओं को रोकने, उनसे होने वाली क्षति कम करने, और राहत, पुनर्वास तथा निर्माण कार्यों का बेहतर प्रबन्ध करने में सहायक हों। इस बारे में मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आभार व्यक्त करता हूं जिसने पिछले महीने गुजरात में विनाशकारी भूकम्प के बाद भारत को बड़ी उदारता के साथ मदद पहुंचाई।

मुझे खुशी है कि टी ई आर आई ने स्थायी विकास के बारे में दिल्ली सम्मेलन के अवसर पर *दिशा* नाम की एक शानदार पुस्तक प्रकाशित की है। इसमें पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों, बाजार-आधारित उपकरणों के इस्तेमाल, कोर्पोरेट सेक्टर के लिए नई आचारसंहिता और सभी स्तरों पर कारगर प्रशासन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। पुस्तक में बड़े ही विश्वास के साथ कहा गया है कि सरकार, सिविल सोसायटी, अनुसंधान संस्थानों और कोर्पोरेट सेक्टर को उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करना होगा, जो हमने भविष्य के लिए निर्धारित किए हैं।

हमें स्थायी विकास के सभी पहलुओं में विशेष रूप से लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है, चाहे समुदाय संचालित जल संरक्षण हो, या पुराने वाहनों के स्थान पर नए प्रदूषण मुक्त सी एन जी-वाहन चलाने की बात हो, या रिहायशी इलाकों से

प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों को हटाने का मसला हो, लोगों के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस दिशा में सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग करना होगा।

उदाहरण के लिए, जनवरी 2000 में गुजरात सरकार द्वारा शुरू किए गए सरदार पटेल भागीदारी जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत लोगों की भागीदारी से करीब 10,500 रोकबांध सफलतापूर्वक बनाए गए। इस तरह की रचनात्मक भागीदारी की अनिवार्यता प्रकाश में लाने में मीडिया (संचार माध्यमों) को भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी।

मित्रो! तीन दिन के सम्मेलन के दौरान आप स्थायी विकास के बारे में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारतीय प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से काफी कुछ सीख सकते हैं। साथ ही, मुझे विश्वास है कि प्रतिष्ठित विदेशी प्रतिनिधियों को गरीबी दूर करने और स्थायी विकास के बारे में भारत के अनुभवों की बेहतर जानकारी मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मुझे इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

विद्युत क्षेत्र सुधारों के बारे में साझा दृष्टिकोण

आज हम लोग यहां एक महत्वपूर्ण सम्मेलन के लिए एकत्र हुए हैं। यह सम्मेलन हमारे देश के आर्थिक इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर हो रहा है। हमारे सामने उज्जवल भविष्य का रास्ता है। लेकिन कई मौजूदा समस्याओं ने इस रास्ते को ऊबड़ खाबड़ बना दिया है।

इनमें से एक बड़ी समस्या विद्युत क्षेत्र की है। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन में इस आधारभूत क्षेत्र की चुनौतियों के सभी पहलुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा और इसे निरंतर विकास पर अग्रसर रखने की कोई ठोस रणनीति बनाई जाएगी।

निस्संदेह, स्वतंत्रता के बाद से विद्युत क्षेत्र में भारत की प्रगति प्रभावशाली रही हैं। आत्म-निर्भरता के जिस रास्ते को हमने चुना था, वह सही साबित हुआ है। इस

विद्युत क्षेत्र सुधारों के बारे में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाषण, नई दिल्ली, 3 मार्च 2001

क्षेत्र में बी. एच. ई. एल., एन. टी. पी. सी., एन. एच. पी. सी., एन. पी. सी. आई. एल., पी. जी. सी. आई. एल. जैसे हमारे सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों का राष्ट्र के प्रति सेवा और व्यापारिक सफलता का एक शानदार रिकार्ड है।

लेकिन यह सराहनीय सफलता इस बात को झुठला नहीं सकती कि देश की तेजी से बढ़ती बिजली की जरूरतों के हिसाब से यह पर्याप्त नहीं है। आज भी, हमारे लगभग 80,000 गांव बिना बिजली के हैं। हमारे 40 प्रतिशत से भी कम परिवारों में बिजली नहीं है। पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण के विस्तार की गति में स्पष्ट ढिलाई दृष्टिगत हुई है। आपके समर्थन से हम नियोजन प्रक्रिया में ग्रामीण विद्युतीकरण को एक बुनियादी न्यूतम सेवा के रूप में शामिल करना चाहेंगे और हम यह भी चाहेंगे कि इस कार्य को पूरा करने का राष्ट्रीय लक्ष्य 10वीं योजना के अंतिम वर्ष, 2007 तक प्राप्त कर लिया जाए।

लगातार चिंता का विषय है कि हमारी प्रति व्यक्ति बिजली खपत दुनिया में सबसे कम दर की श्रेणी में आती है। यह केवल 350 यूनिट है। उतनी ही चिन्ता का विषय यह है कि जिन उद्योगों में संपत्ति और रोजगार सृजन की निर्विवाद संभावनाएं हैं, वे भी पर्याप्त व सुनिश्चित बिजली सप्लाई के अभाव को झेल रहे हैं।

सस्ती दरों पर और विश्वसनीय बिजली सप्लाई के बगैर, भारतीय उद्योग और कृषि न तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा में टिक सकती है और न ही घरेलू बाजार में विदेशी उत्पादों से उत्पन्न प्रतियोगिता का मुकाबला कर सकती है। अगर हम तत्काल सुधार के उपाय नहीं करते तो विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया इन कठिनाइयों को और भी बढ़ा देगी।

तेजी से बढ़ती अपनी जरूरतों को देखते हुए हमें अगले 10 वर्षों में बिजली उत्पादन की अपनी क्षमता में 1,00,000 मेगावाट की वृद्धि करनी होगी। दूसरे शब्दों में, जो हम पिछले 53 सालों में नहीं कर पाए हैं, उसे अगले 10 वर्षों में करना होगा। इस महती कार्यक्रम पर पारेषण और वितरण प्रणालियों की संबद्ध लागत समेत 8,00,000 करोड़ रु. का खर्च आएगा, इसके लगभग आधे की व्यवस्था हमें निजी और विदेशी निवेशों से करनी होगी।

मित्रो, हमें आज ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि विद्युत क्षेत्र में सुधार के हमारे प्रयास सही ढंग से नहीं चल पाए हैं। निजी क्षेत्र द्वारा शुरू की गईं कई परियोजनाएं तो पिछले आठ सालों से मौजूद समर्थ नीतिगत ढांचे के बावजूद, सिरे ही नहीं चढ़ पाई हैं। अब तक स्वतंत्र बिजली उत्पादक केवल 5,000 मेगावाट क्षमता

ही जोड़ पाए हैं और केवल 5,000 मेगावाट की क्षमता निर्माणाधीन है। हमारी राज्य विद्युत उपयोगिताओं की उचित भुगतान सुरक्षा व्यवस्था न होने की असमर्थता की वजह से कई व्यावहारिक परियोजनाएं 'फाइनेंशियल क्लोजर' प्राप्त करने में विफल रही हैं।

यह स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है ? मूल कारण यह है कि इस क्षेत्र की समस्याओं को हम संपूर्ण और दीर्घावधि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने में विफल रहे हैं। हमारे प्रयास आंशिक रहे हैं और हिस्सों में किए गए प्रयास एक-दूसरे से जुड़ने और एक-दूसरे के पूरक बनने में कामयाब नहीं हुए हैं। उत्पादन, पारेषण, वितरण और खपत बिजली के समन्वित चक्र के हिस्से हैं। नाजुक शुरूआती चरणों में हम इस बात पर नहीं ध्यान दे पाए। हमें बिजली उत्पादन से, अगर पहले नहीं तो कम से कम उसके साथ-साथ वितरण क्षेत्र के सुधारों पर गौर करना चाहिए था।

एक और प्रत्यक्ष कारण हमारे सुधारों के आड़े आया। हमारा एक संघीय ढांचा है। सुधारों के वांछित परिणाम तब ही निकल सकते हैं, जब केंद्र और राज्यों के बीच अच्छा तालमेल हो। बिजली समवर्ती सूची का विषय. है और इसके वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। इसलिए शुरू ही से स्पष्ट था कि बिजली क्षेत्र के सुधार राज्य संरकारों के पूर्ण सहयोग के बिना सफल नहीं हो पाएंगे।

हम सभी जानते हैं कि वितरण के क्षेत्र में मुख्य समस्या लगभग सभी राज्य बिजली बोर्डों की घटिया स्थिति है। इसका कारण है कि हम तर्कसंगत वाणिज्यिक सिद्धांत पर अमल नहीं कर रहे हैं कि जो बिजली का इस्तेमाल करे, वह पैसा दे। कोई शक नहीं कि यह बात समझ में आती है कि गरीब किसानों, कुटीर उद्योगों और समाज के उपेक्षित वर्ग के परिवारों को सब्सिडी पर बिजली दी जानी चाहिए। लेकिन आज उपभोक्ताओं की कई ऐसी श्रेणियां हैं, जिन्हें खेती के नाम पर बिजली या तो मुफ्त मिल रही है या बहुत ही सब्सिडी वाली दरों पर मिल रही है। कुछ भी हो, सुपात्रों को सब्सिडी मिलनी ही चाहिए और उसके लिए स्पष्ट रूप से बजटीय सहायता का प्रावधान होना चाहिए। गैर-तर्कसंगतपूर्ण ढंग से कई स्रोतों से सब्सिडियों या राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय व्यावहारिकता की कीमत पर उन्हें बनाए रखा नहीं जा सकता।

एक और बात है, जिससे स्थिति और भी बिगड़ती है। भारत में केवल 40 प्रतिशत विद्युत आपूर्ति के लिए बिल बनाए जाते हैं। और, जिन स्रोतों को बिजली आपूर्ति के बिल दिए जाते हैं, उन सभी से भुगतान वसूला भी नहीं जाता है। इस सबका मिला-जुला परिणाम हमारे राज्य बिजली बोर्डों को जबरदस्त नुकसान के रूप में सामने

आता है। यह नुकसान हर साल 24,000 करोड़ रु. के स्तर पर होता है। इन नुकसानों ने कई राज्य सरकारों की माली हालत और भी बिगाड़ दी है।

पारेषण और वितरण में होने वाले अवांछित उच्च तकनीकी नुकसानों के अलावा हमारे राज्य बिजली बोर्ड एक और तरह के नुकसानों को झेल रहे हैं, जिन्हें यशवंत सिन्हाजी अन्य टी एंड डी नुकसानों, अर्थात चोरी-डकैती के नुकसानों की संज्ञा देते हैं। मुझे बताया गया है कि हर साल बिजली की चोरी से 20,000 करोड़ रु. का भारी नुकसान होता है। क्या हमें इन नुकसानों को दो साल के भीतर खत्म करने का बीड़ा नहीं उठाना चाहिए? मेरा सुझाव है कि सभी राज्य एक साल के भीतर एक ऐसी निगरानी योग्य कार्य-योजना को अमल में लाएं, जिसके तहत सभी उपभोक्ताओं के लिए ऐसे मीटरों की व्यवस्था की जाए, जिनके साथ छेड़-छाड़ न की जा सके।

मित्रो, पिछले पांच सालों में यह चौथा ऐसा सम्मेलन है। हमने कई युक्तिसंगत फैसले लिए हैं। 1993 में राष्ट्रीय विकास परिषद के छह मुख्यमंत्रियों की समिति की सिफारिशों से जिनकी शुरूआत हुई। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि इन सिफारिशों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन बड़ा ही धीमा रहा। हमें सुधार प्रक्रिया में तात्कालिकता की भावना के साथ तेजी लानी है, ताकि हमारे राज्य बिजली बोर्डों की आर्थिक सेहत और विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश के प्रवाह पर इन सुधारों का प्रभाव पड़े।

सुधार प्रक्रिया हम सबके लिए सीखने का एक बड़ा उपयोगी अनुभव रहा है। बिजली क्षेत्र में सुधारों के शुरूआती दौर में हमने निजी क्षेत्र के उत्पादकों के लिए गारंटी-शुदा मुनाफे का दृष्टिकोण अपनाया। इसकी वजह से टैरिफ की दरें अस्वीकार्य तौर पर काफी अधिक हो गईं। महाराष्ट्र की दाभोल बिजली परियोजना, इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है। मुझे उम्मीद है कि यह मसला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। इससे एक बार फिर बिजली क्षेत्र सुधारों के प्रति एक संपूर्ण तथा दीर्घावधि नजरिए की जरूरत रेखांकित हुई है।

जैसा कि इस सम्मेलन की कार्यसूची रेखांकित करती है, हमें अपनी प्राथमिक वितरण व्यवस्था को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यावहारिक बनाना होगा, ताकि बिजली उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं में निजी निवेशकों का भरोसा बढ़ सके। हमें कुछ आई. पी. पी. को भी समर्थ बनाना होगा, ताकि वे शीघ्रातिशीघ्र फाइनेंशियल क्लोजर की स्थिति प्राप्त कर सकें। हमें ढांचागत सुधारों, पुरानी उत्पादक इकाइयों को फिर से सक्षम बनाकर और वितरण नुकसानों को घटाकर, राज्य विद्युत उपयोगिताओं की संचालनीय कार्य-कुशलता को बढ़ाना होगा। कार्यसूची-पत्रों में कस्बों और ग्रामीण

इलाकों की बिल वसूली की जिम्मेदारी नगरपालिका परिषदों, पंचायतों और सहकारिताओं को सौंपने का एक अच्छा सुझाव है।

राज्य बिजली बोर्डों को नया जीवन देने की रणनीति के साथ गहराई से जुड़ा सवाल कृषि टैरिफ का है। हमारे किसान जानते हैं कि अगर उन्हें उचित दर पर बिजली की सुनिश्चित सप्लाई मिले, तो उनके हितों की बेहतर रक्षा हो सकेगी। वे यह भी जानते हैं कि मुफ्त, लेकिन अनियमित बिजली सप्लाई के क्या नुकसान होते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे किसान हमारी कोशिशों का समर्थन करेंगे, बशर्ते कि हम समग्र सुधार रणनीति उन्हें ईमानदारी से समझा पाएं। इसकी शुरूआत हम 1996 के मुख्यमंत्री सम्मेलन में पारित राष्ट्रीय न्यूनतम साझी कार्य-योजना के क्रियान्वयन से कर सकते हैं। इसने खेती के लिए कम से कम 50 पैसे के टैरिफ की सिफारिश की थी तथा तीन सालों में इसे औसत लागत के आधे तक लाने को कहा था।

इसी प्रकार हमें अपने सुधार प्रयासों के प्रति उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों और बिजली बोर्डों के कर्मचारियों का समर्थन पाने के लिए एकजुट प्रयास करने होंगे।

मैं सभी राज्यों से अगले छह महीनों के भीतर राज्य विद्युत नियामक परिषदों को क्रियाशील बनाने और उनके टैरिफ आदेशों को मानने का आग्रह करता हूं।

संसद के इस सत्र में एक व्यापक विद्युत विधेयक लाया जाएगा। इसके पारित होने पर राज्य सरकारों को बिजली क्षेत्र में सुधारों को लागू करने का कानूनी ढांचा मिल जाएगा। इस संबंध में दूरगामी कदम उठाने के लिए मैं उड़ीसा सरकार को बधाई देता हूं। इसी तरह हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और दिल्ली सरकारों ने भी वितरण को मुक्त करने और अंततः इसके निजीकरण या वाणिज्यीकरण की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

राज्य सरकारों के सुधार संबंधी प्रयासों के समर्थन में केन्द्र ने कई कदम उठाए हैं। मैं समझता हूं कि हरेक राज्य की अपनी अलग समस्याएं हैं तथा उन्हें सुधारों का अपना मार्ग स्वयं ही चुनना होगा। सभी राज्यों के लिए एक ही खाका बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इसलिए विद्युत मंत्रालय, राज्यों को उनके विशिष्ट समयबद्ध सुधार कार्यक्रम में मदद करने के लिए उनके साथ राज्य-विशेष सहमति ज्ञापन कर रहा है।

मुझे खुशी है कि विद्युत मंत्रालय पन बिजली विकास को एक नई गति प्रदान कर रहा है। हमारी 1,50,000 मेगावाट से भी अधिक की अछूती पन बिजली क्षमता है, जिसे हमें अगले कुछ दशकों में पूरी तरह से विकसित करना होगा। राज्यों के बीच मतभेदों के कारण कुछ अच्छी परियोजनाओं के विकास में अनावश्यक देरी हो रही

है। मुझे विश्वास है कि आपसी सद्भाव और सहयोग से हम शीघ्र ही सबके भले के लिए इन मतभेदों को हल कर सकेंगे।

मैं चाहूंगा कि इस सम्मेलन में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल में कैसे तेजी लाई जाए, इस पर भी विचार हो। हमारा लक्ष्य अगले 10 वर्षों में अतिरिक्त नियोजित क्षमता का 10 प्रतिशत, अर्थात 10,000 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने का है। हमें पवन ऊर्जा फार्मों और चीनी मिलों में खोई-आधारित सह-जनन इकाइयों को बढ़ावा देना है, जिसके लिए एक गहन कार्यक्रम चलाना होगा। हमारी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के साथ-साथ, सह-जनन इकाइयों से गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग को भी फायदा पहुंचेगा, जो इन दिनों कठिनाईपूर्ण दौर से गुजर रहा है।

ऊर्जा संरक्षण का भी आजकल उतना ही महत्व हो गया है, जितना कि ऊर्जा उत्पादन का है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता पर असर डाले बिना ऊर्जा खपत में कमी करने की भारी संभावनाएं हैं। ऊर्जा की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए एक मजबूत राष्ट्र-व्यापी अभियान चलाने की जरूरत है। इस समय संसद के विचाराधीन मौजूद ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2000 के लागू होने से राज्य सरकारों को अनिवार्य ऊर्जा आकलन के लिए ऊर्जा-प्रधान उपभोक्ताओं को नामित करने का अधिकार मिल जाएगा।

मैं आपका ध्यान ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 जनवरी को उत्तरी क्षेत्र में ग्रिड गंभीर रूप से ठप्प हो गया था। इसका मुख्य कारण ग्रिड अनुशासन की कमी थी। मैं चाहूंगा कि ऊर्जा मंत्रालय ग्रिड प्रबंध की अपनी व्यवस्था को सुधारे, ताकि ऐसी किसी भी विफलता को उचित समयसीमा के भीतर ठीक किया जा सके।

प्रिय मुख्यमंत्री गण, यह सम्मेलन भारत की राजनैतिक विविधता के एक व्यापक क्षितिज का प्रतिनिधित्व करता है। आप लोग विभिन्न राजनैतिक दलों से जुड़े हैं। केन्द्र में मेरी सरकार भी कई दलों का गठबंधन है, जिसमें कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। हम सभी ने गरीबी और बेरोजगारी को तेजी से हटाने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया है। जिन लोगों ने हमें जनादेश दिया है, उनके प्रति यह हमारी साझा वचनबद्धता है।

इसके बावजूद, लोगों के प्रति अपनी वचनबद्धता को पूरा करने में हर सभी के सामने एक साझी बाधा आ रही है। हालांकि ऊर्जा ही किसी देश की प्रगति को ऊर्जा देती है, फिर भी देश के लगभग सभी हिस्सों में बिजली की कमी महसूस की जा

रही है और कई स्थानों पर तो यह कमी काफी गंभीर भी है। पर्याप्त, सस्ती और भरोसेमंद बिजली की आपूर्ति के बिना न तो कृषि और न ही उद्योग और सेवाएं अपनी पूर्ण क्षमता को विकसित कर सकती हैं। और, बिना त्वरित आर्थिक प्रगति के हम गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में तेजी से और अधिक स्पष्ट रूप से आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

इसलिए, हमें आज अपनी चर्चा की शुरूआत करने से पूर्व एक कड़वी सच्चाई को समझ लेना होगा। अगर हम देश में बिजली की स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र सुधारों के प्रति केन्द्र और राज्य सरकारों को साझी प्रतिबद्धता दर्शानी होगी क्योंकि वही एकमात्र विकल्प है। इस संदर्भ में, अपने-अपने राज्यों में आपके द्वारा झेली जा रही विपक्षी दलों की समस्याओं से मैं अवगत हूं। अक्सर एक राज्य में विपक्ष का वही दल सरकार के उन्हीं सुधारों की आलोचना करता है, जिन्हें उसी विपक्षी पार्टी की सरकार किसी दूसरे राज्य में लागू करना चाह रही है। मैं सभी राजनैतिक पार्टियों से अपने मतभेद भुलाकर इस मुद्दे पर एक आम राय बनाने का आग्रह करता हूं, क्योंकि इससे राष्ट्र और हमारे राज्यों, दोनों को ही फायदा होगा। इस सम्मेलन द्वारा पारित साझा दृष्टिकोण से भी राजनैतिक पार्टियों को सभी राज्यों में विद्युत क्षेत्र सुधारों का समर्थन करने का एक शक्तिशाली संदेश जाएगा।

इन्हीं आरंभिक टिप्पणियों के साथ ही, मैं इस सम्मेलन के शुभारंभ की घोषणा करता हूं और आशा करता हूं कि हम सभी बिजली क्षेत्र में त्वरित सुधारों के एक कार्यक्रम पर सहमत होंगे।

विपत्ति का सामना सहयोग से

चैत्र का महीना है, भरी दोपहरी है, आप इतनी देर से बैठे-बैठे तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आपका यहां बैठना इतनी बड़ी तादाद में आना यह बात तो बताता है कि रणजीत सागर बांध के बनने से आपको कितनी खुशी है, आपके मन में कितनी प्रसन्नता है। यह बांध पहले 'थीन डैम' के नाम से जाना जाता था, अब इसका नामकरण हो गया है, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर बांध का नाम रखा गया है।

रणजीत सिंह बांध जनता को समर्पित करते हुए दिया गया भाषण, पठानकोट, 4 मार्च 2001

आज हमें महाराजा रणजीत सिंह की याद आना बहुत स्वाभाविक है। उनके पुरुषार्थ से, उनके पराक्रम से, उनकी नीतिमत्ता से, उनकी चतुराई से केवल विदेशी शासकों को उन्होंने परास्त नहीं किया, मगर देश की सीमाओं को अफगानिस्तान तक और तिब्बत तक दूर-दूर तक फैलाया। जम्मू-कश्मीर में, अफगानिस्तान में जो हिंदू और सिख जाकर बसे थे, उसी जमाने में जाकर बसे थे। अब तो उन्हें वहां छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम वह दिन लायेंगे कि वे फिर अपने उन स्थानों को वापस जा सकें, जहां महाराजा रणजीत सिंह ने उनको सम्मान के साथ बसाया था।

आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, ये मूर्तियां विश्व-भर में प्रसिद्ध हैं। मुझे भी उन्हें देखने का सौभाग्य मिला था। बहुत सुन्दर मूर्तियां हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने का फैसला कर लिया गया है। यह काम कोई असभ्य आदमी कर सकता है। यह काम कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसे मानव की भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। सारी दुनिया ने इसकी निंदा की है। मुस्लिम देशों ने भी इसकी निन्दा की है। ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में जो राज कर रहे हैं, वे सचमुच में मुसलमान नहीं हैं। उन पर एक जुनून सवार है और वे इस भूखंड को एक अखाड़ा बनाना चाहते हैं। धर्म का सम्मान करना एक बात है, लेकिन दूसरे धर्म के देवताओं को, प्रतीको को, महापुरुषों को अपमानित करना—यह निर्लज्जता है और मैं इसकी निन्दा करता हूं। इस अवसर पर इस बांध का नाम रणजीत सिंह बांध रखना—यह इस तरह के संकल्प को दोहराना है कि कोई कितना भी नाम को मिटाने की कोशिश करे, लेकिन यह नाम अमर रहेगा। इस नाम के पीछे एक शक्ति खड़ी होगी।

मैंने बांध का शुभारंभ किया है, जनता को समर्पित किया है। इस बांध के बारे में बहुत कुछ विस्तार से बताया जा चुका है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि योजनाएं, चाहे वे सिंचाई की योजनाएं हों या बिजली की योजनाएं हों, उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करने का हमको संकल्प करना चाहिए। इस समय चार सौ सिंचाई की योजनाएं हैं, विलंब हो रहा है, धन नहीं है, तैयारी नहीं है, रुपया लगा हुआ है, उसका लाभ नहीं है, देश का घाटा है और यदि बांध बन जाता तो उससे बिजली पैदा होती, सिंचाई के लिए पानी मिलता, देश के भागों में खुशहाली आती, समृद्धि आती। हमारा निश्चय है कि योजना अगर शुरू की जाये तो एक निश्चित अवधि के भीतर उसको पूरा करने का संकल्प होना चाहिए, उसको पूरा करने का निश्चय होना चाहिए। अभी सरदार बादल बता रहे थे कि 1977 में वह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब इस योजना को स्वीकृति दी गई थी, योजना आरम्भ की गई थी। अब फिर जब वह मुख्यमंत्री हैं तो यह योजना सफल हो रही है, शायद उन्हीं का इंतजार कर रही थी।

कितने दुख की बात है! कोई देश इस तरह से आगे कैसे बढ़ सकता है! पर योजनाओं को समय के भीतर पूरा करने की होड़ होनी चाहिए। जहां निश्चय हो जाता है वहां ऐसी होड़ में हम जीतते हैं। यह धूमल जी ने आपको बताया, दुनिया के और देशों में भी आजकल एक प्रतियोगिता लगी है कि कौन अच्छा काम करके दिखाता है, कौन जल्दी काम करके दिखाता है। अब समय का बहुत महत्व है। योजना लंम्बी चलती है तो धन भी ज्यादा खर्च होता है। योजना के पूरे होने से जो लाभ मिलने वाले हैं वे लाभ भी नहीं मिलते हैं। मुझे खुशी है कि आज बांध का लोकार्पण हो गया। अब शाहपुरकंडी बैराज की बात हो रही है, उसका बनना जरूरी है। केन्द्र की ओर से जो भी सहायता आवश्यक होगी, हम वह सहायता देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि मैं पंजाब का ज्यादा ध्यान रखता हूं। इसमें सच्चाई नहीं है। मैं सब प्रदेशों का ख्याल रखता हूं लेकिन जहां काम अच्छा होता है, जहां योजना अच्छी होती है तो उसमें अधिक और तत्काल सहायता देने की इच्छा पैदा होती है। बादल जी ने कहा कि मैं पंजाब को गोद में लूं, इतने बड़े पंजाब को मैं गोद लेकर कहां रखूंगा, इससे तो अच्छा यह है कि पंजाब मुझे गोद ले ले। हम मिलकर काम करें, इस बात की जरूरत है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा तीनों में नदियां हैं, जल की कमी नहीं है। मिल-बैठकर मुख्यमंत्री यदि चर्चा करें और समझौता करें तो केन्द्र उसमें सहायता देगा। हमने दक्षिण में कावेरी के विवाद को सुलझा दिया। हमने नहीं सुलझाया, उनके मुख्यमंत्रियों ने सद्भावना के भाव से उसका हल निकाला, ऐसा यहां भी हो सकता है। मामले लटकते रहते हैं, खर्च बढ़ता जाता है। कमी के कारण जो कष्ट होता है उसमें भी वृद्धि होती है। अलग-अलग राज्य हैं लेकिन सब एक ही लक्ष्य से प्रेरित हैं। सब राज्य चाहते हैं कि उनके प्रदेश से गरीबी हटे, बेरोजगारी मिटे और खुशहाली आये। इसके लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक है वह कदम उठाने के लिए सभी राज्यों को तैयार रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस दृष्टि से सब लोग विचार करेंगे और आगे कदम बढ़ायेंगे।

कल दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। अधिकांश प्रदेशों के मुख्यमंत्री आये थे। बड़ी सद्भावना के वातावरण में बैठक हुई। कुछ महत्वपूर्ण फैसले किये गए। आज केन्द्र में भी एक मिली-जुली सरकार है। और प्रदेशों में भी अलग-अलग दलों की सरकारें हैं और प्रदेशों में भी मिली-जुली सरकारें हैं। हम सचमुच में मिली-जुली सरकारों के युग में प्रवेश कर गए हैं। अब कोई एक पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर ले, केन्द्र में कठिन दिखाई देता है, प्रयास होना चाहिए, हर पार्टी प्रयास करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर बहुमत न मिले तो क्या हम असहयोग करें, बहिष्कार करें, विवाद करें, संघर्ष करें! राजनीतिक सवालों पर मतभेद हो सकते हैं। लेकिन जहां

तक आर्थिक विकास का सवाल है तो सारे देश को एक होना चाहिए और देश एक हो जाता है, यह हमारे देश की विशेषता है। कारगिल में आक्रमण का सामना करना पड़ा, सारा हिन्दुस्तान एक झंडे तले खड़ा हो गया और जवानों की पीठ थपथपाने लगा। जवानों को विश्वास देने लगा कि तुम अगर शहीद होगे तो तुम्हारी शहादत के बाद हम तुम्हारे घर की चिंता करेंगे, परिवार की चिंता करेंगे। देश के लिए कुर्बान होना, यह अपने में एक बड़ा काम है।

और, अभी गुजरात में भूकंप का प्रकोप हुआ, धरती हिलने लगी, महाविनाश का तांडव हो गया। उस दिन गणतंत्र दिवस था, लोग गणतंत्र के कार्यक्रम में लगे हुए थे। लेकिन जिसने सुना, जहां सुना, जिस रूप में सुना, वह तत्काल गुजरात की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। दुनिया के देशों ने भी हमारी मदद की। यह उस बात का सबूत है कि संसार में भी मानवता की भावना बढ़ रही है और उन्हें भारत की चिंता बढ़ रही है। अभी बादल साहब ने दस करोड़ रुपये दिये, मैं इसके लिए उनका आभारी हूं। यह रुपया गुजरात में लोगों को बसाने के काम में आयेगा और विदेश में हमें धन मिला है। प्रधानमंत्री सहायता कोष में इतना धन मिला है जितना पहले कभी नहीं मिला था, किसी काम के लिए नहीं मिला था। इसका मतलब यह है कि लोग विपत्ति के समय एक हो जाते हैं, मिलकर खड़े होते हैं, कंधे से कंधा लगाकर चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं। यही एक राष्ट्र की निशानी है, यही महान संस्कृति का परिचय है, यही हम लोगों की दौलत है। हम एक हैं और इसलिए संकट के समय एक मुसीबत बांटने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम जानते हैं कि दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। हम सुख में भी एक-दूसरे को आनंदित करने का प्रयास करते हैं, दुख में भी, शोक में भी शामिल होते हैं। गुजरात पर जैसा कोप हुआ है प्रकृति का, वह एक चुनौती है। शायद प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी भूकंप, लेकिन हम भी प्रकृति की चुनौती को स्वीकार करते हैं और हम प्रकृति से कहना चाहते हैं कि तुम अगर विनाश पर तुली हो तो हम निर्माण पर तुले हैं और अंत में विनाश पर निर्माण की जीत होगी। अंत में, मृत्यु पर जीवन की जीत होगी, निर्माण जीतेगा, निर्माण की विजय होगी।

हम विकास के पक्षधर हैं। हम एक नई रचना करने के लिए निकले हैं। सब धर्मों के प्रति समानता का भाव हमारे मन में है। जन्म के कारण किसी को छोटा-बड़ा मानने की हमारी मन:स्थिति नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा देश एक है और हम हर एक संकट का चाहे वह संकट प्राकृतिक हो या वह संकट और तरह का हो। संकट दो तरह के होते हैं। एक आसमानी संकट होता है, एक सुल्तानी संकट होता है और हमें दोनों संकटों का सामना करना पड़ रहा है। मगर

हम विजयी होकर निकल रहे हैं और पंजाब की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं, पंजाब के नेताओं को, खासकर बादल जी को। बादल जी दिल्ली में मुझे खटखटाते रहते हैं, खटखटाते रहते हैं और उनकी मांगें उचित होती हैं तो मैं मान लेता हूं और नहीं होतीं तो मना कर देता हूं। वह मना करने पर भी बुरा नहीं मानते हैं। मुझे धन्यवाद देकर चले जाते हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देकर जा रहा हूं, बुरा मत मानिये।

समेकित प्रयास की आवश्यकता

राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की दसवीं बैठक में मैं आपका स्वागत करता हूं।

हमारे लिए नदी का महत्व आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के महत्वपूर्ण संसाधन से कहीं अधिक है। वे हमारी संस्कृति और सभ्यता को बनाये रखने के संसाधन हैं। वे हमारे देश की जीवन रेखा हैं।

विश्व के किसी अन्य भाग में नदियों को इतना पवित्र नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए, गंगा नदी प्राचीन काल से लेकर आने वाली सहस्राब्दियों तक के भारतीय राष्ट्रीय जीवन की धारा की परिचायक है। अभी हाल ही में सम्पन्न पहले महाकुंभ में इलाहाबाद में गंगा में लगभग आठ करोड़ लोगों ने स्नान किया। ऊंच-नीच की भावना से परे विश्वास और मानव एकता का ऐसा महा-समारोह संसार ने आज तक नहीं देखा।

और यह तो इस गाथा का एक हिस्सा - एक प्रेरणात्मक हिस्सा मात्र है। इसका दूसरा हिस्सा निराश करने वाला है। हमारी ज्यादातर नदियां आज बुरी हालत में हैं। हमारे शहरों और उद्योगों में उत्पन्न हर प्रकार की गंदगी, चाहे ठोस अथवा तरल, उसमें जाकर समा रही है।

आप सभी दिल्ली से बह रही यमुना के प्रदूषण से भली भांति परिचित हैं। अपनी जवानी के दिनों में मैंने इस नदी के किनारे धार्मिक आयोजन होते देखे हैं। हजारों लोग इसमें स्नान किया करते थे। आज इस नदी के किनारे रहने वाले लाखों लोगों की सेहत को इस नदी से खतरा लग रहा है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की दसवीं बैठक में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 13 मार्च 2001

1985 में सरकार ने गंगा कार्य-योजना शुरू की थी ताकि लोगों को जागरूक बनाया जा सके और गंगा जैसी नदी को स्वच्छ करने का उदाहरण पेश किया जा सके। मुझे बताया गया है कि गंगा कार्य-योजना के पहले चरण का वास्तविक कार्यान्वयन काफी संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया गया है।

मगर कार्यान्वयन के पश्चात की कार्रवाई और परिसम्पित्तयों का रख-रखाव संतोषजनक तरीके से नहीं हो रहा है। इसमें भागीदार कुछ राज्यों का प्रदर्शन जरूरत से काफी कम रहा। इस कार्यक्रम की आलोचना के मुख्य कारणों में से यह एक रहा। यह एक गंभीर चिंतन का विषय है और आपको इस पर ध्यान देना चाहिये।

सरकार के नदी-स्वच्छता कार्यक्रम का विस्तार अब राष्ट्रीय स्तर तक कर लिया गया है। इसमें अब 16 राज्यों के 149 शहरों से बह रही प्रमुख नदियों के 27 प्रदूषित हिस्से शामिल हैं। इस पर 3080 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इसके कार्यान्वयन में कुछ देरी हुई है। मगर अब इन कमियों को हटा दिया गया है और सन् 2005 तक कार्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य है। आइये, हम सब इस पवित्र कार्य में हाथ बंटायें और बिना किसी अतिरिक्त विलम्ब के, इसे पूरा करें।

केवल सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, इस कार्य को जनता की भागीदारी के बिना पूरा नहीं कर सकती। मुझे बताया गया है कि तमिलनाडु में एक नई पहल की गई है जहां जन भागीदारी के साथ सात शहरों में चलाई जाने वाली एक योजना को जनवरी 2001 में स्वीकृति दी गई। 575 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत में से सिर्फ 48 प्रतिशत भारत सरकार से आयेगा जबकि बाकी स्थानीय निकायों, जनता, चुनिंदा प्रतिनिधियों और राज्य सरकार से आयेगा। हमें इस मॉडल को अन्य स्थानों पर भी अपनाना चाहिये।

अनुभव बताता है कि इस तरह की योजना की सफलता समेकित प्रयासों पर निर्भर करती है जैसे नदी प्रदूषण के सभी पहलू, शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान। मेरे विचार से ऐसा होने से ही राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभावी और सतत दोनों हो पायेगा।

बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ते मौजूदा माहौल में अपने जल संसाधनों की निरंतर सफाई और संरक्षण के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। भारत जैसे विकाशील देश के लिये यह एक मुश्किल और बड़ा कार्य है। इसके लिए न केवल उपयुक्त संसाधनों की जरूरत है बलिक एक मजबूत राजनैतिक इच्छाशक्ति की भी आवश्यक है। हमें 'प्रदूषक को भुगतान करना चाहिये' नियम को जोरदार तरीके से लागू करना चाहिये।

हमें यह सुनिश्चित करना है कि इन कार्यक्रमों के अन्तत: अभिरक्षक बनने वाले स्थानीय स्वशासी निकाय पर्याप्त मजबूत हों ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और इसे जारी रख सकें। इस कार्यक्रम की निगरानी के लिए स्थानीय समुदाय को भी सक्रिय करने की जरूरत है।

हमारे देश में अनेक समर्पित स्वैच्छिक संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नदी संरक्षण कार्यकर्ता हैं जैसे वाराणसी के श्री वीरभद्र मिश्र। हमें उन्हें अपने कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिये। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस कार्य में धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को भागीदार बनायें क्योंकि वे हजारों-लाखों श्रद्धालुओं को सतत स्वैच्छिक कार्य के लिए प्रभावित कर सकती हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पर्यावरण मंत्रालय एक बड़ा जन प्रचार अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है जिसमें नदियों और झीलों को स्वच्छ रखने की जरूरत पर बल दिया जायेगा।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं भागीदार राज्यों से कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी जिम्मेवारी का वे पूरी तरह निर्वहन करें। केंद्र सरकार अपनी ओर से यथासंभव सहयोग देगी। यह बड़े दुख की बात है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि का कुछ राज्य पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सके।

मित्रो, यह बैठक लगभग चार साल के अंतराल के बाद हो रही है। भविष्य में हमें और जल्दी से मिलने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से यह बैठक सकारात्मक रूप से समाप्त होगी और मूल्यवान जल संसाधनों को हर कीमत पर संरक्षित करने पर जोर दिया जायेगा।

III

रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा

आंतरिक सुरक्षा का खतरा मिटाइए

आज हम यहां वर्तमान आंतरिक सुरक्षा-स्थिति और अलग-अलग रूपों में अभिव्यक्त गम्भीर अपराधों से निपटने के सम्भव उपायों और तरीकों के विषय में चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का संवैधानिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। परन्तु, आंतरिक सुरक्षा अब केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है। अस्सी के दशक से आंतरिक सुरक्षा की परिभाषा और स्वरूप समूल बदल गया है।

अस्सी के दशक के पूर्वार्द्ध के करीब हमें एक चुनौती का सामना करना पड़ा था जिसने आगे के वर्षों में जघन्य आयामों का रूप ले लिया और वह है आतंकवाद की चुनौती। हालांकि यह एक ही राज्य में उभरा था पर आतंकवाद का घातक स्पर्श दूसरे राज्यों में फैल गया और इसका विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर है। आतंकवाद की जिस समस्या का सामना हम कर रहे हैं वह सीमा के उस पार से निर्मित, प्रोत्साहित व कार्यान्वित होती है।

पाकिस्तान ने सीमा-पार आतंकवाद को भारत के प्रति अपने विद्वेष को प्रोत्साहित करने की अपनी राज्य-नीति के एक हथियार (उपकरण) के रूप में अपना रखा है। हमें भी यह मन में रखना होगा कि सीमा-पार आतंकवाद अपने आपको पैशाचिक रूपों में और कपटी तरीके से अभिव्यक्त कर रहा है।

ये आतंकवादी नरसंहार कर रहे हैं। पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में सौ से भी अधिक लोगों की हत्या कर दी गई। आतंकवादी गिरजाघरों आदि में बम विस्फोट करने के लिए अनजान लोगों का सहारा लेते हैं। इन्होंने मुंबई और कोयम्बतूर में अनेक बम विस्फोट भी कराये हैं। आतंकवादी जाली नोट भी चला रहे हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों में विद्रोह भड़काने के लिये आतंकवादियों को शह दे रहे हैं।

इसलिए यह आवश्यक है कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौती को राज्य की विशिष्ट समस्याओं के रूप में न देख कर, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए। हमारी आन्तरिक सुरक्षा के खतरे के बदलते स्वरूप, परिमाण व फैलाव हमें विवश करते हैं कि केन्द्र और राज्य अपने संसाधनों को इकट्ठा कर एक राष्ट्रीय रणनीति का गठन करें और

आंतरिक सुरक्षा पर विचार करने के लिए आयोजित मुख्यमंत्री सम्मेलन में भाषण, नई दिल्ली, 5 अगस्त 2000

प्रभावशाली उपाय को अपनाएं। इसलिए राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता है, जिनकी सफलता राज्य सरकारों के बीच और केन्द्र तथा राज्यों के बीच-सहयोग पर निर्भर है।

मैंने आतंकवादी हिंसा को प्रोत्साहन देने में पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र किया। अपनी विभिन्न ऐजेन्सियों और धार्मिक उग्रवाद में प्रशिक्षित आतंकवादियों के जरिए पाकिस्तान ने भारत के विरूद्ध छद्म-युद्ध छेड़ रखा है। उनका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करना ही नहीं है बल्कि भारत की एकता और अखंडता को निशाना बनाने की गहरी साजिश है।

यह छद्म युद्ध पिछले वर्ष कारगिल पर पाकिस्तानी आक्रमण के रूप में सामने आया। हमारी सेनाओं ने उस आक्रमण को सफलतापूर्वक पीछे धकेल दिया परन्तु अपनी हार के कारण आतंकवाद के प्रचारक और अधिक हताश हो गए। यह प्रयास भी किया जा रहा है कि सीमा पार के इस आतंकवाद को 'जेहाद' का नाम दिया जाए, परंतु हम इसे नहीं मानते हैं- जिस खतरे का आज हम सामना कर रहे हैं वह हमारे पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

यह हमारी खुली और लोकतान्त्रिक समाज की सहनशक्ति और हमारी परम्पराओं का सम्मान है, जिन्होंने धार्मिक उग्रवाद को नकार दिया तथा इन तोड़फोड़ की गतिविधियों से सामाजिक शान्ति सामान्यत: अप्रभावित रही। लेकिन इससे उस खतरे की वास्तविकता कम नहीं हो जाती जिसका हम सामना कर रहे हैं।

इसलिए न तो आत्मसंतोष का कोई अवसर है और न ही चौकसी को कम करने का कोई कारण। क्योंकि आतंकवाद और तोड़फोड़ की गतिविधियों का दूरगामी परिणाम वर्तमान में जान और माल की हानि के प्रभाव के मुकाबले ज्यादा चिन्ताजनक है। हमें इस तथ्य को कभी भी दृष्टि से ओझल नहीं करना चाहिए कि हमारे पड़ोसी का अंतिम लक्ष्य हमारे बहु-धार्मिक, बहु-भाषी समाज को नुकसान पहुंचाना और हमारे सहिष्णु सामाजिक ढांचे को क्षति पहुंचाना है।

यदि हम अपनी उन कमजोरियों की सूची बनाएं जिनसे भारत की एकता और अखंडता, हमारे खुले समाज और लोकतांत्रिक व्यवस्था के शत्रुओं को बल मिल रहा है—वे निम्न हैं:-

- देश की सीमाओं के ऐसे बड़े असुरक्षित भाग जहां से आतंकवाद, अस्त्र-शस्त्र, मादक पदार्थ और धार्मिक उग्रवादी विचारों से प्रशिक्षित घुसपैठिए भेजे जाते हैं।
- अपर्याप्त पुलिस बल जिसमें प्रशिक्षित जन-शक्ति और प्रभावकारी उपकरण दोनों

आते हैं और जो मिलकर कानून लागू करने वाली प्राथमिक एजेन्सियों के कार्यान्वयन को बुरी तरह सीमित करती हैं।

- असंवेदनशील नागरिक प्रशासन जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में तथा असली शिकायतों को दूर करने में प्राय: असमर्थ रहा है।
- विलम्बकारी फौजदारी न्याय-व्यवस्था व अपर्याप्त कानूनी ढांचा।

नि:संदेह हमें अपनी सीमाओं की रक्षा और भी अच्छे तरीकों से करने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य के हेतु सीमा प्रबंधन के लिए सीमा सुरक्षा बल को प्रभावकारी ढंग से प्रयुक्त करने के तौर-तरीकों के विषय में हमें सक्रियता से विचार करना होगा।

आतंकवाद के खतरे और संगठित अपराधों, चाहे वह विद्रोह हो, धन ऐंठना हो या उग्रवादी राजनैतिक हिंसा हो, से प्रभावशाली ढंग से मुकाबले की कुंजी है राज्य पुलिस बलों का नवीकरण और उनकी लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। हमने देखा कि किस तरह एक अत्यंत प्रेरित व प्रतिबद्ध पुलिस बल पंजाब में शांति की बहाली का कारण बना। उच्चरूप से प्रशिक्षित और प्रेरित अपराधियों व आतंकवादियों के पास आधुनिक हथियार, संचार व्यवस्था व इनसे सम्बंधित प्रौद्योगिकी तथा कोष है जो उनके प्रायोजकों द्वारा दिया जाता है। दूसरी ओर हमारे राज्यों के पुलिस-बल कम प्रशिक्षित हैं जिन्हें अपना काम पुराने अप्रचलित हथियारों व संचार उपकरणों से चलाना पड़ता है।

इसलिए हमारा पहला काम प्रत्येक राज्य के पुलिस बल को मजबूत बनाना है ताकि पुलिसकर्मियों में आतंक की शक्तियों से लड़ने और उन्हें हराने का मनोबल व क्षमता हो। नि:संदेह यह एक बहुत बड़ा काम है। परंतु इसे भी पूरा किया जा सकता है यदि सभी राज्य अपने संसाधनों को इकट्ठा कर प्रभावशाली अन्तर्राज्य गुप्तचर प्रणाली व अत्याधुनिक फोरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित करें। गृह मंत्री का आग्रह था कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक धन आवंटित किया जाए। हम इसे पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित 200 करोड़ रु. से और अधिक बढ़ा देंगे। मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि वे पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक रुपया खर्च करें।

पुलिस के साथ-साथ हमारे नागरिक प्रशासन में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। यह उस सामाजिक अलगाव से निपटने का एकमात्र रास्ता है जो विकास की कमी,

और गैर-उदासीन प्रशासन व्यवस्था का परिणाम है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि सामाजिक अलगाव असंतोष को रोकने व पुष्ट करने के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करता है।

मैं अब ऐसे विषय के बारे में कहना चाहूंगा जिस पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। वह विषय है- हमारी अपराध न्याय व्यवस्था जो पिछले दशकों में बेढंगी-सी हो गई है। इसका परिणाम विलम्बित न्याय व दोषसिद्धि की कम दर है। बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पैदा करने व राज्य के विरूद्ध युद्ध छेड़ने के अपराधों की अदालती सुनवाई वर्षों तक चलती रहती है। इस स्थिति में सुधार के लिए हमें विस्तृत कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। ऐसे कानून जो राज्य के विरूद्ध अपराधों से, आंतरिक सुरक्षा के विरूद्ध अपराधों से और राष्ट्रीय एकता को ध्वंस करने जैसे अपराधों से निपटने के लिए पारदर्शिता व शीघ्र निपटान के तरीके प्रदान करे।

इस संदर्भ में मैं आतंकवाद निरोधी प्रस्तावित बिल का हवाला देना चाहूंगा। विधि आयोग ने विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत एक ड्राफ्ट-बिल पेश किया है और इस ड्राफ्ट को सभी राज्यों और केंद्रशासित-प्रदेशों को उनकी टिप्पणियों के लिए वितरित कर दिया है।

मैं आग्रह करूंगा कि इस ड्राफ्ट पर विचार करते समय आप दो बातों को मन में रखें :

- प्रस्तावित नियम में पर्याप्त सुरक्षा समाविष्ट है कि मानव अधिकारों का कोई उल्लंघन न हो।
- दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो आतंकवाद की गम्भीर समस्या से जूझ रहा है और उसके पास इस समस्या से निपटने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून नहीं है।

साथ ही साथ हमें अपनी कार्यकुशलता को उच्च करके और अत्याधुनिक उपकरणों को प्राप्त कर अपनी अन्वेषणात्मक व्यवस्था में सामन्जस्य बढ़ाना होना। राज्य सरकारों को अन्वेषण व अभियोग चलाने वाली एजेन्सियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना होगा।

अपनी ओर से केन्द्र सरकार आंतरिक सुरक्षा के खतरे का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकारों को हर सम्भव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। हम केन्द्रीय बलों की शक्ति को बढ़ाने और उन्हें कारगर उपकरण देने के संदर्भ में गंभीरता से

विचार कर रहे हैं। आपकी सहमति से हम यहां तक विचार कर सकते हैं कि एक केन्द्रीय एजेंसी स्थापित की जाए जिसके पास देशद्रोही अपराधों से लड़ने का क्षेत्राधिकार हो। इनमें राजद्रोह के कार्य, अपहरण, साइबर अपराध और जाली मुद्रा का प्रसारण जैसे अपराध भी सम्मिलित होंगे।

हमारे राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध काम करने वाली ताकतों को अलग-थलग करने व समाप्त करने का अंतिम समाधान एक काल्पनिक राजनीतिक प्रक्रिया को अपनाने में है। क्योंकि एक राजनीतिक पहल ही मुख्यधारा से जनता के अलगाव को समाप्त कर सकती है और हमारी लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था को मजबूत कर सकती है। इसलिए हमारी पहल किसी के भी साथ वार्ता के लिए है जो मेज पर आमने-सामने बैठकर जम्मू-कश्मीर की हिंसा को त्याग दे। इससे आतंकवाद से लड़ने का हमारा दृढ़ निश्चय किसी भी प्रकार से कम नहीं होता।

इसके विपरीत हम विशेषतौर पर सीमा पार के आतंकवाद को समाप्त करने के प्रयासों में और भी प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। जो भारत की एकता और अखण्डता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके विरूद्ध हमारी संकल्पित लड़ाई में कमी नहीं होगी। जनता के सहयोग से हम विदेशी पैशाचिक शक्तियों को एक निर्णायक स्तर तक हरा सकते हैं और हराएंगे। यहां मैं नगालैण्ड के विद्रोहियों के साथ हुई वार्ता के हमारे अनुभवों का उदाहरण देना चाहूंगा। उस राज्य में युद्ध-विराम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में कोई हल निकल आएगा।

हमारे प्रयासों की सफलता इस सुनिश्चितता में है कि प्रत्येक नागरिक सुरक्षित व संरक्षित महसूस करे। हमें एक ही लक्ष्य के लिए एक टीम की तरह मिलकर काम करना है।

मुझे आप लोगों के सहयोग का विश्वास है और मैं आपको केन्द्र सरकार की सहायता का विश्वास दिलाता हूं। मैं चाहता हूं कि यह सम्मेलन ठोस प्रस्तावों को सामने लाएगा और भविष्य में इसी तरह के परस्पर परामर्श की बुनियाद रखेगा।

लोगों में विश्वास उत्पन्न कीजिए

पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के इस वार्षिक सम्मेलन में आज आपके साथ मौजूद होने पर मुझे प्रसन्नता हो रही है।

इन वर्षों में, यह सम्मेलन विभिन्न राज्य पुलिस बलों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के बीच विचार-विनिमय के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह सम्मेलन एक ऐसा मंच है, जो अपराध के बदलते स्वरूप और अस्थिरता फैलाने वाली उभरती ताकतों, से उत्पन्न नई चुनौतियों पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है।

हाल के दिनों में इन चुनौतियों ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। इन पर पार पाने के लिए, हमें ऐसे साधन और उपाय विकसित करने होंगे, जो अपराध रोकने और दोषियों को कानून के हवाले करने, दोनों ही की दृष्टि से अपराधियों के खिलाफ सरकार के हाथ मजबूत कर सकें।

किसी भी खुले व लोकतांत्रिक समाज में पुलिस प्रशासन का एक महत्वपूर्ण साधन होती है। खुले समाज के लिए एक शर्त यह होती है कि उसके सभी नागरिक सुरक्षित व संरक्षित हों। भय व असुरक्षा से मुक्ति ऐसे समाज के निर्णय के लिए अनिवार्य जरूरत होती है।

लोगों को भय से मुक्त करने और उनमें विश्वास उत्पन्न करने की जिम्मेदारी काफी हद तक पुलिस की होती है। और यह दायित्व तब ही पूरी तरह निबाहा जा सकता है, जब पुलिसकर्मी मौजूदा कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करें।

तब हम न केवल भय से मुक्ति दिला सकते हैं, बल्कि तेजी से सामाजिक और आर्थिक विकास भी सुनिश्चित कर सकते हैं, तब ही प्रगति पक्के तौर पर सुनिश्चित हो सकती है।

इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि देश को समृद्ध और आधुनिक राष्ट्र बनाने की भारत के लोगों की सामूहिक आकांक्षा के सामने एक गम्भीर चुनौती उठ खड़ी हुई है। हमारे भरोसे से करने वाली शत्रुतापूर्ण ताकतों ने अपनी विचारक कार्रवाइयों को तेज कर दिया है और उनके इरादे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को

पुलिस महानिरीक्षकों और उप-महानिरीक्षकों के सम्मेलन में भाषण, नई दिल्ली, 28 सितंबर 2000

कमजोर करना, हमारे सामाजिक तानेबाने को नुकसान पहुंचाने और हमारी आर्थिक प्रगति के रास्ते में रोड़े अटकाने के हैं। इसलिए आंतरिक सुरक्षा की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है।

सीमापार से आतंकवाद को समर्थन देने वालों की शह से जम्मू-कश्मीर तथा भारत के अन्य हिस्सों में होने वाली आतंकवादी हिंसा ऐसी चुनौतियों का एक उदाहरण है, जिसे हम झेल रहे हैं। भारत के खिलाफ छाया युद्ध को तेज करने के पाकिस्तान के इरादे में कोई ढील नहीं दिखाई पड़ रही है।

इसके विपरित जैसे-जैसे जम्मू-कश्मीर के लोगों में शांति की अभिलाषा बलवती होती जाती है, वैसे-वैसे ही पाकिस्तान का आतंकवादी अभियान तेज होता जाता है। सभी जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित उग्रवादी संगठनों ने किस प्रकार से शांति वार्ता में पलीता लगाया।

पुलिस महानिरीक्षकों और उप-महानिरीक्षकों के सम्मेलन में पुलिस पुरस्कार प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, नई दिल्ली, 28 सितम्बर 2000

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भी कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। अपराधियों के अलावा, किसी भी तरह की विचारधार से कोसों दूर अलगाववादी और आतंकवादी गुट हिंसा और जबरन धन वसूली में लगे हुए हैं। विकास योजनाओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

इस कठिन परिस्थितियों में, पुलिस बल, विशेषकर जम्मू-कश्मीर में कार्यरत पुलिस बल बड़ी बहादुरी से अपना कर्तव्य निबाह रहे हैं। आतंकवाद और इससे जुड़े अपराधों का निडरता से मुकाबला करने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं उन सभी जवानों व अफसरों को सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है।

हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक और चुनौती वामपंथी उग्रवाद है। कई राज्यों में निर्दोष लोग हिंसा के इन सौदागरों का शिकार बन रहे हैं। हमें इन वामपंथी उग्रवादी गुटों से सख्ती से निपटना होगा और उन्हें स्पष्ट रूप से बता देना होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता।

इस बारे में, राज्यों की पुलिस से, विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश की पुलिस से आग्रह करूंगा कि इस खतरे से सफलतापूर्वक निपटने के अपने अनुभवों को अन्य राज्यों की पुलिस के साथ बांटें। संयुक्त प्रयास से, हिंसा पर पलने वाले राजनीतिक उग्रवाद से निपटने में काफी मदद मिलेगी। ऐसे विचारों व अनुभवों को बांटने के लिए यह सम्मेलन एक बढ़िया मंच है, जिसकी वजह से यह सम्मेलन एक उपयोगी सिद्ध होगा।

मैंने अपनी बात हमारे समाज के सामने उत्पन्न नई चुनौतियों और उन पर पार पाने के लिए पुलिस द्वारा नए तरीके तैयार करने की जरूरत से शुरू की थी। इस सम्मेलन की प्रभावशाली कार्यसूची में ऐसे कई सामयिक और भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, अपने ब्यौरेवार चर्चा और विचार विमर्श के लिए "अगली सहस्त्राब्दी में पुलिस व्यवस्था" तथा "प्रौद्योगिक उन्नति और अपराध के लिए इसके निहिताशय" विषयों को बिल्कुल सही चुना है। इक्कीसवीं सदी का सिपाही बीसवीं सदी के लाठी भांजने वाले कानून के प्रवर्तक से बिल्कुल अलग है।

जितनी शेष विश्व के लिए यह बात सत्य है, उतनी ही भारत के लिए भी है। पश्चिमी जगत में लोक प्रसिद्ध *बॉबी* और *कापर* का स्थान अब एक अधिक कुशल, अधिक समर्पित और बेहतर सुसज्जित सिपाही ने ले लिया है। तो, हम क्यों पीछे रहें।

नई सदी में भारत के पुलिस कर्मी को बुद्धिमान, अनुशासित, विनीत और आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में अधिक निपुण रहना होगा। अपराध के बदलते स्वरूप, उदाहरणार्थ साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद जैसे अपराधों के बदलते स्वरूपों के साथ कदम मिला कर चलने का यही एक रास्ता है।

हमें नई सदी में आपराधिक गतिविधियों के उभरते रूझानों को, आज समझना होगा, ताकि कल की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम तैयार रह सकें।

इस बारे में मुझे प्रसन्नता है कि सी बी आई ने हाल ही में साइबर अपराध पर एक सेमिनार किया था। मुझे विश्वास है कि इससे विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों को इस नए अपराध के संभावित खतरों को समझने में मदद मिली होगी।

लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें साइबर अपराधों की छानबीन करने और सफलतापूर्वक उनका पता लगाने के लिए भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना होगा।

निस्सन्देह, इस सबके लिए पुलिस को नए हुनर और उपकरण उपलब्ध कराने होंगे। पुलिस बलों को आधुनिक बनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन संसाधनों की कमी आड़े आ रही है। बेहतर प्रशिक्षण, बेहतर कौशल और सही खुफियागिरी से इस कमी से एक हद तक निपटा जा सकता है।

सरकार संसाधनों और प्रशिक्षित जनशक्ति की सीमाओं से परिचित है। केन्द्रीय गृहमंत्री इन कमियों को यथाशीघ्र दूर करने में निजी तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं।

आंतरिक सुरक्षा के बारे में हाल के मुख्यमंत्री सम्मेलन में मैंने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए आबंटन 200 करोड़ रु सालाना से बढ़ाकर 1000 करोड़ रु करने के सरकार के फैसले की घोषणा की थी। मैंने राज्य सरकारों से भी बराबर की धनराशि की व्यवस्था करने का आग्रह किया था।

पुलिस बलों को आधुनिक बनाने या उपलब्ध उपकरणों को उन्नत बनाने की बात करना ही काफी नहीं है। प्रशिक्षण और पुलिस को उपकरणों से सज्जित करने के जरिए उसे आधुनिक बनाने के लिए केन्द्र और सरकारों को संसाधन जुटाने होंगे। यह हमारी साझी जिम्मेदारी है, हमने कदम उठाया है, अब हम राज्य सरकारों से भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं।

हमें सदैव इस बात को ध्यान में रखना होगा कि राष्ट्र की सुरक्षा एक अविभाज्य व एकल अस्तित्व है। इसे हम अलग-अलग राज्यों की कानून व्यवस्था द्वारा निर्मित

व्यवस्था मात्र के रूप में ही नहीं देख सकते। इसे राष्ट्र की एकता और अखंडता के रूप में देखना होगा। दरअसल, एक अरब लोगों के भविष्य के रूप में देखना होगा।

आज, हम संगठित अपराध का सामना कर रहे हैं, जिसका नियंत्रण अक्सर हमारी सीमाओं के पार से किया जा रहा है। हम ऐसे अपराधियों के मुकाबले पर हैं, जो सुसज्जित अत्यंत कट्टर हैं, तथा जिन्हें अपने अपराधों के परिणामों की कतई परवाह नहीं है।

जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी होती जा रही है, वैसे ही अपराध भी, बल्कि उनके विश्वव्यापीकरण की गति तो और भी तेज है, जटिल अंतर्राष्ट्रीय अपराध गिरोहों ने राजनीतिक और आर्थिक अपराधों का एक जाल फैला रखा है, जो अपने शैतानी इरादों को पूरा करने के लिए कई निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना रहा है।

जाली नोट छापना और उन्हें चलाना, नशीले पदार्थों की तस्करी और जबरन धन वसूली, इनके धंधे के कुछ रूप हैं। दरअसल, नशीले पदार्थों की तस्करी और इसके अधिक हिंसक रूप, नशीली दवाओं से जुड़े आतंकवाद का हमारी आंतरिक सुरक्षा पर खतरनाक प्रभाव पड़ा है। इस सम्मेलन में नशीले पदार्थों की तस्करी और इससे उपजने वाली बुराइयों के खिलाफ कारगर लड़ाई छेड़ने के तौर तरीकों पर विचार होना चाहिए। देश से बाहर फैली अपनी जड़ों वाले आपराधिक नेटवर्कों से निपटने के लिए पुलिस, खुफिया एजेंसियों और जनसाधारण के बीच नए स्तर पर सहयोग की भावना स्थापित करने की जरूरत है।

मित्रों, आंतरिक सुरक्षा आज मूलतः बाहरी सुरक्षा से जुड़ी है। आज के खतरों के परिणाम पहले की तुलना में अधिक गहरे और व्यापक हैं। इसलिए राज्य की सभी एजेंसियों, प्रशासन की नागरिक और पुलिस सभी शाखाओं को अपराध के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में अपने संसाधनों को एक जगह एकत्र करना होगा। केन्द्र और राज्यों को सहयोग की भावना से मिल जुलकर काम करना होगा।

अंतिम बात, उजली छवि और असंदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले पुलिस बल को इतनी प्रभावशीलता मिल जाती है, जितने कोई हथियार या उपकरण नहीं दे सकती मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सोचें कि पुलिस के बारे में आम छवि को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। जरूरी नहीं कि ये धारणाएं पूरी तरह से सत्य ही हों, लेकिन ये मौजूद हैं, यही अपने आप में चिंतनीय है।

समापन से पूर्व मैं विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक विजेताओं को बधाई देना चाहूंगा। इस पुरस्कार के माध्यम से कठिन परिस्थितयों में आपके द्वारा की गई समर्पित सेवा का राष्ट्र सम्मान करता है।

यह पुरस्कार राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका को सरकार द्वारा दिए जा रहे उच्च महत्व का भी प्रतीक है। आपकी निस्वार्थ सेवा सभी पुलिस कर्मियों को प्रेरित व प्रोत्साहित करेगी

मुझे विश्वास है कि सम्मेलन में भाग लेने आए आप सभी के कुशल नेतृत्व में भारत अपनी सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर सकेगा और अपने सभी नागरिकों को भय से मुक्ति सुनिश्चित कर सकेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक

पिछले दो दिनों में हमें दुनिया भर से नाना भांति के नौसैनिक ड्रिल्स और डिस्प्ले देखने का अवसर मिला। मैं उन 29 देशों की नौसेनाओं की सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने इस अभ्यास में हिस्सा लिया और हमारे प्रथम 'इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू' को सफल बनाने में अपना योगदान किया।

हमने भारत की समृद्ध नौसैनिक परम्परा का भी दिग्दर्शन किया, जिसके बारे में शायद भारत में भी बहुतों को जानकारी नहीं होगी।

हम में से कितने लोग जानते हैं कि हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भारत की समुद्री गतिविधियों का उल्लेख है? या इस बात की जानकारी कितने लोगों को है कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य 'शं नो वरुण' [सागर देवता वरुण हम पर कृपा करें] इन ग्रन्थों से लिया गया है।

मित्रो, हम यहां मुम्बई में हिन्द महासागर के केन्द्र में है। मुम्बई सिर्फ भौगोलिक अर्थ में ही नहीं बल्कि इससे व्यापक अर्थ में हिन्द महासागर का केन्द्र है। प्रायद्वीप ऊर्जा समृद्ध पश्चिम एशियाई बंदरगाहों से दक्षिण पूर्व एशिया तथा जापान के आर्थिक केन्द्रों की ओर जाने वाले व्यस्त समुद्री यातायात पर नजर रखता है। निकटवर्ती देशों और दूर के पड़ोसियों के साथ हमारी समुद्री सीमा लगती है।

यही वजह है कि दुनिया की अन्य नौसेनाओं के साथ सहयोग करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है।

इंटरनेशनल सिटी परेड में दिया गया भाषण, मुम्बई, 18 फरवरी 2001

- भारतीय नौसेना डकैती और अन्य व्यवधानों से समुद्री यातायात की रक्षा करती है।

- नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर नियंत्रण करती है, जो आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का आधार बनी हुई है।

- समुद्री संसाधनों का ह्रास रोकती है और समुद्री पारिस्थितिकी की रक्षा करती है।

ऐसे सहयोग के लिए चूंकि हमने संस्थागत प्रबन्ध कर लिए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने सागर पार मैत्री-संबधों का निर्माण किया है। 'इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू' विश्व की नौसेनाओं को इस प्रयास में एकजुट करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है।

पश्चिम में दक्षिण अफ्रीका से लेकर पूर्व में आस्ट्रेलिया तक विस्तृत क्षेत्र में फैले हिन्द महासागर के जल ने हिन्द महासागर की परिधि के राष्ट्रों के बीच संबंधों का खारापन धो दिया है। यह अपने में मायने रखता है कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू' में हिस्सा लेने वाले 24 विदेशी जहाजों में से 15 इन्हीं देशों के थे। यह इस बात का प्रतीक है कि हिन्द महासागर की परिधि के राष्ट्रों के संघ में क्षेत्रीय सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि यह संघ आपसी लाभ के लिए सहयोग के महत्व को तेजी से पहचानेगा।

मित्रो, सदियों से समुद्रों और सागरों को राष्ट्र और महाद्वीपों को एक-दूसरे से अलग करने वाला, विभाजक या पृथककारी समझा जाता है। जैसे ही भूमंडलीकरण हमें करीब ला रहा है और संचार प्रौद्योगिकी हमें जोड़ रही है, उसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि शांतिपूर्ण आर्थिक विकास के लिए सागर भी हमें एकजुट प्रयासों के लिए प्रेरित करे। आइये, इस प्रक्रिया की शुरुआत हम हिन्द महासागर से करें।

भारतीय सेना—अनुशासन का आदर्श

'लोकतांत्रिक देशों में सेना की भूमिका' विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में आपके साथ होने पर मुझे बहुत प्रसन्नता है।

सभ्यताओं के समूचे इतिहास में जनता की इच्छा को शासन की अच्छी प्रणाली की वैधता का मुख्य स्रोत माना जाता है। हां, समय के साथ-साथ लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति और शासन-तंत्र में इसके प्रतिबिंबित होने का ढंग जरूर बदल जाता है। विभिन्न देशों की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं के मुताबिक इनमें बदलाव आया है।

अत: लोकतंत्र की धारणा मानव समाज का मूल आधार है। इतिहास साक्षी है कि सभी समाजों में लोकप्रिय सरकार का सिद्धांत किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। उदाहरण के तौर पर, यद्यपि भारत में अनेक शासकों ने राज्य किया, परंतु ग्राम या समुदाय का अधिकांश प्रबंध कार्य पंचायतें ही लोगों की भागीदारी और उनके भरपूर सहयोग से चलाती थीं।

आधुनिक-काल में लोकतंत्र अधिक विकसित और सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के रूप में उभरा है। इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है—निश्चित अवधि के बाद वयस्क मताधिकार के जरिए लोगों द्वारा सरकार का चुनाव, और इसी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को आज दुनिया में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है।

इसी प्रकार किसी भी राष्ट्र के इतिहास में सेना का महत्व भी सदा से चला आ रहा है। इसका मुख्य दायित्व देश की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना तथा असाधारण सामाजिक परिस्थितियों में आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। उसका सम्मान और प्रतिष्ठा मूल रूप से देश के रक्षक के रूप में ही है।

अनेक समाजों में, विशेषकर बड़ी विविधताओं वाले समाजों में, सेना राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक होती है। सैनिक इस बात के भी उदाहरण माने जाते हैं कि राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार व्यक्तिगत अथवा किसी वर्ग के हितों से ऊपर रखा जाता है। साथ ही, सेना अनुशासन का तो आदर्श होती है, जिसके अनुकरण की उम्मीद सभी असैनिक संगठनों और आम जनता से की जाती है। यही कारण है कि सेना को राष्ट्रीय सम्मान और देशभक्ति की सर्वोच्च भावना का प्रतीक माना जाता है।

'लोकतांत्रिक देशों में सेना की भूमिका' विषय पर आयोजित सम्मेलन में भाषण, नई दिल्ली, 17 मार्च 2001

समाज में सैनिक का स्थान सबसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण होता है। उसे विशेष सम्मानपूर्वक देखा जाता है। देश की रक्षा के लिए वह जब अपने प्राण न्यौछावर करता है तो उसकी मृत्यु साधारण नहीं रहती। उसके बलिदान को समूचा देश गौरव और आदर से देखता है। वह देश के इतिहास में अमर हो जाता है।

संविधान की अनिवार्य व्यवस्था के अंतर्गत सेना को असैनिक सरकार की सत्ता माननी पड़ती है। उसकी भूमिका रक्षा करने की है, शासन करने की नहीं। राजनीति में हस्तक्षेप की न तो सेना से उम्मीद रखी जाती है और न ही उसे उस उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। चूंकि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें अब पक चुकी हैं, इसलिए खराब शासन के प्रति असंतोष व्यक्त करने के लिए जनता अपने वोट के जरिए नेताओं के एक धड़े को सत्ता से हटाने और दूसरे धड़े को सत्ता संभालने का अधिकार दे देती है। वे जानते हैं कि इस तरह का बदलाव लाने के वास्ते सेना की मदद लेने की जरूरत नहीं है।

सशस्त्र सेनाओं और असैनिक सरकार के विशेष संबंधों का वर्णन इस प्रकार करने से सेना का महत्व किसी भी तरह कम नहीं हो जाता है, बल्कि इससे तो सेना को एक ऐसी संस्था के रूप में संरक्षण प्राप्त होता है, जिसकी निष्ठा ऐसे किसी कारण से कम नहीं होनी चाहिए कि वह शासन की अन्य संस्थाओं की भूमिका अदा कर रही है। इस तरह की संवैधानिक व्यवस्थाओं से संस्था के रूप में सेना को किसी व्यक्ति की इच्छा के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता।

अनुभव से स्पष्ट हो गया है कि जब भी निर्वाचित सरकारों को हटाकर सैनिक शासन सत्ता हथियाता है तो लोग उसे समर्थन नहीं देते, एकदम नकार देते हैं और जरूरी हो जाने पर विद्रोह कर देते हैं। लोकतंत्र में सेना का सम्मान किया जाता है। लेकिन तानाशाह के रूप में सेना को जैसे-तैसे बर्दाश्त किया जाता है और वह भी बहुत थोड़े से वक्त के लिए।

चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व सबसे ज्यादा है, इसलिए उसे बाहरी नजरों से बचाने के लिए अधिक सुरक्षा बरती जाती है, ताकि उसके काम-काज में किसी तरह की दखलंदाजी न हो पाए। सैनिक मामलों के कवरेज के दौरान प्रेस को भी कुछ पाबंदियां माननी पड़ती हैं, जब कि आम तौर पर प्रेस को एक सजग प्रहरी के रूप में देखा जाता है। इसी तरह सेना संबंधी फैसलों को लोकतंत्र में किसी भी राजनैतिक विवाद में नहीं उलझाया जाता।

आजादी के बाद से ही भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और उसकी सशस्त्र सेनाओं के संबंध अत्यंत स्वस्थ ढंग से बढ़े। सुदृढ़ और आत्म-विश्वास से

भरपूर ऐसे राष्ट्र के निर्माण के हमारे प्रयासों में हमारी सेना ने महत्वपूर्ण योगदान किया है, जिसे अपनी खुली और विविधतापूर्ण परंपराओं पर गर्व है, जो धर्म-निरपेक्षता और प्रगति में विश्वास रखता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की विभिन्न रेजीमेंट हमारी समृद्ध और विविधतापूर्ण राष्ट्रीय परंपराओं की छवि प्रस्तुत करती हैं।

अन्य सभी आधुनिक लोकतंत्रों की भांति भारत में भी आम आदमी की कल्पना में सशस्त्र सेनाओं का अति विशिष्ट स्थान है। सिनेमा, थियेटर, साहित्य और यहां तक कि खेल-कूद और राष्ट्रीय आयोजनों में सेना की भूमिका और उसका चित्रण इस बात का परिचायक है कि हमारी सरकार और हमारी जनता की नजरों में सैनिकों के प्रति कितना मान-सम्मान है।

भारतीय सशस्त्र सेनाएं संकट के समय और आपात-काल के दौरान खोजबीन और बचाव, आपदा राहत और ऐसी ही अन्य सहायता के लिए नियमित रूप से नागरिक प्रशासन की बराबर सहायता करती हैं। गुजरात में हाल के भूकंप के बाद सेना ने वहां राहत और बचाव कार्यों में जो शानदार और यादगार भूमिका निभाई, उसका पता सभी को है। अनुशासित आधुनिक सेना के रूप में भारतीय सेना इन सभी मिशनों को अत्यंत कुशलता से पूरा करती है और इन दशकों में उसकी प्रतिभा और क्षमता में निरंतर निखार आया है।

हमारी सशस्त्र सेनाएं अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ सेना से सेना के स्तर पर संबंध रखती हैं, जिनके अंतर्गत एक-दूसरे के यहां आना-जाना, एक-दूसरे से प्रशिक्षण लेना-देना और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग शामिल हैं। सैनिक स्तर के ये संबंध भारत की राजनीति के अभिन्न अंग हैं। मुंबई में हाल में जहाजी बेड़े की समीक्षा 'मैत्री के सेतु' बनाने की अपनी परिभाषा के सर्वथा अनुकूल रही।

बीसवीं शताब्दी के बाद वाले 50 वर्षों में दुनिया-भर में लोकतंत्र की लहर छाई रही। मुझे विश्वास है कि एशिया या अन्य महाद्वीप के जिन देशों में अभी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई है, वे भी इस लहर से अछूते नहीं रह पाएंगे। वैश्वीकरण के इस दौर में जब कि देश एक-दूसरे पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, हमें वैश्विक लोकतंत्र के संस्थानों को भी मजबूत बनाना होगा। हमें संघर्षों से सेना को हटा लेने की जरूरत है, ताकि इनका शांतिपूर्ण तरीकों से समाधान निकाला जा सके।

किसी भी समाज में बदलाव की प्रक्रिया अपरिहार्य है। ठीक वैसे ही जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों को जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना पड़ता है, सेना का भी जनता की उम्मीदों के मुताबिक बनना जरूरी है। सशस्त्र सेनाओं को अपनी परिभाषित भूमिका पूरी करने के साथ-साथ ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही का

स्तर बराबर बढ़ाते रहना भी जरूरी है। उन्हें आधुनिक दौर के नए मुद्दों पर रचनात्मक प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, और महिलाओं की बढ़ती भूमिका। इन सभी मामलों में दुनिया-भर के लोकतांत्रिक देशों की सशस्त्र सेनाएं एक-दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीख सकती हैं।

हाल के दशकों में आतंकवाद विश्व-व्यापी खतरा बनकर उभरा है। यह उस हाल में और भी खतरनाक बन जाता है, जब उसमें धार्मिक उन्माद मिल जाए तथा उसे सीमा-पार से समर्थन प्राप्त होने लगे। अक्सर आतंकवाद के जरिए ही परोक्ष युद्ध छेड़े जाते हैं। यह लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। इसे कुचलने के लिए सेना और नागरिक प्रशासन से फौरन मदद की जरूरत होती है और चाहिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जल्दी से जल्दी आतंकवाद पर विचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस सम्मेलन के आयोजकों की सराहना करता हूं और आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

IV

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी—
त्वरित विकास का मुख्य इंजन

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के इस पहले सम्मेलन में आपके साथ यहां होने पर मुझे बहुत खुशी है।

लेकिन, यहां उपस्थित लोगों को देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यह सम्मेलन मंत्रियों का है या कि मुख्यमंत्रियों का। एक दर्जन मुख्यमंत्रियों के इस सम्मेलन में भाग लेने का फैसला करने से तीन बातें सामने आई हैं:

पहली तो यह कि भारत ने समय की गति को पहचानते हुए सूचना प्रौद्योगिकी को त्वरित विकास के मुख्य इंजन के रूप में अपना लिया है।

दूसरी यह कि केंद्र ने अनेक साहसिक और दूरगामी नीतिगत पहल करने के साथ-साथ, इन पहलों को लागू करने में राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग भी प्राप्त करके इस क्षेत्र को बहुत उच्च प्राथमिकता दी है।

तीसरी बात यह है कि राज्य सरकारों ने बहुत ही कम समय में सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा मिले अवसरों पर उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कई बार तो राज्य सरकारों को नतीजे प्राप्त करने में केंद्र से भी ज्यादा जल्दी रहती है।

राज्यों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक-दूसरे से आगे निकल जाने की कड़ी और स्वस्थ प्रतियोगिता ठनी रहती है। मैंने जब नवंबर 1998 में बंगलौर में साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क का उद्घाटन किया तो मैंने प्रतियोगी-भावना की सराहना की थी और कहा था कि 'ईश्वर करे सौ बंगलौर विकसित हों।' आज, दो वर्ष से भी कम समय के भीतर देश में हर तरफ बीसियों साफ्टवेयर विकास केंद्र फल-फूल रहे हैं। साथ ही, मुझे सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उन्नत और इस दृष्टि से पिछड़े राज्यों के बीच बढ़ते अंतर पर चिंता व्यक्त करनी है। हमें इस अंतराल को पाटने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए।

यह सम्मेलन केंद्र और राज्यों की प्राथमिकताओं में बढ़ती समानता का खुला उदाहरण है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के प्रति निष्ठा अब किसी पार्टी-विशेष तक

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के पहले सम्मेलन के उद्घाटन पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 15 जुलाई 2000

सीमित नहीं रह गई है। इसने तो सैद्धांतिक सीमाएं भी पार कर ली हैं। मैं कामना करता हूं कि आर्थिक और सामाजिक विकास के अन्य क्षेत्रों में भी हम इसी प्रकार उत्साह और लगन से काम करके तेजी से सफलता के लक्ष्य प्राप्त करने में कामयाब हों।

अतः सूचना प्रौद्योगिकी मात्र एक प्रौद्योगिकी नहीं है। यह तो ऐसा महानतम अवसर है, जो इतिहास ने भारत के सर्वांगीण नव-निर्माण के लिए हमें प्रदान किया है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम एक-राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर कार्य करें तो सर्वोच्च सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं।

आज, विकसित देश भी भारत को साफ्टवेयर के क्षेत्र में उभरती सुपरपावर, यानी महाशक्ति मानते हैं। हमारे सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और उद्यमियों को विदेशों में और भारत में मिली शानदार कामयाबी इस क्षेत्र में हमारी जबरदस्त क्षमता का प्रतीक है। इन सफलताओं से हम अपने साफ्टवेयर निर्यात में तेजी से वृद्धि करने के साथ-साथ, अन्य अनेक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने में भी सफल हुए हैं। इनसे दुनिया में भारत और भारतीयों की छवि एकदम बदल गई है।

मित्रो, यह तो बस शुरूआत है। भारत की श्रेष्ठ प्रतिभा तो अभी सामने आनी है। और, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि चरमोत्कर्ष शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए।

यह समझते हुए कि इस उदीयमान क्षेत्र में अड़ियल विभागीय दृष्टिकोण कतई नहीं अपनाया जा सकता, केंद्र सरकार ने हमेशा अंतर-विभागीय विचारधारा को बढ़ावा दिया है। मैं चाहूंगा कि सभी संबद्ध मंत्रालयों, विभागों, नियामक संस्थाओं, उद्योग संघों, और उपभोक्ता संगठनों के पूर्ण सहयोग और नियमित परामर्श से हम इस धारणा को और मजबूत बनाएं। ऐसी स्थिति विकसित हो कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सरकार को मित्र और सहायक समझे और सरकार इस उद्योग को राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयासों में महत्वपूर्ण भागीदार माने।

मैं खासतौर पर चाहूंगा कि अफसरशाही रवैया खत्म करके और अनावश्यक बाधाएं हटाकर निर्णय-प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। जब सूचना प्रौद्योगिकी ने उद्यमियों और व्यापारियों को इंटरनेट की गति से काम करने पर मजबूर कर दिया है तो हम सरकार वाले उसी पुराने ढर्रे और पुरानी स्पीड से कैसे चलते रह सकते हैं?

आज के सम्मेलन के एजेंडा-कागजों से मैं देख सकता हूं कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के भावी विकास के सभी संबद्ध पहलू विचारणीय विषयों में शामिल किए गए हैं। मैं संक्षेप में केवल इस बारे में चर्चा करूंगा कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी

के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर क्या करना चाहिए।

1. दूरसंचार ढांचा : भारत को जल्दी से जल्दी विश्व-स्तर का दूरसंचार ढांचा विकसित करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बने नहीं रह सकते। हम सभी जानते और मानते हैं कि हमारे देश ने इस दिशा में काफी तरक्की की है। लेकिन आपमें से अनेक ने और देश-विदेश के सूचना प्रौद्योगिकी उद्यमियों ने मुझे लिखित और मौखिक ज्ञापन देकर हमारे दूरसंचार सुधारों में से कुछ की धीमी गति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

सरकार जल्दी ही उन बाधाओं को हटा देगी, जिनके कारण भारत के दूरसंचार ढांचे का विकास धीमा चल रहा है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी समायोजन के बारे में वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व वाला उच्च-स्तरीय दल अपने दूरगामी सुझावों को अंतिम रूप देने में लगा है और इन्हें जल्दी ही लागू किया जाएगा।

सरकार 15 अगस्त से पहले नेशनल लांग डिस्टेंस आपरेशंस में निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति देकर नई दूरसंचार नीति के एक मुख्य हिस्से को लागू कर देगी। बड़े पैमाने पर स्पर्द्धा चलने के फायदों को देखते हुए सरकार ने एन.एल.डी.ओ. पर से सरकारी नियंत्रण पूरी तरह हटा लेने का निर्णय लिया है और जारी किए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या की कोई कृत्रिम सीमा नहीं रखी जाएगी। इसके लिए लाइसेंसधारियों को निर्धारित प्रवेश शुल्क तथा अपनी आमदनी का एक निर्धारित हिस्सा देना होगा। आई.एस.पी. के तेजी से हुए विस्तार की प्रक्रिया में और उपभोक्ता के लिए इंटरनेट दरों में तेजी से कमी करने की प्रक्रिया में हम ऐसी ही उदार लाइसेंस नीति के फायदे अभी हाल में देख चुके हैं।

अंतर्राष्ट्रीय डेटा संचार में क्षमता सीमित होने के कारण देश में इंटरनेट सेवाओं के विकास में बाधा पहुंची है। सरकार ने उपग्रह गेटवे स्थापित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को उदार बनाने की घोषणा पहले ही कर दी है। इसके लिए आवेदनपत्रों को तेज़ी से निपटाया जाएगा। लेकिन, चूंकि यह इस समस्या का समुचित समाधान नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि समुद्र के नीचे वाली आप्टिकल फाइबर कनेक्टीविटी पर से एकाधिकार जल्दी से जल्दी खत्म हो। इस उद्देश्य के लिए प्राइवेट आई एस पी को अनुमति दी जाएगी, चाहे अकेले या संयुक्त रूप से, कि वे अंतर्राष्ट्रीय अंडर-सी बैंडविड्थ कैरियर्स के साथ मिलकर भारत में कहीं भी अपने खुद के लैंडिंग स्टेशन बना सकेंगे। साथ ही, विदेश संचार निगम लिमिटेड से कहा जाएगा कि वह अपने भागीदारों के साथ विशेष व्यवस्था में तुरंत आवश्यक परिवर्तन कर लें, ताकि भारत में उपलब्ध बैंडविड्थ का पूरा उपयोग किया जा सके।

2. शैक्षिक ढांचा : भारत में शिक्षा के ढांचे का विस्तार और आधुनिकीकरण हमारी सूचना प्रौद्योगिकी नीति का मुख्य भाग है। प्रशिक्षित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की देश में और विदेशों में मांग तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में इस दशक के अंत तक 20 लाख से ज्यादा नए रोजगार उपलब्ध होंगे। शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किए बिना इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। हमें सभी विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके गैर-सूचना प्रौद्योगिकी विषयों को पढ़ाने की व्यवस्था भी सुधारनी होगी। पढ़ाई कराने, सर्टिफिकेट देने, मान्यता प्रदान करने और वित्त उपलब्ध कराने की परंपरागत पद्धति पर चलते रहने से हमें शिक्षा की गुणवत्ता और संख्यात्मकता सुधारने में कामयाबी नहीं मिल पाएगी। जहां भी संभव हो, औपचारिक शिक्षण संस्थाओं को आपसी हित के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग लेना-देना चाहिए।

साथ ही, हमें यह सुनिश्चित करने के भी प्रयास करने होंगे कि उच्च-स्तर की सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा केवल संपन्न और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों तक ही सीमित होकर न रह जाए। गरीब और ग्रामीण परिवारों के विद्यार्थियों तक भी इसे पहुंचाना होगा, और खासकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्याथियों को यह शिक्षा देनी होगी।

सरकार जल्दी ही सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास की दीर्घावधि नीति तैयार करने के लिए कार्यदल का गठन करेगी। इसमें मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्त विभागों के मंत्री रहेंगे। समस्या पर फौरन ध्यान देने की जरूरत को देखते हुए कार्यदल आई.आई.टी., आर.ई.सी. और अन्य इंजीनियरी कालिजों तथा शिक्षा संस्थाओं की मौजूदा ढांचागत क्षमता का अधिकतम इस्तेमाल करने की योजना तैयार करेगा, ताकि अगले शिक्षा सत्र से ये भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दुगुनी और दो वर्षों में तिगुनी कर सकें।

3. जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी : जिस तीसरे क्षेत्र की मैं चर्चा करना चाहता हूं, वह है 'जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी'। कोई भी प्रौद्योगिकी अपने आपमें लक्ष्य नहीं होती। प्रौद्योगिकी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण तो यह बात है कि हम उस प्रौद्योगिकी की मदद से क्या करते हैं। जब यह बात पहले वाली परंपरागत प्रौद्योगिकियों के बारे में सही थी तो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए तो सौगुना सही होगी।

मैं सूचना प्रौद्योगिकी के भारत में विकास के विशिष्टतम स्वरूप से चिंतित हूं। हमें एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना है कि भारतीय संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी को

मुट्ठी-भर लोगों की बढ़ती संपत्ति को मापने का पैमाना नहीं माना जा सकता। इसे तो समूचे देश की संपत्ति और समृद्धि बढ़ाने का साधन बनाया जाना चाहिए। गरीबी हटाने, क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने तथा लिंगभेद समाप्त करने के हमारे मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में इसे सहायक होना चाहिए और यह सहायक हो भी सकती है।

हमें जरूरत इस बात की है कि सूचना प्रौद्योगिकी को व्यापक पैमाने पर लोगों के लिए उपलब्ध कराने की वृहद् कार्य-योजना तैयार करें। हमें कुछ ऐसी परियोजनाएं चुननी होंगी, जिनका प्रभाव राष्ट्रव्यापी हो, जैसे :

- गावों में फोन सुविधाओं के विस्तार का जोरदार कार्यक्रम;
- परंपरागत उद्योगों और कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल;
- शासन व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का ज्यादा उपयोग;
- बैंकों का कंप्यूटरीकरण करने और नेटवर्किंग सुविधा उपलब्ध कराने का समयबद्ध कार्यक्रम;
- भूमि-रिकार्डों और न्यायिक रिकार्डों का कंप्यूटरीकरण;
- छोटे और मझौले उद्योगों सहित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ई-कामर्स व्यवस्था अपनाने की सुविधा उपलब्ध कराना;
- पत्राचार के लिए भारतीय भाषाओं में ई-मेल सेवा का इस्तेमाल;
- सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से सभी नागरिक और परिवहन सुविधाओं को उपभोक्ता-अनुकूल बनाना।

मैं चाहूंगा कि यह सम्मेलन इस बहु-आयामी नीति को लागू करने के बारे में ठोस और व्यावहारिक सुझाव दे।

इसी के साथ, मैं इस सम्मेलन का उद्घाटन करता हूं और इसकी सफलता की कामना करता हूं।

विज्ञान की उपलब्धियां संपूर्ण मानवता के लिए

भारतीय विज्ञान के इस महत्वपूर्ण वार्षिक समारोह और वैज्ञानिकों की इस प्रतिष्ठित बिरादरी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं आप सभी को अभी-अभी शुरू हुए नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं।

नई सहस्राब्दी में मानव इतिहास को आकार देने वाली कई ताकतों में से, शायद विज्ञान और प्रौद्योगिकी सबसे सक्षम ताकत रहेगी। हम जानते हैं कि पिछली सहस्राब्दी की अंतिम कुछ शताब्दियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विश्व का स्वरूप ही बदल दिया है। लेकिन यह तो एक लंबी और रोमांचक यात्रा की शुरूआत है। अब तक विज्ञान की सभी खोज और प्रौद्योगिकी के सभी आविष्कार आसमान के उन असंख्य सितारों में से थोड़े से ही सितारे हैं, जिन्हें अभी उभरना है।

न्यूटन ने जब यह स्वीकार किया कि अपनी सभी क्रांतिकारी खोजों के बावजूद वह स्वयं को उस बच्चे की तरह समझता है, जिसे समुद्र के किनारे पर एकाध मोती या फिर कोई सीप हाथ लग गई है, जब कि ज्ञान का अथाह सागर उसके सामने अछूता पड़ा है, तब वह कितना सही था।

विज्ञान का आकाश संपूर्ण मानवता के लिए है। इसके किसी भी हिस्से पर किसी भी एक देश का एकाधिकार नहीं हो सकता। होना ऐसा ही चाहिए। अगर विज्ञान में आदमी का भला करने की ताकत है, तो यह ताकत दुनिया-भर में सभी इंसानों को मिलनी चाहिए। फिर भी, इस ग्रह के सभी देशों को, और विशेषकर हमारे जैसे बड़े और प्राचीन देश को स्वयं से पूछना चाहिए कि—विज्ञान के क्षितिज पर हमने कितने सितारों को चमकाया है। हमने वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने और जीवन को बेहतर बनाने में कितना हाथ बंटाया है और भविष्य में प्रगति के लिए हमने क्या योजनाएं बनाई हैं।

आज हम पिछली सदी के उन सभी स्वप्नद्रष्टाओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक मजबूत नींव डाली। हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम न केवल उनके द्वारा बनाए गए संस्थागत आधार को मजबूत करेंगे, बल्कि उसको इतना बढ़ाएंगे कि नई शताब्दी में भारत वैज्ञानिक शक्ति की दृष्टि से अगुआ देशों की जमात में आ खड़ा हो।

८८वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 3 जनवरी 2001

आपके इस अधिवेशन का विषय चूंकि खाद्य, पोषण और पर्यावरण सुरक्षा है, इसलिए मुझे अपने मित्र भारत रत्न सी. सुब्रह्मण्यम की बरबस याद आ जाती है, जिनका हाल ही में निधन हो गया गया था। उनकी याद आते ही मेरा मन उनके प्रति आभार और सराहना से भर उठता है। वह और डा. एम.एस. स्वामीनाथन, जो आज हमारे बीच मौजूद हैं, दोनों हरित क्रांति के अग्रदूत थे, जिन्होंने खाद्य उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुब्रह्मण्यम की दिलचस्पी लगातार बनी रही और वह मुझे बराबर उपयोगी सलाह देते रहे। भारत को बहु-आयामी दृष्टिकोण वाले ऐसे कई उच्च श्रेणी के प्रशासकों की जरूरत है।

आपके इस अधिवेशन का इस वर्ष का विषय बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि यह भारत की कई महत्वपूर्ण विकास प्राथमिकताओं पर एक साथ प्रभाव डालता है। मैं देश के खाद्य उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए अपने मेहनती किसानों को बधाई देता हूं। आज हमारे यहां अनाज की कमी नहीं है, बल्कि कमी तो उसे भंडारित

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 88वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए, नई दिल्ली, 3 जनवरी 2001

करने की सुविधाओं की है। अगर पोखरण-2 के बाद लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को भारत सफलतापूर्वक झेल सका है तो इसका अधिकांश श्रेय कृषि वैज्ञानिकों सहित हमारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को जाता है।

पर्याप्त मात्रा में खाद्य उत्पादन की स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद अब हमारा लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था करना है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली हमारी जनसंख्या का प्रतिशत घटा है और हमने भुखमरी पर विजय प्राप्त की है। अब हमारा उद्देश्य कुपोषण को जीतना है। अगली शताब्दी ज्ञान की शताब्दी और चिंतन की शताब्दी होगी। लेकिन अगर हमारे एक-तिहाई बच्चों का मस्तिष्क ठीक तरह से विकसित नहीं हो पाएगा, तो हम 21वीं शताब्दी में अपने सपनों के भारत के निर्माण के लिए वे युवा मस्तिष्क कैसे तैयार कर पाएंगे। आधी से अधिक गर्भवती स्त्रियों और बच्चों में खून की कमी है। विटामिन और प्रोटीन की कमी तो काफी अधिक देखने में आ रही है। इन वास्तविकताओं से हमारी उपलब्धियों पर ग्रहण लग जाता है और हमारी चेतना बोझ से दब जाती है।

पिछले तीन-चार दशकों में खाद्य उत्पादन के मामले में जो वृद्धि हम कर पाए हैं, उसके लिए भी हमें कृषि पर्यावरण के रूप में कुछ कीमत चुकानी पड़ी है। भूमि, जल और जल संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता में गिरावट आई है। मैंने ऐसी उपजाऊ जमीनें देखी हैं, जो पानी जमा हो जाने और खारेपन के कारण कृषि योग्य नहीं रही हैं। मैंने ऐसे इलाके भी देखे हैं, जहां गलत फसल प्रणाली और उर्वरकों के गलत प्रयोग के कारण पैदावार घटी है। मैंने यह भी देखा है कि पंपों से अधिक मात्रा में पानी खींचने के कारण जल-स्तर में गंभीर रूप से छीजन हुई है। नतीजा यह हुआ है कि पीने के पानी के भी लाले पड़ गए हैं।

इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा अब खाद्य और पोषण सुरक्षा संबंधी मुद्दों से अलग नहीं रह गई है। कल की इसकी उपेक्षा, आज हमें महंगी पड़ी है और हो सकता है कल तो हमें यह और भी महंगी पड़ जाए। इसलिए भारतीय कृषि की निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से हमें मृदा और जल प्रबंध, अक्षय ऊर्जा स्रोत, वन प्रबंध, रसायनों तथा अन्य प्रदूषक तत्वों पर नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंध और जैव-विविधता के संरक्षण के अपने कार्यक्रमों में तेजी लानी होगी।

मैं इस कांग्रेस में भाग लेने वाले वैज्ञानिकों से अनुरोध करता हूं कि वे खाद्य, पोषण और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों से कारगर ढंग से निपटने के व्यापक और उपयोगी उपाय सुझाएं। इस काम के लिए फसल की पैदावार बढ़ाने से लेकर ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार और हमारी खाद्य व्यवस्था की विशेषता बन चुकी बड़े

पैमाने पर बर्बादी और नुकसान को रोकने जैसे कई क्षेत्रों में व्यापक प्रयासों की जरूरत पड़ेगी।

सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। अगले सात वर्षों में सड़कों से न जुड़े देश के एक लाख से भी अधिक गांवों को सभी मौसम वाली सड़कों से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क परियोजना ऐसा ही एक प्रयास है। ऐसा ही एक कदम अंत्योदय अन्न योजना के रूप में खाद्य सुरक्षा की दिशा में उठाया गया है। इसके अंतर्गत एक करोड़ निर्धनतम गरीब परिवारों को गेहूं और चावल दो रुपये और तीन रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार ने एक राष्ट्रीय भंडारण नीति घोषित की है, जिसके तहत बफर स्टाक के लिए 20 स्थानों पर अनाज के आधुनिक गोदाम बनाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। शीघ्र की हम भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन के लिए कदम उठाएंगे, जिससे खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण की लागत कम होगी और इस संबंध में कुशलता बढ़ेगी। लेकिन मैं मानता हूं कि खाद्य श्रृंखला में सभी स्थानों पर लंबे समय से उपेक्षित समस्याओं को हल करने के लिए और भी कई कदम उठाने होंगे। इस दिशा में हाल ही में सरकार ने खाद्य व्यवस्था के बारे में एक उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालय दल गठित किया है, जो रोजगार उत्पन्न करने, निचले स्तर पर समृद्धि लाने और कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने की विशाल क्षमता को उजागर करेगा। वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाला यह दल विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा करेगा।

भारत जैसे विशाल देश में खाद्य, पोषण और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा काम है। हालांकि आप लोगों का योगदान निस्संदेह अमूल्य होगा, फिर भी इस समस्या का समाधान केवल विज्ञान और प्राद्योगिकी में ही नहीं है। दरअसल, हमारी कृषि से और शेष खाद्य व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों के बीच सामूहिक और समन्वित प्रयास की जरूरत है। हम जानते हैं कि धरती मां तब ही अच्छी फसल देती है, जब जरूरी सभी बातें सही ढंग से पूरी हों। इसी प्रकार किसानों और ग्रामीण ऋण संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों, मौसम विज्ञान कार्यालयों और विपणन सहकारिताओं, सभी को पूरे तालमेल के साथ काम करना होगा, तभी हम अपने प्रयासों से सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कर पाएंगे।

मुझे बहुत दफा इस बात पर आश्चर्य होता है कि हमारे सर्वाधिक प्रगतिशील किसानों के लिए भी इतनी कम सुविधाएं क्यों हैं, उन्हें अपने सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बहुत कम मदद मिल पाती है। यदि हमारे व्यापार से जुड़े कार्यकारी अधिकारियों और पेशेवरों के लिए लघु

अवधि के विशेष पुनः प्रशिक्षण कोर्स हो सकते हैं, तो हमारे उन किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होती, जिन्हें ऐसे ज्ञान की सख्त जरूरत है। मेरे विचार से किसानों के लिए कृषि शिक्षा की कमी हमारी कृषि व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक गलत अवधारणा घर कर गई है कि खेतीबाड़ी के लिए किसानों को औपचारिक शिक्षा की जरूरत ही नहीं है। भारतीय कृषि के मानव संसाधन को समृद्ध बनाने के लिए इस कमी को तत्काल दूर करना होगा।

माननीय वैज्ञानिक बंधुओ, अब मैं भारतीय विज्ञान के समक्ष उपस्थित अन्य नाजुक मुद्दों पर चर्चा करूंगा। पुणे में पिछले विज्ञान कांग्रेस सत्र के दौरान मैंने वचन दिया था कि सरकार अगले पांच वर्षों में अनुसंधान और विकास पर होने वाले खर्च के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का दो प्रतिशत करेगी। इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं तथा आगे और कदम उठाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और आकलन परिषद द्वारा चलाए जाने वाले भारत सहस्त्राब्दी मिशनों के लिए 50 करोड़ रुपये तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की नई सहस्राब्दी प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहलों के लिए अलग से 50 करोड़ रुपये दिए हैं। इन प्रयासों का संदेश सरल और स्पष्ट है : भारत को 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी के कम से कम कुछ क्षेत्रों में तो अन्य देशों से पीछे नहीं, बल्कि आगे रहना चाहिए।

उभरती ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में देश के सामने विश्व-स्तरीय प्रतिस्पर्द्धा के नए अवसर और चुनौतियां हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी तथा जैव-प्रौद्योगिकी में भारी संख्या में विश्व-स्तरीय पेशेवर तैयार करने की जरूरत है। भारत और विदेशों में भारतीय साफ्टवेयर इंजीनियरों की बढ़ती मांग और नए कैरियर अवसरों के उपलब्ध होने के कारण युवा छात्रों द्वारा विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में कैरियर बनाने का उत्साह कम हुआ है। यदि इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई गई, तो अच्छे स्तर के शिक्षकों और वैज्ञानिकों की कमी हो जाएगी।

मांग और आपूर्ति के इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन के गठन पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। इसका उद्देश्य आई.आई.टी., क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालिजों तथा अन्य शीर्षस्थ विज्ञान और इंजीनियरिंग कालिजों में सुविधाएं प्रदान करना है। इससे शिक्षक वर्ग और उद्योग तथा शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के बीच का अंतर समाप्त हो सकेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रशासनिक ढांचे में क्रांतिकारी सुधारों तथा इन संस्थानों के पुराने छात्रों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों से लोकहित में धन प्राप्ति

को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे। इस संदर्भ में, मैं अमरीका में सफल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्यमियों के एक समूह द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रस्ताव का विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा, तथा सरकार अन्य प्रयासों में मदद करेगी।

अपने अनुसंधान और उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रशासनिक ढांचे को सुधारने के लिए सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि नौकरशाही के नियंत्रण को कम किया जाए। भारतीय विज्ञान के फलने-फूलने के लिए जरूरी है कि प्रशासकों और सरकारी अधिकारियों को विज्ञान की सुविधा प्रदान कराने वाले के रूप में सेवा करनी चाहिए न कि विज्ञान के मास्टर के रूप में। ऐसा मैंने पहले भी कहा था, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इसे दुहराने की जरूरत है।

हमें उभर रहे नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए साहसिक और गैर-पारंपरिक कदम उठाने होंगे। ऐसा ही एक अवसर खुले रूप से मानव जीनोम परियोजना द्वारा सूचना उत्पन्न करने का है। यह सुविधा अब भारतीय वैज्ञानिकों को उपलब्ध है। एक बार ज्ञान का आधार तैयार हो जाने के बाद सवाल इस बात का है कि इस आधार से अंतर क्या है। भारत की विपुल मानवीय आनुवांशिकी विविधता यह ज्ञान उपलब्ध कराती है, जब कि किसी अन्य देश में यह संभव नहीं है। भारत के पास पहले ही प्रचुर सूचना प्रौद्योगिकी की मानव शक्ति है और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोग हैं। अगली लहर जैव-सूचना विज्ञान की है, जिसमें भारत अग्रणी होगा। भारत सिलिकान वैली अवधारणा से अपेक्षाकृत देरी से जुड़ा। क्या हम 21वीं सदी की जीनोम वैली तैयार नहीं कर सकते?

मैं समझता हूं कि इन प्रयासों के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी, जिसे सिर्फ परंपरागत बजट के माध्यम से ही पूरा नहीं किया जा सकता। परंतु भारतीय विज्ञान के लिए पैसे की आवश्यकता को सार्वजनिक-निजी क्षेत्र में अभिनव भागीदारी को प्रोत्साहित करके पूरा किया जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार द्वारा विकसित भौतिक व बौद्धिक आधारभूत संरचना का अंततः भारतीय निजी क्षेत्र द्वारा विश्व में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय व्यापारी विज्ञान आधारित उद्योग के अवसरों की ओर सकारात्मक रुख अपनाने लगे हैं, जब कि पहले वे विश्व के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विकास क्रम की ओर से आंखें मूंदे हुए थे।

माननीय वैज्ञानिक बंधुओ, हमारा लक्ष्य नई सदी में विश्व में भारत को अग्रणी वैज्ञानिक राष्ट्र बनाना है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम विज्ञान को लोगों तक कैसे ले जा सकते हैं और समाज में कैसे टिकाऊ वैज्ञानिक अधिकतम पैदा कर

सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वर्ष पुणे के अधिवेशन में कहा था कि यह सिर्फ विज्ञान कांग्रेस नहीं है, बल्कि लोगों की विज्ञान कांग्रेस है। इसके साथ ही हुई बाल विज्ञान कांग्रेस भी एक अभिनव पहल थी। मुझे ख़ुशी है कि इस पहल से भारतीय विज्ञान कांग्रेस के इस सत्र में काफी संख्या में किसान आए हैं। मैं आश्वस्त हूं कि भविष्य में यह प्रवृत्ति और भी मजबूत होगी।

इन शब्दों के साथ, मैं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के ८८वें सत्र के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा करता हूं।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक सहयोग की आवश्यकता

एशिया सोसाइटी के 12वें वार्षिक निगम सम्मेलन में आपके साथ शामिल होने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। एशिया सोसाइटी की प्रतिष्ठा इसलिए है कि वह एशिया और विश्व के अन्य लोगों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक प्रश्नों पर विश्व के सर्वोत्तम विद्वानों को स्फूर्तिदायक विचारों के आदान-प्रदान के लिए नियमित रूप से एक साथ लाती रही है।

मैं आयोजकों को सम्मेलन के विषय और आयोजन के लिए भारत को चुनने पर बधाई देता हूं। जब हम वर्तमान घटनाओं की खोज-खबर नहीं रख पा रहे हैं, प्रौद्योगिकी के भविष्य के बारे में कुछ कहना कठिन है। प्रौद्योगिकी, इतनी तेजी से सामाजिक भूदृश्य को बदल रही है कि कुछ कमजोर हृदय के लोग मार्क ट्वेन की हास्यपूर्ण उक्ति का सहारा लेते हैं, ''मैं पूरी तरह प्रगति के पक्ष में हूं, लेकिन मैं परिवर्तन पर आपत्ति करता हूं।''

मित्रो, ऐसे अवसर अक्सर नहीं आते, जब हम एशिया के प्रौद्योगिक भविष्य पर जोर देकर विचार करें। परंपरागत बुद्धि का मानना है कि प्रौद्योगिकी का निर्माण करना अमरीका और यूरोप का एकाधिकार है। इसके विपरीत, आम तौर पर यह समझा जाता था कि एशिया प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाला, न कि उसका निर्माता है।

एशिया सोसाइटी के 12वें वार्षिक निगम सम्मेलन, बंगलौर में भाषण, 11 मार्च 2001

पिछले कुछ दशकों के दौरान यह विचार बदला है। एशिया के अधिकांश भागों ने अपने औपनिवेशिक-काल की ऐतिहासिक अशक्ताओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अनेक एशियाई देशों ने न केवल उद्योगीकरण में असाधारण प्रगति की है, बल्कि उन्होंने सूचना क्रांति को अपना लिया है। उन्होंने एक या दो पीढ़ियों के भीतर स्वयं को गरीबी और विकास की कमी से मुक्त कर लिया है। यह सब प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी तेज प्रगति के कारण संभव हुआ है।

जापान पहला देश था, जिसने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिम के प्रभुत्व पर चोट की। उसने उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स से लेकर भारी उद्योगों के क्षेत्र में अद्‌भुत आविष्कार किए। संक्षेप में, उसने इलेक्ट्रोनिकी से लेकर जहाज निर्माण तक में असाधारण उपलब्धियां हासिल कीं। एशिया की प्रौद्योगिक उपलब्धियों को, जिसकी शुरूआत जापान ने की थी, बाद के वर्षों के दौरान अन्य अनेक देशों, जैसे कि दक्षिण कोरिया, ताइवान और मलयेशिया ने अपनाया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान चीन ने चिप डिजाइन और अनेक किस्मों के कंप्यूटर और दूरसंचार उपकरण निर्माण में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की हैं। इनमें से कुछ देशों ने परंपरागत उद्योगों, जैसे कि इस्पात निर्माण, सीमेंट, रसायन और कपड़ा उद्योग को आधुनिक रूप प्रदान करने में जबरदस्त प्रगति की है।

भारत में, हमने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनेक क्षेत्रों में 1947 में स्वतंत्रता के बाद महत्वूर्ण प्रगति की है। तथापि, हमें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पिछले दशक के बाद मिली, जब भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी बढ़ती शक्ति का प्रदर्शन किया। अनेक भारतीय नगर, थोड़े ही समय में साफ्टवेयर विकास और निर्यात के प्रमुख केंद्र बन गए हैं। इनमें से बंगलौर, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो सर्वोत्तम है, उसका प्रतीक बन गया है। इसलिए, यह सर्वथा उचित है कि एशिया सोसाइटी, सी.आई.आई. के साथ मिलकर इस सुंदर उद्यान नगरी को एशिया के प्रौद्योगिक भविष्य पर सम्मेलन के लिए चुने।

मित्रो, मैं यह स्वीकार करता हूं कि जहां तक प्रौद्योगिकी का संबंध है, मैं कोई जानकार नहीं हूं। प्रसिद्ध भविष्यवादी आर्थर सी. क्लार्क शायद मेरे जैसे लोगों की ही चर्चा कर रहे होंगे, जब उन्होंने कहा था, ''प्रौद्योगिकी में हर नई प्रगति दूसरों से इस अर्थ में अलग होती है कि वह चमत्कार के समान लगती है।''

जैसा कि मैं जानता हूं और जैसा कि यहां पर उपस्थित सभी लोग जानते हैं, प्रौद्योगिकी आर्थिक और सामाजिक विकास का एक शक्तिशाली एजेंट है। भारत में

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से हमें गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने में सहायता मिली है। कृषि क्षेत्र में हमारी आत्म-निर्भरता का मुख्य कारण कृषि प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला से खेतों तक पहुंचाना है। आज भारत, विश्व में दूध का सबसे बड़ा और चावल, गेहूं, फलों और वनस्पतियों का दूसरा बड़ा उत्पादक है।

इसी तरह हमारे कुछ व्यापारिक घरानों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रबंध व्यवस्था का उपयोग विश्व में सबसे कम लागत पर इस्पात संयंत्र के चलाने पर किया है, विश्व-स्तर के आकार के तेल शोधक कारखाने का निर्माण किया है और एड्स की अपेक्षाकृत सस्ती दवा का निर्माण किया है। हमारे यहां अब अनेक आशाजनक बायोटेक्नालाजी कंपनियां और अनुसंधान संस्थान हैं, जो मानव 'जिनोम' के रहस्यों के अनावरण से उत्पन्न अवसरों का उपयोग कर रहे हैं।

अपने यहां परंपरागत साफ्टवेयर विकास के अतिरिक्त, भारतीय कंपनियां ई-कामर्स और अनेक आई.टी. सेवाओं में भी जोखिम उठा रही हैं। इसमें हमें सिलिकान वैली में भारतीय मूल के अत्यधिक सफल आई.टी. व्यवसायियों और भारत स्थित व्यवसायियों के बीच मजबूत भागीदारी से अत्यधिक लाभ मिला है। हमारा देश एशिया में पहला है, जिसने व्यापक सूचना टेक्नालोजी अधिनियम पारित किया है। शीघ्र ही हम एक कानून पारित करेंगे, जो टेलीकाम, आई.टी. और ब्राडकास्टिंग प्रौद्योगिकियों के मिलन में सहायक होगा।

भारत जैसे-जैसे अपनी कृषि, उद्योग सेवाओं और सरकार का आधुनिकीकरण करेगा, वैसे-वैसे वह प्रौद्योगिकी को अधिक सर्वांगीण और विश्वासपूर्वक अपनाएगा। हम लगातार अपने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का खर्च बढ़ा रहे हैं। हमने देश में 'सभी के लिए 2008 तक आई.टी.' का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसका प्रमुख आकर्षण 'आपरेशन नालेज' है। यह शिक्षा क्षेत्र के सभी स्तरों पर आई.टी. और आई.टी.-आधारित शिक्षा को लागू करना चाहता है।

हम इस बात की आवश्यकता से पूरी तरह परिचित हैं कि 'डिजिटल डिवाइड' की खाई को पाटा जाना चाहिए, जिससे हमारे समाज में पहले से व्याप्त असमानता और बिगड़ सकती है। भारत और अन्य एशियाई देशों में आई.टी. के लाभ ग्रामीण और पिछड़े गरीब वर्गों तक पहुंचाने के लिए अनेक नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें शामिल हैं : बांग्लादेश में ग्रामीण फोन योजना, भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट-आधारित सूचना सेवा के लिए (तारा) हाट ग्रामीण किओस्क, और हमारे राज्य मध्य प्रदेश में अत्यधिक प्रशंसित इसी तरह की परियोजना 'ज्ञानदूत'। एशिया में हम

सबको—वास्तव में, विश्व में सभी विकासशील देशों को—इस प्रयास में एक-दूसरे के अनुभवों से सीखना चाहिए।

मित्रो, प्रौद्योगिकी के भविष्य पर, न केवल एशिया में, बल्कि विश्व-भर में जो बहस हो रही है, वह एक बड़े प्रश्न पर आधारित है—प्रौद्योगिकी प्रगति के लिए क्या वांछनीय है, प्रतियोगिता या सहयोग? निस्संदेह व्यापारी प्रतियोगिता का पक्ष लेंगे, क्योंकि इसके कुछ गुण सिद्ध हो चुके हैं। प्रतियोगिता, उद्यमियों को लागत घटाने, गुणवत्ता सुधारने, बाजारों का विस्तार करने और उपभोक्ता संतोष बढ़ाने के लिए बाध्य करती है। यह सब करते हुए वह प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करती है और उसके नए व्यापारिक उपयोगों का पता लगाती है।

तथापि, मुझे लगता है कि विश्व ने सहयोग के गुणों को पर्याप्त रूप से नहीं अपनाया है, यद्यपि हर आर्थिक मंदी या संकट ने हमें निरंतर विकास के लिए इसकी अनिवार्य आवश्यकता की याद दिलाई है। उदाहरण के लिए, अब यह स्पष्ट हो गया है कि संपन्न राष्ट्रों की आर्थिक गतिविधियों में निरंतर तेजी गरीब और अधिक जनसंख्या वाले देशों की समग्र अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि लाकर ही बनाए रखी जा सकती है।

मैं इस बात को साफ कर दूं। प्रौद्योगिकी, धनी देशों की व्यापारिक उत्पादकता में निरंतर बढ़ोतरी कर रही है। तथापि, उनकी अपनी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है कि वह प्रौद्योगिकी के उपयोग से बढ़ी नई उत्पादकता को खपा सकें। इसके कारण उन्हें बार-बार मंदी, काम-बंदी, और बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। यह वास्तव में एक असंगति है। धनी देश प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न प्रचुरता के संकट से ग्रस्त हैं।

विकासशील देश अपने भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को तेजी से बढ़ाकर इस प्रचुरता को खपा सकते हैं और इस प्रकार अपनी जनता का जीवन-स्तर सुधार सकते हैं। लेकिन उनके पास पर्याप्त वित्तीय और प्रौद्योगिक साधन नहीं हैं। इसके अलावा, बहु-पक्षीय एजेंसियों और बहु-राष्ट्रीय निगमों ने अभी तक विकसित देशों से विकासशील देशों में अधिक निवेश और तकनीकी जानकारी पहुंचाने के लिए कोई प्रभावी सहकारी क्षेत्र विकसित नहीं किया है। अत्यंत बुरे सामाजिक-आर्थिक असमानताओं की जड़ में, जो हम विश्व और भारत में देखते हैं, सचमुच में यह है।

इस संदर्भ में, मुझे यह भी बताना चाहिए कि कभी-कभी भारत जैसे विकासशील देशों को संवेदनशील क्षेत्रों में उनकी प्रगति रोकने के लिए प्रौद्योगिकी से वंचित किया

गया है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आदेश दिया गया है कि वे कुछ उत्पाद हमें न बेचें। निस्संदेह, इस तरह के अनुचित तरीकों ने हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को देशी प्रयासों को बढ़ाने और सभी कठिनाइयों-बाधाओं के विरुद्ध सफल होने की प्रेरणा प्रदान की है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है—भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सफलता, जो बंगलौर में है।

मैं यहां यह कहकर अप्रचलित 'सहायता बनाम व्यापार' सिद्धांत लागू करने का अनुरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं विश्व के विकास के लिए अधिक सहकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दे रहा हूं, जिसमें विकासशील देशों का त्वरित विकास विकसित देशों के निरंतर विकास के लिए प्रेरक का कार्य करता है। उदाहरण के लिए, एशिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं आज अनेक तरह के प्रौद्योगिक उत्पादकों, जैसे कि सेल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट उपकरणों, संसाधित खाद्य पदार्थों और उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं की सबसे बड़ी खपतकर्त्ता हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एशिया, जहां विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या रहती है, नई शताब्दी में टेक्नालोजी निर्माण का सबसे विश्वसनीय प्रणोदक और साथ ही टेक्नॉलोजी का खपतकर्ता हो सकता है।

एशिया की टेक्नालोजी का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि यहां लगभग दो अरब महत्वाकांक्षी और मेहनती युवा जनता रहती है। वह नया ज्ञान, नई जानकारी प्राप्त करना चाहती है और बेहतर जिंदगी बिताने के लिए उसके उपयोग का अवसर चाहती है। इस स्वप्न को प्राप्त करने के लिए विश्व के सभी देशों और एशिया के सभी देशों के बीच सहयोग आवश्यक है।

इसलिए, एक विषय जिस पर मैं चाहूंगा कि आपका सम्मेलन विचार करे, वह है—विश्व के सभी देशों के बीच, और विशेष रूप से एशिया के सभी देशों के बीच, अधिक आर्थिक और प्रौद्योगिक सहयोग। उदाहरण के लिए, कुछ देश, जिनमें एशिया के कुछ देश शामिल हैं, अपने एकल राष्ट्रीय उत्पादन का दो से तीन प्रतिशत अनुसंधान और विकास पर खर्च करते हैं। इसके विपरीत, भारत जैसा देश अपने एकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक प्रतिशत से भी कम अनुसंधान और विकास पर खर्च करता है, लेकिन उसके यहां विशाल बाजार है और एक विशाल और सुविकसित शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं का आधार है। अनुसंधान, विकास और व्यापारिक भागीदारी के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपना कर हम सभी के लिए लाभदायक स्थिति बना सकते हैं।

इस तरह के दृष्टिकोण के लाभ पहले ही दिखाई पड़ने लगे हैं। अनेक अमरीकी आई.टी. और गैर आई.टी. कंपनियों ने भारत में विशाल डिजाइन और उत्पाद विकास केंद्र स्थापित किए हैं। इनमें से कुछ यहां बंगलौर में हैं। इसी तरह, कुछ भारतीय आई.टी. कंपनियों ने, जिनके पास विश्व-भर में प्रतिष्ठित 'ब्रांड' नाम है, अपना 'साफ्टवेयर' विकास का कार्य वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों की प्रशिक्षित और अनुभवी कंपनियों के साथ भागीदारी करके उन्हें सौंप दिया है। इसी तरह भारतीय आई.टी. कंपनियों ने विश्व के अनेक देशों में अपने प्रशिक्षण केंद्र खोल दिए हैं।

यह सब जिस बात की ओर संकेत करता है, वह है—एशिया और विश्व में प्रौद्योगिकियों, व्यापार, मंडियों और अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता हुआ मिलन। नई शताब्दी अब यह मांग करती है कि हमारे समान ग्रह या धरती पर सभी देश अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को आपस में मिला दें। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि प्रौद्योगिकी और व्यापार का भविष्य केवल मानवता के भविष्य का एक छोटा हिस्सा है। इसी के साथ, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक ज्ञान मानव जाति की साझी विरासत है, जिसका असली महत्व थोड़े से लोगों के लाभ में नहीं, बल्कि धरती माता के सभी बच्चों का जीवन सुधारने की क्षमता में है।

उदाहरण के लिए, क्या हम एशिया और अफ्रीकी देशों के सभी जरूरतमंद लोगों के लिए कम दामों पर टीके और अन्य दवाओं का उत्पादन कर सकते हैं? क्या हम सभी के लिए कम दामों पर शुद्ध पीने का पानी या आवास सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं? क्या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई नाटकीय प्रगति के लाभ उन करोड़ों लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं, जिन्होंने अभी तक न तो एक बार फोन किया है और न किसी का फोन सुना है? क्या जैव-प्रौद्योगिकी पोषक भोजन उपलब्ध कराने और हमारे पर्यावरण की रक्षा में सहायक हो सकती है? और, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हर एशियाई अपनी पूरी मानवीय क्षमता का विकास कर सकता है?

मेरा यह पक्का विश्वास है कि एशिया का प्रौद्योगिक भविष्य—वास्तव में एशिया का भविष्य—इन चुनौतियों का मिलकर समाना करने में है। इसी विश्वास के साथ मैं आपके सम्मेलन का उद्घाटन करता हूं और इसकी सफलता की कामना करता हूं।

परमाणु शक्ति का उपयोग विकास के लिए

चतुर्वेदीजी ने कहा कि मैंने यहां आकर इतिहास बनाया है। यहां इतिहास बन रहा था, इसलिए मैं आया हूं। कोटा, यहां परमाणु के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय काम हुए हैं, उनकी वजह से सारे संसार में चर्चित है। इसे सुखद संयोग ही कहना चाहिए कि पोखरण भी राजस्थान में है और रावतभाटा भी राजस्थान में है। पोखरण रक्षा के लिए है और यहां जिन इकाइयों को आज मैंने राष्ट्र के नाम समर्पित किया, परमाणु ऊर्जा की इकाइयां तीन और चार, वो विकास के लिए हैं। हमें देश को सुरक्षित भी रखना है और देश को विकसित भी करना है। और, इसके लिए विज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए जय जवान, जय किसान के नारे के साथ जय विज्ञान का नारा भी जोड़ा गया है। हमें आत्मरक्षा के लिए विज्ञान का लाभ उठाना है और विकास के लिए भी हमें विज्ञान और टेक्नालोजी का उपयोग करना है।

सचमुच में, यहां के परमाणु संयंत्र ने आत्म-निर्भरता का एक इतिहास बनाया है। परमाणु विद्युत परियोजना यहां आरंभ हुई, एक और दो इकाइयां। पुरानी बात है— 1974 की, क्योंकि हम परमाणु क्षेत्र में जाना चाहते थे। हम परमाणु शक्ति का विकास के लिए उपयोग करना चाहते थे, लेकिन जब हमने एक और दो इकाइयां चलाईं, कार्य आरंभ हुआ तो हमें जो विदेशी सहायता मिल रही थी, उस सहायता पर रोक लग गई। बड़ी कठिनाई पैदा हुई।

पोखरण के बाद हमें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इससे हम अपने निश्चित मार्ग से रुके नहीं और अपनी यात्रा में हम थके नहीं। हमने कहा, इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। और, मैं परमाणु इंजीनियरों को, टेक्नीशियंस को, कर्मचारियों को, इससे संबंधित सभी जुड़े मित्रों को बधाई देना चाहता हूं। हमने चुनौती को स्वीकार किया। हमने कहा, हम सहायता चाहते हैं, लेकिन अगर सहायता नहीं मिलेगी तो हम अपने बल पर कुछ करके दिखाएंगे, और हमने अपने बल पर करके दिखा दिया। तो, इतिहास यहां बनाया जा रहा है। अब तो परमाणु शक्ति या ऊर्जा निर्माण के बारे में कोई विरोध-पत्र प्राप्त नहीं होते। अब धीरे-धीरे पोखरण के बाद जो प्रतिबंध लगे थे, वे भी ढीले हो रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि प्रतिबंधों से भारत की प्रगति नहीं रुकेगी। भारत अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होगा। सचमुच में, यहां

रावतभाटा परमाणु बिजलीघर की तीसरी और चौथी इकाई राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर दिया गया भाषण, चित्तौड़गढ़, 18 मार्च 2001

एक चमत्कारिक काम हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं, अपने वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को। वे हमारे अभिनंदन के अधिकारी हैं, वे हमारी बधाई के पात्र हैं। उनके भरोसे ही हम आत्म-विश्वास से भरे हुए आत्म-निर्भर भारत का निर्माण करने के लिए निकले हैं। बाधाएं आएंगी, उन्हें दूर करना पड़ेगा। प्रकृति हमारे खिलाफ है। शायद प्रकृति भी हमारा इम्तहान ले रही है, हमें कसौटी पर कस रही है। मगर यह राजस्थान की वीर भूमि है, यहां एक बार कदम उठाने के बाद फिर वापस लेने का सवाल पैदा नहीं होता। प्रकृति की चुनौती भी हमें स्वीकार है। सूखा पड़ रहा है। अकाल की छाया है। जल का स्तर नीचे जा रहा है। नदी-जल का अभाव है। गहरा संकट है—मनुष्यों के लिए भी और पशुओं के लिए भी। लेकिन केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों की सहायता कर रही है। राजस्थान के लिए भी हमने पर्याप्त सहायता का प्रबंध किया है। इस अवसर पर मैं घोषित करना चाहता हूं कि राजस्थान के अकाल-पीड़ितों के लिए मैं प्रधानमंत्री सहायात कोष से 50 करोड़ की धनराशि और दूंगा।

केंद्र की सरकार राजनीति के आधार पर किसी प्रदेश के साथ भेदभाव नहीं करती। सारा देश हमारा है। जनता के कष्ट हमारे कष्ट हैं। मुझे खुशी हुई, जब गुजरात की सहायता के लिए सारा देश दौड़ पड़ा, सारी दुनिया दौड़ पड़ी। राजस्थान भी अपने को अलग-थलग न समझे। राजस्थान की सरकार बड़ी दृढ़ता से मुकाबला कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में उसने सुधारों का जो कार्यक्रम अपनाया है, वो सराहनीय है। मैं इसके लिए राजस्थान की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। राजनैतिक दलों को, राजनैतिक लाभ के लिए चुनाव को ध्यान में रखकर ऐसे काम नहीं करने चाहिएं, जिनसे प्रगति में बाधा हो, विकास अवरुद्ध हो।

देश में बिजली की कमी है। लेकिन, आप जानते हैं कि 40 फीसदी बिजली की चोरी हो रही है। हम बिजली पैदा कर रहे हैं। संयंत्र काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं। लेकिन, बिजली के वितरण में धांधली है, ठीक तरह से उसका वितरण नहीं हो पा रहा। बिजली की जरूरत है—खेती के लिए, बिजली की जरूरत है—उद्योगों के लिए। बिना बिजली के कोई देश प्रगति नहीं कर सकता। हमने बिजली की पैदावार बढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि पिछले 50 साल में इस दिशा में काम नहीं हुआ। लेकिन, जरूरत ज्यादा है, आपूर्ति कम है। देश में एक अभियान करने की आवश्यकता है कि हम बिजली की बचत करेंगे, बिजली की चोरी को रोकेंगे। और, माफ कीजिए एक प्रदेश में हिसाब लगाकर देखा गया कि गैर-कानूनी तरीके से बिजली का उपयोग कौन कर रहा है, तो उसमें छोटा उद्योगपति नहीं है, उसमें किसान नहीं

है। बड़े-बड़े उद्योगपति इसमें लगे हुए हैं और मुनाफे के लिए देश के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। बिजली का उत्पादन बढ़ाना है, वितरण की व्यवस्था को ठीक करना है और यह काम हम निश्चयपूर्वक करेंगे। अभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई दिल्ली में बिजली के सवाल को लेकर। अलग-अलग दलों के मुख्यमंत्री, अलग-अलग प्रदेशों से आए हुए मुख्यमंत्री, सब इस बात से सहमत थे कि बिजली के क्षेत्र में हमें सुधार करना चाहिए, बिजली के क्षेत्र में हमें आम सहमति का विकास करना चाहिए।

राजनैतिक मतभेद रहेंगे। चुनाव आएंगे तो राजनैतिक मतभेदों में और उग्रता आएगी। लेकिन, विकास के काम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। विकास की गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहे, विकास की धारा निरंतर चलती रहे, यह बहुत जरूरी है। हमे विकास चाहिए और बाहरी और आंतरिक सुरक्षा चाहिए। इसके लिए प्रयत्नशील है, सरकार। प्रदेश सरकारों का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। कोई राजनैतिक लाभ उठाए, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे इंजीनियर काम करते हैं, राष्ट्र की सेवा की महान भावना से करते हैं। छोटा कर्मचारी भी इसी भावना से काम करता है कि उदर-पोषण के साथ-साथ, देश की सेवा करने का कुछ मौका मिलेगा।

मित्रो, देश एक कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। लेकिन, हम सारी कठिनाइयों पर विजय पाएंगे, इसके बारे में किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए। चुनौतियां आ रही हैं, हम उनका सामना करेंगे। हम सबको साथ लेकर चलने के पक्ष में हैं। इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। हम और दलों से भी आशा करते हैं कि राष्ट्र के विकास से जुड़े जो बुनियादी सवाल हैं, उन सवालों पर मतभेदों को उग्र बनाकर कार्रवाई ठप्प करना ठीक नहीं है। देश आगे बढ़े। पार्टियां आएंगी, जाएंगी। सरकारें बनेंगी, बिगड़ जाएंगी, मगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ यह भारत हमेशा रहने वाला है। यह भारत अमर है। कितनी कठिनाइयों में से हम निकले हैं। लेकिन, जनता में सहन शक्ति है, जनता सहयोग देती है।

किसी ने कल्पना की थी, इस तरह से कुंभ का आयोजन सफल होगा, करोड़ों लोग आएंगे? हर बार कुंभ के अवसर पर किसी न किसी तरह की दुर्घटना हो जाती थी, जानें चली जाती थीं, अव्यवस्था पैदा होती थी। इस बार विदेशी भी बड़ी संख्या में आए थे। ये सारी दुनिया के लिए देखने वाला दृश्य था। आस्था से भरे हुए लोग, देश से, दुनिया से खिंचे चले आ रहे हैं, प्रयाग में—स्नान के लिए, आचमन के लिए। इन नदियों को हमें साफ रखना है, इस दिशा में कार्यक्रम बनाए गए हैं। व्यय-साध्य जरूरी है, थोड़ा-थोड़ा धन खर्च करते हैं। लेकिन इस दिशा में प्रगति हो रही है। लेकिन

कुंभ की भीड़ इस बात की प्रतीक है कि देव आस्था से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। यही तस्वीर करगिल की लड़ाई के समय दिखाई गई थी। जब जवान मोर्चे पर जान देता है तो जवान के पीछे देश में बैठे हुए लोग आपस में ऐसे काम नहीं कर सकते, जिनसे जवान का मनोबल कमजोर पड़े।

राजस्थान बहादुरों की भूमि है। राजस्थान ने अपना योगदान दिया है। आज परमाणु ऊर्जा का संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करते हुए मैं अपने लिए एक सौभाग्य की बात समझता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आगे और इकाइयां बनाने का फैसला हुआ तो केंद्र सरकार उसमें पूरी सहायता देगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

V

शिक्षा, कला और संस्कृति

प्रादेशिक भाषाओं में समन्वय होना चाहिए

इस सभा मंडप में पुस्तकों के विमोचन के लोकार्पण के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम अनूठा है। यहा भारत की दो भाषाएं एक धारा में बह रही हैं। दो भाषाओं के साथ तीसरी भाषा सरस्वती तो रेड्डीजी के रूप में विराजमान है ही। सचमुच में, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन दिल्ली में होते रहना चाहिए। मैं इसमें जो योगदान दे सकता हूं, अवश्य दूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जैसा डा. रेड्डी ने बताया, अचानक पुस्तक मेले में डा. रेड्डी से मुलाकात हो गई और उन्होंने मेरी कविता की पंक्ति मुझको सुनाई और दूसरी पंक्ति स्वयं जोड़ दी। सचमुच में, उनकी कविता पुस्तक पढ़कर मैं मुग्ध हो गया। मूल काव्य तेलुगु भाषा में, हिंदी में इसका अनुवाद हुआ है, लेकिन जैसा डा. जोशी ने कहा है कि अगर अनुवाद इतना सशक्त, इतना प्रभावशाली है तो फिर मूल काव्य कितना सुंदर होगा, कितना प्रभावशाली होगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। जैसा डा. रेड्डी ने कहा, यह एक कविता है, यह उसकी विशेषता है। वह काल को खंड-खंड करने के खिलाफ हैं। वह तो अणु को भी जुड़ा हुआ देखते हैं और इसलिए कविता में उप-शीर्षक देकर उन्होंने कविता को अलग नही किया है। वह धारा बह रही है, निजस्तव धारा। एक प्रवाह बह रहा है, बेरोकटोक। जो इसको पढ़ेगा, उसमें स्नान करेगा और वह रोमांचित हो जाएगा।

अभी डा. रेड्डी ने गजल भी सुनाई। मैंने सुना है कि उन्होंने 3,000 से भी अधिक गीत लिखे हैं। इसका अर्थ यह हुआ है कि डा. रेड्डी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। साहित्यकार हैं, शिक्षाशास्त्री हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, लेखक हैं और अब राज्य सभा में आ गए हैं। बहुमुखी प्रतिभा है। ऐसी प्रतिभा अब दिल्ली में आने के बाद भी अवगुंठन में रहती, अगर इस कार्यक्रम के बारे में सोचकर इसका ठीक तरह से आयोजन न किया जाता। भविष्य की दृष्टि से इस बारे में कुछ विचार करना पड़ेगा। यहां इस बात का भी उल्लेख करना ठीक है कि भारत की अनेक प्रादेशिक भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं समृद्ध हैं। और, वे क्षेत्रीय भाषाएं नहीं हैं, वे सब हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। लेकिन, अगर अनुवाद का प्रबंध नहीं है तो सब लोग उनका रसास्वादन नहीं उठा सकते। अगर इस तेलुगु काव्य का हिंदी में अनुवाद न हुआ होता तो सचमुच में, मैं वंचित रह जाता। यहां जो अभी अनुवाद प्रस्तुत हुआ है, उसकी भी प्रशंसा करना

'मिट्टी, मनुष्य और आकाश' नामक पुस्तक के लोकार्पण समारोह में भाषण, नई दिल्ली, 10 मई 2000

चाहता हूं। लेकिन, यह अनुवाद का सिलसिला लगातार चलते रहना चाहिए। किसी निजी प्रकाशन के लिए तो यह संभव नहीं होगा। इसके लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, सरकार को सहयोग देना पड़ेगा। एक प्रस्ताव विचाराधीन है कि जिसमें भारतीय भाषाओं के आपस में अनुवाद का प्रबंध हो और अगर एक भाषा में अच्छी पुस्तक निकलती है तो उसे तत्काल अन्य भाषाओं में लाने का प्रबंध किया जाए। मैं समझता हूं कि इसके बिना भारतीय भाषाएं भाव की दृष्टि से एक होते हुए भी कलेवर में भिन्नता के कारण अलग-थलग पड़ी रहती हैं, उसमें भी सुधार करने की बहुत आवश्यकता है।

'मिट्टी, मनुष्य और आकाश'। मिट्टी और मनुष्य का बड़ा गहरा संबंध है। मनुष्य को मिट्टी की रचना कहते हैं। मनुष्य तो मिट्टी में मिल जाता है। विजय के अवसर पर भी मिट्टी माथे का तिलक बनती है और अंत समय में भी आदमी मिट्टी में खो जाता है, मिट्टी हो जाता है। महाकवि कबीर ने इस संबंध में बहुत अच्छा कहा था :

''मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय,
इक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय''

यह मिट्टी का दर्द भरा एक चुनौतीपूर्ण स्वर है, जिसके सामने मानव बौना सिद्ध हो जाता है। मगर इस काव्य पुस्तिका में डा. रेड्डी ने जिस तरह से पृथ्वी की प्रशंसा की है, उसका मैं कुछ पंक्तियों में उल्लेख करना चाहूंगा :

मैं हूं रत्नगर्भ (हम पृथ्वी को कहते हैं कि वसुंधरा है, रत्नगर्भा है, बहु-रत्न पृथ्वी है।)

''मैं हूं रत्नगर्भ,
मेरे और नित्य रिक्त गगन के बीच
साम्य ही क्या है?
मेरे मुख का विकसन ही है प्रभात,
मुस्कान छिटकना ही है
चांदनी का बुलावा।
हाथ फैलाकर आगे चलना ही है प्रवाह-सूत्र,
निस्तंद्र मंद्र गान-से मुखरित होना ही है सागर-संगीत।
मेरा व्यक्तित्व अनन्य है, अतुलनीय वैभव-मूर्धन्य है।''

मैं अलग रहने की बात कर रहा था। हमारे देश में कहीं न कहीं अस्पृश्यता किसी न किसी रूप में विद्यमान है। लेकिन, यह प्रकृति के और मानवता के खिलाफ है।

''अणु भी नहीं चाहते रहना अलग-अलग,
कोई भी अवयव नहीं है मिलन के विरुद्ध।
स्पर्श की वांछा का होना सहज है निखिल सृष्टि में।''
''खण्ड-खण्डों में काल
कभी नहीं होता विभक्त
तलवार से काटने पर क्या
पानी टुकड़ों में बंट जाता है।''

तलवार से पानी काटा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से काल का खंडन नहीं किया जा सकता है।

यह मानव के लिए है, पुरुष जड़ नहीं रह सकता। उड़ीसा के चक्रवात पर भी कुछ पंक्तियां हैं, जिसमें प्रकृति को मतिभ्रष्ट कहा गया है और कहा गया है कि जीवनवाटिका को शोकवाटिका में बदल दिया। लेकिन विध्वंस कभी चरमांक नहीं हो सकता, विध्वंस हमारी उपासना का केंद्र नहीं हो कसता। भक्तों पर क्या हो रहा है, या शायद पोलिटिशियंस पर लिखी गई है :

''स्क्रिप्ट में जो पात्र नहीं हैं
रेंकते हैं वे रंगमंच पर आकर।''

जो पात्र ही नहीं है—स्क्रिप्ट में, वह जा ही नहीं सकता मंच पर, वह ही मंच पर आकर रेंक रहा है। यह रेंक शब्द जो है, इसका संबंध एक पशु से है।

फिर मैं डा. रेड्डी को बधाई देना चाहता हूं, जो इसी तरह से लिखते रहें, मां सरस्वती के भंडार को भरते रहें। तेलुगु के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी उनका लेखन उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और मुझे यह अवसर दिया आपने—अस्थायी निवास में, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं।

सहयोग की धारा—सिंधु

आज इस समारोह में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। यह बताया गया है कि यह चौथा समारोह है—सिंधु पूजन का, सिंधु दर्शन का। उत्सव को आरंभ करने का श्रेय, जैसा कि आपने सुना, हमारे परम सहयोगी श्री आडवाणीजी को जाता है। जम्मू-कश्मीर की सरकार ने सहयोग दिया। भारत सरकार की और संस्थाओं ने भी इसमें मदद दी। लेकिन प्रेरणा आडवाणीजी की थी। मुझे तो शिकायत है कि चार साल बाद मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। मुझे पहले ही कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया।

जब से भारत स्वाधीन हुआ है, हम राष्ट्र गीत में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा गाते रहे हैं। कभी कोई पूछता था कि आप सिंध क्यों गा रहे हैं? मगर सिंध है, कहां? हमारे पास तत्काल यह उत्तर नहीं होता था कि सिंधु लेह में हैं। हम कहते थे कि सिंध तो चला गया है, आगे देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन सिंधु तो लद्दाख में बह रही है, लेह में बह रही है। अतीत की सारी स्मृतियों को साकार कर रही है। उतार-चढ़ाव की पूरी गाथा, हमारी आंखों के आगे खोल रही है। यह सचमुच में बड़े सौभाग्य की बात है और आज सिंधु के जल को स्पर्श करके मैं सचमुच में गद्‌गद् हो गया हूं। सिंधु की बड़ी महिमा है। हम और नदियों का नाम लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं, मगर सिंधु के बारे में हमारी जानकारी कम है। वेदों में जहां और नदियों के नामों का उल्लेख है, वहां सिंधु नदी का उल्लेख 30 बार से ज्यादा है। गंगा, यमुना तो बाद में हैं। क्योंकि ऋषियों का संबंध था, सिंधु के तट से, वे नाता जोड़े हुए थे। उत्थान और पतन की कहानियां यहा लिखी जाती थीं। और आज हमने सिंधु का पूजन किया है, आचमन किया है। इससे हमारे हृदय में उल्लास होना नितांत स्वाभाविक ही है।

मैं जब यहां के लिए आ रहा था तो मुझे वेद का एक मंत्र किसी ने भेजा, जिसमें सिंधु नदी की प्रशंसा की गई है। यह तो सभी जानते हैं कि सिंध, सिंधु से उत्पन्न हुआ है, पांच हजार साल पुरानी हमारी सभ्यता का परिचय देता है। *'ऋग्वेद'* में सिंधु नदी का प्रभावशाली वर्णन इस तरह से किया गया है, मैं उसको उद्धत करना चाहता हूं—सिंधु नदी अन्य नदियों की तुलना में सबसे शक्तिशाली नदी है। इसकी गर्जना स्वर्ग तक सुनाई देती है। पलक झपकते ही इसमें प्रचंड उफान आ जाता है। जिस प्रकार दूध से भरे हुए थन वाली गायें अपने बछड़ों की ओर तेजी से भागती हैं, उसी प्रकार नदियां भी कल-कल करती हुई सिंधु नदी में मिलने को आतुर रहती हैं। जिस

'सिंधु दर्शन उत्सव' के उद्घाटन के अवसर पर दिया गया भाषण, शैय (लद्दाख), 7 जून 2000

प्रकार एक शूरवीर राजा दूसरे योद्धाओं का नेतृत्व करता है, उसी प्रकार सिंधु नदी दूसरी नदियों का नेतृत्व करती है। यह तीव्र गति से बहने वाली नदी है। स्वर्ण भंडार से परिपूर्ण है, नदियों में श्रेष्ठ है तथा धन-संपदा से पूरित है— इन शब्दों में वैदिक ऋषियों ने सिंधु का उल्लेख किया था। आज हम उसी सिंधु नदी के किनारे इकट्ठे हुए हैं। हृदय में एक खाली स्थान था, जो आज भर रहा है। भावनात्मक एकता में जो थोड़ी कमी थी, सिंधु के बारे में गाते हुए जब कभी खलती थी, वह कमी आज पूरी हो गई है।

फारूख साहब ने कहा है कि यहां घाट बनना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आडवाणीजी सारे देश का भार संभाल रहे हैं, यहां के घाट बनाने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर लेंगे। इसमें जितनी सहायता देने की जरूरत होगी, मैं देने का प्रयास करूंगा। केवल सिंधु का ही स्मरण नहीं, सिंधु सभ्यता, जो हड़प्पा और मोहन जोदड़ो की सभ्यता से जुड़ी हुई है, उसका फिर से स्मरण करना, उस सभ्यता के आवश्यक अंगों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना और भारत की विराट सभ्यता में उसके सम्मान के लिए स्थान ढूंढना बहुत आवश्यक कार्य है और मुझे विश्वास है कि यह कार्य अब शुरू हो गया है तो पीछे नहीं रहेगा। महात्मा बुद्ध के जीवन में भी सिंधु की बात की गई है, वे यहां से कपिलवस्तु जा रहे थे तो यह कहा गया कि उनके लिए जो रथ लाया गया था, उसमें चार घोड़े थे, और चारों घोड़े सिंध से आए हुए थे। आज मुझे यह देखकर खुशी हुई कि नाना पंथों के, नाना संप्रदायों के प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं। यह साझा नदी है, यह सम्मिलित नदी है, और आडवाणीजी ने ठीक ही कहा कि हम इस नदी को एक मित्रता की नदी के रूप में देखना चाहते हैं, सहयोग की धारा के रूप में, शांति का संदेश देने वाली धारा के रूप में।

हमें विश्वास है कि हमारे प्रयास सफल होंगे— आज नहीं तो कल। हम थोड़ा इंतजार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हृदय से मित्रता चाहते हैं। यह बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सिंधु की इस खोज ने और सिंधु के तट पर एकत्र आज जन-समुदाय ने इस एकता की धारा को पहचाना है, साकार देखा है— अपनी आंखों के आगे, और मुझे विश्वास है कि यह धारा बलवती होती रहेगी।

सिंधु नदी के साथ लद्दाख क्षेत्र के विकास का भी एक पूरा आयोजन है। सांस्कृतिक मंत्रालय यहां एक सांस्कृतिक केंद्र बनाने जा रहा है। यहां का शिल्प, यहां की कारीगरी, यहां की कला जो पनप रही है, उन सबको विकसित होने का पूरा अवसर देने का भी आयोजन है। मैंने दो शिलान्यास किए हैं। और, मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय भी फलेगा-फूलेगा, सारी दुनिया के लोग इस विश्वविद्यालय में

आएंगे और लद्दाख की सभ्यता के बारे में, बौद्ध मत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही, लद्दाख में जो कारीगरी या कला है, यहां जो सामान बनते हैं, यहां की जो पारंपरिक कला की वस्तुएं हैं, उनका प्रदर्शन, उनके बारे में लोगों को जानना, बताना, यह बहुत जरूरी है।

इस आयोजन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फ्लाइट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। फ्लाइट कम हैं और यात्री ज्यादा हैं। मुझे विश्वास है कि पर्यटन मंत्रालय इस बारे में विचार करेगा। अधिक से अधिक लोग लद्दाख आएं, लेह तक के लिए 12 महीनों तक चलने वाला रास्ता, जो विकास का द्वारा खोले, जो रक्षा के लिए मजबूत पंक्ति के रूप में काम करे। इसीलिए हमने रोहतांग पास बनाने का एलान कर दिया है। पांच सौ करोड़ रुपये से वह योजना बनेगी, रोहतांग पास बनेगा। सात साल में बनकर तैयार हो जाएगा और वह श्रीनगर से अबाध, बिना किसी विरोध के, सामान और लोगों को ला सकेगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री यहां बैठे हैं, वह समारोह में भाग लेने के लिए आए हैं। यहां से जरूर कुछ संदेश लेकर जाएंगे, और लद्दाख के साथ कैसे घनिष्ठता बढ़ सकती है, जम्मू-कश्मीर के साथ किस तरह से और रिश्ते-नाते जोड़े जा सकते हैं, इन सबके बारे में विचार करेंगे।

एक अनोखा क्रांतिकारी

सबसे पहले मैं प्रभात प्रकाशन को बधाई देता हूं, जिन्होंने *सावरकर समग्र* का प्रकाशन करके एक बड़े अभाव की पूर्ति की है। जो मराठी नहीं जानते, और देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, उनके लिए सावरकर के ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन, अंग्रेजी जानने वाले भी देश में बहुत ज्यादा नहीं हैं, फिर जिस स्वतंत्रता संग्राम का उन्होंने नेतृत्व किया, वह उनका क्रांतिकारक स्वरूप जिन्हें सर्वाधिक प्रिय था, उन तक बिना भारतीय भाषाओं में उनके साहित्य को लाए, सावरकरजी के साथ न्याय नहीं हो सकता है। यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह हिंदी वालों का दायित्व है कि अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले उत्कृष्ट साहित्य को तत्काल हिंदी में लाने का प्रयास करें। लेकिन, प्रकाशक कहेगा कि ऐसा साहित्य बिकता कम है। मैं ऐसा नहीं मानता। लोग पुस्तकें खरीद

सावरकर समग्र शीर्षक पुस्तक के लोकार्पण समारोह में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 14 जुलाई 2000

रहे हैं, बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं। पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं, लोग उससे लाभ उठा रहे हैं और देश में पुस्तकालयों की एक श्रृंखला ऐसी है, विश्वविद्यालयों की, जहां इस तरह के वाङ्मय के लिए समुचित सम्मान का स्थान होता है। प्रकाशकों को इस दिशा में सचेष्ट होना चाहिए। अगर साहित्यकार मिलकर इस संबंध में कोई संस्थान का निर्माण करें और इस कार्य को हाथ में लें तो मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से उन्हें उचित प्रोत्साहन मिलेगा।

यह भारतीय भाषाओं में हिंदी की विशेष जिम्मेदारी है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का पद दिया है, अहिंदी भाषियों ने दिया है। हिंदी का विरोध नहीं किया, किसी ने। जो थोड़ा-बहुत विरोध पिछले थोड़े दशकों में हो रहा था, अब वह भी समाप्त प्रायः है। हिंदी पढ़ी जा रही है, हिंदी बोली जा रही है, हिंदी पर शोध कार्य हो रहे हैं। अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य को हिंदी में बिना विलंब के, अब यह 10 साल का समय हो गया है— मैं जानता हूं, प्रकाशकों की कठिनाई, अनुवाद में भी समय लगा होगा। अनुवादक महोदय हैं, यहां। बहुत-बहुत अभिनंदन है, आपका। तो आप हिंदी से मराठी में भी कर सकते हैं, तब तो आपकी सेवाओं की जरूरत होगी। यह हिंदी का दायित्व है, और जैसा कि आडवाणी जी ने कहा कि प्रभात प्रकाशन चुन-चुनकर ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन कर रहा है, जिनके बिना हमारा वाङ्मय अधूरा है, भारतीय वाङ्मय, और एक उनमें से प्रकाशन आज हो रहा है। सावरकरजी के बारे में बहुत-सी बातें कहीं गई हैं, मैं उन्हें दोहरा सकता हूं। कुछ अपनी ओर से मिलाकर भी बोल सकता हूं। लेकिन मैं नहीं समझता कि पुनरावृत्ति की आवश्यकता है।

घोर उपेक्षा के बाद सावरकर भारतीय आकाश में एक दिव्य सितारे की तरह से चमक रहे हैं। महापुरुषों की तुलना करना ठीक नहीं है, न विचारधारा के आधार पर महापुरुषों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विचारों की भिन्नता हो सकती है। कुछ लोगों को सावरकरजी से इसलिए उपेक्षा हो सकती है कि वह हिंदूवादी थे या गांधीजी की हत्या के कांड में उन्हें फंसा दिया गया था। लेकिन ऐसा हुआ है, होना नहीं चाहिए था। महापुरुष कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसके व्यक्तित्व और कृतित्व में क्या अच्छाइयां हैं, अपने समसामयिक समाज पर, इतिहास पर उसने कितना प्रभाव डाला है, निःस्वार्थी है या नहीं, समर्पण की दृष्टि रखता है या नहीं? पूरा परिवार होम कर दिया। ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। अंडमान में दोनों भाई थे, मगर उनको पता नहीं था कि दोनों भाई यहीं हैं, जेल में। इतना कड़ा पहरा था। आडवाणी जी ने ठीक कहा कि वहां बिना जाए, देखे, वहां की कल्पना नहीं आ सकती। गनीमत है, सैल्यूलर जेल को भी खत्म करने की बात हो रही थी, तोड़ने की तैयारी हो रही थी। बम-वर्षा में थोड़ा विध्वंस हुआ था। लेकिन, नवनिर्माण के जो संदेशवाहक थे, उस समय के, वे चाहते थे कि यह भद्दी-सी इमारत क्या खड़ी है, और पुरानी यादें

जगाती है। इसकी जगह आधुनिक शिल्प का एक भवन बनना चाहिए। हुआ नहीं, अंत में ऐसा।

और लोग तो एक-एक कोठरी में रखे जाते थे। सावरकर जी पर दो कोठरियां थीं, दो पहरे थे, दो दरवाजे थे। डर था, गोरे भयभीत थे। शायद ही कोई ऐसा महापुरुष हुआ हो, जिसे दो बार मृत्युदंड मिला है। एक बार नहीं, दो बार। पर सावरकर जी ने मजाक में जज से कहा कि जज महोदय आपकी सरकार को धन्यवाद है कि उसने ईसाई होते हुए भी यह मान लिया कि एक पुनर्जन्म होता है। कल्पना करिए। कुछ चुनी हुई बातें पुस्तक के अंत में लिखी हैं—प्रथम राजनेता, जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। बहुत से तथ्य ऐसे हैं, जो हमको पता नहीं हैं या हमने जानने की जरूरत नहीं समझी है। सावरकर जी ऐसे प्रथम राजनेता थे, जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई— 1905 में। प्रथम भारतीय नागरिक जिन पर हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकद्दमा चलाया गया। प्रथम छात्र, जिनकी बेरिस्टर की उपाधि राजनिष्ठा से शपथ लेने से इंकार करने के कारण रोक ली गई। प्रथम साहित्यकार, जिन्होंने लेखनी और कागज से वंचित होने पर भी अंडमान जेल की दीवारों पर कीलों, कांटों और यहां तक नाखूनों से विपुल साहित्य का सर्जन किया और ऐसी सहस्त्रों पंक्तियों को वर्षों तक कंठस्थ कराकर अपने सहबंदियों द्वारा देशवासियों तक पहुंचाया। प्रथम भारतीय लेखक, जिनकी पुस्तकें मुद्रित और प्रकाशित होने से पूर्व ही दो-दो सरकारों ने जब्त कर लीं। कितना डर था, पुस्तकों से? पुस्तकों से डर नहीं था, व्यक्तित्व से डर था। प्रखर राष्ट्रप्रेम से वे भयभीत थे। जीवन को हम होम कर देंगे, मातृभूमि को स्वतंत्र करेंगे। यह संकल्प, प्रखर, वज्र संकल्प, उनके जीवन में था, जिसने औरों को प्रेरित किया। क्रांतिकारियों ने इसकी सराहना की।

उस जमाने में मंदिर में हरिजन-प्रवेश की बात करना सचमुच में एक क्रांतिकारी कदम था। इसके लिए मंदिर का निर्माण किया। सबके जाने का प्रबंध किया। पतित पावन का भाव लेकर खड़े रहे। यह समाज सुधार का ऐसा कदम था, जो बाद में हमारे समाज में उचित स्थान पा सका। अभी भी कुछ मात्रा में छुआछूत चल रही है, क्योंकि देश पर राजनीति छा गई है और समाज का पक्ष गौण हो रहा है।

मुझे कांग्रेस के नेता मिले थे। मैंने उनसे पूछा कि सावरकर का सम्मान करने में आप थोड़ी कोताही क्यों दिखाते हैं। कहने लगे कि नहीं-नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा सावरकर का एक काम बताइए, जो आपको अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा—टेलीफोन। उन्होंने उस जमाने में टेलीफोन का प्रचलन किया। साठेजी ठीक कह रहे थे—'विज्ञान निष्ठ'। वे चाहते थे, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उनके कुछ

विचारों से मतभेद था। लेकिन, मतभेद अपनी जगह हैं। क्या हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं, जहां सब एक ही विचारों के हों। मत-भिन्नता होगी, विविधता रहेगी। लेकिन उसके बावजूद, वे महापुरुष हैं, वे सबके सम्मान के अधिकारी होने चाहिएं। उनका सम्मान करके हम सचमुच में अपने को ही याद करते हैं। बरसों बाद यह मनोकामना पूर्ण हुई है। मैं फिर प्रकाशन को बधाई देता हूं। हम लोग उनके आभारी हैं, इसी तरह वे पुस्तकों का प्रकाशन करते रहें और हम लोग पुस्तकें खरीदकर पढ़ना सीखें। यह भी बहुत आवश्यक है।

शांति और अहिंसा की संस्कृति

मुझे यह सम्मान प्राप्त है कि जब हम शांति की संस्कृति के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट करें, मैं विश्व के सभी देशों की जनता के साथ इस अवसर की हिस्सेदारी करूं।

समय-समय पर और बहुत बार, मनुष्य ने अपने साथी प्राणियों और अन्य देशों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित किया है। अनियंत्रित लालच और महत्वाकांक्षा ने मानवता पर युद्ध और संघर्ष का विशाल खर्च थोप दिया है, जिसे विशाल रक्षा बजटों में; निर्दोष व्यक्तियों की जीवन हानि में और बड़े पैमाने पर लोगों को बेदखल करने और विघटन में देखा जा सकता है। इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2000 से 2010 तक के दशक को उचित ही ऐसा दशक घोषित किया है, जिसके दौरान विश्व का ध्यान शांति से जुड़े विषयों पर केंद्रित किया जाएगा।

भारत सदैव से शांति की संस्कृति और अहिंसा पर विश्वास और आचरण करता रहा है। भगवान महावीर के समय से हम युद्ध के नहीं, शांति के नगाड़े बजाते रहे हैं। महात्मा गांधी का अहिंसा का दर्शन एक अरब लोगों के राष्ट्र का मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में—घरेलू, संस्थागत, आर्थिक और राजनैतिक—अहिंसा का सिद्धांत लागू किया जा सकता है और लागू किया जाना चाहिए। आज भी हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश ने कभी किसी अन्य देश पर हमला नहीं किया या युद्ध शुरू नहीं किया। हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहते हैं, ताकि हम सब विकास पर ध्यान दे सकें, जिसकी सबसे अधिक जरूरत है।

शांति की संस्कृति संबंधी घोषणा पर हस्ताक्षर के समय दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 9 दिसंबर 2000

दुनिया शांति की बात कर रही है। जी हां, हम सैकड़ों वर्षों से शांति की बात कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमारी धरती के लोग शांति पर आचरण करें। ऐसा करना सरल नहीं है। हम शांति स्थापना सुनिश्चित करने के लिए क्या करें? क्या केवल शांति की चर्चा करें या शांति की संस्कृति की बात करें। स्पष्टतः, इतना करना काफी नहीं है। एक न्यायपूर्ण विश्व में जहां सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं सम्मान के साथ पूरी की जाती हैं, विभिन्न देशों के बीच, देशों के भीतर और हर व्यक्ति के अपने दिमाग में वास्तविक शांति कैसे स्थापित हो सकती है। मैं केवल भौतिक आवश्यकताओं की बात नहीं कर रहा हूं। हमें मनुष्य की आध्यात्मिक आवश्यकताएं पूरी करने की ओर भी ध्यान देना होगा।

शांति सुनिश्चित करने के लिए, हमें 'अभाव' को कम करना होगा। जब तक मनुष्य जाति की आवश्यकताएं, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में अपूर्ण रहती हैं, विश्व में सच्चे अर्थों में शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। दुर्भाग्यवश, निजी लालच, स्वार्थपरता और संग्रह या प्राप्त करने की लालसा लोगों और राष्ट्रों को निर्देशित करती है। हमारी प्राचीन सभ्यता ने प्रारंभ से ही 'अभाव' को कम करने के लिए स्वेच्छा से व्यक्तिगत खपत को कम करने का मंत्र दिया है। एक साधारण परिवार में जिसमें हर सदस्य अपनी आवश्यकताएं सीमित रखता है, कोई अभाव, कोई संघर्ष और, इसलिए, कोई तनाव नहीं होता।

संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन (यूनेस्को) के सभी सदस्य देशों और इस विश्व के लोगों को शांति और अहिंसा की संस्कृति के इस दशक में स्वयं को नैतिक पुनरस्त्रीकरण के प्रति समर्पित करना चाहिए और इसका रास्ता 'उच्चादर्शों की शिक्षा' के जरिए है। हमें फिर से उच्चादर्शों की शिक्षा शुरू करनी चाहिए, जो प्राचीन-काल में विश्व-भर में सभी शैक्षिक व्यवस्थाओं का अंग थी।

मुझे खुशी है कि ब्रह्मकुमारियां यूनेस्को के कल्चर आफ पीस मैनिफेस्टो (शांति की संस्कृति के घोषणापत्र) के लिए तीन करोड़ या साढ़े तीन करोड़ हस्ताक्षर प्राप्त करने में समर्थ हुई हैं। मैं समझता हूं कि किसी एक संगठन द्वारा विश्व में एकत्र किए गए ये सबसे अधिक हस्ताक्षर हैं। यह बहुत ही प्रशंसनीय है। उन्होंने अपना और देश का नाम उज्ज्वल किया है। मैं विशेष रूप से उनकी प्रमुख प्रकाशमणि के प्रयत्नों की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने ब्रह्मकुमारियों और उनके माउंट आबू मुख्यालय को शांति और नैतिक निरस्त्रीकरण का विश्व-व्यापी केंद्र बना दिया है।

मुझे इतने अधिक भारतीयों द्वारा दिखाए गए रास्ते का अनुसरण करते और आज घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करते हुए बहुत खुशी होती है।

मानवता का धर्म एक है

मैं कारी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी मेहनत करके मेरे बारे में *सैक्यूलर कयादत* का एक विशेष अंक निकाला है। मैं नहीं जानता की सैक्यूलर पर ज्यादा जोर है या कयादत पर। लेकिन इस मुल्क में अगर कयादत चलेगी तो वो सैक्यूलर कयादत ही चलेगी। अगर वो कयादत सैक्यूलर नहीं है तो एक तबके तक महफूज रहेगी। वह सारे देश की कयादत नहीं बन सकती। लेकिन सैक्यूलर का मतलब क्या है? क्या मजहब नहीं होगा? क्या लोग अपने-अपने मजहब का पालन नहीं करेंगे? जब हमारा संविधान बना, कांस्टीट्यूशन बना तो उसमें सैक्यूलर शब्द नहीं था, 'डेमोक्रेटिक रिपब्लिक' था। क्योंकि उस समय जो हमारा संविधान बना रहे थे, कांस्टीट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान सैक्यूलर तो होगा ही, सरकार सैक्यूलर तो होगी ही, लिखने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं कि दूध की घुट्टी में। बाद में संविधान जब बदला गया, और वह इमरजैंसी के दौरान बदला गया था, तो उसमें डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट सैक्यूलर। अब सोसलिस्ट की कोई चर्चा नही ं करता, लेकिन सैक्यूलर की जरा जरूरत से ज्यादा चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान अगर सैक्यूलर नहीं है तो हिंदुस्तान नहीं है। इस्लाम से पहले, ईसाइयित से पहले, हिंदुस्तान सैक्यूलर था, क्योंकि यहां शुरू से अलग-अलग मजहब रहे हैं, अलग-अलग पूजा के तरीके रहे हैं, अलग-अलग इबादत के रास्ते रहे हैं, और कभी एक-दूसरे के साथ भेदभाव नहीं रहा है।

ईश्वर एक है, सत्य एक है। विद्वान लोग उसको अलग-अलग तरीके से पेश करते हैं। हमारे यहां कोई राजा ऐसा नहीं हुआ, अशोक को छोड़कर, कि जिसने अपनी पूजा की पद्धति, अपना मजहब अपनी जनता पर लादने की कोशिश की हो। धर्म पर चलो, किसी खास मजहब पर चलें वो अलग बात है, मगर हम सब धर्म का पालन करें, बात खत्म हुई, धर्मानुचर। हिंदुस्तान में पहली मस्जिद केरल में बनी थी और पहला गिरजाघर भी केरल में कायम हुआ था। अलग-अलग मजहब को, अलग-अलग मतों को प्रचार करने की छूट थी। हुकूमत का कोई मजहब नहीं था, और सैक्यूलर का मतलब तो मैं यही समझता हूं कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा और रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके लिए आदलतें हैं, प्रेस है। कोई अगर ऐसी घटना होती है, कोई ऐसा अगर वाक्या होता

पत्रिका *सैक्यूलर कयादत* के विशेषांक के विमोचन के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 2 फरवरी 2001

है कि जो नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में चर्चा होती है, खुले दिल से लोग अपनी राय का इजहार करते हैं और जिसे गलत समझा जाता है, उसके बारे में खुलकर बोलते हैं। यह भी एक चैक है कि मानवाधिकार आयोग भी बन गया है, जो इस तरह की शिकायतों की जांच करता है। लेकिन देश का जो टैंपरामेंट है, वह सैक्यूलर है। और, इस टैंपरामेंट को मजबूत करने की जरूरत है। सियासत की वजह से इसमें जरूर कुछ मुश्किलें पैदा हो रही हैं। लेकिन, आजादी के समय, देश के बंटवारे के बाद भी हिंदुस्तान में यह बहस नहीं चली थी कि यह हिंदू राज हो या कोई और राज हो क्योंकि सब मांग कर सकते थे कि ऐसा राज होगा, जो सबका राज होगा। बंटवारे से इस भावना को धक्का जरूर लगा, लेकिन हिंदुस्तान ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। अभी भी जो फंडामेंटलिज्म सर उठाता है तो एक तरह का फंडामेंटलिज्म अगर चैक में न रखा जाए तो दूसरी तरह के फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देता है और इससे होशियार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए।

वोट की राजनीति एक हद तक जा सकती है, की जानी चाहिए, उसके बाद नहीं। अब हॉल में जिस तरह का भाषण दे रहा हूं, उसके बाद यह लिखा जाएगा कि यह वाजपेयी का एक और मुखौटा है। अब मेरा मुखौटा उठाकर देखा जाता है। मुझे बड़ी सफाई देनी पड़ी, लेख लिखने पड़े—केरल में बैठकर, और इसकी एक वजह यह भी है कि हमारी अपनी कमजोरी, हम अपने विचार, हम अपनी भावनाएं सब तक पहुंचा नहीं सके रियलिटी अलग है और एक मिथ अलग है। असलियत अलग है और प्रचार अलग है, इमेज अलग है। हम उर्दू के खिलाफ हैं, यह बात कही जाती है। उर्दू के खिलाफ होने का कोई सवाल नहीं है। उर्दू, हिंदुस्तान की भाषा है। उर्दू, हिंदुस्तान में पैदा हुई है, उर्दू पनपनी चाहिए। उर्दू फले-फूले, यह बहुत जरूरी है। मैं कभी-कभी सोचता हूं कि करोड़ों लोग हैं, जो अरबी की वजह से उर्दू तो जानते हैं, लेकिन और भाषाओं के लिए उन्हें जानने का मौका नहीं मिलता, उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए? इसलिए हम जोर देते रहे हैं, अपनी पार्टी में भी, कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं, उसको उर्दू में भी कहिए। लेकिन जो तोड़-मरोड़कर बातें कही जाती हैं, खाली उर्दू के अखबारें में नहीं, सब अखबारों का यही तरीका है।

मैं अभी गुजरात गया था, तो गुजरात से लौटा वापस, तो मुझे आलोचना का शिकार होना पड़ा कि भई ये प्राइम मिनिस्टर गए और रास्ते बंद कर दिए गए और लोगों को मदद पहुंचाने का काम रुक गया। ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन यह कहा गया कि वी.आई.पी. वहां न जाएं। और, उसके बाद मैं लखनऊ गया तो कहा गया कि मैं लखनऊ क्यों आया हूं, आप अभी गुजरात में जाके रहिए। पोलिटिशियन क्या करे? लेकिन गुजरात के लिए सारे देश में जो एक भावना उठी है और विदेशों में भी,

साबित हुआ कि सारी दुनिया एक है, और कहीं भी तकलीफ हो, कहीं भी दर्द हो और कहीं भी मुसीबत का पहाड़ टूटे तो सब इकट्ठे होकर सारी मानवता, सारी ह्यूमेनिटि इकट्ठी होकर उस पर अपनी सहानुभूति प्रकट करती है और मदद देना चाहती है।

आज सवेरे क्लिंटन साहब का फोन आया था कि मैं अब प्रेसीडेंट नहीं हूं, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहां जो भारतीय बसे हुए हैं, उनसे कल मेरी बैठक है और उनके लिए आप क्या सुझाव देते हैं। मैंने कहा कि एक तरीका है, मदद करने का कि जो गांव बिल्कुल तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, उनको फिर से बसाने का काम, अगर गांव को गोद ले लिया जाए, अमरीका में बसे हुए हिंदुस्तानी जो अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं और अच्छा कमा भी रहे हैं, वे अगर गांव को गोद ले लें, एक-एक गांव को, और उसको फिर से खड़ा करने की कोशिश करें, उसमें मदद दें। उन्होंने कहा—हां, यह बात ठीक है, यह बात मैं, यहां कल भारतीयों से जब मिलूंगा तो यह कहूंगा। वो प्रेसीडेंट नहीं हैं, उन्हें आगे पोलिटिक्स नहीं करनी है। मगर उन्हें चिंता है। और, सब देशों की तरफ से भी इसी तरह के पैगाम मिले हैं। पाकिस्तान ने हमारी मदद की है। थोड़ी-सी गलतफहमी पैदा हो गई थी। यह किसी ने नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से मदद नहीं लेंगे। लेकिन, कुछ मीडिया ने ऐसा चला दिया कि थोड़ी गलतफहमी हुई थी। कोई मदद दे, हम मदद लेने के लिए तैयार हैं। और, पाकिस्तान मदद दे रहा है, बड़ी खुशी की बात है। आज शायद जनरल मुशर्रफ से टेलीफोन पर बातचीत होगी। यही रास्ता निकले, चलो। दुख में से, दर्द में से कोई रास्ता निकले। कोई फिर से मेलजोल हो, कुछ बात बने। मुसीबत जब बांटी जाती है तो उसकी चुभन हल्की हो जाती है, दर्द कुछ कम हो जाता है। दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। मौत होती है तो सब अफसोस करते हैं। जो चला गया, उसके घर वालों के लिए तो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता, किसी के लिए वापस नहीं आ सकता। लेकिन जब सब लोग इकट्ठे होकर गम का इजहार करते हैं तो उसका दर्द कुछ कम हो जाता है। और, सुख में जब सब लोग शामिल होते हैं तो सुख बढ़ जाता है। बांटने से सुख बढ़ता है और दुख घटता है।

सारे देश में इस समय एक भावना है, बड़ी तादाद में लोग मदद देने के लिए आ रहे हैं। कारी साहब को मैं मुबारक दूंगा। मैंने अभी देखा नहीं है कि इसमें क्या-क्या छपा है। मगर मैं इतना जानता हूं कि जरूर बातें बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई होंगी। यह एक तरीका है। और, इसीलिए आप थोड़ा-सा नमक लगाकर उसको देखें। मुझे

एक मौका मिला है—सेवा करने का, मुल्क की खिदमत करने का, संबंध बढ़ाने का, सभी देशों के साथ हम अपने संबंध सुधारने की कोशिश करते हैं और यह भी एक गलतफहमी थी कि बी जे पी आ गई है, पहले जनसंघ था, जनसंघ वाले आ गए हैं तो पता नहीं क्या होगा, फिर बी जे पी आ गई है तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं हुआ। और, जो हुआ, सब ठीक ही हुआ। और, इससे भी ज्यादा बेहतर होगा, यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस समय, क्योंकि कारी साहब ने कहा था कि आपको दो-चार मिनट बोलना होगा। और, मैं उनके हुक्म की उदूली नहीं कर सकता।

एकता की वाहिका : हिंदी

मैं बधाई देता हूं—उन सभी को, जिन्हें आज यहां पुरस्कृत किया गया है। मैं मंत्रालय को भी धन्यवाद देता हूं, इस तरह के समारोह का आयोजन करने के लिए। अब देश में हिंदी का विरोध नहीं हैं। अगर राजनीतिक कारणों से थोड़ा-बहुत कहीं-कहीं दिखाई देता है तो उसे बाधा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे लोग हो सकते हैं, जिन्हें हिंदी समझने, हिंदी पढ़ने में कठिनाई हो। लेकिन हिंदी पढ़ने वालों, हिंदी समझने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी सर्वमान्य है। राष्ट्रभाषा के रूप में इसका अपना स्थान है।

जब हम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का वर्णन करते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है कि क्या और भाषाएं राष्ट्रभाषा नहीं हैं? और भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। लेकिन अपने व्यापक प्रयोग के कारण हिंदी का एक विशेष स्थान है। हिंदी थोपी नहीं गई है, हिंदी लादी नहीं गई है, हिंदी ने अपना स्थान स्वयं अर्जित किया है। उसके पीछे पीढ़ियों की पुण्यायी है। सचमुच में, हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाने का स्वतंत्रता के दिनों में जो आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व हिंदीतर लोगों के हाथ में था, वहां से पहले आवाज उठी, हिंदी के पक्ष में। हिंदी स्वराज्य के साथ जुड़ गई। कांग्रेस को तब जन-आंदोलन के रूप में मान्यता मिली, समर्थन मिला, जब उसका कार्य हिंदी में होने लगा। कांग्रेस के महा अधिवेशनों में पहले अंग्रेजी के माध्यम से कार्यवाही होती थी, बाद में परिवर्तन हुआ।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 2 मार्च 2001

आज भी मैं दक्षिण में जाता हूं तो मुझे पता लगता है कि हिंदी जानने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। उसके पीछे कितने प्रयास हैं, किसके प्रयास हैं, इसमें मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, आप कहेंगे कि आपको कैसे पता लगता है? जब मैं केरल में या तमिलनाडु में जाता हूं और भाषण देने के लिए खड़ा होता हूं तो मेरा भाषण वहां की भाषा में अनुवादित किया जाए, इसका प्रबंध करना होता है। अगर अंग्रेजी में भाषण देने वाले अंग्रेजी का भी उपयोग करें, तब भी अनुवाद की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि सब लोग अंग्रेजी नहीं जानते। फिर, मैं यह पूछता हूं कि मेरे अंग्रेजी भाषण का अनुवाद मलयालम में या तेलुगु या तमिल में होना है तो फिर यह क्यों न किया जाए कि मैं हिंदी में बोलूं और मेरे भाषण का अनुवाद वहां की स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, किया जाए। तो कभी-कभी जनमत संग्रह लेने की आवश्यकता पड़ती है तो मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग इस बात के अब हामी हो चले हैं कि अगर अनुवाद ही होना है तो अनुवाद हिंदी से होना ज्यादा अच्छा है, अंग्रेजी से नहीं। यह हिंदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता है और यह लोकप्रियता संघर्ष के कारण नहीं बनी, प्रेम के कारण बनी है, अपनत्व के कारण बनी है।

भारतीय भाषाओं के साथ अपनी संस्कृति जुड़ी है। संस्कृति के साथ हमारा जीवन निबद्ध है और भाषा एक माध्यम है। माध्यम का प्रयोग हम जिस तरह से चाहें, कर सकते हैं। अच्छी बात है, बोलने के लिए भी भाषा माध्यम है और जली-कटी सुनाने के लिए भी भाषा माध्यम है। लेकिन जली-कटी क्यों सुनाई जाए। स्नेह की बातें करें। आत्मीयता से नाता जोड़ें। लिखें तो इस तरह से लिखें कि जो लोगों के मन में बस जाए, इसमें लोगों के मन में यह इच्छा होना स्वाभाविक है कि उसका लेखन अधिक से अधिक लोगों द्वारा पढ़ा जाए। हिंदी वालों की संख्या ज्यादा है और मैंने देखा है कि और भाषाओं से हिंदीतर भाषाओं के लेखक भी यह चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक पढ़ा जाए। वे अपनी मातृ भाषा में लिखें, अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिखें। यह नितांत स्वाभाविक है—मां के दूध की तरह। लेकिन उनकी इच्छा है कि उन्हें अधिक से अधिक पढ़ा जाए और उनकी इच्छा है कि अधिक से अधिक देश उनके बारे में जानें, यह तभी ठीक तरह से पूरी हो सकती है, जब उनका ग्रंथ हिंदी में आ जाए। उससे भी अच्छी स्थिति यह है कि वे स्वयं हिंदी में लिखना शुरू कर दें। उसमें हिंदी की बड़ाई नहीं होती है। अन्य भाषाएं कनिष्ट स्थान पर हैं, ऐसा नहीं है। अब कभी-कभी प्रश्न होता है, जोशीजी ने भी इसका उल्लेख किया कि मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। अभी देश के भीतर टिप्पणी की गई कि वहां तो हिंदी में भाषण देते हैं और हिंदुस्तान में अंग्रेजी में भाषण देते हैं। अब मैं कैसे समझाऊं कि परिस्थिति बड़ी विकट है। मैं भाषा को विवाद का विषय नहीं बनाना

चाहता, क्योंकि भाषा से भी महत्वपूर्ण हैं, भाव। भाषा का प्रचलन अपने स्थान पर है। लेकिन, अगर भाषा का प्रचलन, भाषा का प्रयोग या भाषा को राजकीय सम्मान देना एकता के लिए बाधक बनता है तो वह सम्मान किस तरह से दिया जाए, इसके बारे में गहराई से सोचकर कदम उठाना चाहिए।

देश की एकता सर्वोपरि है। लेकिन हिंदी एकता की वाहिका है, एकता की धुरी है, अन्य राष्ट्रीय भाषाएं, और भी भारतीय भाषाएं भी, अगर उनके साहित्य का ठीक से गहराई से अध्ययन किया जाए तो वे अंततोगत्वा ऐसे-ऐसे शस्त्र के रूप में निखरती हैं, जिससे एकता पुष्ठ होती है, संस्कृति को बल मिलता है। मैं समझता हूं कि जब मैं विदेश में हिंदी में बोलता हूं, तब विरोध नहीं होता है। वे समझते ही नहीं हैं, विरोध कहां से करेंगे। लेकिन हम ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। समझते तो वे सब अंग्रेजी भी नहीं हैं। वहां अपनी भाषा में आप बोलें तो अनुवाद का प्रबंध है। अनुवाद के कारण कोई कठिनाई नहीं होती है। मैं हिंदी में बोलता हूं और साथ ही उसी समय चार-पांच भाषाओं में, जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा मान्य हैं, उनका अनुवाद होता जाता है। कोई बाधा खड़ी नहीं होती, किसी को अपत्ति करने का मौका नहीं है। लेकिन यहां कभी-कभी होता है कि अगर अंग्रेजी में भाषण न दिया जाए तो जो हिंदी समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं, इस अर्थ में कि उन्हें धारा प्रवाह हिंदी का भाषण समझ में नहीं आता है, तो फिर वे कहते हैं कि आप अंग्रेजी में बोलिए। मगर उसमें भी अंग्रेजी का अनुवाद करना पड़ता है। अब अगर अनुवाद ही होना है तो भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए। और, इसलिए बिना दबाव के हिंदी ने अपना स्थान प्राप्त किया है। राजनैतिक एकता को पुष्ट करते हुए बिना कहे हिंदी फल रही है, फूल रही है, हिंदी का पथ निष्कंटक है। लेकिन कभी-कभी कठिनाई तब पैदा होती है, जब अतिरेक होने लगता है। उससे बचना चाहिए। जहां अपने विचार प्रकट करने के लिए किसी और माध्यम की आवश्यकता हो, उसमें संकोच नहीं होना चाहिए।

इन दिनों विदेशों में, और मुझे कई देशों में जाने का मौका मिलता है, अंग्रेजी बड़े पैमाने पर पढ़ी जा रही है, सरकारी काम-काज में नहीं। हमारे यहां तो पढ़ी भी गई है और हमारे ऊपर मढ़ी भी गई है। अब उसे कम करना चाहिए। लेकिन कम करने की भावना अंदर से उठनी चाहिए और यह भावना उठेगी। लोग पूछते हैं कि क्या आपकी अपनी भाषा नहीं है ? जब मैंने हिंदी में भाषण दिया तो बहुतों को आश्चर्य हुआ कि आप किस भाषा में बोल रहे हैं। हमने कहा यह हमारी भाषा है। हम तो जानते ही नहीं हैं। हमने कहा, आप तो बहुत-कुछ नहीं जानते। धीरे-धीरे आप जानेंगे। लेकिन शिकायत तब होती है, जब और देश जो हिंदी में बोल सकते हैं या उर्दू में

बोल सकते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आप उर्दू में बोलिए। नेपाल से जो राजनेता आते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आप नेपाली में बोलिए। लेकिन अंग्रेजी के साथ कुछ ऐसा रौब जुड़ा हुआ है कि अगर आप फर्राटे से अंग्रेजी बोलें, तो आपकी धाक जम जाती है। धारा प्रवाह हिंदी बोलने वाले का इतना सम्मान नहीं होता। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा। मगर शनैः शनैः बदलना पड़ेगा। प्रेम से, अनुरोध से स्थिति में परिवर्तन लाना पड़ेगा।

हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है। मैं हिंदी में लिखने वालों को बधाई देता हूं, चाहे वे हिंदीभाषी हों, या हिंदीतर हों। उन सबका मेरी ओर से अभिनंदन है। मंत्रालय को इस आयोजन के लिए बहुत-बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं।

एक अनूठा धर्मग्रंथ

प्रधानमंत्री के निवास में —और यह निवास, आप जानते हैं, अस्थायी निवास है, यहां रहने वाले बदलते रहते हैं। सचमुच में दुनिया का भी यही ढंग है। यहां *गुरुग्रंथ साहिब* का आज प्रकाश हुआ है, देवनागरी हिंदी लिपि में। यह काम बहुत पहले होना चाहिए। देर से ही सही, ठीक दिशा में यह कदम है। दादा लक्ष्मण दासजी हम सबके बधाई के पात्र हैं, इस अवसर पर उनका अभिनंदन करना बहुत ही उचित होगा। कुछ महीने पहले उन्होंने मुझे देवनागरी में अंकित *गुरुग्रंथ साहिब* के एक हिस्से का प्रस्तुतिकरण किया था।

मुझे प्रसन्नता है कि आज समूचे *गुरुग्रंथ साहिब* का देवनागरी और सिंधी लिपि में रूपांतरण हमारे सामने प्रस्तुत है। जैसा अभी कहा गया, *गुरुग्रंथ साहिब* एक अनूठा धर्मग्रंथ है। सचमुच में, यह एक धर्म का ग्रंथ नहीं है, यह सब धर्मों के सार को लेकर चलने वाला महासमुद्र जैसा है, जिसमें छोटी नदियां मिलती हैं और सागर का रूप धारण कर लेती हैं। अलौकिक ग्रंथ है। हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, लेकिन *गुरुग्रंथ साहिब* में, जैसा अभी आपने सुना, अनेक संतों की, साधुओं की, उपदेशकों की वाणी का समावेश है। यह सचमुच में इंटरफेथ का उदाहरण है। इस पर बड़ी चर्चा होती है कि धर्मों में आपस में संवाद नहीं होता। संवाद करना तो बहुत

श्रीगुरुग्रंथ साहिब के देवनागरी लिपि में प्रकाश के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 3 मार्च 2001

आवश्यक है, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। जो जिस रूप में ईश्वर की कृपा चाहता है, उसका भजन करता है। उसे उसकी छूट होनी चाहिए, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। सब धर्मों का सम्मान, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है, और इस दृष्टि से *गुरुग्रंथ साहिब* का एक विशेष स्थान है। जब पहली बार मैंने यह सुना कि पूरा धर्मग्रंथ साहिब का एक विशेष स्थान है, जब पहली बार मैंने यह सुना कि पूरा धर्मग्रंथ राग-रागनियों में निबद्ध है, तो मैं सचमुच में चमत्कृत हो गया। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने भी इसी बात को फिर से दोहराया है। संगीत में ईश्वर की आराधना सचमुच में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है।

प्रधानमंत्री निवास में *गुरुग्रंथ साहिब* का आज प्रकाश हुआ, मैं समझता हूं कि इस निवास की अभी आज कुछ किस्मत जागी है। यहां राजनीति की चर्चा बहुत होती है। आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं। लोग मिलने के लिए आते हैं, अपनी कठिनाइयां भी लाते हैं, लेकिन सब कठिनाइयों का निराकरण सरकार नहीं कर सकती। सरकार को जितना करना संभव हो, उतना करना चाहिए। लेकिन अगर मन में ईश्वर-भक्ति की भावना है तो सब कठिनाइयों के बीच रास्ता निकाला जा सकता है। *गुरुग्रंथ साहिब* इस संबंध में हमारा मार्गदर्शन करता है, भविष्य में भी करता रहेगा। दादा लक्ष्मणजी को मैं फिर से एक बार बधाई देता हूं। यह कार्यक्रम उन्होंने यहां किया, इसके लिए भी मैं उनका आभारी हूं।

आर्थिक सवालों पर एक राय बनाना जरूरी

कुरुक्षेत्र के मैदान में आज हम एकत्र हुए हैं। लगभग पांच हजार साल पहले इस मैदान में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। न्याय और अन्याय के बीच ठन गई थी। पांडव अपना अधिकार मांग रहे थे, कौरव देने के लिए तैयार नहीं थे। भगवान कृष्ण को दूत बनाकर भेजा गया और कहा कि पांडवों को आधा राज्य पिलना चाहिए। कौरवों ने कहा—नहीं मिलेगा, भगवान कृष्ण ने कहा कि पांच राज्य ही दे दो, आधा राज्य नहीं तो। भाई-भाई में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, विनाश होगा, अधोपतन का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन दुर्योधन को सद्‌बुद्धि नहीं आई। उसने कहा, मैं आधा राज्य भी

कुरुक्षेत्र में आयोजित जनसभा में दिया गया भाषण, कुरुक्षेत्र, 6 मार्च 2001

नहीं दूंगा, पांच गांव भी नहीं दूंगा, और आगे बढ़कर एक शब्द और कहा कि मैं सूई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। बाद में क्या हुआ, आप जानते हैं। महाभारत हमें शिक्षा देता है कि धर्म की रक्षा के लिए क्या किया जाए, अन्याय से लड़ने के लिए क्या किया जाए। वह हमें इस बात की भी शिक्षा देता है कि इस देश में हम लोग भाईचारे की भावना से रहें, सद्भावना से रहें, देश की सीमाओं को अक्षुण्ण बनाएं, भारत की धरती को सुरक्षित रखें, इसे समृद्धशाली बनाएं और मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें।

मुझे खुशी है कि आज कुरुक्षेत्र में एक पेनोरमा तैयार हुआ है। वह महाभारत के युद्ध का एक भव्य दर्शन है। महाभारत की पूरी कथा उसमें लिखित है। मैं बधाई देता हूं—हरियाणा की सरकार को, केंद्र की सरकार को भी कि उन्होंने महाभारत को एक बार फिर से लोगों की स्मृति में साकार कर दिया, जीवित कर दिया। ऐसे पेनोरमा दुनिया में बहुत कम हैं। देशी-विदेशी पर्यटक भी इसे देखने के लिए आएंगे और हमारे देश के निवासी भी ज्यादा से ज्यादा इस पेनोरमा को देखने का प्रयास करेंगे। कुरुक्षेत्र तो पहले से ही तीर्थ है। कुरुक्षेत्र पहले से ही हमारे लिए मान्य है, हमारे लिए पूज्य है। और, अब तो इतिहास और विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी कुरुक्षेत्र का विशेष स्थान हो गया है। हरियाणा, जो अपने निर्माण के समय अनेक संकटों से घिरा हुआ था, पिछड़ा था, आपदाओं से मारा था, आज विकास के पथ पर सफलता के सबल चरण बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है।

जब हरियाणा का निर्माण हो रहा था, तब हमने कहा था कि छोटे राज्य के निर्माण से लाभ होगा और वो बात सही साबित हो गई। अभी कुछ ही महीने पहले हमने तीन नए राज्यों का निर्माण किया है—उत्तरांचल का, झारखंड का और छत्तीसगढ़ का। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बड़े-बड़े प्रदेश हैं। विकास में अवरोध होता है और शासन अच्छी तरह से चलाने में भी कठिनाई पैदा होती है। अब तीन राज्य अलग-अलग बन गए हैं। तीन राज्यों के विकास के मार्ग खुल गए हैं। वो हरियाणा की तरह से अपना विकास करें, यह मैं चाहता हूं। उन्हें हरियाणा की स्थिति का अध्ययन करके देखना चाहिए, किस तरह से एक अविकसित क्षेत्र को विकासपूर्ण क्षेत्र में बदला जा सकता है। चौटालाजी ठीक कह रहे थे कि हरियाणा ने अनाज दिया है, हरियाणा के किसान ने मेहनत की है, गेहूं और चावल का भंडार दिया है। अब हमें विदेशों से अनाज मंगाने की जरूरत नहीं है, हम विदेशों को अनाज भेजने के लिए तैयार हैं। अब अनाज की कमी नहीं है। अनाज कहां रखा जाए, इस सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है।

हरियाणा के किसानों को मैं बधाई देना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गेहूं, चावल के साथ-साथ अब और फसलों की तरफ भी अपना ध्यान दें। हमें तिलहन चाहिए, हमें कपास की जरूरत है, साग-सब्जियां बड़े पैमाने पर हरियाणा में पैदा हो रही हैं, हो सकती हैं। अब केंद्र सरकार ने नए बजट में फसल को सुरक्षित रखने के लिए नए कदम उठाए हैं। आप कोल्ड स्टोरेज बनाइए, सरकार की सहायता मिलेगी। शीतागार का निर्माण करिए। जब फसल के दाम गिरें तो उसमें फसल रखिए और जब अच्छा दाम मिलने की संभावना हो तो निकालिए। बड़े पैमाने पर इस तरह के शीतागारों का जाल बिछाया जा सकता है। दुनिया में हमारे फलों की मांग और फूलों की मांग है। हरियाणा यह मांग पूरी कर सकता है। गेहूं के तो अच्छे दाम किसान को मिलेंगे, इसका विश्वास रखिए, लेकिन गेहूं के साथ हमें दालों की भी जरूरत है, रोटी खाएंगे कैसे। दालों की देश में कमी है, दालें विदेशों से मंगानी पड़ती हैं। और, दूसरी बात यह है कि हमारी फसल जरा महंगी ज्यादा है। हम विदेशों में गेहूं बेचना चाहते हैं, मगर विदेशों में गेहूं हमसे भी सस्ता बिक रहा है और इसीलिए हमारे सामने कठिनाई पैदा होती है।

हरियाणा का किसान जागरूक है। हरियाणा का किसान वक्त को देखता है। और, मैं उस किसान से आज अपील करने के लिए आया हूं—आप खेती के नए-नए तरीके अपनाकर, हमने केंद्र में और हरियाणा में जो पहल की है, उसमें मदद दें। किसान कार्ड दिए गए हैं—110 लाख से ज्यादा लोगों को। कार्ड के आधार पर बीमा भी हो सकता है, कर्जा मिल सकता है। बड़ी संख्या में इन कार्डों का प्रयोग होना चाहिए। किसान के लिए पहले धन दिया जाता था, कर्ज के रूप में। उसमें भी हमने वृद्धि की है, ब्याज की दर घटाई है। कार्ड, किसान के लिए लाभप्रद मूल्य की गारंटी कर रहे हैं।

बहनो और भाइयो, खेती के साथ-साथ, कल और कारखानों का जाल बिछाना बहुत आवश्यक है। मैं हरियाणा को धन्यवाद देता हूं, चौटालाजी को विशेष करके। दिल्ली से जुड़े उद्योगपति, उद्योगपति क्या छोटे कारखाने वाले हैं, वे हरियाणा आ रहे हैं, हरियाणा उन्हें स्थान दे रहा है। इसके लिए हरियाणा को बधाई है, हरियाणा को धन्यवाद है। लेकिन दिल्ली अपना बोझा कब तक घटाती रहेगी। दिल्ली में आबादी बढ़ रही है, संख्या में वृद्धि हो रही है, प्रदूषण की समस्या है, इसलिए दिल्ली को स्वयं प्रबंध करना होगा कि वहां बिना उजाड़े हुए लोगों को प्रदूषण की रक्षा के काम में, प्रदूषण को मिटाने के काम में लगाया जा सके और खेती और उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके।

कुछ राज्यों को मिलाकर एक संस्था बनी हुई है, जिसे पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम करने की सुविधा है। यह जरूरी है कि हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और पंजाब—कुछ मामलों में मिलकर नीतियां बनाएं, जल का अच्छा, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। सिंचाई के सवाल लटक रहे हैं, नदियां विवाद में उलझी हैं, पानी समुद्र में जा रहा है और खेती खड़ी सूख रही है। गर्मी में पीने के पानी की भी कमी होने वाली है। ये कैपिटल रीजन है। इसकी एक समन्वित नीति बने। चौटालाजी इसमें पहल कर सकते हैं। वह इस क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने पर विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा सम्मेलन हो और चौटालाजी मुख्यमंत्रियों को बुलाने के साथ-साथ, प्रधानमंत्री को भी बुलाएं। हमें इसकी तरफ बहुत ध्यान देना है।

दुनिया में खेती में भी बड़ी प्रतियोगिता हो रही है। व्यापार का नियम बदल गया है—डब्ल्यू.टी.ओ। दुनिया के देश अधिकार चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो भी फसल हो, उन्हें भेजने का अधिकार होना चाहिए। अब हमें अपनी फसल की रक्षा करनी है, अपने उद्योगों को संरक्षण देना है। इस काम में हम कोताही नहीं कर सकते। लेकिन हम दुनिया के साथ भी कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, हम अलग-थलग नहीं हो सकते। इसलिए डब्ल्यू.टी.ओ. के अंतर्गत जो भी शर्त हैं, हम उनके अधीन विदेशों से आने वाले कृषि माल पर भारी से भारी ड्यूटी लगा रहे हैं, जिससे कि वो माल महंगा हो और हमारे देश में बने हुए या पैदा हुए माल की तुलना में उसे खरीदना मुश्किल हो जाए। लेकिन हम जो माल बनाते हैं या हम जो पैदावार करते हैं, उसमें भी सुधार की जरूरत है। दुनिया में प्रतियोगिता हो रही है, टक्कर हो रही है। हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। और, हमें विश्वास है कि हमारा किसान, हमारे मजदूर इस तरह के प्रयास में योगदान देकर देश की सहायता में आगे आएंगे।

दुनिया के और देशों में जहां पैदावार ज्यादा होती है, वहां खाद्य बनाने की चीजें, खाने की चीजें सुरक्षित रखने का भी बहुत इंतजाम होता है, व्यवस्था होती है। हमारे यहां फसल ज्यादा दिन रखी नहीं जा सकती। दूसरे दिन खराब हो जाए, इस बात का डर है, इसके लिए सरकार ने प्रबंध किया है। किसान भाई इसका लाभ उठाएं, इसकी आवश्यकता है। गांव में कोल्ड स्टोरेज हों, गांव में गोदाम बनें, किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सकें और जब ज्यादा दाम मिलते हैं, तब बाजार में लाकर बेचें। इस तरह का प्रबंध बहुत जरूरी है।

हम ऐसी नीतिया अपना रहे हैं—आर्थिक क्षेत्र में, जो सबकी खुशहाली में सहायक हों। सरकार को तीन साल हो गए। हम जब सत्ता में आए, तब देश की स्थिति चिंताजनक थी। हमने पिछले ढाई साल में , तीन साल में देश को मजबूत किया है,

सुरक्षित बनाया है। दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। इन्फोर्मेशन टेक्नालोजी में भारत दुनिया को रास्ता दिखाने वाला देश बन गया है। हरियाणा में भी इन्फोर्मेशन टेक्नालोजी के विकास के लिए कोशिश की जा रही है, यह बहुत अच्छी बात है। केंद्र इसमें जो भी सहायता दे सकता है, देगा। नौजवानों को रोजगार चाहिए, नए ढंग के रोजगार चाहिए। पिछले ढाई साल में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। यह तो प्रचार हो रहा है कि बेकारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। यह प्रचार वास्तविकता से मेल नहीं खाता। नए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिताने वालों की तादाद घटी है। लेकिन, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमें और तेजी से विकास करना है। इस विकास के काम में सब राजनैतिक दलों का हम सहयोग चाहते हैं।

यह बिजली की कमी देश में इतनी कैसे हो गई? अगर हम आजादी के बाद सही-सही नीतियां अपनाते तो आज बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में भी संकट है। जब मदद की जरूरत होगी, हम मदद करेंगे, चौटालाजी विश्वास रखें। लेकिन, भाइयो, आपको सोचना चाहिए, बहनो, कि आजादी के 50 साल के बाद बिजली की कमी क्यों? बिजली के बिना न तो खेती चल सकती है, न कारखाने चल सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ नहीं सकते। शाम होते ही अंधेरा हो जाता है, अपराध बढ़ते हैं। हमें पर्याप्त बिजली अभी तक पैदा कर लेनी चाहिए। लेकिन जिनके हाथों में शासन की बागडोर थी, उन्होंने गलत नीतियां अपनाईं। हिमाचल में पानी से बिजली बन सकती है, वो बिजली सारे देश में जा सकती है। लेकिन, हिमाचल को लाभ होगा और प्रदेश पीछे रह जाएंगे, कारखाने खोलने के बारे में। यह सोच का एक तरीका निकाला, जो गलत था। अलग-अलग प्रदेशों में बिजली के कारखाने लगें। लेकिन जहां बिजली सबसे सस्ती बन सकती है, वहां ध्यान पहले देना चाहिए। बिजली कहीं भी बने, हम सारे देश में ग्रिड के द्वारा उसको भेज सकते हैं। लेकिन चिंता नहीं की। यह बात और चीजों पर भी लागू होती है।

अभी हमारे पार्लियामेंट में आवाज उठ रही है कि इस वर्ष आलू बहुत पैदा हुआ है। आलू की कीमत गिर रही है। आलू खरीदने वाला कोई नहीं है, आलू खाने वाला कोई नहीं है। और, उसके लिए भी हमारी सरकार को दोष दिया जा रहा है। विरोधी दल हर बात के लिए हमको दोष देते हैं। बाढ़ क्यों आ गई? केंद्र में मिली-जुली सरकार है। सूखा क्यों पड़ गया? वाजपेयी की हुकूमत है। गनीमत है कि किसी ने यह नहीं कहा कि गुजरात में भूकंप इसलिए आया है कि केंद्र में हमारी सरकार है। भूकंप ऐसा आया विकराल कि जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन, हमने सारे प्रदेश को व्यवस्थित ढंग से बचाया। उड़ीसा में तूफान आया, एक आदमी को मरने

नहीं दिया। सारा देश तूफान की पीड़ा से त्रस्त लोगों की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। यही गुजरात में हुआ। गुजरात में हरियाणा ने जो सहायता दी है, उसके लिए मैं हरियाणा का आभारी हूं। कहीं भी आपदा हो, कहीं भी विपत्ति हो, हरियाणा की सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री सबसे पहले सहायता देने के लिए तैयार होते हैं। यह भाईचारे की भावना होनी चाहिए।

राजनीति अपनी जगह है। कुछ आर्थिक सवालों पर भी एक राय बनना जरूरी है। बिजली के अगर दाम बढ़ा दिए जाएं तो विरोधी दल आंदोलन करते हैं और वो ही विरोधी दल जहां दूसरी जगह सरकार चला रहे हैं, वहां बिजली के दाम बढ़ाने के लिए मजबूर हैं। यह कैसे चल सकता है। कुछ मामले ऐसे हैं, जिन्हें दलगत राजनीति से अलग करके देखना चाहिए। और, विकास का सवाल ऐसा ही दुष्सवाल है। सरकारें आएंगी, जाएंगी। मगर देश का विकास होना चाहिए, देश समृद्ध होना चाहिए। हर नौजवान के लिए रोजगार होना चाहिए। खेती के साथ-साथ, गांव में छोटे उद्योग—लेकिन वो अच्छा माल बनाएं, यह जरूरी है। अब दुनिया में घटिया माल के लिए बाजार नहीं है। अब होड़ में हम अकेले नहीं हैं। प्रतियोगिता में सारी दुनिया शामिल है।

हमने काफी प्रगति की है। हमारी प्रगति से दुनिया के देश आश्चर्यचकित हैं। लेकिन, हम जानते हैं कि अभी मंजिल दूर है। हमें कई मील जाना है। मिली-जुली सरकार इकट्ठे होकर काम कर रही है। मजबूत सरकार है। नीतियां निश्चित हैं। यह प्रचार झूठा है कि विदेशी कंपनियां हमें खरीद रही हैं। यह प्रचार झूठा है कि मल्टी-नेशनल हमें गुलाम बनाने जा रहे हैं। सौ करोड़ इस देश की जनता है। जिस देश में शूर-वीर हैं, लड़ाई के मैदान में जान देने वाले और किसान हैं, पसीना बहाकर हरियाली और फसल पैदा करने वाले, यहां का नौजवान जान पर खेलना जानता है, यहां की माताएं और बहनें वीरांगनाएं हैं, उस देश को कोई फिर से गुलाम नहीं बना सकता। अब ईस्ट इंडिया वाले दिन नहीं हैं। तब दिल्ली में सत्ता नहीं थी, सत्ता थी तो मजबूत नहीं थी। आज सत्ता है, स्थायी सरकार है। मजबूत सरकार है। दो-दो हाथ के लिए भी तैयार है, मगर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए भी तैयार है। हम शांति चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं। हम किसी की भूमि नहीं चाहते, मगर हम अपनी भूमि देंगे नहीं, यह सबको समझ लेना चाहिए।

हम ध्यान लगाना चाहते हैं, देश के निर्माण की ओर। कुरुक्षेत्र के इस मैदान में आज हम विकास का संदेश लेकर जाएं, शांति का संदेश लेकर जाएं, भाईचारे का संदेश लेकर जाएं। हां, अगर हमारी धरती पर आंच आई, हमारी स्वतंत्रता पर ठेस

लगाने की कोशिश की गई, अगर हमारी प्रभुसत्ता को चुनौती दी गई तो फिर हम मजबूर होंगे, अपनी रक्षा के लिए। हमने एटम हथियार बनाए हैं, किसी के विनाश के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए।

आज ईद का मुबारक दिन है। मैं सब मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारक देता हूं। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, धूप में इतनी देर से बैठे हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं।

VI

स्वास्थ्य और समाज कल्याण

चिकित्सा पद्धतियां एक-दूसरे की पूरक होनी चाहिए

विश्व स्वास्थ्य दिवस की पूर्वसंध्या पर आपके बीच यहां आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं सी.आई.आई और उसके अध्यक्ष तथा डायरेक्टर जनरल श्री बजाज और श्री तरुण दास को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है।

यह बात सच है कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की अभी तक अवहेलना हुई है। किसी विशेष उद्देश्य से की गई हो, ऐसा तो मैं नहीं मानता। लेकिन जिस तंत्र का हमने विकास किया और उसके साथ हमारी मानसिकता जुड़ी, उसमें यह हो गया स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से। अब इसको बदलने की जरूरत है। जैसा बजाज जी कह रहे थे कि दुनिया के अन्य देशों में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को अपनाया जा रहा है, वे लोकप्रिय हो रही हैं। उसमें निर्यात की भी सुविधा है। एक-एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की हम चिंता करना चाहते हैं। ऐलोपैथी में तो यह संभव नहीं है। इसके लिए एलोपैथी के साथ-साथ सारी चिकित्सा पद्धतियों का समावेश करना होगा। इसके लिए चिकित्सा पद्धतियों को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में बड़े पैमाने पर अनुसंधान और खोज-अन्वेषण की आवश्यकता है। फिर कोई मानकीकरण भी होना चाहिए। कुछ मात्रा में हुआ है। लेकिन वह इतनी मात्रा में करना जरूरी है जिसमें लोगों का विश्वास जम सके।

हमारी चिकित्सा पद्धति केवल रोग का उन्मूलन नहीं करती, लेकिन उसके बुनियादी कारणों में जाती है, मौलिक कारणों में जाती है। जीवन को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता, उसको समग्रता में देखना होगा। रोग के निवारण के लिए मन कैसा हो, चित्त कैसा हो, उसको किस तरह से सुधारा, संवारा जाए, उसका विचार भी जरूरी है। हमने ऐसी चिकित्सा पद्धतियों का विकास किया था और, घरों में, गांवों में अभी भी ऐसे नुस्खे प्रचलित हैं जिससे छोटे-मोटे रोगों के इलाज की व्यवस्था हो सकती है। मुझे याद है, बचपन में अगर मुझे जुकाम हो जाता था तो मेरी मां एक काढ़ा बनाकर, तुलसी के पत्ते डालकर, उबालकर मुझे पिला देती थी और मैं ठीक हो जाता

'नई सहस्राब्दी में अच्छा स्वास्थ्य' विषय पर आयोजित सेमिनार में भाषण, नई दिल्ली, 6 अप्रैल 2000

था। पता नहीं, वह काढ़े का असर था कि मां की ममता का परिणाम था। लेकिन छोटे-मोटे रोगों का इलाज हो सकता है और छोटे-मोटे रोगों के साथ-साथ बड़े-बड़े रोगों का इलाज भारतीय चिकित्सा पद्धति कर सकती है। यह मैंने अपनी आंख से देखा है, मैं अपने अनुभव से जानता हूं। उस दिशा में और काम करने की जरूरत है।

चिकित्सा पद्धतियां एक-दूसरे की पूरक होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धी नहीं। मिलकर काम करें। इसमें ऐसा नहीं है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति अलग चले और विदेशी चिकित्सा पद्धति, पश्चिमी चिकित्सा पद्धति अलग चले। तालमेल होना चाहिए। और, सचमुच में जो हमारे एलोपैथी के विद्यार्थी निकल रहे हैं, डाक्टर बनकर समाज में जा रहे हैं, अगर पढ़ाई के दौरान उन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के मूल सिद्धान्तों के बारे में कुछ बताया जा सके तो मैं समझता हूं कि इसका लाभ होगा और वे उसका उपयोग भी कर सकते हैं और उसका लाभ दोनों पद्धतियों को होगा।

मुझे फिर एक बचपन की एक घटना स्मरण में आती है। एक हकीम जी थे, बड़ा नाम था उनका। मेरे पड़ौसी मित्र के पेट में कुछ शिकायत हो गई। अनेक डाक्टरों के यहां गये, मगर शिकायत दूर नहीं हुई। फिर किसी ने उन्हें सुझाया कि जो नुक्कड़ पर हकीम जी बैठते हैं, उनकी सलाह लो। वह उनके पास गये और मुझे याद है कि हकीम जी ने उन्हें एक ऐसी रोटी बनाकर दी थी जो औषधियों से बनी थी जिसमें तरह-तरह के उपयोगी तत्व शामिल थे और कहा था कि पेट पर आप यह रोटी बांधिये। पेट को चीरने की उन्होंने सलाह नहीं दी। चलिए, टेबल तैयार है, अभी चीर-फाड़ कर देते हैं। उन्होंने कहा, पेट को चीरने की कोई जरूरत नहीं है। यह प्रश्न बार-बार मेरे मन में उठता था कि दर्द है पेट के अंदर और रोटी बांधी जा रही है ऊपर। यह पेट ठीक कैसे होगा? मगर पेट ठीक हो गया। मुझे ऐसे हकीमों की तलाश है। वैसे तरुण जी का वरद हस्त मेरे ऊपर है। लेकिन मैं चाहूंगा कि सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास में योगदान दें। केवल सरकार के भरोसे यह काम नहीं छोड़ा जा सकता, सरकार के साधन सीमित हैं और मानसिकता का भी सवाल है।

वह कभी-कभी जब मुझे प्राकृतिक चिकित्सा का पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं, उनसे कभी पूछा करता हूं, यह जो आप फिजियोथेरेपी बता रहे हैं, क्या कोई गोली नहीं है कि फिजियोथेरेपी करने के बजाय मैं वह गोली खा लूं और तबियत ठीक हो जाए। उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई गोली अभी तक नहीं बनी है। शाम को आपको घूमना पड़ेगा, कोई गोली आपके काम आने वाली नहीं है। लेकिन

दुनिया में शार्टकट हो रहे हैं। इंस्टेंट इलाज हो रहे हैं। उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है तो किसी भी विज्ञान को, किसी भी पद्धति, किसी भी प्रणाली को पुरस्कृत करने से हम अपने को न रोकें। मिलकर काम करें और अभी मेरे सहयोगी षणमुगम ने दो-तीन चीजें गिना दीं अपने भाषण में, मुझे विश्वास है कि उनमें ज्यादा खर्चा करना जरूरी नहीं होगा। लेकिन अस्पतालों पर, एलोपैथी पर, इलाज पर हम जितना खर्चा कर रहे हैं, यह ठीक है कि उसमें प्राइवेट भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं, उसका अगर एक अंश भी हम भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार और प्रसार में खर्च करें तो मैं समझता हूं कि इस देश के स्वास्थ्य में अवश्य परिवर्तन होगा और उसका श्रेय आपको मिलेगा।

महिलाओं के लिए नई संभावनाएं खोजें

सबसे पहले मैं एक स्वीकारोक्ति करना चाहता हूं कि अपनी युवास्था में मैं भारत के ब्रिटिश राष्ट्रकुल में शामिल होने के खिलाफ था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद प्रथम प्रधानमंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के राष्ट्रकुल में बने रहने के कारणों का प्रचार और वकालत की। अब राष्ट्रकुल केवल ब्रिटेन नहीं है, यह सार्वभौमिक है। और भारत इसमें शामिल होने पर खुश है।

महिला मामलों के लिए उत्तरदायी राष्ट्रकुल के मंत्रियों की छठी बैठक पर इस विशेष समारोह को संबोधित करना प्रसन्नता व सौभाग्य दोनों की बात है। यह बैठक यहां होना स्वाभाविक ही है। राष्ट्रमंडल के सबसे बड़े सदस्य के तौर पर भारत ने आधारभूत मूल्यों व सिद्धांतों को बढ़ावा देने में सक्रिय तथा अहम भूमिका निभाई है, जो मुक्त व लोकतांत्रिक समाजों, मानव गरिमा तथा प्रतिस्पर्धा, धर्म व लिंगभेद भुलाकर समानता के आधार बने हैं।

यही मूल्य व सिद्धांत हैं जिनमें राष्ट्रमंडल के सदस्यों की समान भागीदारी है। निश्चित तौर पर, यही अहम मूल्य हमें भेदभाव रहित एक लोकतांत्रिक विश्व की कल्पना करने के लिए जोड़े हुए हैं, एक ऐसा विश्व जिसमें समान अवसरों तथा समान अधिकारों के लिए पूरा स्थान हो।

महिला मामलों के लिए उत्तरदायी राष्ट्रकुल के मंत्रियों की छठी बैठक के अवसर पर दिया गया भाषण: नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2000

जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक गणराज्य के रूप में अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। हमें इस तथ्य पर गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और यह कि अपने संविधान के जरिये हमने मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणापत्र को स्वीकार किए जाने के काफी पहले ही महिलाओं व पुरुषों के लिए समान अधिकारों के सिद्धांत को अंगीकार कर लिया था। समान अधिकारों तथा मानव गरिमा की हमारी प्रतिबद्धता ने अभी खत्म हुई सदी में हमें चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने का मौका दिया। 21वीं सदी में अन्य देशों की तरह हमारे सामने भी नई चुनौतियां हैं।

इनमें से कई चुनौतियां सीधे तौर पर महिलाओं, उनके विकास, उनकी प्रगति तथा उनके सशक्तिकरण से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के तौर पर, ढांचागत तालमेल, वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के साथ समन्वय तथा सतत विकास को सुनिश्चित करने की चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें महिलाओं पर विकास योजनाओं के विभेदीय प्रभाव के साथ-साथ 'गरीबी के स्त्रीकरण' के तथ्य का अध्ययन करने की आवश्यकता है। यह ऐसे मुद्दे हैं जिनसे अकेले नहीं निपटा जा सकता। इसीलिए, हमने इनसे संरचनात्मक तथा व्यवस्थित ढंग से निपटने का फैसला किया है।

महिला मामलों के लिए उत्तरदायी राष्ट्रकुल के मंत्रियों की छठी बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2000

हमारा उद्देश्य रुकावटों और अड़चनों को दूर करना है। ताकि महिलाओं के लिए अवसरों के एक नए संसार का द्वार खोला जा सके।

जैसा कि हमारे साथियों ने जिक्र किया, राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत, हमने संघ व राज्य विधायिकाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। बुनियादी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऐसा ही एक कानून हमारे शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सरकार संस्थाओं के लिए पहले से ही प्रभावी है।

हालांकि, राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण भी होना चाहिए। इसलिए हमने महिलाओं को स्नातक स्तर तक, व्यावसायिक अध्ययन सहित, मुफ्त शिक्षा देने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है।

हमने अपनी राष्ट्रीय विकास की रणनीति के सभी क्षेत्रों में एक 'वुमेन्स कंपोनेंट प्लान' शुरू किया है, जिससे विकास के लाभों में महिलाओं की अनदेखी न होना सुनिश्चित किया जा सके। हम लिंगभेद की समस्या को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य व सम्मान हासिल करने की राह में एक बड़ी बाधा है।

महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करना, अपने सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा की लोकतांत्रिक भारत की प्रतिबद्धता का अहम घटक है। इसके लिए हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग तथा पिछड़ा वर्ग आयोग जैसी संस्थाओं का निर्माण किया है। इन सभी को सांविधिक अधिकार प्राप्त हैं।

इन आयोगों द्वारा महिलाओं की समस्याओं को विभिन्न संदर्भों में देखा जाता है और सरकार इनकी सिफारिशों पर पूरा ध्यान देती है। हमारे सशक्त एवं स्वतंत्र नागरिक समाज के अलावा भारत के सांसद व स्वतंत्र मीडिया की भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा व प्रोत्साहन में अहम भूमिका होती है। जिस तरह किसी भी मुक्त व लोकतांत्रिक समाज में हर नीतिगत मुद्दा सार्वजनिक समीक्षा व बहस के लिए खुला होता है।

भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका भी समय-समय पर महिला अधिकारों की रक्षा में आगे आती है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने लिंग आधारित हिंसा, कार्यस्थलों पर शोषण, संपत्ति अधिकारों की अनदेखी तथा असमान अभिभावकता कानूनों के

खिलाफ महिलाओं के अधिकारों के लिए कुछ बेहद प्रगतिशील फैसले दिए हैं। इन फैसलों ने महिलाओं तथा हमारे पूरे समाज को व्यापक रूप से सशक्त बनाया है।

इसीलिए, हम मानते हैं कि हमने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। लेकिन इसके साथ ही, हम यह भी स्वीकार करते हैं कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

देवियो एवं सज्जनों, पेइचिंग सम्मेलन के पांच वर्षों बाद दुनिया भर में महिलाओं के स्तर की समीक्षा किया जाना उचित होगा। यह बैठक इस उद्देश्य के लिए एक अवसर उपलब्ध कराएगी।

मैं चाहूंगा कि सभी प्रतिनिधि, जून में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र के एजेंडे में, अपने विचार-विमर्श के जरिये राष्ट्रमंडल की ओर से, महत्वपूर्ण योगदान दें।

राष्ट्रमंडल आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है और उत्तर-दक्षिण को बांटने वाले अवरोधों तथा विकसित व विकासशील देशों के बीच की दूरियों को कम करता है। यह राष्ट्रों तथा राष्ट्रों के खुले समाज के बीच सहयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखकर मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ताकि बेहतर व न्यायोचित सामाजिक-व्यवस्था कायम की जा सके, जिसमें महिलाओं को लिंगभेद के कारण अक्षमताओं का सामना न करना पड़े।

हर बच्चे को विकास का अवसर मिले

आज का दिन हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेहरू जी के साथ बाल दिवस जुड़ा हुआ है। लेकिन केवल एक दिवस मनाने से काम नहीं चलेगा। सचमुच में आज के दिन बाल दिवस पर, 364 दिन हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया है, इसका लेखा-जोखा लेने की जरूरत है। कुछ काम हुए हैं, लेकिन बहुत काम बाकी हैं। सरकार के साधन सीमित हैं और इसलिए गैर-सरकारी संस्थाओं का सहयोग बहुत आवश्यक है। सचमुच में उन गैर-सरकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज

बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री निवास पर आयोजित बच्चों के कार्यक्रम में भाषण, नई दिल्ली, 14 नवंबर 2000

हमने दोनों तरह के कार्यक्रमों के रूप देखे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हम बच्चों के लिए और नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। गैर-सरकारी संस्थाओं और राज्य सरकारों की सहायता से उसे पूरा करने का प्रयास होगा।

मुझे नाना बना दिया गया, 'ना-ना' मुझे पसन्द नहीं है, 'हां-हां' होना चाहिए। 'ना-ना' तो हम बहुत कर चुके, 'ना-ना' तो नकारात्मक है, निषेधात्मक है। जब मेरे घर में मेरे पिताजी नाना बने और उनको नाना कहकर पुकारा गया तो उन्होंने मजाक में कहा था—नाना मत कहो, जो ऊपर बैठे हुए यमराज हैं, वे सुन लेंगे कि एक और नाना तैयार है ले जाने के लिए। यह मजाक की बात थी। लेकिन हमें अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है इसलिए हम चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो। बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाए और बच्चों की ओर हम अधिक ध्यान दें। हमारी एक बिटिया ने अपनी जिन्दगी के बारे में कुछ बताया। बड़ी तकलीफें हैं, यह सच बात है। करोड़ों बच्चे शिक्षा के अवसर से वंचित हैं। अच्छी खुराक नहीं मिलती, धीरे-धीरे यह नक्शा बदल रहा है, और भी बदलेगा। सबको मिलकर इस नक्शे को बदलना है। तरक्की करके दुनिया को दिखाना है कि हम केवल संख्या में ही ज्यादा नहीं हैं, हम अपने परिश्रम और योजनाओं से अपनी तकदीर बदल सकते हैं। यह जरूरी है कि आज के दिन हम इस संकल्प को दोहराएं कि हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, पूरा ध्यान रखना है। वे कल के नागरिक बनेंगे, अच्छे नागरिक बनें, समाज के लिए काम करें। अपनी उन्नति के लिए भी रास्ता बनाएं।

हमारी बिटिया छोटी है लेकिन उसने अच्छे गीत गाकर हार्ट के आपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे किए। सचमुच में बहुत अच्छी बात है। उससे पहले हमारी बहन ने अपनी कथा सुनाई थी। उसमें भी यह नतीजा निकला कि पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए। अगर काम करने की मजबूरी है तब भी काम करने के बाद या काम करने से पहले थोड़ा वक्त निकालकर बच्चे-बच्चियां पढ़ें। इसके लिए गैर-सरकारी संस्थाओं का सहयोग मिल सकता है, मिलता है। शिक्षा के बिना बात नहीं बनती। और इसलिए इस तरह की स्थिति हमें उत्पन्न करनी है कि कोई भी बच्चा—लड़का या लड़की—शिक्षा के अवसर और अधिकार से वंचित न रहे। शिक्षा पाना, अच्छा जीवन बिताना—यह हरेक का अधिकार है। हर बच्चे को अपने विकास का अवसर मिले—यह हमारा संकल्प है। इसको पूरा करने का आज हम फिर संकल्प दोहराएं, इस बात की जरूरत है। मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। क्या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? नई दुनिया वालों को बधाई है।

समग्र बाल विकास की ओर

सबसे पहले मैं न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति को 'बाल संहिता विधेयक 2000' तैयार करने लिए बधाई देता हूं। 'विधेयक 2000' आज यहां पेश किया गया। वास्तव में इसके लिए बाल दिवस से उपयुक्त कोई और अवसर नहीं हो सकता।

मैंने 'बाल संहिता विधेयक' का अवलोकन किया। यह एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें बच्चे के अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र समझौते के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान भारतीय कानूनों की परीक्षा की गई है। भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के अन्तर्गत एक राष्ट्र के रूप में अपने सामूहिक दायित्व को पूरा करने के लिए, और यदि मुझे यह कहने की अनुमति हो, और यह अधिक महत्वपूर्ण है, इस देश के बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमें अपने वर्तमान कानूनों को संयुक्त राष्ट्र समझौते के अनुरूप बनाना होगा।

न्यायमूर्ति अय्यर की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों ने इस बारे में सरकार के कार्य को काफी सरल बना दिया है। मैं उन्हें और समिति के अन्य सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं इस कार्य में यूनीसेफ (यू.एन.आई.सी.ई.एफ.) या संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष द्वारा दी गई सहायता के लिए उन्हें भी धन्यवाद देता हूं।

बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते और साथ ही 'बाल संहिता विधेयक 2000' में, जो विषय उठाए गए हैं, वे मुख्यत: वे समस्याएं हैं जो अनेक दशकों से न केवल भारत और अन्य विकासशील देशों में हैं, बल्कि विकसित देशों में भी हैं।

इन समस्याओं को निपटाने के लिए कानून बनाने का अर्थ होगा—पुरानी समस्याओं के नए समाधान खोजना। वास्तव में हमें नए कानूनों की जरूरत नहीं है, वास्तव में हमारे विधि संग्रह में पर्याप्त कानून हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इन कानूनों में उपयुक्त संशोधन करें ताकि वे वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक हों और उन्हें न्यूनतम बाधाओं के साथ लागू किया जा सके।

उच्च स्तरीय समिति ने ठीक यही किया है। उसने संयुक्त राष्ट्र के समझौते में शामिल बच्चे के अधिकारों को देश के कानूनों में शामिल करने का प्रयास किया है।

'बाल संहिता विधेयक 2000' को जारी करने के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 14 नवंबर 2000

ऐसा करते हुए उसने क्रान्तिकारी परिवर्तनों का सुझाव नहीं दिया है। एक तरह से, जो प्रस्ताव किया गया है वह एक व्यापक संहिता है, जिसमें एक बच्चे की जीवन रक्षा, सुरक्षा और विकास के अधिकारों को विस्तारपूर्वक समझाया गया है।

सरकार प्रस्तावित संहिता पर पूरी तरह विचार करेगी, जिसमें कुछ व्यवस्थाओं को लागू करना सुगम बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र समझौते में शामिल अधिकांश भारत के संविधान में पहले से हैं।

जैसा कि सबको पता है, 1992 में बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के दो दशक पहले, भारत ने 1974 में बच्चों के बारे में राष्ट्रीय नीति तैयार कर ली थी। इस नीति में भारतीय राज्य के बच्चों की जीवन रक्षा की वृद्धि, विकास और रक्षा के प्रति वचनबद्धता को दुहराया गया था, और इसके परिणामस्वरूप अनेक नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया गया। इनमें से कुछ में खास तौर पर लड़कियों के कल्याण पर जोर दिया गया था। तथापि, जहां इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत कुछ प्राप्त किया जा चुका है, अभी काफी कुछ किया जाना है।

हम कई अन्य देशों के साथ मिलकर बच्चे के जीवित रहने, विकास और रक्षा संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कुछ मामलों में, ये समस्याएं अभी भी क्यों बाकी हैं, इसके कारण पुराने हैं। कुछ और मामलों में प्रथागत आचरण और सामाजिक विश्वास, जो देश या क्षेत्र के लिए विशिष्ट हैं, प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

उदाहरण के लिए सस्ती मजदूरी के लिए बच्चों का शोषण और बाल वेश्यावृत्ति ऐसी समस्याएं हैं जो भौगोलिक सीमाओं को पार करती हैं। इसके विपरीत लड़कियों की भ्रूण-हत्या जैसी समस्याएं भारत में हैं और इन पर इस क्षेत्र के सामाजिक यथार्थ के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

इसलिए इन समस्याओं में से कुछ से निपटने के लिए देशों को एक समान कार्यक्रम तैयार करना होगा और आपस में मिलकर कार्य करना होगा। इसी के साथ, हम भारत में उन प्रथागत आचरणों एवं व्यवहारों और सामाजिक विश्वासों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए, वचनबद्ध हैं, जो स्त्री-पुरुषों के भेदभाव करते हैं और इस प्रकार एक बच्चे को न केवल जीवित रहने के, बल्कि विकास और शोषण से मुक्ति के अधिकार से वंचित करते हैं।

मैं बता दूं कि एक राष्ट्र के रूप में हमने सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन और स्त्रियों के प्रति भेदभाव समाप्त करने की दिशा में काफी काम किया है। तथापि, अभी

हमें काफी काम करना है और लड़कियों एवं औरतों की मुक्ति और उन्हें अधिकार प्रदान करने की नई सीमाओं को जीतना है। मित्रो, विश्व में मानव विकास के हर युग का अपना प्रभाव होता है—कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक।

निस्सन्देह वैश्वीकरण के कारण कुछ देशों की आर्थिक विकास दर बढ़ी है और उसने व्यापक संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। इसी के साथ, मुक्त बाजार प्रतियोगिता का एक नकारात्मक असर हुआ है जो सस्ती मजदूरी के लिए बच्चों के शोषण के रूप में प्रकट हुआ है।

यह कोई गोपनीय रहस्य नहीं है कि अनेक विकासशील देशों में किशोर उम्र के लड़के-लड़कियों को माल तैयार करने के लिए काम पर रखा जाता है। इस तरह के तैयार माल की कम मजदूरी के कारण, लागत कम आती है और वे दामों के मोर्चे पर दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। समाचारपत्रों में विस्तार के साथ उन उत्पादों की चर्चा है, जिनके साथ कुछ प्रसिद्ध ब्रांड नाम जुड़े हैं। ये उत्पाद ऐसे कारखानों में तैयार किए जाते हैं जो हमें औद्योगिक क्रांति के दिनों की 'स्वेटशाप' की याद दिलाते हैं।

इसी तरह यह बात गुप्त नहीं है कि बड़े पैमाने पर बाल वेश्यावृत्ति का कारण विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के पर्यटकों को आकृष्ट करने की होड़ है। विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने की इस होड़ में वे इस भयंकर बुराई की ओर से, जिससे हमें शर्मिन्दा होना चाहिए, आंखें मूंद लेते हैं।

निस्सन्देह इन मोर्चों पर कुछ देश मिलकर काम कर सकते हैं। ऐसा करते समय उन्हें आर्थिक लाभ का लालच छोड़ना होगा। ये बुराइयां क्षणिक लाभ तो कराती हैं लेकिन बच्चों के जीवन में गहरे स्थायी दाग छोड़ जाती हैं।

मैं जिस बात पर अधिक जोर देना चाहता हूं वह यह है कि विभिन्न देशों द्वारा बनाए गए कानून तभी प्रभावी हो सकते हैं जब बच्चे के अधिकारों की रक्षा के समर्थन में उच्च स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और मिल-जुलकर काम करने की भावना हो। सहयोग और मिल-जुलकर काम करने की इस भावना का विस्तार गरीबी उन्मूलन में भी होना चाहिए। क्योंकि जब तक दुनिया का हर चौथा व्यक्ति गरीब है, अनेक रूप में शोषण जारी रहेगा। इसमें विशेष रूप से बच्चों का शोषण और उन्हें बुनियादी मानव गरिमा से वंचित करना शामिल है।

मित्रो, हमारी सरकार ने पोषाहार, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की है। हम शिक्षा के जरिए लड़कियों के विकास और उन्हें सम्पन्न करने पर बहुत जोर देते रहे हैं।

वित्तीय बंधनों के बावजूद हमने सामाजिक क्षेत्र में अपना व्यय बढ़ाया है। हम बच्चों की दशा सुधारने के अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, चाहे ऐसे बच्चों की सामाजिक और आर्थिक हैसियत कैसी ही क्यों न हो? ऐसे बच्चों को लेते समय लड़के-लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

इन सब प्रयासों में 'बाल संहिता विधेयक 2000' हमारी महत्वपूर्ण सहायता करेगा। वास्तव में जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कुछ सरकार बच्चों की जीवन रक्षा, वृद्धि, विकास और रक्षा के कानूनी प्रस्ताव तैयार करते समय आपके प्रस्तावों पर पूरी तरह विचार करेगी।

मैं आपके प्रयासों के लिए आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।

खतरनाक बीमारी से मुकाबला

प्रमुख व्यापारियों के साथ एचआईवी/एड्स के बारे में इस विचार-विमर्श में भाग लेने पर मैं आप सबका आभारी हूं।

हमने अभी एक प्रस्तुति देखी जिसमें देश के सामने मौजूद एचआईवी/एड्स के गंभीर खतरे को दर्शाया गया था। मैं जानता हूं कि भारत में इस बीमारी के जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उनमें काफी अन्तर है। यह सही है कि हमें इस समस्या की विकरालता के सही-सही आंकड़े जुटाने चाहिए लेकिन इस बारे में भी कदापि दो मत नहीं हो सकते कि यह बीमारी आज भी गम्भीर रूप से खतरनाक है और आने वाले समय में भी रहेगी।

हम सभी को बिना झिझक यह मान लेना चाहिए कि एचआईवी/एड्स की रोकथाम न की गई तो यह इस शताब्दी में भारत में सबसे भयंकर और जानलेवा महामारी का रूप ले लेगी।

अकेला यही अहसास इस चुनौती का मुकाबला करने के वास्ते हमारे समाज के हर वर्ग को चौकन्ना कर देगा। यह अकेले ही समाज की सुस्ती और ढील को खत्म करके इस समस्या के प्रति सबको मुस्तैद और सक्रिय बनाने के लिए पर्याप्त है।

एचआईवी/एड्स के खिलाफ 'सरकार-व्यापार भागोदारी' विषय पर उद्योगों के साथ आयोजित परिचर्चा में भाषण, नई दिल्ली, 1 दिसंबर 2000

पर, इस चुनौती से समाज का कोई भी वर्ग अकेला नहीं निपट सकता। हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। इस सामूहिक मोर्चे में शामिल होने के प्रति व्यापार और उद्योग जगत का दायित्व तो स्पष्ट है। अगर इस बीमारी का प्रकोप खतरनाक रफ्तार पकड़ लेगा तो इसकी चपेट में हमारे उत्पादक वर्गों के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते चले जाएंगे। निजी व्यापारिक इकाइयों पर और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर इसका प्रभाव विनाशकारी होगा। इसलिए देश के दीर्घावधि हित में सही है कि व्यापार जगत एचआईवी/एड्स से निपटने में अभी सक्रिय भूमिका अदा करे ताकि भविष्य में आने वाली समस्याओं को रोका जा सके।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एचआईवी/एड्स के खिलाफ चल रहे राष्ट्रीय अभियान में आपका योगदान आपके सामाजिक दायित्व का ही हिस्सा है, खासकर उन स्थानीय समुदायों के प्रति दायित्व का, जिनके बीच आप कारोबार करते हैं।

जो देश इस जानलेवा बीमारी की रोकथाम में सफल हुए हैं उनके अनुभवों से हमें पता चलता है कि अगर सरकार, व्यापार-जगत और सामाजिक संस्थान मिलकर काम करें तो हमें ज्यादा कामयाबी मिल सकती है। इसीलिए मैं आप सभी से—केवल बड़े व्यापार घरानों से ही नहीं बल्कि मझोले और छोटे व्यापारियों से भी—आग्रह करता हूं कि इस लड़ाई में पूरा साथ दें। यह लड़ाई चार मोर्चों पर लड़ी जाएगी :

पहला मोर्चा तो होगा लोगों को इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना कि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और इसका एकमात्र उपचार है बचाव, सिर्फ बचाव। प्रत्येक भारतीय को यह भी भली प्रकार समझ लेना है कि किसी इंजेक्शन, किसी दवा, किसी टीके या किसी आपरेशन से तो इसकी रोकथाम भी संभव नहीं है। जागरूक रहना और आचरण-व्यवहार में पूरा संयम बरतना ही इसकी रोकथाम का अकेला भरोसेमंद उपाय है।

दूसरे मोर्चे पर हमें एचआईवी/एड्स को और फैलने से रोकने के संस्थागत और प्रशासनिक उपाय तेज करने होंगे। इस मोर्चे पर कामयाबी का मतलब है कि आधी लड़ाई हमने जीत ली।

तीसरे, हमें उन सभी की भली प्रकार पूरी देखभाल करनी है जो इस भयानक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हमें ऐसी पक्की व्यवस्था करनी होगी कि उनके प्रति कोई भेदभाव न बरता जाए और काम की जगह में या घर में उनके मान-सम्मान

को किसी भी तरह की ठेस न पहुंचे। कभी-कभी जब मैं एचआईवी-पॉजीटिव पाए जाने वाले लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने की खबर पढ़ता हूं—अक्सर परिवारजनों और मित्रों के व्यवहार के कारण—तो मुझे आश्चर्य होता है कि हम अपने देश में यह सब कैसे होने दे रहे हैं।

मेरा खास तौर पर अनुरोध है कि एचआईवी-पॉजीटिव लोगों के लिए काम की जगह और घर में होने वाले व्यवहार का अन्तर खत्म करना होगा। उनके लिए तो काम की जगह भी घर जैसी लगनी चाहिए। साथ ही यह भी कि मालिक लोग और सहकर्मी उनसे और उनके परिवारजनों से उनके घर जाकर नियमित रूप से मिलते रहें ताकि उन्हें लगे कि वे उनके साथ हैं।

चौथा मोर्चा यह है कि व्यापार घरानों को एचआईवी/एड्स की रोकथाम और उसके इलाज के लिए शोधकार्यों को सक्रिय समर्थन देना चाहिए। इस दिशा में दुनिया-भर में पहले ही प्रयास चल रहे हैं। हमारे चिकित्सा अनुसन्धान संस्थानों को व्यापार समूहों के समुचित सहयोग से इस विश्वव्यापी मिशन में भरपूर योगदान करना चाहिए।

मित्रो, आज की प्रस्तुति से आपको यह पता चल गया होगा कि एचआईवी/एड्स को फैलने से रोकने और इसकी चपेट में आ चुके लोगों की देखभाल के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। अपने राष्ट्रीय अभियान में हम राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों को भी पूरी तरह शामिल कर रहे हैं।

मैं कम्पनी क्षेत्र और भारतीय व्यापार समुदाय के अन्य वर्गों से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार के प्रयासों में अपना भरपूर सहयोग करें। आप लोग अपनी ओर से भी अनेक पहल कर सकते हैं।

इस भागीदारी में उद्योग संघों और व्यापार समूहों के भेदभाव भुला देने चाहिए। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि बस और ट्रक आपरेटर, गैराज वाले और सड़कों के किनारे चल रहे छोटे ढाबों वाले भी इस अभियान में हर तरह से पूरा सहयोग करें।

एक अन्य क्षेत्र है जिसमें सहयोग जरूरी तो है ही, प्रभावी भी साबित हो सकता है। समूची दुनिया में हुए अध्ययनों से स्पष्ट हो गया है कि प्रवासी मजदूर इस बीमारी की चपेट में ज्यादा आते हैं।

हमारे यहां शहरीकरण पूरे जोरों पर बढ़ रहा है। काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगहों पर जाने वाले मजदूरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। दुर्भाग्य से हम इस ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाए हैं कि ये मजदूर किन हालात में काम करते हैं और किस प्रकार का जीवन जीते हैं। असंगठित होने के कारण उनकी समस्याएं और जटिल तथा ज्यादा हो जाती हैं।

अधिकांश प्रवासी मजदूर किसी न किसी रूप में व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। इसलिए मैं अपने व्यापारी समुदाय से आग्रह करता हूं कि वे उनकी तरफ ध्यान दें। उन तक एचआईवी/एड्स की जानकारी पहुंचाएं। उनके काम की जगह और रहने की जगह पर साफ-सफाई की व्यवस्था सुधारने तथा उनके स्वास्थ्य की देखभाल पर सर्वाधिक ध्यान दें। उनमें विश्वास जमाएं कि आप उन्हें कारोबार में काम आने वाले दिहाड़ी-मजदूर ही न समझकर अपने जैसे इन्सान समझते हैं।

मित्रो, आपको अपने देश और अपने कारोबार के प्रति पूरे दायित्व से काम करना है। आपको परोपकार की भावना अपनाकर अग्रणी भूमिका संभालनी होगी।

यदि मुझे एचआईवी/एड्स के खिलाफ प्रस्तावित भागीदारी का एजेंडा सुझाना हो तो उसके खास पहलू होंगे :

- सरकारी एजेंसियों, व्यापार घरानों, स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक संस्थानों के बीच समन्वय की दृष्टि से नेटवर्किंग की व्यवस्था स्थापित की जाए;
- जागरूकता पैदा करने के लिए विज्ञापन और संचार के हर तरीके का अधिकतम उपयोग किया जाए;
- कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं जुटाने के लिए आर्थिक सहयोग किया जाए;
- कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय के लोगों को कंडोम आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए;
- नौकरी पर रखने से पहले एचआईवी जांच की शर्त खत्म कर दी जाए;
- कार्यस्थलों पर भेदभावरहित व्यवहार की पक्की व्यवस्था की जाए;
- नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान में लोगों को शामिल किया जाए।

एड्स की चपेट में आए या उसके कारण अपनी जान गंवा चुके कर्मचारियों के परिवारों की आय के साधन उपलब्ध कराने की गतिविधियों में व्यापार और उद्योग का सहयोग भी महत्वपूर्ण है।

मुझे आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी ताकि करीब एक महीने के भीतर व्यापक भागीदारी कायम की जा सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आपके इन प्रयासों में भरपूर सहयोग करेगी। प्रस्तावित कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में उद्योग, श्रम, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय तथा सरकार की अन्य एजेंसियां सक्रिय योगदान करेंगी।

आइए, मिलकर एचआईवी/एड्स के खिलाफ अपने राष्ट्रीय अभियान को मजबूत बनाएं। आइए, इस लड़ाई को जीतने का संकल्प लें।

हमें स्वाभिमान के साथ जीना है

मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बाजे-गाजे के साथ यह याद दिला दिया कि मेरी कितनी जिन्दगी बीत गई है और कितनी बाकी है। यह भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। आशीर्वाद मिल रहे हैं कि मैं सौ साल तक जीयूं। जीना किसी के हाथ में नहीं है। अभी जब मेरे घुटने में तकलीफ हो गई थी और आपरेशन कराना पड़ा तो बहुत लोगों ने ऐसी चिट्ठियां लिखीं जैसे वे मुझसे अन्तिम विदा ले रहे हैं या मैं उनसे अन्तिम विदा ले रहा हूं। लेकिन घुटने का आपरेशन सफल हुआ, ठीक हुआ। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, आप देख रहे हैं। अभी तक मैं यह तय नहीं कर सका हूं कि उमर घटती है या बढ़ती है। जिसे हम उमर का बढ़ना कहते हैं, सचमुच में वह उमर का घटना है। लेकिन यह जीवन का क्रम है, प्रकृति का विधान है। आपकी शुभकामनाएं मेरा संबल हैं, आपका प्रेम मेरी पूंजी है। मैंने प्रयास किया है, जो भी दायित्व सौंपा गया है उसको ठीक तरह से निभाऊं। आपका सहयोग इसमें बहुत सार्थक है, बहुत आवश्यक है।

मैंने सुझाव दिया था कि जन्मदिन मनाने का कोई और तरीका निकालना चहिए। मुझे खुशी है, साहिब सिंह जी ने एक कार्यक्रम हाथ में लिया है—साक्षरता मिशन

नेताजी सुभाष साक्षरता मिशन एवं स्वाभिमान सेंटर का शुभारंभ करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 25 दिसंबर 2000

का कार्यक्रम, स्वाभिमान को जगाने का कार्यक्रम। हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगा रहे हैं। व्यक्ति-व्यक्ति में भी स्वाभिमान हो, इस बात की आवश्यकता है। हम स्वावलंबी राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उसमें व्यक्ति भी स्वावलंबी होना चाहिए। इसी दृष्टि से विकास की योजनाएं बन रही हैं, इसी दृष्टि से आगे बढ़ने के कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं।

सरकार ने सबको साक्षर करने का संकल्प किया है। लेकिन उसकी पूर्ति के लिए गैर-सरकारी प्रयत्नों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का फैसला कर चुके हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। उसकी आवश्यकता भी है। यह भी जरूरी है कि हम सारे देश में यह भावना पैदा करें कि हमें स्वाभिमान के साथ जीना है और अपने देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है। नेताजी के नाम पर यह कार्यक्रम अपना महत्व रखता है।

आजादी के प्रयत्नों में हमने देखा कि दो तरीके के प्रयास चलते थे। एक तो अहिंसा के रास्ते में सत्याग्रह के मार्ग से जागरण का रास्ता अपनाया गया था और दूसरा सशस्त्र क्रांति के लिए भी प्रयास चला। उसमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, जिनकी अभी हमने शताब्दी मनाई, उन्होंने हथियार उठाये। वे समझते थे कि बिना हथियारों के, बिना लड़ाई के अंग्रेज नहीं जायेंगे। दोनों हमारे लिए आदरणीय हैं, दोनों हमारे लिए पूज्य हैं। हम महापुरुषों में भेद नहीं करते। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जो भी मार्ग अपनाया हो, वे हमारे लिए वंदनीय है, वे हमारे लिए स्मरणीय हैं। इसलिए मैं नेताजी के नाम पर इस मिशन की स्थापना का, साक्षरता मिशन का स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि जो फैसले आज किये जा रहे हैं जिनका समारोह आज मनाया जा रहा है वह कार्यक्रम, वह मिशन सफल होगा और देश में हम थोड़े ही दिनों में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि देश में कोई निरक्षर नहीं रहेगा। काम कठिन जरूर है, मगर असंभव नहीं है। इस दृष्टि से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है।

आज मेरा जन्मदिन आप मना रहे हैं उसकी इतनी आवश्यकता नहीं थी। आज तो बहुत बड़े-बड़े लोगों का जन्मदिन है। पंडित मदन मोहन मालवीय का आज जन्मदिन है और ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का भी जन्मदिन है। महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है, यह साहिब सिंह जी याद दिला रहे हैं। हमारा सारा इतिहास ऐसे महापुरुषों से उज्ज्वल बना है जो देश के लिए जिये, देश के लिए लड़े और देश के लिए जिन्होंने आज अपना बलिदान दिया है। आज देश को आगे

ले जाने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से सब मिलकर प्रयत्न करें, यह आवश्यक है। भारत की प्रतिष्ठा विदेशों में बढ़ी है। हम संसार में अपना स्थान बनाने में लगे हैं। देश के भीतर जो कठिनाइयां हैं, वे कठिनाइयां सबके सहयोग से हम हल करना चाहते हैं। बहुदलीय लोकतंत्र है। चुनाव होते हैं। चुनाव आवश्यक हैं। मगर चुनाव के बाद जो भी सत्ता में आता है वह सबके सहयोग से आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। हम जब प्रतिपक्ष में थे तब भी सहयोग का हाथ बढ़ाते थे। हम आशा करते हैं कि आज प्रतिपक्ष भी उसी रचनात्मक भूमिका को निभायेगा।

हम सारे साधनों को संजोकर और लोकशक्ति को जागृत करके, जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। और उसमें साक्षरता का फैलाव एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। केन्द्रों की स्थापना होगी, नौजवान एकत्र होंगे। ये नौजवान अपना भविष्य बनाने के साथ-साथ देश के भविष्य की भी चिंता करें और भारत को शक्तिशाली और समृद्धिशाली बनाने में योगदान दें।

भाइयो और बहनो, मैं आपका आभारी हूं, सचमुच में आज भाषण का अवसर नहीं है। मुझे तो चुप रहना चाहिए, आज ही जन्म हुआ है। मैं ज्यादा कैसे बोल सकता हूं ? बोलते-बोलते जिंदगी गुजर गई। आज तो कम बोलना जरूरी है। मैं आपका फिर से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं

मुझे आज यहां राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन सम्मेलन में आकर अत्यंत खुशी हो रही है। यूनीसेफ ने अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है—

'एक दिन ऐसा आयेगा जब राष्ट्रों की पहचान उनकी सामरिक या आर्थिक क्षमता अथवा आलीशान बड़े-बड़े नगरों एवं सार्वजनिक भवनों से नहीं, अपितु उनके अपने नागरिकों की सुख-समृद्धि एवं कल्याण, समाज के अति संवेदनशील तथा सुविधाओं से वंचित वर्ग के लिए बनाए गए प्रावधानों, उनकी भावी पीढ़ी के विकसित हो रहे मस्तिष्क एवं स्वस्थ शरीर के लिए प्रदान किये गये संरक्षण के आधार पर होगी।'

बाल श्रम पर जिला कलेक्टरों के सम्मेलन के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 22 जनवरी 2001

भारत इस आदर्श, इस सार्वभौमिक आकांक्षा का पूरी तरह समर्थन करता है। मेरा विश्वास है कि एक आनन्दपूर्ण बचपन, जिसके बाद अवसरों से परिपूर्ण जीवन जीने को मिले, यह प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। हमारे बच्चे, हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। हम उनके बचपन और सर्वाधिक संवेदनशील और सृजनात्मक अवस्थाओं के दौरान उनका लालन-पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं, ताकि वे अपनी पूरी क्षमताओं को साकार कर सकें और अपनी मातृभूमि के विकास में अच्छा योगदान कर सकें।

तथापि, हमारे समाज में काम करने वाले लाखों बच्चों की निरंतर विद्यमान मौजूदा अवस्था से यह स्पष्ट होता है कि इस दिशा में हमें अभी बहुत कुछ करना शेष है। 1991 की जनगणना के अनुसार इन बच्चों की संख्या 11.28 मिलियन है। यह बहुत बड़ी संख्या है। यह संकेत देता है कि बाल श्रम उन्मूलन का उत्तरदायित्व केवल सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग पर नहीं छोड़ा जा सकता है। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन द्वारा श्रम मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच एक निकट सहयोग स्थापित किया गया है। समस्या की व्यापकता और इसकी बहुआयामी प्रकृति को देखते हुए यह आवश्यक है कि हम इसके समाधान के लिए पूरे समाज को साथ लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनायें। ऐसा करके ही हम इस दिशा में प्रगति कर सकते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारे देश ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों के समन्वित प्रयासों से अनेक समस्याओं को हल किया है। 1951 में शिशु मृत्यु दर 146 प्रति हजार थी जो कि अब घटकर आधी अर्थात् 72 प्रति हजार या उससे भी कम हो गई है। इस समय साक्षरता दर 60 प्रतिशत से अधिक है, जबकि 1951 में यह मात्र 18 प्रतिशत थी। तथापि, पूरे देश में बच्चों की शिक्षा और कल्याण के क्षेत्र में काफी अधिक असंतुलन है। हमारे केरल जैसे राज्य हैं जहां छह से चौदह साल की आयु वर्ग के लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। हिमाचल प्रदेश भी इसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। यह स्थिति उत्तर-पूर्व के कई अन्य राज्यों के खराब प्रदर्शनों की तुलना में एकदम विपरीत है। इन राज्यों में भी जहां कहीं सुधार कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है, स्कूलों में दाखिला उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ये सही दिशा के सूचक हैं। इससे विदित होता है कि समन्वित और समर्पित प्रयासों से हम निश्चय ही सार्वभौमिक शिक्षा और शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। यह बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अतः यहां

उपस्थित सभी जिला कलेक्टरों से मेरी अपील है कि वे अपने-अपने जिले में सरकारी, गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों और व्यापार घरानों के बीच भागीदारी मजबूत करने के कार्य में पूरी तरह जुट जाएं। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के शैक्षिक कार्यकलापों के नेटवर्क का विस्तार और सुधार करें ताकि कोई ऐसा परिवार न बचे जिसका बच्चा काम करता हो।

कामकाजी बालिकाओं पर विशेष रूप से ध्यान दें। उनकी शैक्षिक जरूरतों की प्राय: उनके परिवार और समाज के द्वारा उपेक्षा की जाती है। बालिकाओं और युवतियों की शिक्षा हमारे सामाजिक विकास के अनेक महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में अहम स्थान रखती है। हम उनके लिए निवेश करके भारत के भविष्य के लिए निवेश करेंगे। सन् 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष है। इस अवसर पर यह उचित होगा कि कामकाजी बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिये जाने के लिए कार्यक्रमों की पुनर्संरचना की जाये।

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काम करने वाले बच्चे न केवल स्कूल जाएं, अपितु उन्हें औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में बनाए रखा जाये।

प्रवर्तन तंत्र को सावधानीपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ अधिक सुदृढ़ और कारगर बनाना होगा। मैं नियोक्ताओं से अपील करता हूं कि वे इन राष्ट्रीय प्रयासों में हमारा सहयोग करें और उद्योगों तथा अन्य आर्थिक कार्यकलापों में बच्चों के नियोजन को प्रोत्साहित न करें। इस कार्य में उनकी सीधी और सक्रिय भागीदारी से बिचौलियों को दूर रखा जा सकेगा।

हालांकि बाल श्रम का उन्मूलन हमारा लक्ष्य है, फिर भी संक्रमण काल के दौरान बाल श्रमिकों के लिए पर्याप्त और सुलभ शैक्षिक अवसरों का निर्माण करना हमारा प्रयास होना चाहिए। उदाहरण के लिए असंगठित क्षेत्र में रेस्टोरेंट और ऐसे अन्य छोटे-मोटे आर्थिक कार्यकलापों में अनेक बच्चे नियोजित होते हैं। ये बच्चे अपने घर से काफी दूर और बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के रहते हैं। नियोक्ताओं को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वे गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से इन बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उदाहरण के तौर पर वे शाम के समय कक्षाएं चलाने के लिए अपने निजी परिसर का प्रयोग कर सकते हैं।

हमारे देश में अनेक गरीब बच्चे, जिनमें खासकर बालिकाएं होती हैं, घर के कामकाज में हाथ बंटाते हैं। उन्हें नियोजित करने वाले परिवारों की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। उन्हें प्रत्येक दिन कुछ घंटे का

अवकाश दिया जाना चाहिए ताकि वे पास ही के स्कूल में जा सकें। हमारे नगरों में कुछ ऐसे गैर-सरकारी संगठन हैं जो खास तौर पर इन बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आस-पास ही अनौपचारिक स्कूल चलाते हैं। बहुत-सी सामाजिक रूप से जागरूक घरेलू महिलाएं दोपहर बाद अपने खाली समय में इन छोटे-छोटे स्कूलों में पढ़ाती हैं। इन गैर-सरकारी संगठनों को पूरा-पूरा सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए।

कामकाजी बच्चों को केवल शिक्षित किए जाने की ही आवश्यकता नहीं है अपितु उनकी उस गरिमा को भी संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है जो कि उनके अपने निजी अधिकारों में से एक है। दुर्भाग्यवश उन्हें प्राय: इससे वंचित रखा जाता रहा है। कभी-कभी तो पुलिस भी उनके साथ उचित बर्ताव नहीं करती। यह एक ऐसा अनुभव है जो उनके मानस पटल पर एक स्थायी छाप छोड़ता है! हमें बच्चों के प्रति सभी स्तरों पर अधिक संवेदनशीलता और सहानुभूतिपूर्ण मानवीय और सहायक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है क्योंकि बच्चे हमारे समाज की बहुमूल्य धरोहर हैं। उनको उचित सहायता देकर ही उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सकता है।

मेरी यह मंशा है कि बाल श्रम के उन्मूलन और पुनर्वास के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहन और मान्यता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारम्भ किए जाने चाहिए। जिलों में भी ऐसे पुरस्कारों की स्थापना की जा सकती है।

हमारे संविधान और हमारे देश के अनेक अन्य कानूनों में बाल श्रम उन्मूलन हेतु राष्ट्र की इच्छा-शक्ति तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के साथ-साथ हम इस समस्या से निपटने में सक्रिय और सकारात्मक रुख अपनाते रहे हैं। हमने इस समस्या की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, हमारी विभिन्न गरीबी उन्मूलन नीतियों में भी इन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

बाल श्रम की समस्या का मूल कारण गरीबी है। आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना है ताकि हम बाल श्रम सहित अल्प-विकास की अनेक समस्याओं का भी उन्मूलन कर सकें। हमारी सरकार ने आर्थिक सुधारों की गति तेज करने और उनका विस्तार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मेरा विश्वास है कि इन सुधारों में भारत तेजी से आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने और विकास में क्षेत्रीय तथा सामाजिक विषमताओं को दूर करने में समर्थ होगा। मैं समाज के सभी

वर्गों से अनुरोध करता हूं कि वे आर्थिक सुधार प्रक्रिया के संबंध में आम राय बनाने में सहयोग प्रदान करें।

इस अवसर पर मैं, यहां उपस्थित जिला कलेक्टरों के साथ कुछ अन्य विषयों पर भी विचार-विमर्श करना चाहूंगा। उन्हें नई दिल्ली बुला पाना प्राय: सम्भव नहीं होता। अत: यह सम्मेलन मेरे लिए उनके साथ सीधी चर्चा के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। जिला कलेक्टर हमारी जनता और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वास्तव में, वे स्थानीय स्तर पर प्रशासन का कार्य देखते हैं। विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र में सरकार की अधिकांश नीतियां और कार्यक्रम जिला प्रशासन के माध्यम से ही लागू किए जाते हैं। कानून-व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के अलावा आप लोगों को अपने-अपने जिलों में व्यापार, कारोबार और उद्योग के लिए सुविधा प्रदान करना अपेक्षित होता है। जिला कलेक्टर से पोलियो उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण, निवेश संवर्धन, कुम्भ जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कानूनी व्यवस्था के अलावा एक सच्चे आल राउंडर के रूप में सैकड़ों भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यों की अपेक्षा की जाती है।

मैं, जिला कलेक्टरों द्वारा इतने अधिक कार्यों का जिम्मेदारी से निवर्हन करने के लिए उनकी योग्यता की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। प्राय: आप लोग युवा होते हैं। एक सिविल सरकारी कर्मचारी की तैनाती आमतौर पर उप-जिला स्तर से शुरू होती है। मैं अनेक युवा कलेक्टरों से मिलता रहा हूं और उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह और उनके आदर्श मुझे सदैव प्रभावित करते रहे हैं। आप लोग अपने इन गुणों को अपने पूरे कैरियर में बनाए रखें। मैं, जिला कलेक्टरों के सद्कार्य के लिए उनकी सराहना करता हूं। फिर भी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकार और जनता जिला प्रशासन से बहुत अधिक अपेक्षा रखती है। पूरा देश विकास के लिए बेहद उत्सुक है, विशेष रूप से वे लोग अधिक उत्सुक हैं जो विकास के बुनियादी लाभों से भी वंचित रहे हैं।

देश की जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारों के वायदों से विशेष संतुष्ट नहीं हैं। जनता अच्छा शासन और अच्छा कार्य पसंद करती है। विगत में जल्दी-जल्दी हुए चुनावों से यह स्पष्ट होता है कि जनता उन्हें चुनती है जो कार्य करते हैं और कार्य न करने वालों को जनता पसन्द नहीं करती। सभी राजनैतिक दलों को इस अनुभव से दो-चार होना पड़ा है। मुझे ज्ञात है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनकी सरकारों पर अच्छा शासन प्रदान करने की विशिष्ट जिम्मेदारियां होती हैं। साथ ही, सभी सरकारें, चाहे उन्हें किसी दल अथवा गठबंधन द्वारा चलाया जाता हो, अपने कार्य में

सुधार के लिए जिला प्रशासनों पर निर्भर करती है। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पूरे न किये गए लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने तथा उभर रही नई चुनौतियों का सामना करने के लिए जिला स्तर पर प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाएं। आप अपने जिले में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अत: आप लोग अनुकरणीय उदाहरण पेश करें। एक अच्छे जिला कलेक्टर को उसके चले जाने के बाद लोग याद करते हैं। एक सिविल सरकारी कर्मचारी के लिए लोगों की प्रशंसा और सम्मान ही सर्वोच्च होता है।

अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में आपको जनता और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग लेना चाहिए। आप लोग जिला परिषदों के साथ मिलकर कार्य करें। आप गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं का भी सहयोग लें। उनमें भी रचनात्मक कार्य करने की काफी संभावनाएं होती हैं। आचार्य विनोबा भावे कहा करते थे कि 'अ-सरकारी, असरकारी होता है' - जिसका अर्थ है, गैर-सरकारी कार्य असरदार होता है। मैं इसमें केवल इतना जोड़ना चाहूंगा कि जब सरकारी और अ-सरकारी प्रयास मिलकर किए जाते हैं तो वे दस गुना असरकारी होते हैं।

मेरी इच्छा हो रही है कि मैं भी एक-आध कविता सुना दूं और खत्म कर दूं। मुझे पहले कहा गया था कि मुझे सम्मेलन का उद्‌घाटन करना है। अब मैं देख रहा हूं कि मुझे सम्मेलन की समाप्ति करनी है।

बाल श्रम का विषय बड़ा गंभीर विषय है, चुनौती है, विदेशी हम पर अंगुली उठाते हैं, हमारा अन्तर्मन भी हमें कोसता है क्योंकि बाल श्रम एक प्रतीक है इस बात का कि एक राष्ट्र के नाते हमें अभी बहुत- सी मंजिलें तय करनी हैं। हम साक्षरता अनिवार्य करना चाहते थे, कर नहीं पाये। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। अगर हर बच्चा साक्षर हो, शिक्षित हो तो बाल श्रम की समस्या काफी हद तक हल हो जायेगी। लेकिन, हमारे प्रयास बिखरे हुए होते हैं, हम समस्याओं को टुकड़ों में देखते हैं। बात हम जरूर करते हैं कि होलिस्टिक होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में होता नहीं है। शायद उसके कुछ और भी कारण हैं।

बच्चा अगर गरीब भी हो और पढ़ा-लिखा हो तो भविष्य का रास्ता खोज लेगा, खोजना उसके लिए सरल हो जायेगा। लेकिन अगर गरीबी के कारण पढ़ने नहीं जा सकता तो फिर दूसरी तरह की कठिनाई है। गरीबी के कारण अगर काम करना जरूरी है तो काम खेती में है, खलिहानों में है, बाजारों में, दुकानों में है। अगर अब श्रम

संबंधी नियमों का पालन हो या पेट की भूख शांत करने का तरीका हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में से ही रास्ता निकालना है। निस्संदेह हमने इस दिशा में प्रगति की है, लेकिन प्रगति पर्याप्त नहीं है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि थोड़ी और कड़ाई की जरूरत है। हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम अपनाया गया था। जहां बच्चों की पढ़ाई की सुविधा नहीं है वहां प्रौढ़ शिक्षा की बात करना कोई ज्यादा अर्थ नहीं रखता। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा का भी काफी दिन प्रचार हुआ, आजकल तो धीमा हो गया है। बहुत-से प्रौढ़ बिना पढ़े रह गए हैं और जो उस समय बच्चे थे, वे अब प्रौढ़ हो गए हैं, उन्होंने भी पढ़ा नहीं है। लक्ष्य रखकर अगर एकाग्रचित से काम नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। और, इसके लिए जिला कलेक्टर की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं सोचता हूं, जिला कलेक्टर क्या-क्या करे ? क्या बाल श्रम की ओर देखने को उनको समय मिल पाता है ? क्या जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रुचि ले सकते हैं ? कानून और व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका निर्वाह होना चाहिए। क्योंकि अगर कानून और व्यवस्था बिगड़ जाती है और विद्यालय बंद हो जाते हैं तो पढ़ाई की समस्या ही नहीं रहती। लेकिन सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए बाल श्रम की समाप्ति के लिए हम सार्थक कदम उठायेंगे, निगरानी होगी। जो नियमों का पालन नहीं कर रहे उनके प्रति थोड़ी कठोरता बरती जायेगी तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि कुछ काल में हम अपने देश में बाल श्रम समस्या से सफलतापूर्वक जूझ सकें।

दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां निरक्षरता नहीं है। अभी मुझे ऐसे एक देश में जाने का मौका मिला। वहां बाल श्रम की समस्या भी नहीं है। हम विशेष परिस्थिति में रह रहे हैं। उसमें हमारी उपलब्धियां कम नहीं हैं और जो विदेशी बाल श्रम के संबंध में हमें उपदेश देते हैं, वे शायद हमारी स्थिति को सही ढंग से देख नहीं पाते हैं। कौन बच्चा काम करना चाहता है ? सबसे पहले बोलना था। तो इसलिए मेरी कठिनाई है कि बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो हम बोलें क्या। आप कहेंगे लेकिन जटिया जी को सुनकर मुझे आनन्द हुआ कि अगर बोलने के लिए कुछ भी न हो तो आप प्रभावशाली कविता पढ़कर सबका मन जीत सकते हैं।

सहमति से महिला सशक्तिकरण

नारी 'सशक्तिकरण वर्ष' को प्रारम्भ करने के इस अवसर पर आप लोगों के साथ होते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। वर्ष 2001 को 'नारी सशक्तिकरण वर्ष' के रूप में मनाने के निर्णय के दो प्रयोजन हैं। पहला इस बात की स्वीकृति कि राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक उत्थान की अनेक कुंजियों में से एक है महिला सशक्तिकरण। दूसरा, एक ओर विकास और महिला सशक्तिकरण के बीच की कड़ी व दूसरी ओर प्रगति व स्त्री-पुरुष समानता के बीच की कड़ी के विषय में जन जागृति बनाना। इन दोंनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम सामाजिक परिवर्तन की सामान्य गति पर निर्भर नहीं रह सकते। इसकी बजाय हमें सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को सकारात्मक कार्यों, अग्रगामी नीतियों और मूलभूत कार्यनीतियों के माध्यम से तीव्र करना होगा।

स्त्री-पुरुष समानता और सशक्तिकरण हमारे लिए विदेशी विचार नहीं है। वास्तव में प्राचीन समय में ही महिलाओं की स्थिति किसी भी तरह से कम नहीं थी। इसके विपरीत कई मामलों में उनकी विशेष स्थिति थी। वह 'शक्ति' थी जिसकी पूजा व आदर किया जाता था। हमारे धर्मग्रन्थों में कहा गया है : *जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।*

तथापि पिछली कुछ शताब्दियों में विकृतियां आ गई हैं, जिन्होंने भारतीय समाज में नारी की स्थिति को बहुत हानि पहुंचाई है। आज हम अपने चारों तरफ जो वास्तविकता देखते हैं वह प्राचीन काल से और संवैधानिक समानता की गारंटी से बहुत भिन्न है। सामाजिक रिवाजों व प्रथाओं ने गहरी जड़ें पकड़ ली हैं और धार्मिक स्वीकृति का उदाहरण देकर इन्हें न्यायसंगत बताया जाता है जिसका परिणाम है—नारियों की उपेक्षा व उनके प्रति भेदभाव। आर्थिक विकास के सन्दर्भ में नारी को नीति-निर्माण और कार्यक्रम के क्रियान्वयन दोनों में लगातार दरकिनार कर दिया जाता है।

परिणामस्वरूप नारियां राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक स्रोतों तक समान पहुंच न होने की वजह से बाधित रही हैं। बदले में इसका परिणाम है नारी साक्षरता का कम स्तर, शिशु मृत्यु-दर का उच्च स्तर तथा कुपोषण के उच्च मान। लगातार गिरता हुआ स्त्री-पुरुष अनुपात न केवल जनसांख्यिकी उद्देश्यों से असामान्य है, साथ ही यह लड़कियों की स्थिति को भी प्रतिबिम्बित करता है। यह सच है कि राज्य के हस्तक्षेप

महिला सशक्तिकरण वर्ष के शुभारम्भ पर दिया भाषण, नई दिल्ली, 4 जनवरी 2001

का शिशु-मृत्यु-दर को कम करने में सकारात्मक प्रभाव रहा है, जीवन सम्भावना बढ़ी है और नारियों की शिक्षा व स्वास्थ्य तक पहुंच भी बढ़ी है, परन्तु अभी हमें नारियों को सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक रूप से सशक्त करके चहुंमुखी स्त्री-पुरुष समानता को प्राप्त करने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। संक्षेप में, यह सुनिश्चित करना है कि नारियों के संवैधानिक अधिकार किसी भी तरह से प्रतिबन्धित नहीं होंगे।

इसके लिए, जैसा कि मैंने कहा, हमें अपना ध्यान परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने पर केन्द्रित करना है और इसके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जहां प्रत्येक नारी अपनी पूरी क्षमता और अधिकारों को प्राप्त कर सके, जिन्हें सामाजिक रिवाज व प्रथाएं बाधित न कर सकें। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जहां नारियों को भी चयन की स्वतन्त्रता मिले, ठीक उसी तरह जिस तरह आज पुरुषों को चयन की स्वतन्त्रता है।

यह किसी भी तरह से एक आसान काम नहीं है। स्त्री-पुरुष समानता और सशक्तिकरण के मार्ग पर हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना है। हमें उन सामाजिक मानदंडों और मनोवृत्तियों को परिवर्तित करना है, जिनका परिणाम है—संसाधनों के बंटवारे में पहुंच की जबर्दस्त असमानताएं। चाहे वह संसाधन जमीन हो या शिक्षा,

महिला सशक्तिकरण वर्ष के शुभारंभ के मौके पर स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, नई दिल्ली, 4 जनवरी 2001

स्वास्थ्य देखरेख या ऋण। हमें आर्थिक सुधारों से उपजे सामाजिक तनावों से नारी की स्थिति कमजोर होने को प्रभावशाली ढंग से रोकना है और उनकी निर्धनता को दूर करना है। हमें नारी के साथ हो रही हिंसा से भी जूझना है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।

यदि हम इन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके तो हम व्यवधानों को दूर करके नारियों के लिए अवसरों की दुनिया के दरवाजों को खोलने में सफल हो सकेंगे। हम उनकी उस सामाजिक स्थिति व मान को पुन: बहाल करेंगे जो अधिकारिक रूप से उनका है।

लेकिन अकेली सरकार इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकती। सफलता प्राप्त करने के लिए सभी महिला एवं पुरुषों, सामुदायिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं और वास्तव में सारे देश को सक्रिय भाग लेना पड़ेगा। हमें आवश्यकता है कि स्त्री-पुरुष समानता और नारी सशक्तिकरण के मुद्दों को जनता की चेतना के आगे लाएं। इससे भी बढ़कर आवश्यकता है कि हम अपनी निजी जिन्दगी में समानता अपनाकर उदाहरण प्रस्तुत करें ताकि औरों को भी उन प्रथाओं और रिवाजों को छोड़ने की हिम्मत मिले, जो सामाजिक उत्थान में हानिकर हैं।

सरकार जल्दी ही नारी सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा करेगी। भारत ने यह प्रतिबद्धता पेइचिंग में चौथे अन्तर्राष्ट्रीय नारी सम्मेलन 1995 में की थी। यह नीति हमारी उन इच्छाओं को प्रतिबिम्बित करेगी, जिनसे हम निर्णय लेने की प्रक्रिया में नारी के पूर्ण व समान भाग लेने को और साथ ही साथ साधनों को सुरक्षित करेंगे। हम इस नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समयावधि का प्रस्ताव रखते हैं ताकि इक्कीसवीं शताब्दी में भारत के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में नारियां बराबर की हिस्सेदार के रूप में उभरें।

अपनी बात पूरी करने से पहले मैं इस वर्ष के 'स्त्री शक्ति पुरस्कार' पाने वालों को बधाई देना चाहूंगा। आप में से प्रत्येक ने नारी सशक्तिकरण के लिए अपने समर्पण और कठिन मेहनत से उदाहरण स्थापित किए हैं। मैं कामना करता हूं कि इस वर्ष भारत में और विश्व में नारियों के लिए समानता और अवसर के एक नए युग का प्रारम्भ हो।

मित्रो, हमारी इच्छा थी कि इस समारोह के पहले संसद में महिलाओं के आरक्षण के बारे में कोई निर्णय हो जाता। बहुत दिनों से यह मामला अधूरा पड़ा है, लटका है। यह ठीक है कि लोकसभा का बहुमत महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में है। कितना आरक्षण हो, इस पर मतभेद हैं। इन मतभेदों को दूर किया जा सकता है।

33 फीसदी का आंकड़ा जब तय हुआ, तो पंचायतों में, स्थानीय संस्थाओं में जो व्यवस्था थी, उसको ध्यान में रखकर किया गया। अब अगर उसमें संशोधन आते हैं कम करने के, तो उन पर भी विचार हो सकता है। लेकिन बहुमत अपनी बात न मनवा सके, ऐसा दृश्य हमारी संसद में बार-बार उपस्थित होता है। क्या हाथापाई के भीतर हम महिलाओं को शक्ति सम्पन्न करना चाहते हैं। किसी ने कहा कि जो सदस्य उपद्रव करते हैं, उन्हें सदन के बाहर फेंक देना चाहिए। कौन फेंकेगा, किसको फेंकेगा? हम एक-दूसरे को फेंकने में लगे रहेंगे और आरक्षण का सवाल पीछे पड़ जाएगा। इसीलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सर्व-सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। अभी तक सफलता नहीं मिली है, मगर हमने हार नहीं मानी है। अलग-अलग दलों से बात करके एक आम राय बनाने का हमारा प्रयत्न चल रहा है और मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि उन्हें हमारी नीयत पर शक नहीं होना चाहिए। महिला आरक्षण की हमने बात की और उसके लिए लगातार प्रयत्नशील हैं।

इस बार एक रास्ता निकल रहा था कि सीटें सुरक्षित रखने के बजाय राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि महिलाओं का इतना प्रतिशत वे चुनकर भेजें। लेकिन इस पर भी एक राय नहीं बनी। जहां तक सरकार का सवाल है, मेरी पार्टी का सवाल है, हम तो दोनों तरह के विकल्पों के लिए तैयार थे। क्योंकि हमारा लक्ष्य महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए और आरक्षण में अच्छी संख्या होनी चाहिए। लेकिन सफलता नहीं मिली। अब यह कहा जा रहा है कि इनके मन में कुछ और है और बाहर कुछ और है। अब तो कोई अंतर्यामी ही यह जान सकता है कि हमारे मन में क्या है। लेकिन हम ईमानदारी से प्रयत्न कर रहे हैं और इस प्रयत्न को जारी रखेंगे। मुझे विश्वास है कि अगले साल जब हम मिलेंगे तब महिलाओं के आरक्षण का मामला हल हो चुका होगा। हमें उसमें सफलता मिलेगी।

VII

अंतर्राष्ट्रीय मामले

भारत-इटली के बीच बढ़ता द्विपक्षीय व्यापार

मेरे लिए इस मौके पर मौजूद होना बेहद सौभाग्य की बात है, जबकि भारत व इटली के बीच नए व्यावसायिक संबंध बन रहे हैं।

आज यहां जो भारतीय उद्योगपति मौजूद हैं, वो भारत के कुछ उत्कृष्ट उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और व्यापार व उद्योग के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। इतनी बड़ी संख्या में इतालवी व्यावसायिक समुदाय के विशिष्ट प्रतिनिधियों की मौजूदगी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दोनों देश व्यापार, वाणिज्य व उद्योग में नए संपर्कों को बढ़ाने की कितनी संभावनाएं देख रहे हैं।

ऐसा बहुत कुछ है जिनमें भारत व इटली प्राचीन सभ्यता व ऐतिहासिक दृष्टि से भागीदार हैं। यह समानताएं तो सदियों पुरानी हैं। नई सहस्त्राब्दि में भी हमारे पास भागीदारी के लिए बहुत कुछ है, खासकर व्यापार व आर्थिक सहयोग के रूप में। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऐसा करेंगे।

दोनों देशों में इतिहास की जड़ें बहुत ही गहरी हैं, जो कि पिछले हजारों सालों का लेखा जोखा है। हम दोनों ही समृद्ध धरोहर के उत्तराधिकारी हैं, जिस पर निश्चित तौर पर गर्व किया जा सकता है। सांस्कृतिक विभेद तथा भौगोलिक स्थिति, जो हमें अलग-अलग करती है, के बावजूद हमारे संपर्क नए नहीं हैं। हमारे संबंध तो बहुत पुराने हैं।

इतिहास भारत तथा भूमध्य क्षेत्र, खासकर रोमन साम्राज्य, के बीच विस्तृत वाणिज्यिक संबंधों तथा राजनयिक संबंधों का गवाह है। पॉम्पी में खुदाई में भारतीय कला के नमूने पाए गए थे। इसमें हाथी दांत की लक्ष्मी की मूर्ति भी शामिल है, जो भारत में धन व समृद्धि की देवी हैं। वहां पाई गई प्राचीन वस्तुएं पहली शताब्दी की हैं।

यह संपर्क व्यापारियों तथा यात्रियों द्वारा स्थापित किए गए थे। और एक-दूसरे की प्राचीन सभ्यता तथा सांस्कृतिक पहचान में रुचि से फले-फूले। इन्हीं संपर्कों से बाद में भारत व यूरोप के बीच आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक संबंधों का द्वार खुला।

उदाहरण के तौर पर, सोलहवीं शताब्दी के मशहूर इतालवी व्यापारी व विद्वान फिलिप सासेटी ने सबसे पहली बार यह लिखा था कि लैटिन व इटैलियन का मूल

इटली में आयोजित भारत-इटली व्यापार बैठक में भाषण, रोम, 26 जून 2000

संस्कृत भाषा में है। उन्होंने यह इन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से पता लगाया था। यही भारतीय-यूरोपीय भाषाओं में समान संबंध पर सर विलियम जोंस के उल्लेखनीय अनुसंधान का आधार बना।

इससे तथा अन्य अध्ययनों से रोम, तथा वास्तव में यूरोपीय संस्कृति को भारत के योगदान का पता चलता है। लैटिन शब्दकोश में संस्कृत के शब्द देखे जा सकते हैं। लैटिन व इटैलियन में कई संज्ञाओं तथा संख्याओं को मूलत: संस्कृत से लिया गया है। यह सभ्यताओं के जुड़ाव की अनोखी मिसाल है, जो अन्य देशों में बहुत कम दिखाई देती है।

विश्व साहित्य , कला व वास्तुकला में भारत के योगदान पर हमें नि:संदेह गर्व है। साथ ही हम दूसरों के योगदान को भी स्वीकार करते हैं।

भारत में माइकल एंजलो, लियोनार्दो द विंसी व राफेल ऐसे नाम हैं जो जाने-माने और सम्मानित हैं। डानेट का चिरस्मरीणय योगदान कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। गैलीलियो का जीवन हमारे युवाओं को प्रेरित करता है। हमारे इतिहास की पुस्तकों में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक व अकबर के साथ-साथ जूलियस सीजर, ऑगस्टस व कांस्टैटिन का भी उल्लेख है।

उन्नीसवीं शताब्दी के इतालवी साहित्य में भारत के प्रति सुग्राहिता दिखाई देती है, जो दर्शन से आगे जाती है और इसका उद्देश्य भारतीय सभ्यता के गूढ़ मूल्यों तथा ढांचे को समझना है। इटली के गैस्पर गोरेसियो पहले ऐसे यूरोपीय लेखक थे जिन्होंने रामायण को अनुदित और प्रकाशित किया। एक अन्य इतालवी विद्वान एंजलो डी ग्यूबमेटिक इंडोलॉजी पर एकेडमिक जर्नल के संस्थापक थे। हम पूर्व में जिन समानताओं के भागीदार थे, वह आज मौजूदा समय में भी कायम हैं।

हम लोकतांत्रिक संस्था की प्रतिबद्धता की परंपरा पर चल रहे हैं, यह प्रतिबद्धता भारत व इटली दोनों में स्वतंत्रता के लिए कड़े संघर्ष के दौरान उपजी थी। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान आपके पुनर्जागरण तथा स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों ने ही भारत के समाजवादी नेताओं की सोच को प्रभावित किया था। हाल के समय में यह सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक संबंध और मजबूत हुए हैं।

निश्चित ही, यह बेहद संतोष की बात है कि पिछले दशक के दौरान भारत व इटली ने परंपरागत मित्रता की नींव डाली और व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान में बहुआयामी संबंध विकसित किए।

अब जब हम एक नई सहस्राब्दि में प्रवेश कर चुके हैं, भारत तथा इटली के समक्ष समान चुनौतियां हैं; तेजी से वैश्वीकरण की ओर बढ़ते समाज व अर्थव्यवस्था में अपने इतिहास, संस्कृति व पहचान का संरक्षण किस तरह करें। हमारे पास एक मौका भी है जिससे दोनों देशों को लाभ निश्चित मिलेगा - यह भारत व इटली के बीच आर्थिक सहयोग की नई सीमाओं को छूने का अवसर है।

यदि हम भारत व इटली के बीच आर्थिक सहयोग के हालिया इतिहास पर नजर डालें तो, हम पाएंगे कि भारत की स्वाधीनता के बाद से हजारों संयुक्त उपक्रम स्थापित हुए हैं। इनमें से आधे से ज्यादा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद के हैं।

एक ओर जहां भारत-इटली द्विपक्षीय व्यापार निरंतर बढ़ता जा रहा है, वहीं इटली यूरोपीय संघ में भारत के चौथे सबसे बड़े निर्यात बाजार के रूप में उभरा है। यह भारत की कुछ महत्वपूर्ण आयात जरूरतों को पूरा करने का स्रोत भी है।

फिर भी, द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह मात्र दो अरब डॉलर के करीब है, जो कि निहित क्षमताओं को पूरी तरह नहीं दर्शाता है। यह इस विशिष्ट समूह के लिए एक चुनौती है कि वह 2004 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर पांच अरब डॉलर करने तथा अगले पांच सालों में इसे दोगुना करने का महत्वाकांक्षी योजना पर अमल में लाया जा सकने वाला लक्ष्य निर्धारित करे। इसी तरह, पिछले दशक में भारत में इटली के 1.3 अरब डॉलर के मामूली निवेश को मंजूरी दी गई है, जबकि प्राप्ति इससे भी कम रही है। हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि किस तरह इटली से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्रमिक वृद्धि की जाए और प्राप्ति का औसत बढ़ाया जा सके।

भारतीय अर्थव्यवस्था, पिछले कुछ सालों से निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर है। हमने सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) वृद्धि छह फीसदी तक पहुंचाने में सफलता हासिल कर ली है और इसे अगले कुछ वर्षों में सात फीसदी पर पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। हमारे सशक्त वृहद-आधारों के कारण ढांचागत व क्षेत्रगत सुधार भी तेजी से बढ़ना जारी हैं।

हमारे आर्थिक सुधार कदमों में भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, विशेषकर ढांचागत क्षेत्रों, वित्तीय सेवाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों को शामिल किया गया है। इसमें स्वचालित प्रक्रिया के तहत विदेशी निवेश को मंजूरी को आसान बनाने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण की चुनौती से निपटने में सक्षम बनाने वाले कदम भी शामिल हैं।

हमारी बाजार उदारीकरण रणनीति, जिसे 'पुरानी अर्थव्यवस्था' तथा 'नई अर्थव्यवस्था' कहा जा सकता है दोनों ही में इटली से निवेश के लिए अपार अवसर देती है।

'पुरानी अर्थव्यवस्था' में ढांचागत क्षेत्र, विशेषकर निर्माण उद्योग जैसे सड़क बंदरगाह व असैनिक निर्माण, में निवेश की संभावना स्पष्टतया सुनिश्चित है। परंपरागत उद्योगों जैसे टेक्सटाइल, सीमेंट व इस्पात आदि के आधुनिकीकरण के हमारे प्रयासों में भी सक्रिय भागीदारी के काफी अवसर हैं, जिसमें आपको विशेषज्ञता भी हासिल है। इससे परे, निश्चित तौर पर 'नई अर्थव्यवस्था' है, जिसमें भारत खासतौर पर एक आकर्षक लक्ष्य है।

अपनी प्रदत्त वैचारिक स्ववृत्ति तथा दक्ष मानवशक्ति के एक बड़े समुच्य की बदौलत हमने ज्ञान आधारित उद्योग को प्रोत्साहन के लिए कई कदम उठाए हैं। हम सूचना प्रौद्योगिकी में एक अग्रणी ताकत बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभिसरण पर आधारित नियमों व कानूनों से इन प्रयासों को और सहयोग मिलेगा। इसी तरह, फार्मास्युटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, विशेषकर जीनोम अनुसंधान में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए भारत में व्यापक दक्षता व विविधता है।

आपके पास 'क्लिक' तथा 'ब्रिक' अर्थव्यवस्था दोनों को चुनने के लिए पूरा मौका है, जिसमें आपकी क्षमताओं को हमारी स्वाभाविक दक्षता, मानवशक्ति तथा विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार से जोड़ा जा सकता है।

दोनों देशों में एक अन्य क्षेत्र में भी समानताएं हैं, जिसका मैं उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा। आपकी ही तरह हमने भी वैश्वीकरण को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं किया है। हम इस परिवर्तन की गति को हमारी अपनी आवश्यकताओं, खासकर इसके सामाजिक, सांस्कृतिक व मानवीय परिणामों, को ध्यान में रखकर समायोजित कर रहे हैं। ताकि यह परिवर्तन पूरी तरह व्यवस्थित हो।

यह बात विनिवेश तथा निजीकरण के क्षेत्र में विशेष तौर पर लागू होती है, जिसमें हमारे पास इटली के अनुभवों से सीख लेने के लिए बहुत कुछ है। वृद्धि के एक समाजवादी ढांचे, जिसकी हमें दशकों से आदत है, से मुख्यतः बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था में बदलने में पूरी सुरक्षा व सावधानी बरती जानी चाहिए।

हमें यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि परिवर्तन समाज व अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों को प्रभावित करे और सामाजिक क्षेत्र की अनदेखी न हो। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के अलावा, अगले कुछ वर्षों में भारत कृषि व सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन को पूरा महत्व देते दिखेगा।

वास्तव में, हम ग्रामीण संपर्क, पेयजल, शिक्षा, ग्रामीण स्वच्छता तथा प्राथमिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिसमें निजी प्रयासों की अहम भूमिका है।

उद्योगों की विभिन्न खंडों को समाहित करने को आर्थिक उदारीकरण की विविधतापूर्ण नीति के साथ आगे बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था में सहयोग की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

यूरोपीय देशों के निर्णयों को आकार देने में इटली की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए भारत को एक महत्वपूर्ण ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभरने की उम्मीद है। हमारा लक्ष्य केवल एशिया में वृद्धि का अगुआ बनना नहीं, बल्कि विश्व के अन्य हिस्सों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहयोग देना भी है।

हमें उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद भी सत्र के दौरान आपका विचार-विमर्श उन क्षेत्र विशेष का पता लगाने में सक्षम होगा, जहाँ भारत-इटली आर्थिक सहयोग को और बढ़ाया जा सकता है।

मुझे एक कार्ययोजना के आकार लेने का इंतजार है। निश्चित तौर पर, मुझे विश्वास है कि दोनों पक्षों की भागीदारी के स्तर तथा रुचि को देखते हुए यह बैठक ऐसी योजना में सफल रहेगी। यह बैठक बढ़ते भारत-इटली आर्थिक सहयोग का एक नया अध्याय शुरू करेगी।

पुर्तगाल के साथ बढ़ते संबंध

पहली भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक के इस ऐतिहासिक मौके पर आज यहां होना मेरे ही बेहद प्रसन्नता की बात है। सबसे पहले मैं भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच शिखर स्तर की वार्ता की प्रक्रिया शुरू कराने के पुर्तगाल सरकार के प्रयासों की तारीफ करना चाहूंगा। यह शिखर बैठक भारत, यूरोपीय संघ तथा यूरोपीय संघ के एक महत्वपूर्ण देश पुर्तगाल के बीच संबंधों की गर्माहट व गहराई को प्रतिबिंबित करती है।

आज शिखर बैठक में हमारा विचार-विमर्श काफी उपयोगी रहा और इससे हमें अपने द्विपक्षीय संबंधों को परखने तथा उन्हें और बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की पहचान करने में मदद मिलेगी। हम मानते हैं कि यह शिखर बैठक, जो अब नियमित रूप से हुआ करेगी, 21वीं सदी में भारत-यूरोपीय संघ के बीच नई भागीदारी की शुरुआत है। हम भारत में वर्ष 2001 में अगली शिखर बैठक की अध्यक्षता का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

हमने आज जो संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया वह हमारे संबंधों की गहराई और आयामों की रूपरेखा है। यह भारत-यूरोपीय संबंधों का व्यापक दस्तावेज है, जो संबंधों को गुणात्मक रूप से उच्च स्तर पर पहुंचाने का ब्लूप्रिंट मुहैया कराएगा। कार्रवाई के लिए भी एक एजेंडा स्वीकार किया गया है, जिसके तहत राजनीतिक, वाणिज्यिक व आर्थिक क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। यह घोषणापत्र राजनीतिक व आर्थिक दोनों क्षेत्रों में भारत व यूरोपीय संघ के बीच विभिन्न मुद्दों पर समान विचारधारा को दर्शाता है। इसमें यह प्रतिबद्धता भी शामिल है कि नई सदी में हमें नई रणनीतिक साझेदारी विकसित करना जरूरी है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस दस्तावेज में जिन विचारों को शामिल किया गया है, वह भारत-यूरोपीय संघ भागीदारी को और मजबूत करने में मददगार होंगे।

हमारी आज सुबह की चर्चा में हमारे द्विपक्षीय राजनीतिक व आर्थिक संबंधों, हमारे क्षेत्र तथा यूरोप के विकास पर हमारी दृष्टि, के साथ-साथ परस्पर हितों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मसलों को भी शामिल किया गया था।

पुर्तगाल के प्रधानमंत्री तथा यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दिया गया भाषण; लिस्बन, 28 जून 2000

भारत तथा यूरोपीय संघ अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, जिसका मादक द्रव्यों की तस्करी से गहरा संबंध, से क्षेत्रीय तथा अंतरर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए उत्पन्न हुई चुनौती को लेकर बेहद चिंतित हैं। हमने वैश्विक शांति व सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मिल-जुलकर कार्य करने की आवश्यकता भी जताई है। इस संबंध में सहयोग करने का हमारा प्रण संयुक्त घोषणापत्र से उजागर होता है।

आर्थिक मोर्चे पर, हमने द्विपक्षीय व बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर लाभकारी सहयोग की संभावनाएं तलाशी। मौजूदा समय में यूरोपीय संघ व्यापार व निवेश में भारत का सबसे बड़ा साझीदार है। यद्यपि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि द्विपक्षीय व्यापार व निवेश के स्तर को और बढ़ाने के लिए असीम क्षमताएं हैं। हमने अपनी आज की चर्चा के दौरान भारत में आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण की शुरूआत के परिणाम स्वरूप उपलब्ध होने वाले अवसरों पर चर्चा की। हम मानते हैं कि भारत द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रों, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी, में हासिल की गई वृद्धि की वजह से सहयोग को और बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं। हम यूरोपीय संघ की ओर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ने की उम्मद कर रहे हैं, खासकर ढांचागत क्षेत्रों विकास, दूरसंचार, ऊर्जा आदि में। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत-यूरोपीय संघ नागरिक उड्डयन वित्त व्यवस्था समझौता, जिस पर हमने आज हस्ताक्षर किए, एक उपयोगी संस्थागत व्यवस्था होगी, जो हमारे आर्थिक व वाणिज्यिक संबंधों को आगे बढ़ाएगी। भारत-यूरोपीय संघ व्यावसायिक शिखर बैठक, जिसमें मैं प्रमुख वक्ता था, बेहद प्रभावी रही है। इस शिखर बैठक में भारत व यूरोपीय व्यवसायियों को ढांचागत क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार, जैव-प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास और वित्तीय सेवाओं पर एक साथ कार्य सत्र का मौका मिला। साथ ही भारत के वित्त, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों से बातचीत भी कर सके। मुझे विश्वास है कि इससे परस्पर लाभकारी सहयोग के लिए कई ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।

आज इस पहली शिखर बैठक का समापन हमने आशा व विश्वास की भावना के साथ किया है। मुझे विश्वास है कि हमारी आगे की बैठकें, लिस्बन में आज की गई हमारी प्रगति को आगे बढ़ाएंगी।

सहकारी प्रयास की झलक

एशिया सोसायटी में वापसी बड़ी खुशी की बात है। एक बार फिर विद्वानों, चिंतकों, उद्योगपतियों और विदेश नीति निर्माताओं की विशिष्ट सभा को संबोधित करना सौभाग्य की बात है।

दो साल पहले मुझे भारत और अमरीका के बीच भविष्य के संबंधों पर अपने विचार आपके सामने रखने का मौका मिला था। इस वर्ष मार्च में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और मैंने 21वीं शताब्दी में विश्व के दो बड़े लोकतंत्रों के बीच गए संबंधों की झलक की रूपरेखा तैयार की।

इसे दोनों देशों के बीच जो कुछ मूल तत्व है,उसमें देखा जा सकता है और इसकी सबसे अच्छी झलक उस संयुक्त घोषणापत्र में देखी जा सकती है जिस पर हमने *21वीं शताब्दी के लिए एक दृष्टिपत्र* के नाम से हस्ताक्षर किए हैं। हम ऐसे राष्ट्र के निवासी हैं जो अनेक परंपराओं और विश्वासों से बना है और साल दर साल से यह सिद्ध किया है कि विविधता ही हमारी शक्ति है। अत्यधिक भिन्न उद्‌भव और अनुभवों से हम एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं कि शांति और समृद्धि के लिए स्वतंत्रता और लोकतंत्र सबसे मजबूत आधार है और ये विश्वव्यापी आकांक्षाएं हैं जिन्हें सांस्कृतिक या आर्थिक विकास के स्तर से बाधित नहीं किया जा सकता।

अब जबकि भारत और अमरीका अपने संबंध मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, एशिया सोसायटी जैसी संस्थाओं से ये साझे निष्कर्ष काफी मजबूत हुए हैं।

आप एशियाई सभ्यताओं के पुरावशेषों की समीक्षा, वर्तमान एशियाई मामलों के अध्ययन तथा भविष्य के संभावित घटनाक्रमों के विश्लेषण के लिए एक मंच उपलब्ध कराते हैं। इन विचार विमर्शों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि अमरीका एशिया, खासतौर से भारत को किस रूप में देखता है। मुझे आशा है कि इनसे एशिया सोसायटी के सदस्यों को भी भारत की आकांक्षाओं और विश्व में उसके वांछित स्थान की गहरी समझ हासिल करने में मदद मिलती है। पिछली बार जब मैंने एशिया सोसायटी के सदस्यों को संबोधित किया था तब से भारत में अनेक राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम हुए हैं।

एशिया सोसायटी में दिया गया भाषण, न्यूयार्क, 7 सितंबर 2000

1999 में हमारे यहां ताजा मध्यावधि चुनाव हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश देकर भारत के लोगों ने हमारी नीतियों और कार्यक्रमों में एक बार फिर अपना विश्वास व्यक्त किया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने लोकतंत्र के प्रति दिल से अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दौबारा व्यक्त की है। विडम्बना यह है कि जब हमारी सरकार को शपथ दिलाई जा रही थी तो पड़ोस में एक चुनी हुई सरकार बर्खास्त की जा रही थी और वहां के सैनिक लोकतंत्र की रोशनी बुझा रहे थे। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्तापलट की यह कार्रवाई बीसवीं शताब्दी के अंतिम दिनों में हुई। हालांकि यह माना जा रहा था कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में नई सहस्राब्दि के लिए एक ऐसे युग की शुरूआत होगी, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों पर सैनिक आधिपत्य के लिए कोई जगह नहीं होगी।

भारत और उसके पड़ोस में यह और अन्य घटनाएं व्यापक अर्थों में दक्षिण एशिया बल्कि एशिया में लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की सफलता दर्शाती हैं। आज भारत में जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव हो रहे हैं वह करोड़ों लोगों और सरकार की— अवसर की समानता, सत्ता में भागीदारी और सफलता के लिए स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को व्यक्त करते हैं।

हम समझते हैं कि लोगों को अधिकार संपन्न बनाने का अर्थ राष्ट्र को अधिकार

एशिया सोसायटी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, न्यूयार्क, 7 सितंबर 2000

संपन्न बनाना है और अधिकार संपन्नता सबसे बेहतर तरीके से तेज आर्थिक विकास तथा तीव्र सामाजिक बदलाव के जरिए की जा सकती है। तेजी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को और मजबूत तथा व्यापक बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। यह सही है कि सिर्फ खुलेपन की नीति से ही हम बदलाव ला सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हमें सावधान रहने की जरूरत है, ताकि बदलाव की यह हवा अगर आंधी का रूप ले ले तो हमारे पास जो कुछ है और जो मूल्य हैं उनकी रक्षा हो सके। चूंकि हम सक्षम लोकतंत्र हैं इसलिए हमें इस बात के प्रति संवेदनशील होना चाहिए कि समाज के कमजोर और सबसे निचले तबके को आर्थिक सुधार तथा अंतर्राष्ट्रीयकरण का लाभ मिले।

हम अपने बाजारों को उद्यमियों और नई पहल के अधिक अनुरूप बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। हम अपने संस्थानों को और अधिक मजबूत तथा पारदर्शी बनाना जारी रखेंगे। हम लोगों में निवेश भी जारी रखेंगे जो कि हमारा सबसे बड़ा संसाधन और शक्ति है। संक्षेप में जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वह आर्थिक विकास और सामाजिक समानता पर निर्भर है। जल्दबाज निवेशकों और विक्रेताओं को अक्सर यह कहते हुए सुना गया है कि भारत में बदलाव धीमी गति से आ रहा है। उनके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा लोकतंत्र विविधताओं से भरा है और हम अपने साथ अपने लोगों को भी आगे ले जाना चाहते हैं। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और हमें कामयाबी का पूरा विश्वास है। भारत आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विकास की गति में तेजी आनी शुरु हो गई है। इसे कहीं और नहीं बल्कि उद्योगों में देखा जा सकता है जो कि भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का आकार लेगा। ये उद्योग—सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञान आधारित उद्योग, मनोरंजन, दूरसंचार तथा सेवा क्षेत्र—भारत-अमरीका संबंधों में बदलाव के मुख्य कारक हैं। इन बदलावों पर जिनका ध्यान नहीं है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस वास्तविकता की तरफ ध्यान केंद्रित करें कि पिछले दशक में भारत की वार्षिक विकास दर 6 प्रतिशत से अधिक पर स्थिर है। हमने सात प्रतिशत और उससे अधिक की दीर्घ अवधि की विकास दर के लिए आधार बनाया है। यह एक ऐसी बात है कि सिर्फ कुछ ही अर्थव्यवस्थाएं निश्चित तौर पर इसका दावा कर सकती हैं।

बुनियादी अर्थ में हमारा जोर एक स्थाई राजनीतिक और गतिशील आर्थिक वातावरण पर है जिससे हमें अपने विकास में तेजी लाने में मदद मिली है।

खुलेपन और पारदर्शिता की नीति, कानून का शासन तथा सूचना का मुक्त प्रवाह लोकतंत्र की विशेषताएं हैं और ये ऐसे संस्थान भी हैं जिन पर स्थाई और मजबूत अर्थव्यवस्थाएं आधारित हैं।

तेजी से खुलेपन की नीति की तरफ अग्रसर और गतिशील भारत सामाजिक आर्थिक विकास को पृथक नहीं देखता। हम अपना भाग्य एशियाई पड़ोसियों, बल्कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की संपन्नता और स्थायित्व से जोड़ कर देखते हैं। दोस्तो, एशिया में भारत की ऐतिहासिक और सभ्यता की भूमिका सर्वमान्य है। अनेक एशियाई देशों की सांस्कृतिक परंपराओं की जड़ें भारत में हैं। भारत पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया के बीच संपर्क सूत्र बना रहा है और बना रहेगा। दूसरे अर्थ में भारत एशियाई पहचान का केंद्रबिंदु है।

एशिया में जो कुछ सदभाव और स्थायित्व हम चाहते हैं वह इस बात पर निर्भर करता है कि भारत किस तरह उभरता है और कैसे अपनी बढ़ती हुई शक्ति का प्रदर्शन करता है। यह न सिर्फ आर्थिक प्रगति पर निर्भर है बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि किस तरह हम अपने लोकतांत्रिक जीवन और बहुलवादी समाज को पोषित और मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस महान प्रयास में हम अमरीका के साथ अपने बढ़ते सहकारी संबंधों से शक्ति और प्रोत्साहन हासिल करेंगे। हमें इस बात का आभास है कि सभी तरह की सहकारी समृद्धि के लिए एशिया को अपने भविष्य के सुरक्षा वातावरण के लिए खतरा और चुनौती का सामना है। एशिया अब भी अपनी विभिन्न कमजोरियों पर काबू पाने, भविष्य के अंतर्निभरता के मद्देनजर पिछले मतभेदों को भुलाने, आतंकवाद तथा धार्मिक अतिवाद से विकासात्मक तथा उदार मूल्यों की चुनौती से निपटने और असमान विकास के कारण पैदा हुए सामाजिक तनाव से निपटने की कोशिश कर रहा है।

एशिया विभिन्न हितों और दावों के संभावित खतरों का भी सामना कर रहा है। व्यापक स्थान और विविधता के कारण ये चुनौतियां कभी तो एक जैसी लगती हैं, लेकिन अक्सर अलग होती हैं। खतरे और चुनौतियों के इस जटिल परिदृश्य में भारत के भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। हम अपने फैसले को जिम्मेदारी और संयम के साथ लागू करेंगे ताकि हमारा लक्ष्य पूरा हो सके।

जैसा कि मैं समझता हूं, एशिया की सामूहिक शांति और समृद्धि का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब इस महाद्वीप के देश अपना साझा दावा विकसित करें और छोटे मोटे हितों पर मतभेद भुला दें। और साझा दावा निकट सहयोग तथा दोस्ताना संबंध से ही विकसित किया जा सकता है।

दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा और इस क्षेत्र में अकेला ऐसा देश होने के नाते जिसकी सीमाएं अन्य सभी देशों से मिलती हैं, हम अपनी इस विशेष जिम्मेदारी के प्रति सचेत हैं कि सहयोग बढ़ाने में हमें नेतृत्व की भूमिका निभानी है। वास्तव में भारत ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में अच्छे पड़ोसियों के संबंध बनाने का लगातार आह्वान किया है। यह न सिर्फ हमारी सरकार की नीति है बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय आम सहमति का हिस्सा है। हम कोई पक्षपात नहीं चाहते और न ही किसी को एकतरफा फायदा उठाने का अधिकार देना चाहते हैं।

इसी दृष्टिकोण के अनुरूप हमने सदाशयता की एक ऐसी भावना का प्रदर्शन किया है जो कुछ ही देश कर सकते हैं। अपने सभी पड़ोसियों से संबंधों में हमने यह दिखा दिया है और यह सिर्फ हमारी सरकार का प्रदर्शन नहीं है बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय सोच का हिस्सा है।

ये सभी पाकिस्तान के प्रति हमारे दृष्टिकोण का भी अभिन्न अंग हैं। शिमला समझौते के समय से हमने दोस्ताना संबंध बनाने की अपील की है। 1998 में जब पिछली बार मैंने एशिया सोसायटी को संबोधित किया था, उस समय आप में से जो लोग मौजूद थे, उन्हें यह याद होगा कि किसी तरह मैंने इस बात पर जोर दिया था कि भारत द्विपक्षीय बातचीत और पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने में विश्वास रखता है।

पिछले साल वसंत में मैंने उपमहाद्वीप में एक नए संबंध और क्षेत्रीय सहयोग के नए युग की तलाश में लाहौर की यात्रा की। हमारी यह पहल लाहौर घोषणा पत्र और व्यापक बातचीत शुरु करने की दिशा में देखी जा सकती है। पाकिस्तान के शासकों ने इसका जवाब 1999 की गर्मी में करगिल के जरिए दिया। उस प्रकरण के इतिहास से सभी लोग परिचित हैं। पाकिस्तान को सैनिक और राजनयिक स्तर पर मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जनमत पर ध्यान देने और संबंध सामान्य बनाने के हमारे प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बजाय पाकिस्तान ने इसका जवाब लोकतंत्र के अंतिम अवशेष को हटा कर दिया। जो कि आतंकवादी अभियान को बढ़ावा देने में और ज्यादा दखल रखता है। पिछले वर्ष सर्दी में इंडियन एयर लाइन्स का विमान अपहृत कर कंधार ले जाना, मार्च में राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान चालीस भारतीयों की नृशंस हत्या, और वो हत्याकांड जिसमें सौ से अधिक महिला पुरुष और बच्चे मारे गए जिसका मकसद कश्मीर में शुरु की गई शांतिवार्ता में बाधा पहुंचाना था, ये सब सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवादी अभियान के दुखदायी रिकार्ड हैं।

इन तमाम उकसावों के बावजूद हमने धैर्य और संयम से काम लिया। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान ने हमारी सदाशयता और दोस्ताना संबंध बनाने की हमारी इच्छा को हमारी कमजोरी समझ लिया। उसने जानबूझ कर भारत के विभिन्न भागों में विद्वेष और आतंकवाद को बढ़ावा देने का मार्ग चुना। इस आतंकवादी अभियान के नेता को दुनिया जानती है। हमारे पड़ोस में मध्यकालीन धार्मिक अतिवाद को बढ़ावा देने वालों के कारण सीमापार से आतंकवाद को समर्थन मिला। लेकिन उन लोगों ने हमारे समाज पर जेहादी आक्रमण किया। यह कुंछ नहीं है बल्कि सिर्फ सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों की विदेश नीति का एक ऐसा यंत्र है जिससे वे मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध से अपना पल्लू झाड़ते हैं। हम इसे नामंजूर करते हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आहवान करते हैं कि वे जेहाद के नाम पर सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कार्रवाई को नामंजूर करें।

हम धैर्यशील लोग हैं और पाकिस्तान के साथ इस विश्वास में शांतिपूर्ण समाधान की तलाश में हैं कि युद्ध किसी के हित में नहीं है। इस क्षेत्र के प्रति अपनी उच्च जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमने धैर्य और संयम का परिचय दिया है।

हम अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के प्रति कृतसंकल्प हैं। किसी को इस बात में शंका नहीं होनी चाहिए कि भारत के पास अपनी क्षेत्रीय अखंडता, धर्मनिरपेक्ष एकता और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का साधन और इच्छाशक्ति दोनों हैं। आतंकवाद और हमारे पड़ोसी क्षेत्रों से उभरने वाली अस्थिरता से लड़ने की हमें जो महान सांस्कृतिक विरासत मिली है, हम उसी के अनुरूप चलते रहेंगे।

फिर भी, भारत अपने पड़ोसी के साथ व्यापक बातचीत की प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध रहेगा। लेकिन किसी भी उद्देश्यपूरक बातचीत के लिए उस देश को वर्तमान द्विपक्षीय समझौतों का आदर करना चाहिए और सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना चाहिए। दुर्भायवश पाकिस्तान का मौजूदा नेतृत्व बार बार सार्वजनिक रूप से शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र को नकारता रहा है।

आतंकवाद भारत की तरह ही सभी सभ्य समाज और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वास्तव में अमरीका सहित पश्चिम के अनेक देशों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है।

इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि उन सामाजिक ढांचों को भी एक दिन आतंकवाद से गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा जिन्होंने उन्हें आज शरण दे रखी है। सच तो यह है कि अमरीका पहले ही से इस खतरे का सामना कर रहा है।

भारत पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ व्यापक संधि बनाने की वकालत करता रहा है। इस मुद्दे पर अमरीकी समर्थन की हम सराहना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस संधि को स्वीकार किए जाने की हम उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

1998 में जब हमने एशिया सोसायटी को संबोधित किया था जो मैंने इसका जिक्र किया था कि किस तरह भारत दशकों से सार्वभौम विश्वसनीय परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए आवाज उठाता रहा है। लेकिन न सिर्फ हमारी आवाज नहीं सुनी गई, बल्कि परमाणु विकल्प खुले रखने के भारत के संप्रभु अधिकार में भी कटौती की मांग की गई।

इन परिस्थितियों में हमने अपने परमाणु विकल्प का इस्तेमाल किया। हमारा फैसला जितना राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से प्रभावित था उतना ही परमाणु क्षेत्र में भेदभाव के हमारे विरोध से भी था।

इक्कीसवीं शताब्दी के इस बहुध्रुवीय विश्व में एक बहुलवादी सुरक्षा व्यवसाय की आवश्यकता है, जिसमें उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे देशों की बढ़ती हुई शक्ति और विश्वास को मान्यता दी जाए। हमारा विश्वास है कि इस उभरते हुए बहुध्रुवीय विश्व में एक बहुलवादी सामाजिक व्यवस्था ही नए युग की चुनौतियों से निपट सकती है।

इसीलिए हमारा संकल्प है कि एक ऐसे बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करें जहां अपने व्यापक परमाणु भंडारों को खत्म करने से इंकार करने वाले पाखंडियों का शिकार बनने की बजाय नीति निर्माण प्रक्रिया में स्थान और स्वायत्तता हो।

लेकिन विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु शक्ति हासिल करने के हमारे फैसले के बावजूद हमारे इस विश्वास में कमी नहीं आई है कि इस शताब्दि में राष्ट्रों के बीच शांति की गारंटी परमाणु निरस्त्रीकरण से ही हो सकती है, परमाणु क्षमता हासिल करने से नहीं। लेकिन जिन देशों ने परमाणु हथियारों का विशाल भंडार बना रखा है, शायद वो इसे खत्म करने के प्रति उदासीन हैं।

इसीलिए जब तक सामूहिक विनाश के हथियार खत्म नहीं किए जाते हम विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु क्षमता बनाए रखेंगे। अपने अनुभवों से हमने सीखा है कि शांति की रक्षा के लिए हमें मजबूत होना चाहिए।

इन सब के अलावा भारत की सुरक्षा, स्थायित्व और समृद्धि एशिया में सुरक्षा के स्थायित्व, लोकतंत्र तथा समृद्धि के केंद्र में हैं। करोडों लोगों की सुरक्षा से एशिया

की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। हमारी शक्ति और एकता एशिया के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण होगी। हमारी संपन्नता से क्षेत्र की समृद्धि को समर्थन मिलेगा और इन सभी को बनाए रखने के लिए हम जो भी पहल करेंगे, उससे भारत के मूल्यों और प्रतीकों को कोई खतरा नहीं होगा बल्कि उससे दूसरों के भविष्य को मजबूती मिलेगी।

मेरा यह भी विश्वास है कि एशिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण से जो भी सहमत हैं, वे अपनी नीतियों में इस क्षेत्र में हमारी दावेदारी और हमारी सुरक्षा चिंताओं को मान्यता प्रदान करें। मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि भारत को शामिल किए बिना इस क्षेत्र में भविष्य की किसी भी सुरक्षा व्यवस्था अथवा तंत्र सफल हो सकता।

दोस्तो, एक परमाणु संपन्न राष्ट्र की हैसियत से हमें अपनी जिम्मेदारियों का अहसास है। वास्तव में भारत ने कई तरीकों से विश्व के सामने यह साबित कर दिया है कि वो एक जिम्मेदार राष्ट्र है।

हमने और परमाणु परीक्षण न करने पर एक तरफ रोक लगाई है। एशिया के कुछ देशों के चलन के विपरीत हम हथियारों के निर्यात पर नियंत्रण का सख्ती से पालन कर रहे हैं। हम परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने की नीति पर चलते रहेंगे।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के बारे में हम राष्ट्रीय आम सहमति बना रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय सहमति बनाने की प्रक्रिया में इस संधि पर भारत के हस्ताक्षर नहीं करने की स्थिति में मेरी सरकार इस संधि के लागू करने के रास्ते में बाधा नहीं बनेगी।

हम यह भी विश्वास करते हैं कि अन्य सभी देश संधि के अनुच्छेद -14 के तहत व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि का अनुमोदन बिना शर्त करें। मेरी सरकार जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में एफ एम सी टी पर बातचीत में भाग लेने की सहमति दे चुकी है। इन सभी से यही पता चलता है कि भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को किसी भी तरह प्रभावित किए बिना अपने सुरक्षा हितों के प्रति चिंतित है। अगर मैं आपके एक राष्ट्रपति को उद्धृत करुं तो हमारा विश्वास है कि शांति का निवास शक्ति में होता है। हमारा विश्वास है कि आर्थिक प्रतिबंध से बहुत कम मकसद ही हासिल किए जा सकते हैं और इससे द्विपक्षीय संबंधों में कटुता ही आती है। हम समझते हैं जैसा कि आपके नीति निर्माताओं का भी ख्याल है, कि भारत और अमरीका सहज सहयोगी हैं। भारत और अमरीका के बीच निकट सहयोग के साझे लाभ के

महत्व को समझते हुए आप ही इसका फैसला करें कि हमारे आपसी हितों को इस तरह के प्रतिबंधों से कितना फायदा या नुकसान होगा।

अपनी बात खत्म करने से पहले जब पिछली बार मुझे आपके सामने अपने विचार रखने का मौका मिला था तब से अब तक भारत अमरीका संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर टिप्पणी करना चाहता हूं। राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा वास्तव में ऐतिहासिक थी। यह मेरा विश्वास है कि जब भारत-अमरीका सहभागिता का इतिहास लिखा जाएगा तो राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा और मेरी अमरीका यात्रा के बीच मार्च से सितंबर 2000 तक के छह महीने की अवधि को निर्णायक क्षणों के रूप में देखा जाएगा। दो वर्ष पहले मैंने कहा था कि भारत और अमरीका इक्कीसवीं शताब्दि में विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य की तलाश में सहज सहयोगी हैं। इस वर्ष मार्च में दोनों सहज सहयोगियों ने सरकारी प्रयास की झलक के रूप में अपनी साझा चुनौतियों और संभावनाओं को जोड़ लिया है।

सहभागिता खासतौर से एशिया के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे अनेक साझा मूल्य इनके लिए आधार उपलब्ध कराते हैं। क्षेत्र में हमारे अनेक साझा हित हमसे इसकी मांग करते हैं।

इक्कीसवीं शताब्दी के विश्व में, जिसमें कि एशिया अंतर्राष्ट्रीय स्थायित्व और संपन्नता के केंद्र में होगा, हमारे संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उज्ज्वल भविष्य बनाने की सामूहिक इच्छा

यह उपयुक्त है कि संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दि सम्मेलन जो कि विकसित और विकासशील दुनिया का संगम है, उसकी दो सक्षम लोकतांत्रिक देशों—फिनलैंड और नामीबिया—एक यूरोप का विकसित देश और दूसरा अफ्रीका का विकासशील देश के नेता संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे।

आपकी संयुक्त अध्यक्षता पर मैं आपको बधाई देता हूं। आप विविधता के बीच सहभागिता और संयुक्त राष्ट्र के मूल बुनियादी मूल्यों को बांटने के प्रतीक हैं। वास्तव में यह वह शक्ति है जिस पर संयुक्त राष्ट्र को नई शताब्दि में अपने आप ढालना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी सम्मेलन में दिया गया भाषण, न्यूयार्क, 8 सितंबर 2000

यह अदभुत सम्मेलन इक्कीसवीं शताब्दी और नई सहस्त्राब्दि में संयुक्त राष्ट्र के औपचारिक प्रवेश का प्रतीक है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि यह दुनियाभर में फैले 189 देशों में रह रहे लोगों की उस सामूहिक इच्छा को प्रतिबिंबित करता है कि भूतकाल के कलंक से मुक्त भविष्य का निर्माण किया जाए।

एक ऐसा भविष्य जो पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के सभी देशों के समान विकास की गारंटी दे। एक ऐसा भविष्य जो अत्यंत निर्धनता में जीवन गुजार रहे दुनिया के करीब एक तिहाई लोगों को इस स्थिति से मुक्ति की गारंटी दे। एक ऐसा भविष्य जो देशों के बीच युद्ध और समाज में संघर्ष की आशंका से स्वतंत्र हो। और एक ऐसा भविष्य जिसमें विभिन्न देश न्याय और समानता के आधार पर एक नई विश्व व्यवस्था बनाने के लिए मिल कर काम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय भूतकाल, वर्तमानकाल और भविष्य के एक ऐसे महत्वपूर्ण युग के द्वार पर खड़े होकर हमें यानी छह अरब लोगों के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सहस्त्राब्दी सम्मेलन और इसके बाद होने वाले महासभा के अधिवेशन में छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठ कर मानवता के लिए नई

संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी सम्मेलन के दौरान आतंकवाद पर रोक लगाने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, न्यूयार्क, 8 सितंबर 2000

दिशा की रूपरेखा तैयार करें। एक ऐसा मार्ग जो स्थाई शांति, विकास और सभी के लिए सुरक्षा की ओर अग्रसर हो।

हममें से किसी को इस बात पर शक नहीं होना चाहिए कि भविष्य की ओर हमारी यात्रा जो कि इस सहस्त्राब्दि सम्मेलन से शुरू हो रही है वह काफी लंबी और घुमावदार है। हर मोड़ पर हमें शंकाओं की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों से निपटना और आगे बढ़ना हमारे उस संकल्प की अग्नि परीक्षा होगी जो हम इस सम्मेलन में व्यक्त करेंगे। जाने वाली शताब्दि में शांति, समृद्धि और राष्ट्रों के बीच सहयोग के मानव प्रयास के बावजूद विश्व संघर्ष से मुक्त नहीं हुआ और बहुधा इसके दुखदायी परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर संघर्षों को आक्रमण, सीमा के प्रति अत्यधिक लगाव और पाखंड का नतीजा कहा जा सकता है।

लेकिन यह संघर्ष राष्ट्रों के बीच और राष्ट्र के अंदर समान विकास की असफलता का भी परिणाम है। बहुत पहले ही यह सिद्धांत स्थापित हो चुका है कि निर्धनता शांति और राष्ट्रों के बीच सामाजिक बंधन के लिए खतरा है। अब इस बात को मान्यता देने की आवश्यकता है कि कुछ देशों की गरीबी और कुछ की समृद्धि से न सिर्फ अंतर्रात्मा को ठेस पहुंचती है बल्कि इससे राष्ट्रों के बीच शांति को भी खतरा पैदा होता है। गरीबी को न तो बिल्कुल ही समाप्त किया जा सकता है और न ही इसे मुक्ति से परे एक तथ्य के रूप में स्वीकारा जा सकता है। इस वेदना को जो कि मानव सम्मान के मूल को आहत करती है, उसे अमीर और गरीब सभी देशों की सामूहिक इच्छाशक्ति और प्रयासों से समाप्त किया जा सकता है।

बीती शताब्दि में मानवता के इतिहास में अनेक मोड़ आए। पिछले सौ वर्षों में अच्छा समय भी आया और खराब समय भी आया। उसमें घोर निराशा के क्षण भी थे और आशा की किरण भी।

बीसवीं शताब्दि में हमने उपनिवेशवाद के उतार-चढ़ाव को देखा। हमने सर्वाधिकारवादी और नस्लवादियों की सत्ता को भी देखा जिसने अपने खूनी पंजे से स्वतंत्रता और मानव सम्मान की इच्छाओं को कुचल दिया। हमने युद्ध की विभीषिका से मौतें और तबाही देखी हैं जबकि मानवता का आग्रह स्थायी शांति के लिए था।

पिछली शताब्दि विरोधाभासों से भरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति से ज्ञान के नये द्वार खुले जिनसे हमें अधिक अनाज पैदा करने, जीवन रक्षक दवाइयां बनाने और अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने में मदद मिली। फिर भी लाखों लोग आज भी भूखे हैं। आज भी मामूली बीमारियों से लोग मर रहे हैं और उस रोशनी तथा अधिकार सम्पन्नता से वंचित हैं जो सिर्फ शिक्षा से आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय

अर्थव्यवस्था के आने के बाद से तेज विकास, उच्च जीवनस्तर और नई संभावनाओं के द्वार खुले। ज्ञान की क्रांति के शीर्ष पर सवार सूचना प्रौद्योगिकी के तेज फैलाव ने वास्तव में एक डिजीटल विश्व का निर्माण कर दिया है जहां माउस के एक क्लिक से सेकेंड से भी कम समय में व्यापक दूरी तय की जा सकती है। एक 'नई अर्थव्यवस्था' आज दुनिया को आगे ले जा रही है।

फिर भी यह महासभा जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है उसकी करीब एक चौथाई आबादी को इन विकास ने तो समृद्धि मिली और न ही कुछ हासिल हुआ। बहुधा वे और ज्यादा निर्धन और कमजोर हुए क्योंकि विकास अर्थव्यवस्था से अनियंत्रित बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला और सामाजिक लक्ष्यों को मुनाफाखोरी ने खत्म कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य वस्तु, सेवा और पूंजी के मुक्त प्रवाह के जरिए सभी देशों के बीच आर्थिक समानता पहुंचाने का था। लेकिन आज जो वास्तविकता हमारे सामने है उसमें विकासशील और विकसित दुनिया के बीच अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ में विषमता है। इस विषमता से आमदनी की विषमता को बढ़ावा मिला है जिससे संघर्ष और कलह की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अगर दुनिया की आबाद का एक चौथाई हिस्सा आज भी घोर निर्धनता में रह रहा है तो हम जिस अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दे का प्रबंध कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं, कोई न कोई त्रुटि है। यह स्थिति इस वास्तविकता से और बिगड़ जाती है कि विकासशील देश अपनी प्राकृतिक और वित्तीय संसाधनों में लगातार हो रही कमी से अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में निरंतर कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इसीलिए राष्ट्रों के बीच और राष्ट्रों के अंदर आर्थिक विषमता दूर करना तथा इस बात की पक्की व्यवस्था करना कि धन के अभाव में विकास बाधिक न हो—दो ऐसी चुनौतियां हैं जिनमें नई शताब्दि में हमें सामूहिक रूप से निपटना है।

निर्धनता से निपटने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहल पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गरीबी हटाने के काम को किसी राष्ट्र विशेष की विशेष जिम्मेदारी नहीं समझा जा सकता। इसीलिए गरीबी के खिलाफ एक नई अंतर्राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता है।

जहां निर्धनता विकासशील देशों के सामाजिक आर्थिक प्रगति पर कुठाराघात करता है वहीं एच आई वी—एड्स कीटाणुओं के खतरनाक हद तक फैलाव ने उनकी उत्पादक क्षमताओं को प्रभावित किया है। एच आई वी की घटनाओं और निर्धनता के बीच ऐसा अंतः संबंध है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

यह पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और उन्हें एचआईवी की रोकथाम के लिए एकीकृत जागरुकता अभिमान के वास्ते संसाधन जुटाने चाहिए। इस बीमारी पर रोकथाम, उचित मूल्य पर इसकी दवाइयां उपलब्ध कराने और इस खतरनाक कीटाणु के दुख के निजात दिलाने के लिए निश्चित दवाई की वैज्ञानिक खोज के लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए। इस काम का अतिरिक्त बोझ विकासशील देशों पर नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि वे पहले से ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से दबे हुए हैं।

एक अन्य मुद्दा जो कि सार्वभौम चिंता का विषय होना चाहिए—वो है अनेक विकासशील देशों की कर्ज की समस्या। यह बोझ हर साल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वर्तमान ब्याज को अदा करने के लिए नए कर्ज लिए जा रहे हैं। इससे पूंजी पर लगातार बोझ पड़ रहा है जिससे विकासशील देश और कमजोर होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र इस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। वह इस मामले में समान विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और इस बात को सुनिश्चित कर सकता है कि विकास सिर्फ कुछ के पास ही सीमित होकर न रह जाए।

पिछली शताब्दि के अंतिम दशक में सामाजिक विकास, महिला मुद्दों, जनसंख्या तथा पर्यावरण जैसे विकास के विभिन्न पक्षों पर हमने अनेक विश्व सम्मेलन होते देखे हैं। अब हम विकास के लिए वित्तपोषण पर सम्मेलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

वास्तव में अब समय आ गया है कि हम एक उच्च स्तरीय संयुक्त सम्मेलन में एक साथ आर्थिक विकास, प्रगति तथा आवंटन के आश्वासन पर विचार करें। और हम यह अनुरोध करेंगे कि एक पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र के काम में विकास को महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया जाए।

इक्कीसवीं शताब्दि की उभरती हुई विश्व व्यवस्था में आर्थिक बहुध्रुवीयता महत्वपूर्ण पक्ष होगी। अंतर्राष्ट्रीयकरण से एक दूसरे पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं का एक ऐसा व्यापक जाल बना है जो व्यापार और वाणिज्य से जुड़े हैं। इसके अलावा इसमें दुनिया भर में पूंजी का अभूतपूर्व प्रवाह हो रहा है, जिसके पीछे सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का जबरदस्त हाथ है।

लेकिन आर्थिक आत्मर्निभरता तभी अच्छी है जब यह गैर भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित हो। तभी समस्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। इसे हासिल करने के लिए और उपयुक्त आर्थिक बहुआयाम सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों को उन व्यवस्थाओं का विरोध करना होगा जिनमें कुछ देश अपने घरेलू बाजार को सुरक्षित रखने और वर्तमान व्यापार संतुलन को बढ़ावा

देने के लिए गैर शुल्क प्रतिबंध पर भरोसा करते हैं। इन व्यवस्थाओं को और अधिक पारदर्शी तथा उपयुक्त मानक और आवश्यकताओं के जरिए बाजार और सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करके खासतौर से विकासशील देशों के लिए बेहतर बनाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एकीकरण से विभिन्न देशों और मुद्रा क्षेत्र में अनियंत्रित तथा मजबूत पूंजीप्रवाह को बढ़ावा मिला है। इससे अनेक विकासशील देशों के लिए कई तरह के खतरे पैदा हो गए हैं। इस समस्या का एक पक्ष तो यह है कि हम एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार की तरफ आगे बढ़ गए हैं, उस गंभीर चुनौती का एहसास किए बिना कि इससे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में उथल पुथल हो जाएगी। वास्तव में 1990 का दशक वित्तीय संकट से परिपूर्ण रहा जिसने विकासशील देशों पर हमला किया और विकासशील तथा परिवर्तित अर्थव्यवस्थाओं पर अनियंत्रित अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के प्रवाह का आर्थिक रूप से अस्थिर प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि यह कुछ सदस्य देशों द्वारा चलाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय नीति से उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना कर सके। उन्नत मानक और बढ़ी हुई सूचना प्रणाली के बीच महत्वपूर्ण संकटों से निपटने के लिए इसकी भूमिका को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। यह विकसित और विकासशील दोनों ही तरह के देशों पर समान रूप से लागू होगा। नई शताब्दि को एक नए वित्तीय निर्माता की जरूरत है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बहुआयामी संस्थाओं की भूमिका को मजबूत कर सके। बहुआयामी सहयोग का मुख्य जोर विकसित देशों के बीच बेहतर नीति समन्वय की जरूरत पर होना चाहिए ताकि नीतियों में तालमेल हो सके। अगर नीतियों में तालमेल न हो तो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह पर इसका खतरनाक असर पड़ सकता है। एक दूसरे पर निर्भर विश्व, नीति निर्माण के बड़े मंच में विकासशील देशों की और भागीदारी का आहवान कर रहा है। अंतराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में विकासशील देशों की बढ़ी हुई भागीदारी की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, विभिन्न देशों के बीच शांति और उनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिना हम सही मायनों में विकास नहीं कर सकते। वास्तव में लोकतंत्र और शांति निर्बाध विकास की बेहतर गारंटी देते रहेंगे—यह एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं।

परमाणु हथियारों के बने रहने से इस शताब्दि में भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। जैसा कि पिछली शताब्दि में था। पिछली शताब्दि में न सिर्फ सामूहिक विनाश के हथियारों का विकास हुआ बल्कि इन हथियारों का सामरिक इस्तेमाल भी किया

गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रासायनिक और जैविक हथियारों से उत्पन्न खतरों को अगर पूरी तरह समाप्त नहीं कर सके तो उसे सफलतापूर्वक कम जरूर किया है। लेकिन परमाणु हथियारों के साथ ऐसा नहीं हुआ।

वास्तव में विभिन्न मंचों से परमाणु निरस्त्रीकरण की ढेर सारी बातों के बावजूद पहले पहल इस तरह के खतरनाक हथियार बनाने वालों के कब्जे में आज भी सामूहिक विनाश के हथियारों का भंडार बना हुआ है। ऐसा लगता है कि हम उस लक्ष्य को हासिल करने में अभी काफी दूर हैं जो नई सहस्त्राब्दि में मानवता के अस्तित्व का आश्वासन दे सके। 1998 में भारत को ये हथियार बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि परमाणु हथियारसंपन्न देशों ने परमाणु निरस्त्रीकरण की लगभग सार्वभौम मांग को ठुकरा दिया था। इससे भी अधिक हमारे पड़ोस में परमाणु हथियारों के प्रसार ने हमें खासतौर से असुरक्षित बना दिया था।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी नीति उत्तरदायित्व और संयम पर टिकी हुई है और हम लगातार सार्वभौम भरोसेमंद परमाणु निरस्त्रीकरण पर जोर देते रहेंगे। इसके साथ ही अपने सामरिक अंतरिक्ष की सुरक्षा और नीति निर्माण में स्वायत्तता की मांग भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति को समान तथा सभी के लिए वैध सुरक्षा की आवश्यकता को अलग नहीं किया जा सकता है। हम परमाणु खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के महासचिव के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

इस अंतराल में, भारत परमाणु हथियारों का और परीक्षण न करने के स्वैच्छिक एकतरफा फैसले पर कायम रहेगा। भारत परमाणु परीक्षण निषेध संधि के प्रमुख वार्ताकारों के साथ अपनी सुरक्षा वार्ता के सफल निष्कर्ष के लिए काम करने के प्रति वचनबद्ध है। मैं अपनी यह स्थिति फिर दोहराना चाहता हूं कि हम परमाणु परीक्षण निषेध संधि के लागू होने में बाधक नहीं बनेंगे। इसके साथ ही जिन अन्य देशों को संधि के अनुच्छेद-14 के तहत परमाणु परीक्षण निषेध संधि का अनुमोदन करना है, वे बिना शर्त ऐसा करें।

भारत परमाणु हथियारों या अन्य परमाणु बम में प्रयुक्त होने वाली विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर बातचीत में लगातार भाग लेता रहेगा। हम इन वार्ताओं में इस विश्वास के साथ भाग लेंगे कि यह संधि भेदभाव रहित होगी और भारत की सुरक्षा आशंका का इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा।

राष्ट्रपति महोदय, शांति, लोकतंत्र और विकास के अन्य बहुत से खतरों में से जितना अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद खतरनाक बन गया है, उतना और कोई नहीं। इसका संपर्क धार्मिक अतिवाद, नशीली दवाओं की तस्करी और गैर कानूनी हथियारों के

व्यापार से है। बहुलवादी और चुना हुआ लोकतंत्र आतंकवाद के निशाने पर है। यह स्वतंत्र विश्व के नागरिक समाज के मूल, सहनशीलता पर आघात करता है।

एक दशक से भी अधिक समय से भारत सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद का निशाना रहा है जिसमें हजारों मासूम लोगों की जानें गई हैं। मानवता के खिलाफ इस अपराध से हम एक जवाबदेह कार्रवाई की मांग करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हम अनुरोध करते हैं कि वे इस सम्मेलन के बाद शुरु हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में चर्चा की जाने वाली आतंकवाद के खिलाफ व्यापक संधि को जल्द से जल्द स्वीकार करें और उन्हें लागू करें।

इस मंच से राजनेताओं और राजनीतिक विचार को जैसी बातें काफी कही गई हैं। दुर्भाग्यवश वह सारी विरोधाभाषी और हास्यास्पद लगती हैं। जिन लोगों ने अपने देश में लोकतंत्र का गला घोट दिया है वे इस मंच में स्वतंत्रता की बात करते हैं। जिन लोगों ने मुख्य रूप से परमाणु हथियार और उनकी वितरण व्यवस्था का सूत्र हासिल किया है, वे दक्षिण एशिया से इन्हें हटाने की बात करते हैं। जिन लोगों ने शालीनता को तबाह किया है वे युद्ध रोकने के लिए नई संधि की बात करते हैं। जटिल आतंकवादी अभियान के अगुआ जिनके कारण भारत में तीन हजार से अधिक मासूम लोगों की जाने गईं और जिन्होंने ऐतिहासिक शांति पहल को सक्रिय रूप से बर्बाद कर दिया, वे आज बातचीत का नया प्रस्ताव पेश कर रहे हैं।

दुनिया को सच्चाई को उसके वास्तविक रूप में देखना चाहिए। किसी मकसद की गंभीरता का सही परीक्षण शब्द नहीं बल्कि कृत्य है। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह भी आग्रह करते हैं कि वह छोटे और हल्के हथियारों के भेदभावपूर्ण प्रसार और अवैध तस्करी के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करें। देशों को छोटे और हल्के हथियारों के गैर कानूनी व्यापार को रोकने उससे निपटने और उसे समाप्त करने के सहयोग और मिल कर काम करना चाहिए इसके लिए सहमत उपायों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कार्ययोजना अपनाई जा सकती है। राष्ट्रपति महोदय, क्योंकि परिभाषा की दृष्टि से लोकतंत्र के बिना समान विकास नहीं हो सकता इसलिए यह जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र लोकतांत्रिक मानकों को बढ़ावा दें और संयुक्त राष्ट्र सिर्फ चुनावों की निगरानी अथवा प्रभावी शासन के मानकों को बढ़ावा देकर ही ऐसा न करे बल्कि उदाहरण भी इसके लिए प्रस्तुत करे। संयुक्त राष्ट्र शांति, समानता और सम्मान के गौरवशाली लक्ष्य हासिल करने के मुक्त विश्व के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र के तीन प्रमुख अंतः सरकारी अंगों—महासभा, सुरक्षा परिषद तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद के बीच संतुलन रखा गया है।

वर्षों से इस संतुलन का झुकाव सुरक्षा परिषद की तरफ ज्यादा हो गया है। यह जरूरी है कि महासभा की केंद्रीय भूमिका का सम्मान किया जाए। यह सहस्त्राब्दि सम्मेलन इस दिशा में एक अच्छा पहला कदम है और हम इसके प्रस्ताव के लिए महासचिव को धन्यवाद देते हैं। हमें खुशी है कि विकास को बढ़ावा देने में आर्थिक और सामाजिक परिषद फिर से सक्रिय हो गई है। हमें विश्वास है कि यह गति बनाए रखी जाएगी।

लेकिन एक परिवर्तनशील विश्व में यह समझा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद को अपनी विशेष भूमिका बनाए रखनी चाहिए। इसीलिए यह और भी जरूरी है कि इसकी सदस्यता बढ़ा कर इसे और प्रतिनिधिपूर्ण बनाया जाए।

हमें आशा है कि इस सहस्त्राब्दि सम्मेलन से यह आश्वासन मिलेगा कि सुरक्षा परिषद का जल्द से जल्द विस्तार और पुनर्गठन हो। खासतौर से इसमें विकसित और विकासशील देशों के स्थाई सदस्य शामिल किए जाएं ताकि यह इक्कीसवीं शताब्दि की नई वास्तविकताओं को प्रदर्शित कर सके। इससे इस विश्व निकाय को और मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी तथा यह सभी लोगों की सेवा में और उद्देश्यपरक तरीके से काम कर सकेगा जैसा कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में कहा गया है कि इससे ही संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ है।

जैसा कि सदस्य देशों को याद होगा पिछले कुछ वर्षों से भारत ने यह बता दिया है कि हमारा विश्वास है कि हम स्थाई सदस्यता के दायित्वों के मानदंडों पर खरा उतरते हैं। वास्तव में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, अपार क्षमताएं, तेजी से प्रगतिशील, आर्थिक शक्ति और शांति स्थापना कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण सहयोगी की हैसियत से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का भारत का स्वाभाविक दावा बनता है।

अंत में राष्ट्रपति महोदय, सहस्त्राब्दि के इस अदभुत क्षण में जबकि हम इतिहास को छू रहे हैं, हमें समूचे मानव परिवार को एक साथ लाने के लिए काम करने की शपथ लेनी चाहिए। हमें अंतर्रात्मा से यह समझना चाहिए कि हमारा लक्ष्य संयुक्त है। मैं अपनी बात भारत के इस प्राचीन कथन पर खत्म करता हूं—

सर्वे भवंतु सुखिनः
सर्वे संतु निरामयाः।
सर्वे भद्राणी पस्यंतु
मां कस्चित दुखाह भाग भावेत्

भारत का सबसे बड़ा व्यापार-सहभागी

अमरीका-भारत व्यापार शिखर बैठक के अवसर पर आज सुबह आप सबके साथ होने पर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस बैठक के आयोजन बल्कि, पुनर्आयोजन के लिए मैं भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) को बधाई देता हूँ। इस बैठक की तिथि में हुए परिवर्तन के कारण आपको जो असुविधा हुई, उसके लिये मुझे खेद है। व्यापार एवं उद्योग के इतने विस्तृत वर्ग के साथ इस बातचीत को मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ। न्यूयॉर्क उद्यम और नवीनता की भावना का प्रतीक है। यही भावना है जिसने अमरीकी अर्थव्यवस्था का इतनी श्रेष्ठतापूर्वक संचालन किया है। हमने अमरीका में आर्थिक तेजी की सबसे लंबी अवधि का प्रशंसापूर्वक अवलोकन किया है। विश्व अर्थव्यवस्था, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था भी शामिल है, पर पड़े इसके प्रभाव का हमने सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया है।

हमारा यह विश्वास और भी सुदृढ़ हुआ है कि बहुत से क्षेत्रों में हमारे दोनों समाजों के बीच एक प्राकृतिक सहक्रिया मौजूद है। इसमें आर्थिक क्षेत्र भी शामिल है। जो बात हमें एक करती है वह केवल लोकतंत्र, सामान्य वचनबद्धता, स्वतंत्रता, खुलेपन और बहुलवाद के प्रति ही नहीं है, यह आर्थिक वृद्धि पर एक संदर्भ भी है। एक ऐसा संदर्भ जिसमें निजी उद्यम को राज्य द्वारा अधिकतम प्रोत्साहन दिया जाता है और जो अपनी भूमिका को मदद देने वाले और निष्पक्ष नियंत्रक तक ही सीमित रखता है।

ऐतिहासिक कारणों से स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक दशकों में भारत में निजी उद्यमों को वांछित भूमिका नहीं दी गई। नब्बे के दशक से हम व्यापक आर्थिक सुधारों से इस स्थिति को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी अपनी सरकार सुधारों की प्रक्रिया को और व्यापक तथा गहरा बनाने, उसमें तेजी लाने के लिये वचनबद्ध है। हमें पूरा विश्वास है कि यह भारत में आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास की पूर्ण संभावना को उन्मुक्त कर देगी। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि अमरीकी सरकार तथा अमरीकी उद्यमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू किये जा रहे ऐतिहासिक परिवर्तनों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

अमरीका आज भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहभागी है। अमरीकी कम्पनियां भी भारत में सबसे बड़ी निवेशक हैं। अधिकतर प्रमुख अमरीकी निगम, बैंक तथा

अमरीका-भारत व्यापार शिखर सम्मेलन में दिया गया भाषण, न्यूयॉर्क, 13 सितम्बर 2000

वित्तीय संस्थान भारत में मौजूद हैं। हमारी आर्थिक वृद्धि में उनके योगदान की हम कद्र करते हैं। समानरूप से मुझे विश्वास है कि वे भी, भारत में उनके व्यवसाय और उनकी व्यावसायिक लाभप्रदता में हमारी विस्तारशील अर्थव्यवस्था जो योगदान दे रही है उसकी कद्र करते हैं। इस संबंध को हम और प्रगाढ़ बनाना चाहेंगे।

पिछले दस वर्षों में भारत में केवल 15 बिलियन डालर के कुल अमरीकी निवेश को ही मंजूरी दी गई। वास्तविक निवेश तो इससे भी कम है। नये अवसरों के संदर्भ में इस गणित को हमें अवश्य ही प्रभावशाली ढंग से बदल देना चाहिये। हमें 5 बिलियन डालर के वार्षिक प्रवाह का एक लक्ष्य स्वीकार कर लेना चाहिये जो अगले वर्ष से शुरू हो और अगले तीन वर्षों में इसे 15 बिलियन डालर तक बढ़ा दिया जाये। यह उच्चाकांक्षी है, फिर भी, यह निष्पाद्य है।

हमें इस बात पर भी सहमति दें कि अगले तीन वर्षों तक कम से कम दुगना द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह बने। इसके लिये काफी गुंजाइश है। मैं यह स्पष्ट अनुभव करता हूं कि आपको प्रेरित करने के अलावा हमें भी बदलने की जरूरत है। मैं यह भी नहीं भूला हूं कि आप अकसर हमारे नियम, कानूनों और कार्यप्रणालियों को बोझिल पाते हैं। यह एक छवि की समस्या है जिसका अकसर 'भारत में व्यवसाय करने की बाधायें' के रूप में वर्णन किया जाता है। आंशिक रूप से यह एक सम्प्रेषण की समस्या है। सफलता की कहानियां पर्याप्त तेजी से नहीं फैलती। एक असफलता संक्रामक साबित होती है।

बहुत सी अनुमोदित परियोजनायें वैसे ही पड़ी हुई हैं। परियोजना लागू करने में सहायता देना ऐसा एक क्षेत्र है जिसे सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। इसलिये मैं प्रधान मंत्री कार्यालय में एक नीति प्रबंधन समूह का निर्माण कर रहा हूं जहां पर बृहत निवेश परियोजनाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों का तेजी से निराकरण कर दिया जाएगा। एक अंतर मंत्रालय दल इस सेल की सहायता करेगा। यह समूह महीने में एक बार सीधे मुझे रिपोर्ट देगा। बहुत सी परियोजना संबंधी समस्यायें राज्य सरकारों से संबंधित हैं। मैं मुख्यमंत्रियों से आग्रह करूंगा कि वे इसी तरह के कदम उठायें। मुझे विश्वास है कि यह 'कार्यान्वयन संबंधी चिन्ताओं' से निपटने के कार्य में कुछ गति और गंभीरता प्रदान करेगा।

प्रतिष्ठित अमरीकी व्यवसायीगण, जब आप भारत को देखें तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे दोनों देशों के बीच वर्तमान द्विपक्षीय आर्थिक वादे के आकार से बहुत अधिक प्रभावित न हों। बल्कि अवसरों और लाभों के विस्तार को जैसे-जैसे भविष्य में वे आपके सामने प्रकट होते जायेंगे, अवलोकन करके एक दीर्घकालीन राय

कायम करें। भारत और अमरीका के हित एक दूसरे के अनुपूरक हैं। आइये, हम इस अनुपूरकता को इसकी सम्पूर्णता में काम में लायें।

भारत आज विश्व की तीव्रतम वृद्धि कर रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। नब्बे के दशक में हमारी 6 प्रतिशत से भी अधिक वार्षिक वृद्धि ने हमें विश्व की दस तेजी से वृद्धि कर रही चोटी की अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया है। इस वर्ष हमारे स्वतंत्रता दिवस पर मैंने अपनी सरकार से एक नया लक्ष्य, अगले दशक में हमारी प्रतिव्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित करने का वचन दिया है। इसमें नौ प्रतिशत या अधिक की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि सन्निहित है। यह शंका में डालने वाला लक्ष्य है, किन्तु इसे भारत हासिल कर लेगा।

भारत में सुधार प्रक्रिया एक अप्रत्यवर्त्य पथ पर है। एक दल के भीतर और अन्य दलों से वादविवाद तथा मतभेद एक लोकतांत्रिक राज्य में स्वाभाविक हैं। खुली सार्वजनिक चर्चायें राष्ट्रीय मतैक्य को पुष्ट करती हैं। यह सामाजिक समर्थन तैयार करती हैं तथा राजनीतिक परिवर्तनों की अनिश्चितताओं से सुधारों की रक्षा करती हैं। परिवर्तन के केन्द्रीय बिन्दुओं को भी हम बदल देना चाहते हैं। हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप सुधारों को 'विशिष्ट वर्ग प्रेरित' समझना कम से कम होता जा रहा है। समाज के कमजोर वर्गों पर परिवर्तन का प्रभाव कम पड़े इसके लिए ठोस उपाय किये जा रहे हैं। वृद्धि का थोड़ा-थोड़ा करके नीचे पहुंचने का प्रभाव अकसर बहुत धीमा या मंद है। इसीलिये हम पूर्ण अभिज्ञता के साथ उचित विकास सहित तीव्र आर्थिक वृद्धि को सुसंगित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिये कृतसंकल्प हैं कि सुधारों के लाभ आम आदमी से कतरा कर न निकल जायें।

कृषि तथा ग्रामीण विकास पर ध्यान केन्द्रित करने को हमने समर्थन दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ना, सुरक्षित पेय जल, आवास और रक्षा जैसे क्षेत्रों को उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है। सामाजिक क्षेत्र-विशेषकर प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा के विकास पर हम बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत की विपुल मानव पूंजी को समृद्ध बनाने के लिए यह विवेचित है। ज्ञान अर्थव्यवस्था के उभरते युग में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन भी है। हमारे उपक्रमणों के फलस्वरुप सुधारों का चुनाव क्षेत्र तेजी से विस्तृत होता जा रहा है।

मेरी सरकार ने निजी निवेश के लिए बहुत से नये अवसर उत्पन्न किये हैं। मैं इसे उदाहरण देकर समझाता हूं:

(i) आधारभूत ढांचे में निवेश के अवसर उत्पन्न करने के लिए भारी विनियमन किया गया है।

(ii) हमारे पास अब एक विश्व श्रेणी की सूचना प्रौद्योगिकी नीति है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान-आधारित उद्यम भारतीय और अमरीकी व्यवसायों के बीच परस्पर लाभकारी साझेदारी के लिए अधिकतम अवसर प्रस्तुत करते हैं। इस साझेदारी की बहुत सी सफलतायें हम पहले ही देख चुके हैं। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। भविष्य अत्यधिक आकर्षक और फलदायी होने वाला है।

(iii) 'नयी अर्थव्यवस्था' से होने वाले लाभों को उच्चतम सीमा तक वस्तुत: बढ़ाने के लिये भारत के पास अब व्यावसायिक मानव शक्ति है। एक वर्ष में हम अपने शिक्षा संस्थानों से सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की संख्या दुगनी कर रहे हैं और तीन वर्षों में उनकी संख्या तिगुनी हो जाएगी।

संयुक्त अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिये हम भारतीय और अमरीकी शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा में विशेष तौर पर तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में - निजी और अनिवासी भारतीयों के निवेश को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(iv) दूरसंचार क्षेत्र में सम्पूर्ण विनिमयन कर दिया गया है :

राष्ट्रीय लंबी दूरी पर; स्वयं के समुद्र के भीतर ऑप्टीकल फाइबर केबल से चयन करने की स्वतंत्रता पर; बेसिक टेलीफोनी पर; अंतर्राष्ट्रीय दूरी की टेलीफोनी पर वी.एस.एन.एल. के एकाधिकार को समाप्त किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग का 1 अक्टूबर तक निगमीकरण किया जा रहा है। एक दूरसंचार अभिसरण विधेयक लाया जाने वाला है। हम इस पर भी विचार कर रहें हैं कि सेल्यूलर टेलीफोनों का पूरी तरह किस हद तक विनियमन करना अच्छा रहेगा।

(v) हम सात वर्षों में 13,000 किलोमीटर उन्नत और विस्तारित राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित कर रहे हैं।

(vi) बंदरगाहों का निगमीकरण किया जा रहा है और बंदरगाह निर्माण में निजी सहभागिता का स्वागत किया जा रहा है।

(vii) विगत समय में बिजली परियोजनाओं के बारे में शिकायतें आई हैं। उनका हम उचित समाधान करेंगे। हमारी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारत में बिजली में भारी निवेश की आवश्यकता है।

बहुत सी राज्य सरकारों द्वारा शुल्क निर्धारण तथा इसके अनुमोदन का अराजनीतिकरण अब निजी और विदेशी निवेश के अवसर निर्मित कर रहा है।

इस यात्रा के दौरान भी कई वाणिज्यिक समझौतों पर हस्ताक्षर किये जायेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

कई बिजली परियोजनायें वर्षों से पड़ी हुई हैं उनकी चार से छह महीनों में वित्तीय तौर पर समाप्ति कर दी जायेगी। एक नया बिजली विधेयक 2000 लाया जाने वाला है, जो महत्वपूर्ण रूप से बिजली क्षेत्र का विनियमन करेगा। यह अत्यधिक उपभोक्ता स्वतंत्रता का अधिकार देगा। यह बिना बांधे निजी क्षेत्र को उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण के निर्णय करने का अधिकार देगा।

(viii) सीधे विदेशी निवेश के लिये शासन प्रणाली को अब स्वचालित बना दिया गया है। मंत्रियों के एक दल द्वारा क्षेत्रीय आवरणों की अब निरंतर समीक्षा की जा रही है। बहुत से क्षेत्रों में जल्दी ही और भी रियायत की मुझे आशा है।

(ix) वित्तीय क्षेत्रों के सुधार एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। हमारे वित्तीय संस्थानों ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के समानुरूप विवेकपूर्ण मानदंड अपनाये हैं। बैंकिंग पर्यवेक्षण आधारभूत मार्गनिर्देशों का अनुसरण करता है। राजकीय क्षेत्र के बैंकों में सरकारी इक्विटी को घटा कर 33 प्रतिशत किया जा रहा है। इससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक कार्यकुशलता में और भी सुधार होगा।

(x) सामान्यत : विनिवेश (डिसइन्वेस्टमेंट) हमारा गहरा ध्यान आकर्षित कर रहा है। हमारा अब एक विश्वसनीय विनिवेश कार्यक्रम है। इस वर्ष की अवधि के दौरान तेल, दूरसंचार, विमान कंपनियों और होटलों के क्षेत्र की कुछ प्रमुख कंपनियों का सार्थक विनिवेश किया जाएगा।

प्राप्त संसाधनों को मुख्य रूप से कर्ज हटाने अथवा सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों को निभाने के काम में लाया जायेगा। मेरी अध्यक्षता में विनिवेश के लिये गठित मन्त्रिमंडलीय समिति को सुनिश्चित लक्ष्य सहित ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिये सक्रिय बना दिया गया है।

इन बहुत से मुद्दों पर अपने विचार आपके साथ बांटते हुए मैं कठिनाइयों की सफाई नहीं देना चाहता। बहुत से क्षेत्रों में, विशेषत: दीर्घावधि वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में गंभीर समस्यायें तो विद्यमान रहती ही हैं।

जबकि हमारे कर की दरें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी हैं, कर प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार की जरूरत है। कर सुधार पर भी तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है और दोहरी कर नीति का पुनर्निरीक्षण करने की आवश्यकता है। सरकारी खर्च में कटौती की जरूरत है। व्यय निगम की सिफारिशों के आधार पर इस क्षेत्र में दीर्घावधि कार्रवाई की योजना

बनाई गई है। संसद के समक्ष वित्तीय जिम्मेदारी अधिनियम इन उपायों को बल प्रदान करेगा।

राज्य वित्त पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वित्त आयोग ने कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की हैं और मेरा इरादा उनका गंभीरता से पालन करने का है।

संक्षेप में, जहां पर भारी संभावनायें हैं, वहां पर निस्संदेह समस्यायें और निवेश का जोखिम है। फिर भी, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि अवसर जोखिमों से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। अवसर बढ़ेंगे और एक प्रेरक वातावरण विकसित हो जायेगा। समस्यायें और जोखिम कम हो जायेंगे।

भारतीय अमरीकियों की इस देश में असाधारण उपलब्धि भारत में उपलब्ध दक्षता के मानव संसाधन का पर्याप्त सबूत है। हमारे पास ये भी हैं :

अंग्रेजी भाषा का व्यापक प्रयोग; एक पारदर्शी न्याय प्रणाली एवं न्याय-शासन; अनुबंधों की पावनता का आदर; तथा, सर्वोपरि, अंतर्राष्ट्रीय इकरारनामों को पूरी तरह स्वीकारने का एक शानदार रिकार्ड।

भारत उच्च सर्वतोमुखी आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये तैयार खड़ा है। आज मैं इस परिवर्तन को प्रोत्साहित करने में आपकी साझेदारी चाहता हूं— हमारी उन्नति में शामिल होने में साझेदारी। एक दूसरे को 'स्वाभाविक मित्र' के रूप में पहचान लेने के बाद भारत और अमरीका नई सदी में अपने द्विपक्षीय संबंधों को अत्यधिक मजबूत और गहरा करने को तैयार खड़े हैं, तो आइये अपने इस स्वाभाविक मैत्री के भवन को सहारा देने के लिये हम भारत-अमरीकी आर्थिक संबंधों की एक मजबूत बुनियाद का निर्माण करें। हमारे महान कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, जिन्होंने कहा था: "एक बार हमने स्वप्न देखा कि हम पराये थे, जागे तो जाना कि हम एक-दूसरे को प्रिय थे।"

इस वर्ष मार्च में मेरे और राष्ट्रपति श्री क्लिंटन के बीच भविष्य की झांकी प्रस्तुत करने वाले जिस वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये गये, वह इस नूतन उद्बोधन का प्रतिनिधित्व करता है। इस साझे स्वप्न को साकार करने में मैं आपकी सहभागिता चाहता हूं। अपने विचारों को आपके साथ बांटने का अवसर देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

भारत-अमरीका संबंधों की अपार संभावनाएं

आज मैं आपके सामने बोलने में बड़े गौरव का अनुभव कर रहा हूं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको और कांग्रेस के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

नवम्बर 1999 में अमरीकी प्रतिनिधि सभा में एक उल्लेखनीय घटना घटी। सदन ने 4 के मुकाबले 396 मतों से एक प्रस्ताव पारित कर भारत को और मेरी सरकार को अक्टूबर 1999 में संपन्न चुनाव के लिए बधाई दी। भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में व्यापक समर्थन की यह अभिव्यक्ति बड़ी उत्साहवर्द्धक है।

इससे, राष्ट्रपति क्लिंटन और मुझे, दोनों को ही प्रोत्साहन मिला कि हम अपने संबंधों में नई स्फूर्ति लाने के लिये मिलकर प्रयास करें। आपने मेरे देश के प्रति हो लगभग अपूर्व रूझान दिखाया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

आप में से जिन लोगों ने, इस वर्ष मार्च में हमारी संसद में राष्ट्रपति क्लिंटन के भाषण के प्रति लोगों का उत्साह देखा था, वे जान गये होंगे कि भारत में भी अमरीका के साथ मैत्री संबंध बढ़ाने के लिये, इसी तरह का समर्थन सभी पार्टियों के लोगों में है। अमरीकी संसद में दो दिन पूर्व मेरी यात्रा और भारत-अमरीका के बीच बेहतर संबंधों का स्वागत करते हुए जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसने मुझे गहरे प्रभावित किया है। इसी तरह कल सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव से भी मैं बहुत उत्साहित हूं।

अमरीका के लोगों ने दिखा दिया है कि लोकतंत्र और वैयक्तिक स्वतंत्रता से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनमें ज्ञान की प्रगति होती है, विज्ञान नये अविष्कार करता है, नवीन प्रयोग होते हैं, उद्यम सफल होता है और अंततः लोग आगे बढ़ते हैं।

मेरे देश के 15 लाख से अधिक लोगों के लिये अब अमरीका ही अपना घर है। दूसरी ओर, उनके परिश्रम, उद्यम और कौशल, अमरीकी समाज की प्रगति में सहायक हैं। अमरीका में भारतीय समुदाय की उल्लेखनीय सफलता में मुझे, उस जबर्दस्त संभावना की झलक नज़र आती है जो हम मिलकर प्राप्त कर सकते हैं।

जिस तरह अमरीका के अनुभव से हम यह सीखते हैं कि लोकतांत्रिक ढांचे में लोगों की क्या उपलब्धियां हो सकती हैं, उसी तरह भारत, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की

अमरीकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, वाशिंगटन, 14 सितम्बर, 2000

अमरीकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का धन्यवाद करते हुए अमरीकी सांसद, 14 सितंबर 2000

वह प्रयोगशाला है, जहां मार्ग में आने वाली हर संभव-असंभव चुनौती का मुकाबला करने की सामर्थ्य पैदा होती है।

स्वाधीनता के बाद के पचास वर्षों में हमने एक अद्‌भुत चित्र बुना है। अनेकता के बीच एकता स्थापित की है। हमारी संसद की छत के नीचे भारत में बोली जाने वाली अनेक भाषायें एक स्वर में बोलती हैं।

एक राष्ट्र के रूप में अपने उल्लेखनीय प्रयोग में आपने भी इसी सत्य की पुष्टि की है। अपने समुद्र तट पर पहुंचे दबे-सहमे लोगों से आपने एक महान राष्ट्र की रचना की है।

मेरी दृष्टि में भारतीय लोकतंत्र की अनेक उपलब्धियों में से सबसे अधिक संतोषजनक उपलब्धि है - समाज के कमजोर और पिछड़े लोगों के जीवन में आया परिवर्तन।

अगर इसका केवल एक ही उदाहरण दूं, तो वह है हाल के वर्षों में, छोटे शहरों और दूर दराज के गांवों की लाखों महिलायें स्थानीय निकायों में चुनकर पहुंची हैं और अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर फैसला कर सकने में समर्थ हुई हैं।

दो वर्ष पूर्व, जब एशिया के अधिकतर देश आर्थिक संकट से कांप उठे थे, भारत अपने रास्ते पर बढ़ता रहा था। पिछले दस वर्षों में हमने 6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रगति की है और इसीलिये भारत, विश्व की दस सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

हर वर्ष हमारी आर्थिक गतिविधियां अधिक से अधिक दिशाओं में बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति क्लिंटन और यहां उपस्थित मित्रों में से अनेक को सूचना प्रौद्यागिकी के क्षेत्र में हमारी प्रगति की झलक पाने का अवसर मिला है।

हम अपनी अर्थव्यवस्था की प्रगति को इसी तरह बनाये रखने के लिये कृतसंकल्प हैं। हमारा लक्ष्य है दस वर्ष में अपनी प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और इसके लिये हमें प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की दर से बढ़ना होगा।

विकास की यह दर बनाये रखने के लिये हमने व्यापक सुधार कार्यक्रम लागू किया है। हम अपने लोगों की रचनात्मक ऊर्जा को सामने लाने के लिये प्रतिबद्ध हैं- हम चाहते हैं कि हमारे देश के स्त्री-पुरुषों की उद्यमिता, हमारे वैज्ञानिकों और शिल्पकारों के कौशल का पूरा-पूरा उपयोग हो। इसके साथ ही, हम इसके लिये भी प्रतिबद्ध हैं कि हमारा राष्ट्र, वंचितों, कमज़ोर तबकों और गरीबों के प्रति अपने सामाजिक दायित्व का भी पालन करे।

देश के बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण क्षेत्रों - बिजली, बीमा, बैंकिंग, दूरसंचार - को निजी देश तथा विदेशी कंपनियों के लिये खोला जा रहा है। व्यापार प्रतिबंध हटाये जा रहे हैं।

हमारे देश से बाहर कुछ ऐसी ताकतें हैं, जो सोचती हैं कि वे आतंकवाद का सहारा लेकर देशी की क्षेत्रीय अखंडता को तोड़ सकती हैं। वे यह दिखाना चाहती हैं कि अनेक धर्मों वाला समाज नहीं चल सकता। लेकिन जो काम वे करना चाहती हैं, वह कभी पूरा नहीं हो सकता।

आज तक किसी देश ने आतंकवादी हिंसा का ऐसा भीषण हमला नहीं झेला है, जैसा पिछले दो दशकों से भारत झेल रहा है : विदेशों की सहायता से भड़काये जा रहे आतंकवाद ने अकेले पंजाब में 21,000 जानें लीं, जम्मू-कश्मीर में 16,000 लोग मारे जा चुके हैं।

यहां सदन में उपस्थित आप में से अनेक लोगों ने हाल की घटनाओं से यह नंगी सच्चाई जान ली है कि हमारे पड़ोस से ज्यादा बड़ा आतंकवाद का स्रोत और कोई नहीं है। यहां तक कि हमारे पड़ोस में आज 21वीं सदी में भी धर्म के नाम पर लड़ी जाने वाली लड़ाई को न केवल राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बना दिया गया है। बल्कि उसकी खुले आम घोषणा भी कर दी गई है।

सिर्फ दूरी से बचाव नहीं होता। दूरी के कारण निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। आप जानते हैं, और मैं भी जानता हूँ कि इस तरह की बुराई कभी सफल नहीं हो सकती। लेकिन असफल होते हुए भी वे बेइन्तिहा तकलीफ पहुंचा सकते हैं।

इसीलिये अमरीका और भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिये सहयोग बढ़ाना शुरू कर दिया है। और हमें इन प्रयासों को और बढ़ाना होगा।

एक समय था, जब हम ग्लोब पर एक दूसरे से बहुत दूर थे। लेकिन आज हर डिजिटल नक्शे पर भारत और अमरीका एक-दूसरे के पड़ोसी और सहयोगी हैं।

भारत और अमरीका, इस सूचना युग के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। पिछले दशक में, इस नई प्रौद्योगिकी ने अमरीका की समृद्धि को इस तरह बढ़ाया है, जिससे आर्थिक प्रगति के बारे में पारंपरिक दृष्टिकोण को ही चुनौती दे डाली है।

हम दोनों असामान्य संसाधनों और प्रतिभा से संपन्न देश हैं। कल के उद्योगों की दृष्टि से आकलन करें तो हम भविष्य के लिये साझेदारी की नई परिभाषा रच रहे हैं। यही नहीं, हम दोनों देशों के पास, इस शताब्दी में विश्व अर्थव्यवस्था का रूप निर्धारित करने की संभावनायें हैं।

हमें अपने सहयोग को साझेदारी की ऐसी मिसाल बना देना चाहिए, जिसमें नई तकनीकों की संभावनाओं का उपयोग, गरीबी, निरक्षरता, भूख, बीमारी और प्रदूषण से लड़ने के नये-नये रास्ते तलाशने में किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, देवियो और सज्जनो! हमें विश्वास है कि भारत और अमरीका, कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे विश्व की ओर बढ़ सकते हैं- और हमें बढ़ना ही चाहिये - जहां सभी के लिये आर्थिक स्थिति बेहतर हो। एक ऐसी स्थिति जहाँ दुनिया की आबादी का एक तिहाई हिस्सा तो आरामदेह जीवन जिये और बचे हुए दो-तिहाई लोग गरीबी और भूख से जूझते रहें, हमेशा चलने वाली नहीं है। इक्कीसवीं सदी ने जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हम सब को सौंपी है, वह अतीत की इसी अस्वीकार्य परंपरा को बदलने की है। हम सबको मिलकर इसे दूर करने के प्रयास करने चाहिये। इसीलिये मैं विकास के बारे में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का प्रस्ताव करता हूँ। और इस चर्चा का आयोजन नई दिल्ली में हो तो हमें खुशी होगी।

इस कांग्रेस में, आपने कई बार एशिया के भविष्य के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। क्या वह एशिया ऐसा होगा जो अपने साथ शान्ति से रह सके? या वह एक ऐसा महाद्वीप होगा, जहां विभिन्न देश अपनी सीमाओं का पुनर्निर्धारण और अपने दावों—ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक—का निपटारा बलप्रयोग से करने की कोशिशों में लगे होंगे?

हम ऐसा एशिया चाहते हैं, जहां ताकत से स्थिरता और सुरक्षा को खतरा न हो। हम नहीं चाहते कि कुछ लोगों का इतना प्रभुत्व हो जाये वह दूसरों की जगह हड़प लें। हमें एक ऐसा एशिया बनाना है, जहां विभिन्न देशों के परस्पर किये गये दावों के स्थान पर आपसी सहयोग पर बल दिया जाये।

यदि हम ऐसे आदर्शों के अनुरुप एशिया चाहते हैं—एक लोकतांत्रिक, समृद्ध, सहिष्णु, बहुविध, और सुस्थिर एशिया—यदि हम ऐसा एशिया चाहते हैं, जहाँ हमारे महत्त्वपूर्ण हित सुरक्षित हों, तो आवश्यक है कि हम पुरानी मान्यताओं की फिर से समीक्षा करें।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि भारत और अमरीका, और अधिक सहयोग करें। आने वाले वर्षों में, एशिया के सभी प्रमुख सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के चौराहे पर खड़ा, एक सुदृढ़, लोकतांत्रिक तथा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध भारत, इस क्षेत्र की स्थिरता के लिये अपरिहार्य होगा।

शान्ति और स्थिरता के लिये हमारे सहयोग के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि हम अपने सहयोग के सिद्धान्तों को परिभाषित करें। हमें एक-दूसरे की चिंताओं

को समझने और उनका सम्मान करने के लिये भी तैयार रहना होगा। हमें एक-दूसरे में इतना विश्वास रखना होगा कि हम एक-दूसरे के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी ज़िम्मेदारी और अपनी भूमिका को स्वीकार करें।

सुरक्षा के मुद्दों ने हमारे संबंधों को प्रभावित किया है। मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक है। हमारे बीच बहुत कुछ साझा है और हमारे हितों के बीच कोई टकराव नहीं है। हम दोनों ही अंततः परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। हम दोनों ही ने स्वेच्छा से परमाणु परीक्षण रोक देने की घोषणा की है। भारत आपकी चिन्ताओं को समझता है। आपके अप्रसार के प्रयासों को निष्फल करने की हमारी मंशा नहीं है। हम चाहते हैं कि आप भी हमारी सुरक्षा चिंताओं को समझें।

हम इस समय अपने संबंधों के ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। नये संबंधों की आधारशिला रखने के अपने संयुक्त प्रयास के साथ हमें अपने इस साझा लोकतांत्रिक देश, एक-दूसरे के मित्र, साझेदार और सहयोगी हो सकते हैं।

हाल के वर्षों में, सभी अच्छे-बुरे क्षणों में हमने पहले से कहीं ज्यादा आपस में बातचीत की है। इस बातचीत के लिये मैं राष्ट्रपति क्लिंटन के नेतृत्व और दूरदृष्टि को धन्यवाद देता हूं। साथ ही, इस प्रक्रिया को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिये मैं इस सदन का भी आभारी हूं।

जब हम खुले दिल से बातचीत करते हैं, तो नई संभावनाओं और सहयोग की नई दिशाओं के द्वार भी खुलते हैं-लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में, आतंकवाद का मुकाबला करने में, ऊर्जा और पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति की रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग किया जा सकता है। हम यह भी देख रहे हैं कि हमारे समान जीवन-मूल्य और समान हित, हमें संयुक्त प्रयासों की स्वाभाविक साझेदारी के लिये प्रेरित कर रहे हैं।

भारत और अमरीका ने अतीत से आगे एक निश्चित कदम बढ़ाया है। नई शताब्दी का प्रभात हमारे संबंधों में भी एक नई शुरूआत लाया है। आइये हम आज की आशा और संभावना को पूरा करने में जुट जायें। हम अपने और अपने साझे स्वप्न के बीच पड़े अनिश्चय के परदे को हटा दें। हमारे जो कुछ समान है, उससे बल पाकर हम अपने और अपने इस विश्व के लिये सुनहरे भविष्य का निर्माण करें।

भारत-अमरीका संबंधों के प्रति अटूट निष्ठा

आप लोगों में से कुछ के साथ अपनी दोस्ती फिर से कायम करने, कुछ के साथ सम्पर्क स्थापित करने और अब सब से बातचीत शुरू करने के लिए आज यहां उपस्थित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

जहां तक तमाम दुनिया के साथ सम्पर्क का सवाल है, आपकी समिति औरों से अच्छी स्थिति में है। आपकी ही तरह मेरा संबंध भी संसद से है और इस नाते मुझे इस बात का अहसास है कि सरकार के विदेश नीति संबंधी कदमों को आम जनता का जोरदार समर्थन और सहयोग मिलना चाहिए। आप ही जनता की ऊर्जा, उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति के माध्यम हैं।

जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि गठजोड़, सत्ता की राजनीति, संघर्ष और बदलाव वाली दुनिया को नैतिकता, सिद्धांतों और आदर्शों का बल प्रदान करते हैं, यह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि सरकारी खजाने की चाभियों पर भी आपका नियंत्रण है। 'प्रतिनिधत्व नहीं तो कर नहीं' का सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है जितना जन प्रतिनिधियों की स्वीकृति के बिना कोई खर्च न करने का सिद्धांत।

समिति के सदस्य गण! मैं भारत-अमरीका संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रति आपके निष्ठापूर्ण योगदान की सराहना करता हूं। विभिन्न प्रशासनों और विभिन्न अवधियों के दौरान आपने भारत-अमरीका संबंधों को निरंतरता प्रदान की है जिससे उनके बारे में पूर्वानुमान लगाना हुआ है।

आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनके सुदृढ नैतिक आयाम हैं। अफगानिस्तान एक ऐसे देश का दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है जिसे बाहर के लोगों ने अराजकता के दौर में ढकेल दिया है। अफगानिस्तान विश्व में आतंकवाद, मादक पदार्थों और मध्ययुगीन धर्मान्धिता के ऐसे सबसे बड़े सरगना के रूप में उभर कर सामने आया है जो तमाम सभ्य समाजों के लिए एक चुनौती है। एक पड़ोसी के नाते भारत की चिंता स्वाभाविक है। दुनिया के प्रमुख लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत और अमरीका को अफगानिस्तान में व्यापक आधार वाली सरकार बहाल करने के प्रयासों की अगुवाई करनी चाहिए।

अमरीकी कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति की बैठक में दिया गया भाषण, वाशिंगटन, 14 सितंबर 2000

हमें इस बात का खेद है हम भारत के लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हैं, हमारे पश्चिम का इलाका इस आपराधिक हरकतों का केन्द्र बन गया है। यह केवल भारत की लड़ाई नहीं है, बल्कि आपकी भी लड़ाई है। अनुभवों से यह बात सिद्ध हो गयी है कि घृणा से प्रेरित होकर जिस तरह नई दिल्ली में बम विस्फोट किये जा सकते हैं, उसी आसानी से न्यूयॉर्क या मास्को में भी ऐसे धमाके हो सकते हैं। हमें ऐसे खतरों को स्वीकार नहीं करना चाहिए बल्कि इनसे निपटने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए।

फिजी में जो कुछ हुआ वह निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटने का आपराधिक षड्यंत्र मात्र नहीं था, बल्कि नस्लवाद को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश भी थी। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ऐसी प्रवृतियों से पूरी-की-पूरी नस्ल के सफाये और संघर्ष को बढ़ावा मिल सकता है।

मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अमरीका के साथ कंधे-से कंधा मिलाकर कार्य करेगा। हमारी परमाणु नीति पारदर्शी और संयमित है। हमने परमाणु हथियारों के परीक्षण पर अपनी तरफ से रोक लगायी है और इनके इस्तेमाल की पहल न करने की नीति पर चल रहे हैं। आइये हम दुनिया को व्यापक जन संहार के तमाम हथियारों से मुक्त.कराने के लिए मिलजुलकर प्रयास करते रहें।

आर्थिक सुधारों की दिशा में जोरदार पहल

राष्ट्रपति महोदय, मेरा और मेरे शिष्टमंडल का इस गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थोड़ी ही देर पहले हमारी बैठक में हमने कुछ काम निपटाया है। इस साल मार्च में आपकी बड़ी सफल भारत यात्रा के बाद से हमने कई बार बातचीत की है और वार्ता की रूपरेखा के अनुसार मंच स्थापित किए हैं। मुझे खुशी है कि इन मंचों ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। नजदीकी रिश्ते और मजबूत साझेदारी कायम करने को वचनबद्ध हैं। भारत में आर्थिक सुधार जारी रहेंगे। इस दिशा में जोरदार पहल की गई है। मुझे भरोसा है कि इससे भारत में अमरीकी

राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता में भाषण, वाशिंगटन, 15 सितंबर 2000

लिए व्यापक अवसर उत्पन्न होंगे। राष्ट्रपति महोदय हमें दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और बढ़ाने की जबरदस्त सम्भावनाएं और अवसर नजर आते हैं।

मगर हमें अपने आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों में आने वाली अड़चनों को दूर करना चाहिए। भारत को संवेदनशील टेक्नोलाजी की सप्लाई के बारे में अमरीका ने निर्यात संबंधी जो पाबंदियां लगा रखी हैं उनकी वजह से हम दोनों देश उच्च टेक्नोलाजी के व्यापार की क्षमता का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। भारत में यह एक भावनात्मक मुद्दा बन गया है। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

राष्ट्रपति महोदय भारत को ऊर्जा की बड़ी भारी जरूरत है। हमारी अर्थव्यवस्था का ज्यों-ज्यों विस्तार हो रहा है, हम दुनिया में ऊर्जा की सबसे अधिक खपत करने वाले देशों में से एक होने जा रहे हैं। साफ-सुथरी ऊर्जा टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा के उपयोग में किफायत जैसे क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर कार्य कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में मुझे आपका पूरा सहयोग मिलेगा।

ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ-साथ हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए भी पूरी तरह जागरूक हैं। देश में उपलब्ध कोयले पर हमारी निर्भरता बनी रहेगी।

व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ विचारों का आदान-प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वाशिंगटन, 15 सितंबर 2000

क्या हम कोयले के उपयोग को और साफ सुथरा तथा अधिक किफायती नहीं बना सकते।

राष्ट्रपति महोदय, धरती की जलवायु में परिवर्तन के मुद्दे पर आपकी वचनबद्धता से हम परिचित हैं, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मसले को सुलझाने में हम आपके साथ कार्य करने को तैयार हैं।

वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग का भारत और अमरीका का बड़ा शानदार इतिहास रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंच स्थापित कर दिया है। मुझे आशा है कि असंवेदनशील क्षेत्रों में अमरीका से भारत को उच्च टेक्नोलाजी के निर्यात में भी प्रगति हो सकती है। टेक्नोलॉजी पर पाबंदी हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। हमारे वैज्ञानिकों और अनुसंधान व तकनीकी संगठनों के बीच आदान-प्रदान से दोनों पक्षों के हित सधेंगे।

प्रतिबंधित संगठनों की सूची से कुछ भारतीय संगठनों को हटाने के लिए उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। अगर बाकी प्रतिबंध भी हल किए जाते हैं तो इससे हमें बड़ी मदद मिलेगी।

राष्ट्रपति महोदय, श्री जीन स्पर्लिंग को पिछले महीने भारत भेजने के लिए मैं आपका आभारी हूं। इस यात्रा के दौरान बाल श्रम तथा कई अन्य मुद्दे संतोषजनक तरीके से सुलझा लिए गए।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में हमारा बहुत कुछ दांव पर है। हमारे सुरक्षा संबंधी सरोकार दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं हैं। एशिया के किसी भी भाग में होने वाली घटनाओं का हमारी सुरक्षा पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। भारत की स्थिरता, खुशहाली और एकता एशिया के भावी घटनाक्रम पर जबरदस्त असर डाल सकती है और हम इस बात को समझते हैं कि सुरक्षा माहौल की वजह से हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं।

हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा किसी देश के खिलाफ आक्रामक इरादा नहीं है। भू-सामरिक संदर्भ में हमें अमरीका और भारत के हितों में बढ़ती समानता नज़र आती है। भारत और अमरीका को एक ऐसे एशिया के लिए घनिष्ठ सहयोग के साथ कार्य करना चाहिए जिसमें हमारे अपने-अपने महत्वपूर्ण हित सुरक्षित रहें। इसी संदर्भ में हम एशियाई सुरक्षा वार्ता का पूरा स्वागत करते हैं।

राष्ट्रपति महोदय, हमें विश्वास है कि आपको हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताओं की समझ है। हमें आशा है कि आपकी नीतियों से भारत के आर्थिक, वैज्ञानिक और

तकनीकी विकास पर किसी तरह की अड़चन या कमज़ोरी नहीं आयेगी, बल्कि इससे सहायता ही मिलेगी। जहां तक हमारा सवाल है, हम आपके सरोकारों का ख्याल रखने को तैयार हैं। मुझे विश्वास है कि हम अपने बढ़ते हुए संबंधों के दायरे को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करने में कामयाब होंगे। द्विपक्षीय गतिविधियों के समूचे दायरे में से हमें अधिक, घनिष्ठ संबंध कायम करने का कोई रास्ता निकालना होगा।

हमें आशा है कि हम अमरीका के साथ रक्षा सहयोग की तमाम संभावनाओं का पता लगाने में भी कामयाब होंगे।

राष्ट्रपति महोदय, अंत में मैं अमरीका को तीव्र आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए आपके नेतृत्व की सराहना करता हूं। मुझे इस बात का अहसास है कि आपने बार-बार अर्थशास्त्रियों को गलत साबित किया है। अगर अब भी वे शिकायत कर रहे हैं तो यह मेरे लिए हैरानी की बात होगी।

राष्ट्रपति महोदय! एक बार फिर मैं आपके आतिथ्य और उद्देश्यपूर्ण वार्ता के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इसी सप्ताह बाद में रात्रिभोज पर आपसे तथा श्रीमती क्लिंटन से फिर मुलाकात की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

भारत-अमरीका संबंधों का नया दौर

अमरिका में इस हार्दिक स्वागत के लिए मैं भारतीय शिष्टमंडल की ओर से आभार व्यक्त करता हूं।

उपराष्ट्रपति महोदय, मैं आज के उदार आतिथ्य के लिए आपको भी धन्यवाद देता हूं। अपने कार्यालय की जिम्मेदारियों और चुनाव अभियान की व्यस्तताओं के बावजूद आपने यह सब किया।

पांच दशक पहले जब हमने स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम बढ़ाया तो राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने अपने बधाई संदेश में लिखा था : ''मेरी हार्दिक आकांक्षा है कि अतीत की तरह भविष्य में भी हमारी मित्रता अंतर्राष्ट्रीय अनुष्ठानों में घनिष्ठ और सार्थक सहयोग तथा एक दूसरे के साथ सद्भावपूर्ण संबंधों के रूप में अभिव्यक्त हैं।''

अमरीकी उपराष्ट्रपति श्री अलगोर द्वारा आयोजित भोज के अवसर पर भाषण, वाशिंगटन, 15 सितम्बर 2000

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अक्तूबर 1949 में कहा था: ''भारत और अमरीका एक दूसरे को अच्छी तरह जानें और आपसी सहयोग बढ़ाएं यह आवश्यक ही नहीं, बल्कि वांछित और शायद अवश्यम्भावी भी है।''

इस साल मार्च में राष्ट्रपति क्लिंटन और मैंने 21वीं शताब्दी में विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच घनिष्ठ तथा गुणात्मक दृष्टि से नये संबंधों की रूपरेखा तैयार की थी, आज सुबह हम दोनों ने उसी की फिर से पुष्टि की।

हमारे संबंधों की नींव उन बहुत से मूल्यों पर खड़ी है जिन पर दोनों ही देश विश्वास करते हैं, हमारी कई साझा आकांक्षाओं से यह बुनियाद और सुदृढ़ हुई है। पिछले कुछ दिनों में और कल कैपिटल हिल में मुझे अहसास हुआ है कि यह नींव दोनों देशों के लोगों के व्यापक सहयोग पर टिकी है।

आज भारतीय और अमरीकी ऐसे नये-नये अविष्कार कर रहे हैं और ऐसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों का पता लगा रहे हैं जिससे सम्पत्ति के निर्माण की प्रक्रिया और विश्व आर्थिक संबंधों का बेहतर तरीके से निर्धारण हो सकेगा।

यह हमारी साझा जिम्मेदारी है कि हम ऐसे माहौल को बनाने में नेतृत्व और दूर दृष्टि का परिचय दें जिसमें डिजिटल दुनिया में यानी सूचना टेक्नोलाजी के क्षेत्र में भारतीयों और अमरीकियों के स्वाभाविक कौशल व प्रतिभा को फलने-फूलने और खुशहाल होने का मौका मिले।

यह केवल हमारे आर्थिक भविष्य के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि इससे भूख, बीमारी, निरक्षरता और प्रदूषण से निपटने के नये तौर-तरीकों का पता लगाने में भी मदद मिलती है। दोनों देशों भारत और अमरीका में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध ओर मजबूत साझेदारी के लिए अपने संसाधनों, ऊर्जा विशेषज्ञता, अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता का उपयोग कर रहे हैं।

भारत-अमरीका संबंधों में हम जो व्यापक बदलाव देख रहे हैं, वह कई मायनों में उन्हीं के प्रयासों और दूरदर्शिता का परिणाम है। इस प्रक्रिया में भारतीय-अमरीकी समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह दोनों देशों के नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग दें तथा इसे सुदृढ़ करें। उपराष्ट्रपति महोदय! संबंधों को सुदृढ़ करने में आपके योगदान के लिए मैं आपका आभारी हूं।

भारत में व्यापार के नये अवसर

नेशनल एसोसिएशन आफ मेन्युफेक्चरर्स तथा भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित इस समारोह में भाग लेते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। उद्योग जगत से मेरी बातचीत न्यूयॉर्क में शुरू हुई। कारोबार के लिये यह औचित्यपूर्ण रहेगा कि इसका समापन वाशिंगटन में हो। यह मेरी अमरीका यात्रा के अंत में हो रहा है। यह बातचीत मुझे विश्वास दिलाती है कि भारत और अमरीका के बीच आर्थिक साझेदारी की भारी गुंजाइश है। इस वर्ष मार्च में नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्री क्लिंटन और मैंने भारत-अमरीका संबंधों पर भविष्य की झांकी प्रस्तुत करने वाले एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये थे। उस वक्तव्य ने हमारे संबंधों की पूर्ण संभावनाओं को साकार करने हेतु भारत और अमरीका के लिये एक नई शुरुआत करने का वचन दिया था। मैं यहाँ इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने आया हूं। हमारी साझेदारी की पूर्ण संभावनाओं को साकार करने के लिये अवसरों की खोज में आया हूं। आज जारी किया गया संयुक्त वक्तव्य इसे संबल प्रदान करता है। यह दोनों देशों के बीच छह महीनों की थोड़ी सी अवधि में ही हुई महत्त्वपूर्ण प्रगति को प्रतिबिम्बित करता है।

आर्थिक एवं व्यावसायिक सहयोग हमारे संबंधों का विवेचित स्तंभ है। देशों के बीच व्यवसाय केवल बाजार साझेदारी और अतिरिक्त राशि ही नहीं है। यह पारस्परिकता से प्रेरित होता है, साझेदारी द्वारा विकसित होता है और विश्वास के जरिये साकार होता है। सम्पूर्ण वाणिज्य मानवीय सुख-साधनों को बढ़ाने की कोशिश है। सम्पूर्ण निवेश मानवीय सुख-शांति को उन्नत करने का एक निवेश है। सम्पूर्ण विकास जीवन के स्वरूप को सुधारने के बारे में है। भारत और अमरीका दोनों के लिये किसी भी विकास प्रक्रिया के लिये यही स्वप्न है। प्रतिष्ठित व्यवसायीगण, आपका इस साझे स्वप्न को साकार करने का एक महान् आह्वान है। अमरीका की निरंतर उन्नति एक चमत्कार ही है। आपके आर्थिक कार्य प्रदर्शन ने विश्व भर में प्रशंसा अर्जित की है। इसने भारत को भी उत्प्रेरित किया है। हमें संतोष है कि भारतीय-अमरीकियों ने आपकी आर्थिक सफलता में एक महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी में उनकी महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां ''नई अर्थव्यवस्था'' का एक उज्ज्वल अध्याय है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहानी अमरीकी अर्थव्यवस्था के सितारों की तरह चमकीले प्रदर्शन से कम प्रसिद्ध है। सकल घरेलू उत्पाद की औसतन 6.5 प्रतिशत

भारत-अमरीका व्यापारिक शिखर सम्मेलन में भाषण, वाशिंगटन, 15 सितम्बर 2000

प्रतिवर्ष वृद्धि पर, भारत नब्बे के दशक में विश्व की दस तीव्रतम वृद्धि कर रही अर्थव्यवस्थाओं में रहा है। जो दशक हाल ही में आरंभ हुआ है उसमें हम और भी बेहतर करना चाहते हैं। अगले दस वर्षों में प्रतिव्यक्ति आय को दुगना करने की हमने प्रतिज्ञा की है। इसका अर्थ है करीब 9 प्रतिशत की वृद्धि दर। यद्यपि यह एक कठिन चुनौती है, भारत इसे प्राप्त कर सकता है। भारत इसे प्राप्त कर लेगा।

अपने विकास के अंतिम दशकों में, हमने एक सुदृढ़ और समुत्थानशील भारत का निर्माण किया है। किन्तु हमने भविष्य के लिये सबक भी सीखें हैं। आर्थिक वृद्धि के लिये राज्य और निजी क्षेत्र की अपनी-अपनी भूमिकाओं के बारे में हमने पुनर्विचार किया है। परिवर्तन का पहला विषय था निजी माल और सेवायें मुहैया कराने के लिये अपने संसाधनों को सार्वजनिक माल मुहैया कराने से सरकार को मुक्त करना। इसमें व्यापक वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक तथा संस्थागत प्रबंध शामिल थे। यद्यपि, महत्त्वपूर्ण प्रगति की जा चुकी है, काफी काम करना अभी बाकी रह गया है। दूसरा है - एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जहां निजी उपक्रमण फले-फूले और जहां उद्यमिता तथा अभिनव परिवर्तन पुरस्कृत हों। यही कारण है कि हम प्रगतिशील उदारीकरण के द्वारा घरेलू और विदेशी दोनों-व्यावसायिक अवसरों का विस्तार कर रहे हैं। नियम, कार्यप्रणालियां और नीतियां जो निजी उपक्रमण में बाधा डालती हैं उन्हें बदला या पुनर्पारित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में सुधारों ने अर्थव्यवस्था, उद्योग संरचना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी मुद्रा बाजार वित्तीय प्रणाली और कराधान के अधिकतर क्षेत्रों को स्पर्श किया है।

हमारे महत्त्वपूर्ण उपक्रमणों में से कुछ को मैं गिनाना चाहता हूं। 13,000 कि.मी. लंबे सुधारे गये और विस्तारित राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की एक परियोजना को हम 2007 तक पूरा कर लेंगे। चार प्रमुख महानगरों को शामिल करता हुआ 7,000 कि.मी. का पहला खण्ड 2003 में पूरा हो जायेगा। 500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सारे मौसमों को सहने लायक सड़कों से जोड़ने के लिये ग्रामीण सड़कों को आपस में जोड़ने का एक प्रभावशाली कार्यक्रम 2007 तक पूरा कर लिया जायेगा। 2003 तक 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को जोड़ने के लिये एक त्वरित कार्यक्रम की परख की जा रही है।

दूरसंचार के क्षेत्र में विनियमन न्यूनाधिक रूप से पूरा हो गया है।

- हमने राष्ट्रीय लंबी दूरी, बेसिक टेलीफोनी और समुद्र के भीतर ऑप्टीकल केबल का पूर्णतया उदारीकरण कर दिया है।

- कितने श्रेष्ठ तरीके से सेल्यूलर टेलीफोनी का पूरी तरह विनियमन किया जाये, इस पर हम विचार कर रहे हैं।
- 2002 के करीब वी एस एन एल का एकाधिकार समाप्त हो जायेगा।
- नया दूरसंचार अभिसरण विधेयक लाया जाने वाला है।

हमारी इंटरनेट नीति विश्व में कहीं पर भी अत्यन्त आकर्षक होगी। अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति में सहायक बनने के लिये हम मानव संसाधन विकास पर जोर दे रहे हैं। अगले दो या तीन वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की संख्या प्रभावशाली तरीके से बढ़ाने का हमारा इरादा है। सफल भारतीय-अमरीकियों के एक समूह ने यूनिवर्सिटी ऑफ केलिफोर्निया, बर्कले के सहयोग से भारत में एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्व संस्थान स्थापित करने में जो पहल की है उसके लिये मैं सराहना करता हूं।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार जारी रखे जा रहे हैं। निष्क्रिय परिसंपत्तियों को कम करने के उपाय किये जा रहे हैं।

- बीमा क्षेत्र को हमने खोल दिया है। बीमा नियमन प्राधिकरण ने मुझे सूचित किया है कि निजी लायसेन्सों का पहला बैच इस वर्ष एक अक्तूबर को जारी कर दिया जायेगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक भारत में विदेशी निजी बैंकों के और अधिक विस्तार पर विचार करने के लिये तैयार है।
- हमारी कर दरें मामूली हैं और विश्व में कहीं भी आपकी जो अच्छी दरें हैं उनसे इनकी तुलना की जाती है। हम स्वीकार करते हैं कि आगे और भी कर सुधार आवश्यक हैं। अतः हमने करों में और भी सुधार, उससे भी अधिक कर प्रशासन में सुधार के लिये मार्गदर्शक रूपरेखा बनाने हेतु एक कर सुधार आयोग गठित करने का निर्णय लिया है।
- संयुक्त वक्तव्य में हमने दोहरा कर संधि में किंचित् परिवर्तन करने का निर्णय किया है ताकि दोनों तरफ मौजूद कर के अड़चनों में से कुछ को आपसी आधार पर समाप्त किया जा सके।

एक नई नागरिक विमानन नीति आने वाली है। यह भारत को एक आसान गंतव्यस्थल बनाने के सिद्धांत पर आधारित होगी। स्लॉट हिस्सेदारी में व्यापार से मुक्त मात्र एक द्विपक्षीय विचार से यह संचालित नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि यह

अमरीकी तथा अन्य विदेशी विमान कंपनियों को भारत में अधिक उड़ानें और व्यापार लाने का अधिकार देगी। एअर इंडिया में सरकार की होल्डिंग का विनिवेश काफी प्रगति पर है। पंद्रह दिनों के अन्दर आवश्यक विज्ञापन जारी कर दिया जायेगा। हमारे पांच प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों को दीर्घावधि पट्टे पर देने के लिये माइलस्टोन निर्धारित कर लिये गये हैं।

बंदरगाहों का निगमीकरण और बंदरगाह निर्माण में निजी भागीदारी को उत्साहपूर्ण प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमें बिजली क्षेत्र में भारी निवेश की जरूरत है। इस गंभीर क्षेत्र में, केन्द्र तथा राज्य दोनों में सुधारों को हम तेज करेंगे। हमारे पास अब एक नियंत्रक ढांचा है जो शुल्कों के निर्धारण का अराजनीतिकरण करता है। 14 राज्य सरकारों ने इसका अनुकरण किया है। वित्तीय संस्थानों ने वैकल्पिक प्रबंध कर लिये हैं जो उन्हें अधिक आसानी से कर्ज देने योग्य बनायेंगे। कल हमने करीब 7 बिलियन डालर वाली चार बड़ी बिजली परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किये हैं। अगले कुछ महीनों में ऐसी बहुत सी बिजली परियोजनायें जो क़ई वर्षों से पड़ी थीं उसकी वित्तीय खाताबंदी कर दी जायेंगी।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर हमारी नीति यह है कि अपने वातावरण को अधिक अनुकूल और प्रतियोगी बनाया जाये। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिये अनुमोदन प्रक्रिया न्यूनाधिक अधिकतर प्रकार के निवेशों के लिये स्वतः स्वीकृत है। पिछले हफ्ते भी हमने कुछ क्षेत्रों के विषय में क्षेत्रीय पाबंदियायों को काफी ढीले कर दिये हैं। हम विश्वास करते हैं कि आवश्यक वृद्धि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये भारत को पूंजी और प्रौद्योगिकी के भारी प्रवाह की आवश्यकता है। हमारी नीति का दबाव स्वतः स्वीकृति, पारदर्शिता, सरलता, शीघ्रता, और सीमा-शर्तो को हटाने पर होगा।

एक बड़ी संख्या में सार्वजनिक निगमों और चुनिंदा जनोपयोगी वस्तुओं का विनिवेश और निजीकरण कार्यक्रम पूरी गति से आगे बढ़ रहा है। केवल एक सप्ताह पहले, हमने सुनिश्चित लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया है जो निजीकरण कार्यक्रम को बहुत-सी बड़ी औद्योगिक कंपनियों को शामिल करने का अधिकार देंगे। ऐसी बहुत सी समस्याएँ हैं जिनका निराकरण करना है। वित्तीय औचित्य से संबंधित मुद्दे हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिये दृढ़ संकल्प हैं कि सुधार सामान्य जन को लाभ पहुंचाये। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना, आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक मामले का निराकरण के लिये भी हम कृतसंकल्प हैं। ये भारत में उन्नति के सामाजिक आधार को और भी आगे विस्तारित करेंगे।

कार्पोरेट अमरीका ने घरेलू आर्थिक विस्तार के एक रिकार्ड, नवें वर्ष का प्रतिफल प्राप्त किया है। आज मैं आपको, अमरीकी उद्योग के कैप्टनों को भारत द्वारा पेश किये गये बहुत-से नये अवसरों को हाथों में ले लेने का निमंत्रण देता हूं। आपके चयन के लिये विविध क्षेत्र हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चरिंग से लेकर मेन्युफेक्चरिंग और वित्तीय सेवाओं से लेकर ज्ञान-आधारित उद्यम तक ये फैले हैं, आइये हम एक नई आर्थिक साझेदारी बनायें, परस्पर लाभ प्राप्त करने की एक सामान्य इच्छा से संबधित एक साझेदारी। मैं इस अमरीका-भारत व्यापार शिखर बैठक के व्यापार से व्यापार संबंधों के एक नये युग की घोषणा करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक युग, जो वृद्धि, समृद्धि और वंचन से स्वतंत्रता लायेगा।

देवियो और सज्जनो, एक बेहतर कल के उस स्वप्न को आपसे बांटने के लिये आपको धन्यवाद।

भारत और रूस के बीच सामरिक महत्व की साझेदारी

राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। उनकी यह प्रथम राजकीय यात्रा भारत-रूस संबंधों की एक ऐतिहासिक घटना है। नई शताब्दी के आरंभ में यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भारी प्रेरणा प्रदान करती है।

राष्ट्रपति पुतिन ने एक नये रूस की भव्य कल्पना की है, और हम उनके तथा उनके देश के लिये शुभकामनायें व्यक्त करते हैं। एक पारंपरिक मित्र के रूप में हम रूस को एक सुदृढ़ तथा आत्मविश्वासपूर्ण राष्ट्र, बहुध्रुवीय विश्व का एक महत्वपूर्ण घटक देखना चाहते हैं।

राष्ट्रपति महोदय और मैंने भारत तथा रूसी संघ के बीच सामरिक महत्व की साझेदारी के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हमारे दोनों देशों के साझे लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को निर्देशिक करता है। हमारे दोनों देशों

रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादीमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भाषण, नई दिल्ली, 3 अक्तूबर 2000

को जो विश्व भूमिका निभानी है, और 21वीं शताब्दी के लिये एक बेहतर विश्व का निर्माण करना है, उसे हम पहचानते हैं। इस दस्तावेज की प्रतियां आपके पास हैं।

हमारे संबंधों के सभी प्रकारों पर हमने अत्यन्त अर्थपूर्ण और पर्याप्त चर्चा की है। परस्पर हितों एवं साझे बोध पर आधारिंत दृष्टिकोण की व्यापक समानता को ध्यान में रखते हुए हमने व्यापक प्रकार के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया है।

स्नेह, पारस्परिक सम्मान एवं मेल-मिलाप के पारंपरिक वातावरण में हमने ये चर्चायें की हैं।

वार्षिक शिखर बैठकों के महत्व पर हमने सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रपति पुतिन ने किसी पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर मुझे रूसी संघ की यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया है। मैंने उनके निमंत्रण को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है।

हमने ध्यान दिया कि द्विपक्षीय व्यापार का स्तर वास्तविक क्षमता के अनुरूप नहीं है। हमने हमारे व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को विस्तार देने और उनमें विविधता लाने वाले नए प्रयासों और अभिनव विचारों का सुझाव देने के अंत-सरकारी आयोग को निर्देश दिये हैं।

हमारी रक्षा संबंधी बातचीत के स्वरूप को और उन्नत करने के लिये सैन्य-प्रौद्योगिकीय सहयोग पर एक भारत-रूसी अंतर-सरकारी आयोग स्थापित करने के लिये हमने सहमति दे दी है। हमारी ओर से इसके अध्यक्ष रक्षामंत्री जार्ज फर्नांडीस होंगे और रूस की ओर से उप-प्रधानमंत्री क्लेबानोव इसके अध्यक्ष होंगे।

परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोगों के क्षेत्र में हमारा सहयोग संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है।

वर्तमान भूमंडलीय यथार्थताओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रतिनिधित्व वाली बनाने और इसकी प्रभावकारिता बढ़ाने के लिये इसके प्रस्तावित विस्तार पर हमने चर्चा की है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिये भारत की उम्मीदवारी को रूस के सम्पूर्ण समर्थन का हम स्वागत करते हैं।

नई शताब्दी में मानवजाति के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां हैं वे हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, धार्मिक चरमपंथ, नशीला दवाओं का अवैध व्यापार और पार-राष्ट्रीय अपराध।

हमें 1994 के अनेकत्ववादी राज्यों के हितों की रक्षा करने की मास्को घोषणा का स्मरण है जहां भारत और रूसी संघ ने विधि द्वारा संस्थापित तथा अपने-अपने से सुरक्षित एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता के लिये अपना समर्थन दोहराया था। राष्ट्रीय नीति के एक हथियार के रूप में आतंकवाद के प्रयोग की हम निंदा करते हैं।

मैं राष्ट्रपति पुतिन तथा उनके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के भारत में सुखद एवं स्मरणीय प्रयास की कामना करता हूं।

भारत-रूस संबंधों में एक नया अध्याय

मैं राष्ट्रपति पुतिन को उनके प्रेरणादायक तथा विचारोत्तेजक भाषण के लिए बधाई देना चाहूंगा। 21वीं शताब्दी में जब हम अपनी सामरिक महत्व की साझेदारी बनाने जा रहे हैं, इन विचारों को हमें निर्देशित करना चाहिए। यह निस्संदेह हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रपति पुतिन आज हमारे बीच हैं।

दोब्रो पोझलवत! ढाई शताब्दी पहले पीटर महान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करने भारत भेजे गए अपने विशेष दूत वाइस एडमिरल डी विल्स्टर से कहा था, ''दोनों पक्षों के बीच फलदायक व्यावसायिक संबंध बनाने के लिए कठोर प्रयास करो।''

श्रीमान, आप पीटर महान की विरासत के उत्तराधिकारी हैं और उस नगर से हैं जो उनकी स्मृति का सम्मान करता है। यह वह शहर है, जिसने द्वितीय महायुद्ध के दौरान 900 दिनों की घेराबंदी का सामना किया और विश्व को साहस तथा धैर्य का पाठ पढाया—जो एक ऐसा गुण है, जिसके लिए रूसी लोग ठीक ही प्रसिद्ध हैं।

मुझे विश्वास है कि भारत की आपकी प्रथम यात्रा भारत-रूस संबंधों में एक नए अध्याय की शुरूआत करेगी।

आपमें हमें भारत का एक अच्छा मित्र दिखाई देता है और हम आपका अत्यधिक सम्मान करते हैं। जैसा कि पीटर महान के शब्द दर्शाते हैं, हमारे संबंध सदियों पुराने हैं। टाल्सटॉय और दोस्तोवस्की ने भारतीय पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। इसी प्रकार से

रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादीमीर पुतिन की यात्रा के दौरान संसद के विशेष संयुक्त अधिवेशन में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 4 अक्तूबर 2000

मुंशी प्रेमचंद की गद्य रचनाओं तथा राजकपूर के सिनेमा कौशल के रूस में प्रतिबद्ध अनुयायी हैं।

जिस समय हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विरासत का निर्माण करना है और उसे एक नया अर्थ प्रदान करना है।

हम सामान्य चिंताओं और सामान्य हितों में सहभागी हैं। विगत पांच शताब्दियों का इतिहास सिद्ध करता है कि एशिया तथा विश्व में शांति तथा स्थायित्व के लिए घनिष्ठ भारत-रूसी मेल-मिलाप आवश्यक है।

यही है, जो हमें सामरिक महत्व का सहभागी बनाता है। हमारी मित्रता अल्पावधि परिकलन पर आधारित नहीं, बल्कि इतिहास तथा राजनीति की उथल-पुथल को पार करती हुई आगे बढ़ी है।

इस वर्ष हम अपने गणतंत्र की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादीमीर पुतिन संसद के संयुक्त अधिवेशन में, नई दिल्ली, 4 अक्तूबर 2000

लोकतंत्र के सिद्धांतों में आस्था रखते हैं, जो आज मानव जाति और समाज की वृद्धि के लिए सार्वभौमिक आदर्श प्रदान करते हैं। हमारे लोकतांत्रिक ढांचे बहुलवाद, धर्म-निरपेक्षता और सहनशीलता के आधारभूत मूल्यों में बद्धमूल हैं।

राष्ट्रपति महोदय, अधिक समय नहीं हुआ, जब आपने समाज तथा राज्यों के बीच संबंधों को आकार देने में आदमी की भलाई की बात की थी। यही लोकतंत्र है : लोगों को अधिकार-संपन्न बनाना और उनकी रचनात्मक ऊर्जाओं को मुक्त करना।

भारत ने एक महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया है। वितरणशील न्याय सुनिश्चित करते हुए एक आधुनिक अर्थव्यवस्था निर्मित करने के प्रयासों में हमें कुछ सफलता प्राप्त हुई है।

अपने लोगों के कल्याण के साथ-साथ, अपने क्षेत्र तथा विश्व-भर में हम शांति और सुरक्षा चाहते हैं। हम पारस्परिक सम्मान और आचरण के सभ्यतापूर्ण मानदंडों के आधार पर अपने पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंध के इच्छुक रहे हैं। और, इस मार्ग पर आगे चलते रहने की हमारी इच्छा है। भारत ने सार्वभौम निरस्त्रीकरण के लिए सुसंगत रूप से प्रयास किए हैं और इस दिशा में किए जा रहे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में वह आगे रहा है।

हम परमाणु अस्त्रों से मुक्त विश्व के निर्माण के प्रति दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध रहेंगे।

हमारे क्षेत्र में परमाणु अस्त्रों और प्रक्षेपास्त्रों के भंडार में लगातार वृद्धि हमारे लिए चिंता का विषय रहा है।

राष्ट्रपति महोदय, भारत तथा रूसी संघ के बीच सामरिक महत्व की साझेदारी के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करके हमने अपने संबंधों को एक औपचारिक रूप दे दिया है। यह घोषणा-पत्र हमारे सहयोग को और भी विकसित करने में हमारा मार्गदर्शन करेगा।

आपकी ऐतिहासिक भारत यात्रा इन बंधनों को और भी अधिक मजबूत करने में सहायक होगी।

यह महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत और रूसी संघ, दोनों समान विचार रखते हैं।

इन विषयों पर हमारे दृष्टिकोण परस्पर हितों और साझे बोध पर आधारित हैं। जिस समय हम एक नए विश्व वर्ग के विकास की ओर बढ़ रहे हैं जो बहु-ध्रुवीयता,

प्रभुसत्ता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान तथा अन्य लोगों के मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों पर आधारित है, मुझे विश्वास है कि भारत-रूसी संबंधों की शक्ति एक सार्वभौम वर्ग के निर्माण में सफल होगी जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और स्थायित्व को प्रोत्साहन देगी।

इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रणाली में सुधार अत्यावश्यक हैं। एक विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी को रूस के निरंतर समर्थन का हम स्वागत करते हैं।

इस क्षेत्र में एक दशक़ से भी अधिक समय से हमें जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें से एक है—अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का संकट, धार्मिक कट्टरपंथ, नशीली दवाओं का अवैध व्यापार और स्वापक-आतंकवाद तथा अलगाववाद।

ये खतरे कोई सीमाएं नहीं मानते और सबको प्रभावित करते हैं। आतंकवाद को राष्ट्र-नीति का एक हथियार नहीं बनने दिया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संगठित प्रयासों के जरिए इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए।

मैं इस अवसर पर महान रूसी संघ की जनता को अपना अभिवादन और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राष्ट्रपति महोदय, मैं एक नए रूस—एक स्थायी, लोकतांत्रिक और आत्मविश्वास से परिपूर्ण रूस के निर्माण में आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

भारतीय मूल के लोग—भारत के राजदूत

भारतीय मूल के लोगों के विश्वव्यापी संगठन के इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर आप सब से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप में से कई लोग इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बड़े दूर-दूर से आए हैं। एक तरह से यह आपके लिए अपने घर आने जैसा ही है। इस समय, भारतीय मूल के लगभग दो करोड़ लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। ऐसा शायद ही कोई देश हो, जहाँ भारतीय मूल के लोग न हों। वे दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं। लेकिन, इतनी

भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक संगठन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली, 6 जनवरी 2001

लंबी अवधि बीत जाने और मातृभूमि से बहुत दूर होने के बावजूद, मातृभूमि से उनका लगाव घटा नहीं है।

भारतीय सभ्यता की महान विरासत में आपका उत्तराधिकार भी उतना ही है जितना कि भारत में रह रहे आपके अन्य भाई-बहनों का। और हमें इस पर गर्व है कि दूसरे देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ-साथ आपने अपनी मूल सांस्कृतिक पहचान भी बनाए रखी है। हमें इस बात का भी गर्व है कि भारतीय मूल के लोग जिस किसी भी देश में रह रहे हों, उस देश के समाज, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति को उन्होंने समृद्ध किया है। विदेशों में भारतीय उद्यमियों की सफलता अत्यंत उल्लेखनीय है। चाहे उच्च प्रौद्योगिकी वाली चिप प्रयोगशालाएं हों या करी रेस्तरां, नामी अस्पताल हों या प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाएं, प्रख्यात अनुसंधान केंद्र हों या प्रबुद्ध लोगों की बात की जाए, आप पाएंगे कि भारतीयों ने अपने कौशल, निष्ठा और कड़ी मेहनत की बदौलत तमाम उलझनें पार कर अपनी जगह बनाई है।

जिन देशों में आप रह रहे हैं उन देशों के सामाजिक-आर्थिक विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपके कारण भारत के इतिहास, मौजूदा वास्तविकताओं

भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक संगठन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक स्मारिका का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, नई दिल्ली, 6 जनवरी 2001

और भविष्य की संभावनाओं को जानने में उन देशों की रुचि बढ़ी है। 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों की, औपनिवेशिक भूमि पर गन्ने की खेती और चाय बागानों में कड़े श्रम से लेकर, आज, 21वीं सदी में, भारतीय सॉफ्टवेयर समुदाय की महत्वपूर्ण उपलब्धि तक की यह गाथा भारतीयों की क्षमता और दुनिया की खुशहाली में उनके उल्लेखनीय योगदान का प्रमाण है।

भारतीय मूल के लोगों का योगदान उस देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। तमाम रुकावटों के बावजूद, भारतीय समुदाय ने अंगीकृत देशों की राजनीतिक प्रक्रिया में भी अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत के लोगों ने 20वीं सदी के प्रारंभ में अफ्रीका के राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की शुरूआत भी दक्षिण अफ्रीका से ही हुई थी। प्रजातीय असमानता तथा भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष में महात्मा गांधी का शामिल होना एक ऐसी घटना थी, जिसका न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका बल्कि भारत के इतिहास पर भी गहरा असर पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत के संघर्ष को विदेशों में रह रहे भारतीय समुदायों का खासा समर्थन मिला था। ब्रिटेन के ''इंडियन लीग'' और अमरीका की ''गदर पार्टी'' ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जा रहे संघर्ष के प्रति समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी ''इंडियन नेशनल आर्मी'' को दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के भारतीयों का भरपूर समर्थन मिला था।

विदेशों में रह रहे भारतीय लोगों ने अपने अंगीकृत देशों की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई है - न केवल भारतीय समुदाय के नेता के रूप में, बल्कि अन्य समुदायों के सर्वमान्य नेता के रूप में भी। मुझे याद है कि 1999 में डरबन में राष्ट्रमंडल देशों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें ऐसे पांच राष्ट्राध्यक्ष थे जो भारतीय मूल के थे।

किन्तु, हाल ही में, एक खेदजनक घटना भी हुई है। हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक तरीकों से निर्वाचित किसी सरकार का सत्तापलट किया गया और उसके बाद भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाया गया जिनमें से अधिकतर गरीब हैं। फिजी की घटना के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और वहां 1997 के संविधान के अनुसार संवैधानिक सरकार को पुनः हर हाल में बहाल करवाने में भारतीय समुदाय के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

भारतीय मूल के ऐसे लोगों से अक्सर मेरी मुलाकात होती रही है जो अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान के तौर पर, भारत के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के इच्छुक हैं ताकि मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम व स्नेह का बंधन और मजबूत हो।

आर्थिक उदारीकरण और बुनियादी सुधार के पिछले दशक के दौरान भारतीय मूल के लोगों और अप्रवासी भारतीयों के बहुमूल्य सहयोग और समर्थन से हमारा काफी उत्साहवर्द्धन हुआ है और एक नए भारत के निर्माण में मदद मिली है।

आज भारत कई क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी क्रांति के द्वार पर खड़ा है। ये वे क्षेत्र हैं जो 21वीं सदी की नई अर्थव्यवस्था के आधार होंगे, जैसे- सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, अंतरिक्ष तथा उर्जा। इनमें से अधिकतर क्षेत्रों में भारतीय समुदाय ने अंगीकृत देशों के विकास में उत्तम योगदान दिया है। वे इन क्षेत्रों में भारत में भी वैसा ही योगदान देकर कारगर भूमिका निभा सकते हैं। मसलन, हम 2010 तक भारत को ''नॉलेज सुपर पावर'' बनाना चाहते हैं। हम अपने इस स्वप्न को आपके सहयोग से साकार कर सकते हैं।

आप में से अधिकतर की सफलता का श्रेय उस स्तरीय शिक्षा को जाता है जो आपने सरकारी संस्थानों से हासिल की- चाहे वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हो या मेडिकल कॉलेज। यह आपका कर्तव्य है कि अब आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करें ताकि भारत में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास की गति में तेजी आए।

मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि हमारी अपेक्षा केवल निवेश या परिसंपत्ति हस्तांतरण की नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे संबंधों का दायरा इतना ज्यादा बढ़े कि भारत माता के सभी सपूत एक दूसरे के सहभागी बनें ताकि हमारा देश विश्व के अग्रगण्य देशों में शामिल हो सके। हम मानते हैं कि भारतीय मूल के लोग अघोषित राजदूत की तरह हैं जो शेष विश्व के साथ भारत को जोड़ने का जरिया हैं।

हमारी सरकार की नीति यह है कि विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय को अपनी सांस्कृतिक पहचान कायम रखने तथा उस भावनात्मक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक बंधन को मजबूत बनाने में सहयोग दिया जाए। जिनके कारण अपने मूल देश के प्रति उनका लगाव बना रहता है। हम विदेशों में रह रहे भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में हर संभव मदद देंगे। साथ ही, अंगीकृत देशों के प्रति उसी राजनीतिक प्रतिबद्धता को भी हम बढ़ावा देंगे।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, हमने भारतीय समुदायों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है जिसके अध्यक्ष एल. एम. सिंघवी हैं। यह समिति इस बात का अध्ययन करेगी कि विदेशों में रह रहे भारतीयों की भारत से क्या अपेक्षाएं हैं। समिति यह अध्ययन भी करेगी कि भारतीय मूल के लोग और अप्रवासी भारतीय, भारत के आर्थिक, सामाजिक और प्रौद्योगिकीय विकास में क्या भूमिका निभा सकते

हैं। समिति उस मौजूदा व्यवस्था की पड़ताल भी करेगी जो भारत में आपकी यात्रा तथा ठहराव और भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करने से संबंधित है। समिति आपकी समस्याओं के समाधान हेतु अपनी सिफारिशें देगी।

इतना ही नहीं, भारत और अंगीकृत देश- दोनों में लागू होने वाले सांविधिक उपबंधों, कानूनों तथा नियमों के संदर्भ में, भारतीय मूल के लोगों तथा अप्रवासी भारतीयों की स्थिति की समीक्षा का काम भी समिति को सौंपा गया है। भारत और भारतीय समुदाय के बीच सुदृढ़ व परस्पर लाभकारी संबंध विकसित करने की दिशा में, इसके दूरगामी असर होंगे।

प्राचीन भारतीय सभ्यता के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर पर नजर डालने से स्पष्ट होता है कि हमारे यहां सहिष्णुता, नए विचारों के प्रति खुलापन, प्राचीन विचारों के प्रति सम्मान, बौद्धिक खोज तथा अहिंसा की परम्परा रही है। भारतीय मूल के लोग तथा अप्रवासी भारतीय नई परम्परा के साथ प्राचीन परंपरा का सामंजस्य बिठाने के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं भारतीय मूल के विश्व संगठन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्‌घाटन करता हूँ।

इंडोनेशिया के साथ युगों पुराने संबंध

मुझे जकार्ता आकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है। आपने जिस हार्दिकता के साथ मेरा और मेरे प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया है उसने मेरे दिल को छू लिया है।

भारत की जनता भी आपके लिए उसी तरह की स्नेहपूर्ण भावनाएं व्यक्त करती है, जैसी आपने व्यक्त की हैं, मैं आपके लिए भारत की जतना की ओर से ईद की सौहार्दपूर्ण बधाई और सहस्त्राब्दी की हार्दिक शुभकामनाएं लाया हूं।

महामहिम, हमारे दोनों देश एक दूसरे के न केवल शाब्दिक अर्थ में बल्कि एक गहरे अर्थ में अत्यन्त समीप है। हमारी समुद्री सीमाएं एक दूसरे को छूती हैं हमारे निकोबार द्वीप से उतर सुमात्रा 100 किलोमीटर से कम दूर है। मिली जुली सभ्यता और संस्कृति के विकास के कारण हम एक अनुपम विरासत के अधिकारी हैं।

अपने सम्मान में आयोजित रात्रिभोज के अवसर पर भाषण, जकार्ता, 10 जनवरी 2001

पिछली आधी शताब्दी के दौरान जो चिन्ताएं विकासशील देशों की राजनीतिक चेतना पर हावी रही हैं, उनमें से अनेक में हम भागीदार रहे हैं। इंडोनेशिया की धरती पर ही 1955 की बांडुंग घोषणा की गई थी, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और जातिवाद के विरुद्ध विकासशील देशों की एकजुटता को प्रकट किया गया था। गुट निरपेक्ष आन्दोलन को बांडुग में बनी आम सहमति ने ही जन्म दिया। गुट निरपेक्ष आन्दोलन की प्रमुख सफलता इस बात में है कि इसने नव स्वतंत्र देशों की प्रभुसत्ता की रक्षा की।

विकासशील देशों का संघर्ष जारी रहना चाहिए और उसमें आर्थिक और सामाजिक विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरे महायुद्ध से प्रकट होने वाले प्रमुख राजनीतिक विरोधाभासों को बीसवीं शताब्दी ने हल कर दिया है। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति ने नई आर्थिक दुविधाओं को आगे कर दिया है।

गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं ने अभी भी हमारी बहुसंख्यक जनता को आर्थिक स्वतंत्रता से वंचित किया हुआ है। वैश्वीकरण और सूचना क्रान्ति ने राष्ट्रीय सीमाओं को समाप्त कर दिया है और तेजी से आर्थिक विकास के लिए आर्थिक उदारीकरण की शर्त सामने रखी है। विकासशील देशों के सामने इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अल्पावधि में होने वाली सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को कम से कम करना है। वैश्वीकरण प्रक्रिया को अधिक मानवीय स्वरूप प्रदान करने और उसकी गति को रहमदिल बनाने के लिए हमें अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

हमें अपनी जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी आपस में सहयोग करना चाहिए। धार्मिक उग्रवाद से जोर पकड़ने वाला और नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी से वित्त पोषित आतंकवाद, हमारे जैसे लोकतांत्रिक समाज के ढांचे को खतरा उत्पन्न करता है। आप और हम, दोनों अपने जातीय, धार्मिक, और भाषाई बहुविध समाज व्यवस्था पर गर्व करते हैं। हमें लगातार बाहरी हस्तक्षेप और विध्वंसक एवं पृथकतावादी शक्तियों का विरोध करना है, जो इस संतुलन को अस्तव्यस्त कर देना चाहते हैं। इंडोनेशिया की स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि हमारे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत ने सदैव इंडोनेशिया की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का समर्थन किया है और भविष्य में भी करता रहेगा।

महामहिम, हमने दिलचस्पी के साथ एशियाई पहचान की फिर से खोज करने की आपकी अपील को सुना है। हमने प्रशंसा के भाव के साथ इंडोनेशिया में लोकप्रिय लोकतंत्र को खिलते देखा है। राजनीतिक सुधारों और आर्थिक पुनर्गठन की प्रक्रिया अक्सर दुष्परिवर्तनीय संस्थाओं और विचारों की आदतों को, जिनकी उपयोगिता समाप्त

हो चुकी है, समाप्त करना आवश्यक समझती है। हम जैसा कि भारत में, आज भी देखते हैं, यह सदैव आसान नहीं है। आपने मेल-मिलाप पर जो जोर दिया है, उससे इंडोनेशिया की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है।

कथित 'एशियाई संकट' के बाद इंडोनेशिया ने अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से मूल स्थिति में लाने में जो शक्ति और लचीलापन दिखाया वह निस्सन्देह शानदार था। हम आपके प्रयासों की प्रशंसा करते हैं और आपको अपने सुधारों को लागू करने में पूरे समर्थन का विश्वास दिलाते हैं।

हमें पिछले वर्ष फरवरी में भारत में महामहिम का स्वागत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। आपकी यात्रा के दौरान हमने आपसी संबंधों को मजबूत बनाने और सहयोग की नई संभावनाएं तलाशने के उपायों पर विचार किया था। हम इस बारे में एकमत थे कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर नेताओं की नियमित यात्राओं से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में नई प्रेरणा मिलेगी। मेरी यात्रा इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। हम अपने परम्परागत मैत्री संबंधों को निरन्तर छोटी हो रही दुनिया और तकनीकी युग में लगातार प्रासंगिक भागीदारी में बदलने की आशा करते हैं।

मैं पहले ही कुछ राजनीतिक प्राथमिकताओं का संक्षेप में उल्लेख कर चुका हूं, जिसे हमारी द्विपक्षी कार्यसूची में स्थान मिलना चाहिए। इस कार्यसूची में आर्थिक लक्ष्यों को भी समान रूप से स्थान मिलना चाहिए। हमारे व्यापार का वर्तमान स्तर इन संभावनाओं के साथ न्याय नहीं करता है। दोनों देशों में बहुत मामूली निवेश हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साफ्टवेयर, बायोटेक्नालाजी, वित्तीय प्रबंधन और अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे विशेष क्षेत्र आपसी व्यापार बढ़ाने के सर्वोत्तम अवसर प्रदान करते हैं।

हमारी अर्थव्यवस्थाओं का आकार और सम्पूरक विशेषताएं आपसी सम्पर्क बढ़ाने के असीमित अवसर प्रदान करती हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारा संयुक्त आयोग, जो शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा, इस अवसरों की खोज और पहचान के लिए विस्तृत नक्शा तैयार करेगा। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, कृषि, विज्ञान और प्राकृतिक गैस, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने जो समझौते किए हैं उनसे हमारी सहयोग की कार्य योजना में नए क्षेत्र जुड़ेंगे।

द्विपक्षी संबंधों से परे देखें तो इस क्षेत्र में और समस्त विश्व में शान्ति और स्थिरता की स्थापना में 'एशिआन' और भारत की समान दिलचस्पी है। हम 'एशियान' और उसके अनेक मंचों के साथ अपने सहयोग को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझते हैं। हम क्षेत्रीय सहयोग, में विस्तार के द्वारा समृद्धि के 'एशिआन' के स्वप्न से सहमत हैं।

इंडियन ओसन रिम एसोसियेशन एक अन्य क्षेत्रीय मंच है जिसका वादा अभी पूरा होना है। हम सोचते हैं कि एसोसियेशन का उद्देश्य पूर्ण लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। महामहिम, अपने दोनों देशों की जनता की प्रगति के लिए आपसी भागीदारी को बढ़ाने के बारे में हमारे ये कुछ विचार हैं। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में हम विश्व की 16.6 प्रतिशत मानवता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें सार्थक सहयोग करके इन आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना है। पिछले वर्ष हमारं यहां आपकी यात्रा से हमें इस दिशा में तेजी से बढ़ने की प्रेरणा मिली थी। मेरी यह यात्रा उसे और गति देने का प्रयास है।

भारत-इंडोनेशिया : परम्परागत आर्थिक संबंध

मुझे आज भारत इंडोनेशिया संयुक्त व्यापार परिषद की छठी बैठक में, जो पांच वर्ष के अन्तराल के बाद हो रही है, आपके साथ यहां उपस्थित होकर अति प्रसन्नता हो रही है। मैं दोनों व्यापार मंडलों को अपनी यात्रा के दौरान यह बैठक आयोजित करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। दो विशाल देशों और नजदीकी पड़ोसियों के रूप में, यह सर्वथा हमारे आपसी हित में है कि हम आपस में सभी द्विपक्षी आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाएं।

इंडोनेशिया सदैव से भौतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से हमारे अत्यन्त समीप रहा है। हम पिछले 1000 वर्षों से व्यापारिक देश के रूप में सक्रिय हैं। सुमात्रा का उत्तरी सिरा निकोबार द्वीप के दक्षिणी सिरे से एक सौ किलोमीटर से कम दूरी पर है। हमारी और इंडोनेशिया की समुद्री सीमाएं मिलती हैं और इन सीमाओं की सुरक्षा और स्थिरता में हमारी गहरी दिलचस्पी है।

फिक्की और कादिन की संयुक्त व्यापार परिषद् की बैठक में भाषण, जकार्त्ता, 11 जनवरी 2001

भारत और इंडोनेशिया ने अतीत में एक दूसरे को बहुत कुछ दिया और लिया है, और हम दोनों को इस बात पर गर्व है। आधुनिक युग में हमने अपनी पारम्परिक मित्रता को दोनों के लिए लाभप्रद आर्थिक सहयोग को बढ़ाकर मजबूत आयाम प्रदान किया है।

एशिआन देशों में इंडोनेशिया भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। वह इस क्षेत्र से भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश है। 1999-2000 में हमारे दोनों देशों के बीच 1.3 अरब अमरीकी डालर का व्यापार हुआ। यह पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है, जिसका हम स्वागत करते हैं। यह विकास दर स्वयं में बहुत अच्छी है यद्यपि इस मामले में व्यापार संतुलन हमारे प्रतिकूल है।

इंडोनेशिया भारत की खाद्य तेल, कार्बनिक रसायन, कोयला और पेट्रोलियम की आपूर्ति करता है। हम भारत में इंडोनेशिया द्वारा हाल में किए गए निवेश का, विशेष रूप से कागज निर्माण के क्षेत्र में, स्वागत करते हैं।

इंडोनेशिया में पिछले कई दशकों से कपड़ा, इस्पात, सिले-सिलाए वस्त्र, सामान्य औजार आदि क्षेत्रों में भारतीय संयुक्त उद्यम कार्य कर रहे हैं। मैं आज इंडोनेशिया में भारतीय व्यापारिक समुदाय की उद्यम भावना और वचनबद्धता के लिए हार्दिक प्रशंसा करता हूं। भारतीय मूल के व्यापारियों और व्यवसायियों ने इंडोनेशिया की सरकार और जनता से प्राप्त समर्थ का मेजबान देश की समृद्धि में योगदान करने में पूरा उपयोग किया है। इस प्रक्रिया में उन्होंने इंडोनेशियाई समाज में भारत के लिए अधिक सद्‌भावना अर्जित करने में सफलता प्राप्त की है।

इस तरह की द्विपक्षी प्रक्रिया में एक-दूसरे के विकास और कल्याण में लगाव पैदा होता है, जो दोनों के आपसी हित में और लाभप्रद होता है। तथापि, अभी भी हमारे व्यापार और पूंजी निवेश को बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि संयुक्त व्यापार परिषद इन संभावनाओं को प्राप्त करने में सफल होगी।

भारत में हमने बड़ी चिन्ता के साथ उस आर्थिक और वित्तीय संकट को देखा, जिसका इंडोनेशिया ने दो वर्षों तक बहादुरी के साथ सामना किया, और मुझे यह देख कर खुशी होती है कि अब सुधार के चिन्ह हैं। राष्ट्रपति अर्ब्दुहमान वाहिद के नेतृत्व में इंडोनेशिया निश्चय ही विकास की उस गति को प्राप्त कर लेगा जिसके लिए वह जाना जाता था और उसकी प्रशंसा की जाती थी।

मित्रो, जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने क्रान्तिकारी आर्थिक सुधारों की राह पकड़ी है। मेरी सरकार के सामने मुख्य कार्य है संसाधनों का उचित वितरण, आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास - भौतिक एवं मानवीय दोनों - और सभी के लिए आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से ये कार्य

कम नहीं हुए हैं: वास्तव में उदारीकरण ने सरकार के रूप में हमारी जिम्मेदारी को अधिक उजागर कर दिया है।

नब्बे के दशक में भारत की 6% या अधिक विकास दर ने हमें तेजी से विकसित हो रही विश्व की चोटी की 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर दिया। हमने अपने सामने नई सहस्त्राब्दी में प्रति व्यक्ति आय दूनी करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके लिए आवश्यक है कि हम विकास दर लगभग 9 प्रतिशत तक बढ़ाएं। हमें विश्वास है कि हम इस कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रक्रिया में हम यह सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प हैं कि वैश्वीकरण के लाभ आम आदमी की उपेक्षा न करें।

मित्रो, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में तेज प्रगति के जरिए, विश्व उस प्राचीन भारतीय आदर्श को प्राप्त करने के समीप आ गया है, जिसे हम संस्कृत में वसुधैव कुटुम्बकम् - अर्थात् सम्पूर्ण विश्व एक परिवार कहते हैं, तथापि, पूंजी, प्रौद्योगिकी, सामान और सेवाओं की बढ़ी हुई गतिशीलता के कारण यह खतरा उत्पन्न हो गया है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ जल्दी लेने लगेंगे वे सुस्त देशों की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ जाएंगे और उन्हें बहुत पीछे छोड़ देंगे। विभिन्न देशों के बीच या किसी देश के भीतर इस तरह का असंतुलित विकास सामाजिक स्थिरता और शान्ति के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। समस्त राष्ट्रीय उत्पाद में दस प्रतिशत या इससे अधिक की विकासदर निरर्थक है, अगर वह सभी भारतीयों के जीवन में सुधार लाने में विफल रहती है।

भारत इस बात का पूरा प्रयास कर रहा है कि इस असंतुलन को दूर किया जाए, यद्यपि हमारा लक्ष्य आर्थिक विकास की तेज गति प्राप्त करना है। हम अपना अनुभव और योग्यता अपने इंडोनेशियाई मित्रों को देने को तैयार हैं। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री प्रमोद महाजन की इंडोनेशियाई दूर संचार, सूचना माध्यम और सूचना प्रौद्योगिकी सम्मेलन और प्रदर्शनी के सिलसिले में इंडोनेशिया की यात्रा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे ज्ञान और संसाधन बांटने की दिशा में एक कदम था। हम इंडोनेशिया के साथ विश्व स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा केन्द्र और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं के लिए साफ्टवेयर विकसित करने की सुविधाएं स्थापित करने में अपनी विशेष जानकारी इंडोनेशिया को खुशी से देने को तैयार हैं।

इसी तरह हमने परिवहन क्षेत्र में अपना व्यापक अनुभव, विशेष रूप से रेल क्षेत्र में इंडोनेशिया को, खास तौर पर सुमात्रा को, देने का प्रस्ताव किया है।

पिछले वर्ष महामहिम राष्ट्रपति वाहिद की भारत यात्रा के बाद हमने तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में काफी

प्रगति की है। भारत के ओ एन जी सी विदेश और इंडोनेशिया के पर्टामीना के बीच सहमति के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके अन्तर्गत भारतीय कम्पनी इंडोनेशिया में नए क्षेत्रों में तेल की खोज और उत्पादन में सहायता देगी। हम इस क्षेत्र में दोनों पक्षों के लिए लाभदायक दीर्घावधि का स्वागत करते हैं। इससे हमारे पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों को समीप के मैत्रीपूर्ण स्रोत से शुद्ध ईंधन मिलने की संभावना है।

एक अन्य क्षेत्र, जो हमारे लिए काफी संभावनाएं प्रस्तुत करता है, कृषि है। साठ के दशक में हरित क्रान्ति लाने वाले लोगों ने भारत को एक खाद्या आयात करने वाले देश के स्थान पर एक ऐसा देश बना दिया था, जिसके पास अपनी जरूरत पूरी करने के बाद फालतू खाद्यान्न बचता था। वास्तव में, अब हमारे सामने अपने अतिरिक्त खाद्यान्न के भंडारण की समस्या है। हम अपना अतिरिक्त खाद्यान्न और इस क्षेत्र में अपना अनुभव और प्रौद्योगिकी इंडोनेशिया को देने को सहर्ष तैयार हैं।

लब्धप्रतिष्ठित व्यापारियों, हमारे दोनों देशों के बीच गहरी मैत्री का इतिहास है, जो समान विचारों और सिद्धान्तों पर आधारित है। हम दोनों ने मिलकर वांडुग में एशिया के पुनरुत्थान की कार्रवाई का नेतृत्व किया, जो गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के रूप में विकसित हुआ। तब से हमने विकासशील देशों के अनेक मंचों में, विशेष रूप से जी-15, आई ओ आर - ए आर सी और निस्सन्देह एशियान में सहयोग किया है। तेजी से बदलती दुनिया में, भारत और इंडोनेशिया जैसे दो बड़े और भिन्न देशों की मित्रता हमारे क्षेत्र और विश्व के लिए शान्ति और स्थिरता का लंगर उपलब्ध करा सकती है।

मित्रो, ये कुछ विचार थे, जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। वर्तमान आर्थिक वातावरण में आम तौर पर यह कहा जाता है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस अन्यथा बुद्धिमत्तापूर्ण विचार से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। आर्थिक सुधारों के युग में सरकार के लिए यह और भी आवश्यक है कि वह अन्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग की दीर्घावधि रणनीति तैयार करे और इस रणनीति को लागू करने के लिए सार्वजनिक और निजी व्यापारियों को सुविधा प्रदान करे।

मुझे विश्वास है कि हमारे दो देशों की सरकारें और व्यापारी हमारे द्विपक्षी व्यापार और आर्थिक संबंधों की विकसित हो रही परिरेखा को आकार प्रदान करेंगे। मुझे इस बात का भी विश्वास है कि ये हमारे ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण राजनीतिक संबंधों को प्रकट करेंगे और सुदृढ़ता प्रदान करेंगे।

मैं भारत और इंडोनेशिया की छठी संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक के दोनों पक्षों के लिए सफल विचार-विमर्श की कामना करता हूं। अन्त में मैं आप सबके लिए एक अत्यन्त सुखद नववर्ष और नई सहस्त्राब्दी की कामना करता हूं।

भारत और मारीशस: ऐतिहासिक रिश्ते

महामहिम, मैं आपका, श्रीमती जगन्नाथ और मारीशस प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप एक पुराने मित्र के रूप में आए हैं, जो भारत को अच्छी तरह जानता है।

मुझे विश्वास है कि इस यात्रा का हमारे दोनों देशों की घनिष्ठ मैत्री पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा।

भारत और मारीशस खून के रिश्तों के ऐतिहासिक संबंधों से बंधे हैं। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्धता ने इन संबंधों को मजबूती प्रदान की है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समान संघर्ष के दौरान दोनों देश एक दूसरे के और समीप आए। ठीक एक सौ वर्ष पहले, गांधीजी ने मारीशस की यात्रा की थी। उन महत्वपूर्ण दिनों ने राजनीतिक चेतना की प्रक्रिया की शुरूआत की।

उन्होंने जो मशाल जलाई थी बाद में उसे मारीशस के महान सपूतों ने उठाया। इनमें से प्रमुख थे सर शिवसागर रामगुलाम और विष्णु दयाल बंधु, सुखदेव और बासुदेव। वे शोषण पर मानव आत्मा की विजय के प्रतीक थे। इन महान व्यक्तियों ने राष्ट्रीयता की जो परिभाषा लिखी, वह मारीशस राष्ट्र का आज भी मार्गदर्शन करती है।

मारीशस ने आर्थिक क्षेत्र में, जो शानदार प्रगति की है, उससे हमारे दोनों देश एक दूसरे के समीप आए हैं। दूसरा आर्थिक चमत्कार, जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, उससे हमारे आपसी संबंध और भी घनिष्ठ होंगे। हमारा सहयोग बहुमुखी है और दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद है। व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है।

लेकिन हमारा वर्तमान पर्याप्त आर्थिक सहयोग हमारे घनिष्ठ राजनीतिक समीकरण के अनुरूप नहीं है। काफी कुछ किया जाना है और मुझे आशा है कि हमारे उद्यमी मारीशस को भारत और अफ्रीका के बीच एक पुल के रूप में देखेंगे।

मुझे खुशी है कि हम मिल कर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में महामहिम इस क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हमारी सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। इससे हमारे संबंधों में एक नये अध्याय की शुरुआत होगी।

मारीशस के प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित रात्रिभोज के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली, 16 जनवरी 2001

प्रगति की है। भारत के ओ एन जी सी विदेश और इंडोनेशिया के पर्टामीना के बीच सहमति के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके अन्तर्गत भारतीय कम्पनी इंडोनेशिया में नए क्षेत्रों में तेल की खोज और उत्पादन में सहायता देगी। हम इस क्षेत्र में दोनों पक्षों के लिए लाभदायक दीर्घावधि का स्वागत करते हैं। इससे हमारे पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों को समीप के मैत्रीपूर्ण स्रोत से शुद्ध ईंधन मिलने की संभावना है।

एक अन्य क्षेत्र, जो हमारे लिए काफी संभावनाएं प्रस्तुत करता है, कृषि है। साठ के दशक में हरित क्रान्ति लाने वाले लोगों ने भारत को एक खाद्या आयात करने वाले देश के स्थान पर एक ऐसा देश बना दिया था, जिसके पास अपनी जरूरत पूरी करने के बाद फालतू खाद्यान्न बचता था। वास्तव में, अब हमारे सामने अपने अतिरिक्त खाद्यान्न के भंडारण की समस्या है। हम अपना अतिरिक्त खाद्यान्न और इस क्षेत्र में अपना अनुभव और प्रौद्योगिकी इंडोनेशिया को देने को सहर्ष तैयार हैं।

लब्धप्रतिष्ठित व्यापारियों, हमारे दोनों देशों के बीच गहरी मैत्री का इतिहास है, जो समान विचारों और सिद्धान्तों पर आधारित है। हम दोनों ने मिलकर वांडुग में एशिया के पुनरुत्थान की कार्रवाई का नेतृत्व किया, जो गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के रूप में विकसित हुआ। तब से हमने विकासशील देशों के अनेक मंचों में, विशेष रूप से जी-15, आई ओ आर - ए आर सी और निस्सन्देह एशियान में सहयोग किया है। तेजी से बदलती दुनिया में, भारत और इंडोनेशिया जैसे दो बड़े और भिन्न देशों की मित्रता हमारे क्षेत्र और विश्व के लिए शान्ति और स्थिरता का लंगर उपलब्ध करा सकती है।

मित्रो, ये कुछ विचार थे, जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। वर्तमान आर्थिक वातावरण में आम तौर पर यह कहा जाता है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस अन्यथा बुद्धिमत्तापूर्ण विचार से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। आर्थिक सुधारों के युग में सरकार के लिए यह और भी आवश्यक है कि वह अन्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग की दीर्घावधि रणनीति तैयार करे और इस रणनीति को लागू करने के लिए सार्वजनिक और निजी व्यापारियों को सुविधा प्रदान करे।

मुझे विश्वास है कि हमारे दो देशों की सरकारें और व्यापारी हमारे द्विपक्षी व्यापार और आर्थिक संबंधों की विकसित हो रही परिरेखा को आकार प्रदान करेंगे। मुझे इस बात का भी विश्वास है कि ये हमारे ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण राजनीतिक संबंधों को प्रकट करेंगे और सुदृढ़ता प्रदान करेंगे।

मैं भारत और इंडोनेशिया की छठी संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक के दोनों पक्षों के लिए सफल विचार-विमर्श की कामना करता हूं। अन्त में मैं आप सबके लिए एक अत्यन्त सुखद नववर्ष और नई सहस्त्राब्दी की कामना करता हूं।

भारत और मारीशसः ऐतिहासिक रिश्ते

महामहिम, मैं आपका, श्रीमती जगन्नाथ और मारीशस प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप एक पुराने मित्र के रूप में आए हैं, जो भारत को अच्छी तरह जानता है।

मुझे विश्वास है कि इस यात्रा का हमारे दोनों देशों की घनिष्ठ मैत्री पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा।

भारत और मारीशस खून के रिश्तों के ऐतिहासिक संबंधों से बंधे हैं। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्धता ने इन संबंधों को मजबूती प्रदान की है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समान संघर्ष के दौरान दोनों देश एक दूसरे के और समीप आए। ठीक एक सौ वर्ष पहले, गांधीजी ने मारीशस की यात्रा की थी। उन महत्वपूर्ण दिनों ने राजनीतिक चेतना की प्रक्रिया की शुरूआत की।

उन्होंने जो मशाल जलाई थी बाद में उसे मारीशस के महान सपूतों ने उठाया। इनमें से प्रमुख थे सर शिवसागर रामगुलाम और विष्णु दयाल बंधु, सुखदेव और बासुदेव। वे शोषण पर मानव आत्मा की विजय के प्रतीक थे। इन महान व्यक्तियों ने राष्ट्रीयता की जो परिभाषा लिखी, वह मारीशस राष्ट्र का आज भी मार्गदर्शन करती है।

मारीशस ने आर्थिक क्षेत्र में, जो शानदार प्रगति की है, उससे हमारे दोनों देश एक दूसरे के समीप आए हैं। दूसरा आर्थिक चमत्कार, जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, उससे हमारे आपसी संबंध और भी घनिष्ठ होंगे। हमारा सहयोग बहुमुखी है और दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद है। व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है।

लेकिन हमारा वर्तमान पर्याप्त आर्थिक सहयोग हमारे घनिष्ठ राजनीतिक समीकरण के अनुरूप नहीं है। काफी कुछ किया जाना है और मुझे आशा है कि हमारे उद्यमी मारीशस को भारत और अफ्रीका के बीच एक पुल के रूप में देखेंगे।

मुझे खुशी है कि हम मिल कर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में महामहिम इस क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हमारी सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। इससे हमारे संबंधों में एक नये अध्याय की शुरुआत होगी।

मारीशस के प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित रात्रिभोज के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली, 16 जनवरी 2001

महामहिम, समृद्धि के लिए शान्ति जरूरी है। दुर्भाग्यवश हमारे क्षेत्र में प्रतिद्वन्द्विता है, जो हमारी बनाई नहीं है। इससे शान्ति और प्रगति दोनों खतरे में पड़ रहे हैं। विश्व के राष्ट्र इस जानकारी के साथ कि जहां इतिहास विकसित होता रहता है भूगोल स्थिर रहता है, अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन पिछले अविश्वास की विरासत अभी बनी हुई है।

मैं महामहिम के सामने यह दुहराना चाहूंगा कि भारत मारीशस की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को पूरी तरह समझता है और उनका समाधान करने के लिए तैयार है। हम चागोस द्वीप समूह पर आपकी प्रभुसत्ता के अधिकार का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

मारीशस के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के साथ, मुझे विश्वास है कि महामहिम की सरकार क्षेत्रीय और विश्व दोनों मंचों पर शान्ति के पक्ष में सक्रिय और गतिशील योगदान करेगी।

आज सभी महाद्वीपों में भारतीय मूल के लोग दिखाई देते हैं। हमारे पूर्वजों ने अपनी मातृभूमि को बेहतर भविष्य की खोज में छोड़ा था। तब से उन्होंने जिन देशों को अपनाया और जिसकी नागरिकता ग्रहण की, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में जबरदस्त योगदान किया है।

आज, हमारे लिए यह बड़े गर्व का विषय है कि एक ऐसे भारतीय का वंशज अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में हमारे बीच में है।

VIII
विविध

सामाजिक सुधार की लहर को और प्रचंड बनाएं

आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आर्य समाज की स्मृति को सुदृढ़ करने के लिए एक डाक टिकट जारी किया जा रहा है। लेकिन इसलिए ऐतिहासिक है कि आर्य समाज ने अपने जीवन के 125 वर्ष पूरे किये हैं और यह उसका जीवन केवल वर्षों में गिनने का विषय नहीं है, उसके द्वारा राष्ट्र की, समाज की जो सेवा हुई है, उस सेवा को स्थायी बनाने की दृष्टि से है।

125 वर्ष पहले देश की क्या स्थिति थी, इसकी थोड़ी कल्पना करनी चाहिए। नई पीढ़ी को उससे अवगत किया जाना चाहिए। हम पराधीन थे, केवल इतनी बात नहीं है, लेकिन पराधीनता मानसिक और बौद्धिक दासता का स्वरूप ले रही थी। सारा समाज आत्मिक विस्मृति का शिकार हो रहा था। हमारे उज्ज्वल अतीत को धुंधलाया जा रहा था, वर्तमान में निराशा पैदा की जा रही थी और भविष्य के लिए लोगों को हतोत्साहित किया जा रहा था। 'हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं, एक महान राष्ट्र हैं, विश्व में हमारी उपलब्धियां हैं, जीवन के हर क्षेत्र में हमने कीर्ति कमाई है'—इसका उल्लेख नहीं होता था या बहुत कम होता था। गोरों ने यह प्रचार कर रखा था कि भारत असभ्य लोगों का देश है। और, वे हमें सभ्य बनाने के लिए आए हैं। हम उनकी पीठ पर बोझा हैं, जिसे वे ढो रहे हैं। वेदों के बारे में कहा जाता था कि गडरिये के गीत हैं। हमारे पराक्रम की, हमारे शौर्य की गाथाएं विलुप्त हो रही थीं। आत्म विस्मृति के उस काल में आर्य समाज ने, और भी संगठन थे, जिन्होंने अपने ढंग से राष्ट्रीय चेतना पैदा की, जागरण का शंख फूंका। नि:संदेह आर्य समाज उनमें प्रमुख था। स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के के नाते मैं आर्य कुमार सभा का सदस्य हुआ था। और, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जब मैं आर्य कुमार सभा का सदस्य था, उसी समय संघ की शाखा में भी जाता था।

देशभक्ति के संस्कार डालने के लिए किसी सरकारी विभाग की जरूरत नहीं है। पता नहीं, कभी कोई ऐसी सरकार आ जाए जो उल्टे ही संस्कार डालने शुरू कर दे। यह सरकार का काम नहीं है। यह तो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों का काम है। और, वे कर रहे हैं, उसमें तेजी आनी चाहिए। जो धनी-मानी हैं, वे उसमें धन

स्वामी दयानंद सरस्वती पर डाक टिकट जारी करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2000

दें, जिसकी आवश्यकता है। विदेशियों को हम कितना ही भौतिकवादी कहें, लेकिन जहां चैरिटी का सवाल है, भले ही उस चैरिटी के पीछे मंतव्य कुछ भी हो, मगर वे चैरिटी में बहुत बड़ी मात्रा में धन देते हैं, हर वर्ष देते हैं, नियमित रूप से देते हैं।

आर्य समाज ने जो जागृति फूंकी, जब लोग बात कर रहे थे सुराज्य की, अच्छी सरकार की, स्वराज्य की नहीं, स्वतंत्रता की नहीं, अंग्रेजों का राज है ठीक है, अच्छा होना चाहिए। पराधीनता रह सकती है मगर अच्छा राज्य होना चाहिए- दोनों बातें कैसे साथ हो सकती हैं! स्वामी दयानन्द सरस्वती ने कहा कि नहीं, हमें स्वतंत्रता चाहिए। हमें स्वराज्य चाहिए और स्वराज्य के मंत्र को जगाने वाले स्वामी दयानन्द सरस्वती, गांधीजी से भी पहले थे, यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। उन्होंने राष्ट्र-जीवन पर जो छाप छोड़ी, आज जो हम सामाजिक सुधारों की बात कर रहे हैं, उस समय स्वामी दयानन्द सरस्वती ने और आर्य समाज ने प्रारम्भ की थी। अभी देश में अस्पृश्यता पूरी तरह से मिटी नहीं है। वह प्रच्छन्न रूप में चल रही है। नारी-अवमानना हो रही है। लड़कियों को शिक्षा देने में भी अभी संकोच है। पढ़-लिखकर लड़की क्या करेगी, उसको तो पराये घर जाना है। तो पराया घर भी तो अपने समाज का ही है। अगर पढ़ी-लिखी बहू आयेगी तो आगे के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए गुणी साबित होगी। अब तो गैर सरकारी प्रयत्नों को और तीव्र करके सामाजिक सुधार की लहर को और प्रचंड बनाने की जरूरत है और यह काम आर्य समाज कर सकता है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने केवल एक सुधार की बात नहीं की। ऐसे महापुरुष हुए हैं और हम उनके आभारी हैं, जिन्होंने समाज की कुरीतियों में से एक कुरीति छांटकर अपना ध्यान उस पर केन्द्रित किया। स्वामी दयानन्द की दृष्टि समग्रता की दृष्टि थी। वह सारे समाज का कायाकल्प करना चाहते थे, सचमुच में सुधार नहीं, कायाकल्प करना चाहते थे, उसमें उनको सफलता मिली। जो लोग स्वाधीनता के संघर्ष में जेल गये, वे चाहे किसी भी दल के हों, चाहे किसी भी प्रदेश के हों, कहीं न कहीं उनमें आर्य समाज के बीज, आर्य समाज की भावना, कहीं न कहीं जरूर मिलेगी।

एक राष्ट्रीय आन्दोलन है आर्य समाज। उसे और प्रबल बनाने की आवश्यकता है। गैर सरकारी संगठनों के नाम पर बहुत-से काम हो रहे हैं, लेकिन वे काम ईमानदारी की भावना से हों, सेवा की भावना से हों, अगले चुनाव में टिकट पाने के लिए न हों, इसकी बहुत आवश्यकता है। और, ऐसे समर्पण की प्रवृत्ति आर्य समाज पैदा कर सकता है। आर्य समाज ऐसे संस्कार डाल सकता है।

मैं बहुत आभारी हूं डाकतार मंत्रालय का, डाकतार मंत्रालय गरीब नहीं है। हमने तो बिहार को ही सारा बजट सौंप दिया है। अब अगर बिहार वाले ही शिकायत करेंगे

गरीबी की तो और प्रदेशों का क्या होगा। आवश्यक काम के लिए धन की कोई कमी नहीं है। आवश्यक काम के लिए धन में कोई कठिनाई नहीं है। आवश्यकता है अच्छे कार्यक्रम बनाकर उस पर ठीक ढंग से अमल करने की, शक्ति का संगठित आह्वान करने की। और, यह आर्य समाज कर रहा है, और भी संस्थाएं इस कार्य में लगी हुई हैं।

हम बहुत आभारी है आपके, आप इस अस्थायी निवास पर आये। मैं अस्थायी पर जोर दे रहा हूं। इसलिए आप विज्ञान भवन नहीं गये, यहां आये, बहुत-बहुत स्वागत है आपका।

स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह

तेईस अप्रैल को विजय दिवस का आयोजन पुरानी समृतियों को ताजा कर देता है। स्मृतियां भी 1857 के काल की। देश पराधीन हो गया था। धीरे-धीरे साम्राज्यवादी सारे देश में पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन साथ ही स्वतंत्रता की चिंगारी भी लगातार चल रही थी। समय-समय पर उसे उद्दीप्त करने के प्रयास होते रहते थे। 1857 में पहली बार बड़े पैमाने पर साम्राज्यवाद को चुनौती दी गई— हथियारों से, सेना से, जन समर्थन से और उस संग्राम में एक व्यक्तित्व राष्ट्रीय रंगमंच पर उभरा जो आने वाली अनेक पीढ़ियों तक हमें प्रेरणा देता रहेगा। उसका नाम था - बाबू कुंवर सिंह।

यह सही है कि बाबू कुंवर सिंह के बारे में सारे देश में जितनी जानकारी होनी चाहिए वह नहीं है। ऐसा और भी महापुरुषों के साथ हुआ है। केरल में कटगोवन स्वतंत्रता के सेनानी थी। बहुत वर्षों बाद अभी-अभी उनके व्यक्तित्व की विराटता से देश को अवगत कराया गया है। असम में श्री लाचित बरफुगन, जब बहुत दिनों बाद हम असम गए और गुवाहाटी पहुंचे, चौराहे पर एक मूर्ति खड़ी थी। उसका परिचय पूछा और जब लाचित बरफुगन का नाम लिया गया तब स्मरण आया कि विदेशियों से लोहा लेने में वह भी आगे थे।

वीर कुंवर सिंह विजय दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 23 अप्रैल 2000

बाबू कुंवर सिंह का व्यक्तित्व अनूठा था, अलौकिक था। केवल संघर्ष का इतिहास नहीं है, उनका जीवन केवल बलिदान का जीवन नहीं है। उनका जीवन विजय का जीवन है, साम्राज्यवाद को बार-बार परास्त करने का। केवल संघर्ष नहीं किया विजयी होकर दिखाया उन्होंने। एक के बाद एक अंग्रेजी सेना को हराया, सेनापतियों को धूल चटाई। अपने रण कौशल से विरोधियों को भी चमत्कृत कर दिया। जिन अंग्रेज सैनिकों से या सेनाधीशों से बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में हमारी सेना लड़ी थी, भारत की सेना लड़ी थी, उन्होंने कुंवर सिंह जी के बारे में जो कुछ लिखा है वह पढ़कर उस महान सेनांपति, दुर्धर्ष योद्धा के प्रति श्रद्धा से मस्तक नत हो जाता है। युद्ध से परिचित लोग जानते हैं कि कभी-कभी युद्ध में सेना को पीछे भी हटाना पड़ता है। यह रणनीति का एक हिस्सा होता है और अंग्रेज सेनापतियों ने इस बात की बार-बार, इस बात के लिए बार-बार वीर कुंवर सिंह जी की प्रशंसा की है। सेना घिर गई, जो सहायता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। सारी सेना के नष्ट हो जाने का डर था, मगर बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने इतनी कुशलता से सेना का संचालन किया कि सारी सेना को बचाकर उसकी रक्षा करते हुए ले गए। और, फिर लड़ने की तैयारी की। और, फिर शत्रु को परास्त किया। लेकिन, दो-तीन बार इस तरह से सेना को हटाकर आगे लड़ाई के लिए तैयार करने का मौका आया और इसमें उनका लोहा उनके शत्रुओं ने भी माना।

इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि अस्सी साल की उनकी उमर थी। अस्सी साल, मैं मन में गिनता हूं कि मेरे कितने बाकी हैं। तलवार लेकर खड़े हो गए, अगर प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो तोप और तलवार का मुकाबला था, जिसमें तलवार ने तोप को परास्त कर दिया। तोप थी गोरों के पास और यहां हाथ में तलवार थी, अन्त:करण में एक संकल्प था, मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की एक भावना था। हाथ काटकर दे दिया। एक हाथ से सूरमा लड़ रहा है, लड़ा रहा है, हरा रहा है और विजय पर विजय पाता जा रहा है। 1857 की लड़ाई में गोरिल्ला युद्ध का इतने पैमाने पर प्रयोग वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। सावरकर जी ने इसीलिए उनकी तुलना छत्रपति शिवाजी से की है। गोरिल्ला युद्ध भी एक रणनीति का हिस्सा था। पूरी फौज से आमने-सामने लड़ना मुश्किल था, वे संख्या में ज्यादा थे, उनके हथियार अच्छे थे। लेकिन, गोरिल्ला युद्ध में हमारे जवान और वीर कुंवर सिंह जी बड़े माहिर थे, श्रेष्ठ योद्धा थे और इसलिए गोरिल्ला युद्ध के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को छकाया, अंग्रेजी फौज को छकाया, हराया, पीछे हटाया।

मैं लखनऊ से आता हूं। लखनऊ की रेजीडेंसी के ऊपर भी, वीर कुंवर सिंह का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। आज उनका स्मरण करें। उनके जीवन से प्रेरणा

लें। उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प करें और उनकी स्मृति को हमेशा अक्षुण्ण रखने के लिए कोशिश करें।

एक मेरा सुझाव है। नौजवान अगर चाहें तो इसे स्वीकार कर सकते हैं। अगले वर्ष जगदीशपुर से एक यात्रा आरंभ होनी चाहिए, जो जहां-जहां वीर कुंवर सिंह अपनी फौज के साथ घूमे थे, जहां-जहां उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों को छकाया था, वहां सब जगह का भ्रमण करते हुए वे फिर से जगदीशपुर में आ जायें और यह विजय दिवस जगदीशपुर में या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर मनायें। कठिन काम है, गर्मी का मौसम होगा। लेकिन, जो लड़े थे उनका स्मरण करिए। एक जागरण पैदा होगा। हमारे यहां बलिदान की बहुत-सी गाथाएं हैं। वे सब हमें अनुप्राणित करती हैं, लेकिन उसके बीच में जो बलिदान के क्षण हैं, जो विजय के क्षण हैं उनको हमेशा याद करने की जरूरत है। मैं इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए रूड़ी जी को और अन्य मित्रों को बधाई देता हूं।

गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर विचार

सर्वप्रथम मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि कयाथर की पवित्र धरती पर कदम रख कर मैं काफी खुश हूं। वीरपंडया कट्टाबोमन की अमर स्मृति से जुड़े होने के कारण स्वतंत्र भारत के इतिहास में इसका सम्मानित स्थान है। वे अठारहवीं सदी में भारत की स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाए गए प्रथम शहीदों में से एक थे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर भारत में लोग कट्टाबोमन और उनके भाई के नाम तथा उनके साहसिक कारनामों से भलीभांति परिचित नहीं हैं।

तमिलनाडु देशभक्तों और वीरों की भूमि है। उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए इस क्षेत्र के अनेक नर-नारी स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े और अपनी वीरता तथा सफलता का एक प्रेरक अध्याय रचा। इनमें राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती और वी.ओ. चिदमबरम पिल्लै का नाम काफी आदर से लिया जाता है। आज हम अपनी

पवन ऊर्जा परियोजना और परीक्षण केंद्र राष्ट्र को समर्पित करते हुए दिया गया भाषण, कयाथर (तमिलनाडु), 5 जुलाई 2000

आजादी और विकास का जो सुख भोग रहे हैं वह हमें उन लाखों जाने-अनजाने देशभक्तों के संघर्ष और बलिदान के बाद हासिल हुआ है।

इसलिए, सबसे पहले मैं कट्टाबोमन और तमिलनाडु से आने वाले भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के अन्य शहीदों के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। अब हमें भारत के चहुमुखी विकास के लिए संघर्ष करना है।

आज कट्टाबोमन को याद करना अन्य कारण से भी आवश्यक है। दक्षिणी तमिलनाडु के इस दक्षिणी भाग में कट्टाबोमन और उनके साथी स्वतंत्रता सेनानी भिन्न-भिन्न जातियों और सम्प्रदायों के लोग थे। किन्तु उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर संघर्ष किया। तमिलनाडु की विभिन्न जातियों और सम्प्रदाय के लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि अपने राज्य और देश के विकास के लिए उसी तरह की एकजुटता और एकता के मजबूत बंधन से निरन्तर बंधे रहें।

मित्रो, मोहन ब्रीवरीज और आर आर बी वेस्टा इंडिया की 15 मेगावाट

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पवन ऊर्जा परियोजना और परीक्षण केंद्र राष्ट्र को समर्पित करते हुए, कयाथर (तमिलनाडु), 5 जुलाई, 2000

क्षमतावाली पवन ऊर्जा परियोजना तथा सेंटर फॉर विंड टेक्नालॉजी के परीक्षण केन्द्र के समर्पण के मौके पर मुझे यहां आकर बड़ी खुशी हुई है।

पवन ऊर्जा और अन्य प्रकार के पुनरोपयोगी ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में मार्गदर्शक और दूरदर्शी पहल के लिए मैं तमिलनाडु की सरकार और जनता की सराहना करता हूं।

देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का सत्तर प्रतिशत भाग आपके प्रदेश में है। देश में ज्यादातर पवन ऊर्जा परियोजनाओं की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय भी तमिलनाडु को है। चीनी उद्योगों से निकलने वाली गन्ने की सिट्टी से अधिकतम बिजली उत्पादकों में भी आपका स्थान है।

इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए मैं अपने मित्र तिरू करुणानिधि और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूं। उनके शक्तिशाली नेतृत्व में पुनरोपयोगी ऊर्जा के क्षेत्र में तमिलनाडु पूरी क्षमता के साथ निश्चय ही तेजी से विकास करेगा।

ऊर्जा और विकास का बड़ा ही निकट संबंध है। पर्याप्त ऊर्जा के बिना कृषि, उद्योग और सेवाओं में तेजी से विकास कल्पनातीत है। दुर्भाग्यवश, भारत में हम विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण के लिए समन्वित प्रयास के माध्यम से समुचित नीति सुनिश्चित करने में असफल रहे हैं। परिणामस्वरूप, अधिकांश राज्यों को काफी समय से बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में गतिरोध आया है।

उदाहरण के तौर पर, आज भी 7.7 करोड़ घरों में रहने वाले 35 करोड़ लोग बिजली से वंचित हैं। निश्चित तौर पर, यह तमिलनाडु के लिए लागू नहीं है, इसने ग्रामीण विद्युतीकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

अपनी सभ्यता के प्रारंभ से ही हमने अग्नि और वायु को ऊर्जा के श्रोतों के रूप में जाना है। हमने ईश्वर के रूप में उनकी पूजा-अर्चना की है। यद्यपि, आजादी के बाद हमने उनकी निहित ऊर्जा का लाभ पाने के लिए आवश्यक तकनीकों को विकसित करने तथा नीतियां लागू करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया।

शुष्क प्रदेश होने के नाते भारत को सूर्य की गर्मी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। देश का भूगोल पवन ऊर्जा के उपयोग का पर्याप्त अवसर देता है। जरूरत से अधिक उपलब्ध जल-संसाधन अनेक लघु तथा मध्यम आकार की पन-बिजली परियोजनाओं के लिए सहायक हो सकते हैं। हमारा विशाल भू-भाग में जैव संसाधन के उत्पादन की अपार क्षमता है, जो पुनरोपयोगी ऊर्जा का दूसरा रूप है।

दुर्भाग्य से हमने अब तक इन गैर-परम्परागत ऊर्जा श्रोतों का पर्याप्त लाभ नहीं उठाया है। उदाहरण के लिए, भारत के पास 45,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता है। जबकि हमारी अब तक की स्थापित क्षमता मात्र 1,170 मेगावाट ही है। इससे यह पता चलता है कि पर्यावरण के लिए उपयुक्त सस्ती और इस पुनरोपयोगी ऊर्जा स्त्रोत को पूर्ण रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए हमें अभी काफी लम्बा रास्ता तय करना है।

हमारी सरकार सभी प्राकृतिक ऊर्जा स्त्रोतों को विकसित करने के लिए कृत संकल्प है। हम महसूस करते हैं कि इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए तथा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर निजी निवेश को प्रोत्साहित करना जरूरी है। भारतीय परिवेश के अनुकूल पुनरोपयोगी ऊर्जा तकनीक के अनुसंधान और विकास के सघन प्रयास की भी आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में हमें रसोई ऊर्जा पर जोर देना है, क्योंकि यह कुल ग्रामीण घरेलू ऊर्जा की आवश्यकता का 85 प्रतिशत है। और भी अधिक बायोगैस इकाइयों और चूल्हों के लिए सहायता देना ही सरकारी एजेंसियों के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जो कि लाखों की संख्या में पहले से ही मौजूद हैं। उनके उचित रखरखाव की भी पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।

140 मेगावाट वाली एक समेकित सौर ऊर्जायुक्त विद्युत परियोजना को सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी है। यह एक अद्वितीय तथा विश्व में इस तरह की बृहदतम परियोजना है। इसकी स्थापना राजस्थान में जोधपुर के पास मरूभूमि वाले गांव में की जाएगी। हमारे पास सौर ऊर्जा के विस्तार की भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इस मामले में हम विश्व में चौथे स्थान पर हैं। अब तक हम विभिन्न तरह के 30 प्रयोगों पर आधारित लगभग 7,00,000 सौर इकाइयों की स्थापना कर चुके हैं। सक्षम कार्यप्रणाली के माध्यम से इन इकाइयों के रखरखाव पर अधिक ध्यान दिए जाने के लिए मैं पुनः अनुरोध करता हूं।

हमारी सरकार ने जल-विद्युत ऊर्जा के विकास पर नये सिरे से जोर दिया है। हाल में 25 मेगावाट क्षमता वाली लघु जल-विद्युत परियोजनाओं पर सुविधाजनक रूप से ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से इन्हें गैर परम्परागत ऊर्जा श्रोत मंत्रालय से जोड़ दिया गया है। मैं मंत्रालय से उम्मीद करता हूँ कि वह समय-बद्ध कार्य-योजना के माध्यम से इन श्रोतों की खोज जल्द ही शुरु करेगा। खासकर यह कार्य लद्दाख, सिक्किम और उत्तर-पूर्वी राज्यों के सुदूर पहाड़ी इलाकों में किया जाना चाहिए।

हम अपने चीनी मिलों में गन्ने की सिट्ठी से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रम को लागू करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारी क्षमता 3,500 मेगावाट की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में मदद मिलेगी।

हमारी सरकार इस नई सदी में पुनरोपयोगी ऊर्जा के क्षेत्र में, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का द्रष्टा है। इसके लिए, पुनरोपयोगी ऊर्जा से संबद्ध विस्तृत नीति तैयार की जा रही है। वर्ष 2012 तक के लिए घोषित नीति में पुनरोपयोगी ऊर्जा की वर्तमान भागीदारी को 1.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका अर्थ अगले 12 वर्षो् में 10,000 मेगावाट क्षमता पाना है। इसके लक्ष्य को पाने के लिए मैं खासकर बड़े व्यावसायिक घरानों से बड़ी राशि के निवेश को आमंत्रित करता हूं।

पुनरोपयोगी ऊर्जा के त्वरित विकास और उपयोग के मामले में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अन्य राज्यों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे पुनरोपयोगी ऊर्जा और विकास कार्यक्रम को तमिलनाडु की तरह ही लागू करें। वे पुनरोपयोगी ऊर्जा श्रोतों द्वारा उत्पादित ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा निर्धारित करने पर भी विचार कर सकते हैं। सार्वजनिक अथवा निजी, सभी ऊर्जा परियोजनाओं पर यह लागू किया जा सकता है।

इस क्षेत्र में अत्यधिक पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार आगामी बजटों में वृद्धि करेगी। प्रदेशों को भी अपनी योजनाओं में आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करना चाहिए। अधिकांश पूंजी की व्यवस्था विदेशी और घरेलू श्रोतों से, वित्तीय संस्थाओं द्वारा निजी निवेश के माध्यम से होनी है। विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा और लचीलापन, स्वच्छता विकास के लिए पर्यावरण कोष पर भी विचार होना चाहिए और यह हमारी राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप होना चाहिए।

किसी नई तकनीक के विकास में गुणवत्ता का महत्व है। इसलिए, मैं खुश हूँ, क्योंकि पवन ऊर्जा तकनीक केन्द्र के जिस परीक्षण केन्द्र को आज समर्पित किया जा रहा है वह पवन चक्की के स्तर निर्धारण, परीक्षण और प्रमाणित करने में मददगार होगा। मैं आशा करता हूँ कि देश में बने अपने तरह के प्रथम केन्द्र से पवन चक्की उपकरणों के क्षमता विकास में काफी मदद मिलेगी।

मित्रो, हम लोग यहां एक पवन ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन के लिए इकट्ठा हुए हैं। शायद, यह इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि हमारे विशाल देश में परिवर्तन की हवा चल रही है। हाल के वर्षों में सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि लोगों की आकांक्षाओं का स्तर तेजी से ऊपर उठा है। मैं जहां भी जाता हूँ, अपने नागरिकों में विकास की जोरदार जिज्ञासाएं पाता हूँ। यह खासकर हमारे समाज के अल्प विकसित वर्गों और अल्प विकसित इलाकों में पाया जा रहा है। आजादी के पचास

वर्षों बाद तक जो क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन कायम रहा है, अब लोग इसे और अधिक समय के लिए बर्दाश्त नहीं करना चाहते।

विकास की उनकी भूख को हम सामूहिक रूप से मिटा सकते हैं। इसलिए हम सबों को विकास के मंत्र, ''तीव्र विकास और अधिक निष्पक्ष विकास'' का अनुशरण करना चाहिए।

मैं सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों, अन्य कर्मचारियों और इस पवन ऊर्जा परियोजना और परीक्षण केन्द्र से संबद्ध एजेंसियों को बधाई देता हूं। अब मैं इन स्थापनाओं को राष्ट्र को समर्पित करता हूँ।

एक प्रखर राष्ट्रवादी

आज हम सबके लिए बड़े आनन्द का दिन है। आज डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। भारत की भूमि पर भारत माता की कोख से अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी ने ठीक ही कहा है कि वह भारत माता के महान सपूत थे। उन्होंने देश के निर्माण में योगदान दिया, अपने ढंग से स्वतंत्रता के आन्दोलन में सहयोग दिया, उग्र बनाया, स्वदेश और स्वदेशी की भावना जागृत की और जहां अन्याय का विरोध करना जरुरी था वहां अन्याय का विरोध भी किया।

डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी याद किये जायेंगे एक प्रखर राष्ट्रवादी के नाते, राजनीति में उनका प्रवेश हिन्दू महासभा के माध्यम से हुआ। उस समय हिन्दू महासभा और कांग्रेस के अधिवेशन साथ-साथ होते थे, दोनों के बीच में खाई नहीं थी, अस्पृश्यता की दीवार नहीं थी। यह तो नई पैदावार है कि सौ करोड़ का देश है, यहां राजनीतिक मतभेद रहेंगे, आर्थिक सवालों पर भी अलग-अलग राय होगी, लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण हम महापुरुषों का सम्मान न करें, वैचारिक मतभेद के कारण कोई उनके जन्मदिवस के समारोह में शामिल न हो, यह भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। अभी कुछ महीने पहले प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता श्री नम्बूदरीपाद का निधन हुआ था।

डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर दिया गया भाषण, कोलकाता, 6 जुलाई 2000

वह पक्के कम्युनिस्ट थे, विचारधारा से बंधे हुए थे, उस पर डटे हुए थे, बहुत-सी कठिनाइयां उन्होंने झेलीं, विचारधारा नहीं छोड़ी। इसलिए उनका सम्मान था, आदर था। जब उनकी मृत्यु हुई, केरल में तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री अडवाणी जी उस अन्तिम क्रिया में भाग लेने के लिए गए थे। हम चाहते तो कह सकते थे कि हमारे मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं। पहली बात तो यह है कि मरने के बाद मतभेद नहीं रहते। व्यक्ति का सही मूल्यांकन होना चाहिए। जो मित्र आज आपत्तियां कर रहे हैं वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। हमें अपने सभी महापुरुषों का सम्मान करने की शिक्षा लेनी चाहिए, बच्चों को भी उसका संस्कार देना चाहिए।

मैंने आपको बताया कि डा. मुखर्जी हिन्दू महासभा में थे। गांधीजी की सलाह थी, हिन्दू महासभा और कांग्रेस के अधिवेशन साथ-साथ होते थे और इसीलिए बाद में, स्वाधीनता की प्राप्ति के पश्चात् जो स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी, प्रथम मंत्रिमंडल गठित हुआ, उसमें डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का समावेश किया गया था। देश स्वाधीन हो गया। अब हम मिलकर इस देश को आगे बढ़ायें, विकास करें। वैचारिक मतभेदों को थोड़ी देर के लिए रोक दें, विराम दे दें। अगर पूर्ण विराम नहीं हो अर्ध-विराम तो दे दें और स्वतंत्र भारत को समृद्ध, शक्तिशाली और स्वाभिमानी बनाने के कार्य में जुट जायें। इसीलिए प्रथम मंत्रिमंडल का इस तरह का निर्माण हुआ था। बाद में मतभेद होने के कारण डा. मुखर्जी ने केन्द्रीय सरकार से त्यागपत्र दे दिया। मतभेदों के बाद त्यागपत्र देना आवश्यक भी था, जरूरी भी था, लेकिन उसके कारण आपस की सद्भावना कम नहीं हुई, आपस में मनोमालिन्य नहीं हुआ। इस देश में राजनैतिक मतभेद तो होते रहेंगे, लेकिन ईमानदारी पर शक नहीं होना चाहिए।

इस समय पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक पत्र लिखकर खेद प्रकट किया है कि वह कार्यक्रम में नहीं आ सके हैं। उन्होंने डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ की है, मगर कहा है कि उनके साथ हमारे मतभेद थे। फिर यह भी कहा है कि वह मतभेदों का उच्चारण प्रधानमंत्री के सामने नहीं करना चाहते। फिर, यह भी कहा है कि वह समारोह के संबंध में जो भी कार्यक्रम होंगे उनमें पूरा सहयोग देंगे। आज हवाई अड्डे पर उनसे मुलाकात हुई थी, मुझे तो अच्छे आदमी लगे। शायद पश्चिम बंगाल वालों का अनुभव कुछ अलग हो या वैचारिक चश्मे से हम एक-दूसरे को देखते हैं तो अनुभव ऐसा होता है कि जैसे मतभेद जाग गये हैं और कोई मिलन-भूमि नहीं है, हमारे बीच में कोई साम्य नहीं है, एकता नहीं है, यह ठीक नहीं है।

राजनीतिक दल अपना स्थान रखते हैं। यह दलीय लोकतंत्र है, बहुदलीय लोकतंत्र है, जन-समर्थन से फैसले होंगे। मुझे याद है, डा. मुखर्जी बहुत बड़ी पार्टी

के नेता नहीं थे। लोकसभा में डा. मुखर्जी बड़े नेता थे, पर पार्टी उस समय छोटी थी। लेकिन, डा. मुखर्जी बिना बनाये हुए, बिना किसी के बताये हुए विरोध के नेता बन गए। विरोधी दल के मान्य नेता बन गए। किसी ने कहा कि आपको तो नेता बनाया नहीं गया है, नेता चुना नहीं गया है, तो मैं वहीं खड़ा था। मैंने कहा कि जंगल में शेर को कोई राजमुकुट नहीं पहनाता, वह तो स्वयं राजा है। डा. मुखर्जी जहां होंगे वहां अपनी आभा बिखेरेंगे। जहां होंगे वह विद्वत्ता की बात करेंगे। राष्ट्र-प्रेम पर बल देंगे और इसी तरह से उन्होंने विरोधी दल के नेता की जिम्मेदारी उठाई, राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति वह समर्पित थे। जब उन्होंने देखा कि जम्मू-कश्मीर के शेष भारत में एकीकरण के सवाल को लेकर कुछ मतभेद खड़े हो गए हैं तो उन्होंने आन्दोलन का रास्ता पकड़ा। वह श्रीनगर गए। मैं उस यात्रा में उनके साथ था। मेरा सौभाग्य उनके साथ काम करना था वह नहीं चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर और शेष भारत में किसी तरह की बाधा रहे, किसी तरह की रुकावट रहे। वह भावनात्मक एकता के लिए काम कर रहे थे। बाद के सारे प्रसंग में मैं नहीं जाना चाहता। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दुखद प्रसंग यह है कि वह फिर कश्मीर से वापस नहीं आये। मुझे उन्होंने वापस भेज दिया कि जाओ और जाकर देशवासियों से कहो कि देखो मैं जम्मू-कश्मीर में प्रविष्ट हो गया हूं। मगर एक कैदी की हैसियत से प्रविष्ट हुआ हूं। मृत्यु ने उनको मुक्ति दे दी। जब कभी हम उनके जन्म का उल्लेख करते हैं तो उनकी पुण्य तिथि भी हमें याद आ जाती है।

डा. मुखर्जी ने उस जमाने में अलग-अलग पार्टियों को मिलाकर मतभेद होते हुए भी संयुक्त सरकार बनाकर काम किया। फज़लुलहक के साथ सरकार बनाई। उनका उद्देश्य था बंगाल में लोकतंत्र चले, बंगाल समृद्धि के रास्ते पर बढ़े और वह मानते थे कि देश में दो-तीन बड़ी पार्टियां होनी चाहिए। प्रतिपक्ष अगर सबल नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र को कारगर तरीके से व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। यह बात वह इसलिए नहीं कहते थे कि वह विरोधी दल के नेता थे। लेकिन, वह यह बात इसलिए कहते थे कि सचमुच में लोकतंत्र की सफलता के लिए दल सुदृढ़ हो, दलों में अनुशासन रहे, लेकिन दलों में परस्पर सहयोग भी हो। राष्ट्रहित के सवाल पर सब मिलकर काम करें और ऐसा ही हुआ था।

लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद डा. मुखर्जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे का गठन किया था 'नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट'। शायद वहीं 'नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट' अब 'नेशनल डेमोक्रेटिक एलायन्स' के रूप में प्रकट हुआ है। उस समय कई पार्टियां जुड़ीं, गणतंत्र परिषद, अकाली दल, एकट्ठा होकर उन्होंने लोकसभा में एक सबल प्रतिपक्ष बनाया। सरकार पर अंकुश लगाने का काम किया और इसलिए उस काल में यह

प्रतिपक्ष कमजोर था। फिर भी, जिनके हाथ में सत्ता थी उनमें यह भाव पैदा नहीं हुआ कि वह विरोध के प्रति असहिष्णु हो जायें।

हम मिली-जुली सरकारों के युग में प्रवेश कर गये हैं। अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो कई पार्टियां मिलकर काम करें। सबकी विचारधारा एक होना जरूरी नहीं है, लेकिन सबके मन में एक भाव होना चाहिए कि हम जनता के कल्याण के लिए, देश के भले के लिए इकट्ठे हुए हैं। कार्यक्रम के आधार पर एक हो सकते हैं, उस कार्यक्रम को ईमानदारी से लागू किया जा सकता है और लागू किया जाना चाहिए। डा. मुखर्जी ने ऐसे कारखाने लगाने का आरंभ किया जो आधारभूत उद्योग हैं, जिनके बिना देश का औद्योगीकरण नहीं हो सकता। अपनी जिम्मेदारी निभाई। प्रामाणिक मतभेद हुए तो छोड़ दिया, लोकसभा में बहस का एक स्तर रखा। वह दृश्य देखने लायक होता था जब वह प्रतिपक्ष में खड़े होकर सत्ता पक्ष पर हमला करते थे। आनन्द आता था। आज उतना आनन्द नहीं आता। आज शोर ज्यादा होता है। तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने की तैयारी कम दिखाई देती है।

हमें लोकतंत्र को बलशाली बनाना है। पड़ौस के देश में जब लोकतंत्र समाप्त हो गया, सैनिक तानाशाही हो गई, हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हम राजनैतिक मतभेदों के बावजूद मिलकर काम करने के लिए तैयार रहें और मैं देखता हूं कि तैयार होते भी हैं। जब राष्ट्र पर संकट आता है, इस राष्ट्र में कुछ ऐसी विशेषता है, राष्ट्र इकट्ठा हो जाता है, मिलकर खड़ा हो जाता है। अभी कारगिल के युद्ध में आपने देखा। हमारा पड़ौसी समझता था कि नई दिल्ली में कोई सरकार नहीं है, है तो कामचलाऊ सरकार है, इस पर हमला कर दो, उनकी जमीन हथिया लो और फिर खाली करने से इंकार कर दो। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन देश तैयार था। बिगुल बजा और देश तैयार हो गया। सेनाएं तैयार हो गईं, खतरे की घंटी बजी और देश ने कमर कस ली और हमने कहा कि तब तक इस क्षेत्र में शांति नहीं होगी, जब तक सारा कारगिल का इलाका हमारे पास वापस नहीं आयेगा, जब तक कारगिल का इलाका खाली नहीं किया जायेगा। और कारगिल का इलाका आज हमारे पास है। देश की अंदर की स्थिति क्या है? आपको सब पता है। आन्तरिक स्थिति को सुधारना जरूरी है। लेकिन उसका मूल है कि राष्ट्रीयता के सवाल पर सबका एक साथ आना और हमारे सभी नेताओं ने हमें साथ-साथ काम करने का परामर्श दिया।

मतभेदों के बावजूद मुझे याद है कि मैं एक वोट से चुनाव हार गया था। प्रधानमंत्री पद से हट गया था। हमने बुरा नहीं माना, हमने कटुता नहीं उत्पन्न होने

दी। अगर सभी दल इस तरह से काम करें तो देश की तस्वीर बदली जा सकती है। आज डा. मुखर्जी के जन्मदिन पर, हम संकल्प लें कि राजनैतिक और वैचारिक मतभेदों के रहते हुए भी हम एक राष्ट्र के नाते खड़े रहेंगे, एक राष्ट्र के नाते इसकी सेवा करेंगे और अच्छी सरकार चलाकर जनता की इच्छाएं और अपेक्षाएं पूरी करेंगे।

आपने मुझे निमंत्रण दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। अभी अनंत कुमार जी ने ऐलान किया कि डा. मुखर्जी की जन्म शताब्दी का समारोह पूरे साल मनाया जायेगा। सारे देश में मनाया जायेगा, सबके सहयोग से मनाया जायेगा। इसके लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जायेगा और इसके साथ ही आज हम यह भी फैसला कर रहे हैं कि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में हम एक भव्य स्मारक निर्माण करें, तो उसका विवरण तैयार किया जा रहा है। वह स्मारक डा. मुखर्जी की कीर्ति के अनुरूप होगा, वह बंगाल के भी गौरव की रक्षा करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

डा. मुखर्जी देश के लिए जन्मे, जिये, जूझे और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। आज उनके जन्मदिन पर हमारा आनंदित होना स्वाभाविक है। हम उनके सही उत्तराधिकारी सिद्ध हों, भगवान हमें इसके लिए शक्ति दे।

जल संसाधन का लाभकारी उपयोग

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की चौथी बैठक में भाग लेते हुए मैं अति प्रसन्न हूं। जल संसाधनों के प्रबंधन और विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए हम सभी यहां इकट्ठे हुए हैं। हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में इनकी बड़ी भागीदारी है।

बेशक, हमने अपने प्रयासों से जल संसाधनों के प्रबंधन और उपयोगिता में काफी सुधार किया है। किन्तु, और भी बहुत कुछ करना शेष है। सचमुच, आर्थिक विस्तार की आवश्यकताएं और बढ़ती आबादी के लिए पानी की जरूरतों को पूरा करना भविष्य की बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसकी प्रतिव्यक्ति घटती हुई उपलब्धता के कारण, जल संसाधनों का वांछित विकास किया जाना है तभी हमारी जरूरतें पूरी हो पाएंगी और हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की बैठक में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 7 जुलाई 2000

इस चुनौती पर विजय पाने में हमारे सामूहिक प्रयासों को निम्न तरीकों से सफलता मिल सकती है :

- जल संसाधनों की उपलब्धता और मांग से संबंधित विस्तृत सूचना पद्धति:
- प्रत्येक नदी-घाटी में संसाधनों के समेकित विकास और प्रबंधन के लिए संस्थान; और,
- संयुक्त घाटी वाले राज्यों द्वारा अन्तर्राज्यीय नदियों के पानी बंटवारे पर समझौता।

पानी की घटती हुई गुणवत्ता, भू-जल का अत्यधिक दोहन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव और विकास योजनाओं द्वारा प्रभावितों के पर्याप्त पुनर्वास की समस्याओं से निपटने के लिए भी गंभीर विचार-विमर्श की आवश्यकता है। मुद्दों को मिलाकर इस बैठक का मसौदा बनता है जिसे संशोधित राष्ट्रीय जल नीति में शामिल किया जाना है। मैं चाहता हूं कि राज्यों की संयुक्त घाटियों के जल बंटवारे का उन राज्यों के बीच बंटवारे पर इस बैठक में दिशानिर्देश तय किए जाएं और उस पर आम सहमति हो।

जलसंसाधनों के वांछित उपयोग के लिए दीर्घकालिक और निर्बाध विकास जरूरी है। इसके लिए राष्ट्रीय आम सहमति हासिल करने के लिए बैठक में विचार-विमर्श के बिन्दुओं पर आधारित नीतियों की रूपरेखा तैयार की गई है।

मुझे बताया गया है कि नीति की रूपरेखाओं और दिशानिर्देशों को राष्ट्रीय जल नीति बोर्ड में चर्चा के बाद तैयार किया गया है, जिसके सदस्य राज्य सरकारों के मुख्य सचिव होते हैं। मुझे मालूम है कि अधिकांश राज्यों के बीच इन दस्तावेजों पर आम सहमति है, फिर भी आप में से कुछ लोगों ने इन तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर राय प्रकट की है:-

- एक विस्तृत सूचना पद्धति कायम करना;
- एक नदी-घाटी संगठन की स्थापना; और,
- संयुक्त घाटी वाले राज्यों के बीच जल वितरण। विभिन्न स्तरों पर विकास के लिए एक पूर्ण विकसित और पारदर्शी सूचना पद्धति का होना प्राथमिक आवश्यकता है। जल संसाधन का विकास भी इसका अपवाद नहीं है। ऐसी सूचना पद्धति जिससे कि संयुक्त घाटी वाले राज्यों के अधिकारों का हनन न हो सके। इससे उन्हें अपने हिस्से के जल के बेहतर उपयोग की सुविधा हो।

जल संसाधनों के विकास की रूपरेखा का नकारात्मक पक्ष धार्मिक दृष्टिकोण के अभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्षेत्रीय असंतुलन का माहौल है। इन असंतुलनों को

दुरूस्त किया जा सकता है, बशर्ते कि जल के प्रबंधन और विकास की पूर्ण रूपरेखा हो। इस लक्ष्य को पाने के उद्देश्य से कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त अधिकारसम्पन्न नदी-घाटी संगठन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इस बात की आशंका है कि ऐसे संगठनों की स्थापना से राज्य सरकारों के अधिकारी के अधिकार का हनन होगा अथवा सिंचाई व्यवस्था जारी रखने में उन्हें कठिनाई होगी।

केन्द्र सरकार इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है जब तक भागीदार राज्य सरकारें पूर्ण सहमत न हों, ऐसे संगठन स्थापित नहीं होंगे।

संयुक्त घाटी वाले राज्यों के बीच जल बंटवारे का मुद्दा भी अवरोधक बन रहा है। संयुक्त घाटी वाले राज्यों के बीच जल बंटवारे के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश की कमी ही इस स्थिति के लिए प्रमुख जिम्मेदार है।

नीति की रूपरेखा में राज़्यों के बीच जल बंटवारे के प्रावधान को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय जल बोर्ड ने इस बंटवारे को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्तावित किया है। सार्थक वार्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर इसे सुझाया गया है। यह भी ध्यान में रखा गया है कि इन प्रावधानों पर अमल करके राज्यों के हितों की सुरक्षा हो तथा नदी-घाटी के निवासियों का आर्थिक विकास सुदृढ़ हो।

आशा है, मुद्दे से संबंधित आशंकाएं दूर होंगी और चर्चा के दौरान मतभेद भी दूर हो जाएंगे।

मैं इस बात से वाकिफ़ हूं कि आज की बैठक का मसौदा भारी-भरकम है। राष्ट्रीय जल नीति और दिशानिर्देश की रूपरेखा, मसौदे के दो प्रमुख तथ्य हैं।

मैं परिषद के सदस्यों के विचार के लिए एक सलाह देना चाहता हूँ कि आज हमलोग राष्ट्रीय जल नीति की रूपरेखा के अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करें। इन दिशा निर्देशों को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री के नेतृत्व वाली कार्यकारिणी को राज्य सरकारों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से सौंपा जा सकता है ताकि इस तरह परिषद की अगली बैठक में विचार के लिए आम सहमति का प्रस्ताव पेश हो सके।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व जल संसाधन के प्रबंधन और विकास के एक अन्य पहलू का जिक्र करना चाहूंगा। प्रत्येक नागरिक, खासकर गांवों में रहने वाले लोगों तथा दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। इस लक्ष्य को पाने के लिए राज्य सरकारों से मदद की अपील करता हूँ।

वित्तीय संसाधनों के बंटवारे से अलग जल संसाधनों के उपयोग पर कोई भी निर्णय लेने से पूर्व हमें सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले।

उद्योगों के लिए भी पर्याप्त जल-आपूर्ति सुनिश्चित करना जरूरी है। किन्तु हमें याद रखना चाहिए कि हमेशा मशीन से पहले आदमी ही आता है।

मुझे आशा है कि राज्यों के बीच जल बंटवारे की नीति और दिशानिर्देशों पर इस बैठक में सार्थक चर्चा हुई है।

अगर भारत में हमें जल की कमी की समस्या से निपटना है तो हमें जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वांछनीय विकास सुनिश्चित करना होगा।

इसे हासिल करने का समय अभी से शुरू है।

व्यावहारिक स्तर पर जनसंख्या-वृद्धि को रोकें

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पहली बैठक में आपके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। आपमें से कई अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर यहां एकत्र हुए हैं। यह तेजी से बढ़ती जनसंख्या के बारे में विश्वभर में उत्पन्न हो रही चिंता का परिचायक है।

इस समस्या का समाधान अपनी जनसंख्या को व्यवहारिक स्तर पर थामने में है। जनसंख्या का स्थिरीकरण एक चुनौती है। लेकिन यदि हम इस चुनौती पर काबू पा लें, तो हम सच्चे मायनों में अपने मानव संसाधन को एक अजेय शक्ति में बदल सकते हैं, जो भारत को चहुंमुखी समृद्धि की ओर ले जाएगी।

लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की अपेक्षा सरकार से की जाती है। लेकिन जिस दिन हमने एक अरब का आंकड़ा पार किया था, तब मैंने कहा था कि अगर किसी देश की जनसंख्या ऐसे ही छलांगें मार कर बढ़ती रहे, तो सरकार के लिए लोगों की उचित जरूरतें पूरी करना वास्तव में असंभव हो जाता है। नतीजा यह होता

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की उद्घाटन बैठक में भाषण, नई दिल्ली, 22 जुलाई 2000

है कि अच्छी से अच्छी नीयत के बावजूद सरकार अधिक से अधिक लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के अपने बुनियादी कार्य में विफल हो जाती है। इसलिए, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि जनसंख्या को उस सीमा तक न बढ़ने दे कि उसे संभालना ही कठिन हो जाए।

भारत ने यह बात, ऐसी समस्या वाले किसी भी अन्य विकासशील देश से पहले ही समझ भी ली। दरअसल हम तो पहला ऐसा देश थे जिसने काफी पहले, 1952 में एक राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम तैयार किया और उस पर अमल किया। उस कार्यक्रम का उद्देश्य जन्म दर को घटा कर उस सीमा तक लाना था, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप स्तर पर जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जरूरी हो।''

उस कार्यक्रम के पीछे के इरादे में कोई दोष नहीं निकाल सकता, बल्कि यह तो पांच दशक पहले भारतीय समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक और पारम्परिक वास्तविकताओं को देखते हुए एक साहसिक कदम था।

लेकिन, जनसंख्या की बेलगाम वृद्धि को रोकने में उस कार्यक्रम और बाद में बनाई गई नीतियों की प्रभावोत्पादकता की वास्तविकता के आधार पर जांच से यह बात सामने आई कि सच्चाई चिंताजनक थी, आज भारत जनसंख्या की दृष्टि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व के भौगोलिक क्षेत्र के आज 2.5 प्रतिशत वाले इस देश में विश्व की लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या रहती है।

हर साल अनिश्चित भविष्य लिए 1.5 करोड़ से अधिक बच्चे यहां जन्म लेते हैं। भारत उन देशों में से एक है, जिनकी बाल मृत्यु दर अधिक है। पांच वर्ष से कम की आयु वर्ग के हर 1000 बच्चों में 100 और 15 वर्ष से कम के 1000 बच्चों में से 200 से अधिक को समय से पूर्व मृत्यु का खतरा रहता है।

यह सच्चाई भी कम परेशान करने वाली नहीं है कि चार वर्ष से कम के आधे से अधिक हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, हमारे 30 प्रतिशत नवजात कम भार के होते हैं, हमारी 60 प्रतिशत स्त्रियों में खून की कमी होती हैं। विश्व के 40 प्रतिशत कुपोषित बच्चे हमारे देश में ही रहते हैं।

वास्तव में यह बड़ी ही विरोधाभासी सी बात है, कि खाद्य उत्पादन, रोग नियंत्रण और समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में की गई प्रगति के बावजूद यह स्थिति है। असंख्य जनसंख्या कार्यक्रमों के बावजूद और सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली बड़ी राशियों के बावजूद ये कड़वी सच्चाइयां बनी हुई हैं।

स्वाभाविक है कि इन कार्यक्रमों में कमियां भीं आई इनके क्रियान्वयन में लापरवाही हुई।

अगर मुझे उन कारणों की सूची बनाने को कहा जाए जिनकी वहज से व्यापक परिवार कल्याण कार्यक्रमों और भारी मात्रा में धन खर्च करने के बावजूद पिछले 100 साल में भारत की जनसंख्या 24 करोड़ से 100 करोड़ क्यों हो गई, तो मोटे तौर पर मेरे कारण ये होंगे :

- बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक नहीं पहुंच सकी हैं,
- उच्च बाल मृत्यु दर,
- साक्षरता दर का, विशेषकर महिलाओं में कम होना,
- ग्रामीण व शहरी गरीबी के लगातार उच्च स्तरों पर बने रहना,
- विकल्पों की अपर्याप्त जानकारी तथा गर्भ निरोध सेवाओं की अपूर्ण मांग, और
- निस्सन्देह, समस्या का ईमानदारी से सामना करने और चुनौती पर विजय पाने के लिए राजनीतिक के साथ-साथ जनसामान्य की इच्छाशक्ति का अभाव।

सच तो यह है कि चीन, बंगलादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों की सफलता की कहानियां दर्शाती हैं कि पर्याप्त जन समर्थन से राजनीतिक इच्छा शक्ति के बूते पर जनसंख्या वृद्धि को रोकने का असंभव सा लगने वाला काम, पूरा किया जा सकता है। लेकिन, यह जरूरी नहीं है कि ऐसे उदाहरण भारत से बाहर ही मिल सकते हैं।

घर में ही, हमारे यहां केरल, गोवा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई उदाहरण हैं। इनमें से प्रत्येक राज्य ने अपनी-अपनी जनसंख्या पर अंकुश लगाने के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। केरल और गोवा की प्रजनन व मृत्यु दरें तो विकासशील देशों की दरों के समान हैं। ये राज्य साक्षरता विशेषकर स्त्रियों को साक्षर बनाने, स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं और जागरूकता अभियानों का लाभ उठा रही हैं।

इस परिदृश्य के दूसरे छोर पर बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य हैं। इन राज्यों में मृत्यु दर और प्रजनन दरें बहुत अधिक हैं। ये अपने लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। और स्त्रियों में सशक्तिकरण की दिशा में भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं, और ये ही वो घटक हैं, जो परिवार का आकार तय करने में अंततः एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

पर विडम्बना यह है कि स्वयं इन राज्यों के भीतर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी और समाज के सक्रिय सहयोग से स्वास्थ्य तथा शिक्षा की दिशा में प्रयासों के अच्छे परिणाम निकले हैं। मैं इन राज्यों की सरकारों से देश में और अपनें ही इलाकों के भीतर के क्षेत्रों की सफलता की कहानियों से सबक लेने का आग्रह करूंगा।

जहां तक केन्द्र सरकार का सवाल है, वह कार्यक्रमों की कमियों को दूर करने के लिए कृत संकल्प है तथा वह यह भी सुनिश्चित करेगी कि इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में चूक न हो। पहले कदम के रूप में नौवीं पंचवर्षीय योजना में तेजी से जनसंख्या की वृद्धि को थामने की रणनीति की जरूरत को रेखांकित किया गया है, जिसके लिए

- शिशु एवं माता मृत्युदर में कमी करने, और
- गर्भनिरोधक साधनों की जरूरतों को पूरा करने पर जोर दिया गया है।

नौंवी योजना का सामाजिक क्षेत्र में और अधिक निवेश करने तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी साक्षरता और स्त्रियों के सशक्तिकरण कार्यक्रमों में तालमेल करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इन उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि की समस्या पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए, हमने बाद में दो निर्णय लिए।

पहला, हमने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 अपनाई, जिसमें परिवार कल्याण कार्यक्रमों के स्तर में सुधार करने और इनके दायरे को विस्तृत करने के साथ-साथ इन कार्यक्रमों के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं पर निगरानी रखने पर जोर दिया गया है। नीति में सम्पूर्ण समाज के साथ-साथ समाज के मूल घटक, परिवार को विशेष महत्व दिया गया है। नीति का उद्देश्य समग्र जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ-साथ परिवारों को व्यवहारिक प्रजनन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देना है।

साथ ही यह नीति विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों और आर्थिक विकास कार्यक्रमों के बीच तालमेल को बढ़ावा देती है। इसका आधार यह बात है कि जनसंख्या को थामना ही सतत विकास की कुंजी है, क्योंकि जनसामान्य के जीवन स्तर में सुधार का दारोमदार इसी पर है।

हमारा दूसरा प्रयास था राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन। यह एक व्यापक आधार वाला निकाय है, जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही तरह के संगठनों के अलावा समाज को प्रभावित करने की क्षमता वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है।

आपके लिए जनादेश यह है कि :

- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की समीक्षा करें, इस पर निगरानी रखें और इसके क्रियान्वयन के लिए जरूरी निर्देश दें, ताकि हमने जिन लक्ष्यों का निर्धारण किया है, उन्हें प्राप्त किया जा सके।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्बद्ध विकास कार्यक्रमों में परस्पर तालमेल को बढ़ावा दें, ताकि 2045 तक जनसंख्या में ठहराव लाया जा सके।
- विभिन्न क्षेत्रों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों ही की एजेंसियों की मदद से कार्यक्रमों के नियोजन और क्रियान्वयन दोनों ही में अंतर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दें।
- इस राष्ट्रीय प्रयास के समर्थन में एक जनांदोलन तैयार करें। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना, निस्सन्देह कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की सहायता से और अपने जरिए भारत के लोग, और सरकार :
- दो बच्चों की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने की नीयत से सबको उच्च स्तरीय परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध कराने,
- जन्म, मृत्यु और विवाह का पूर्णतया पंजीकरण,
- जन्मों को रोकने की विधियों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने तथा अपने परिवारों को नियोजित करने के लिए, विशेषकर स्त्रियों को विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता,
- शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्मों पर 30 से कम लाने और कम भार के जन्मों में कमी करने तथा माताओं की मृत्यु दर घटाने,
- रोके जा सकने वाले रोगों से बचाव के लिए प्रतिरक्षीकरण,
- लड़कियों के विवाह को 18 वर्ष से पहले कर दिए जाने की घटनाओं को रोकने
- प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कराए जाने वाले प्रसवों की सफलता दर शत प्रतिशत करने,
- रतिज रोगों, विशेषकर एड्स की रोकथाम
- सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा, लड़कों व लड़कियों दोनों ही द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की दरों में कमी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगी।

राष्ट्रीय जनसंख्या द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करने के लिए मेरी सरकार का एक अधिकार प्राप्त कार्य दल और एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि बनाने का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े इस कार्यदल को क्षेत्र विशेष कार्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इन कार्यक्रमों में उन राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण योग्य सीमाओं के भीतर रखने में पिछड़ रहे हैं तथा अगले दो दशकों में जिनकी जनसंख्या देश की जनसंख्या की लगभग आधी हो जाएगी।

यह कार्य दल इस राष्ट्रीय प्रयास में स्वयंसेवी संस्थाओं, सामुदायिक संगठनों और पंचायती राज संस्थानों को सक्रिय रूप से शामिल करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। यह दल गर्भनिरोधकों के सामाजिक विपणन की ऐसी व्यवस्थाओं का भी पता लगाएगा जिससे इनके प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ से आसानी से सुलभ हो सकें।

राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि की कल्पना राष्ट्रीय स्वैच्छिक साधनों से जुटाए जाने वाले धन के वितरण की खिड़की के रूप में की गई है, जो जनसंख्या को स्थिरता प्रदान करने की दृष्टि से विशेष रूप से बनाई गई परियोजनाओं की मदद के लिए बनाई गई है। मैं निगमित क्षेत्र, उद्योग, व्यापार संगठनों और व्यक्तियों से इस निधि में उदारतापूर्वक दान करने तथा इस राष्ट्रीय प्रयास में हाथ बंटाने की अपील करता हूं।

इस निधि की शुरूआत के लिए योजना आयोग अपने उपलब्ध संसाधनों में से इसके लिए मूल अंशदान की व्यवस्था करने पर गौर कर सकता है। हम राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि के प्रबंध में गैर-सरकारी संगठनों में प्रतिनिधियों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे।

मित्रो, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग न केवल नए-नए विचार रखने में सक्रिय भूमिका निभाएगा, अपितु उन पर अमल करने में भी मदद करेगा।

मैंने शुरू में कहा था कि बड़ी तेजी से बढ़ रही भारत की जनसंख्या एक चुनौती है, जो देश के सामने मुंह बाए खड़ी है। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि मिलकर हम इस चुनौती का सामना कर सकेंगे।

आधुनिक भारत के चाणक्य

सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं श्री दिग्विजय सिंह और उनके साथियों को, जिन्होंने पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की जन्म शताब्दी मनाने के लिए समिति का गठन किया और, आज उसका प्रारम्भ हो रहा है। यह समारोह साल भर चलेगा, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। इस समारोह को सफल बनाने में केन्द्र सरकार का जितना भी सहयोग आवश्यक होगा, वह उन्हें मिलेगा। अगली जन्मतिथि पर डाक टिकट छपकर तैयार हो जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं।

मेरा यह सौभाग्य नहीं था कि मैं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के अधिक सम्पर्क में आ सकता। जीवन के अंतिम दिनों में जरूर उनसे कई बार मिलने का मौका मिला। उन्हें पलंग पर लेटे हुए देखकर मुझे भीष्म पितामह की याद आती थी। भीष्म पितामह से कौरव भी परामर्श के लिए आते थे और पांडव भी आते थे। यही दृश्य वहां भी दिखाई देता था। पंडित जी सबको सलाह देने के लिए तैयार रहते थे। दूरदृष्टि थी उनकी, व्यक्तियों का और घटनाओं का सही विश्लेषण करते थे। क्या अभीष्ट है, क्या देश के हित में है, इसकी चर्चा करते थे, और, उनके सुझाव भी बड़े दूरगामी होते थे। शायद इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में कहा जाने लगा था।

उनके जीवन के अनेक प्रसंग विवादग्रस्त हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। नरसिंह राव जी ने जहां अपना भाषण समाप्त किया, वहीं से मैं शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने *कृष्णायन* के बारे में कहा। मुझे भी सचमुच में इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि *कृष्णायन* के लेखक कवि को साहित्यिक लोग, साहित्यकार कवि, विद्वज्जन जितना जानना चाहिए उतना क्यों नहीं जानते, इस पर भी खोज करनी पड़ेगी। यह भी अनुसंधान का एक विषय हो सकता है। लेकिन यह सही है कि *कृष्णायन* की उपेक्षा हुई है। किसी उद्देश्य से हुई हो, किसी हेतु हुई हो, यह मैं नहीं मानता लेकिन यथार्थ यही है कि *कृष्णायन* के कवि को उसका सम्मान नहीं मिला। बल्कि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को तो सम्मान मिला लेकिन *कृष्णायन* के कवि को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। उन्होंने और भी ग्रन्थ लिखे और जो पहलू मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं वह उनके विचारक होने का पहलू है।

पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2000

देश की स्थिति के बारे में चिंतन करना, सत्य की खोज में लगे रहना, जो तथ्य हों, उनका उद्घाटन करना और कठिन से कठिन बात को भी, कड़वी से कड़वी बात को भी बड़ी शालीनता के ढंग से, कलम के माध्यम से प्रस्तुत करना, यह मिश्र जी का गुण था। उन्होंने व्यक्तियों की बड़ी आलोचना की, मगर अपने को भी बख्शा नहीं।

उन्होंने स्वयं आमुख में लिखा है - Having vowed to tell the truth I know it, (यह बड़ा सारगर्भित है), I have supplied material in this volume, some of which can be construed against myself. अपने खिलाफ लिखने में उन्हें संकोच नहीं था, उन्होंने पहले से ही चेतावनी दी थी कि मैं लिख सकता हूं और मैंने लिखा है। This does not grieve me as I am not vain enough to liken myself to the lotus leaves which though immersed in water, remains unmoistened by it. मैं कमल पत्र नहीं हूं, कीचड़ में पैदा हुआ हूं तो थोड़ी-सी कीचड़ लग सकती है। कौन लेखक इस तरह से अपनी जीवनी का प्रारम्भ करता है, कौन अपने आत्मालोचन की गहराई में इतना जा सकता है। और, इसीलिए उन्होंने जो कुछ लिखा औरों के बारे में, उसमें कोई पूर्वाग्रह था, यह नहीं कहा जा सकता। जो कुछ उन्होंने सोचा, ठीक समझा वह लिखा। मैं तो मानता हूं कि मिश्र जी एक चिंतक थे, एक विचारक थे, जब उन्होंने पढ़ाई छोड़ी, तब इतिहास बनाने की बात कही थी शायद अपने अध्यापक से। उन्होंने कहा कि अब इतिहास पढ़ने का समय नहीं है, अब मैं इतिहास बनाऊंगा। 1920 में जब वह असहयोग आंदोलन के लिए पढ़ाई छोड़कर गये, उस समय का प्रसंग है। और, सचमुच में उन्होंने इतिहास बनाया। भारत की राजनीति पर उनकी एक अमिट छाप है। केवल मध्य प्रदेश पर नहीं, अखिल भारतीय राजनीति पर। स्वतंत्रता सेनानी थे, यह अनेक लोगों ने उल्लेख किया, मगर यह घटना पढ़कर मैं दंग रह गया, जिसमें कहा गया है कि जब उन्हें जेल भेजा गया तो जेल के अधिकारियों ने कहा कि आप अपने कपड़े उतार दीजिए आपको जेल के कपड़े पहनना है, आप खादी नहीं पहन सकते। उन्होंने कहा, मैं खादी नहीं छोड़ सकता। तो घटना का वर्णन इस प्रकार है कि जेल के अधिकारियों ने जबर्दस्ती उनके कपड़े उतार दिये, उन्होंने टाट लेकर अपना बचाव किया, टाट लेकर अपनी स्थिति को सम्भाला और उसी हालत में जबलपुर जेल से अकोला भेजे गये थे। खादी का प्रेम होना एक बात है मगर खादी अगर नहीं मिलेगी तो मैं नहीं पहनूंगा, यह जिद है तो छोटी-सी जिद दिखाई देती है। मगर छोटी-सी जिद के पीछे कितना बड़ा व्यक्तित्व छिपा हुआ है, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं।

आज पाकिस्तान और भारत के संबंधों की पुनः चर्चा आरम्भ हो गई है। पाकिस्तान के निर्माण, पाकिस्तान के साथ हमारा व्यवहार, हमारे साथ पाकिस्तान का व्यवहार, इस पर काफी चर्चा हो रही है। मैंने देखा कि पंडित जी ने पाकिस्तान के संबंध में जो लिखा वह सचमुच में स्मरण रखने लायक है, मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं- पाकिस्तान के उद्‌भव तथा उसके निर्माण के परिणाम के संबंध में मेरे विचार भी खीझ पैदा कर सकते हैं। 'यद्यपि धर्म निरपेक्षता में मेरा विश्वास रहा है, लेकिन मैं यह ठीक नहीं मानता हूं कि वह हमें विगत तथा आगत के खतरों को ठीक तरह समझने से रोके। भय तथा महत्वाकांक्षा से पैदा हुई अलगाव की भावना से पाकिस्तान अस्तित्व में आया और परस्पर मैत्री रखने के लिए किए गए हमारे प्रयास असफल इसलिए हो गए क्योंकि पाकिस्तान के नेताओं को भय है कि समान हितों पर किंचित भी बल, जिस आधार पर पाकिस्तान खड़ा है, उसे नष्ट कर देगा।'

पंडित जी ने जिस सत्य का निरूपण किया है और जिस सत्य का उद्‌घाटन किया है, बार-बार पाकिस्तान के साथ व्यवहार करते हुए इस कटु सत्य की अनुभूति होती है। क्यों नहीं हम मित्रता से रह सकते? मन में कहीं न कहीं यह भाव है कि अगर हम मित्र बन गये तो फिर अलग-अलग कैसे रहेंगे? इसीलिए जब मैं लाहौर गया और मीनार-ए-पाकिस्तान पर जाने का मौका मिला, मैंने कहा कि पाकिस्तान बन गया है, हमने स्वीकार कर लिया है, आप खुश रहो और हम भी खुश रहें, ऐसा इन्तजाम करो। कहते हैं, अभी भी उनको भरोसा नहीं है। लेकिन पंडित जी ने इस तथ्य पर उंगली रखकर एक बार फिर हमें पुनर्विचार के लिए प्रेरित किया है। मैं बहुत-बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की स्मृति में यह समारोह साल भर चले और अधिकाधिक उनके विचारों का प्रचार हो, नरसिंह राव जी ने एक सुझाव दिया है - *कृष्णायन* की प्रतियां हर लाइब्रेरी में भेजी जा सकती हैं और उनकी जीवनी के जो तीनों खंड हैं, वे तो सचमुच में इतिहास का अंग हैं, केवल आत्मकथा नहीं हैं, उसमें उस समय की देश की दशा का वर्णन है और वह भी सब जगह पढ़ी जाए, लोगों के हाथों में पहुंचे, इस बात का प्रयास भी होना चाहिए।

महाकवि तुलसी

हम तुलसी जयंती के लिए एकत्र हुए हैं। आगे किसका जन्मदिन कब मनाया जाएगा इसकी चर्चा करने की आज आवश्यकता नहीं है। तुलसी संतशिरोमणि हैं, महाकवि हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ऐसे काव्य ग्रंथों की रचना की जो ज्ञानियों और सर्वसाधरण जनों, सबके लिए दिव्य सम्मेलन करती रही हैं। यह अपने में बड़ी कठिन बात है।

काव्य, काव्य या तो ऐसा होता है, सरल होता है, सुलभ होता है, सहज होता है, सबकी समझ में आता है। लेकिन गहराई से गोता लगाने वालों के लिए थोड़ी-सी निराशा होती है। एक दूसरे तरह का काव्य होता है जो बहुत गूढ़ होता है, भाषा क्लिष्ट होती है, विचार ऊंचे मगर सर्वजन सुलभ नहीं होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की यह चेष्टा है कि बड़े-बड़े विद्वानों को, जिनका काव्य नैतिक बल को विश्राम प्रदान करता है तो दूसरी ओर साधारण से साधारण जनों का मनोरंजन करता है। तुलसीदास जी ने स्वयं *रामचरित मानस* में यह निश्चय प्रकट किया था। इसमें दोनों बातों का ध्यान रखा गया है, उनका यह दावा है। इस काव्य में उन्होंने पूरी तरह करके दिखाया है। *रामचरित मानस* में गूढ़ तत्वों का निरूपण भी किया है और सामान्य जनों के हृदय को स्पंदित करने वाले मानवीय संदर्भों का चित्रण भी किया है। कई प्रसंग हैं रामायण के जो पिछले पांच सौ साल से भक्त जनों के हृदयों को स्पर्श कर रहे हैं। साहित्य, भक्त प्रेमी उनका आनन्द लेते हैं और केवल आनन्द नहीं, बल्कि, शिक्षा भी ग्रहण करते हैं।

एक ऐसा प्रसंग है भरत और राम का संवाद जो चित्रकूट में हुआ था। राम वनवास को चले गए थे, भरत जी बाद में आये, वानप्रस्थ के समय उपस्थित नहीं थे। उनके मन में बड़ी ग्लानि थी कि मैं यहां नहीं था। राम सबसे बड़े हैं, उन्हें राजा होना चाहिए था। लेकिन वह मुझे राजा बना गए। राजगद्दी पर नहीं बैठे। राम को वापस लाने के लिए वन की ओर गए। वैसे प्रसंग बड़ा मार्मिक है, मर्मस्पर्शी है। भरत हैं जो कहते हैं कि राज्य मुझे मिला है मगर मैं राज्य नहीं लूंगा। यह राज्य तो आपका है। आप वापस चलिए, फिर से राज्य संभालिए। कैसा अद्‌भुत दृश्य है, कौन गद्दी पर बैठे, इसके लिए विवाद हो रहा है। जरूर, यह राम कथा का ऐसा प्रसंग है। इसे आप पढ़ें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। इसमें मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता।

तुलसीदास जयन्ती समारोह के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 6 अगस्त 2000

अभी पाण्डे जी ने थोड़ा-सा उल्लेख किया कि जब तुलसीदास जी का आविर्भाव, हुआ तब देश पराधीन था। मुगलों का राज्य था। स्थिति अच्छी नहीं थी। सामंती वर्ग को छोड़कर लोग दुखी थे, पीड़ित थे। लोग अपनी आस्था को बिका हुआ पाते थे। उस समय इस बात की आवश्यकता थी कि हिन्दुओं में आत्मविश्वास भरा जाता, उन्हें धैर्य प्रदान किया जाता, तात्कालिक संकटों के सामने विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, यह धीरज दिया जाता। पर यह काम तुलसीदास जी महाराज ने किया, उनकी रामायण ने किया। भीलों, दलितों और पीड़ितों के लिए भी भगवत् प्राप्ति के दरवाजे खुल सकते हैं, खुलेंगे। भक्ति की आवश्यकता है। तप और ज्ञान की तुलना में भक्ति सरल है, साध्य है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही संदेश दिया, कि चाहे अहिल्या हो या शबरी हो, केवट हो, या निषाद हो, सुग्रीव हो या विभीषण हो और कितना भी बड़े-बड़े से बड़ा पापी हो वह भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है यदि भगवत कृपा उस पर हो जाये। इस विचार की बड़ी आवश्यकता थी।

तुलसीदास जी समाज की दशा देखकर दुखी थे। उन्हें स्वयं पंडों का शिकार बनना पड़ा था। कर्मकाण्ड से दुखी थे। सामाजिक भेदभाव ने उन्हें उस समय भी अपना निशाना बनाया था और वह चाहते थे समाज में परिवर्तन हो लेकिन परिवर्तन ऐसा हो वह अपने मूल से जुड़ा रहे, जड़ से जुड़ा रहे, जो समाज की मूल प्रकृति की वृद्धि और प्रतिभा के अनुकूल हो और इसमें तुलसीदास जी ने सफलता पाई। तुलसीदास जी ने ऐसे राम का चित्रण किया जो शबरी के जूठे बेर खा रहा है, जो अहिल्या को अपने पादप स्पर्श से जीवित कर देता है। उस समय महाकवि का आप वर्णन देखिए। राम के लिए, अहिल्या ने जिस वक्त शिला का रूप ले लिया था, पांव लगाना जरूरी था। इसके बिना अहिल्या का उद्धार नहीं होता। लेकिन भगवान राम के मन में संकोच था कि वह गुरुपत्नी हैं, मैं पैर कैसे लगा सकता हूं? एक मानसिक द्वंद्व था और कोई महाकवि यदि उसको चित्रित कर सकता है तो वह तुलसीदास जैसा महाकवि ही उसको चित्रित कर सकता है।

गुरु की पत्नी को पैर लगाने की नौबत आ गई लेकिन बिना पैर लगाये काम भी नहीं बनेगा। अपने कर्त्तव्य का भी पालन करो, लेकिन धर्म की मर्यादा, यह जो असमंजस की स्थिति है, यह तुलसीदास जी ने बड़े सुन्दर ढंग से चित्रित किया है। सब बराबर हैं। यह आरोप गलत है कि तुलसीदास जी ने कोई भेदभाव किया था। ***सियाराम मैं संकटगामी, परहूं राम जय हित गामी।*** इससे ऊंचा और व्यापक दर्शन क्या हो सकता है? कोई पतित नहीं, कोई गिरा हुआ नहीं, कोई विधर्मी नहीं, अधर्मी नहीं। हमें संकुचित कहा जाता है, हमारी विचारधारा को संकीर्ण कहा जाता है। तुलसीदास जी प्रतिक्रियावादी थे—ऐसा मानने वाले लोग भी हैं, ऐसा बोलने वाले लोग

भी हैं। क्या अभिप्राय है उनका इससे, कभी स्पष्ट नहीं करते हैं। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने नारियों के खिलाफ कहा था। गलत बात है। नारी पात्रों के उन्होंने ऐसे चित्रण किये हैं कि नारियों के सामने सारा संसार नत है। लेकिन प्रसंग के अनुसार उन्होंने वर्णन किये हैं। इस युग के दृश्य को उपस्थित करने की कोशिश की है। वर्तमान में सारे चित्र आज की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है, युग बदल गया है, बदलता है और तुलसीदास जी पहले युग के आह्वक थे, लाने वाले थे, उसकी ओर संकेत करने वाले थे। उस युग में वह समाज सुधारक बन गये।

कल्पना करिये पांच सौ साल पहले के हिन्दुस्तान की। किन परिस्थितियों में देश था! आज हम स्वाधीन हैं, अपने घर में अपना राज है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो उस समय से चली आ रही हैं। उन्हें हल करना होगा। हल करने के लिए प्रयत्नशील हैं। लेकिन दो तरह के हल हो सकते हैं। एक, हम अपनी प्रकृति भूल जायें या अस्मिता भूल जायें। हम क्या हैं, क्या थे और क्या होंगे अभी इसका विचार न करें। आधुनिकता में इतना खो जायें कि हमारा रंग-रूप ही बदल जाये, ऐसा नहीं होना चाहिए।

आज दुनिया भर में अस्मिता की लड़ाई चल रही है। छोटे-छोटे समुदाय, छोटे-छोटे वर्ग। भारत एक महान संस्कृति का निर्माता है, उद्‌गाता है। छोटे-छोटे वर्ग भी अपनापन रखना चाहते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। कभी-कभी मैं सोचता हूं कि अगर तुलसी जी न होते तो जो भारतीय विदेशों में मजदूर बनाकर ले जाये गए थे, गुलाम बनाकर ले जाये गए थे उनमें से कितने अपने धर्मो पर दृढ़ रहे। यह राम या राम के आधार पर लिखी गई रामायण और रामायण के रचियता तुलसी और रामायण का भी छोटा गुटका। अभी भी मारीशस में राम कथा होती है। पांच सौ साल बाद, फिजी की भी यही स्थिति है, आज वहां भारतवंशी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जिसके खिलाफ हम लोग जुड़ रहे हैं। मुझे मालूम है कि लोग सरकार की नीति से संतुष्ट नहीं हैं। एक सज्जन ने तो मुझे पत्र लिखा है कि आपने एटम बम बनाया है, किस दिन के लिए बनाया है? क्यों नहीं फिजी पर ही डाल देते? ऐसी गलती तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन आपने देखा कि हम जो अन्तर्राष्ट्रीय दबाव पैदा कर रहे हैं, फिजी की स्थिति बदल रही है। जिसने जबर्दस्ती शासन पर कब्जा कर लिया था वह जेल में पड़ा है। धर्म की विजय होगी, अधर्म का नाश होगा। यह सत्य है।

महेन्द्र चौधरी भारत आ रहे हैं। फिजी के प्रधान मंत्री 17 अगस्त को भारत में होंगे। हमने जो निमंत्रण दिया है, हम सब लोग उनका स्वागत करें। केवल इसलिए कि वहां के भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उनकी चमड़ी

का रंग अलग है। उनके पुरखे अलग थे। लेकिन आज जो फिजी की हालत है, जो थोड़ी-बहुत समृद्धि दिखाई देती है, उनके पीछे भारतीय हैं। उनके करिश्मे में उनका पसीना है। उस समय की कल्पना करिए। लोटा, डोल लेकर और खूंटी टांगकर और रामायण का गुटका लेकर, बड़ी रामायण ले जाते तो जरा बोझा बढ़ता। जहाज में जाना था, दूसरों के जहाज में जाना था। चूंकि गुटका थोड़ी जगह घेरता है और आवश्यकता पड़ने पर छिपाया भी जा सकता है और गुटका पढ़कर लोगों ने राम का स्मरण किया गुटका पढ़कर, अपने धर्म का स्मरण किया और अपने पुरखों का स्मरण किया और इसलिए आज मारीशस में भारतवंशियों का राज है। और भी अनेक देश ऐसे हैं जहां भारतवंशी बड़ी संख्या में रहते हैं और जहां बहुमत में हैं वहां सत्ता में आने का लोकतांत्रिक पद्धति से प्रयास करते हैं। इसीलिए जो अपने को वहां के मूल निवासी कहते हैं उन्हें भारत का इस तरह से वर्चस्व पसन्द नहीं है। वे फिर रंगभेद लाना चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की पराजय हो गई और नये ढंग से रंगभेद को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। हम उन पार्टियों के साथ अपनी एकजुटता प्रकट करते रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय अगर पांच सौ साल से भी भारत में जुड़े हैं तो इसमें राम की महिमा तो है ही, लेकिन तुलसी का योगदान कुछ कम नहीं है।

रामायण की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे डर है कि नई पीढ़ी रामायण का पाठ करने से कहीं दूर न चली जाये और इसलिए रामायण को लेकर जितने भी कार्यक्रम हो सकते हैं उन कार्यक्रमों का आयोजन करें, तुलसीदास जी को लेकर जितने अभियान चलाये जा सकते हैं वे सारे अभियान चलाये जायें। मेरी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा—यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।

प्रेम चंद जी गुप्ता मेरे पुराने मित्र हैं। मेरी जन्मपत्री कहां से देख कर आये हैं! वह मेरी मां के बारे में ऐसी बातें बता रहे थे जो मुझे भी नहीं मालूम। हो सकता है, उस समय मैं गर्भ में होऊं, मुझे तो संदेह है कि उनका जरूर हमारे किसी पण्डे से संबंध है। लेकिन गुप्ता जी हैं, लगे रहते हैं धर्म के काम में, शरीर मे दुबर्लता आ जाती है, कठिनाई पैदा हो जाती है, फिर भी लोग उल्लेख कर रहे थे, ठीक उल्लेख कर रहे थे कि बहुत-से काम अभी हमें करने हैं, सब लोग मिलकर करें सबका साथ लेकर करें। सामाजिक समता हो, समरसता हो।

भारत सम्प्रदाय निरपेक्ष राज्य है। मगर सम्प्रदाय निरपेक्ष राज्य का मतलब यह नहीं है कि हम अपना धर्म भूल जायें, हम अपनी संस्कृति भूल जायें, अपनी सभ्यता को नमस्कार कर लें। हम अपने रंग में रहेंगे और अपने रंग दूसरों पर चढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे।

संबंध शिक्षा और विकास का

मैं सबसे पहले आपका अभिनन्दन करना चाहता हूं। आज राष्ट्र ने आपको सम्मानित किया है। आप उस सम्मान के अधिकारी हैं। चयन में कुछ ही अध्यापक आये लेकिन यह और अध्यापकों का भी सम्मान है। अध्यापक का क्या स्थान है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बढ़ती हुई संख्या के कारण और सुविधाओं की कमी की वजह से छात्रों की ओर जितना अध्यापकों को ध्यान देना चाहिए वह नहीं दे पाता है। इस कमी को कैसे पूरा किया जाये इस पर विचार करने की जरूरत है। अगर छात्र का अध्यापक से व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं है और दूर का नाता है, दूर का रिश्ता है तो फिर वो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसीलिए शिक्षा सर्व-सुलभ हो, कक्षा में कम विद्यार्थी हों और वे अध्यापक से कुछ सीख सकें, पाठ्य विषय के अलावा इसका प्रबंध होना चाहिए। हम अगर प्राथमिक शिक्षा की तरफ पहले से ध्यान देते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन शायद जब प्राथमिकताएं तय हो रही थीं तो और प्रश्नों पर अधिक बल दिया गया। अब आजादी के पचास साल बाद हमें इस बात की अनुभूति हो रही है कि अगर लड़के और लड़कियां शिक्षित हों तो, फिर वे कल्याण के काम में आगे बढ़ सकते हैं। अपना भला-बुरा सोच सकते हैं और मार्ग-दर्शन का लाभ उठा सकते हैं।

जिन प्रदेशों में शिक्षा का अनुपात अधिक है वहां विकास भी है। यहां तक कि वे प्रदेश परिवार नियोजन में भी प्रगति कर रहे हैं। उसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे हम विकास के लिए अच्छी तरह से काम में ला सकते हैं। अध्यापन में शिक्षक की विशेष भूमिका है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह से छात्रों का व्यक्तित्व बनाने में अध्यापक का असर हो, एक उसका प्रभाव हो। शिक्षकों के प्रति आदर होना चाहिए, लेकिन शिक्षक भी आदर का पात्र होना चाहिए, आदर का अधिकारी होना चाहिए। इस दृष्टि से हमें अभी बहुत काम करना बाकी है। अब जहां तक मेरी जानकारी है अब वेतनमान बहुत कम नहीं हैं कम होंगे मगर बहुत कम नहीं हैं। जोशी जी कह रहे हैं कि वह अध्यापक हैं, इसलिए अब कम नहीं हैं। लेकिन अध्यापक का कर्त्तव्य और कर्म, और उस अध्यापन से मिलने वाली आमदनी - दोनों का कोई सीधा संबंध नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अध्यापकों को संबोधित करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 5 सितंबर 2000

बच्चों को पढ़ाना, उनका भविष्य बनाना और केवल जानकारी नहीं देना थोड़े से संस्कार डालना, मैं जानता हूं कठिन काम है और जितनी भीड़-भाड़ है उसमें समय निकालना भी मुश्किल होता है, भाग-दौड़ मची हुई है। लेकिन अध्यापक का थोड़ा-सा संवेदनशील मन विद्यार्थी से सम्पर्क में आते ही एक संबंध विद्यार्थी के जीवन को बनाने में बहुत सहायक हो सकता है। मैं आपको एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनन्दन करता हूं। आप मेरे इस अस्थायी निवास पर आये हैं इसके लिए आपका स्वागत है।

राजभाषा का काम निरंतर चलता रहे

यह बैठक काफी समय के बाद हो रही है। कारणों में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद राजभाषा का काम निरन्तर चलते रहना चाहिए। इस सवाल पर देश में एक राय है। हिन्दी का व्यवहार, हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढ़ रहा है। विश्व में हिन्दी अधिकाधिक मान्यता प्राप्त कर रही है। हिन्दी प्रदेशों में हिन्दी में राजकाज चल रहा है। उसे व्यापक भाषा कैसे बनाया जाए, इस पर भी कार्रवाई हो रही है। राष्ट्रपति महोदय की ओर से इस संबंध में लिखा गया है। लेकिन एक बड़ी कठिनाई हो रही है कि हिन्दी जनता के आधार पर तो बढ़ रही है, बातचीत में सार्वजनिक रूप से, हमारा उद्देश्य भी यही था कि पहले भारतीय भाषाएं आगे आएं और उनके साथ केन्द्र की भाषा के रूप में हिन्दी बढ़े। इस दिशा में कुछ ठोस काम हुए हैं। लेकिन देश का वातावरण ऐसा हो गया है कि हमें लगता है कि अंग्रेजी छा गई है। उसके अनेक कारण हैं। सरकार से संबंधित सब कारण नहीं हैं। लेकिन एक वातावरण की सृष्टि करनी होगी। अंग्रेजी का उपयोग हम करें लेकिन जनता के स्तर पर हिन्दी बढ़ती जाए और शासन में इसका जितना प्रयोग होना चाहिए, वह न हो तो इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है।

अपने-अपने क्षेत्र में हमारी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, मगर राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। उनमें अपनी-अपनी भाषा के अनुसार कामकाज हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जहां तक फाइल पर नोट लिखने का सवाल है, यह एक ऐसी अड़चन है जिसको हल करने का रास्ता निकालना पड़ेगा। जो हिन्दी में नोट होता है उसका

केंद्रीय हिंदी समिति की 25वीं बैठक में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 22 सितंबर 2000

अंग्रेजी का अनुवाद दें यह तो कठिन कार्य है, व्यवहारिक नहीं है। अंग्रेजी नोट का हिन्दी में अनुवाद करने की समानान्तर व्यवस्था होनी चाहिए। वह अभी तक हुई नहीं है। केन्द्र सरकार में अनुवादकों की भारी कमी है। केवल सरकार में नहीं तो कूटनीतिक क्षेत्र हैं उनमें जब विदेशी मेहमान आते हैं, अच्छी अंग्रेजी जानते हुए भी वे अपनी भाषा पर बोलने का बल देते हैं तो स्थिति हमारे लिए विषम हो जाती है। इसका प्रबंध करना पड़ेगा। एक मानसिकता भी है, एक स्वभाव भी है, आदत हो गई है। जब तक संकल्प नहीं होगा, उसके अनुसार आचरण की तैयारी नहीं होगी, तब तक बात नहीं बनेगी। सरकारी कामकाज में परीक्षाओं में भर्ती के लिए अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग हो, यह सबकी इच्छा होनी चाहिए। जितना होना चाहिए, हो नहीं पा रहा है। इसके लिए निश्चय पूर्वक आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस समिति की बैठक वर्ष में एक बार तो अवश्य होनी चाहिए। कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर काम नहीं चल सकता।

और विशेष कुछ नहीं कहना। हिन्दी का प्रयोग जितना बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ये दोनों स्थितियां समिति के सामने आनी चाहिएं। और फिर देख सकते हैं कि कहां कठिनाई पैदा होती है और कठिनाइयों का स्वरूप क्या है? और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। मंत्रालय में क्या स्थिति है? मुझे तो बताया गया है कि मंत्रालयों में हिन्दी समिति का गठन हो चुका है और बैठकें हो रही हैं। नहीं और कुछ नहीं कहना है, करना है।

वरिष्ठ नागरिकों की सेवा-सुश्रुषा और दुख-दर्द बांटना

आज आपके बीच आकर बहुत अच्छा लग रहा है। राष्ट्रीय वृद्ध जन व्यक्ति दिवस, आपके और मेरे दोनों ही के लिए एक विशेष अवसर है। हम लोग एक ही पीढ़ी के जो हैं।

सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से परिवार हमारे समाज की आधारभूत इकाई है। अभी हाल तक परिवारों में तीसरी यहां तक कि चौथी पीढ़ियों के बुजुर्ग होते थे और

राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली, 1 अक्तूबर 2000

सब साथ-साथ रहा करते थे। इस प्रकार संयुक्त परिवार से बुजुर्ग सदस्यों को सुरक्षा और आराम दोनों ही मिलते थे।

इसके अलावा, समाज भी अपनी तरफ से सहायता प्रदान करता था। इसलिए आयु कभी भी न तो व्यक्ति पर या परिवार पर, या फिर समाज पर कभी भी बोझ नहीं हुआ करती थी।

खेद की बात है कि पिछले कुछ दशकों में उन मूल्यों का उत्तरोत्तर क्षरण हुआ है, जो हमारे परिवारों की नींव हुआ करते थे। इसका असर हमारे सामाजिक दृष्टिकोणों पर भी हुआ। और फिर, कई कारणों से विस्तारित तथा संयुक्त परिवार टूट कर केन्द्रित परिवारों में बदल गए।

रोजगार के अवसरों की तलाश में बच्चों को दूसरे शहरों और यहां तक कि विदेशों में जाकर बसना पड़ा है।

राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर एक वयोवृद्ध महिला श्री अटल बिहारी वाजपेयी को आशीर्वाद देते हुए, 1 अक्तूबर 2000

सामाजिक-आर्थिक प्रवृत्तियों से व्यक्ति तो समृद्ध हुए हैं लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर बड़ी ही निराशाजनक है। गांवों और शहरों दोनों में ही ऐसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अपने जीवन के स्वर्णिम वर्षों में अपने आपको त्यागा हुआ, अकेला पा रहे हैं।

हाल ही में, एक समाचार साप्ताहिक पत्रिका में ऐसे राज्यों में वृद्ध नागरिकों की बढ़ती जा रही संख्या के बारे में एक रिपोर्ट छपी थी, जहां से भारी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं।

हालांकि हमारे कुछ वरिष्ठ नागरिक आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं, लेकिन कईयों के पास अपनी देखभाल का कोई भी साधन नहीं है। हर दशा में दोनों में एक बात तो समान है, दोनों एकाकी हैं और जिन दिनों उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उन्हीं दिनों में उन्हें प्यार व देखभाल नहीं मिल पा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। इस जिम्मेदारी को *हेल्पेज इंडिया* जैसे स्वयंसेवी समूहों और सामुदायिक संगठनों की मदद से अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है।

अपनी तरफ से सरकार 1995 से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चला रही है, जिनके पास आर्थिक रूप से जीवन निर्वाह का कोई जरिया नहीं है।

इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि साधारण सी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि राज्य सरकारों के सहयोग से हम इसे बढ़ा पाऐंगे।

जनवरी, 1999 में सरकार ने राष्ट्रीय वृद्ध जन नीति अपनाई, जिसके मूल उद्देश्य अपने तथा अपनी पत्नी या पति की वृद्धावस्था के लिए आर्थिक व्यवस्था करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, परिवारों को अपने वृद्ध सदस्यों को अपने साथ रखने के लिए बढ़ावा देना, स्वयंसेवी संस्थाओं को इस योग्य बनाना कि वे बुजुर्गों को परिवारों द्वारा दी जाने वाली देखभाल को पूरा कर सकें, और नाजुक बुजुर्गों, विशेषकर विधवाओं, विकलांगों और निराश्रित बुजुर्गों को सेवा-सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना है। स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं प्रदान करना इस नीति का अभिन्न अंग है।

इस नीति को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय वृद्ध जन परिषद गठित की गई है। परिषद ने अगले पांच वर्षों में लागू किए जाने के लिए एक कार्य योजना बनाई

है। बुजुर्गों की देखभाल विशेषकर वृद्धाश्रम के रूप में सुविधाएं प्रदान करने के काम में पंचायती राज संस्थाओं को भी शामिल किया है।

लेकिन ये सब, अपने करीबी प्रियजनों को देखभाल और स्नेह का स्थान नहीं ले सकते। मुझे विश्वास है सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों में सकारात्मक सम्मान आएगा, जिससे व्यक्ति पर परिवार की प्रभुता एक बार फिर कायम होगी। हमें ध्यान रखना होगा कि अपने बुजुर्गों को साथ रखने वाले मजबूत परिवारिक रिश्ते हमारी परम्पराओं और हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। परिवार को उन तनावों और दबावों को झेलने में कामयाब होना पड़ेगा, जो आज देखने में आ रहे हैं।

इस दिन, मैं इस देश के प्रत्येक बुजुर्ग नागरिक का अभिनंदन करता हूं और उनके स्वस्थ व प्रसन्न जीवन की कामना करता हूं।

भारतीयता के प्रबुद्ध प्रहरी

प्रकाशवीर जी का नाम लेते ही मेरे सामने कई बरसों के चित्र खड़े हो जाते हैं। उनका संसद में आगमन, एक नये अध्याय के श्रीगणेश की तरह था। अंग्रेजी का बोलबाला था, हिन्दी में बोलने पर प्रसिद्धि नहीं मिलती थी। प्रकाशवीर शास्त्री ने धारा प्रवाह हिन्दी में भाषण देकर संसद को, सदन को मुग्ध कर दिया तो लोग समझने लगे कि हिन्दी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को प्रकट करने की क्षमता रखती है।

मैं पहले भी हिन्दी में बोलता था, पर वह बात नहीं थी। शास्त्री जी का व्यक्तित्व, उनकी ओजस्वी वाणी, उनका संतुलित और सलिला की तरह से प्रवाहित भाषण, उस समय संसद की एक अनोखी चीज थी। श्री अयंगर हमारे तब लोकसभा अध्यक्ष थे। उनसे किसी ने विश्वविद्यालय में पूछा कि आपके यहां सबसे अच्छे वक्ता कौन हैं? तो उन्होंने एक तो प्रो. हिरेन मुखर्जी का नाम लिया और दूसरा प्रकाशवीर शास्त्री जी का। वह मेरे अभिन्न मित्र थे, घनिष्ठता थी, विचारों में साम्य था, स्वाभाव में भी घुल-मिलकर रहने की इच्छा थी। अनेक कार्यक्रमों में, संसद के अतिरिक्त, हमने मिलकर भाग लिया। अगर किसी सभा में, सम्मेलन में, वक्ताओं में प्रकाशवीर शास्त्री का नाम होता तो संयोजकों को भीड़ जुटाने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। शास्त्री

प्रकाशवीर शास्त्री स्मृति ग्रंथों का लोकार्पण करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 5 जनवरी 2001

जी को सुनने के लिए लोग खिंचे चले आते थे। लेकिन शास्त्री जी एक राष्ट्रवादी, प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। अपनी संस्कृति का उन्हें ज्ञान था और अभिमान भी था। वाणी में ओज था, व्यक्तित्व में तेज था। लेकिन सधी हुई भाषा में नपे-तुले शब्दों का प्रयोग करके वह श्रोताओं पर अमिट छाप डालते थे। मैं तो कभी-कभी उत्तेजना में आ जाता हूं, लेकिन शास्त्री जी को मैंने कभी उत्तेजित नहीं देखा। लेकिन संयम धारण करते हुए भी वह कठोर बात इस तरह से कहते थे कि वह चुभ जाती थी। हिन्दी के लिए उन्होंने जो कुछ किया, गंगा बाबू, दिनकर जी, शंकर दयाल जी जो उस समय साथी थे, तो हिन्दी संसद में प्रतिष्ठा का स्थान पा गई। उससे केवल भाषा का प्रयोग नहीं, भाषा में व्यक्त किये गये विचार, उनका प्रभाव था, उनका असर था।

मैं और शास्त्री जी एक बार इस्राइल की यात्रा पर गये थे। वे दिन थे जब इस्राइल को जरा हम दूर रखते थे। क्यों रखते थे, उन कारणों में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन प्रकाश जी और मेरी जोड़ी जम गई और हम गये। यात्रा पर भारत के संसद सदस्य आये हैं, यह बात इस्राइल वालों के लिए एक नई बात थी और संतोष देने वाली बात थी। इस्राइल कहता था कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है, वक्त जरूरत हम काम आते रहे हैं फिर भी आप हमें अस्पृश्य की तरह से देख रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। लेकिन उस समय देश का वातावरण भिन्न था अब तो परिस्थिति बदल गई है। लेकिन उस समय भी प्रकाशवीर जी के मन में, मैं तो संगठन से जुड़ा था, पार्टी से जुड़ा था, प्रकाशवीर जी स्वतंत्र थे, सब विचारधाराओं से सम्पर्क रखते हुए भी अपनी राष्ट्रीय विचारधारा पर दृढ़ रहते थे और इसलिए इस्राइल जाने के लिए कुछ लोगों ने हमारी लानत-मलानत भी की। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधान मंत्री थीं, उनसे जब हम मिलने के लिए गये, उन्हें यह बताने के लिए गये कि हमने वहां क्या किया, किससे मिले, क्या बात हुई और किसी तरह से इस्राइल के लोग शिकायत कर रहे हैं कि भारत हमारे साथ भेदभाव बरत रहा है, इसी कोई आवश्यकता नहीं है। तब इंदिरा जी ने कहा कि आप गये, यह तो ठीक हुआ लेकिन वह वेलिंग वाल के पीछे आपने टोपी लगाकर जो फोटो खिंचवाया, कुछ मुझे पसन्द नहीं आया। मैंने कहा, उन्होंने वहां टोपी लगा दी, यहां भी जब इफ्तार में जाते हैं तो भी तरह-तरह की टोपियां लग जाती थीं। वे टोपियां लगती भी हैं और उतर जाती हैं। मगर सही सलामत सिर रहता है, यही काफी है।

बड़ा दुख हुआ शास्त्री के निधन का। निधन क्या, दुर्घटना थी, असमय में। शरीर दुर्बल हो जाए, शरीर जर्जर हो जाए तब कोई संसार से उठ जाए, यह तो समझ में आ सकता है, लेकिन भरी जवानी में, और पूरा भविष्य उनके सामने पड़ा था। पता नहीं, वह किस क्षितिज को छूते, पता नहीं वह कहां पहुंचते! लेकिन दुर्घटना हो गई।

नियति ने प्रकाश जी को हमसे छिन लिया। लेकिन प्रकाशवीर जी हमारी स्मृतियों में हमेशा रहेंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि प्रकाश जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर ये दो ग्रन्थ छापे गये हैं। देर से छपे हैं मगर बहुत अच्छे छपे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं, अब आप सब ले लीजिए। सिंघवी जी उस समय से प्रकाशवीर जी के परम मित्रों में से हैं। और ग्रन्थों का रूप बहुत अच्छा है। मैं तो सोचता हूं कि मेरे बाद इस तरह के ग्रन्थ छापने वाले कोई न कोई जरूर मिलेंगे। बहुत अच्छे ग्रन्थ हैं, संग्रह करने योग्य हैं। और जो वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है वह हमने सभी दूतावासों को भेजा है और वहां आदर के स्थान पर रखे जाते हैं। दुनिया में वेद पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। और जो पढ़ते हैं वे प्रभावित होते हैं, चर्चा का विषय बनते हैं। अंग्रेजी में उनका अनुवाद बहुत आवश्यक था। लेकिन देश के भीतर हिन्दी थोड़ा पीछे हट रही है और मैं भी दोषी हूं, डर लगता है कि कहीं मैं हिन्दी में भाषण देने के लिए खड़ा हो जाऊं और कोई खड़ा होकर कहे कि हम आपका हिन्दी में भाषण नहीं सुनेंगे, हमें हिन्दी नहीं आती। एक दिन तो हिन्दी की बहस यहां तक चली, हमारे जैन साहब बैठे हुए हैं, कि एक सदस्य ने आक्रोश में आकर कह दिया कि हिन्दी हमारे लिए विदेशी है। लेकिन यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं थी। हिन्दी का प्रचार हो रहा है, हिन्दी बढ़ रही है, हिन्दी पढ़ने वालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन राजकाज में अंग्रेजी छाई हुई है। मैं अगर हिन्दी में नोट लिखूं तो मैं देखता हूं कि मेरे दफ्तर में कितनी परेशानी होती है कि इसका सही अनुवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब उसमें समय लगता है, अगर कोई तत्काल संदेश भेजना हो, तत्काल पत्र लिखना हो तो कठिनाई है। प्रकाशवीर जी ने इस संबंध में जो योगदान दिया उसको स्मरण रखा जाएगा, वह चिरस्मरणीय रहेगा। प्रकाशवीर जी की मूर्ति सामने खड़ी हो जाती है जब उनकी याद आती है। उनके मुस्कुराने का अपना एक ढंग था, व्यक्तित्व में शालीनता थी, इतना सहज भाव था लेकिन गरिमामयी कृति थी।

मैं धन्यवाद देता हूं, लक्ष्मीमल सिंघवी को, सारे अन्य सभी सज्जनों को जो इन ग्रन्थों के प्रकाशन के साथ सम्बद्ध रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है, हिन्दू समाज पर और हिन्दी पर, बड़ा भारी उपकार है और मुझे विश्वास है कि यह ग्रन्थ अधिक से अधिक प्रचारित होगा और उनके भाषणों को छापने का जरूर प्रबन्ध करेंगे।

सबके लिए स्वास्थ्य

कर्नाटक की राजधानी में बनाए गए इस भव्य उपचार मंदिर के उद्घाटन के लिए मुझे बुलाने के भगवान सत्य साईं बाबा के फैसले से मैं सम्मानित हुआ हूं। मैं कई बार उनके ज्ञान मंदिर प्रशांतिनिलयम जा चुका हूं। मैंने पुट्टापर्थी में उनका सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल भी देखा है। तब मैंने मन ही मन कहा था कि आंध्र प्रदेश के लोग ऐसा शानदार अस्पताल पाकर धन्य हो गए हैं। मुझे खुशी है कि अब पड़ोसी कर्नाटक भी भगवान द्वारा उत्पन्न आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण में भागीदार हो सकेगा।

मित्रो, मैंने भारत में और विदेशों में कई अस्पताल देखें है। उनमें से कुछ में तो मैं रोगी की हैसियत से भी रहा हूं। जैसा कि हाल ही में मुम्बई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में मैं दाखिल था। लेकिन मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि इतना शानदार, इतना भव्य और आश्चर्यजनक रूप से इतना सुन्दर अस्पताल मैंने शायद ही कहीं देखा हो।

जब पहले मैंने इस संस्थान का चित्र देखा, तो मैंने कहा कि यह अस्पताल नहीं हो सकता। यह तो राजमहल की तरह लग रहा था, लेकिन यह एक अलग ही महल था। उपचार का ऐसा महल जहां गरीब और अमीर दोनों ही जा सकते हैं।

मैंने राजमहल शब्द का इस्तेमाल जानबूझ कर किया है। क्योंकि बाबा का साम्राज्य सच्चे मायनों में आत्मा का साम्राज्य है, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी कोई राष्ट्रीय सीमाएं नहीं हैं और जहां जाति, वंश या वर्ण कोई भेद-भाव नहीं है।

भगवान जिस कुशलता के साथ अपने प्रत्येक संस्थान को चलाते हैं और उनके अविश्वसयनीय रूप से कई संस्थान हैं। इस बारे में जो कुछ मुझे मालूम हैं, उसके आधार पर मुझे विश्वास है कि इस अस्पताल के भीतर, इसके बाहरी आवरण से भी अधिक कुछ होगा। सदैव की भांति उन्होंने सर्वश्रेष्ठ डाक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम यहां एकत्र की है। और फिर, हमेशा की तरह इनमें से कई तो बाबा को और उनके लोगों की अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं।

अस्पताल भवन के बीचों बीच विशाल गुम्बद वाला प्रार्थना व ध्यान कक्ष ही इस स्थान को मंदिर और अस्पताल का एक अभिनव स्वरूप प्रदान करता है। निश्चय

श्री सत्य साईं बाबा उच्च आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन, बंगलौर, 19 जनवरी 2001

ही इससे रोगियों के मन-मस्तिष्क में शांति व आशा जाग्रत होगी। ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त यह संस्थान न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक व आध्यात्मिक व्याधियों को दूर करने में सहायक होगा।

मित्रो, मेरे हिसाब से जो बातें इस अस्पताल को बेजोड़ बनाती है वह बात है यहां मिलने वाली सामान्यता नि:शुल्क सेवाएं, जिनसे गरीबों को भी अमीरों की भांति पंचतारा स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। हमारे बड़े-बड़े शहरों में कई अस्पताल हैं, जिनके दरवाजे मध्यम वर्ग के लोगों तक के लिए बंद होते हैं। अमीर लोग भी जब इन अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, जो उनका बटुवा भी काफी हल्का हो जाता है। इस अस्पताल की स्थापना से बाबा ने दिखा दिया है कि मंदिर के द्वार अमीर और गरीब के पांव में भेद नहीं करते हैं, वैसे ही एक अच्छा अस्पताल अपनी सेवाएं उन्हें देता है, जिन्हें इसकी जरूरत होती है।

बाबा के आदर्श को मैं अपना भी आदर्श मानता हूं। इस संस्कृत के एक श्लोक में इसे प्रकार व्यक्त किया गया है:

ना त्वाहम कामये राज्यम्, ना स्वर्गम् न च पुनर्भवम्
कायमे दु:खतापानाम्, प्राणीनाम आर्त नाशनाम्।

अर्थात् मुझे राजसत्ता नहीं चाहिए, न ही स्वर्ग चाहिए और न ही पुनर्जन्म। मेरी एकमात्र अभिलाषा यह है कि प्राणीमात्र की वेदना दूर हो।

मित्रो हमारे देश में वर्तमान स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली इस आदर्श से कोसों दूर है। भारत में अभी भी प्रति हजार रोगी, छह या सात चिकित्सक हैं। परिणामस्वरूप हमारी अधिकांश जनता का उपचार पारम्परिक औषधियों के डाक्टरों या अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित डाक्टरों द्वारा ही किया जा रहा है। हर साल अतिसार से लगभग सात लाख बच्चे मर जाते हैं। इन मौतों को आसानी से टाला जा सकता है। आधी से अधिक गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं खून की कमी की शिकार हैं। भारत में पैदा होने वाले लगभग 30 प्रतिशत शिशुओं का जन्म के समय भार कम होता है।

केंद्र और राज्यों द्वारा विशाल संसाधन जुटाए जाने के बावजूद, सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरियां अभी भी कई भारतीयों की जरूरतें पूरी करने में समर्थ नही हैं। हमारे अधिकांश लोगों को निजी डाक्टरों और निजी अस्पतालों की शरण में जाना पड़ता है, जहां अभी भी अक्सरे पेसै को इलाज पर प्राथमिकता दी जाती है। कोई हैरानी की बात नहीं कि स्वास्थ्य रक्षा पर गरीबों की थोड़ी सी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है।

अब यह स्पष्ट हो चला है कि बढ़ती जनसंख्या की स्वास्थ्य रक्षा संबंधी जरूरतें सरकार के संसाधनों के बूते पर ही पूरी नहीं की जा सकतीं हैं। हमें सबके लिए स्वास्थ्य के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक और नए-नए तरीकों के बारे में सोचना होगा और उन पर अमल करना होगा।

हमें सरकारी स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली को अधिक कारगर और कुशल बनाने के लिए इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। हमें सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच अधिक तालमेल लाना होगा।

सरकार द्वितीयक व तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहन देना चाहेगी। साथ ही मैं चाहूंगा कि निजी चिकित्सक और निजी अस्पताल सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा के भार का एक अच्छा खासा भार वहन करें। लेकिन अस्पताल चाहे निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में, जनकल्याण को तभी बढ़ावा दे सकता है जब उसमें काम करने वाले लोग सेवा भावना से पूरी तरह आम प्रेरित हों। और यही बात हम बाबा के संस्थानों से सीख सकते हैं।

वे अपने कालेजों और अस्पतालों में सर्वाधिक योग्य और सक्षम व्यवसायिकों को काम करने के लिए आकर्षित करते हैं। लेकिन हमें सबसे अधिक जो बात प्रभावित करती है, वह उनकी योग्यता और विशेषज्ञता ही नहीं है। वह बात तो उनकी विनीत, सहज और समर्पित सेवा भी है, जो वे सभी को प्रदान करते हैं। हमें अपने राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में चाहे स्वास्थ्य रक्षा हो या शिक्षा, उद्योग हो या प्रशासन, सभी में पेशेवर उत्कृष्टता और सेवाभाव की इस भावना को लाना होगा।

एक अरब लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं प्रदान करना कोई आसान काम नहीं है। यह काम उपचारात्मक सेवाओं पर ही जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने से नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेवाएं हमारे कई नागरिकों को न तो उपलब्ध हो पाती हैं और न ही उनकी पहुंच के भीतर होती हैं। यहां तक के समृद्ध देशों को भी अपने खर्चीली स्वास्थ्य रक्षाप्रणाली को बनाए राने में कठिनाई होती है।

इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम भारत में निवारक तथा समाज आधारित स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देना होगा। सर्वविदित है कि रोकथाम इलाज से बेहतर होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में निवारक उपचार की अब तक आम तौर से अनदेखी होती रही है। एचआईवी जैसी कुछ बीमारियों के मामलों में, जागरूकता के जरिए रोकथाम ही एकमात्र उपचार है। हमें स्वस्थ जीवन, अच्छे आहार और व्यायाम जैसी बुनियादी बातों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए भी निरंतर अभियान चलाने होंगे।

शुरू में, हमें सार्वजनिक स्थानों पर सफाई को बढ़ावा देने का काम बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहिए। बाबा के संस्थानों में एक बात जो मुझे काफी प्रभावित करती है, वह यह है कि इनका कोना-कोना साफ-सुथरा रहता है, जबकि हजारों लोग हर दिन यहां आते रहते हैं। बाबा और उनके भक्तों से हम इस बारे में भी सीख सकते हैं।

कारगर व सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, हमें आयुर्वेद, योग, अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को हमारी सम्पूर्ण स्वास्थ्य रक्षा रणनीति में उचत स्थान नहीं मिल पाया है। हमारी सरकार इस असंतुलन को दूर करने की कोशिश कर रही है। मैं मानता हूं कि हमें काफी कुछ अभी करना है।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व में चाहूंगा कि आप सबके साथ मिलकर मैं इस संस्थान के मंगल की कामना करूं। परमात्मा करे कि इसकी सभी भावी योजनाएं सफल हों और यह शीघ्र ही से इस देश के लोगों को बाबा की उदारता का एक पावन प्रतीक बने।

सूचना प्रौद्योगिकी देश के लिए वरदान

इस बार मेरा कर्नाटक आना कुछ खास है। मुझे यह सामान्य यात्रा की बजाए एक तीर्थ यात्रा ज्यादा लगती है। पेजावर मठ के स्वामी जी से मिलने और वहां के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर में बने नए भव्य हाल के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए कल मैं उडुपी में था। आंज सुबह मैं आदि चंचनगिरी मठ के स्वामी जी का आशीर्वाद लेने गया था और उनके द्वारा किए जा रहे समाजसेवी कार्यों की विविधता और विशालता देखकर मैं अभिभूत हो गया।

बाद में दोपहर में, मैं सत्य साईं बाबा के आशीर्वाद से बने उस अस्पताल को देखने जाऊंगा। यह कोई सामान्य अस्पताल नहीं है, बल्कि सच्चे मायनों में उपचार का एक भव्य मंदिर है।

मुझे लगता है कि इन्फोसिस शहर में आना भी एक मंदिर में आना जैसा है, लेकिन यह मंदिर एकदम अलग तरह का है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल

इन्फोसिस शहर की यात्रा के अवसर पर दिया गया भाषण, बंगलौर, 19 जनवरी 2001

नेहरू ने कारखानों और बांधों को 'आधुनिक भारत के मंदिर' कहा था। इस तरह उन्होंने राष्ट्र निर्माण में उनके महत्व को रेखांकित किया था। आज की नई अर्थव्यवस्था, में मैं समझता हूं हमारे सूचना प्रौद्योगिकी पार्क और इन्फोसिस जैसी साफ्टवेयर कंपनियों के परिसर आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं।

मैं यहां पर सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति का एक सुखद संगम देखता हूं। नई अर्थव्यवस्था को शक्ति मिलती है, ज्ञान से और यह सम्पत्ति व समृद्धि उत्पन्न करती है। यहां तक कि ऐसा लगता है कि लक्ष्मी का साफ्टवेयर कंपनियों पर विशेष कृपा है। लेकिन मस्तिष्क और बाजार का एक चमत्कार होने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी हमारे राष्ट्र के लिए एक बड़ी ताकत भी है।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च 1998 में सत्ता में आने के तुरन्त बाद, हमारी सरकार ने भारत के मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दो बड़ी पहल कीं। कदम था पोखरण में 'आपरेशन शक्ति' के रूप में और दूसरा राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा चलाया गया आपरेशन आई टी। श्री नारायण मूर्ति भी इस कार्यबल के सदस्य थे। ये दोनों ही पहल हमारी अपेक्षा से भी अधिक सफल रही हैं। कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि इनसे भारत की ताकत में जबर्दस्त वृद्धि हुई है। एक ने हमें सैन्य शक्ति दी है और दूसरी ने हमें आर्थिक शीक्त प्रदान की है।

सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की सफलता में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में, इन्फोसिस देश की सराहना की पात्र है। नारायण मूर्ति जी, मुझे आप पर और आपकी टीम पर गर्व है।

मित्रों, मुझे मानना पड़ेगा कि मुझे साफ्टवेयर और हार्डवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी भाषा की अन्य शब्दावली के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। जब मैंने पहली-पहली बार कंप्यूटर से जुड़े माउस, चूहे की बात सुनी, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पकड़ने में लिजलिजे लगने वाली जीव को लोग कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी ने हमारे देश को दुहरा वरदान दिया है। इसने विकासशील साफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में भारत की छवि को विश्व में निखारा है। साथ ही, इसने गरीबी हटाने और पिछड़ेपन को दूर करने तथा भारत को सभी के लिए संभावनाओं वाला देश बनाने के लिए हमें एक शक्तिशाली विकास माध्यम उपलब्ध कराया है।

एक समय था, जब भारतीय इंजीनियरों और पेशेवरों को विदेश जाने के लिए वीजा पाने के वास्ते महीनों इंतजार करना पड़ता था और उनकी यह इंतजार चिंता और

अनिश्चितता से भरी हुआ करती थी। आज, वो ही देश तथा कई नए देश भी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। पुरानी धारणाएं कि भारत सपेरों का देश हे, अब बीते जमाने की बातें हो चुकी हैं। आज अगर दुनिया को किसी बात से प्रसन्नता होती है, तो वे हमारे नौजवान और मेधावी सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर, जिन्होंने भारत को साफ्टवेयर में उत्कृष्टता का पर्याय बना दिया है।

जब मैं विदेश जाता हूं या विदेशी हस्तियां नई दिल्ली आती हैं, तो प्रायः सबसे पहले वे भारत के साथ जिस क्षेत्र में सहयोग की इच्छा व्यक्त करते हैं, वह क्षेत्र होता है सूचना प्रौद्योगिकी का। मैं यहां बता दूं कि पहले, विदेशी अतिथि जब तक ताजमहल नहीं देख लेते थे, संतुष्ट नहीं होते थे। लेकिन अब, आगरा का यह मध्ययुगीन आश्चर्य उनकी यात्रा कार्यक्रम होता तो है, लेकिन जब तक वे आधुनिक भारत के आश्चर्य, अर्थात् बंगलौर में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों का दौरा नहीं करते, उन्हें संतुष्टि नहीं होती।

मुझे बताया गया है कि कोई ऐसा सप्ताह नहीं गुजरता जब कोई न कोई महत्वपूर्ण विदेशी अतिथि इन्फोसिस शहर देखने न आता हो। मुझे यह सोच कर बड़ी हैरानी होती है कि कैस श्री नारायण स्वामी और उनकी साथ इन तीर्थ यात्रियों की ढंग से मेजबानी भी कर लेते हैं और साथ-साथ विश्व स्तर के साफ्टवेयर भी बनाते रह सकते हैं।

मित्रो, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में मुझे तीन बाते सबसे अधिक प्रभावित करती हैं।

पहली, भारत में तथा अमरीका और विश्व में अनंयत्र दोनों ही में कार्यरत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की शानदार सफलताओं ने हमारे नौजवानों में बेपनाह जोश उत्पन्न कर दिया है, इनमें से अधिकांश सफलता की कहानियों के नायक पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं, जो लखपतियों और करोड़पतियों के परिवारों में नहीं जन्मे थे।

इससे नौजवान भारतीयों को समझ में आ गया है कि अच्छी शिक्षा और मेहनत से भी महान सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। मुझे छोटे कस्बों और गांवों तक में कंप्यूटर शिक्षा और अच्छी इंटरनेट सेवाओं की भूख देखने को मिलती है। लाखों नौजवान भारतीयों में इस महत्वाकांक्षी उर्जा के ज्वार से मुझे भारत के भविष्य के प्रति बड़ी आशाओं और विश्वास से भर दिया है।

दूसरे, इन्फोसिस जैसी और बंगलौर तथा अन्य भारतीय शहरों में की कई अन्य कंपनियों ने सिद्ध कर दिया है कि भारत में रहकर भी सफलता की गाथाएं लिखी

जा सकती हैं। विश्व स्तर की सुविधाओं, बुनियादी ढांचे, और प्रबंध के बूते पर भारतीय कंपनियां, निश्चय ही भारत में सिलीकॉन वैली का जादू जगा सकती हैं।

मैं मानता हूं कि सामान्यता भारतीय व्यापार को और विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को उपलब्ध बुनियादी ढांचे में सुधार की एक बड़ी जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों की है। हमने घरेलू और निर्यात बाजारों, दोनों ही के लिए दूरसंचार, इंटरनेट और साफ्टवेयर विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं। साथ ही, मैं यह भी मानता हूं कि भारत के सामने उपलब्ध विशााल अवसरों को लपकने के लिए तत्काल कई और पहल करने की जरूरत है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये कदम शीघ्र उठाए जाएंगे।

उदाहरण के लिए, बंगलौर में नए अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के काम की शुरूआत इस शहर और इसके आसपास सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के हमारे वायदे का एक अंग है। इसी तरह, आपने शैक्षणिक ढांचे के विस्तार और समृद्धि के लिए हम शीघ्र ही एक प्रौद्योगिकी शिक्षा की लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी और इंजीनियरी तथा प्रबंध के अन्य क्षेत्रों में उच्च प्रशिक्षण वाले व्यवसायों की संख्या में जबर्दस्त वृद्धि करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है।

अंत में, इन्फोसिस जैसी सफलता की गाथाओं मजबूत नेतृत्व से प्रेरित सामूहिक प्रयास की ताकत को सिद्ध कर दिया है। हालांकि मीडिया की प्रवृत्ति व्यक्ति को महिलामंडित करने की होती है, और मुझे रत्तीार भी सन्देह नहीं है कि निजी नेतृत्व किसी भी उपक्रम में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि विजय निरंतर टीम भावना से ही प्राप्त होती है।

मित्रो, एक और बात है, जिससे मुझे सूचना प्रौद्योगिकी उद्यमियों की नई पीढ़ी के बारे में विशेषरूप से प्रसन्नता होती है। यह व्यवसायिक उत्कृष्टता की संस्कृति आौर परोपकार के सिद्धान्तों का संगम है। मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा औश्र समाज कलयाण के कामों में मदद के लिए आपके प्रतिष्ठानों के प्रयासों के बारे में काफी कुछ सुना है। मैं चाहता हूं कि अन्य सभी भारतीय व्यापारों में यह संस्कृति उत्पन्न हो। यह ईश उपनिषद की परम्पराओं से एकदम मेल खाता है जो हमें 'तेन त्यक्तेन भुंजिताहः सिखाती है, जिसका अर्थ है कि नैतिक साधनों से सम्पत्ति अर्जित करो और इसे बांटने में आनन्द लो।

मैं विशेष रूप से आई आई टी, आई आई एफ और अन्य प्रमुख संस्थानों को आपके शीघ्र प्रबंध के सदस्यों द्वारा दिए गए उदार दान की सराहना करता हूं अच्छी

शिक्षा, ज्ञान व्यवस्था में छिपी अनंत संभावनाओं की कुंजी है। अब तक, हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हमारे समाज के अपेक्षाकृत एक छोटे वर्ग की जरूरतें पूरी करते रहे हैं, हालांकि उच्च प्रशिक्षण प्राप्त भारतीय व्यवसायिकों की मांग और संभावनाएं दोनों ही बड़ी तेजी से बढ रही हैं।

शिक्षा में बड़े पैमाने पर मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार लाने के प्रयास में मदद के लिए सरकार के संसाधन बहुत ही कम हैं। इसलिए, व्यापार घरानों और समृद्ध व्यक्तियों को इस जरूरी राष्ट्रीय प्रयास में भागीदार के लिए आगे आना चाहिए। मैं यहां कहना चाहूंगा कि अब यह स्वैच्छिक चयन का मामला नहीं रह गया है। यह एक अनिवार्य सामाजिक दायित्व है।

आर्थिक सुधार के इस दौर में सरकार ने उन क्षेत्रों से हट जाने का सही फैसला किया है, जिनमें निजी उद्यम और गैर-सरकारी प्रयासों से बढ़िया परिणाम निकल सकते हैं। लेकिन इससे व्यापार समुदाय पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वह हमारी बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने में योगदान करें। अगर व्यापार समुदाय इस चुनौती का सामना करने विफल रहता है, तो हमारे आर्थिक सुधारों को सामाजिक समर्थन कमजोर पड़ जाएगा और जिसके भविष्य में अप्रत्याशित परिणाम होंगे।

इससे पूर्व में अपनी बात समाप्त करूं, मैं भारत में सभी सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायिकों और उद्यमों को एक सलाह देना चाहूंगा। अपनी सफलताओं पर संतुष्ट होकर न बैठें। आपने काफी सफलता प्राप्त की है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। ऐसे उत्पाद और ब्रांड तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत करें और बेहतर ढंग से काम करें, जो विश्व में छा जाएं। आप जाने कि अपने लिए और अपनी कम्पनी के लिए सम्पत्ति बनाना, आपने समर्पित प्रयासों का सहज परिणाम होगा। लेकिन आपका लक्ष्य एक अरब भारतीयों के लिए सम्पत्ति तैयार करने में योगदान का अधिक होना चाहिए ताकि नई सदी में गरीबी और अल्पविकास एक अतीत की बात बन कर रह जाएं। यह मेरा सपना है और मुझे विश्वास है कि यही सपना यहां मौजूद आप सभी लोगों का भी होगा। एक बार फिर, इन्फोसिस को मेरी बधाई और शुभ कामनाएं

देशवासियों को सही जानकारी दें

आज सुबह राज्य सूचना मंत्रियों के इस सम्मेलन में शामिल होकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। यह एक उपयोगी मंच है जो आप सबको और सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा उनके अधिकारियों को उन व्यापक मुद्दों की जानकारी और अनुभवों के आदान-प्रदान का अवसर देता है जो केन्द्र तथा राज्यों और काफी हद तक जनता के लिये महत्वपूर्ण हैं।

भारत राज्यों का संघ है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक दूरदर्शितापूर्ण संघीय ढांचा ठीक ही बनाया था, जिसमें कुछ विषय केन्द्र के, कुछ राज्यों के अधिकार में दिये थे और बहुत से अन्य विषय समवर्ती सूची में रखे थे। हमारे विस्तृत और विविधतापूर्ण देश में जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में यह रूपरेखा पूर्णतया अनुकूल रही है। इसका उद्देश्य केन्द्र तथा राज्यों के बीच ऐसा सामंजस्य निर्मित करना भी था जिससे हमारा लोकतंत्र सर्वतोमुखी विकास का एक प्रभावी साधन बन जाये।

अत: मैं केन्द्र तथा राज्यों और राज्यों के बीच आपस में भी, नियमित और घनिष्ठ बातचीत को बहुत महत्व देता हूं। इस प्रकार की बातचीत सूचना और संचार के क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण है। सूचना शक्ति है। यह केवल शब्दाडम्बर मात्र नहीं है, बल्कि एक गूढ़ सत्य है। और यह भी उतना ही सच है कि सूचना का अभाव एक गंभीर जिम्मेदारी हो सकती है। हम अपनी जनता को सही सूचना, उपयोगी सूचना दें, और फिर हमें दिखाई देगा कि हमारी नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू करने में वे हमारे कितने बड़े सहायक बन जायेंगे। लेकिन जिस सूचना की उन्हें आवश्यकता है, उससे उन्हें वंचित रखें, या उन्हें विकृत या गलत सूचना के स्रोतों पर निर्भर कर दें तो हम देखेंगे कि हमारी सर्वोत्तम योजनायें किस तरह से असफलता के दलदल में फंसी रह जायेंगी। सूचना हमारी जनता का मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकार है। यह अधिकार उन्हें देना सरकार का मूलभूत कर्तव्य है।

प्रिय मंत्रीगण, यह कर्तव्य निभाते समय मैं केन्द्र तथा राज्य सरकारों से अधिकतम सहयोग तथा समन्वय से एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता पर इससे और ज्यादा जोर नहीं दे सकता। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस तरह के समन्वित प्रयासों की कभी-कभी कमी नजर आती है। इस कालावधि में केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी प्रचार गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिये बड़े-बड़े प्रतिष्ठान

राज्यों के सूचनामंत्री सम्मेलन में भाषण, नई दिल्ली, 21 जनवरी 2001

बनाये हैं। केन्द्र तथा राज्यों की बहुत-सी विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों में घनिष्ठ अंतर-संबंध है। सामाजिक क्षेत्र के लिये यह विशेष तौर से सच है। बजट संबंधी सहायता केन्द्र द्वारा दिये जाने पर भी शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और समाज कल्याण के क्षेत्र में बहुत सी योजनायें राज्य सरकारें ही लागू करती हैं। अतः यह स्पष्ट तौर से जाहिर है कि ऐसी विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता इस बात पर निर्भर है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें किस प्रकार से अपने प्रचार प्रयासों को एक प्रभावशाली और समन्वित तरीके से पूरा करती हैं। मैं यह समझता हूँ कि केन्द्र के साथ ही राज्यों के स्तर पर भी समन्वय और प्रचार की क्षमता में सुधार की भारी गुंजाइश है। केन्द्र के संगठनों को विभिन्न राज्यों की सफलताओं और उपलब्धियों को प्रकाश में लाने के लिये और अधिक कार्य करना चाहिये क्योंकि किसी भी राज्य सरकार के पास अन्य राज्यों में ऐसा करने के लिये कोई साधन नहीं है। इसी प्रकार से राज्यों की प्रचार इकाइयों को भी चाहिये कि वे केन्द्र द्वारा उठाये गये विकासात्मक कदमों का समुचित रूप से प्रचार करे।

उदाहरण के तौर पर, जैसा कि आप जानते हैं, हमने हाल ही में सामाजिक तथा

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी विज्ञान भवन में राज्यों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए, नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2001

ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में राष्ट्रीय, ग्रामीण सड़क कार्यक्रम तथा अन्त्योदय अन्न योजना जैसे कुछ प्रमुख कार्यक्रम आरंभ किये हैं। अन्नपूर्णा अन्न योजना के नाम से पहले से ही एक योजना चल रही है, जिसके अन्तर्गत गरीब परिवारों के बूढ़े लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जायेगा। यद्यपि यह केन्द्र की पहल है, लेकिन इन्हें राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना जरूरी है।

दुर्भाग्यवश, योजनायें चाहे केन्द्र की हों या राज्य सरकारों की, ऐसी विकासात्मक योजनाओं की जानकारी हमेशा ही आम जनता तक नहीं पहुंच पाती, विशेषकर ग्रामीण तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जब जनता को कोई जानकारी ही नहीं होगी तो वे उन्हें लागू करने या उनकी प्रगति पर नजर रखने में हिस्सा मुश्किल से ही बंटा पायेंगे। जनता की भागीदारी के अभाव में ऐसे कार्यक्रम सदा नौकरशाही तरीके से ही लागू किये जाते हैं। इससे भ्रष्टाचार, अयोग्यता और गैर-जिम्मेदारी की भावना पनपती है। फलस्वरूप आम जनता सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में निन्दात्मक रवैया अपनाती है। मैंने अकसर सांसदों और विधायकों से भी शिकायतें सुनी हैं कि इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में उन्हें भी शामिल नहीं किया गया है। अगर हमारे सांसदों और विधायकों को ऐसी शिकायतें हैं तो यह कल्पना सहज ही की जा सकती है कि पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की भावनायें क्या हो सकती हैं।

जिन नीतियों और कार्यक्रमों में हम हर साल हजारों करोड़ रुपये खर्च करते हैं उनके भाग्य की डोर हम केवल नौकरशाहों के हाथ में ही नहीं छोड़ सकते। हमारे सभी विकासात्मक प्रयासों की सफलता के लिये जनता और जनता के चुने प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी अत्यावश्यक है। इस असंतुलन को ठीक करने में केन्द्र तथा राज्यों के सूचना मंत्रालयों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

आज मैं एक और विचार आपके साथ बांटना चाहता हूं। केन्द्र तथा राज्यों के सभी विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रचार के प्रयासों को एकीकृत तरीके से करना बहुत जरूरी है ताकि एक ही प्रेरणादायक संदेश जनता तक पहुंचे। ऐसा करते समय दलीय राजनीति या किसी प्रकार के पक्षपातपूर्ण विचार के लिये कोई जगह नहीं होनी चाहिये। जैसा कि आप जानते हैं, केन्द्र में हमारी सरकार ने सभी राज्यों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता और न्याय कें सिद्धान्तों का ईमानदारी से पालन किया है। मैं संतोषजनक रूप से यह अवश्य कह सकता हूँ कि केन्द्र और राज्यों के संबंध पिछले कुछ समय की अपेक्षा अब और अधिक मैत्रीपूर्ण हैं।

जिस बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह केवल यह है कि हमें भारत को एक सम्पूर्ण इकाई के रूप में देखना चाहिये जिस प्रकार से मानव शरीर एक सम्पूर्ण

और संघटित इकाई है। यह राष्ट्र तभी स्वस्थ और सक्रिय रह सकता है जब इस राष्ट्रीय शरीर के सभी अवयव और संगठन एक-दूसरे से पुष्टि प्राप्त करें तथा एक सामान्य उद्देश्य सहित एकजुट होकर कार्य करें।

मेरे विचार से मूल रूप से यह जिम्मेदारी केन्द्र और राज्यों के सूचना मंत्रालयों की है कि वे इसे हमारी जनता तक पहुंचायें। मूल रूप से यह जिम्मेदारी भी उनकी है कि वे केन्द्र और राज्य सरकारों की लागू करने की प्रणाली से इस राष्ट्रीय कल्पना को अपनी सभी गतिविधियों में शामिल करवायें।

समाप्त करने से पहले, मैं इस बात की ओर ध्यान अवश्य दिलाना चाहूँगा कि हमारे पास प्रचार के जो भी साधन हैं उन्हें दृष्टिकोण तथा कार्य में और भी अधिक प्रोफेशनल होने की नितान्त आवश्यकता है। इनमें से अधिकतर जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय और पत्र सूचना कार्यालय स्वतंत्रता के आरंभिक दशकों में बनाये गये थे जब निजी स्वामित्व वाले समाचार-पत्रों को छोड़ कर, सरकार ही सूचना का करीब-करीब एकमात्र स्रोत थी। आज स्थिति एकदम अलग है। कई टी वी चैनलों ने क्षेत्रीय भाषाओं में भी काम करना शुरू कर दिया है।

ऐसे भीड़भाड़ वाले और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में सरकारी प्रचार इकाइयों के लिये जनता तक सही जानकारी और संदेश पहुंचाना वास्तविक चुनौती है। मैं इस सम्मेलन से आग्रह करूंगा कि वे इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करके आज की इस चुनौती से निपटने के लिये हमारे सभी संगठनों के समुचित पुनर्गठन के लिये एक योजना की रूपरेखा तैयार करे। यह भी आवश्यक है कि इन संगठनों में काम करने वालों को फिर से प्रशिक्षण दिया जाये। प्रभावी सम्प्रेषण के लिये नवीनता, रचनात्मकता और वचनबद्धता की आवश्यकता होती है। यह एक नित्यक्रमानुसार और अकल्पनात्मक तरीके से नहीं किया जा सकता, जैसा कि आज अकसर हो रहा है। पूर्व स्थिति से आगे बढ़ने के अपने इस प्रयास में हमें सूचना प्रौद्योगिकी के नये और शक्तिशाली साधनों का पूर्णरूपेण उपयोग करना चाहिये। इंटरनेट जैसे इन साधनों ने न केवल संचार को अधिक सस्ता बना दिया है बल्कि संचार शक्ति को भी अत्यधिक बढ़ा दिया है। विशेष तौर पर हमारी सभी गैर-अंग्रेजी भाषाओं में इन साधनों का उपयोग बढ़ाना अत्यावश्यक है।

आपकी कार्यसूची से मैं देख रहा हूं कि आपको फिल्म तथा चलचित्रिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े मामलों सहित बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करनी है। मुझे विश्वास है कि आपके विचार-विमर्श फलदायी होंगे। इन शब्दों के साथ, मैं इस सम्मेलन का उद्‌घाटन करता हूं तथा इसकी सफलता की कामना करता हूं।

समाचारपत्र—राष्ट्र के महत्वपूर्ण स्तम्भ

इण्टरनेशनल प्रेस इन्स्टीटयूट द्वारा आयोजित संसारभर के प्रमुख पत्रकारों के सम्मेलन में उपस्थित होने पर मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। मुझे इस कारण और भी अधिक प्रसन्नता है कि आपने भारतीय गणतन्त्र के स्वर्ण जयन्ती समारोहों के अवसर पर यह सम्मेलन आयोजित किया। मुझे आशा है कि कल गणतन्त्र दिवस की परेड आपको अच्छी लगी होगी।

भारत के गणतन्त्र समारोह भी एक प्रकार से देश के स्वतन्त्र प्रेस के समारोह हैं। भारत को इस बात पर गर्व है कि यहां समाचारपत्रों को संसार के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त है। भारत में अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अनेकविध समाचारपत्र आदि प्रकाशित होते हैं। इनमें तरह-तरह के विचार और सम्मतियां प्रकट की जाती हैं। इनमें आलोचनाएं और विरोधी पक्षों के विचारों को भी प्रमुख स्थान दिया जाता है। पिछले दिनों प्रचार और सूचनाएं प्रसारित करने के क्षेत्र में जो तकनीकी प्रगति हुई है उसे भी भारतीय प्रचारतंत्र ने भली-भांति अपना लिया है। इन सबके कारण संसार के देशों में भारतीय पत्रकारिता को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है।

सम्भवत: इण्टरनेशनल प्रेस इन्स्टीट्यट का यह सम्मेलन भारत के गणतन्त्र दिवस समारोहों के अवसर पर संयोगवश हो रहा है किन्तु गहराई से देखने पर पता चलता है कि इन दोनों आयोजनों के बीच वैचारिक दृष्टि से घनिष्ठ पारस्परिक सम्बन्ध है। स्वतन्त्र और उत्तरदायित्वपूर्ण समाचारपत्र गणतन्त्र का महत्वपूर्ण स्तम्भ है। स्वतन्त्र और उत्तरदायित्वपूर्ण समाचारपत्र स्वस्थ लोकतन्त्र के लिए उतने ही अनिवार्य हैं जितने कि विधानमण्डल या न्यायपालिका।

मैं समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता और उत्तरदायित्व इन दो विशिष्टताओं पर विशेष बल देना चाहता हूं। समाचारपत्र या तो स्वतन्त्र होते हैं अन्यथा इन्हें समाचारपत्र कहा ही नहीं जा सकता। विचार स्वातंत्र्य और सूचना पाने का अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हैं। स्वतन्त्र समाचारपत्र; इस अमूर्त्त आदर्श को लोकतन्त्रीय अधिकार सम्पन्न शक्ति का स्वरूप प्रदान करते हैं।

समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन और इण्टरनेट के द्वारा सूचनाओं और

इंटरनेशनल प्रेस इन्स्टीट्यूट कांग्रेस में उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली, 27 जनवरी 2001

विचारों के बेरोकटोक आदान-प्रदान के कारण किसी भी विचारधारा या बाद के एकाधिकारवादी शासनों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए खड़ी की गई बड़ी से बड़ी बाधा भी धराशायी हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में संसार के अनेक भागों में लोकतन्त्र की विजय-यात्रा का अधिकांश श्रेय समाचारपत्रों को ही है।

इस प्रकार पत्रकार ही लोकतन्त्र के सन्देशवाहक है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत पधारे संसार के भूर्धन्य पत्रकारों के प्रतिनिधियों का स्वागत कर मैं अपने को धन्य मानता हूं।

मित्रो! जिम्मेदारी, स्वतन्त्रता का दूसरा पहलू है। पत्रकारों के हाथ में भला या बुरा करने की अद्भुत शक्ति है क्योंकि वे घटनाओं की ओर मस्तिष्कों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए समाचारपत्र आदर्शों के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। इन्हें समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व अवश्य प्रदर्शित करना चाहिये और इनमें सही तथा गलत के बीच भेद करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। पत्रकारों द्वारा सरकारों, राजनीतिक दलों, व्यापारियों और निजी व्यक्तियों से उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार की उन्हीं कसौटियों पर खरा उतरने के लिए तैयार रहना चाहिए।

किसी लोकतांत्रिक देश द्वारा लगाये गये न्यूनतम उचित प्रतिबन्धों के अतिरिक्त यह बात प्रचार संगठनों और इनमें काम करने वाले व्यक्तियों पर ही निर्भर है कि वे अपने उत्तरदायित्व की सीमाएं निर्धारित करें। समाचार, मनोरंजन और प्रचार माध्यमों के अन्य कार्यक्रम बाज़ार में मिलने वाली अन्य वस्तुओं जैसी नहीं हैं। केवल अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से अपनाये गये सनसनी फैलाने के तथा दूसरी तरह के हथकण्डे पत्रकारिता की मूल भावना के विरुद्ध हैं। पत्रकारों द्वारा अपनाये गये आत्म-नियमन, आत्म-निरीक्षण और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं अपना सैंसर करने जैसी बातें प्रचार साधनों की साख बढ़ाती हैं। यह साख आपकी अत्यन्त मूल्यवान निधि है।

प्रतिष्ठित पत्रकार बन्धुओ! अपने जीवन में बहुत पहिले मैं भी कुछ समय तक पत्रकार रह चुका हूं। बाद में राजनीति और प्रशासन के निजी अनुभवों से मैं अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों के बारे में थोड़ा बहुत समझने लगा हूं। मैं प्रायः अपने से ही पूछता हूं इस विश्व परिवार के बारे में विचार प्रकट करने, समाचार देने और इनका विश्लेषण करने में पत्रकारों और सूचना संगठनों की भूमिका क्या हैं?

नई शताब्दि में टैक्नोलौजी और भूमण्डलीकरण की शक्तियों ने समाचार संगठनों की पहुंच बहुत बढ़ा दी है। सूचना और संचार के क्षेत्रों में हुई क्रान्ति से ऐसी स्थिति

उत्पन्न हो गई है जिसे किसी पत्रकार ने 'दूरी का अन्त' ठीक ही कहा है। मनुष्य जाति के अब तक के इतिहास में यह पहिला अवसर है जबकि हम ऐसा ''एक संसार'' बनता देख रहे हैं जो संयुक्त है, सुसम्बद्ध है और परस्पर निर्भर है।

इसके कारण सूचना-संगठनों से लोगों की आशाएं बहुत बढ़ गई हैं। इस विश्व परिवार में पत्रकार-समुदाय को ''शब्द बन्धु'' कहना उचित ही है। शब्दों और चित्रों में ऐसी शक्ति निहित है जिससे वे लोगों को सही जानकारी दे सकते हैं उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, उनको धैर्य बंधा सकते हैं तथा उन्हें समीप ला सकते हैं इसलिए प्रत्येक देश के पत्रकारों को संकीर्ण विचारों से ऊपर उठना चाहिये और उन्हें अपने देश में और संसार के देशों में पारस्परिक सद्भाव तथा एकता के बन्धन मज़बूत बनाने चाहिए।

इस युग में सारे संसार तक पहुंच रखने वाले सूचना संगठनों की विशिष्ट भूमिका है। संसार के विभिन्न भागों में संस्कृतियों और परम्पराओं की आश्चर्यजनक विविधता है तथा नानाविध विचार सामर्थ्य विद्यमान है किन्तु शक्तिशाली सूचना संगठन जिस बात को प्रसारित करना चाहते हैं उनकी अपेक्षा इस सांस्कृतिक वैविध्य और विचार-सम्पदा यदि पूरी तरह से नहीं तो आंशिक रूप से प्राय: परदा डाल दिया जाता है। संसार के सूचना संगठनों में स्पष्ट दिख पड़ने वाली इन असमानताओं और असन्तुलनों के कारण निर्धन और विकासशील देश संसार को अपना हाल अपने ही शब्दों में नहीं सुना पाते।

आस्थाओं, संस्कृतियों, जातियों और भाषाओं का वैविध्य मानवजाति की सामर्थ्य का स्रोत है न कि निर्बलता का।

नई शताब्दि में लोगों और सूचना के आवागमन में आशातीत वृद्धि होने से संसार के और अधिक देश अपनी इन विविधताओं के प्रति अन्य देशों का ध्यान आकृष्ट करने लगे हैं इसलिए सूचना संगठनों के लिये पहिले से भी कहीं अधिक आवश्यक हो गया है कि वे लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनें।

मैं आपके सम्मुख अपना एक और विचार भी रखना चाहता हूं। आज संसार के विभिन्न देश आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के होड़ में लगे हैं। यह उद्देश्य उचित ही है। किन्तु पिछली शताब्दियों में अल्पविकास से उत्पन्न समस्याओं का बोझ हमें नई शताब्दि में नहीं ले जाना चाहिये। विज्ञान टैकनोलॉजी और विश्व सहयोग की सामर्थ्य से हम यह उद्देश्य वास्तव में पूरा कर सकते हैं।

किन्तु कभी-कभी मैं चिन्तित हो उठता हूं कि आर्थिक विकास की इस दौड़ में संसार मानव की उपेक्षा कर रहा है जबकि विज्ञान और टैक्नोलौजी का तथा व्यापार

और पूंजीनिवेश का मुख्य लाभ मानव को ही मिलना चाहिए। आर्थिक विकास को हमें मानवीय बनाना चाहिये। हमें अपने समस्त प्रयत्नों का केन्द्र मनुष्य को और आत्मसन्तष्टि तथा बन्धुत्व के लिए उसके अन्तरतम की आकांक्षाओं को बनाना चाहिये। इस क्षेत्र में भी पत्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

मित्रो! अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहिले मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि भारत किस दिशा में अग्रसर हो रहा है क्योंकि संसार के प्रमुख सूचना संगठनों के मूर्धन्य प्रतिनिधि शायद इस बारे में जानना चाहते हैं। हमारे देश में लोकतन्त्रीय प्रणाली परिपक्व होती जा रही है। कई दलों की संयुक्त सरकारें स्थायी और सफल सिद्ध हो रही हैं। देश के विविधतापूर्ण समाज के ऐसे अनेक वर्ग जिनका प्रतिनिधित्व पहिले कम था अब उनकी आवाज सुनी जाने लगी है और उन्हें देश की चुनाव प्रक्रिया तथा शासन में स्थान मिलने लगा है। संसद में और राज्य विधानमण्डलों में स्त्रियों के लिए स्थान सुरक्षित करने का महत्वपूर्ण कानून हम जल्दी ही प्रस्तुत करने जा रहे हैं।

भारत अनेक धर्मों, अनेक भाषाओं और अनेक जातियों वाला राष्ट्र है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार भारत में पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमारा विश्वास है कि भारत में विविधता में जिस एकता का प्रदर्शन किया है वह भूमण्डलीकरण के इस युग में कई प्रकार से सारे संसार के लिये उपयोगी है।

आज हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता कहीं अधिक तेजी से तथा अधिक संतुलन के साथ आर्थिक विकास करना है ताकि देश के एक अरब से भी अधिक नागरिकों में से प्रत्येक को विकास का लाभ मिल सके। यह उद्देश्य पूरा करने के लिये हमने पिछले दस वर्षों में आर्थिक सुधारों का व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ किया था। इन सुधारों के बारे में विभिन्न राजनीतिक दल मोटे तौर पर सहमत हैं।

संसार के जिन देशों की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकसित हो रही है उनमें भारत भी शामिल है। हमें विश्वास है कि आगामी वर्षों में भारत और भी अधिक तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगा। कुछ ही वर्षों में भारत सूचना टैक्नोलौजी के क्षेत्र में प्रमुख देश बन चुका है। हम सोच समझकर ऐसे अनेक कदम उठा रहे हैं जिनका उद्देश्य न केवल "डिजिटल डिवाइड" की चुनौतियों का सामना करना है अपितु देश की जनसंख्या के सभी वर्गों को वास्तव में "डिजिटल डिविडैण्ट (लाभांश)" प्रदान करना है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत, संसार के सभी देशों के साथ और विशेष रूप से अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण तथा पारस्परिक सहयोग पर आधारित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने की ज़रूरत

है ताकि इस क्षेत्र के सभी देशों और उनके निवासियों को समृद्धि और सुरक्षा का लाभ मिल सके। इस क्षेत्र में संसार की आबादी का पांचवां हिस्सा रहता है।

संसार के देश अब भली-भांति समझने लगे हैं कि एशिया में और संसार में शान्ति स्थायित्व, सुरक्षा और सहयोग स्थापित करने के लिये लोकतंत्रीय और तेजी से विकासशील भारत सक्रिय योग दे सकता है। नई शताब्दि में नवभारत का उदय समाचारपत्रों के लिये महत्वपूर्ण समाचार है। इस उत्साहवर्धक समाचार की विस्तृत जानकारी पाने और इसके बारे में संसार की जनता को बताने के लिये में आप सबको निमन्त्रित करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इण्टरनेशनल प्रेस इन्स्टीटयूट के 51वें सम्मेलन की सफलता की हार्दिक कामना करता हूं। मुझे आशा है कि आपका भारत निवास सुखद और स्मरणीय बन सकेगा।

एकता और अनुशासन राष्ट्रीय जीवन की धरोहर हैं

सबसे पहले मैं आपको गणतंत्र के त्यौहार की बधाई देना चाहता हूं। हमारा भारत गणतंत्र है और हमें इस गणतंत्र को सुरक्षित रखना है, इसको सुदृढ़ बनाना है, इसका विकास करना है। इसमें नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एन.सी.सी. कैडेट्स के नाते आपने जिम्मेदारी सम्भाली है। अभी मैंने आपका प्रदर्शन देखा। कंधे से कंधा लगाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए, आगे बढ़ती हुई नौजवानों की लहर इस देश के लिए आशा का संदेश है, विश्वास की घोषणा है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हम अलग-अलग-पूजा पद्धतियों का अवलम्बन करते हैं। अलग-अलग प्रदेशों के निवासी हैं, लेकिन जैसा आपने गणगीत गाया - हम भारतीय सब एक हैं। भाषा अलग हैं, मगर भाव एक है। पूजा की पद्धति अलग है, लेकिन भारत माता एक है। भेदों के बावजूद हम एक होकर आजादी के लिए लड़े थे, और हम, एक होकर, संगठित होकर देश का निर्माण करने में लगे हैं।

एन.सी.सी. कैडेटों की रैली में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 27 जनवरी 2001

पचास सालों में हमने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। लेकिन चुनौतियों में से हम सफलतापूर्वक निकले हैं। एकता और अनुशासन, ये राष्ट्र जीवन की दो धरोहर हैं। हम अगर एक हैं तो दुनिया में कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। और एक हैं मगर अब बिखरे हुए हैं, अनुशासन से हीन हैं, किसी व्यवस्था के अंतर्गत काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो समझना चाहिए कि देश के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। इसलिए हमें एक रहना है और अनुशासन में बंधकर अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करना है।

आज आपने जो करतब दिखाये, जिन खेलों का प्रदर्शन किया, वह इस बात का संकेत है कि आगे चलकर आपको भारी जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभानी होगी। और हमें विश्वास है कि आप निभायेंगे। मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं करता हूं। मुझे बताया गया है कि वियतनाम का भी एक प्रतिनिधिमंडल आया है, नौजवानों का दल जो थोड़े दिन पहले मुझे वियतनाम में मिला था, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वे भारत जा रहे हैं। मैंने उनका वहां उनके देश में स्वागत किया था, वे आज यहां आये हैं, हम सब उनको बधाई देते हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह से अन्य देशों के साथ भी नौजवानों का आदान-प्रदान हो, एक-दूसरे से हम परिचित हों, एक-दूसरे के काम आना सीखें। और इसके लिए सारी छोटी-छोटी बातें भूलकर हम अपने राष्ट्र का विचार करें।

आपको मालूम है, कल गुजरात में भयंकर भूचाल आया था। हजारों लोग काल के गाल में समा गये। ठीक-ठीक संख्या पता लगाना भी मुश्किल है। प्रयत्न हो रहे हैं, प्रकृति के इस प्रकोप से भी हमें लड़ना पड़ता है। लेकिन मनुष्य ने कभी प्रकृति के सामने हार नहीं मानी। कल भूकम्प था, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है। कभी आसमान टूटकर बिखर जाता है, मनुष्य के धैर्य की परीक्षा लेता है। लेकिन मनुष्य परास्त नहीं होता हिम्मत नहीं हारता, गिरे हुए मकान हम फिर से खड़े करेंगे, फिर से बस्तियां बसेंगी और जो हमारे बीच में नहीं रहे उन्हें हम श्रद्धांजलि देंगे। गुजरात के दस्ते को मैंने पथ संचलन में देखा। और मुझे अधिकारियों ने बताया कि जो केडेट गुजरात से आये हैं उनके घरवालों से सम्पर्क कल किया गया था, वे सब सुरक्षित हैं। वैसे भी आपका कैम्प कल खत्म होगा। लेकिन मैं गुजरात वालों के साथ विशेष सहानुभूति प्रकट करता हूं। इस मुसीबत में गुजरात अकेला नहीं है, सारा भारत उसके साथ है। और हमारे कैडेट इस मामले में आगे बढ़कर सबकी मदद करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है।

इतिहास निर्माता और लेखक

पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की आत्मकथा पहले प्रकाशित हो चुकी है। लेकिन आज वह नये रूप में नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत है। मैं बधाई देता हूं प्रकाशक को, जिन्होंने उस आत्मकथा को नये रूप में पेश किया है। तीन खंड जब मैंने पहले पढ़े थे, उस समय से लेकर अब तक देश की परिस्थिति काफी बदली है। लेकिन आप मिश्र जी की आत्मकथा पढ़ जायें अपने जीवन की घटनाओं के बारे में, उस काल के बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह आज की स्थिति पर भी एक तरह से लागू होता है।

वह महान नायकों में से थे, नेताओं में से थे, साथ ही लेखक भी थे, साहित्यकार थे, कवि थे। एक साथ मंच पर अभिनय करना और अभिनय के बारे में लिखना और अन्य पात्रों के आचरण पर भी टिप्पणी करना, जरा कठिन काम है। पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र ने इस काम को निभाया। शेक्सपियर ने कहा था कि यह संसार एक मंच है उस पर हम सब अभिनय करते हैं, उसके पात्र हैं। लेकिन एक साथ पात्र होना और इतिहासकार होना। मिश्र जी ने केवल इतिहास बनाया ही नहीं, मिश्र जी ने इतिहास लिखा भी। और, जब मुझे कहा गया कि फिर से पुस्तकें नये परिवेश में प्रकट हो रही हैं तो मुझे भी इस कार्यक्रम में भाग लेना है तो मैंने फिर से पुस्तकों के पुराने संस्करणों के कुछ पन्न पलटे और मैंने देखने की कोशिश की कि आज की स्थिति से वे कहां मेल खाते हैं।

पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेहरू जी के साथ जो मतभेद हुए थे, उसकी चर्चा हम लोगों ने सुनी है, हम लोग जानते हैं। मैंने तो राजनीति का प्रारम्भ किया था, जनसंघ की स्थापना हो गई थी लेकिन पांव पूरी तरह से जमे नहीं थे। उस समय नेहरू जी के खिलाफ जो भाषण होते थे, उन्हें हम बड़े चाव से सुनने जाते थे। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र भी जब उसमें शामिल हो गये तो अचानक लगा कि राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य बदल रहा है।

मुझे याद है, गांधी मैदान में हुई वह विशाल सभा। पंडित जी ने धुंआधार भाषण दिया। नेहरू जी को डिक्टेटर की उपाधि विभूषित की। और, कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, इसको रेखांकित किया। लेकिन उस समय जब उनका भाषण सुनकर हम प्रसन्न हो रहे थे और यह उम्मीद कर रहे थे कि अगले चुनाव में उनके साथ हमारी गोट

पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की पुस्तकों का लोकार्पण करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 24 फरवरी 2001

बैठ जाएगी और हमें कुछ लाभ होगा, लेकिन बाद में पता लगा और यह किताब से उद्घाटित हुआ, बृजेश जी मुझे क्षमा करें, कि सचमुच में पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र नेहरू जी पर दबाव डालने के लिए कि नेहरूजी, पंडित रविशंकर शुक्ला को और उनके साथियों को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस का टिकट दें इसलिए उन्होंने विद्रोह का झंडा बुलन्द किया। और इसका असर भी हुआ।

कभी-कभी मैं विचार करता हूं कि क्या वह व्यक्तित्वों की लड़ाई थी या कहीं कहीं विचारधाराओं का द्वन्द्व था। पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र, शुक्ला जी, टंडन जी और कहीं कहीं सरदार पटेल का उस दृश्य में झलक जाना, मैं भाग लेना नहीं कह रहा हूं, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ विचारों में द्वन्द्व था। लेकिन इतने गहरे द्वन्द्व होने के बाद पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र कांग्रेस से अलग हो गये थे। उन्होंने लोक कांग्रेस का निर्माण किया था। कांग्रेस जो छोड़ जाते हैं वे भी कांग्रेस को छोड़ते नहीं हैं। मुझे याद है, पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कहा - **जैसे उड़ि जहाज को पंछी, पुनि जहाज पे आवे।** अब अगर पंछी है और जहाज पर बैठा है जो समुद्र में चल रहा है तो कहां उड़कर जा सकता है। जाये तो फिर वापस आयेगा। लेकिन जाना भी एक बड़ी घटना थी।

यह ठीक कहा बृजेश जी ने कि अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कि कांग्रेस हाई कमान ने पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र के इस अनुरोध को स्वीकार क्यों नहीं किया कि मध्यप्रदेश की विधानसभा भंग कर दी जाये और जो पक्ष बदलकर गये हैं उनको सदस्यता से वंचित होना पड़े और राजनीति में एक नया अध्याय शुरू किया जाए। दलबदल का क्रम तभी से शुरू हुआ है और पंडित जी ने इस बात पर बड़ा दबाव डाला था कि विधानसभा भंग कर दीजिए। यह सत्ता की भूख हमें कहां ले जायेगी! लेकिन उनकी सलाह नहीं मानी गयी, क्यों नहीं मानी गई, इसका उत्तर आत्मकथा में नहीं है। शायद बृजेश जी लिखें उनके बारे में तो शायद यह बात स्पष्ट हो जाये या नरसिम्ह राव जी अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख कर दें कि क्यों हाई कमान ने उनकी बात नहीं मानी। क्या हाई कमान में द्वन्द्व था? क्या वह द्वन्द्व कुछ विचारों को लेकर था? ये सब अनुमान हैं। लेकिन उसका असर हुआ, पंडित रवि शंकर शुक्ल के अनुयायियों को टिकट मिले। और बाद में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र स्वयं कांग्रेस में चले गये। लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद भी उन्होंने कुछ आदर्शों को नहीं छोड़ा। और, मैंने देखा कि, तब हम प्रतिपक्ष में थे, उनसे मिलने के लिए जाया करते थे, अंतिम दिनों में भी जब उनकी दृष्टि चली गई थी मगर दूरदृष्टि कायम थी। उस समय भी वह सद्परामर्श लेते थे। हम विरोधी हैं यह जानते हुए भी और चाहते थे भारत का भला, राष्ट्र का हित, यह उनके लिए सर्वोपरि था। मैंने एक अंश उद्धृत करना चाहूंगा, कितनी तीखी आलोचना उन्होंने की, मगर कितनी सटीक थी-

The Nehru epoch has become a part of the history of the land, and as such should be subjected to unfettered judgement. And such a judgement has now become a compelling necessity in as much as not only Nehru's blood runs in Indira Gandhi's veins but, with a brief Shastri interregnum, his epoch runs and culminates into the Indira epoch.

Nehru's monocracy brought about in 1962 India's humiliation at the hands of the Chinese. Indira Gandhi's absolutism produced the excess of 1975-76 and culminated in her own defeat in 1977. What is more, she has left nothing undone to destroy the Indian National Congress, an institution built up by the sacrifices of countless Indian patriots and led by such stalwarts as Lokamanya Tilak and Mahatma Gandhi.

This Jawahar-Indira Drama, with Sanjay as the final entrant, has all the elements of a Greek tragedy. However, this is the subject matter of the third volume and I need only re-emphasize here that a proper appreciation of the Nehru epoch in the history of independent India is the key to the understanding of the political events which occurred after his sad end in 1964.

उस समय के इतिहास को समझने के लिए और विशेषकर कांग्रेस की नीतियों को समझने के लिए पंडित द्वारिका मिश्र की आत्मकथा पढ़ना जरूरी है। इसका अध्ययन होना चाहिए, नई पीढ़ी को इससे परिचित होना चाहिए, उन्होंने शब्दों का चयन बड़ी कुशलता से किया है, अपने भाव बड़ी कुशलता से प्रकट किए। वह चतुर राजनेता थे इसीलिए चाणक्य से कभी-कभी उनकी तुलना की जाती है। उन्होंने मध्य प्रदेश में फिर सत्ता परिवर्तन करने में निर्णायक भूमिका अदा की। लेकिन बाद में दिल्ली में जो परिवर्तन हुए, उनके साथ उनकी पटरी नहीं बैठी और वह दिल्ली छोड़कर जबलपुर चले गये।

मैं बधाई देता हूं इस आत्मकथा के पुनर्प्रकाशन के लिए बृजेश को और प्रकाशक को और आशा करता हूं, इन ग्रन्थों का फिर से लोग पठन-पाठन करेंगे।

मर्यादा का संकट

कल किसी समाचार पत्र में टिप्पणी आयेगी कि मैंने बैठकर भाषण दिया, कुछ गड़बड़ जरूर है। जब मैं पुरस्कार दे रहा था तो मेरे मन में एक कसक उठ रही थी, अगर मैं प्रधानमंत्री न होता तो मुझे भी पुरस्कार मिलता। लेकिन अब पुरस्कार तो नहीं तिरस्कार इकट्ठा करने में लगा हूं। *पांचजन्य* ने अपना स्थान बनाया है, परिश्रम से, प्रामाणिकता से और प्रतिभा से।

मेरे सामने कुछ पूर्व सम्पादक बैठे हुए हैं, मुझे वे दिन याद हैं जब पत्र प्रकाशित करना कितना कठिन था। साधनों की कमी थी। प्रकाशन का भी पर्याप्त प्रबन्ध नहीं था लेकिन मन में एक लगन थी, निष्ठा थी। स्व. भावरावजी देवरस और पं. दीनदयाल उपाध्याय का मार्गदर्शन था, पत्रकार के नाते हम नये थे, नौसिखिये थे। मगर सीखते जाते थे और काम करते जाते थे, आज *पांचजन्य* इस ऊंची स्थिति पर पहुंचा है, इसके लिए मैं वर्तमान सम्पादक विजय जी को बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने बड़ा परिश्रम करके पत्र को सारे देश में लोकप्रिय बनाया। कुछ पत्र वर्तमान संघर्ष में सफल हो रहे हैं। उनको पढ़ने वाले भी बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ पत्र-पत्रिकाएं असमय में ही कालकवलित हो रही हैं। प्रतिस्पर्धा बहुत तगड़ी है। नयी टेक्नोलॉजी नया विज्ञान, उसके सामने टिकना, साधनों की कमी में बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन जो पत्र विचारधाराओं से जुड़े होते हैं, इन कठिनाइयों को पार करके आगे निकल जाते हैं और *पांचजन्य* उन पत्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विचारधारा राष्ट्रीयता की है, देशभक्ति की है, एक सपना, जो देखा गया था, उसे साकार करने का संकल्प, कठिनाइयों के बीच मार्ग निकालने की मन:स्थिति। मार्ग निकलते हैं। *पांचजन्य* के पाठकों की बढ़ती हुई संख्या इसका प्रमाण है।

पत्रों को तीन-चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है। समाचार के लिए दैनिक पत्र हैं। मासिक पत्र विचार प्रमुख विचारों के लिए और साप्ताहिक विचार के लिए। लेकिन अब सब मामला गुत्थमगुत्था हो गया है। दैनिक पत्र में आप हर तरह की सामग्री पा सकते हैं, समाज के सभी वर्गों को छूने वाली सामग्री पा सकते हैं, जो साधन सम्पन्न हैं, जिनके पास प्रचुर साधन हैं, जो नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने लिए स्थान बनाते जा रहे हैं। इतने छोटे पत्रों के लिए कठिनाई पैदा हो रही है। ऐसे छोटे पत्रों के लिए कठिनाई पैदा हो रही है जो किसी धनिक घराने से संबंधित

नचिकेता सम्मान अर्पण करते हुए दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 23 मार्च 2001

नहीं हैं या जो किसी के कृपा पात्र नहीं हैं, *पांचजन्य* उन्हीं पत्रों में से है। खरी बात कहना लेकिन शालीनता से कहना, विरोध प्रकट करना मगर उसमें भी एक मर्यादा रखना। सारे देश में एक जागरण की लहर जो फैली है उसको मजबूत बनाने में *पांचजन्य* का योगदान महत्वपूर्ण है। कभी-कभी प्रतिस्पर्धा के कारण पत्रकार छोटा रास्ता, शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करते हैं। जैसे नेताओं को चिंता होती है कि दूसरे दिन अखबार में उनका नाम छपेगा कि नहीं छपेगा। इसे छपास कहा जाता है। कुछ लोग छपास से ग्रस्त होते हैं। और, इसलिए कुछ अटपटी बात कहना। अटपटी न हो तो चटपटी जरूर हो। अगर आप दूर की कौड़ी ला सकते हैं तो बहुत-बहुत बधाई है। लेकिन अगर तिल का ताड़ बनाकर और बात का बतंगड़ बनाकर और आलोचना में थोड़ी-सी दुर्भावना मिलाकर अगर आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो वह अच्छी पत्रकारिता को बल नहीं पहुंचा सकता।

देश कठिनाई के दौर में से गुजर रहा है, लेकिन निराशा का कोई कारण नहीं है। पिछले तीन वर्षों में हमने अनेक कठिनाइयां पार की हैं। और भविष्य में आने वाले दो वर्षों में भी सारी कठिनाइयां पार करते हुए हम अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। आलोचना का स्वागत है। निंदा करने वाले का स्थान अपने घर में होना चाहिए, इसको अपने घर में रखो, इसीलिए लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की व्यवस्था है। मैं तो चालीस साल प्रतिपक्ष में रहा हूं। जब *पांचजन्य* का सम्पादक बना तो कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में आना पड़ेगा। जब राजनीति में आ गया तो कभी सोचा नहीं कि कितना दायित्व सम्भालना पड़ेगा लेकिन आप सबके सहयोग से और आदर्शों में निष्ठा के परिणामस्वरूप, कठिनाइयों को झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। *पांचजन्य* इसमें सहयात्री हैं। उसके सम्पादकीय लेख हमें जानकारी भी देते हैं, और दिशा का निर्देश भी करते हैं।

जैसा मैंने कहा, आलोचना का स्वागत है। प्रतिपक्ष के नेता को विरोध करने के लिए वेतन दिया जाता है, सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन प्रतिपक्ष की भी एक मर्यादा है। आज सचमुच में एक मर्यादा का संकट है। किस सीमा तक जाना, कहां तक जाना है? लोकतंत्र की परिभाषा की गई है कि लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें बिना घृणा पैदा किये प्रचार हो सकता है और बिना हिंसा के सरकार बदली जा सकती है। लेकिन आज कटुता को उभारा जा सकता है। जैसा शास्त्री जी ने प्रारम्भ में कहा, पत्रकार अपने पाठकों की चिंता करें, उनका मनोरंजन करें यह तो स्वाभाविक है, आवश्यक है कुछ मात्रा में, लेकिन अगर जो कल्याणकारी है, जो राष्ट्र के हित में है, जो समाज को बंधनों में संगठन के सूत्रों में बांधता है अगर उसको छोड़ दिया जाए, तो पत्रकार के हाथों देश का अहित भी हो सकता है।

भारत की पत्रकारिता एक ऊंचे आदर्श पर चली है। स्वाधीनता के दिनों से उन आदर्शों से प्रेरित है। आज भी अच्छे पत्र निकल रहे हैं आज भी मीडिया का बहुत बड़ा भाग अपना दायित्व पूरा कर रहा है। लेकिन जो पाठक हैं उनको भी थोड़ा-सा विचार करना पड़ेगा और सोच-समझकर चयन करना पड़ेगा। देश में चर्चा हो, संवाद हो, क्योंकि अब देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आम सहमति के बिना काम नहीं बन सकता। पिछले तीन वर्षों में हमने आम सहमति पैदा करने का प्रयास किया है। लेकिन जब-जब चुनाव निकट आते हैं आम सहमति का खेल बिगड़ने लगता है। मुझे विश्वास है कि चुनाव के बाद फिर से आम सहमति का वातावरण बनेगा, राजनीतिक, आर्थिक प्रश्नों पर मतभेदों के बावजूद देश में यह भावना जागेगी कि हमें एक समृद्ध, शक्तिशाली, स्वाभिमानी और स्वावलम्बी भारत का निर्माण करना है। हम अपने विरोधी की नीयत पर शक नहीं करते, कोई हमारी नीयत पर भी शक न करे। घर-द्वार छोड़कर निकले तो किसी पद की लालसा में नहीं। काम में लगे हैं तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लोभ से नहीं। यह एक ध्येय है और इस ध्येय के लिए हम सब लोग समर्पित हैं। उस ध्येय को पूरा करने में जुटे हैं। जो कमियां होंगी, खामियां होंगी उनको पूरा किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। लेकिन इस पथ पर विश्राम नहीं है, इस पथ पर कोई आराम नहीं है। *पांचजन्य* का इस यात्रा में साथ है और भी पत्र इस दृष्टि से प्रेरणादायक बनाने का प्रयास करें। कुछ सनसनीखेज मामले उठाने से बचना चाहिए। लेकिन मामले उठाये जाते हैं। अधिकार है, लेकिन पाठक का विवेक होना चाहिए कि जो यह फर्क कर सके। सरकार नियम बनायेगी, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आत्मनियंत्रण की बात चलेगी। कोई अगर अति उत्साह में खोज के उपरान्त राष्ट्र जीवन का ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है, ऐसा पहलू प्रस्तुत करता है चित्र का, जो अच्छा दिखता नहीं है। लेकिन उसमें भी दुर्भावना न हो, कोई स्वार्थ न हो। स्थिरता आवश्यक है लेकिन स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं है। परिवर्तन की धारा चलेगी वक्त के साथ हम बदलेंगे लेकिन अपने जीवन-मूल्यों की रक्षा करते हुए। *पांचजन्य* उन्हीं जीवन मूल्यों का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि *पांचजन्य* अपनी जय यात्रा पूरी करेगा, अनवरत यह यात्रा चलती रहेगी और कभी पूर्व सम्पादक के नाते मुझे भी पुरस्कार लेने का अवसर प्राप्त होगा।

ISBN : 81-230-0993-3

मूल्य : 400.00

इस पुस्तक में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अप्रैल 2000 से मार्च 2001 तक दिए गए चुने हुए भाषण संकलित हैं। ये भाषण राष्ट्रीय मामलों, आर्थिक विकास और विज्ञान तथा टेक्नोलोजी से लेकर समाज कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय मसलों सहित अनेक विषयों से संबंधित हैं। विषय-सामग्री को आठ अध्यायों में बांटा गया है और प्रत्येक अध्याय में भाषण काल-क्रमानुसार रखे गए हैं।